वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

(अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (अध्याय–III) की धारा 18 के अनुपालन में वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को भारत की संसद में रखने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है)





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली-110002 (भारत)
वेबसाइटः ***www.ugc.ac.in***

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–संरचना

(1) आयोग में निम्नवत शामिल होंगेः–

(i) एक अध्यक्ष (ii) एक उपाध्यक्ष, और (iii) दस अन्य सदस्यगण, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(3) खंड (iii) की उप–धारा(1) में संदर्भित अन्य सदस्यगणों में सेः–

(क) दो सदस्यों को केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अधिकारियों में से चुना जाएगा; (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो चुने जाने के समय किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों; और (ग) शेष सदस्यों को निम्नवत व्यक्तियों में से चुना जाएगाः– (i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो; (ii) जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबद्ध हों, अथवा (iii) जो विश्वविद्यालय के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मतानुसार प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

बशर्ते कि इस खंड के तहत चुने गए कम से कम आधे सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्त्तव्यों को निवर्हन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।

(5) इस धारा के तहत की गई प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जब उसे केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1	***अध्यक्ष*** प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
2	***उपाध्यक्ष*** प्रो. भूषण पटवर्धन(*)	उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	सदस्यगण	
3	श्री अमित खरे	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
4	श्री राजीव रंजन	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
5	प्रो. राघवेन्द्र पी. तिवारी	कुलपति, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
6	डॉ. (श्रीमती) उमा चंद्रशेखर वैद्य	पूर्व कुलपति कविकुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
7	डॉ. किरण हजारिका	प्राचार्य, तेंगाखाट महाविद्यालय, असम
8	प्रो. (डॉ.) नागेश ठाकुर	आचार्य, भौतिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
9	प्रो. सुषमा यादव(**)	आचार्य, लोक नीति और अभिशासन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
10	प्रो. ई. सुरेश कुमार(@)	कुलपति, दी इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, तमाका, हैदराबाद, तेलंगाना
11	प्रो. एम. के. श्रीधर(%)	पूर्व आचार्य और संकाय अध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन, बेंगलुरु विश्वविद्यालय, बेंगलुरु
12	डॉ. शिवराज(+)	रसायन विभाग के आचार्य, विज्ञान और विकास तथा वि.अ.आ. मामले के संकाय अध्यक्ष, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
	सचिव **प्रो. रजनीश जैन**	

(*) दिनांक 04 मार्च, 2021 तक
(**) दिनांक 07 अगस्त, 2020 से
(@) दिनांक 07 अगस्त, 2020 से
(%) दिनांक 07 अगस्त, 2020 से
(+) दिनांक 07 अगस्त, 2020 से

©विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नवम्बर, 2021

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002

डिजाईन एवं मुद्रण : **दीया मीडिया आर्ट**

: डी–41/ए, मेट्रो पिलर नम्बर 33, विकास मार्ग,

: लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092

: फोनः +91 9312550335, 7042732332 | ई–मेल : infodma07@gmail.com

विषय सूची

			पृष्ठ नम्बर
	प्राक्कथन		vii
	कार्यकारी सारांशः 2020–21		1
1	**प्रस्तावना**		18
	1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	18
	1.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग	21
	1.3	प्रकाशन	27
	1.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	27
	1.5	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	47
	1.6	वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय	48
	1.7	विशेष कार्यकलाप/पहल	68
	1.8	कोविड–19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल	89
	1.9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में शिक्षा क्रेडिट बैंक योजना की स्थापना तथा प्रचालन) विनियम, 2021	90
2	**उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े**		91
	2.1	उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात	92
	2.2	विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय	94
	2.3	छात्र नामांकन	156
	2.4	ऑउट टर्न/पास ऑउट	164
	2.5	शिक्षण कर्मचारी	165
	2.6	शिक्षणेत्तर कर्मचारी	168
	2.7	छात्र शिक्षक अनुपात	168
	2.8	संस्थानों के लिए अवसंरचना	170
3	**विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता**		172
	3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	172
	3.2	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	172
	3.3	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	188
	3.4	सम विश्वविद्यालय संस्थान	190
	3.5	राज्य निजी विश्वविद्यालय	193
4	**विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता**		195
	4.1	महाविद्यालयों का विकास	195
	4.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय	195
	4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	197
	4.4	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के घटक महाविद्यालयों को अनुदान	210
5	**गुणवत्ता और उत्कृष्टता**		217
	5.1	उत्कृष्टता की संभावना–शिक्षण और अनुसंधान	217
	5.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	221
	5.3	स्वायत्त महाविद्यालय	222
	5.4	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)	223
	5.5	राजभाषा का संवर्धन	224
	5.6	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	226
	5.7	राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षाः शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास	228
	5.8	यात्रा अनुदान	235

	5.9	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	236
	5.10	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	265
	5.11	विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास	275
	5.12	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्कृत का विकास	275
	5.13	शिक्षण और ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धति	276
	5.14	वर्क इंटीग्रेट लर्निंग प्रोग्राम	276
6	**शोध को प्रोत्साहन**		277
	6.1	शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं	277
	6.2	शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक	278
	6.3	पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	278
	6.4	शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)	280
	6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	283
	6.6	स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां	285
	6.7	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम	288
7	**लिंग तथा सामाजिक समानता**		291
	7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	291
	7.2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	291
8	**प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा**		307
	8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	307
	8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक	308
9	**सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का समेकन**		309
	9.1	ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/वि.अ.आ. वेबसाइट	309
	9.2	शिक्षण ज्ञानअर्जन हेतु आईसीटी पहल	310
	9.3	राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)	314
10	**कौशल विकास संबंधी पहल**		315
	10.1	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)	315
11	**मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन**		318
	11.1	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा	318
	11.2	ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन	320
	11.3	राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता	322
12	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल**		324
	12.1	छात्र प्रवेशन कार्यक्रम (दीक्षारंभ)	324
	12.2	ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)	324
	12.3	मूल्यांकन सुधार	325
	12.4	छात्रों के लिए जीवन कौशल (लॉइफ स्किल)	325
	12.5	भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)	326
	12.6	शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)	326
	12.7	गुरू दक्षता–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)	327
	12.8	''परामर्श''–गैर प्रत्यायित संस्थानों को वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनका मार्गदर्शक बनना	328
	12.9	मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना	328
	12.10	पर्यावरण अनुकूल तथा धारणीय परिसर हेतु दिशानिर्देश	328
	12.11	विश्वविद्यालय तथा उद्योग संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा विस्तार देना	329
	12.12	छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क	329
	12.13	बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियां (जीएआरपी)	330

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश में गुणवत्ता सहित उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय तथा उनके रखरखाव हेतु शीर्ष निकाय के रूप में की गई व्यापक पहल के साथ–साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने के लिए की गई पहल के मुख्य अंशों पर भी प्रकाश डालती है जिसके परिणामस्वरूप पहुंच, समानता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि होती है।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़े/जानकारियां उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों तथा हितधारकों के लिए उपयोगी साबित होंगी।

मैं, इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम को आगे ले जाने में उनके उदार सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने के लिए डॉ. एन. गोपू कुमार, संयुक्त सचिव, वि.अ.आ.; श्री सुभाष चन्द्र, पूर्व–समन्वयक, वि.अ.आ. तथा डॉ. दीक्षा राजपूत, उप सचिव, वि.अ.आ.; श्री गुरमीत भदवार, अनुभाग अधिकारी, वि. अ.आ., डॉ. नीलम कुमारी, परामर्शदाता, वि.अ.आ. को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए विशेषरूप से उनका धन्यवाद करता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
नवम्बर, 2021

प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांशः 2020–21

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 का कार्यकारी सारांश विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय, मानकों के निर्धारण तथा रखरखाव के अनिवार्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 में किए गए क्रियाकलापों को समाहित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 में लागू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों तथा इन पर हुए व्यय को विस्तार से दर्शाता गया है। सारांश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना तथा भूमिका, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकीय विकास, वर्ष के दौरान लिए गए बड़े निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वित्तीय परिव्यय तथा कौशल शिक्षा सहित गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता, शोध, पहुंच तथा समानता, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन ज्ञानअर्जन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में ब्योरा दिया गया है।

1. प्राक्कथन–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव–शिक्षा सचिव–व्यय, तथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामनिर्देशित 8 अन्य सदस्य) होते हैं। सचिव आयोग के सचिवालय का मुखिया होता है जिसमें 356 कार्यरत कर्मचारिवृंद हैं जिनमें समूह 'क' के 69 अधिकारी, समूह 'ख' के 189 अधिकारी, समूह 'ग' के 91 कर्मचारी तथा जलपानगृह के 07 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यरत कर्मचारिवृंदों में 28.08 प्रतिशत महिलाएं, 23.59 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 5.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से देश में 06 क्षेत्रीय कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक ब्यूरो कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16538 आवेदन तथा प्राप्त हुए हैं तथा 9262 का निपटान किया गया है। 2218 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1581 अपीलों का निपटान किया गया तथा आरटीआई शुल्क संग्रहण 25610/– रुपए रहा तथा आरटीआई नियमों के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शुल्क 9066/– रुपए रहा।
- वेतनमान अनुभाग को समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित वेतन समीक्षा समितियों के कार्य के साथ–साथ शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों जैसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुस्तकालयध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक के वेतनमाान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में समन्वय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से 05 शिकायतें, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) से 03 शिकायतें, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से 05 शिकायतें और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संदर्भित और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा भेजी गई 06 शिकायतें और विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा अन्य एजेन्सियों द्वारा भेजी गई 06 शिकायतें प्राप्त हुईं। संवेदनशील स्वरूप की शिकायतों को जांच अधिकारी के समक्ष रखा गया और समिति की सिफारिशें के अनुरूप कार्यवाही आरंभ की गई।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 616 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर 190.00 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- संसद् डेस्क को वर्ष 2020–21 के दौरान पिछले वर्ष के 801 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 373 प्रश्न प्राप्त हुए। 18 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।
- कदाचार रोधी प्रकोष्ठ मौजूदा जाली विश्वविद्यालयों तथा उपाधियों तथा उनकी बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उत्तरदायी है तथा उसने कुल 24 जाली संस्थानों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही आरंभ की है। 24 जाली संस्थानों के अतिरिक्त दो और विश्वविद्यालय यथा (1) भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और धारा 03 के तहत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गैर–अनुमोदित संस्थानों को चेतावनी नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों को जागरूक करने के लिए अकादमिक सत्र के आरंभ में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को जाली संस्थानों में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस/प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

- ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' से संबंधित कोई मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में नहीं आया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के आदेशों को लागू करने हेतु एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया है।
- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग–रोधी प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मौजूद रैगिंग की समस्या के निराकरण के लिए उत्तरदायी है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक 24×7 राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा रैगिंग की 236 शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें से 196 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है तथा 40 पर कार्रवाई चल रही है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की देखरेख करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ चल रहा है ताकि बेहतर रखरखाव किया जा सके तथा पारदर्शिता बनाए रखी जा सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने के लिए कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा लिंग संबंधी संवेदनशीलता पैदा करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सभी शिकायतें ऑनलाइन माध्यम और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती हैं। प्राप्त शिकायतें तत्काल उत्तर देने के लिए ब्यूरो प्रमुख को भेज दी जाती हैं।
- प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकाशनों का मुद्रण करता रहा है जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखे, उच्चतर शिक्षा में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों संबंधी दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्मेलनों, समिति की रिपोर्टें, विवरणिका, पर्चे। वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन ब्यूरो ने 10,05,062/– रुपये का व्यय किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त–वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट और अनुदान–सहायता की प्राप्ति का ब्योरा निम्नवत है:

- शिक्षा मंत्रालय से सामान्य बजट शीर्ष के तहत 13135.13 करोड़ रुपए का कुल अनुदान (राजस्व तथा पूंजीगत) प्राप्त हुए। 494.92 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि को भी वर्ष 2020–21 के दौरान उपयोग किया गया है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नवत थेः (1) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य) 13135.13 करोड़ रुपये। (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्लीः 152.00 करोड़ रुपये। (अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु)(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्लीः 73.50 करोड़ रुपए।
- प्राप्त किए गए 13630.05 करोड़ रुपये के राजस्व और पूंजीगत अनुदान (प्राप्त निधियां = 13135.13 करोड़ रुपये + वर्ष 2019–20 का अव्ययित शेष = 494.92 करोड़ रुपये), वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थानों को 12716.70 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। 8111.79 करोड़ रुपये (63.79 प्रतिशत) की राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 2111.47 करोड़ रुपये (16.60 प्रतिशत) राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 325.17 करोड़ रुपये (2.56 प्रतिशत) की राशि राज्य विश्वविद्यालयों को जारी की गई, 435.74 करोड़ रुपये (3.43 प्रतिशत) की राशि सम विश्वविद्यालयों को जारी की गई, 6.36 करोड़ रुपये (0.05 प्रतिशत) की राशि राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को जारी की गई, 160.81 करोड़ रुपये (1.26 प्रतिशत) की राशि अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को जारी की गई, 10.65 करोड़ रुपये (0.08 प्रतिशत) की राशि क्षेत्रीय केन्द्रों को जारी की गई, 1434.39 करोड़ रुपये (11.28 प्रतिशत) राशि छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हेतु जारी की गई, 0.01 करोड रुपये (0.00008 प्रतिशत) की राशि रैगिंग रोधी उपायों, 0.33 करोड़ रुपये (0.003 प्रतिशत) राशि उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई), 0.59 करोड रुपये (0.005 प्रतिशत) की राशि राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी), 119.11 करोड रुपये (0.94 प्रतिशत) की राशि प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय) तथा (क्षेत्रीय कार्यालय), 0.28 करोड़ रुपये (0.002 प्रतिशत) की राशि विविध/विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों हेतु व्यय की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के पदों (समूह क, ख और ग) के लिए एक समान सेवा शर्तों के संपूर्ण ढ़ांचे की सिफारिश करने के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, जेसीआरसी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों, (शतप्रतिशत वित्तपोषित) के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों के 70 मामलों का समाधान किया है।

- वर्ष 2020–21 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 05 आपात बैठकें और 05 नियमित बैठकें हुईं तथा मानकों के रखरखाव; सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ; विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को अनुदान से संबंधित मामलों पर लिए गए व्यापक निर्णयों को अध्याय–1 में पृष्ठ 48 से पृष्ठ 68 पर में दिया गया है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, किए गए विशेष क्रियाकलाप/की गई पहल का ब्योरा अध्याय–1 में पृष्ठ 68 से पृष्ठ 89 पर में दिया गया है)।
- कोविड–19 महामारी के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षा के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थानों अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं और छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहल भी की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने 'नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक' (नैक–बैंक) की एक अभिनव अवधारणा पर कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति के साथ एक विस्तृत योजना विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया।
- दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आने के बाद से विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के अधिदेश के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने अपनी स्थापना के 67 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार, इसने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अपनी यात्रा में 67 महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर लिए हैं।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकासः कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) और 12(झ) के तहत देश तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बधित मामलों में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझता है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होता है जो किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ें प्राप्त करने के लिए, जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र स्थिति का आंकलन करने के लिए डाटाबेस तैयार करने हेतु उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया है।
- आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 2014–15 से सीधे विश्वविद्यालयों संस्थानों महाविद्यालयों से देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी मामलों पर आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े प्राप्त करने, उनके संकलन तथा प्राक्कलन का कार्य अखिल भारतीय आधार पर पोर्टल ***http://aishe.gov.in*** के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। ***एआईएसएचई पोर्टल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, 'ऑउट–टर्न/पास ऑउट्स' और शिक्षण कर्मचारियों के बारे में शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अक्तूबर, 2021 तक, वर्ष 2020–21 के लिए एआईएसएचई प्रक्रियागत है इसलिए वर्ष 2020–21 के उच्चतर शिक्षा के सांख्यिकीय आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 में नहीं दिए जा सके।***
- भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2019–20, 27.10 प्रतिशत है जिसकी गणना 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.9 प्रतिशत है और महिलाओं के लिए यह 27.3 प्रतिशत है।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 982 विश्वविद्यालय हो गई है (54 केन्द्रीय, 425 राज्य सार्वजनिक, 375 राज्य निजी, 125 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित 03 संस्थान) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत 12717 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं और इन महाविद्यालयों में से 10143 महाविद्यालय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में धारा 12ख के तहत आते हैं। जहां तक, संबंधित राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या का संबंध है, 85 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में शीर्ष स्थान पर है जिसके पश्चात् उत्तर प्रदेश (76), गुजरात (76), कर्नाटक (66), मध्य प्रदेश (66) तथा महाराष्ट्र (64) आदि हैं।
- रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 03 केन्द्रीय, 18 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा 24 राज्य निजी विश्वविद्यालयों और 01 सम विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। 10 राज्य सार्वजनिक, 04 सम विश्वविद्यालयों तथा 04 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया था।

- वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 45562* महाविद्यालय थे (संबद्ध–42143, संघटक–1974, स्नातकोत्तर/ऑफ कैम्पस केन्द्र–197, मान्यताप्राप्त केन्द्र–1288) (*आंकड़े अनंतिम हैं चूंकि एआईएसएचई सर्वेक्षण 2020–21 प्रगति पर है)।
- देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) 26.3 प्रतिशत है जिसे 18 से 23 आयु वर्ग के लिए परिकलित किया गया है। पुरूष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए यह 26.4 प्रतिशत है।
- शिक्षा सत्र 2020–21 के दौरान, सभी पाठ्यक्रमों तथा स्तरों पर नियमित तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में कुल छात्र नामांकन (सामान्य औसत पर परिकलित) 394.34 लाख था।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 1503156 शिक्षकों में से 638819 (42.5 प्रतिशत) महिला शिक्षक थी।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पी.एच.डी. तथा एम.फिल. पाठ्यक्रमों में क्रमशः 224469 तथा 24031 छात्र नामांकित हुए।
- वर्ष 2019 के दौरान 38986 पी.एच.डी. तथा 18220 एम.फिल उपाधियाँ प्रदान की।

3. विश्वविद्यालयों को विकास और अनुरक्षण अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच को बढ़ाने, समानता को सुनिश्चित करने में, सुसंगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाने, छात्रों हेतु सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं का संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की किन्हीं अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को उनके शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर दोनों वर्गों में कर्मचारियों के वेतन के लिए आवर्ती व्यय का भुगतान करने, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि का रखरखाव करने, और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक खर्च आदि के लिए अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ समविश्वविद्यालयों को पूंजीगत तथा अनुदान राजस्व (वेतन तथा आवर्ती अनुदान) दोनों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत पूंजीगत अनुदान का ही भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षकों तथा छात्रों की योजनाओं के लिए ही अनुदान प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 थी। इनमें से नौ विश्वविद्यालयों नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) सॉउथ एशियन युनिवर्सिटी, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और (vii) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर–848003 (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोवरूक, मणिपुर–795146 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आवर्ती, वेतन तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत क्रमशः 220330.01 लाख रुपये, 562891.49 लाख रुपये तथा 49474.00 लाख रुपये का ब्लॉक अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान वेतन, आवर्ती और पूंजीगत परिसंपत्तियों के तहत आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस, बीएचयू) को क्रमशः 5200.00 लाख, 10600.00 लाख रुपये और 500.00 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान एम.फिल/पी.एच.डी. हेतु गैर–नेट अध्येतावृत्ति की योजना के तहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 146.46 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया को 63.36 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे शिक्षकों के लिए 15,000/– रुपये प्रतिमाह के विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है जो चार चिह्नित विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो के अध्येता हों।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए निधियां उपलब्ध करवा रहा है।
- महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रावास और अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को लागू कर रहा है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्र की स्थापना के लिए 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया है–तेजपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय केरल और विश्व भारती।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने की योजना तैयार की है। वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं जो विभिन्न पूर्व–सेवाएं तथा अन्य अध्यापक शिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, अनुशासन को बढ़ावा देने के साधन के रूप मे आठ केंद्रीय विश्वविद्यालयों (1) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (2) विश्व भारती, शांति निकेतन (3) राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (4) सेंट्रल केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (6) मणिपुर विश्वविद्यालय (7) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (8) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्ण योग विभागों और पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है।
- एचईएफए (उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी) को केन्द्र सरकार द्वारा लाभ नहीं अर्जित करने वाली गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में सेन्ट्रल गवर्नमेंट (रिवाईटलाईजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजूकेशन (आरआईएसई) बॉय 2021) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को तैयार करने के लिए बजटेत्तर संसाधनों को जुटाने के लिए दिनांक 31 मई, 2017 को स्थापित किया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा इसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा उसके तहत कोई भी इकाई, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा उससे पूर्व मूल्यांकन और प्रत्यायन करवाए बिना, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा उसके पश्चात् आयोग की किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है तथापि, 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रत्यायन प्रत्यायन अवधि पूर्ण कर ली है। 03 नव स्थापित विश्वविद्यालय (1). महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (2) आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम (3) आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम मान्यता के लिए पात्र नहीं है।
- भारत के संविधान में एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है ताकि इसे तुरंत कार्यान्वित किया जा सके और इसका अनुपालन किया जा सके। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों से दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।
- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 19 जनवरी 2019 के का0 ज्ञा0स0 36039/1/2009–स्थाप (आर0) के माध्यम से केंद्र सरकार के पदों तथा सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है जो दिनांक 01 फरवरी, 2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों पर लागू होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2018 के पत्र संख्या एफ.25–4/2007(सीयू) पीटी के पत्रांक के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत 09 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 169.64 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता हेतु विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल) विनियम, 2018 को दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य, गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना है। श्रेणी–I और श्रेणी–II के तहत सात केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ग्रेडिड स्वायत्तता प्रदान की गई है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 29 सितंबर, 2015 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। ढ़ांचे के तहत देशभर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 425 राज्य सार्वजनिक और 375 राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। 252 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के तहत राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को 4.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान ''स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत'' नामक नई योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालय, इस प्रयोजनार्थ सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करेंगे जिसे पहले ही राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित किया जा चुका है।
- अनुदान (2020–21) वेतन शीर्ष हेतु पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को 269.36 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 125 सम विश्वविद्यालय थे। 125 सम विश्वविद्यालयों में से 19 चिह्नित सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान तथा निर्धारित अनुरक्षण विशेष अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम विश्वविद्यालयों को 44282.00 लाख रुपये की राशि जारी की।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 375 निजी विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत 12 राज्य निजी विश्वविद्यालय, शिक्षकों, छात्र केंद्रित योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

4. महाविद्यालयों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता

- महाविद्यालयों को दी जाने वाली विकास सहायता का बल, मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार तथा उन्हें सुदृढ़ करना, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण, यौक्तिकरण तथा विविधीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार करने, विशेषरूप से उन्हें करियर के अवसरों से जोड़ने पर बल दिया गया है।
- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक देश में 44077 महाविद्यालय' (संबद्ध और संघटक) ('अनंतिम) थे। इनमें से, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत केवल 12717 महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त है। कुल 12717 महाविद्यालयों में से मात्र 10143 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक से संबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु तथा एनआरसीबी दिल्ली के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालय विकास सहायता योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 0.32 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 तक महाविद्यालयों को विकास सहायता योजना के तहत 6743 पात्र महाविद्यालयों को 839.24 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2020–21 के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण की योजना के तहत 30 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2.7 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान 2028 महाविद्यालयों को 513.61 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/एनआरसीबी ने 37 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को स्वायत्त महाविद्यालय की योजना के तहत 2.61 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान 341 महाविद्यालयों को 265.19 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजना की योजना के तहत विज्ञान में 0.04 करोड़ रुपये तथा मानविकी में 0.022 करोड़ रुपये का अनुदान क्रमशः विज्ञान के 14 तथा मानविकी के 04 शिक्षकों को जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान मानविकी और विज्ञान के 17412 शिक्षकों को 249.88 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया।
- वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संगोष्ठियों/परिसंवाद/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के 35 प्रस्तावों को अनुमोदित किया तथा पात्र महाविद्यालयों को 0.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान योजना के तहत 6642 महाविद्यालयों को 80.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने संकाय विकास कार्यक्रम योजना के तहत 121 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 1.48 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान योजना के तहत 8811 लाभार्थियों (शिक्षकों) को 255.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए इसने प्रत्येक महाविद्यालय को आईक्यूएसी की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने हेतु व्यय के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) के रूप में 3.00 लाख रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ योजना (आईक्यूएसी) के तहत 4694 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 139.16 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना तथा उपकरण विकास योजना के तहत 19 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 1.64 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान 1112 महाविद्यालयों को 351.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना का लाभ प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं जिन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अथाह योगदान दिया बल्कि देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक ताने–बाने को बनाए रखने में अथाह योगदान दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विरासत वाले संस्थानों के योगदान की सराहना करता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है ताकि वे हमारी युवा पीढी को शिक्षा के उचित मान के बारे में प्रोत्साहित करते रहें। वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत एक महाविद्यालय को 0.14 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान ''महाविद्यालयों को विशेष विरासत योजना'' के तहत 17 महाविद्यालयों को 11.45 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए पाठक की सहायता से और शिक्षण और अधिगम सहायता सामग्री का उपयोग करके पाठक भत्ते, ब्रेल पुस्तकों, रिकार्ड की गई सामग्रियों आदि के क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। वर्ष 2020–21 के दौरान 41 लाभार्थियों को 0.19 करोड़ रुपये का अनुदान जारी की गई। दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान 277 लाभार्थियों को कुल 3.42 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसी योजनाओं के लिए 7966 लाभार्थी महाविद्यालयों को एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाओं, प्रतिबद्ध देयताओं (वि.अ.आ. की पुरानी योजनाएं) के तहत स्वर्ण जयंती आयोजनों हेतु 1212.84 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जिन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद कर दिया गया था।
- वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 213453.75 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए। भवन निर्माण परियोजनाओं और संगोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 13 महाविद्यालयों को 145.71338 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्रदान किया गया।
- वर्ष 2020–21 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार घटक महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 10432.34 लाख रुपये के कुल राजस्व अनुदान उपलब्ध कराए गए।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चयनित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है जैसे कि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय (सीपीई), विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए) तथा नई योजना ताकि उन्हें विश्वस्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और वे देश के अन्य संस्थानों के लिए बेंचमार्क के रूप में काम कर सकें।
- शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 16 चिह्नित विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" (यूपीई) का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। 16 विश्वविद्यालयों का कार्य काल पहले ही समाप्त हो चुका है और उन्हें अव्ययित अनुदान राशि तथा पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्षों पर यूपीई अनुदान पर अर्जित ब्याज का उपयोग करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 तक समय विस्तार दिया गया था।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और शोध क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता तथा अंतर्विधायी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए ''किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र'' की योजना आरंभ की है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। (वर्ष 2016–21 तक कार्यकाल के तहत 09 केन्द्र)।
- महाविद्यालयों में मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय'' (सीपीई) नामक एक योजना आरम्भ की है। वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को सीपीई दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालय को ''उत्कृष्टता के महाविद्यालय'' (सीई) का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 314 महाविद्यालय सीपीई योजना के तहत हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 03 महाविद्यालयों को 44.80 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने तथा शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के तहत जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाज विज्ञान सहित विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एसएपी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या 783 रही। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 2018 से 2023 तक) चालू विभाग हैं डीआरएस–100, डीएसए–4, सीएएस–28 और कुल–132 । वर्ष 2020–21 के दौरान 22 लाभार्थी विभागों पर 81.87 लाख रुपये की राशि का व्यय हुआ।
- आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सम्भाव्यता वाले मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 25 राज्यों के 117 विश्वविद्यालयों के 799 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना के तहत 37 लाभार्थियों (महाविद्यालयों) को 2.61 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था।
- मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीसीबी), (अकादमिक स्टॉफ कॉलेज–एएसीसी) के माध्यम से विभिन्न विधाओं में शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान 37 एच.आर.डी.सी. के लिए 18.60 करोड़ रुपये की संस्वीकृत अनुदान राशि को जारी किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान 66 वि.अ.आ.–एच.आर.डी.सी. द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में लगभग 25000 शिक्षकों–भागीदारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पण और मसौदा लेखन और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालयों में आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विभागों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, नारवे तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है साथ ही इससे छात्रवृत्तियों, शोध कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भारतीय विद्वानों को उनकी शोध क्षमता को पहचानने में मदद मिली है।
- भारत–इजरायल संयुक्त शोध कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजरायल सांइस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने संयुक्त–शोध कार्यक्रम (चौथे चरण हेतु) के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए तथा वर्ष 2018 में 11 संयुक्त–शोध परियोजनाओं को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 01 मई, 2018 से 03 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए अवार्ड किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां, ब्रिटेन और भारत में संस्थान–आधारित सिद्ध शोध क्षमता वाले शोध दलों के मध्य किए जाने का लक्ष्य है। विषयगत भागीदारी के तहत वर्ष 2018 के दौरान 18 संयुक्त–शोध परियोजनाओं को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक दिनांक 15 मार्च, 2018 से 14 मार्च, 2020, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढाया गया था, 02 वर्ष की अवधि के लिए अवार्ड किया गया।
- उच्चतर शिक्षा (आईजीपी) में भारतीय–जर्मन भागीदारी (आईजीपी): मंत्रालयों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा 'ज्वांईट डेक्लेरेशन ऑफ इटेंट' (जेडीआई) के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) भारत और जर्मन एकेडेमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी), जर्मनी द्वारा उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदार (आईजीपी) के मध्य दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। प्रथम चरण में वर्ष 2016 में दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक, जिसे 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाया गया, चार वर्षों के लिए 08 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड

की गई। दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024 तक 04 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए वर्ष 2020 में 09 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा जर्मन अकादमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) द्वारा तैयार की गई परियोजना आधारित कार्मिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी) के तहत वर्ष 2020 के दौरान एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसे इस कार्यक्रम के तहत विचार करने के लिए डीएएडी प्राधिकरण को भेज दिया गया।
- शिक्षा के क्षेत्र में भारत–अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी तैयार करने की प्रतिबद्धता के पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत–अमेरिका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, युवा भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं और शिक्षकों को उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण का उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान हेतु रमन अध्येतावृत्तियों की पेशकश कर रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय छात्रों से हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टारेल अध्ययन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान हंगरी छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 185 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश की। इस नामांकन के समक्ष तेजपुर विश्वविद्यालय, असम में अध्ययन जारी रखने के लिए हंगरी के एक विद्वान ने भारत का दौरा किया।
- वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बुल्गारिया भाषा और संस्कृति में ''सेंट क्लीमेंट ओहरीडस्कीः सोफिया यूनिवर्सिटी'' तथा ''सेंट साइरिल तथा सेंट मेथोडियस'' विश्वविद्यालय वेलिको तुरनोवो द्वारा अंतराष्ट्रीय सगोष्ठी में भागीदारी के लिए कोई नामांकन नहीं प्राप्त हुआ है।
- विदेशी भाषा शिक्षकः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है, जो अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान भाषा के उन शिक्षकों को विस्तार दिया गया था जिनके लिए उनके दूतावास से विस्तार की मंजूरी प्राप्त हुई है और जब कभी भी पद रिक्त हो जाता है उसके स्थान पर नई नियुक्ति की जाती है।
- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी–नेट) सहायक आचार्य और कनिश्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों (जेआरएफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है ताकि मानविकी के कई विषयों (भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं सहित), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोगों, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में शिक्षण पेशे और अनुसंधान में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित किया जा सके। यह परीक्षा हर वर्ष दो बार सामान्यतः जून और दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। जून 2020 में आयोजित वि.अ.आ.–नेट परीक्षा में 140479 अभ्यर्थी केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा में बैठे और 386228 अभ्यर्थी कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों और सहायक आचार्य की पात्रता परीक्षा में बैठे। इन अभ्यर्थियों में से 47157 (8.95 प्रतिशत) सहायक आचार्य और 6171 (1.60 प्रतिशत) कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कोविड–19 महामारी होने के परिणामस्वरूप दिसंबर 2020–21, को आयोजित की जाने वाली वि.अ.आ.–नेट परीक्षा आयोजित नहीं किया जा सकी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ''सीएसआईआर'' विज्ञान के पांच विषयों में नेट परीक्षा संचालित करता है। जून, 2020 में आयोजित संयुक्त सीआईएसआर–वि.अ.आ. नेट परीक्षा में 1638 वि.अ.आ.–जेआरएफ अभ्यर्थियों सहित 6032 अभ्यर्थी सहायक आचार्य की परीक्षा मे पात्र पाए गए। कोविड–19 महामारी के कारण दिसम्बर में आयोजित की जाने वाली संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. नेट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।
- भारत सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1988 की अधिसूचना के माध्यम से एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के विधिवत्रूप से प्रत्यायित किया है। सेट का परीक्षा पैटर्न वि.अ.आ.–नेट के समान ही है। निम्नवत राज्यों/राज्यों के समूहों ने दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान सेट परीक्षा आयोजित की–(i) आंध्र प्रदेश (ii) हिमाचल प्रदेश (iii) कर्नाटक (iv) महाराष्ट्र और गोवा (v) उत्तर पूर्वी राज्य।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 161 महाविद्यालय के शिक्षकों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों को 2.18 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के तहत स्वायत्त केन्द्रों के रूप में स्थापित नौ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.), भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर और अत्याधुनिक उपकरण और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराए जा सकें। रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान आठ अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों को पूंजीगत शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत क्रमशः 13079.7 लाख रुपये, 5355.07 लाख रुपये और 4265.13 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयनित विश्वविद्यालयों में 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है और उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की। वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेस्ट्रन इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत 530.92 लाख रुपये की राशि का अनुदान जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से इस विचार के तहत वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों ने खेलकूद अवसंरचना एवं उपकरण विकास योजना शुरु की है कि खेल पिरामिड के आधार को व्यापक बनाने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिजात खेलों में भागीदारी हेतु पर्याप्त संख्या में खिलाड़ी तैयार किए जा सकें जो देश को प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को 106 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत के विकास के लिए एक रूपरेखा सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने मुख्य विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई 23 सिफारिशों में से अत्यंत तत्काल स्वरूप की सिफारिशों का चयन किया। 07 करोड़ रुपये के कुल बजट का अनुमान लगाया गया।
- आयोग ने दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित अपनी 547 वीं बैठक में शिक्षण के मिश्रित पद्धति पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रत्येक पाठयक्रम ('स्वयं' के पाठयक्रम के अलावा) के 40 प्रतिशत पाठयचर्या तक ऑनलाइन पद्धति के जरिए पढ़ाने की अनुमति दी जाए और संबंधित पाठ्यक्रमों का शेष 60 फीसदी पाठयक्रम ऑफलाइन पद्धति से पढ़ाया जाए।
- आयोग ने दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को आयोजित अपनी 548 वीं बैठक में बिट्स, पिलानी को अपने कार्य एकीकृत ज्ञानअर्जन कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएलपी) को जारी रखने की अनुमति देने के लिए शक्तिप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

6. शोध संवर्धन

- ''शिक्षकों के लिए शोध परियोजनाए'' योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विधाओं में ऐसे क्षेत्रों में बल देकर जो अलग–अलग विधाओं तथा विषय जैसे स्वास्थ्य, वृद्धावस्था रोग, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव आदि कुछ क्षेत्र तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा चयनित अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। वृहद अनुसंधान परियोजना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए विशविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है। वर्ष 2020–21 के दौरान 42 लाभार्थियों को कुल 0.55 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- शोध अवार्ड योजना, पात्र विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी शिक्षकों द्वारा बिना शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। शिक्षक जो डाक्टोरेट हैं और 45 वर्ष की आयु से कम हैं, उन्हें अवार्ड प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लॉट के लिए अवार्डों का चयन किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान अवार्ड धारकों को भुगतान करने पर 15.74 लाख रूपये का व्यय किया गया।
- शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को आकर्षित करने हेतु वर्ष 1983 में 'शोध वैज्ञानिक योजना' आरम्भ और लागू की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान इन शोध वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 8.64 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावत्ति' की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके चयनित क्षेत्र में उच्च शोध करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त कर ली है और जिनके शोध कार्य प्रकाशित हो गए हैं तथा जिन्होंने पहले ही स्वतंत्र रूप से शोध

कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है, वे इसके तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति पांच वर्षों के लिए है। वर्ष 2020–21 के दौरान 332 पोस्ट डॉक्टोरल अध्येताओं को भुगतान करने पर 17.58 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. उपाधि धारक तथा पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक बेराज़गार महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 100 स्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 434 महिला अध्येताओं को भुगतान करने पर 19.26 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।
- भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टारेल अध्येतावृत्ति, भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च अध्ययन तथा शोध करने का अवसर उपलब्ध कराती है। योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 200 अध्येताओं को 7.14 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।
- आधारभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विषयों में पोस्ट डॉक्टारेल अनुसंधान करने के लिए डॉ0 डी0 एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 797 अध्येताओं को 49.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत और अधिवार्षिता की आयु के समीप पहुंच गए प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मूलभूत विज्ञान के क्षेत्र में शोध जारी रखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति' नाम से योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह–आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 101 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 7.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- इमेरिटस अध्येतावृत्ति योजना के तहत सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष विज्ञान विषय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या 100 है। वर्ष 2020–21 के दौरान 14 लाभार्थी अध्येताओं को भुगतान करने पर 0.07 लाख रुपये व्यय किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति योजना (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) के तहत उन भारतीय अभ्यर्थियों को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित वि.अ.आ.–नेट परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। जेआरएफ प्रथम दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक राशि के साथ शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति का भुगतान किया जाता है।
- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए जेआरएफ योजनाओं के तहत 1061.34 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। वर्तमान में, लगभग 24,319 विद्वान जेआरएफ योजना के तहत एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं।
- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 2000 अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ' उपलब्ध कराता है ताकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उच्चतर अध्ययन एवं शोध कर एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त कर सकें। वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत 3986 अनुसूचित जाति के अध्येताओं को 133.07 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2009 से अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषण तथा उसे लागू करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियों के समान है। वर्ष 2020–21 के दौरान 2348 लाभार्थियों पर 97.10 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा है। चयन वर्ष 2019–20 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–वि.अ.आ.–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। अध्येतावृत्ति की दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य अध्येतावृत्तियो के समान है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 1235 लाभार्थियों को 43.25 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- महिलाओं के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को सम्मान देते हुए तथा बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014–15 से सामाजिक विज्ञान विषय में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 263 लाभार्थियों को 13.78 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।

- ''विज्ञान विषय में मेधावी छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति'' योजना (आरएफएसएमएस) को मेधावी छात्रों हेतु उच्च अध्ययन एवं शोध करने के लिए आरंभ किया गया है ताकि मेधावी छात्रों को उन्नत अध्ययन तथा शोध कार्य आरंभ करने हेतु अवसर प्रदान किए जा सके ताकि वे विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकें। ऐसे अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता/उन्नत अध्ययन केन्द्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता विभागों में पीएच.डी. हेतु पंजीकृत हैं वे इस योजना के तहत पात्र हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 703 जेआरएफ/एसआरएफ अभ्यार्थियों को 15.31 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।
- समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को आरंभ करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 'पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना' को कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए चयन की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 909 लाभार्थियों को इस योजना के तहत 1.64 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया।
- ''इंदिरा गाँधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' का उद्देश्य परिवार में एकल बालिकाओं की शिक्षा को छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करना तथा माता–पिता को छोटे परिवार मानदंड का पालन करने हेतु प्रेरित करना है। जिन बालिकाओं ने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निष्णात उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस योजना के तहत पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष के लिए है जिसमें 3,100 रुपये (एक वर्ष में 10 माह) प्रतिमाह की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए कुल 2846 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 3709 चयनित अध्येताओं को इस योजना के तहत 13.03 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- प्रतिभावान छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं) विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में और साथ ही देश में उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में जारी रख सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और ऑनर्स (प्रवीण) पाठ्यक्रम में केवल प्रथम रैंक धारक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 3100 रुपये प्रतिमाह (वर्ष में दस माह के लिए) की छात्रवृत्ति की राशि के साथ छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है। योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौराने कुल 899 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 1731 चयनित लाभार्थियों को 5.71 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु सहायता करने के लिए एम.ई./एम.टेक./एम.फार्मा. विषयों में गेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 12,400 रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति राशि तथा 5,000 प्रतिवर्ष रुपये की आकस्मिक राशि के साथ स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 1839 लाभर्थियों का 21.70 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014–15 से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। सामान्य उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दर 5,400 रुपये प्रतिमाह और तकनीकी और पेशेवर उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 रुपये प्रतिमाह है। योजना के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र के 10,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केनरा बैंक के बीच किए गए समझौते (एमओयू) के अनुसार भुगतान के लिए प्रक्रिया सीधे ही केनरा बैंक द्वारा की जाती है। वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 के लिए आवेदन करने वाले कुल 43823 अथ्यार्थियों में से अंतिम रूप से 38764 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान चयनित 26391 लाभार्थियों को 185.18 करोड़ रुपये की राशि का संवितरण किया गया।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत योजना लागू की जा रही है:
  - विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और शिक्षकों का चयन करने के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत 373 संकाय सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें से 166 कार्यरत हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से चयनित 156 अभ्यर्थियों को वेतन के रूप में 10.41 करोड़ रुपये तथा विभिन्न विश्वविद्यालय/संस्थानों के 03 संकायों को 'स्टार्ट–अप' अनुदान के रूप में 0.24 करोड़ रुपये की राशि जारी गई।

- बीएसआर कार्यक्रम के तहत नेटवर्क शोध केन्द्रों की स्थापना हेतु अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 10 विभागों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान 01 नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र को 1.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- ''नए भर्ती हुए ऐसे सभी संकायों हेतु स्टार्ट–अप अनुदान योजना'' के तहत, अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन करने वाले पी0एच0डी0 उपाधि धारक सहायक आचार्य के स्तर के सभी शिक्षक इस योजना हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत, सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 14 नव नियुक्त संकाय सदस्यों को 1.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
- 'मिड कॅरियर अवार्ड योजना' के अंतर्गत शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आकस्मिक व्यय और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य करने वाले 02 शिक्षकों को 0.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

7. लिंग और सामाजिक समानता

- 'भारतीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास और क्षमता निर्माण' योजना का उद्देश्य शिक्षण, शोध तथा क्षेत्र कार्यवाही और क्षेत्र कार्यवाही कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की वस्तुस्थिति के साथ लगातार संपर्क बनाने को बढ़ावा देना है। दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयी प्रणाली में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा कार्य कर रहे थे। 8 महिला अध्ययन केन्द्रों को 1.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालयों में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की सतत् रूप से निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त मानदंडों के बारे में जानकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्रित की जाती है और शिक्षा मंत्रालय को जानकारी हेतु तथा अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों को एक अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण प्रदान करने/नेट–सेट परीक्षा/सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित समय–सारणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है।
- सैद्धांतिक तथा नीतिगत महत्व वाले सामाजिक बर्हिवेशन तथा समावेशन के मुद्दों पर शोध के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामाजिक समावेशन तथा बर्हिवेशन नीति का अध्ययन करने के लिए शिक्षण–सह–शोध केन्द्रों की स्थापना की थी। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केन्द्र कार्यरत थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत 4.52 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया था।
- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की अनदेखी नहीं की जाए और विशेष शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं हेतु विशेष पाठ्यक्रम विकसित करने और निःशक्त व्यक्तियों को अलग–अलग स्वरूप में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो योजनाएं अर्थात् विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) और विशेष आवश्यकताओं वाले निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) को लागू कर रहा है। अब इन योजनाओं की देखरेख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है और प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किए जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केन्द्रों को अनुमोदित किया है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को 3.14 लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों हेतु सकल नामांकन अनुपात 23.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18.0 प्रतिशत है।
- वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) प्रति सौ पुरुषों पर क्रमशः 105 और 97 है।

8. प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा

- भारत के बाहर अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के समग्र बोध को बढ़ावा देने, विशेषरूप से भारत के आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक हित में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। तीन विश्वविद्यालय क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2021 थी (बीपीएस महाविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय)।
- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों और छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्मशती के आयोजन के लिए योजना दिसम्बर, 2020 तक जारी है। वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कुल 66 लाख रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया था।

9. शिक्षण और ज्ञान अर्जन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीयों का समेकन

- ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ को इनफ्लिबनेट केन्द्र की मदद से वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई–गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित तकनीकी कर्मचारियों के दल की नियुक्ति की गई है, वेब पोर्टल और वेब–एप्लीकेशंस विकसित की गई हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में सरलीकृत, त्वरित प्रतिक्रिया प्रदाता, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रीमियम संस्करण सॉफ्टवेयर 'ई–आफिस' को लागू किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अंतिम उपयोगकर्ता/हितधारकों को जानकारी प्रदान करना है। हितधारक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय रिपोर्ट, योजना के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नौकरी आदि के लिए आवेदन सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का हिंदी संस्करण ***http://www.ugc.ac.in*** को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसीएस)–इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) की डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अनेक आईसीटी पहल हैं, जहां विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा उनके ज्ञानअर्जन के दायरे को व्यापक बनाने के लिए पहुंचा बनाई जा सकती है।
- ई–पीजी पाठशाला परियोजना के 'फोर क्वाड्रेंट' पद्धति में 70 विषयों और 778 पत्रों में लगभग 24000 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। विश्वभर में लगभग 91 लाख शिक्षार्थियों ने ई–पीजी पाठशाला तक पहुंच बनाई है। वर्ष 2020–21 के दौरान परियोजना (इनफ्लिबनेट ई–कंटेंट) पर कुल 60,65,964 रुपये व्यय किए गए।
- सरकार ने 'स्वयं' पोर्टल आरंभ किया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आभासीय पाठ्यक्रमों में शामिल होना, शिक्षक के साथ बातचीत करना, परीक्षा देना, 'शैक्षिक क्रेडिट' अर्जित करना और उन्हें उनके शैक्षिक रिकॉर्ड पर अंतरित करना संभव होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'लोकल चैप्टर एक्टिविटी' आरंभ करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिसमें 'स्वयं' पर पेशकश किए जाने वाले एमओओसी पाठ्यक्रमों को अपनाना और बढ़ावा देना शामिल है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 मार्च, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस् के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है, जो अब एक संस्थान को 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से किसी सेमेस्टर में एक विशिष्ट

पाठ्यक्रम में पेशकश किए जाने वाले कार्यक्रम के 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) तक पढ़ाने की अनुमति देने की सुविधा प्रदान करता है।

- 'क्लॉस–सेंट्रल' द्वारा वर्ष 2019 के 30 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची में वि.अ.आ. के आंकड़ों द्वारा पेश किए गए पांच स्नातकोत्तर एमओओसी पाठ्यक्रम।
- वर्ष 2020–21 के दौरान परियोजना ('स्वयं' के लिए एमओओसी) में कुल 1.39 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।
- राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) सभी अकादमिक पुरस्कारों का 24 X 7 ऑनलाइन स्टोर हॉउस है जिसे अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा विधिवत रूप से डिजिटाइज्ड और लॉग किया गया है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एनएडी के एकल निकाय के रूप में डिजिलॉकर, इलेक्ट्रिानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से बिना कोई उपयोगकर्ता प्रभार उद्ग्रहित किए एनएडी को स्थायी योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- मार्च, 2021 तक, 655 उच्चतर शिक्षा संस्थान, डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनबोर्ड हैं, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 2.4 करोड़ अकादमिक अवार्ड को डिजिलॉकर के माध्यम से एनएडी पर लॉग किया गया, तथा 678 सत्यापनकर्ता हैं।

10. कौशल विकास पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुशल मानव क्षमता और आजीविका (कौशल) के ज्ञान अधिग्रहण और उन्नयन के लिए देश में कौशल विकास के लिए तीन योजनाएं लागू की हैं यथा सामुदायिक महाविद्यालय, बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम और दीनदयाल उपाध्याय केंद्र। इन तीनों योजनाओं का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत विलय किया गया है। एनएसक्यूएफ एक योग्यता आधारित फ्रेमवर्क है जो ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति की एक श्रृंखला के अनुरूप योग्यता को सुनियोजित करता है।
- वर्ष 2020–21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4637 ट्रेड में एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए 1208 संस्थानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कौशल विकास और छात्रों की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए 'अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम' के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- 188 सामुदायिक महाविद्यालयों, 289 संस्थान, बी.वोक. उपाधि कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित 68 डीडीयू कौशल केंद्र हैं।
- वर्ष 2020–21 के दौरान सामुदायिक महाविद्यालयों को 1.05 करोड़ रुपये जारी किए गए, बी.वोक. कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थानों को 1.88 करोड़ रुपये जारी किए गए।

11. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन ज्ञानअर्जन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया ताकि इन दोनों माध्यमों के लिए आवश्यक संसाधनों को इष्टतम बनाया जा सके।
- पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, 68 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2020–21 के लिए ओडीएल पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2020–21 के दौरान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 06 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, एमओओसी के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि को सहायता प्रदान करने के लिए 12 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को 14.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

12. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश–शैक्षणिक क्रियाकलाप संबंधी पहल

- उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अधिदेश में से एक छात्र प्रवेशन कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''दीक्षारंभ–छात्र प्रवेशन कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शक'' तैयार किया है ताकि छात्रों

में द्वारा अपनत्व की भावना का संचार कर उन्हें उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक बनाकर माध्यमिक से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्थानांतरण को स्वाभाविक रूप से सरल बनाया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयंबटूर, कोलकाता, पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और लखनऊ में छात्र प्रवेशन कार्यक्रम के संबंध में शिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) की क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 1650 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 462 उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने छात्र प्रवेशन कार्यक्रम को लागू किया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणवत्ता अधिदेश ने छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण से सुसज्जित करने के उद्देश्य से अधिगम परिणाम आधारित पद्धति पर पाठ्यक्रम सुधार पर बल दिया है। 31 विषयों में नया पाठ्यक्रम जो एलओसीएफ पर आधारित है, को विकसित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में संशोधन करने की सुविधा प्राप्त हो सके।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को इस तरह से दुरुस्त करने के लिए मूल्यांकन सुधार शुरू किए हैं ताकि सतत् मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन संचालित ज्ञानअर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार को और अधिक सार्थक बनाने और मूल्यांकन को 'लर्निंग ऑउकम' और संस्थागत लक्ष्यों से जोड़ने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। मूल्यांकन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों/प्रशासकों/संकाय अध्यक्ष (शिक्षाविदों)/परीक्षा नियंत्रकों के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 800 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई 'गुणवत्ता अधिदेश पहल' में से एक पहल का उद्देश्य छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करना है। दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को जीवन कौशल (जीवन कौशल) पर एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html***) पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम में चार मॉड्यूल शामिल हैं।
- आयोग ने दिनांक 13 जून, 2019 को आयोजित 541वीं बैठक में भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था (स्ट्राइड) के लिए अंतर्विधायी शोध योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 35 विश्वविद्यालयों/संस्थानों का चयन किया गया है और प्रस्ताव तैयार करने के लिए 11 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को लघुसूचीबद्ध किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के ''गुणवत्ता संबंधी अधिदेश'' उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और संकाय सदस्यों द्वारा नए ज्ञान के सृजन के महत्व पर बल देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत जर्नल्स की सूची को परिष्कृत और सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान के विषयों में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 'स्कोपस' और 'वेब ऑफ साइंस' (डब्ल्यूओएस) में अनुक्रमित रिसर्च जर्नल रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि जैसे विधाओं में विश्वसनीय गुणवत्ता पत्रिकाओं की एक सूची सुझाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'कन्सोर्टियम ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स' (केयर) तैयार किया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'केयर' सूची के लिए जर्नल के विश्लेषण का उत्तरदायित्व 'सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स', सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय (इसके पश्चात् 'केयर' विश्वविद्यालय कहा जाएगा) को सौंपा है। अकादमिक सत्यनिष्ठा में सुधार लाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई पहल का प्रसार करने के लिए 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' की वर्तमान स्थिति/सांख्यिकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी नव–नियुक्त शिक्षकों के लिए संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी) विकसित किया है। एफआईपी का उद्देश्य शिक्षकों को योजना के तहत आने वाले ढ़ांचे, कामकाज, नियमों, विनियमों आदि से परिचित कराना है। वर्ष 2020–2021 के दौरान योजना के तहत 3818 लाभार्थियों को कवर किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए 'नैक प्रत्यायित आकांक्षी संस्थानों' को परामर्श प्रदान करने के लिए एक नई पहल–'परामर्श' की योजना लागू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 167 मार्गदर्शक संस्थानों को मंजूरी दी है जो 936 चिन्हित मार्गदर्शनप्राप्तकर्ता संस्थानों को परामर्श प्रदान करेंगे। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत मार्गदर्शक संस्थानों को 28.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है– ''मूल्यप्रवाह–उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों नैतिकता अंतर्निविष्ट करने संबंधी दिशानिर्देश''। भारत के पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ विश्वविद्यालय परिसरों के लिए एक ढ़ांचे को वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है ताकि सतत विकास की दिशा में उच्चतर

शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के योगदान को बढ़ावा दिया जा सके तथा इस दिशा में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वास है कि यह पहल एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम के रूप में उभरेगी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने गुणवत्ता अधिदेश के तहत अनेक पहल की हैं और उनमें से एक 'प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और उद्योग संपर्क' से संबंधित है। आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में ''विश्वविद्यालय और उद्योग संपर्क को सक्षम बनाने और उसका संवर्धन करने'' विषय पर रिपोर्ट पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों के कॅरियर की प्रगति का पता लगाने के लिए ''छात्र कॅरियर प्रगति और पूर्व छात्र नेटवर्क'' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया।
- आयोग ने दिनांक 09 सितंबर, 2020 को हुई अपनी 548 वीं बैठक में 'बेहतर शैक्षिक शोध पद्धति' (जीएआरपी) पर मार्गदर्शक दस्तावेज पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध गया कि है कि वे शोध की संस्कृति की एक ठोस बुनियाद को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेज में निर्धारित 'बेहतर शैक्षिक शोध पद्धतियों' को अपनाएं जो प्रत्येक शोधकर्ताओं के दैनिक व्यवहार में सत्यनिष्ठा पर बल देता है।

अध्याय 1 ➤ प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
1.3 प्रकाशन
1.4 बजट और वित्त
1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)
1.6 आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय
1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल
1.8 कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल
1.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में शिक्षा क्रेडिट बैंक योजना की स्थापना तथा प्रचालन) विनियम, 2021

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्योरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनिमय भी तैयार करता है।
- उच्चतर शिक्षा के बहु–आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निवर्हन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किए है तथा कार्यान्वित किए हैं।

1.1(i) संगठनात्मक ढांचा:

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों

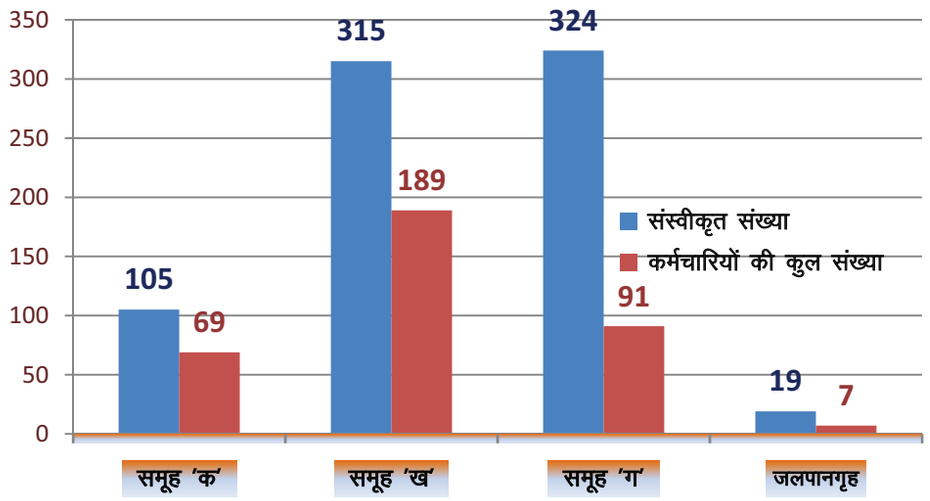
में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो चयन किए जाने के समय विश्वविद्यालयों के शिक्षक हो। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

1. जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;
2. जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंद्ध हों, अथवा
3. जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष सचिव महोदय हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

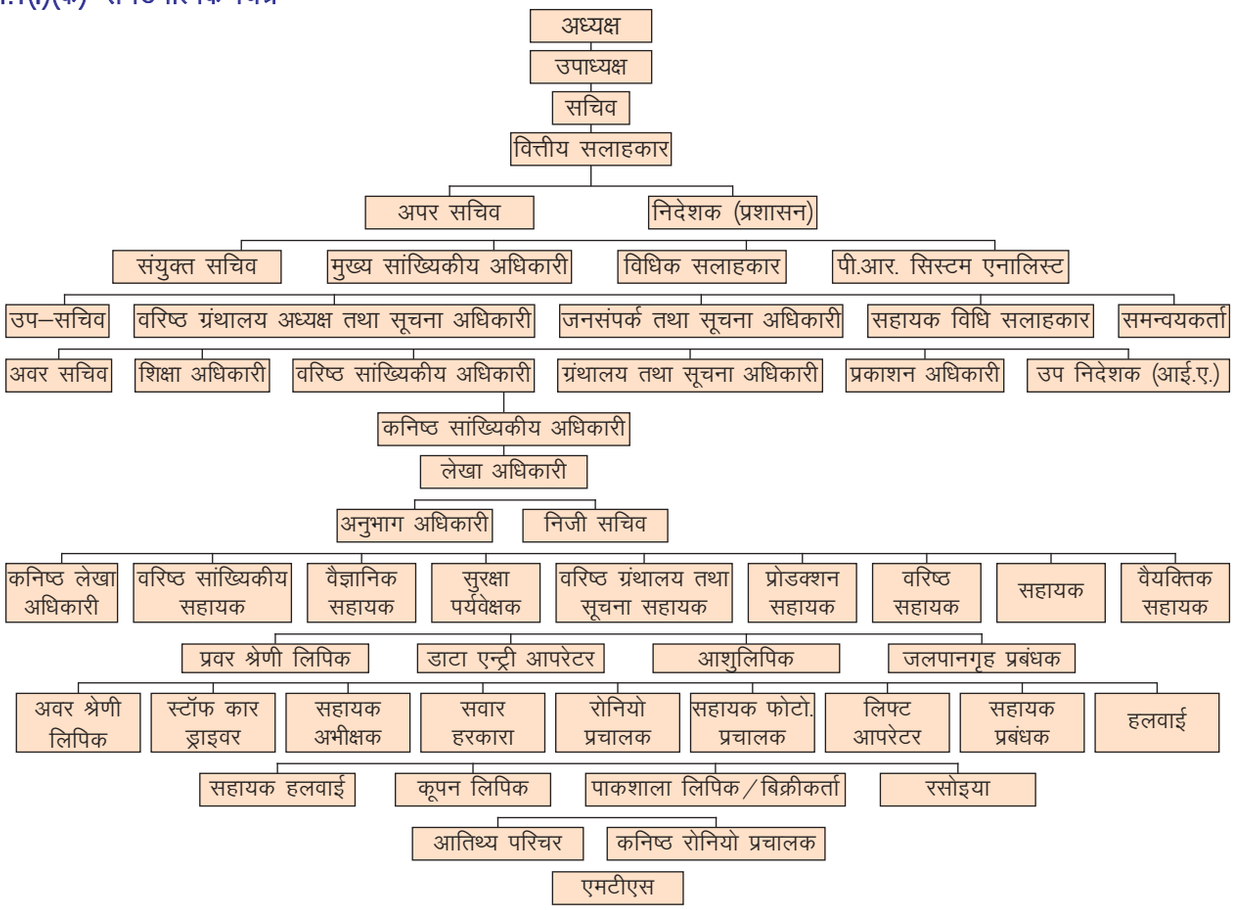
समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	105	69 (65.71 प्रतिशत)	23 (33.33 प्रतिशत)	08 (11.59 प्रतिशत)	03 (4.34 प्रतिशत)
समूह 'ख'	315	189 (60 प्रतिशत)	66 (34.92 प्रतिशत)	45 (23.8 प्रतिशत)	10 (5.29 प्रतिशत)
समूह 'ग'	324	91 (28.08 प्रतिशत)	11 (12.08 प्रतिशत)	28 (30.76 प्रतिशत)	07 (7.69 प्रतिशत)
जलपानगृह के कर्मचारिवृंद	19	07 (36.8 प्रतिशत)	शून्य	03 (42.85 प्रतिशत)	शून्य
कुल	**763**	**356 (46.66 प्रतिशत)**	**100 (28.08 प्रतिशत)**	**84 (23.59 प्रतिशत)**	**20 (5.62 प्रतिशत)**

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग के सचिवालय के कर्मचारियों की संस्वीकृत तथा मौजूदा संख्या



कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने अथवा निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों से विषय विशेषज्ञों की मदद प्राप्त लेता है।

1.1(i)(क) संगठनात्मक चित्र



1.1(i)(ख) क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालय क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलूरू तथा दिल्ली में सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रचालनरत है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा इसके तहत शामिल राज्य के महाविद्यालयों की सूची निम्नवत है:

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ), हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और तेलंगाना
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ), पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ), भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ), गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ), कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ), बेंगलूरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी), दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख

1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग

1.2(i) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तहत एक प्रकोष्ठ अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आईए. के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करता है तथा अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियां तैयार कर उन्हें केन्द्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के माध्यम से उन्हें विभिन्न सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को भेजता है, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 16 अपीलीय प्राधिकारी तथा 48 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सभी ब्यूरो प्रमुख को आरटीआई के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/अवर सचिव/शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा सीआईसी पोर्टल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों पर संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा–जोखा आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर डाली गई है।

वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 16538 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए तथा 9262 आवेदनों का निपटान किया गया तथा 2218 अपीलें प्राप्त हुई जिनमें से 1581 अपीलों का निपटान किया गया। आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा आरटीआई शुल्क संग्रहण 25610/– रुपये रहा तथा सूचना के अधिकार के नियम के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क 9066/– रुपये रहा।

1.2(ii) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग को केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने के साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गो अर्थात् पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गई:–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के तहत उठाई गई विसंगतियों के लिए गठित की गई विसंगति निवारण समिति की अंतिम रिपोर्ट उनकी सहमति तथा आदेशों प्राप्त करने के लिए दिनांक 21 जुलाई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के खंड 7.3(i) के संबंध में एक संशोधन पर विचार करने के लिए दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया।

1.2(iii) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यो पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सर्तकता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को आगे निम्नवत सुनिश्चित करना होता है:

- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना।
- (i) परिसम्पत्तियों तथा अर्जनों का विवरण (ii) उपहार (iii) निजी फर्मों नियोजित रिश्तेदार अथवा निजी व्यवसाय कर रहे रिश्तेदार (iv) बेनामी लेनदेन करने वालों को कवर करते हुए सत्यनिष्ठा से जुड़े हुए आचरण नियमों का त्वरित रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

- संवेदनशील स्थानों की अवस्थिति, ऐसे स्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों की उचित संवीक्षा करना।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान के आवंटन और संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सादगी लाने के लिए निवारक उपायों को लागू किया जाना।

केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 27 अक्तूबर से 02 नवम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान **सर्तकता जागरूकता सप्ताह** मनाया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न क्रियाकलाप किए गए जैसे श्री टी. पी. शर्मा, ओएसडी, सर्तकता आयोग (सीवीसी) द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान, ''सर्तक भारत, समृद्ध भारत'' (विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पेरस इंडिया) विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, शपथ दिलवाना (ऑनलाइन) तथा इस अवधि के दौरान बैनर लगाना, जैसे अनेक कार्य किए गए।

सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया। सतर्कता प्रकोष्ठ को इस संबंध में विश्वविद्यालयों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

वर्ष 2020–21 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 05, शिक्षा मंत्रालय से 03, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 05 और शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को 06 शिकायतें तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और अन्य एजेन्सियों से 06 शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुईं शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों से जुड़े वि.अ.आ. ब्यूरो को भेज दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने के लिए कतिपय मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ, शिकायतों पर जांच के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्रशासनिक ब्यूरो को परामर्श देता है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों को सीवीसी/शिक्षा मंत्रालय को भी भेजा गया था।

1.2(iv) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ, देशभर में उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च/अधीनस्थ न्यायालयों, मंचों तथा आयोग आदि के समक्ष दायर किए गए विधिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है।

विधिक प्रकोष्ठ, देशभर के न्यायालय में दायर किए गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, अन्य न्यायिक निकायों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलग–अलग कार्यालयों में कार्यरत 'स्टैडिंग कांऊसिल'/'पेनल के अधिवक्ताओं' के बीच का समन्वय करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक मत भी देता है। वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/चयन, पेशेवर/नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 616 प्रकरण प्राप्त हुए तथा अधिवक्ताओं के बिल पर 190 लाख रुपये का व्यय हुआ।

1.2(v) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्कः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषरूप से शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हुए तथा उत्तरित प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों में से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2016-17	952	41
2017-18	685	54
2018-19	634	47
2019-20	801	49
2020-21	373	18

वर्ष 2020–21 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के दौरान प्राप्त हुए संसदीय प्रश्न की संख्या

सत्र की तिथि	प्राप्त हुए लोक सभा संसदीय प्रश्न		प्राप्त हुए राज्य सभा संसदीय प्रश्न		कुल ग्राह्य/अतारांकित	कुल तारांकित प्रश्न	कुल योग
	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य/अतारांकित	तारांकित			
14 सितम्बर, 2020 से 01 अक्तूबर 2020	79	1	70	0	149	1	150
29 जनवरी, 2021 से 08 अप्रैल, 2021	128	10	78	7	206	17	223
कुल	**207**	**11**	**148**	**7**	**355**	**18**	**373**

आश्वासनों की संख्या = 05

वर्ष 2020–21 के दौरान लोक सभा/राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान 373 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए तथा उनका उत्तर दिया गया, जिसमें से 18 तारांकित प्रश्न थे।

1.2(vi) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

कदाचार रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना दिनांक 30 मई, 1996 को हुई थी; और दिनांक 08 फरवरी, 2016 को इसका नाम बदलकर कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी) रख दिया गया।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार के साथ–कई प्रकार के कदाचार भी किए जा रहे हैं जिन पर समाज के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एएमपीसी देश के उन फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मौजूदगी/कार्यकरण से संबंधित मामलों की कार्रवाई कर रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए उपाधियां स्थापित/प्रदान कर रहे हैं। यह राज्य अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या विशेषरूप से उपाधि प्रदान करने अथवा देने के लिए ऐसे सशक्त संस्थान के तहत स्थापित नहीं हैं। इस प्रकार, फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 24 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम है और यह सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in*** पर भी उपलब्ध है। उपयुक्त 24 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित दो अतिरिक्त संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

1. भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लॉनिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईपीएम), 133/4, कुतुब एन्क्लेव, फेज़–II, नई दिल्ली–110016

एएमपीसी का मूल उद्देश्य जनता/विद्यार्थी/अभिभावक आदि से गैर–मान्यताप्राप्त संस्थानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना और साथ ही इसका प्रिंट/इलेक्ट्रिानिक प्रिंट मीडिया से जानकारी एकत्रित करना है और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करना है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान किए गए क्रियाकलापों के मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

(i) जन साधारण/छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट तथा हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करके संस्थानों के गैर मान्यताप्राप्त दर्जे के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उन्हें ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त नहीं करने के लिए चेतावनी दी जाती है।

(ii) प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया।

(i) जाली विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in.*** पर अपलोड की गई है।

(iv) राज्यों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों तथा प्रधान सचिवों को उनके क्षेत्राधिकारों में अवस्थित जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे गए।

(v) अनुमोदित नहीं किए गए/स्वंय को संस्थान कहने वाले निम्नवत फर्जी संस्थानों को चेतावनी नोटिस जारी किया गया:

एआईआईपीपीएचएस स्टेट गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी, कार्यालय खसरा नम्बर 608–609, प्रथम तल, संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट भवन, बीडीओ कार्यालय के निकट, अलीपुर, दिल्ली–36

1.2(vii) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' संबंधी आंतरिक समिति है जिसकी अध्यक्षता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव करते हैं। समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एक मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में कोई नया मामला नहीं आया।

1.2(viii) विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए एक संयुक्त सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, उन्हें शिक्षा अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं।

1.2(ix) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने और भारत को रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए:

- यह कार्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र को कवर करता है। (i) महाविद्यालयों के प्राधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद (ii) विनियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी; और (iii) जन जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से रैगिंग की समस्या की रोकथाम की जाती है। यह कार्यक्रम छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र का भी उपबंध करता है।
- आयोग ने सभी संस्थानों को रैगिंग के निषिद्ध किए जाने और रैगिंग के परिणामों के संबंध में सरकार के निदेशों को अपनी विवरणिका में शामिल किए जाने को अनिवार्य कर दिया है।
- सभी संबंधितों द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के अलावा, रैगिंग पीड़ितों की मदद करने के लिए कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ वि.अ.आ. द्वारा 12 भाषाओं में रैगिंग रोधी निःशुल्क ''हेल्पलाइन'' 1800–180–5522 को चालू कर दिया गया है। शिकायतों को ***helpline@antiragging.in*** पर ईमेल के माध्यम से भी दर्ज कराया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोधी वेबसाइट अर्थात् ***www.antiragging.in.*** भी विकसित की है। पोर्टल में प्राप्त पंजीकृत शिकायतों का रिकार्ड और उस पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड भी शामिल है। पीड़ित ***www.amanmovement.org.*** के माध्यम से भी ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रैगिंग के बारे में शिकायत दर्ज करने, 'एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग' दर्ज कराने और रैगिंग रोधी निःशुल्क ''हेल्पलाइन'' नंबर पर कॉल करने के लिए 'एंटी रैगिंग' मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है।
- रैगिंग रोधी हेल्पलाइन और उससे जुड़े तंत्रों के दायरे का विस्तार कर उसमें देशभर के छात्रों के बीच जातीय और नस्लीय भेदभाव के मामलों को शामिल किया गया है। अब यह 'एंटी रैगिंग' और 'एंटी रेशियल डिस्क्रीमिनेशन हेल्प लाइन' है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा रैगिंग की 236 शिकायतें दर्ज की गईं और इसमें से 196 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, 40 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर सभी शिक्षण संस्थानों को आवश्यक परामर्श जारी करता रहा है। इन उपायों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्चतर शिक्षा सचिवों को पत्र जारी कर उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रैगिंग रोधी विनियमों को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएं और दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें।
- कार्यक्रम की समग्र निगरानी, शिक्षाविदों और शिक्षा के क्षेत्र से प्रख्यात विशेषज्ञों से मिलकर बनी एक समिति द्वारा की जाती है।

वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान निम्नवत भुगतान किए गए:–

आबंटित अनुदान	लाभार्थी	भुगतान की गई राशि
वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या जिन्हें अनुदान जारी किया गया है।	अमन सत्य काचरू न्यास, रैगिंग के उन्मूलन के लिए अमन आंदोलन, 689, सेक्टर–23, गुरूग्राम (हरियाणा)	50,92,440/-
	रैगिंग रोधी हैल्पलाइन चलाने के लिए–अमन सत्य काचरू न्यास, रैगिंग के उन्मूलन के लिए अमन आंदोलन, 689, सेक्टर–23, गुरूग्राम (हरियाणा)	93,92,307/-
	रैगिंग रोधी उपायों के संबंध में मीडिया अभियान के तहत क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे। लघु फिल्में तैयार करने की प्रतिस्पर्धा के विजेताओं हेतु अनुमोदित/संस्वीकृत और प्रदत्त राशि।	60,000/-

1.2(x) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व द्वारा संस्तुति किए जाने पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षा/कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न वित्तीय मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय–समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की पूर्व–लेखापरीक्षा के साथ–साथ लेखाओं की पश्चलेखा परीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संस्वीकृतियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करने, विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करने तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.2(xi) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ/'जेंडर चैम्पियन'

लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कैम्पस में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं ताकि इस संबंध में शून्य सहनशीलता की नीति पर अमल किया जा सके। वर्ष 2013 में न्यायमूर्ति वर्मा समिति विधेयक, 2013, विशाखा दिशानिर्देश तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी प्रकार के लिंग संबंधी भेदभाव तथा उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए एक विशेष कृतबल का गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों तथा छात्रों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध तथा निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचआई) के परिसरों में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा के अचूक तंत्र और सुरक्षा के अभेद्य मानकों को स्थापित करके स्वस्थ परिवेश उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। सर्वोत्तम पद्धतियों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को लागू करना ही इसकी कुंजी है, जो परिसरों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों से वास्तविक रूप से निपट सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान से निम्नवत अनुरोध किया था।

(i) लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने–अपने संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय में गठित आईसीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 के अनुरूप कार्य कर रहा है।

(ii) यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित नए विनियमों संबंधी प्रावधानों का यथा संभव व्यापक प्रसार किया जाए।

(iii) परिसर में सभी स्थानों और सुविधाओं में सभी महिलाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित परिवेश मुहैया कराएं।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र शिकायत निवारण पोर्टल पर महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और की सुविधा उपलब्ध कराएं।

(v) सभी संबंधित पक्षों को महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए निःशुल्क नंबर 1800–111–656 को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसकी जानकारी दें।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान यौन उत्पीड़न के मामलों संबंधी वार्षिक विवरणिका की समेकित अवस्थिति रिपोर्ट

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक यौन उत्पीड़न के प्राप्त हुए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरूद्ध आयोजित की गई कार्यशालाओं की संख्या	कार्रवाई का स्वरूप	आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई अथवा नहीं
विश्वविद्यालय	52	47	4	202	0	जी, हां
महाविद्यालय	51	49	2	723	0	जी, हां

'जेंडर चैम्पियन'

युवा किशोरों और किशोरियों को लिंग के संबंध में संवेदनशील बनाने तथा एक सकारात्मक सामाजिक मानदंड तैयार करने, जिससे किशोरियों को विश्वविद्यालय परिसर में सम्मान प्राप्त हो तथा उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए तथा एक ऐसे जिम्मेदार नेतृत्व का चयन करना जो एक समेकित तथा अंतर्विधायी पद्धति को सुग्राही बनाएं, जो लिंग के सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने का बोध रखते हों, जिससे समाज में महिला और पुरूष के अनुभव आकार लेते हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ इसे साझा किया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप, 'जेंडर चैम्पियन' के संबंध में दिशानिर्देशों को कार्यान्वित कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थानः

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		चयनित शिक्षकों की संख्या	कार्यान्वित किया गया / आरंभ किया गया
	छात्र	छात्राएं		
विश्वविद्यालय	301	369	264	कार्यान्वित किया गया
महाविद्यालय	1407	1695	632	कार्यान्वित किया गया

1.2(xii) लोक शिकायत प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सभी शिकायतें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को तत्काल उत्तर देने के लिए (30 दिनों के भीतर) आवेदक / याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया जाता है। मामलों की एक अवस्थिति रिपोर्ट तैयार कर समय–समय पर शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक (ऑनलाइन)

- आज तक प्राप्त जन शिकायतों की कुल संख्या= 3,858
- निपटान की गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = 3,695
- उत्तर देने हेतु अधीनस्थों के पास लंबित = 163

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ को शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से सभी शिकायतें हार्डकॉपी के रूप में प्राप्त होती हैं। ऑफलाइन प्राप्त शिकायतों को डायरी किया जाता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों

को भेज दिया जाता है। लोक शिकायत प्रकोष्ठ को संबंधित ब्यूरो को अंतरित किए गए लोक शिकायत (ऑफलाइन) के उत्तर की प्रति प्राप्त नहीं होती है। वे लोक शिकायत प्रकोष्ठ को सूचना दिए बिना शिक्षा मंत्रालय/याचिकाकर्ता को सीधे उत्तर देते हैं।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक (ऑफलाइन)

- प्राप्त जन शिकायतों की कुल संख्या= 492
- संबंधित अनुभाग को भेजी गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = 492
- संबंधित अनुभाग को वापस भेजी गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = शून्य

1.3 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सम्मेलनों पर रिपार्टें, समितियों की रिपोर्ट, विवरण पुस्तिकाओं और सूचना पत्रकों का प्रकाशन करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों (हिंदी और अंग्रेजी) मे मुद्रण किया गया तथा इस पर 10,05,062/– रुपये का व्यय हुआ।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019–20
2. 'अप्रैंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडिड डिग्री प्रोग्राम' की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश
3. बेहतर शिक्षा शोध पद्धतियां (मार्गदर्शक दस्तावेज)
4. देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु गुणवत्ता अधिदेश

उपयुक्त सभी दस्तावेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर ई–पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं।

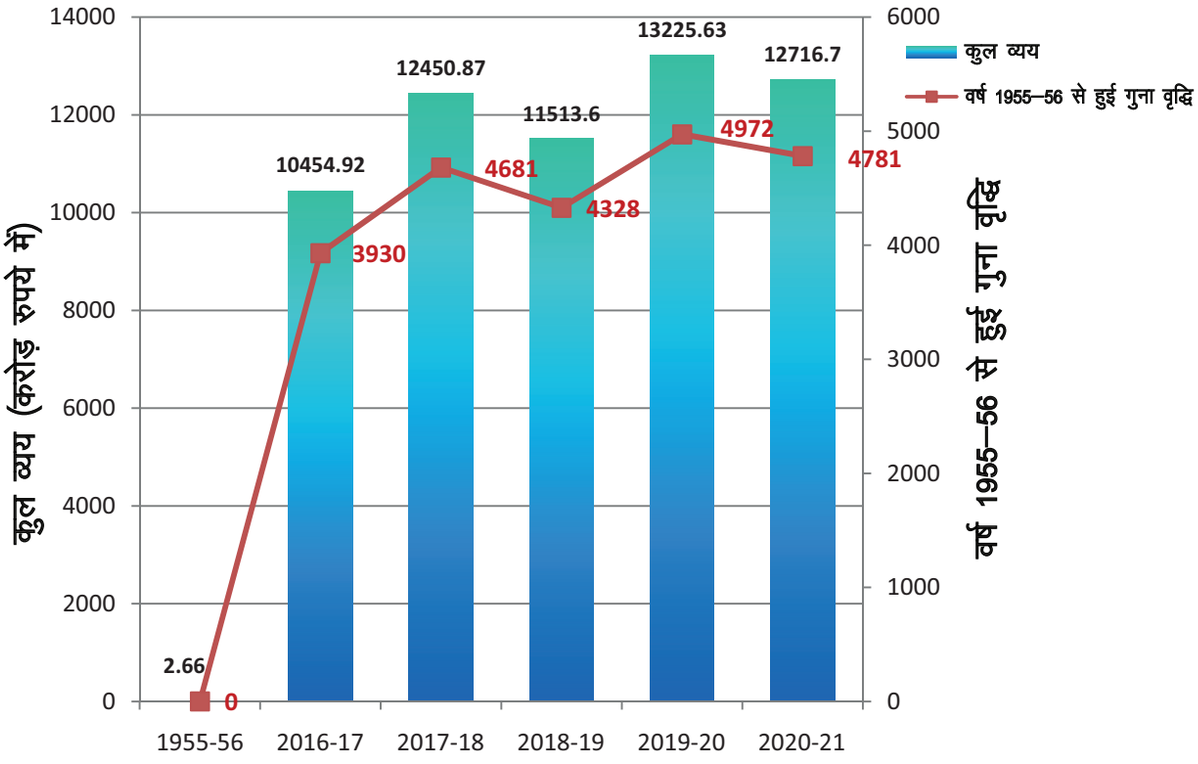
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से **अनुरक्षण (राजस्व) तथा विकास (पूंजीगत) अनुदानों** के रूप में निधियाँ आवंटित एव संवितरित कर सकता है, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

तालिका 1.4(i): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–वर्ष 1955–56 से व्यय में हुई कुल वृद्धि (करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	वर्ष 1955–56 से व्यय में हुई गुना वृद्धि
1955-56	2.66	
2016-17	10454.92	3930
2017-18	12450.87	4681
2018-19	11513.60	4328
2019-20	13225.63	4972
2020-21	12716.70	4781

रेखाचित्र 1.4(i): वर्ष 1955–56 और वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के व्यय में हुई कुल वृद्धि



तालिका 1.4(i)(क): वर्ष 2020–21 के लिए बजट आबंटन

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	आबंटन (राजस्व और पूंजीगत) (करोड़ रुपये में)	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	सामान्य	11875.31	13377.64
	कुल:	**11875.31**	**13377.64**

वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्र सरकार (शिक्षा मंत्रालय) से प्राप्त अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4(ii) में दिया गया है।

तालिका 1.4(ii): वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

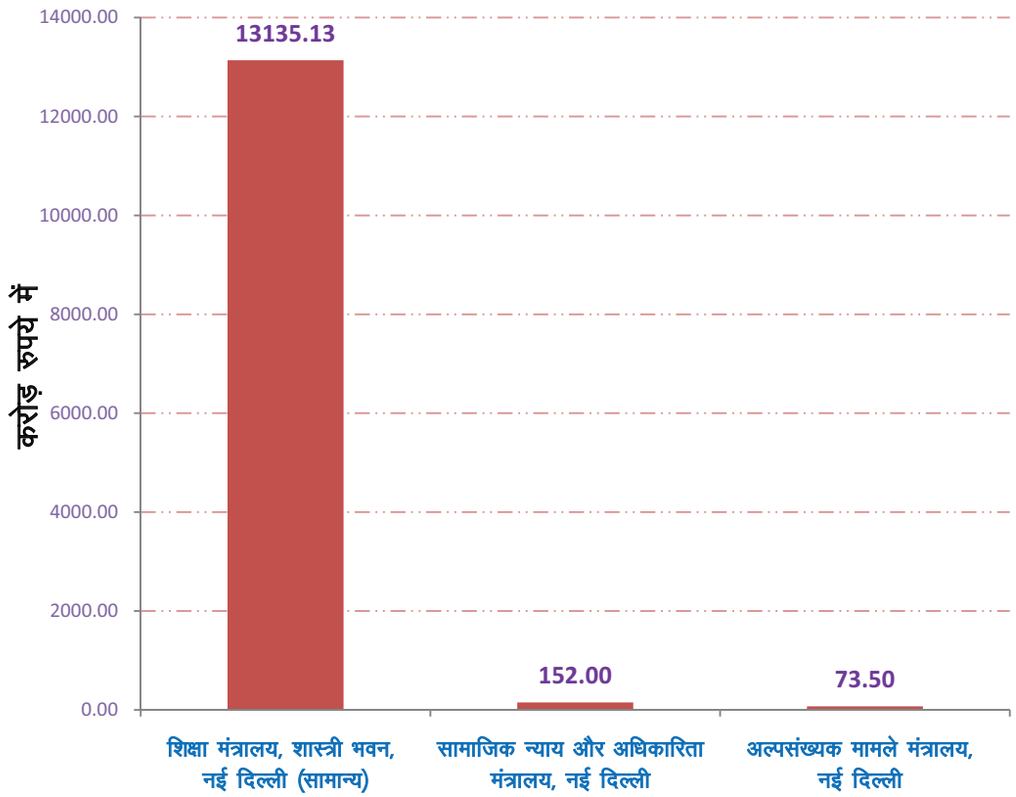
क्रम संख्या	बजट शीर्ष	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1	सामान्य	13135.13
2	अव्ययित शेष (वर्ष 2019–20)	494.92
कुल:		**13630.05**

तालिका 1.4(iii): वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1.	शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	13135.13
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	
	(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	119.00
	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	33.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	73.50
	कुल:	**13360.63**

रेखाचित्र 1.4(iii): वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)



वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4(iv) में दिया गया है

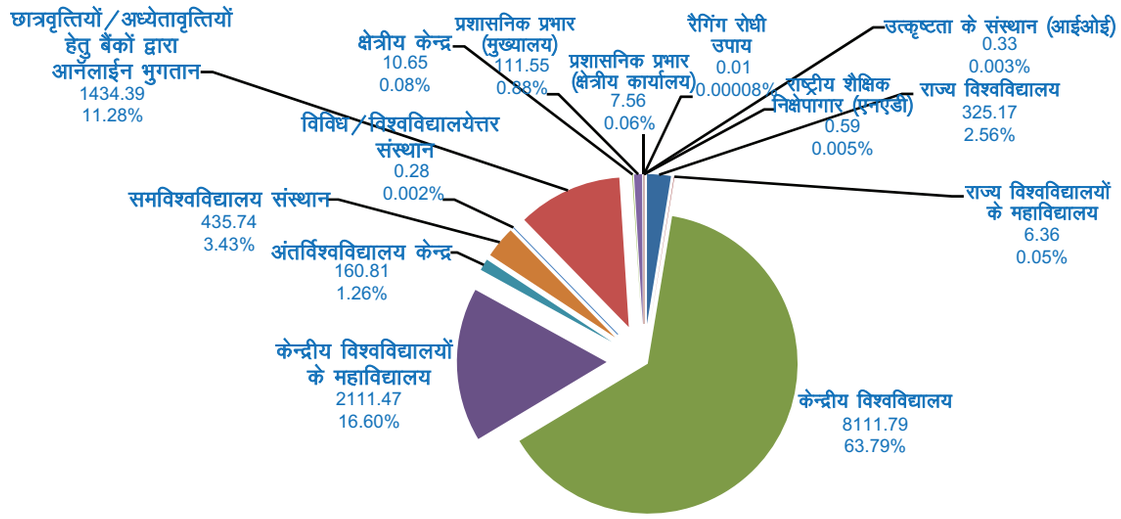
तालिका 1.4(iv): वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए राजस्व और पूंजीगत अनुदान (करोड़ रुपये में)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	संस्थानों का स्वरूप	राजस्व और पूंजीगत अनुदान	जारी किए गए कुल अनुदान का प्रतिशत	राजस्व और पूंजीगत अनुदानों + अव्ययित शेष राशि का कुल प्रतिशत
1	राज्य विश्वविद्यालय	325.17	2.56	2.39
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	6.36	0.05	0.05
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	8111.79	63.79	59.51
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	2111.47	16.60	15.49
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	160.81	1.26	1.18
6	समविश्वविद्यालय संस्थान	435.74	3.43	3.20
7	विविध/विश्वविद्यालयेत्तर और संस्थान	0.28	0.002	0.00
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान	1434.39	11.28	10.52
9	क्षेत्रीय केन्द्र	10.65	0.08	0.08
10	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	111.55	0.88	0.82
11	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	7.56	0.06	0.06
12	रैगिंग रोधी उपाय	0.01	0.00008	0.00
13	उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	0.33	0.003	0.00
14	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	0.59	0.005	0.00
	कुल:	**12716.70**	**100.00**	**93.30**

प्राप्त हुई कुल निधियां: 13135.13
वर्ष 2019–20 के दौरान अव्ययित शेष: 494.92
उपलब्ध कुल निधियां: 13630.05

रेखाचित्र 1.4(iv): वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)



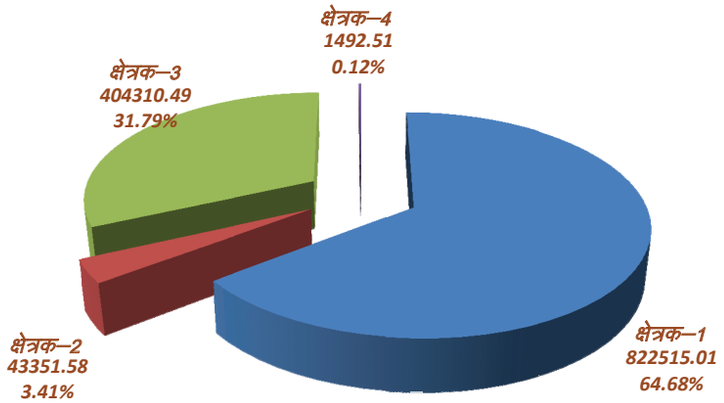
तालिका 1.4(v): वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का सारांश

(करोड़ रुपये में)

	क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	कुल (क्षेत्रक–1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	808617.57		2561.83		811179.40
सम विश्वविद्यालय		43351.58	222.80		43574.37
राज्य विश्वविद्यालय			31117.43	1400.00	32517.43
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			16081.00		16081.00
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान			27.72		27.72
कुल (विश्वविद्यालय):	**808617.57**	**43351.58**	**50010.78**	**1400.00**	**903379.93**
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	13897.44		197249.10		211146.54
सम विश्वविद्यालय					0.00
राज्य विश्वविद्यालय			635.58		635.58
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान					0.00
कुल (महाविद्यालय):	**13897.44**	**0.00**	**197884.68**	**0.00**	**211782.11**
कुल (विश्वविद्यालय + महाविद्यालय):	**822515.01**	**43351.58**	**247895.46**	**1400.00**	**1115162.04**
छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान			143439.16		143439.16
क्षेत्रीय केन्द्र			1065.20		1065.20
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			11154.58		11154.58
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)			755.50		755.50
रैगिंग रोधी उपाय			0.60		0.60
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)				33.06	33.06
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)				59.45	59.45
कुल योग:	**822515.01**	**43351.58**	**404310.49**	**1492.51**	**1271669.59**

क्षेत्रक–1: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–2: सम विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–3: (केन्द्रीय/राज्य/सम) विश्वविद्यालय, क्षेत्रक–4: विविध

रेखाचित्र 1.4(v): वर्ष 2020–21 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया पूंजीगत और राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)



1.4(vi): वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों (क्षेत्रक 1, 2, 3 और 4) को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान तालिका 1.4(vi) में दिया गया है

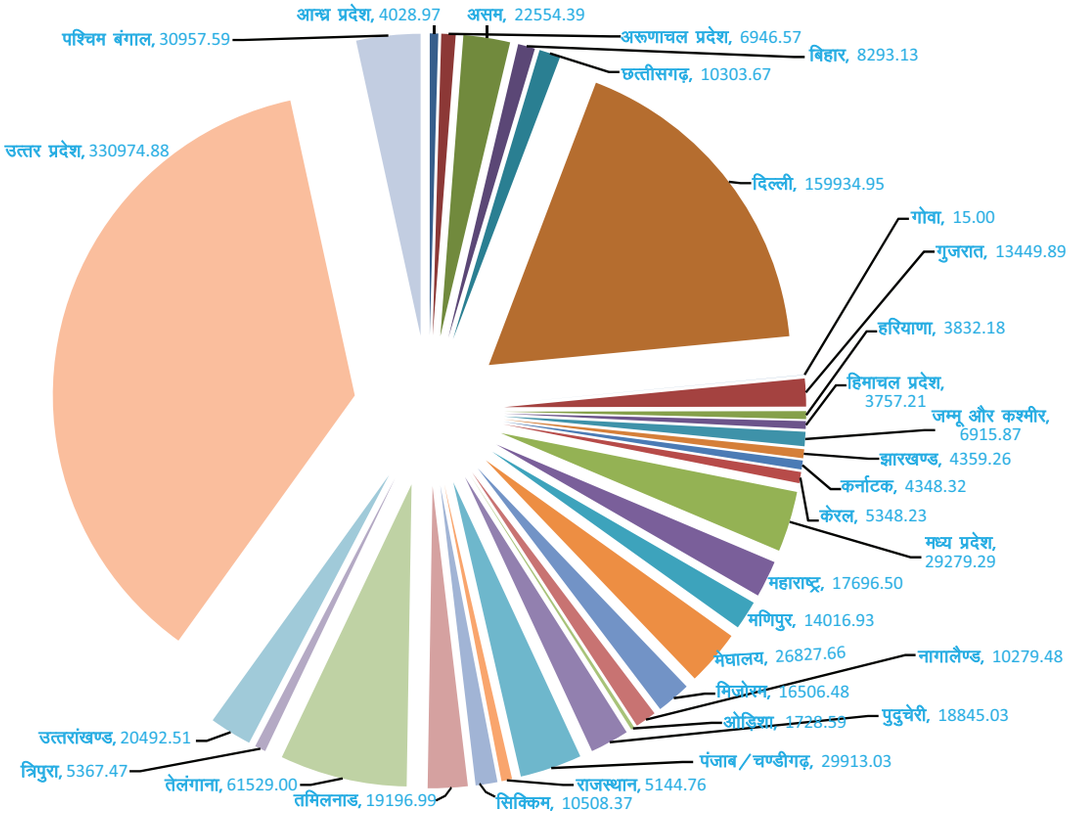
तालिका 1.4(vi): वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों (क्षेत्रक 1, 2, 3 और 4) को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान (*ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय तथा प्रशासनिक प्रभारों को जारी अनुदानों के अलावा)

(लाख रुपये में)

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
आन्ध्र प्रदेश	548.66	390.32	3090.00	4028.97
अरूणाचल प्रदेश	1475.49	1925.00	3546.08	6946.57
असम	5638.52	1529.24	15386.63	22554.39
बिहार	1844.96	897.23	5550.94	8293.13
छत्तीसगढ़	1850.44	1355.90	7097.33	10303.67
दिल्ली	42927.69	3126.16	113881.12	159934.95
गोवा	15.00	0.00	0.00	15.00
गुजरात	3241.33	4120.13	6088.43	13449.89
हरियाणा	1404.14	275.00	2153.04	3832.18
हिमाचल प्रदेश	1098.66	252.11	2406.43	3757.21
जम्मू और कश्मीर	2026.72	852.24	4036.90	6915.87
झारखण्ड	501.98	406.39	3450.89	4359.26
कर्नाटक	1262.13	284.63	2801.57	4348.32
केरल	1519.20	550.00	3279.03	5348.23
मध्य प्रदेश	8316.73	5028.81	15933.75	29279.29
महाराष्ट्र	4969.03	1843.85	10883.62	17696.50
मणिपुर	4234.58	750.00	9032.34	14016.93
मेघालय	9236.88	1000.00	16590.78	26827.66
मिजोरम	3346.37	3875.33	9284.77	16506.48
नागालैण्ड	2412.66	510.48	7356.33	10279.48
ओड़िशा	1083.35	534.70	110.54	1728.59
पुदुचेरी	4096.56	698.53	14049.94	18845.03
पंजाब/चण्डीगढ़	347.74	502.59	29062.69	29913.03
राजस्थान	1364.67	430.22	3349.88	5144.76
सिक्किम	2175.70	5419.30	2913.37	10508.37
तमिलनाडु	4315.10	409.45	14472.46	19196.99
तेलंगाना	12745.08	2573.00	46210.92	61529.00
त्रिपुरा	1467.35	375.00	3525.11	5367.47
उत्तरांखण्ड	3144.97	717.77	16629.77	20492.51
उत्तर प्रदेश	100050.98	3795.30	227128.60	330974.88
पश्चिम बंगाल	10838.23	631.04	19488.32	30957.59
कुल	**239500.90**	**45059.72**	**618791.58**	**903352.20**

31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन

तालिका 1.4(vi): वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों (क्षेत्रक 1, 2, 3 और 4) को राज्यवार जारी किया गया राजस्व और पूंजीगत अनुदान (*ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय को जारी अनुदानों के अलावा) (लाख रुपये में)



1.4(vii): वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी किए गए अनुदान का राज्यवार ब्योरा तालिका 1.4(vii) में दिया गया है

तालिका 1.4(vii): वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालयों को राज्यवार जारी किया गया* राजस्व और पूंजीगत अनुदान

(लाख रुपये में)

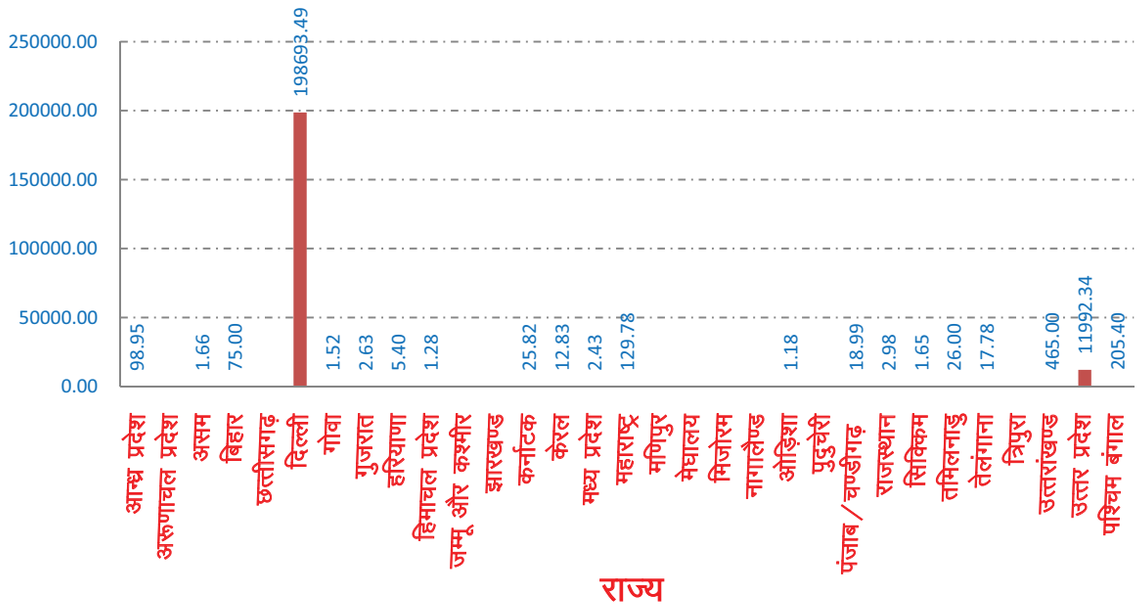
राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
आन्ध्र प्रदेश	98.95			98.95
अरूणाचल प्रदेश				
असम	1.66			1.66
बिहार	52.50	22.50		75.00
छत्तीसगढ़				
दिल्ली	32147.02	289.31	166257.17	198693.49
गोवा	1.52			1.52
गुजरात	2.63			2.63
हरियाणा	5.40			5.40
हिमाचल प्रदेश	1.28			1.28
जम्मू और कश्मीर				
झारखण्ड				

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
कर्नाटक	25.82			25.82
केरल	12.83			12.83
मध्य प्रदेश	2.43			2.43
महाराष्ट्र	116.28	13.50		129.78
मणिपुर				
मेघालय				
मिजोरम				
नागालैण्ड				
ओड़िशा	1.18			1.18
पुदुचेरी				
पंजाब/चण्डीगढ़	18.99			18.99
राजस्थान	2.98			2.98
सिक्किम	1.65			1.65
तमिलनाडु	26.00			26.00
तेलंगाना	17.78			17.78
त्रिपुरा				
उत्तरांखण्ड			465.00	465.00
उत्तर प्रदेश	1269.41	2020.00	8702.94	11992.34
पश्चिम बंगाल	30.85		174.55	205.40
कुल	**33837.16**	**2345.31**	**175599.66**	**211782.11**

*ऑनलाइन, रैगिंग रोधी उपाय तथा प्रशासनिक प्रभारों को जारी अनुदानों के अलावा

31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन

रेखाचित्र 1.4(vii): राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्यवार जारी* किया गया अनुदान (लाख रुपये में)



1.4(viii): वर्ष 2020–21 के दौरान 31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा तालिका 1.4(viii) में दिया गया है

तालिका 1.4(viii): वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत अनुदान) का ब्योरा

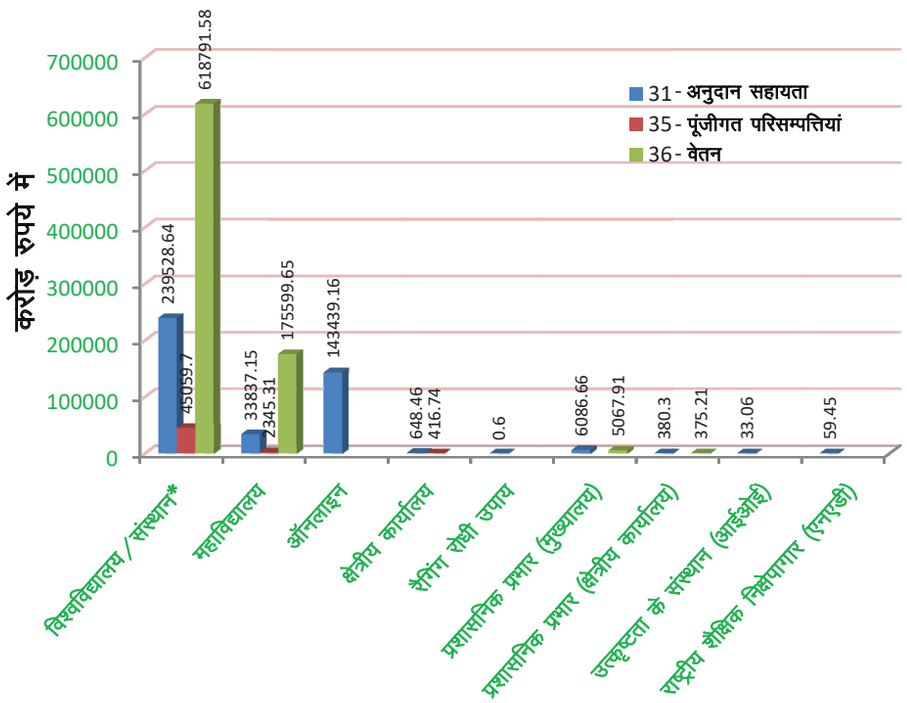
(लाख रुपये में)

उपयोगकर्ता	कुल (लाख रुपये में)			
	31	35	36	कुल
विश्वविद्यालय/संस्थान*	239528.64	45059.70	618791.58	903379.92
महाविद्यालय	33837.15	2345.31	175599.65	211782.11
ऑनलाइन	143439.16			143439.16
क्षेत्रीय कार्यालय	648.46	416.74		1065.20
रैगिंग रोधी उपाय	0.60			0.60
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	6086.66		5067.91	11154.58
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	380.30		375.21	755.50
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	33.06			33.06
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	59.45			59.45
कुल	**424013.48**	**47821.75**	**799834.35**	**1271669.58**

*राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों सहित

31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन

रेखाचित्र 1.4(viii): वर्ष 2020–21 के दौरान 31–अनुदान सहायता, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36–वेतन के तहत उपयोगकर्ताओं को जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)



1.4(ix): वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय/संस्थानों को राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किए गए राजस्व और पूंजीगत अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4(ix) में दिया गया है

1.4(x): वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालयों को राज्य–वार, विष्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किए गए राजस्व और पूंजीगत अनुदान का ब्योरा तालिका 1.4(x) में दिया गया है

तालिका 1.4 (ix): वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्य–वार, क्षेत्रक–वार और विश्वविद्यालय–वार, जारी किया गया अनुदान

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–1			क्षेत्रक–2			क्षेत्रक–3			क्षेत्रक–4			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	TOTAL
केन्द्रीय विश्वविद्यालय																	
	आन्ध्र प्रदेश																
1	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	130.00	250.00	100.00				0.00	0.00	0.00				130.00	250.00	100.00	480.00
2	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	37.68	140.32	0.00				0.00	0.00	0.00				37.68	140.32	0.00	177.99
	कुल	167.68	390.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68	390.32	100.00	657.99
	असम																
3	असम विश्वविद्यालय	2553.25	629.24	7280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.25	629.24	7280.30	10462.79
4	तेजपुर विश्वविद्यालय	2965.60	900.00	8106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2965.60	900.00	8106.34	11971.94
	कुल	5518.85	1529.24	15386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5518.85	1529.24	15386.63	22434.72
	अरूणाचल प्रदेश																
5	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	1475.49	1925.00	3546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.49	1925.00	3546.08	6946.57
	कुल	1475.49	1925.00	3546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.49	1925.00	3546.08	6946.57
	बिहार																
6	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	982.06	437.23	3147.05	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.06	437.23	3147.05	4569.34
7	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	735.23	460.00	2403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.23	460.00	2403.89	3599.12
	कुल	1717.29	897.23	5550.94	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.29	897.23	5550.94	8168.46
	छत्तीसगढ़																
8	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1804.40	1355.90	7097.33	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.44	1355.90	7097.33	10303.67
	कुल	1804.40	1355.90	7097.33	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.44	1355.90	7097.33	10303.67
	दिल्ली																
9	जामिया मिलिया इसलामिया	8159.36	529.25	38855.93	0.00	0.00	0.00	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8637.98	529.25	38855.93	48023.15
10	दिल्ली विश्वविद्यालय	18445.32	1149.55	43177.65	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18466.80	1149.55	43177.65	62794.00
11	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	13404.38	807.36	23096.65	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13419.38	807.36	23096.65	37323.39
	कुल	40009.06	2486.16	105130.23	0.00	0.00	0.00	515.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40524.16	2486.16	105130.23	148140.54
	गुजरात																
12	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1418.25	4100.00	2526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.25	4100.00	2526.76	8045.01
	कुल	1418.25	4100.00	2526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.25	4100.00	2526.76	8045.01
	हरियाणा																
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1365.99	275.00	2153.04	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.26	275.00	2153.04	3818.30
	कुल	1365.99	275.00	2153.04	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.26	275.00	2153.04	3818.30
	हिमाचल प्रदेश																
14	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1067.71	252.11	2406.43	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.66	252.11	2406.43	3754.21
	कुल	1067.71	252.11	2406.43	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.66	252.11	2406.43	3754.21
	जम्मू और कश्मीर																
15	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	697.16	389.70	1619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.16	389.70	1619.48	2706.34
16	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1271.06	462.54	2015.53	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.14	462.54	2015.53	3768.22
	कुल	1968.22	852.24	3635.02	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1987.30	852.24	3635.02	6474.56

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–1			क्षेत्रक–2			क्षेत्रक–3			क्षेत्रक–4			कुल (लाख रुपये में)			
	झारखण्ड																
17	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	438.88	406.39	3450.89	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	406.39	3450.89	4314.16
	कुल	438.88	406.39	3450.89	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	406.39	3450.89	4314.16
	कर्नाटक																
18	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1090.70	284.63	1821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.70	284.63	1821.24	3196.57
	कुल	1090.70	284.63	1821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.70	284.63	1821.24	3196.57
	केरल																
19	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1404.81	550.00	3160.63	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.81	550.00	3160.63	5118.44
	कुल	1404.81	550.00	3160.63	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.81	550.00	3160.63	5118.44
	मध्य प्रदेश																
20	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय	6115.36	3515.00	9380.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00	6166.36	3515.00	9540.44	19221.80
21	इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी	1924.99	750.00	4343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.99	750.00	4343.21	7018.20
	कुल	8040.35	4265.00	13723.21	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00	8091.35	4265.00	13883.65	26240.00
	महाराष्ट्र																
22	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	1490.98	621.50	2957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.98	621.50	2957.98	5070.46
	कुल	1490.98	621.50	2957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.98	621.50	2957.98	5070.46
	मणिपुर																
23	मणिपुर विश्वविद्यालय	4184.26	750.00	8787.32	0.00	0.00	0.00	50.32	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	4234.58	750.00	9032.34	14016.93
24	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4184.26	750.00	8787.32	0.00	0.00	0.00	50.32	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	4234.58	750.00	9032.34	14016.93
	मेघालय																
25	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	9186.88	1000.00	16590.78	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9236.88	1000.00	16590.78	26827.66
	कुल	9186.88	1000.00	16590.78	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9236.88	1000.00	16590.78	26827.66
	मिजोरम																
26	मिजोरम विश्वविद्यालय	3286.37	3875.33	9284.77	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.37	3875.33	9284.77	16506.48
	कुल	3286.37	3875.33	9284.77	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.37	3875.33	9284.77	16506.48
	नागालैण्ड																
27	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	2412.66	500.48	7356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2412.66	510.48	7356.33	10279.48
	कुल	2412.66	500.48	7356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2412.66	510.48	7356.33	10279.48
	ओडिशा																
28	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	954.68	534.70	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	534.70	110.54	1599.92
	कुल	954.68	534.70	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	534.70	110.54	1599.92
	पुदुचेरी																
29	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	4090.56	698.53	14049.94	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.56	698.53	14049.94	18845.03
	कुल	4090.56	698.53	14049.94	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.56	698.53	14049.94	18845.03
	पंजाब																
30	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	502.59	2073.02	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	502.59	2073.02	2604.14
	कुल	0.00	502.59	2073.02	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	502.59	2073.02	2604.14

तालिका 1.4 (ix): वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थानों को राज्य–वार, क्षेत्रक–वार और विश्वविद्यालय–वार, जारी किया गया अनुदान

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	TOTAL
केन्द्रीय विश्वविद्यालय																	
	आन्ध्र प्रदेश																
1	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	130.00	250.00	100.00				0.00	0.00	0.00				130.00	250.00	100.00	480.00
2	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	37.68	140.32	0.00				0.00	0.00	0.00				37.68	140.32	0.00	177.99
	कुल	167.68	390.32	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.68	390.32	100.00	657.99
	असम																
3	असम विश्वविद्यालय	2553.25	629.24	7280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.25	629.24	7280.30	10462.79
4	तेजपुर विश्वविद्यालय	2965.60	900.00	8106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2965.60	900.00	8106.34	11971.94
	कुल	5518.85	1529.24	15386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5518.85	1529.24	15386.63	22434.72
	अरूणाचल प्रदेश																
5	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	1475.49	1925.00	3546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.49	1925.00	3546.08	6946.57
	कुल	1475.49	1925.00	3546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1475.49	1925.00	3546.08	6946.57
	बिहार																
6	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	982.06	437.23	3147.05	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.06	437.23	3147.05	4569.34
7	महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	735.23	460.00	2403.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.23	460.00	2403.89	3599.12
	कुल	1717.29	897.23	5550.94	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1720.29	897.23	5550.94	8168.46
	छत्तीसगढ़																
8	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1804.40	1355.90	7097.33	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.44	1355.90	7097.33	10303.67
	कुल	1804.40	1355.90	7097.33	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.44	1355.90	7097.33	10303.67
	दिल्ली																
9	जामिया मिलिया इसलामिया	8159.36	529.25	38855.93	0.00	0.00	0.00	478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8637.98	529.25	38855.93	48023.15
10	दिल्ली विश्वविद्यालय	18445.32	1149.55	43177.65	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18466.80	1149.55	43177.65	62794.00
11	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	13404.38	807.36	23096.65	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13419.38	807.36	23096.65	37323.39
	कुल	40009.06	2486.16	105130.23	0.00	0.00	0.00	515.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40524.16	2486.16	105130.23	148140.54
	गुजरात																
12	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1418.25	4100.00	2526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.25	4100.00	2526.76	8045.01
	कुल	1418.25	4100.00	2526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.25	4100.00	2526.76	8045.01
	हरियाणा																
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1365.99	275.00	2153.04	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.26	275.00	2153.04	3818.30
	कुल	1365.99	275.00	2153.04	0.00	0.00	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.26	275.00	2153.04	3818.30
	हिमाचल प्रदेश																
14	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1067.71	252.11	2406.43	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.66	252.11	2406.43	3754.21
	कुल	1067.71	252.11	2406.43	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.66	252.11	2406.43	3754.21
	जम्मू और कश्मीर																
15	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	697.16	389.70	1619.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.16	389.70	1619.48	2706.34
16	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1271.06	462.54	2015.53	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1290.14	462.54	2015.53	3768.22
	कुल	1968.22	852.24	3635.02	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1987.30	852.24	3635.02	6474.56

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
	झारखण्ड																
17	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	438.88	406.39	3450.89	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	406.39	3450.89	4314.16
	कुल	438.88	406.39	3450.89	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.88	406.39	3450.89	4314.16
	कर्नाटक																
18	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1090.70	284.63	1821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.70	284.63	1821.24	3196.57
	कुल	1090.70	284.63	1821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.70	284.63	1821.24	3196.57
	केरल																
19	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1404.81	550.00	3160.63	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.81	550.00	3160.63	5118.44
	कुल	1404.81	550.00	3160.63	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.81	550.00	3160.63	5118.44
	मध्य प्रदेश																
20	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय	6115.36	3515.00	9380.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00	6166.36	3515.00	9540.44	19221.80
21	इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी	1924.99	750.00	4343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1924.99	750.00	4343.21	7018.20
	कुल	8040.35	4265.00	13723.21	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	160.44	0.00	0.00	0.00	8091.35	4265.00	13883.65	26240.00
	महाराष्ट्र																
22	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	1490.98	621.50	2957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.98	621.50	2957.98	5070.46
	कुल	1490.98	621.50	2957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.98	621.50	2957.98	5070.46
	मणिपुर																
23	मणिपुर विश्वविद्यालय	4184.26	750.00	8787.32	0.00	0.00	0.00	50.32	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	4234.58	750.00	9032.34	14016.93
24	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	4184.26	750.00	8787.32	0.00	0.00	0.00	50.32	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	4234.58	750.00	9032.34	14016.93
	मेघालय																
25	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	9186.88	1000.00	16590.78	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9236.88	1000.00	16590.78	26827.66
	कुल	9186.88	1000.00	16590.78	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9236.88	1000.00	16590.78	26827.66
	मिजोरम																
26	मिजोरम विश्वविद्यालय	3286.37	3875.33	9284.77	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.37	3875.33	9284.77	16506.48
	कुल	3286.37	3875.33	9284.77	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.37	3875.33	9284.77	16506.48
	नागालैण्ड																
27	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	2412.66	500.48	7356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2412.66	510.48	7356.33	10279.48
	कुल	2412.66	500.48	7356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2412.66	510.48	7356.33	10279.48
	ओडिशा																
28	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	954.68	534.70	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	534.70	110.54	1599.92
	कुल	954.68	534.70	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	534.70	110.54	1599.92
	पुदुचेरी																
29	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	4090.56	698.53	14049.94	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.56	698.53	14049.94	18845.03
	कुल	4090.56	698.53	14049.94	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4096.56	698.53	14049.94	18845.03
	पंजाब																
30	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	502.59	2073.02	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	502.59	2073.02	2604.14
	कुल	0.00	502.59	2073.02	0.00	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52	502.59	2073.02	2604.14

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
	राजस्थान																
31	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1187.44	430.22	3166.07	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.04	430.22	3166.07	4833.32
	कुल	1187.44	430.22	3166.07	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.04	430.22	3166.07	4833.32
	सिक्किम																
32	सिक्किम विश्वविद्यालय	2172.70	5419.30	2913.37	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2175.70	5419.30	2913.37	10508.37
	कुल	2172.70	5419.30	2913.37	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2175.70	5419.30	2913.37	10508.37
	तमिलनाडु																
33	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1372.97	313.45	3274.32	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.97	313.45	3274.32	4963.73
34	इंडियन मेरीटाईम यूनीविर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1372.97	313.45	3274.32	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1375.97	313.45	3274.32	4963.73
	तेलंगाना																
35	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2820.00	600.00	13707.04	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2889.62	600.00	13707.04	17196.66
36	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	2648.20	550.00	6321.42	0.00	0.00	0.00	8.71	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	2656.91	550.00	6837.42	10044.32
37	हैदराबाद विश्वविद्यालय	6963.00	1263.00	25557.60	0.00	0.00	0.00	132.28	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7095.28	1423.00	25557.60	34075.88
	कुल	12431.20	2413.00	45586.06	0.00	0.00	0.00	210.61	160.00	516.00	0.00	0.00	0.00	12641.81	2573.00	46102.06	61316.87
	त्रिपुरा																
38	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	1467.35	375.00	3525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.35	375.00	3525.11	5367.47
	कुल	1467.35	375.00	3525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.35	375.00	3525.11	5367.47
	उत्तर प्रदेश																
39	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	37540.60	1050.00	113419.90	0.00	0.00	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37607.38	1050.00	113419.90	152077.28
40	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,	2441.60	476.55	4228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00	2441.60	476.55	4324.09	7242.25
41	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	45012.11	1723.05	79034.77	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45045.41	1723.05	79034.77	125803.22
42	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	13831.33	545.70	26137.84	0.00	0.00	0.00	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13929.92	545.70	26137.84	40613.46
	कुल	98825.64	3795.30	222820.58	0.00	0.00	0.00	198.67	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00	99024.31	3795.30	222916.60	325736.21
	उत्तराखण्ड																
45	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2063.46	689.01	12609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.46	689.01	12609.91	15362.38
	कुल	2063.46	689.01	12609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2063.46	689.01	12609.91	15362.38
	पश्चिम बंगाल																
46	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	10601.19	631.04	18488.32	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10608.39	631.04	18488.32	29727.75
	कुल	10601.19	631.04	18488.32	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10608.39	631.04	18488.32	29727.75
	कुल के. वि.	223216.05	42118.66	543282.86	0.00	0.00	0.00	1374.36	170.00	1017.47	0.00	0.00	0.00	224590.41	42288.66	544300.33	811179.40
सम	विश्वविद्यालय																
	आन्ध्र प्रदेश																
47	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	2990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	2990.00	3049.98
	कुल	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	2990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	2990.00	3049.98

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
	दिल्ली																
48	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	371.30	0.00	3488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.30	0.00	3488.68	3859.98
49	जामिया हमदर्द	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	0.00	800.00	828.57
50	एम्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	1.37
	कुल	0.00	0.00	0.00	371.30	0.00	4288.68	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.25	0.00	4288.68	4689.92
	गुजरात																
51	गुजरात विद्यापीठ	0.00	0.00	0.00	1300.30	0.00	2998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.30	0.00	2998.84	4299.13
	कुल	0.00	0.00	0.00	1300.30	0.00	2998.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.30	0.00	2998.84	4299.13
	मध्य प्रदेश																
52	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	50.03
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	50.03
	महाराष्ट्र																
53	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई	0.00	0.00	0.00	1431.50	0.00	5178.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1433.07	0.00	5178.00	6611.07
54	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलॉजी, माटुन्गा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	1431.50	0.00	5178.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1472.07	0.00	5178.00	6650.07
	तमिलनाडु																
55	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन	0.00	0.00	0.00	1640.00	0.00	5519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1640.00	0.00	5519.00	7159.00
56	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	5496.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.47	0.00	5496.00	6481.47
	कुल	0.00	0.00	0.00	2625.00	0.00	11015.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2625.47	0.00	11015.00	13640.47
	तेलंगाना																
57	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02	0.00	0.00	66.02
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.02	0.00	0.00	66.02
	उत्तर प्रदेश																
58	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	4212.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.29	0.00	4212.00	5115.29
	कुल	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	4212.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.29	0.00	4212.00	5115.29
	उत्तराखण्ड																
59	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	964.12	0.00	4019.86	0.72	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	964.84	28.76	4019.86	5013.46
	कुल	0.00	0.00	0.00	964.12	0.00	4019.86	0.72	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	964.84	28.76	4019.86	5013.46
	पश्चिम बंगाल																
60	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमवीईआरआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
	कुल स. वि.	0.00	0.00	0.00	7649.20	0.00	35702.37	194.03	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7843.24	28.76	35702.37	43574.37

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
राज्य विश्वविद्यालय																	
	आन्ध्र प्रदेश																
61	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
62	आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.94	0.00	0.00	314.94
63	योगी वेमाना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	321.00
	असम																
64	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
65	कृष्णकांत हान्डिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	119.67	0.00	0.00	119.67
	बिहार																
66	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
67	पटना विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	124.67	0.00	0.00	124.67
	चण्डीगढ़																
68	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	दिल्ली																
69	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	गोवा																
70	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	गुजरात																
71	डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
72	गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	107.50	0.00	127.20	234.70
73	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
74	एम् एस यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.03	0.00	127.20	116.67	0.00	0.00	233.69	0.00	127.20	360.90
	हरियाणा																
75	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	13.88
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	13.88
	हिमाचल प्रदेश																
76	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
	जम्मू और कश्मीर																
77	कश्मीर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00	401.88	441.31
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00	401.88	441.31
	झारखण्ड																
78	राँची विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	45.10
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	45.10
	कर्नाटक																
79	बेंगलूरु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	14.18
80	दावनगेरे विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
81	मैसूर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.89	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00	28.89	0.00	168.78	197.67
82	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07	0.00	168.78	116.67	0.00	0.00	167.74	0.00	168.78	336.52
	केरल																
83	कालीकट यूनिवर्सिटी,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.06	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	66.06	0.00	118.40	184.46
84	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
85	केरल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	42.33
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.39	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	111.39	0.00	118.40	229.79
	मध्य प्रदेश																
86	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
87	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.32	126.32
88	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.81	0.00	413.81
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	413.81	126.32	0.00	0.00	0.00	6.00	413.81	126.32	546.13
	महाराष्ट्र																
89	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
90	मुम्बई विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20	0.00	417.72	0.00	0.00	0.00	194.20	0.00	417.72	611.91
91	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
92	सावित्री भाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00	75.67	0.00	119.90	195.57
93	शिवाजी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53	0.00	0.00	24.53
94	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.39	0.00	537.62	116.67	0.00	0.00	462.06	0.00	537.62	999.68
	ओड़ीशा																
95	बेरहामपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
96	सम्भलपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
97	उत्कल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
98	ओड़ीशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	128.67	0.00	0.00	128.67

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
	पंजाब																
99	पंजाब विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.55	0.00	26936.00	0.00	0.00	0.00	202.55	0.00	26936.00	27138.55
100	पंजाबी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67	53.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.55	0.00	26989.67	0.00	0.00	0.00	202.55	0.00	26989.67	27192.22
	राजस्थान																
101	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	183.81	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	183.81	190.53
102	राजस्थान यूनीवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईसेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25
103	राजस्थान विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
104	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	183.81	116.67	0.00	0.00	127.63	0.00	183.81	311.44
	तमिलनाडु																
105	अलगप्पा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
106	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	36.00	42.00
107	भरथियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08	0.00	0.00	76.08
108	भारथीदासन विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25	0.00	0.00	25.25
109	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.65	96.00	147.14	0.00	0.00	0.00	78.65	96.00	147.14	321.79
110	पेरियार विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
111	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.99	96.00	183.14	116.67	0.00	0.00	313.66	96.00	183.14	592.79
	तेलंगाना																
112	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	108.86	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	108.86	146.11
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	108.86	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	108.86	146.11
	उत्तर प्रदेश																
113	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	6.45
114	लखनऊ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27
115	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	123.38	0.00	0.00	123.38
	उत्तराखण्ड																
116	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	पश्चिम बंगाल																
117	कोलकाता विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
118	जाधवपुर विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	47.40
119	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78	0.00	0.00	62.78
120	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	116.67
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.18	0.00	0.00	116.67	0.00	0.00	229.84	0.00	0.00	229.84
	कुलः रा. वि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1661.93	509.81	28945.69	1400.00	0.00	0.00	3061.93	509.81	28945.69	32517.43

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–II			क्षेत्रक–III			क्षेत्रक–IV			कुल (लाख रुपये में)			
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसीएस)																	
	दिल्ली																
121	कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.07	0.00	738.93	0.00	0.00	0.00	88.07	0.00	738.93	827.00
122	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सिलरेशन सेन्टर (आईयूएसी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1911.21	640.00	3723.28	0.00	0.00	0.00	1911.21	640.00	3723.28	6274.49
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1999.28	640.00	4462.21	0.00	0.00	0.00	1999.28	640.00	4462.21	7101.49
	गुजरात																
123	गुजरात इंफोरमेशन एण्ड लाईब्रेरी नेटवर्क सेंटर (इनफिलबनेट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.09	20.13	435.63	0.00	0.00	0.00	289.09	20.13	435.63	744.85
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.09	20.13	435.63	0.00	0.00	0.00	289.09	20.13	435.63	744.85
	कर्नाटक																
124	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	811.55	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	811.55	815.23
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	811.55	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	811.55	815.23
	मध्य प्रदेश																
125	यूजीसी–डीएई कंसोटियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.35	350.00	1923.78	0.00	0.00	0.00	169.35	350.00	1923.78	2443.13
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.35	350.00	1923.78	0.00	0.00	0.00	169.35	350.00	1923.78	2443.13
	महाराष्ट्र																
126	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.92	1222.35	2210.02	0.00	0.00	0.00	1543.92	1222.35	2210.02	4976.29
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1543.92	1222.35	2210.02	0.00	0.00	0.00	1543.92	1222.35	2210.02	4976.29
	कुल: (आईयूसी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4005.34	2232.47	9843.19	0.00	0.00	0.00	4005.34	2232.47	9843.19	16081.00
	योग: विश्वविद्यालयेत्तर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.72	0.00	0.00	27.72	0.00	0.00	27.72
	कुल: (के. वि.)	223216.05	42118.66	543282.86	0.00	0.00	0.00	1374.36	170.00	1017.47	0.00	0.00	0.00	224590.41	42288.66	544300.33	811179.40
	कुल: (स. वि.)	0.00	0.00	0.00	7649.20	0.00	35702.37	194.03	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7843.24	28.76	35702.37	43574.37
	कुल: (रा. वि.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1661.93	509.81	28945.69	1400.00	0.00	0.00	3061.93	509.81	28945.69	32517.43
	ऑनलाईन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143439.16	0.00	0.00	143439.16
	क्षे. का. :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.46	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	648.46	416.74	0.00	1065.20
	रैगिंग रोधी उपाय							0.60	0.00	0.00				0.60	0.00	0.00	0.60
	प्रशासनिक प्रभार (एचओ)							6086.66	0.00	5067.91				6086.66	0.00	5067.91	11154.58
	प्रशासनिक प्रभार (आरओ)							380.30	0.00	375.21				380.30	0.00	375.21	755.50
	कुल योग	223216.05	42118.66	543282.86	7649.20	0.00	35702.37	157790.84	3357.79	45249.47	1427.72	0.00	0.00	390083.81	45476.45	624234.70	1059794.97
	महाविद्यालयों का कुल योग:													33837.15498	2345.30572	175599.6527	211782.1134
	उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)										33.06			33.06	0.00	0.00	33.06
	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)										59.45			59.45	0.00	0.00	59.45
	कुल:													424013.48	47821.76	799834.36	1271669.59

तालिका 1.4 (x): वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार और क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक–I			क्षेत्रक–III			कुल			
		31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
	दिल्ली										
1	दिल्ली विश्वविद्यालय	2052.84	266.86	11577.74	30094.18	22.45	154679.42	32147.02	289.31	166257.17	198693.49
	कुल	2052.84	266.86	11577.74	30094.18	22.45	154679.42	32147.02	289.31	166257.17	198693.49
	सिक्किम										
2	सिक्किम विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65
	कुल	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65
	उत्तर प्रदेश										
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1263.46	2020.00	8702.94	1263.46	2020.00	8702.94	11986.39
	कुल	0.00	0.00	0.00	1263.46	2020.00	8702.94	1263.46	2020.00	8702.94	11986.39
	उत्तराखण्ड							0.00			
4	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	465.00	465.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	465.00	465.00
	कुल के. वि.	2052.84	266.86	11577.74	31359.29	2042.45	163847.36	33412.13	2309.31	175425.10	211146.54
राज्य विश्वविद्यालय											
	आन्ध्र प्रदेश										
5	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	1.29
6	आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	95.21	0.00	0.00	95.21	0.00	0.00	95.21
7	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	2.45
	कुल	0.00	0.00	0.00	98.95	0.00	0.00	98.95	0.00	0.00	98.95
	असम										
8	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66
	कुल	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66
	बिहार										
9	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	52.50	22.50	0.00	52.50	22.50	0.00	75.00
	कुल	0.00	0.00	0.00	52.50	22.50	0.00	52.50	22.50	0.00	75.00
	गोवा										
10	गोवा विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
	कुल	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
	गुजरात										
11	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63
	कुल	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63

1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 20 दिसबंर, 2002 के अ0श0 पत्र संख्या 17–333/2002–डेस्क(यू) के अनुपालन में, आयोग ने दिनांक 23 जनवरी, 2003 को आयोजित हुई अपनी बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के एक समान स्टाफिंग पैटर्न पर संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति के गठन को मंजूरी दी। जेसीआरसी का उद्देश्य इन संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) के एक समान निबंधन और शर्तों के पूर्ण ढांचे की सिफारिश करना था।

जेसीआरसी के विचारार्थ निम्नवत विषय हैं:–

क) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) के वेतनमान को सरकार द्वारा स्वीकार किए गए केंद्रीय वेतनमान के संदर्भ में युक्तिसंगत बनाना।

ख) विश्वविद्यालयों में मौजूदा विसंगतियों को दूर करना और उन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गए केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप बनाना।

ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कार्यात्मक दक्षता में सुधार करने के तरीके सुझाना।

घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों में भिन्नताओं अथवा विसंगतियां, यदि कोई हों तो, की पहचान करना।

ङ) एक समान संवर्ग संरचना विकसित करना और वेतनमान, कर्तव्यों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह 'क' के अधिकारी) के पदों की योग्यता को युक्तिसंगत बनाना जो शिक्षण कर्मचारियों की वेतन समीक्षा समिति के तहत शामिल नहीं हैं।

च) पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित करना ताकि दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपर के स्तर के पदों तथा निचले स्तर के पदों के बीच एक इष्टतम अनुपात हो।

छ) जिन परिस्थितियों तथा परिवेश में संगठन कार्य कर रहा है, उसके आधार पर शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के इष्टतम अनुपात को बनाए रखने की सिफारिश करना।

इस वर्ष 2020 में जेसीआरसी ने विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों (शतप्रतिशत वित्तपोषित) के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 70 मामलों का समाधान किया। इसके अतिरिक्त, जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विसंगति से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित स्थायी समिति के समक्ष कुछ विसंगति के मामले भी रखे गए थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विसंगति से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आवधिक रूप से बैठकें भी आयोजित की गई थी। इंजीनियर, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर आदि और अन्य थोड़े से पदों के लिए न्यूनतम योग्यता और अन्य निबंधन और शर्तें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया। समूह क, ख और ग के पदों के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित) से जानकारी एकत्रित की गई और समिति द्वारा इंजीनियरिंग संवर्ग, आईसीटी और वैज्ञानिक संवर्ग में सभी पदों के तुलनात्मक विवरण पर विचार किया गया।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 02 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 1–7/2015–यू.II(2) के आधार पर कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा वित्त अधिकारी, उप वित्त अधिकारी, सहायक वित्त अधिकारी और सहायक वित्त अधिकारी के उपरोक्त पदों के लिए वेतनमान/ढ़ांचे की समीक्षा योजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त पदों के लिए विनियमों को तैयार करने के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार प्रारूप विनियमों को शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। शिक्षा मंत्रालय की टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप विनियमों को पुन अद्यतन और संशोधित किया गया है और इसे अनुमोदन/सहमति के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। मसौदा विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय बोझ के संबंध में माँगी गई जानकारी को वि.अ.आ. के दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से सम्प्रेषित कर दिया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों में नर्सिंग संवर्ग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले को शिक्षा मंत्रालय के साथ उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के निदेशों के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नर्सिंग संवर्ग का ब्योरा तथा नर्सिंग संवर्ग को 'पार्ट–बी' वेतनमान प्रदान किए जाने के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय बोझ का ब्योरा प्रस्तुत कर दिया है।

1.6 वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

1.6(i) वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की (1) दिनांक 09 अप्रैल, 2020 (ई–सर्कुलेशन), (2) दिनांक 27 अप्रैल, 2020 (3) दिनांक 08 जुलाई, 2020 (ई–सर्कुलेशन), (4) 27 सितम्बर, 2020, (5) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को पांच आकस्मिक बैठकें आयोजित हुईं। इन बैठकों के दौरान लिए गए निर्णय निम्नवत हैं:

दिनांक 09 अप्रैल, 2020 को आयोजित आकस्मिक बैठक

- आयोग ने नीचे सूचीबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं पर विचार किया तथा उन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक जारी रखने हेतु अनुमोदन दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं जिन्हें जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

क्रम सं.	योजना का नाम	टिप्पणी
1	वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी): 'स्वयं'	
2	सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना	
3	उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं का अध्ययन	
4	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यकों हेतु (अनुशिक्षण योजना) समान अवसर प्रकोष्ठ	(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु उपचारात्मक अनुशिक्षण। (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं। (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा राज्य पात्रता परीक्षा हेतु अनुशिक्षण।
5	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निशक्त व्यक्तियों हेतु योजनाएं	(i) विशेष शिक्षा में शिक्षक का तैयार करना (टीईपीएसई) (ii) निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) (iii) मंद दृष्टि वाले शिक्षक
6	संकाय हेतु वि.अ.आ. अनुसंधान पुरस्कार	(i) बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति (ii) एमिरेटस अध्येतावृत्ति (iii) अनुसंधान पुरस्कार (iv) 'मिड कॅरियर' पुरस्कार (v) स्टार्टअप अनुदान
7	डॉक्टोरल पश्चात् अनुसंधानकर्ताओं हेतु वि.अ.आ. अध्येतावृत्ति	(i) डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (ii) डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (iv) महिलाओं हेतु पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

क्रम सं.	योजना का नाम	टिप्पणी
8	डॉक्टोरल छात्रों हेतु वि.अ.आ. अध्येतावृत्ति	(i) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा–कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एनईटी–जेआरएफ) (ii) एकल बालिका हेतु स्वामी विवेकानंद अध्येतावृत्ति
9	स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वि.अ.आ. छात्रवृत्ति	(i) एकल बालिका हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति (ii) विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (iii) पेशेवर पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (iv) एमई/एमटेक हेतु जीएटीई अर्हता प्राप्त छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
10	स्नातकपूर्व छात्रों हेतु वि.अ.आ. छात्रवृत्ति (ईशान उदय)	
11	नेटवर्किंग संसाधन केंद्र	
12	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
13	निशक्त छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
14	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
15	अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
16	स्वायत्त महाविद्यालय	
17	राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ांचा	(i) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समुदाय महाविद्यालय। (ii) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्नातक (बी.वोक.) को आरंभ किया जाना। (iii) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन एवं कौशल मानव क्षमता व आजीविका उन्नयन केंद्र (कौशल) (दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र)।
18	विश्वविद्यालयों में वि.अ.आ. पीठ	
19	मानव संसाधन विकास केंद्र	
20	स्वच्छ भारत–स्वस्थ्य भारत अभियान	
21	विश्वविद्यालय में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की स्थापना	
22	हिंदी विभागों की स्थापना/उन्नयन	
23	महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु योजना	
24	महाविद्यालय शिक्षकों हेतु यात्रा अनुदान	
25	भारत के युगप्रर्वतक सामाजिक चिंतक	
26	स्ट्रॉइड (भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु अंतर्विषयक अनुसंधान योजना)	
27	ई–विषयवस्तु विकास परियोजना, एनएमई–आईसीटी के तहत सहायता प्रदान किया जाना	
28	भारत की स्वदेशी और संकटापन्न भाषाओं में अध्ययन और अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण सहायता	

क्रम सं.	योजना का नाम	टिप्पणी
29	शैक्षिक और अनुसंधान नीति संघ (केयर)	
30	विशेष सहायता कार्यक्रम	वि.अ.आ. द्वारा उनके कार्यकाल की अनुमोदित अवधि तक (प्रत्येक मामले में) जारी रखने की अनुमति
31	किसी क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए)	वि.अ.आ. द्वारा केवल उनके कार्यकाल की अनुमोदित अवधि तक (प्रत्येक मामले में) जारी रखने की अनुमति
32	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय/उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय	वि.अ.आ. द्वारा केवल उनके कार्यकाल की अनुमोदित अवधि तक (प्रत्येक मामले में) जारी रखने की अनुमति

दिनांक 27 अप्रैल, 2020 की आकस्मिक बैठक

- व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई आयोग की आकस्मिक बैठक में आयोग ने कोविड–19 महामारी और बाद में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देशों को स्वीकार करने का संकल्प लिया। इसके अलावा, आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष महोदय को सुझावों को उपयुक्त तरीके से शामिल करने और इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर जारी करने के लिए प्राधिकृत किया।

दिनांक 08 जुलाई, 2020 की आकस्मिक बैठक

- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा नए सिरे से देने/विस्तार देने के स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वि.अ.आ. के वार्षिक लेखे पर विचारोपरांत अभिपुष्टि की।
- आयोग ने प्रशिक्षु/प्रशिक्षुता अंतःनिहित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया तथा वि.अ.आ. के उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझावों को उपयुक्त तरीके से शामिल किया जाएगा।

दिनांक 21 सितम्बर, 2020 की आकस्मिक बैठक

- विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को हुई आयोग की आकस्मिक बैठक में आयोग ने छोट–मोटे सुझाव के साथ कोविड–19 महामारी के मद्देनजर सत्र 2020–21 के लिए विश्वविद्यालयों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रथम वर्ष के लिए शैक्षिक कैलेंडर से जुड़े दिशानिर्देशों संबंधी रिपोर्ट को स्वीकार करने और अनुमोदित करने का संकल्प लिया। यह भी संकल्प लिया गया कि इन दिशानिर्देशों की कानूनी रूप से समीक्षा की जाए। आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को इन सुझावों को शामिल करने के पश्चात दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और जारी रखने के लिए प्राधिकृत किया।

दिनांक 19 नवम्बर, 2020 की आकस्मिक बैठक

- आयोग ने विद्यमान वि.अ.आ. (उत्कृष्ट संस्थानों को सम विश्वविद्यालय) विनियम/दिशानिर्देश, 2017 की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। आगे यह भी संकल्प लिया गया कि वि.अ.आ. के अध्यक्ष को वि.अ.आ. (उत्कृष्ट संस्थानों को सम विश्वविद्यालय) विनियम/दिशानिर्देश, 2017 में संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत पांच बैठकें हुईं:

दिनांक 14 मई, 2020 को आयोजित 546वीं बैठक

दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित 547वीं बैठक

दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को आयोजित 548वीं बैठक

दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को आयोजित 549वीं बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 2021 को आयोजित 550वीं बैठक

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- *मानदंडों से संबंधित मामले*
- *सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ*
- *विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि*
- *विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान*

दिनांक 14 मई, 2020 को आयोजित 546वीं बैठक

- आयोग ने 'मिड कॅरियर' पुरस्कार और बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति की संशोधित पात्रता मानदंडों के संबंध में क्रमशः 26.10.2018 और 10.04.2019 को आयोजित अपने 88वीं और 91वीं बैठक में वि.अ.आ. की मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने जनवरी, 2020 के शिक्षा सत्र हेतु ओडीएल कार्यक्रमों पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अद्यतन मान्यता स्थिति और वि.अ.आ. की बेवसाइट पर अद्यतन स्थिति अपलोड करने के संबंध में की गई कार्रवाई को नोट किया।
  - आयोग ने वि.अ.आ. (ओडीएल) के तीसरे संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सभी लंबित मामलों को बंद करने को नोट किया।
  - आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थान हेतु प्राप्त शिकायत के मद्देनजर एनआईएमएस विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रस्ताव को लंबित रखने के कारणों को नोट किया। आयोग ने पाया कि राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। आयोग ने यह भी पाया है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली है।
  - तथ्यों पर विचार विमर्श और विचारण के आधार पर कि जनवरी, 2020 का शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है और जुलाई, 2020 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए विनियमों के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु भिन्न पात्रता अपेक्षाएं हैं, इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि एनआईएमएस विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रस्ताव को बंद कर दिया जाएगा।
  - आयोग ने ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अद्यतन मान्यता स्थिति और वि.अ.आ. की वेबसाइट पर अद्यतन स्थिति को अपलोड करने को नोट किया।
  - आयोग ने नोट किया कि शिक्षा सत्र 2020–21 से ओडीएल पेशकश करने हेतु कुल 113 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- आयोग ने ''छात्र कैरियर प्रगति और एलुमनाई नेटवर्क'' संबंधी नीतिगत दस्तावेज पर विचार किया और संकल्प लिया कि विशेषज्ञ समिति से छात्र की कैरियर प्रगति के संबंध में नीतिगत रूपरेखा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाए। कतिपय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सबसे बेहतर अथवा सफल मॉडलों को भी शामिल किया जाए।
- आयोग ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र हेतु सहायक प्रोफेसर हेतु राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एसएलईटी आयोग, असम (उत्तर–पूर्व क्षेत्र), गुवाहाटी को आगे प्रमाणन देने पर विचार और अनुमोदन दिया।
- आयोग ने 'समेकित ज्ञान अर्जन कार्यक्रम संबंधी कार्य (डब्लूआईएलपी)' संबंधी वि.अ.आ. की विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प लिया कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के कार्यान्वयन के बाद इस मुद्दे को उठाया जाए।
- आयोग ने 'विश्वविद्यालय और औद्योगिक संबंधों को समर्थ और सवंर्धित करने' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और संकल्प लिया कि इस 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के कार्यान्वयन के पश्चात इस मुद्दे को उठाया जाए। साथ ही, विश्वविद्यालय–उद्योग संपर्क के सहजीवी संबंध को ध्यान में रखते हुए वित्तीय पहलुओं की पुनःसमीक्षा की जाए।

- आयोग ने वि.अ.आ. के पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजनाओं की दरों की पुनरीक्षा पर विचार कर अनुमोदित किया।
- आयोग ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को आयोजित अपनी पांचवीं बैठक में डीईबी कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।

क. आयोग ने निम्नलिखित मदों (कार्यसूची मद 1.1(1, 2, 3, 4) 1.2(5) और 1.3(1, 2, 3) पर लिए गए निर्णय की अभिपुष्टि की:–

1. ऑनलाइन विनियमों को पुनः तैयार करने के लिए विशेष समिति की सिफारिशें।
2. एआईसीटीई संदेश कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष की हो।
3. 'स्वयं' बोर्ड का यह निर्णय कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान को 'स्वयं' पोर्टल पर कार्यक्रम पेशकश करने के लिए कहा जाए, छात्रों से संग्रहीत शुल्क के 15 प्रतिशत भाग को 'स्वयं' योजना में देने के लिए कहा जाए तथा 'स्वयं' बोर्ड से अनुरोध करने लिए डीईबी कार्य समूह का निर्णय लागू किया जाए ताकि इसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए लागत प्रभावी बनाया जा सके।
4. पीएमओ संदर्भ–ओलंपिक, टोक्यो, 2020 हेतु भारत की तैयारीः खेल विशेषज्ञों के लिए पाठ्यक्रम।
5. सीआईक्यूए मूल्यांकन मानदंड।
6. बीसीआई का निर्णय कि एलएलएम कार्यक्रम को ओडिएल पद्धति में अनुमति नहीं दी जाए।
7. देशभर में जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करना।
8. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्रवाई करना और उसके पश्चात अभिपुष्टि के लिए आयोग के समक्ष रखना।

ख. आयोग ने डीईबी कार्यकारी समूह (कार्यसूची मद संख्या 1.2(1, 2, 3, 4, 6) की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया:–

1. बीसीआई से प्राप्त पत्र के अनुसार ओडीएल पद्धति में किसी भी एलएलएम को वि.अ.आ. द्वारा मान्यता नहीं दिया जाना।
2. वि.अ.आ. द्वारा इसे स्पष्ट करते हुए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सार्वजनिक सूचना और परामर्श जारी करना कि ओडीएल शिक्षा पेशकश करने हेतु केवल वि.अ.आ. मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान ही ओडीएल पद्धति में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम पेशकश सकते हैं।
   आयोग ने निदेश दिया कि इस निर्णय के बारे में अपनी ओर से उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु गठित विशेष समिति को सूचना दी जाएगी।
3. विज्ञान आधारित कार्यक्रमों के संदर्भ में सिफारिशें।
   (i) चूंकि तीसरा संशोधन केवल जून, 2020 में हुआ है, इसलिए दौरा आयोजित करने का कोई मुद्दा नहीं है। तदनुसार, दौरा संबंधी लंबित प्रस्तावों को बंद किया जाए।
   (ii) वर्ष 2018–19 से पांच वर्ष के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता मिली थी, इसलिए विषेशज्ञ समिति का दौरा दिसम्बर, 2020 तक आयोजित किया जा सकता है।
   (iii) विज्ञान आधारित कार्यक्रमों को पेशकश करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु नई अर्हक मानकों को निम्नवत् निर्धारित करना (जिसमें व्यावहारिक अनुभव, प्रायोगिक ढ़ांचे की आवश्यकता होती है):–
      (क) श्रेणी–एक उच्चतर शिक्षा संस्थान
      (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थान जिनके पास नैक का 3.26 या इससे अधिक का स्कोर हो।
      (ग) मुक्त विश्वविद्यालय
      (घ) विज्ञान आधारित कार्यक्रमों को केवल मुख्यालयों से ही अनुमति प्रदान किया जाना।
      (ड.) केवल ऐसे एलएससी को अनुमति दिया जाना जो नैक प्रमाणित हो।

   इन सिफारिशों को जुलाई, 2020 के शिक्षा सत्र से लागू किया जाए।
   तथापि, आयोग ने उपर्युक्त सिफारिश (ii) और (iii) को अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित का संकल्प लिया:–

(i) के लिए– दिसम्बर, 2020 की अंतिम तिथि को कोविड–19 की स्थिति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

(ii) के लिए– निर्णय की सूचना विशेष समिति, जिसे अपनी ओर से उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु गठित की गई है, को दी जाएगी।

4. तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई का बी.एड. के छात्रों को तमिलनाडु विश्वविद्यालय, तंजावुर में भेजने के प्रस्ताव पर खेद प्रकट करना।

5. उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में कोई छूट नहीं प्रदान करना।

- आयोग ने दिनांक 13 फरवरी, 2020 को हुई अपनी छठी बैठक में डीईबी कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।

1. वि.अ.आ. (ओडीएल) विनियम, 2017 और संशोधनों का कार्यान्वयन।

1. दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को हुई 545वीं बैठक में आयोग के निर्णय के अनुसार ओडीएल कार्यक्रमों का पेशकश देने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पात्रता मानदंडों की समीक्षा करना।

आयोग ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में डीईबी कार्य समूह से कहा था कि वे विचारोपरांत तत्संबंधी सिफारिश करे। आयोग ने डीईबी कार्य समूह द्वारा तैयार रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ा विश्लेषण की सराहना की। इस कार्य समूह की अन्य सिफारिशों में से एक सिफारिश कि 'नैक स्कोर के ग्रेड को वर्तमान 3.26 से कम कर 3.01 करने का परामर्श नहीं दिया जाता है।'

आयोग ने यह पाया कि डीईबी कार्य समूह की ये सिफारिशें कोविड–19 से पूर्व हैं और इन्हें कोविड–19 महामारी और निकट भविष्य में इसके संभावित प्रभाव के मद्देनजर वर्तमान प्रचलित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है।

आयोग ने फरवरी, 2020 के अनुसार नैक दर्जे को देखा कि 3.01 से लेकर 3.25 के नैक स्कोर के भीतर 108 उच्चतर शिक्षा संस्थाएं हैं जिनका ब्योरा है कि इसमें 31 सम विश्वविद्यालय, 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 09 निजी विश्वविद्यालय, 51 राज्य विश्वविद्यालय और 02 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। उपर्युक्त ब्यौरे और आयोजित विस्तृत विचार–विमर्श को देखते हुए आयोग ने निम्नलिखित संकल्प लियाः–

(क) चार अंक वाले 'स्केल' पर 3.01 और इससे उपर के नैक स्कोर वाले अथवा एनआईआरएफ की समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में रैंक वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान में कम से कम दो पिछले चरणों (आवेदन के समय) में से कम से कम एक बार उन्हें ओडीएल विनियमों के उपबंधों के अनुसार वि.अ.आ. के पूर्वानुमोदन से ओडीएल कार्यक्रमों को पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी।

नैक अपेक्षा/उपर्युक्त उपबंधों में परिवर्तन केवल एक शिक्षा सत्र (2020–21) के लिए मान्य होगा और इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए बाद में समीक्षा की जाएगी।

(ख) सभी मुक्त विश्वविद्यालय भी ओडीएल विनियमों के उपबंधों के अनुसार वि.अ.आ. के पूर्वानुमोदन से ओडीएल कार्यक्रमों को आरंभ कर सकते हैं।

आयोग ने संकल्प लिया कि उपर्युक्त निर्णयों की सूचना उपयुक्त प्रारूप विनियमों को तैयार करने हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को दी जाएगी, जिसे अगली बैठक में आयोग के समक्ष रखा जाएगा। आयोग ने निम्नलिखित का भी संकल्प लियाः–

(i) जुलाई, 2020 शिक्षा सत्र के लिए पहले से प्राप्त सभी आवेदनों को नए प्रस्तावित समेकित ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को देखते हुए अमान्य माना जाएगा।

(ii) ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित किए जाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति से तत्काल आधार पर अपनी रिपोर्ट को रखने के लिए अनुरोध किया जाए ताकि समेकित विनियमों को समयबद्ध तरीके से अधिसूचित किया जा सके और शैक्षिक वर्ष 2020–21 हेतु इसी वर्ष के जुलाई–अगस्त में नए आवेदन मंगाए जा सके।

(iii) ओडीएल कार्यक्रमों हेतु शिक्षा सत्र में कोविड–19 महामारी के प्रभाव और इसी वर्ष परंपरागत छात्रों हेतु शिक्षा सत्र आरंभ करने के लिए वि.अ.आ. के निर्णय को देखते हुए इस वर्ष को सितम्बर–अक्तूबर, 2020 और फरवरी–मार्च, 2021 से आरंभ होने वाले 12 माह की अवधि के रूप में रखा जाएगा।

2. शिक्षा सत्र 2020–21 से ओडीएल पद्धति के माध्यम से एमबीए/एमसीए/ट्रेवेल एंड टूरिज्म कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सम विश्वविद्यालयों के संबंध में एआईसीटीई सूचना।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि टिप्पणियों/परामर्श के लिए इस मामले को शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाए और उसके पश्चात् उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

3. आरसीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार बी.एड. विशेष शिक्षा और एमएड विशेष शिक्षा की अवधि के संबंध में आरसीआई दिशानिर्देश।

आयोग ने इन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि आरसीआई पत्र को सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को और वि.अ.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अग्रेषित किया जाए।

4. उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा बाह्य पाठ्यक्रम पेशकश करने हेतु प्रावधान।

आयोग ने उन सिफरिशों को अनुमोदित किया कि एक विशेष समिति का गठन किया जाए जिसमें सदस्य के रूप में दो राज्य सरकारों के सचिव हों। तदनुसार, वि.अ.आ. इस मामले में नीतिगत निर्णय ले सके।

5. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा द्वारा शपथपत्र देना और शपथपत्र की शर्तों को चुनौती देते हुए वि.अ.आ. के विरूद्ध लंबित न्यायिक मामला।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि 'वि.अ.आ. के स्थायी अधिवक्ता' से इस मामले को बंद करने और कानूनी मत लेने के लिए अनुरोध किया जाए कि क्या एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा को 2015–16 में शपथपत्र नहीं देकर ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों को चलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। चूंकि एमिटी विश्वविद्यालय ने शपथपत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रावधानों और गैर–मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों को वास्तव में चलाने की चुनौती दी है, इसलिए एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा को दी गई ऑनलाइन मान्यता की प्राप्त कानूनी मत के आधार पर जुलाई, 2020 के शिक्षा सत्र से समीक्षा की जा सकती है।

6. वि.अ.आ. (ओडीएल) विनियम, 2017 के उपबंधों की तुलना में दूरस्थ और मुक्त ज्ञान अर्जन केंद्र में अकादमी और प्रशासन में दो निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली से प्राप्त सूचना।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि 'जेएमआई को केंद्र स्तर पर एक निदेशक रखने के लिए सूचित किया जाए।'

7. जुलाई, 2020 और उसके बाद आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए नए आवेदन देते हुए किसी अन्य श्रेणी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित नए नामकरण से संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करना। आयोग ने 'किसी अन्य श्रेणी' के तहत 28 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त नए 170 कार्यक्रम नामकरण को अनुमोदित किया। आयोग ने उन सिफारिशों को भी अनुमोदित कर दिया कि बीएससी कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, प्राणिविज्ञान आदि जैसे विशेषीकृत कार्यक्रमों की भी अनुमति प्रदान की जाए।

2. वि.अ.आ. (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 का कार्यान्वयन और इसमें संशोधन।

आयोग ने निम्नवत सिफारिशों को अनुमोदित किया:–

(क) दो उच्चतर शिक्षा संस्थानों (अन्ना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय) को जारी आशय पत्रों को आगे संसाधित किया जाए।

(ख) पहले से प्राप्त आवेदनों को भी रद्द किया जाए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कहा जाए कि वे नए विज्ञापन के बदले नए सिरे से आवेदन दें। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित लंबित यात्रा, यदि कोई हो, तो उसे मई, 2020 में पूरा किया जाए।

(ग) जुलाई, 2020 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान (अधिसूचित विनियमों के अनुसार पात्र) से नए आवेदन आमंत्रित किए जाएं।

तथापि, आयोग ने उपर्युक्त सिफारिश (ख) और (ग) को अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित का भी संकल्प लिया:–

(ख) के लिए–मई, 2020 की अंतिम तिथि को कोविड–19 की स्थिति के आधार पर तदनुसार ही बढ़ाया जाए।

(ग) के लिए–अपनी ओर से आवश्यक उपयुक्त आवश्यक करने करने हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति को इस निर्णय की सूचना दी जाए। मई, 2020 की अंतिम तिथि को कोविड–19 की स्थिति के आधार पर तदनुसार ही बढ़ाया जाए।

3. वि.अ.आ.–डीईबी वेबसाइट पर मान्यता हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को अपलोड करना ताकि पारदर्शिता आए।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि शिक्षा सत्र 2020–21 और उसके बाद के सत्रों के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रस्तावों को वि.अ.आ. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

4. अपेक्षित और समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने के लिए डीईबी जनशक्ति को सुदृढ़ करना।

आयोग ने संकल्प लिया कि डीईबी को उपयुक्त तरीके से सुदृढ़ किया जाए।

5. अन्य कोई मद–

(i) एसएमयू के छात्रों से प्राप्त हो रही शिकायतें/अभ्यावेदन।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अग्रेषित की जाने वाली ऐसी सभी शिकायतें/अभ्यावेदनों की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएं।'

(ii) वि.अ.आ. एसईआरओ से प्राप्त पत्र कि अनेक विश्वविद्यालयों के कुछ एसएससी अथवा ज्ञान अर्जन केंद्रों में राज्यों से बाहर के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि वि.अ.आ. सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक परामर्श जारी करे ताकि उनके प्रत्येक एलएससी में मानव संसाधनों सहित अवसंरचना की 'पर्याप्त और उपयुक्तता' सुनिश्चित हो और इन विनियमों के अन्य संगत उपबंधों का अनुपालन भी सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कहा जाए कि वे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का कड़ाई से पालन करें और अपने सभी एलएससी को यह अनुदेश दे कि वे राज्य से बाहर किसी विश्वविद्यालय का एलएससी बने।

जारी किए जाने वाले परामर्श/सूचना को वि.अ.आ. की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। इस निर्णय की सूचना अपनी ओर से उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति को दी जाएगी।

(iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल का निर्णय कि ओडीएल संस्थान के माध्यम से प्राप्त अर्हता परंपरागत विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त अर्हता के समतुल्य है। आयोग ने इस सूचना को नोट किया।

- आयोग ने कॅरियर प्रोन्नति योजना (सीएएस) के तहत पदोन्नति हेतु अनुकूलन कार्यक्रमों हेतु संकाय प्रवेशन कार्यक्रमों के वि.अ.आ.–एचआरडी और समतुल्य में संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (गुरू दक्षता) द्वारा अनुकूलन कार्यक्रमों के प्रतिस्थापन पर विचार कर अनुमोदित किया।
- आयोग ने एक साथ दो उपाधियों/कार्यक्रमों को करने के मुद्दे पर विचार कर इसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने इन विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन उत्कृष्ट संस्थानों हेतु संस्तुत निजी संस्थानों की तैयारी का आकलन करने के लिए ईईसी द्वारा विधिवत् रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक दौरे के संबंध में उत्कृष्ट संस्थानों संबंधी अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।

- आयोग ने कुल सचिव और समतुल्य पदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं संबंधी विनियमों को तैयार करने के लिए वि.अ.आ. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की संशोधित रिपोर्ट को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने दर्जे में विस्तार प्रदान करने पर विचार करने हेतु सम विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों के मूल्यांकन के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ स्थायी समिति पर विचार कर अनुमोदित किया।
- आयोग ने कोविड 19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट पर विचार किया और परिभाषित विचारार्थ विषयों के तहत मुद्दों को उचित तरीके से देखने और कम से कम समय में रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सभापति और सदस्यों द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की।

  आयोग ने तीन विचारार्थ विषयों (टीओआर) में से प्रत्येक के तहत सिफारिशों पर, सुझाव वाली कार्यान्वयन योजना और आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर दिनांक 27.04.2020 को आयोजित गत बैठक से आरंभ होकर अपने विचार–विमर्श को जारी रखा। दिए गए सुझावों की सूचना निम्नवत शीर्षक के अंतर्गत प्रदान की गई:–

  – मिश्रित पद्धति–परंपरागत पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन विषयवस्तु के 40 प्रतिशत तक बढ़ना।
  – क्षमता वर्धन–शिक्षक प्रशिक्षण
  – ऑनलाइन विषयवस्तु की गुणवत्ता
  – स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास
  – शिक्षण ज्ञान अर्जन के वैकल्पिक तरीके
  – पोर्टल/वेबसाइटों पर पाठ्यक्रमों का ब्यौरा
  – आईटी अवसंरचना को तैयार/सहायता करना
  – विनियामक परिवर्तन

  आयोग ने निम्नलिखित के अनुसार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और इसकी सिफारिशों और सुझावगत कार्यान्वयन योजना को अनुमोदित किया:

  टीओअर 1: विशेषरूप से कोविड–19 के कारण पूर्व सावधानी उपाय के रूप में जब सभी शिक्षा संस्थान बंद हों तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए विभिन्न प्रयासों को समेकित कर सवंर्धित करने के तरीके। आयोग ने प्रस्तावित समेकित ई–कंटेंट वाले पोर्टल के शीर्षक 'वन इंडिया वन कंटेंट' में परिवर्तन कर 'वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफार्म' करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत स्वीकार किया और सुझावगत कार्यान्वयन योजना को अनुमोदित किया।

  टीओआर 2: विश्वसनीयता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं को आयोजित करने के तरीके। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और सुझावगत कार्यान्वयन योजना को विचारोपरांत अनुमोदित किया। तथापि, वि.अ.आ. उपयुक्त तरीके से परामर्श तैयार कर सकता है ताकि विवरण स्पष्ट हों और इसके व्याख्या की आवश्यकता न हो। वि.अ.आ. उपयुक्त कार्रवाई हेतु ऑनलाइन शिक्षा/जांच से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार करे।

  टीओआर 3: ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य उपाय की तलाश करना।

  आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और निम्नानुसार सुझावगत कार्यान्वयन योजना को विचारोपरांत अनुमोदित किया:

  (i) ऑनलाइन शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. 'स्वयं' और ओडीएल विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी कार्यक्रम में 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वर्तमान प्रावधान को 'कोविड–19 के दौरान राष्ट्रीय हित' पर विचार करते हुए कार्यान्वयन के लिए और साथ ही ई–संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। विद्यमान विनियमों के अनुसार 40 प्रतिशत (अधिकतम) ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की अनुमेय विषयों में पेशकश की जा सकती है और साथ ही विनियमों के अन्य उपबंधों का पालन किया जा सकता है।

  वि.अ.आ. 'स्वयं' विनियमों में संशोधन करेगा और अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति को उपर्युक्त निर्णय अग्रेषित करेगा।

(ii) ऑनलाइन शिक्षा हेतु मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षण ज्ञान अर्जन प्रक्रियाओं के संबंध में विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रमों को नियमित आधार पर आयोजित किया जाए।

वि.अ.आ. एचआरडीसी ब्यूरो को इस मामले में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

(iii) ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने आगे निम्नलिखित संकल्प लियाः–

(क) कम से कम दो पिछले चरणों (आवेदन के समय) में कम से कम एक बार 3.26 और इससे अधिक के नैक स्कोर अथवा एनआईआरएफ की समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में रैंक वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को वि.अ.आ. के पूर्वानुमोदन के बिना पूर्णक ऑनलाइन कार्यक्रमों को आरंभ करने की अनुमति होगी। यह एचईआई अधिकतम तीन (03) स्नातकपूर्व और दस (10) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को आरंभ कर सकते हैं। यदि यह एचईआई कार्यक्रमों की परिभाषित संख्या से अधिक कार्यक्रम आरंभ करना चाहते हैं तो उन्हें वि.अ.आ. में आवेदन देना होगा। तथापि, एचईआई को आवेदन और अपेक्षित सूचना देनी होगी और समय–समय पर यथा संशोधित ऑनलाइन विनियमों के समग्र उपबंधों का अनुपालन करना होगा तथा वि.अ.आ. को एक शपथपत्र देना होगा।

(ख) चार बिंदु स्केल पर 3.01 से 3.25 नैक स्कोर अथवा पिछले दो चक्रों (आवेदन देने के समय) कम से कम एक बार एनआईआरएफ के समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में रैंक वाले एचईआई को ही ऑनलाइन विनियमों के उपबंधों के अनुसार वि.अ.आ. के पूर्वानुमोदन से पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों को पेशकश करने की अनुमति होगी।

नैक की अपेक्षा/उपर्युक्त उपबंधों में परिवर्तन केवल एक शिक्षा सत्र (2020–21) के लिए ही मान्य होगा और इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।

(ग) नैक के मान्य 3.26 और इससे अधिक स्कोर वाले अथवा भारतीय रैंकिंग के दो चरणों में कम से कम एक बार एनआईआरएफ की समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में रैंक वाले एचईआई को ही अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी दाखिल लेने की अनुमति होगी।

(घ) सभी मुक्त विश्वविद्यालय ऑनलाइन विनियमों के उपबंधों के अनुसार वि.अ.आ. के पूर्वानुमोदन से पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों को भी आरंभ कर सकता है।

(ड.) एचईआई अपनी अवसंरचना और सहायता के आधार पर प्रौद्योगिकी से प्रबंधित परीक्षाओं, कंप्युटर आधारित परीक्षा और पेन–पेपर परीक्षाओं का उपयोग करते हुए पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों हेतु परीक्षाओं को आयोजित कर सकते हैं। 'पेन–पेपर' परीक्षाओं की अनुमति आरंभ में एक वर्ष के लिए दी जाती है और इस मामले में अंतिम निर्णय लेने हेतु बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।

(च) ऑनलाइन कार्यक्रम पेशकश करने वाले एचईआई यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा के सभी अपेक्षित संघटकों सहित ऑनलाइन कार्यक्रम को पेशकश करने वाले निजी सेवा प्रदाता और स्वामी का कोई अधिकार व्यवस्था नहीं हो और विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन केवल एचईआई द्वारा किया जाए।

आयोग ने आगे संकल्प लिया कि उपर्युक्त निर्णयों की जानकारी विशेषज्ञ समिति को दी जाएगी जिसका गठन उपयुक्त प्रारूप विनियमों को तैयार करने हेतु ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने के लिए किया गया है, उक्त निर्णयों को अगली बैठक में आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

वि.अ.आ. के उपाध्यक्ष का विचार था कि ऑनलाइन शिक्षा को वर्तमान 20 प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रावधान को 40–50 प्रतिशत तक बढ़ा कर मिश्रित रूप में तैयार कर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों के संबंध में उनका विचार था कि विद्यमान पात्रता प्रावधानों में छूट प्रदान नहीं की जाए। तथापि, इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श और चर्चा के पश्चात वे आयोग के इस

निर्णय से सहमत हुए कि कोविड–19 महामारी के मद्देनजर 3.01 से 3.25 नैक स्कोर वाले एचईआई को एक वर्ष के लिए ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम पेशकश करने की अनुमति प्रदान की जाए।

आयोग को सूचित किया गया कि वि.अ.आ. ने विचारार्थ विषयों के साथ निम्नवत तीन समितियों का गठन किया है जिनका ब्योरा निम्नवत है:–

(i) ऑनलाइन विनियमों की जांच करने और पुनः तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति।

(ii) ऑनलाइन कार्यक्रमों हेतु अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और मूल्यांकन के संबंध में मुद्दों पर विचार करने हेतु विशेषज्ञ समिति।

(iii) शिक्षा के परंपरागत, ओडीएल और ऑनलाइन तरीके में पेशकश किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिटों की संख्या के संदर्भ में जांच करना और अंतर को कम करने के लिए विशेषज्ञ समिति।

आयोग ने पाया कि इन तीनों विशेषज्ञ समितियों के विचारार्थ विषयों पर ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है और तदनुसार ही उपर्युक्त उल्लिखित समितियों को भंग करने के लिए निर्णय लिए गए।

दिनांक 29 मई, 2020 को हुई 547वीं बैठक

- शिक्षण के मिश्रित तरीके पर विचार करने के संबंध में आयोग के सदस्य प्रो. आर. पी. तिवारी द्वारा दिए गए सुझावों पर विस्तृत रूप में चर्चा और विचार–विमर्श किया गया। यह विचार किया गया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को भी प्रत्येक पाठ्यक्रम के 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ('स्वयं' पाठ्यक्रम के अलावा) को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम शिक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए और संबंधित पाठ्यक्रम के शेष 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम को ऑफलाइन पद्धति से पढ़ाया जा सकता सकता है। 40 प्रतिशत ऑनलाइन और 60 प्रतिशत ऑफलाइन शिक्षण हेतु परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है। यह व्यवस्था 'स्वयं' पाठ्यक्रम के लिए अनुमत्य 40 प्रतिशत ऑनलाइन शिक्षा के अतिरिक्त की जा सकती है। 'स्वयं' पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को आवश्यक रूप से ऑनलाइन पद्धति से कराया जा सकता है।

  आयोग द्वारा यह संकल्प लिया गया कि इस मामले में 'संकल्पना टिप्पण' और कार्य योजना तैयार करने के लिए वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. आर. पी. तिवारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा।

- कोविड–19 महामारी की अवधि तक 15 प्रतिशत 'स्वयं' पोर्टल को निःशुल्क रखने में रियायत देने के संबंध में आयोग के सदस्य डॉ. किरण हजारिका द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा और विचार–विमर्श किया गया और यह संकल्प लिया गया कि 'स्वयं' पोर्टल को शुल्क में छूट देने पर विचार करने हेतु 'स्वयं' बोर्ड से अनुरोध किया जाए।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने बेंगलुरु (कर्नाटक) में ऑफ कैंपस केंद्र आरंभ करने हेतु 'आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन' (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद (तेलंगाना) द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने हेतु गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ अभ्यागत समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद (तेलंगाना) द्वारा बेंगलुरु (कर्नाटक) में 'ऑफ कैंपस' केंद्र आरंभ करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश करने का निर्णय लिया।
- आयोग ने वि.अ.आ. की विशेषज्ञ अभ्यागत समिति की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया और इस शर्त के अध्यधीन कोच्ची (केरल) में जैन (सम विश्वविद्यालय), बेंगलुरु के 'ऑफ कैंपस' केंद्र हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संस्तुत करने का निर्णय लिया कि सम विश्वविद्यालय कोच्ची में 'ऑफ कैंपस' के संबंध में वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेगा।
- आयोग ने वि.अ.आ. की विशेषज्ञ अभ्यागत समिति, एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और एआईसीटीई के परामर्श पर विचार–विमर्श किया तथा अरोड़ा हॉयर एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडेमी के नाम पर (एक) आरोड़ाज् टेक्नोलॉजिलक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उप्पल (हैदराबाद) और (दो) आरोड़ाज् इंजीनियरिग कॉलेज भोंगीर, जिला यदाद्री (ऑफ कैंपस) को नए सिरे वाले श्रेणी में सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय से

संस्तुत करने का निर्णय लिया। यह संस्तुति इस शर्त के अध्यधीन है कि संस्थान इन विनियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 का अनुपालन करेगा।

- आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत श्री मनाकुला विनियागर उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अकादमी (स्मार्ट) के नाम पर श्री मनाकुला विनायागर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मदागड़ीपेट, पुदुचेरी को सामान्य श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति, एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और एआईसीटीई के परामर्श पर विचार और स्वीकार किया और यह निर्णय लिया कि श्री मनाकुला विनियागर उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अकादमी (स्मार्ट), पुदुचेरी को सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिफारिश नहीं करेगा। तथापि, यह संस्थान वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार वि.अ.आ. पोर्टल के माध्यम से 'ऑनलाइन' पुनः आवेदन कर सकता है।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडयुक्त स्वायत्ता प्रदान करने हेतु केवल विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 के श्रेणी–एक के तहत बनस्थली विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), पीओ बनस्थली, राजस्थान के श्रेणीकरण पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने वि.अ.आ.–एनईटी–जेआरएफ के तहत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को दोगुना करने पर विचार किया और संकल्प लिया कि वि.अ.आ.–एनईटी–जेआरएफ योजना में शामिल होने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या की प्रवृति का मूल्यांकन करने और अध्येतावृत्ति के स्लॉट की अधिकतम संख्या को उपयुक्त तरीके से भरने के लिए कार्य करने का सुझाव देने के लिए एक विश्लेषण किया जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के साथ ओडीएल और ऑनलाइन ज्ञानअर्जन, विनियम के समेकन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। आरंभ में आयोग ने अल्पावधि में ही रिपोर्ट तैयार करने और ओडीएल व ऑनलाइन विनियमों को समेकित करते हुए एकल व्यापक विनियमों को तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। आयोग ने प्रस्तावित समेकित विनियमों के विभिन्न उपबंध पर विचार–विमर्श किया। विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् आयोग ने समेकित विनियमों में निम्नलिखित उपबंधों को उपयुक्त तरीके से शामिल करने का संकल्प लियाः

  1. नैक अपेक्षा (वर्तमान 3.26 से प्रस्तावित 3.01, ओडीएल एवं ऑनलाइन) और एनआईआरएफ रैंकिंग के संबंध में कोविड–19 महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों में मद्देनजर केवल एक शिक्षा सत्र (2020–21) के लिए मान्य होगा तथा शिक्षा सत्र 2021–22 और इसके बाद के सत्रों के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी।
  2. 'समग्र' श्रेणी के बदले 'विश्वविद्यालय' श्रेणी से शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों पर विचार करना क्योंकि वि.अ.आ. मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा का कार्य देखता है और एनआईआरएफ के पास उपयुक्त औचित्य प्रदान करते हुए विशेषरूप से 'विश्वविद्यालय श्रेणी' है।
  3. विज्ञान आधारित कार्यक्रमों को आरंभ करने और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के औचित्य के संबंध में।
  4. यथा आवश्यक कानूनी राय पर विचार करने के पश्चात प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों के संबंध में।
  5. उच्चतर शिक्षा संस्थान का दर्जा हटाने के लिए यथा प्रयोज्य केंद्र/राज्य सरकार को सिफारिश करने के साथ परंपरागत तरीके से पेशकश किए जा रहे ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों हेतु मान्यता समाप्त करने सहित इन विनियमों के सभी उपबंधों के अनुपालन से संबंधित किसी उल्लंघन/विचलन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में।

     आयोग ने आगे संकल्प लिया कि विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल करने का अनुरोध किया जाए:

     "देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के विजन के बारे में एक प्राक्कथन अथवा प्रस्तावना, 'ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली' संबंधी उल्लेख, और ओडीएल और ऑनलाइन विनियमों को समेकित करने हेतु औचित्य।"

अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों को अनुरोध किया कि वे इन विनियमों के संबंध में चार दिनों के भीतर अपने सुझाव भेज दें।

आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को राजपत्र में अधिसूचना के लिए समेकित विनियमों को अनुमोदित करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यथा उपयुक्त विभिन्न सुझावों/निर्णयों को शामिल करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया। ऐसी की गई कार्रवाई की आयोग की अगली बैठक में अभिपुष्टि की जा सकती है।

- आयोग ने 'स्वयं' पाठ्यक्रमों (गैर इंजीनियरिंग) के मैपिंग और संबंधित पहलुओं संबंधी वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया और अनुमोदित किया तथा बहुत कम समय में ही रिपोर्ट देने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। यह भी संकल्प लिया गया कि ई–पीजी पाठशाला संबंधी उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मैपिंग किया जाए ताकि विश्वविद्यालयों द्वारा आरंभ की जाने वाली ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली में विशिष्ट रूप से तैयार किए गए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार हों।
- आयोग ने प्रो. हिम चटर्जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग (वि.अ.आ. का चित्र) को विचारोपरांत स्वीकार किया।
- आयोग ने कोविड–19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के पश्चात् विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने के लिए वि.अ.आ. दिशानिर्देशों पर विचार किया और इसके दिशानिर्देशों व इतने कम समय में इन्हें तैयार करने के लिए किए गए वि.अ.आ. के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। आयोग ने दिशानिर्देशों से संबंधित आयोग के सदस्यों की टिप्पणी आमंत्रित करने और इन दिशानिर्देशों में उन्हें उपयुक्त तरीके से शामिल करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष को अंतिम दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हुई 548वीं बैठक

- आयोग ने कोविड–19 महामारी के कारण एक और वर्ष की अवधि अर्थात् 13.06.2021 तक के लिए हिमाचल प्रदेश–एसईटी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिए गए प्रमाणन में विस्तार करने की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने महाविद्यालयों को नए सिरे से स्वायत्ता का दर्जा देने/इसमें विस्तार करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने उत्कृष्ट संस्थानों हेतु संस्तुत निजी संस्थानों की तैयारी का आकलन करने के लिए अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) द्वारा विधिवत् रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक और ऑनलाइन/वर्चुअल दौरे संबंधी ईईसी की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने उत्कृष्ट संस्थान (आईओई) द्वारा नए 'ऑफ कैंपस' की स्थापना पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।

  इसके अलावा, आयोग ने बिट्स, पिलानी को अपने डब्लूआईएलपी कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया। तथापि, बिट्स, पिलानी को इस संबंध में वि.अ.आ. दिशानिर्देशों को, जब भी जारी किया गया हो, उनका कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
- आयोग ने वि.अ.आ. ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट रूपरेखा) विनियम, 2020 को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने दिनांक 30.09.2020 के बाद अंतिम सेमेस्टर/वार्षिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर परीक्षा आयोजित करने के लिए समय विस्तार हेतु ओडिशा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और मेघालय सरकार के अनुरोधों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
  - साथ ही पंजाब सरकार से प्राप्त अनुरोध को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
  - वि.अ.आ. के अध्यक्ष को राज्यों से ऐसे अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया।
- आयोग ने (1) अनुसंधान एवं प्रकाशन की गुणवत्ता में सुधार करने और नवाचारों के बारे में कार्ययोजना (2) शिक्षा संबंधी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसई) (सम विश्वविद्यालय), सरदार शहर, जिला चुरू, राजस्थान के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों की जांच करने के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया।

आयोग को उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसई) (सम विश्वविद्यालय), सरदार शहर, जिला चुरू, राजस्थान के कुछ अद्वितीय और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी गई।

आईएएसई की संकल्पना एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। यह ग्रामीण क्षेत्र के थार मरूस्थल में अवस्थित है और यह ग्रामीणों व महिलाओं को शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह शिक्षा, हिंदी, इतिहास, जीवन विज्ञान और भूगोल एवं प्रबंधन; आयुर्वेद जैसी स्वदेशी ज्ञान प्रणाली एवं मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम पेशकश करता है। यह छात्रों और शिक्षकों को ग्रामीण कल्याण कार्यकलापों के लिए सहायता भी देता है और ग्रामीण परिवेश से परिचय करवाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसई) (सम विश्वविद्यालय), सरदार शहर, जिला चुरू, राजस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश करने का संकल्प लिया।

- आयोग ने नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों/विभागों/संकाय सदस्यों/विद्यालयों को आरंभ करने के लिए सम विश्वविद्यालय संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. की स्थायी समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने 'बेहतर अकादमी अनुसंधान पद्धतियों' के संबंध में दस्तावेज को विचारोपरांत अनुमोदित किया और यह संकल्प लिया कि दस्तावेज में दिए गए बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अपनाया जाए ताकि शैक्षिक संपूर्णता और नीति को बढ़ावा दिया जा सके।

दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को हुई 549वीं बैठक

- आयोग ने आईयूसी–वाईएस, बेंगलुरु को एस–व्यासा और बेंगलुरु विश्वविद्यालय द्वारा उदारता से किए गए भूमि अंशदान की सराहना की।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के बाद वि.अ.आ. योजनाओं को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), सम विश्वविद्याय, पिलानी (राजस्थान) द्वारा पेशकश किए जाने वाले कार्य एकीकृत ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (डब्लूआईएलपी) से संबंधित मुद्दों पर विचार किया और यह संकल्प लिया गया कि:
  1. आयोग के सदस्य एक सप्ताह के भीतर 'कार्य एकीकृत ज्ञान अर्जन कार्यक्रम (डब्लूआईएलपी) हेतु दिशानिर्देश' के संबंध में अपने सुझाव दें।
  2. वि.अ.आ. के अध्यक्ष को 'डब्लूआईएलपी हेतु दिशानिर्देशों' को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
- आयोग ने ''जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नीलिमा मंडल को अधिक भुगतान और अनुचित वित्तीय लाभ दिए जाने' की लेखापरीक्षा के मामले को अवलोकन करने/पुनः जांच करने गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने शिक्षकों और छात्रों को अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति संबंधी दिशानिर्देशों/योजनाओं की पुनरीक्षा करने पर विचार किया और यह संकल्प लिया गया कि:
  1. आयोग के सदस्य एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों और छात्रों से संबंधित अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति संबंधी दिशानिर्देशों/स्कीमों की पुनरीक्षा के संबंध में अपने सुझाव दें।
  2. समिति के अध्यक्ष अन्य समिति के साथ परामर्श कर इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देंगे।
  3. वि.अ.आ. के अध्यक्ष को अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति संबंधी दिशानिर्देशों/स्कीमों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
- आयोग ने वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में संशोधन को विचारोपरांत अनुमोदित किया। आगे यह भी संकल्प लिया गया कि:
  1. वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में प्रस्तावित संशोधनों की विधिक पुनरीक्षा की जाए।
  2. वि.अ.आ. के अध्यक्ष को (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने 'इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स' (आईयूसीएए), पुणे के निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुसंधान समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। प्रो. सोमक राय चौधरी को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।
- आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वि.अ.आ.–डीएई संघ, इंदौर के निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुसंधान समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। प्रो. अमलान ज्योति पाल को वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वि.अ.आ. –डीएई संघ, इंदौर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

(विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान)

- आयोग ने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आरकेएमवीईआरआई), बेलुर मठ, हावड़ा के उप कुलपति का 10.00 करोड़ रूपए की निर्धारित अनुरक्षण अनुदान के अनुरोध पर विचार किया। शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 06.10.2020 के पत्र के आलोक में आयोग ने आज की तिथि के अनुसार 10.00 करोड़ रूपए की राशि अथवा नियमित कर्मचारी पर होने वाले वास्तवित व्यय, वित्तीय वर्ष 2020–21 की आरंभ में जो भी कम हो, का निर्धारित वार्षिक अनुरक्षण अनुदान रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आरकेएमवीईआरआई), बेलुर मठ, हावड़ा को देने पर विचार किया और संकल्प लिया।

(विविध)

- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने एसटीआरआईडीई के संबंध में दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 की पत्र संख्या एफ.8–1/2019–यूआई पर चर्चा की। इस पर सहमति हुई कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा बताए गए अनुसार एसटीआरआईडीई के कार्यान्वयन के संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्णय लिए जाए।

दिनांक 18 फरवरी, 2021 को आयोजित 550वीं बैठक

- आयोग ने चालू वित वर्ष अर्थात् 2020–2021 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) हेतु निधियों की वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन करने और इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए वि.अ.आ. के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की अभिपुष्टि की।
- आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रमों से संबंधित कतिपय मामलों पर वि.अ.आ. के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ की गई निम्नलिखित कार्रवाई की अभिपुष्टि की:
  1. दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की अधिसूचना।
  2. जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाले शैक्षिक वर्ष 2020–2021 की एक वर्ष की अवधि के लिए वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3(क) के अनुसार 34 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने को जारी रखना।
  3. वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के भाग दो के विनियम 3(ख) (क) के अनुसार वि.अ.आ. के पूर्व अनुमोदन के बिना ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के पद्धतियों और उनसे प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन।
  4. मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा पेशकश किए जाने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2020–21 जिसके दाखिले की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 है और दाखिले संबंधी ब्यौरे को अपलोड करने की तिथि 31 जनवरी, 2021 है, के लिए शिक्षा सत्र जुलाई, 2020 (यथा संशोधित सितम्बर–अक्तूबर शैक्षिक सत्र) हेतु दाखिले की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाना।
  5. कार्य समूह के सह–अध्यक्ष के रूप में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव का मनोनयन।
  6. विनियामक प्राधिकारियों/मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ द्वितीय परामर्श बैठक।

7. वि.अ.आ. के पूर्व अनुमोदन के बिना ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए पात्र/छूट प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) हेतु निगरानी तंत्र निरूपित करने के लिए विशेषज्ञ समिति की प्रथम बैठक।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने (1) अनुसंधान और प्रकाशन की गुणवत्ता, और नवाचारों में सुधार लाने के संबंध में कार्य योजना (2) श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी (सम विश्वविद्यालय), अगालाकोट, तुमकुर (कर्नाटक) के कार्यनिष्पादन और अकादमी परिणाम की जांच करने के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी (सम विश्वविद्यालय), अगालाकोट, तुमकुर (कर्नाटक) को दो वर्षों के लिए सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय से सिफारिश करने का संकल्प लिया। इस सम विश्वविद्यालय के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों की वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों के आधार पर दो वर्ष के लिए वार्षिक रूप से समीक्षा की जाए और सम विश्वविद्यालय का दर्जा आगे भी जारी रखने का निर्णय समीक्षा के पश्चात लिया जाए। वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझाव की जानकारी कार्यान्वयन हेतु सम विश्वविद्यालय को दी जाए।
- आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के दर्जा के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली से प्राप्त आवेदन के पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय हेतु राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शांति मार्ग, शिमला हिल, भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदन के पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। संस्थान को बहुविधा सम्पन्न सम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, सेक्टर–26, चंडीगढ़ से प्राप्त आवेदन के पहलू पर नए सिरे से विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। संस्थान को बहुविधा सम्पन्न सम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ब्लॉक–एफसी, सेक्टर–III, सॉल्ट लेक, कोलकाता–700106 से प्राप्त आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया। संस्थान को बहुविधा सम्पन्न सम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- आयोग ने 'एनब्लिंग एंड एनहांसिंग यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री लिंकेज' संबंधी रिपोर्ट को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने ''छात्रवृत्ति उन्नति तथा पूर्व छात्र नेटवर्क'' संबंधी नीतिगत दस्तावेज को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने (1) अनुसंधान और प्रकाशन की गुणवत्ता, और नवाचारों में सुधार लाने के संबंध में कार्य योजना (2) विनायक मिशन्स रिसर्च फाउंडेशन (सम विश्वविद्यालय), सालेम (तमिलनाडु) के कार्यनिष्पादन और अकादमी परिणाम की जांच करने के लिए गठित वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और विनायक मिशन्स रिसर्च फाउंडेशन (सम विश्वविद्यालय), सालेम (तमिलनाडु) को एक वर्ष के लिए सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय से सिफारिश करने का संकल्प लिया। इस सम विश्वविद्यालय के कार्यनिष्पादन और शैक्षिक परिणामों की वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों के आधार पर एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाए और सम विश्वविद्यालय का दर्जा आगे भी जारी रखने का निर्णय समीक्षा के पश्चात लिया जाए। जब तक सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने के हेतु विस्तार नहीं दिया जाए तब तक शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु कोई नया दाखिला नहीं लिया जाए। वि.अ.आ. विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझाव की जानकारी कार्यान्वयन हेतु सम विश्वविद्यालय को दी जाए।

- आयोग ने तमिलनाडु राज्य की ओर से सैट आयोजित करने हेतु अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदम्बरम को प्रमाणन देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्कृत के विकास के लिए विजन और रूपरेखा संबंधी श्री एन. गोपाल स्वामी की रिपोर्ट की सिफारिशों संबंधी कार्य योजना को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने सहायक रजिस्ट्रार को वरिष्ठ वेतनमान (स्केल–11) देने संबंधी योजना के लिए शिक्षा प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने से छूट प्रदान करने को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने उत्कृष्ट संस्थान के लिए संस्तुत जिओ इंस्टीट्यूट, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र (ग्रीन फील्ड, निजी संस्थान) की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) द्वारा विधिवत् रूप से गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक दौरे से संबंधित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित किया।
- आयोग ने वि.अ.आ. की विद्यमान योजनाओं को पांच वर्षों अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने को अनुमोदित किया।
- आयोग ने वि.अ.आ. (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के कतिपय खंडों की व्याख्या को विचारोपरांत अनुमोदित किया और निम्नलिखित संशोधनों के साथ इसे शिक्षा मंत्रालय को अग्रेषित करने का संकल्प लियाः–
  (i) मौजूदा सम विश्वविद्यालयों समय विस्तार/जारी रखने/अभिपुष्टि करने पर विचार करने हेतु नैक प्रमाणन का एक मानदंड होना चाहिए।
  (ii) वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति द्वारा जिन सम विश्वविद्यालय को 'औसत' दर्जा दिया गया है, के सम विश्वविद्यालय का दर्जा केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इन्हें आगे का विस्तार दिए जाने का निर्णय समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
  (iii) वि.अ.आ. की विशेषज्ञ समिति द्वारा 'खराब' की श्रेणी में रखे गए सम विश्वविद्यालय के सम विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लिया जाएगा।
- आयोग ने 13 जनवरी, 2021 को हुई अपनी सातवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई निम्नवत सिफारिशों को विचारोपरांत अनुमोदित कियाः
  1. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में यथा संस्तुत ओडीएल कार्यक्रमों की मान्यता हेतु आवेदनों का संसाधन।
     तथापि, टाइप 5 वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में आयोग ने निर्णय लिया कि विशेषज्ञ समिति के दौरे का समन्वय वि.अ.आ., मुख्यालय से किया जाएगा। विद्यमान कोविड–19 महामारी, कुछ राज्यों में कोरोना की पुनरावृत्ति और बड़ी संख्या में विशेषज्ञ समिति के दौरे (लगभग 45) पर विचार करते हुए आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि इन दौरों को वर्चुअल पद्धति में आयोजित किया जाएगा और तदनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे। तथापि, स्थिति सामान्य हो जाने पर वास्तविक दौरे आयोजित किए जाएंगे।
     आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि यदि प्राप्त आवेदनों के लिए विनियमों द्वारा यथा संस्तुत मूल्यांकन के सभी चरण 31 मार्च, 2021 तक पूरे नहीं किए जाते हैं तो इन पर शिक्षा सत्र जुलाई, 2021 के लिए विचार किए जाएंगे।
  2. शिक्षा सत्र 2021–2022 हेतु नैक/एनआईआरएफ मानदंडों की समीक्षा–जिसे पृथक कार्य मद 2.22 के रूप में विचार किया गया।
  3. आवेदन शुल्क
     आयोग ने यह निर्णय लिया कि आवेदन शुल्क को कार्य समूह द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे वि.अ.आ. के अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिसूचित किया जाएगा। इसे आयोग की अगली बैठक में रिपोर्ट किया जाएगा।
  4. 2023 (ओडीएल) और जनवरी, 2021 (ऑनलाइन) तक के लिए पहले से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा नए विनियमों का अनुपालन।
     आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि पहले से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान (2023 तक (ओडीएल) और जनवरी 2021 (ऑनलाइन) से जुलाई–अगस्त, 2021 शिक्षा सत्र से नए विनियमों के अनुपालन

के लिए कहा जाएगा। तदनुसार ही, ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों से कहा जाएगा कि वे इन विनियमों द्वारा यथा अधिदेशित शपथपत्र दे।

5. स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन पद्धति में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम पेशकश करने के इच्छुक कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान इसके लिए पहले ही वि.अ.आ. का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

6. सीआईक्यूए 2018–19 मूल्यांकन

आयोग ने 23 उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु निम्नवत सिफारिशों को अनुमोदित किया जिन्होंने सीआईक्यूए रिपोर्ट को पूर्ण नहीं किया है:

i. *23 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निर्धारित प्रपत्र में सीआईक्यूए रिपोर्ट एक माह में ऑनलाइन जमा करने के लिए चेतावनी पत्र जारी किए जाएं।*

ii. *इसके बावजूद रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को संबंधित सरकार (केंद्र/राज्य, जैसा भी मामला हो) को एक प्रति भेजते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।*

iii. *इस तथ्य के मद्देनजर कि पहली बार ही गुणवत्ता जांच की गई थी, नए कार्यक्रमों के लिए इन उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रस्तावों को विनियमों के उपबंधों के अनुसार संसाधित किया जाए।*

iv. *मूल्यांकन रिपोर्टों को सतत गुणवत्ता सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ साझा किया जाए।*

7. सीआईक्यूए 2019–20 मूल्यांकन–समयसीमा

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान 31 मार्च, 2021 तक सीआईक्यूए रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करेगा और वर्ष 2018–19 की रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति के अनुसार इन रिपोर्टों को संसाधित किया जाए।

8. मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा फरवरी–मार्च, 2021 (शैक्षिक सत्र 2020–21) हेतु मान्यता प्रदान किए जाने की अंतिम तिथि और पेशकश किए जाने वाले ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिले के संबंध में निर्णय करना।

आयोग ने (कोविड–19 के कारण असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर जनवरी, 2021 से परिवर्तित) शिक्षा सत्र फरवरी–मार्च, 2021 के संबंध में सिफारिशों को अनुमोदित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दी गई मान्यता की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 होगी और दाखिले की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

9. केवल केएसओयू द्वारा ओडीएल कार्यक्रमों को पेशकश करने के संबंध में कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना

आयोग ने उन सिफारिशों को अनुमोदित किया कि ओडीएल कार्यक्रमों की मान्यता हेतु कर्नाटक राज्य से केएसओयू के अलावा सभी प्रस्तावों को संसाधित करने हेतु टिप्पणी करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाए। ऐसे समय तक ऐसे सभी प्रस्तावों को रोक कर रखा जाए।

10. श्रेणी–एक के उच्चतर शिक्षा संस्थानों से संबंधित मामले

आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया:

i. *शिक्षा मंत्रालय को अनुस्मारक भेजा जाए।*

ii. *श्रेणी–एक के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नाम को डीईबी वेबसाइट पर अपलोड करने की पद्धति को रोका जाए।*

iii. *श्रेणी–एक के उच्चतर शिक्षा संस्थान वि.अ.आ. के संबंधित ब्यूरो को उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे विभिन्न अधिकार के उपयोग के बारे में सूचित करे।*

iv. *तथापि, उस सिफारिश कि श्रेणी–एक के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विज्ञापनों/वेबसाइटों में 'वि.अ.आ. मान्यता प्राप्त' न लिखने की सलाह दी जाए, के मामले में आयोग ने निर्णय लिया कि 'वि.अ.आ. मान्यता प्राप्त' लिखने के स्थान पर उच्चतर शिक्षा संस्थान 'वि.अ.आ. पात्र*' लिखे।*

**विनियम (सही शीर्षक के साथ प्रासंगिक) के उपबंध (सही संदर्भ) के अनुसार।*

11. उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम पेशकश करने के संबंध में *आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया:*

    i. *आईओई उच्चतर शिक्षा संस्थान वि.अ.आ. के संबंधित ब्यूरो को उपयोग किए जा रहे विभिन्न अधिकारों की उपयोगिता के बारे में सूचित करे।*

    ii. *तथापि, उस सिफारिश कि आईओई उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विज्ञापनों/वेबसाइटों में 'वि.अ.आ. मान्यता प्राप्त' न लिखने का परामर्श प्रदान किया जाए, के मामले में आयोग ने निर्णय लिया कि 'वि.अ.आ. मान्यता प्राप्त' लिखने के स्थान पर उच्चतर शिक्षा संस्थान 'वि.अ.आ. पात्र*' लिखे।*

    **विनियम (सही शीर्षक के साथ प्रासंगिक) के उपबंध (सही संदर्भ) के अनुसार।*

12. वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को छूट।

    पृथक कार्यसूची मद 2.20 के रूप में विचार किया गया।

13. वि.अ.आ. (ओडीएल) विनियम, 2017 को लागू करने से वेंक्टेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश द्वारा मांगी गई छूट।

    आयोग ने इस मद को कार्य समूह को वापस भेज दिया।

14. डीईबी में अपर्याप्त जनशक्ति

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूरस्थ/ऑनलाइन/मिश्रित पद्धति शिक्षा के भावी तरीके बनने जा रहे हैं और इसमें गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता है, आयोग ने निर्णय लिया कि वि.अ.आ. के सचिव विशेषरूप से डीईबी को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

अन्य कोई मद–

डीईबी कार्य समूह में वीसी, बीआरएओयू को बदलने सहित कम से कम तीन अतिरिक्त विशेषज्ञों को मनोनीत करना।

आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को इन विशेषज्ञों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत किया। इसकी सूचना आयोग की अगली बैठक में दी जाएगी।

- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, वि.अ.आ. अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के संबंध में आईसीटी संवर्ग, इंजीनियरिंग सेवा संवर्ग सहित वैज्ञानिक पदों से जुड़े दिशानिर्देशों और न्यूनतम अर्हता को तैयार करने तथा पदोन्नति के अवसर के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विचार किया और समाप्त किए जाने वाले संवर्गों के लिए पदोन्नति के अवसर सृजन हेतु वि.अ.आ. द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की तथा उचित विचार–विमर्श के बाद समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को इन संवर्गों में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अर्हता, अनुभव, कार्यनिष्पादन मानकों आदि सहित दिशानिर्देशों/विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई), एनआईसी, सीएसआईआर और अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति का विस्तार करने के लिए प्राधिकृत किया।
- आयोग ने जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की असंगति के मामलों पर विचार किया और सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा यह महसूस किया कि इन शिक्षकेत्तर पदों को शिक्षण पदों अर्थात् सहायक प्राध्यापक में परिवर्तित करते समय विदेश और अन्य प्रसिद्ध संस्थानों से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि समिति को 'रिसर्च एसोसिएट' और शोध अधिकारियों को सहायक प्राध्यापक में रखने हेतु इन मामलों पर विचार करने के लिए मानदंडों/शर्तों अर्थात् (अनुसंधान/शिक्षण अनुभव/अनुसंधान दिशानिर्देश आदि) संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए कहा जाए। यह भी संकल्प लिया गया कि कार्यान्वयन से पूर्व इस प्रस्ताव को सहमति के लिए शिक्षा मंत्रालय के पास भेजना जाए।
- आयोग ने प्रारूप वि.अ.आ. (उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) योजना की स्थापना और परिचालन) विनियम, 2021 पर विचार–विमर्श किया और वि.अ.आ. (उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक बैंक ऋण (एबीसी) योजना की

स्थापना और परिचालन) विनियम, 2021 को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सुझाव दिया कि खंड 7.1 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएः–

"जो संस्थान नैक की अपेक्षा को पूरा नहीं करते और शैक्षिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) योजना में शामिल होने को इच्छुक हैं, वे आयोग को अपना अनुरोध भेज सकते हैं जिन पर आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों को एबीसी योजना में भागीदारी करने हेतु ऐसी संस्थानों की पात्रता संबंधी निर्णय के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।"

आयोग ने आगे संकल्प लिया कि वि.अ.आ. द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का चयन किया जाए जो प्रगति, चुनौतियों और हितधारकों की प्रतिप्राप्ति पर विचार करते हुए कोई मध्यवर्ती सुधार करने के लिए समवर्ती मूल्यांकन के भाग के रूप में उठाए जाने वाले कदमों की निगरानी और सुझाव दे।

- आयोग ने वि.अ.आ.–नेट में बैठने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य सीए/सीएस/आईसीडब्लूए अर्हता पर विचार करने हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नवत् संकल्प लियाः

  "सीए/सीएस/आईसीडब्लूए अर्हता को पीजी डिग्री के समतुल्य माना जाए।"

- आयोग ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय हेतु वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की प्रयोज्यता पर विचार किया और नोट किया कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को वि.अ.आ. (ओडीएल) विनियम, 2017 तथा वि.अ.आ. (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 को लागू करने से पहले ही छूट प्रदान कर दी गई है।

  विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात तथा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को दी गई पूर्व की छूट के अनुक्रम में आयोग ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50) के तहत स्थापित विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली को वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की राजपत्र अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 04 सितम्बर, 2020, शिक्षा सत्र 2020–2021 और अगले आदेश तक इसे लागू करने से छूट देने का निर्णय लिया।

- आयोग ने वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एनईआई) हेतु मान्यता अवधि पर विचार किया और इस मामले में प्राप्त दो कानूनी मतों पर विचार–विमर्श किया। कानूनी मतों पर विचार–विमर्श करते हुए तथा मद संख्या 2.22 के तहत लिए गए निर्णय के मद्देनजर आयोग ने संकल्प लिया कि वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों को पेशकश करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु मान्यता अवधि पांच वर्ष होगी।

- आयोग ने शिक्षा सत्र 2021–22 (जुलाई 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) और इसके बाद के सत्रों के लिए ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों का पेशकश करने के लिए अपेक्षित पात्रता से संबंधित नैक स्कोर और एनआईआरएफ रैंकिंग की समीक्षा की और वि.अ.आ. विनियम, 2020 में उल्लिखित पात्रता के लिए निम्न उपबंधों की टिप्पणी कीः

  विनियमों के उपबंध 3(क) और 3(ख) की पात्रता शर्तों का ब्योरा *".....बशर्ते नैक और एनआईआरएफ रैंकिंग अपेक्षा केवल शिक्षा सत्र 2020–2021 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) के लिए मान्य होगा और शिक्षा सत्र 2021–2022 (जुलाई, 2021 से आरंभ होने वाले सत्र) और उसके पश्चात् के सत्रों के लिए आयोग द्वारा बाद में समीक्षा की जाएगी:....."*

  आयोग ने दिनांक 15.02.2021 की स्थिति के अनुसार नैक दर्जे को भी नोट किया अर्थात् कुल 185 एचईआई के पास 3.01 के समतुल्य अथवा इससे अधिक का नैक रैंक है (3.01–3.25: 109 एचईआई; 3.26–3.50: 37 एचईआई; > = 3.51: 39 एचईआई)।

  उपर्युक्त और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान नैक/एनआईआरएफ बैंचमार्क को केवल जनवरी, 2021 (केवल फरवरी–मार्च शिक्षा सत्र के लिए) के लिए ही, पहुंच और निष्पक्षता में बढ़ोतरी हुई है और जीईआर बढ़ाने तथा दूरस्थ/ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशें लागू की गई है, आयोग ने इस पर व्यापक विचार–विमर्श किया और निर्णय लिया कि राजपत्र में छपे विनियमों में यथा उल्लिखित ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों को पेशकश करने हेतु नैक

स्कोर एवं एनआईआरएफ रैंकिंग से संबंधित पात्रता अपेक्षाएं अगले तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के लिए वहीं रहेंगी। तत्पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 (जुलाई 2024 से आरंभ होने वाले सत्र) और उसके बाद के सत्रों के लिए इनकी समीक्षा की जाएगी।

- आयोग ने गैर–तकीनीकी संस्थानों (एनआईआईएमटी) में शिक्षकों के संरक्षण के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करेगा और संकल्प लिया कि एक सप्ताह के भीतर आयोग के सदस्यों से टिप्पणी लिए जाएंगे तथा वि.अ.आ. के अध्यक्ष को इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया।
- आयोग ने जब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित वि.अ.आ. विनियम तथा उच्चतर शिक्षा में मानको को बनाए रखने के उपाय लागू थे, तो सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अवकाश के नकदीकरण का लाभ प्रदान करने पर विचार किया तथा वि.अ.आ. विनियम, 2010 के लागू रहने के समय सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों हेतु अवकाश नकदीकरण लाभ को अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी वि.अ.आ. विनियम में संशोधनों को अधिसूचित करने और शिक्षा मंत्रालय से सहमति प्राप्त होने पर उच्चतर शिक्षा, 2018 में मानकों को बनाए रखने के उपायों के लिए वि.अ.आ. अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों/विभागों/संकायों/विद्यालयों के आरंभ करने हेतु सम विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित वि.अ.आ. की स्थायी समिति की सिफारिशों को विचारोंपरांत स्वीकार किया।
- आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संकाय द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अनुसंधान संस्कृति में सुधार लाने के लिए नए ज्ञान और रणनीतियों के सृजन' के संबंध में बलराम समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा एमफिल/पीएचडी विनियमों से संगत एनईपी, 2020 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के भीतर आयोग के सदस्यों से टिप्पणी प्राप्त करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को रिपोर्ट और विनियमों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने उन्नत भारत अभियान (यूबीए) के अंतर्गत समुदाय आधारित भागीदारी पूर्ण अनुसंधान (सीबीपीआर) हेतु मुख्य प्रशिक्षक के रूप में संकाय के क्षमतावर्धन हेतु वि.अ.आ. क्षेत्रीय केंद्रों संबंधी प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार–विमर्श किया और एक सप्ताह के भीतर आयोग के सदस्यों से टिप्पणियां आमंत्रित करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वि.अ.आ. के अध्यक्ष को आयोग के सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया।
- आयोग ने संकाय पुनश्चर्या कार्यक्रम (एफआरपी) के तहत चयनित संकायों की स्थिति को नोट किया और संकल्प लिया कि एफआरपी के विनियमन का एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि पांच वर्षों के बाद कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के साथ उनकी सेवा के नियमित दर्जे के साथ एफआरपी–2 के रूप में इस योजना को पुनरूज्जीवित किया जाए।

1.7 विशेष कार्यकलाप/पहल

दिनांक 03 अप्रैल, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे छात्रों, संकाय सदस्यों, शोधार्थियों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और अन्यों के साथ दिनांक 05 अप्रैल, 2020 को 9 बजे रात्रि में 9 मिनट के लिए अपनी देखभाल से जुड़े दिशानिर्देशों, आरोग्य सेतु एप और लाइटों को बंद कर मोमबत्ती, दिये को जलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के अपील को साझा करें और प्रचारित करें और उन्हें कोविड–19 से लड़ने एवं सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम लाभ लेने व हमारे संकल्प में भागीदार बनने में समर्थ बनाएं। (एफ. 1–1/2020 (सचिव)

दिनांक 05 अप्रैल, 2020

आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुरोध करते हुए परामर्श जारी की कि वे छात्रावासों अथवा छात्रावासों के बाहर रह रहे छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित निवारक और पूर्व सावधानी उपाय करें क्योंकि हम कोविड–19

महामारी से जूझ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोविड–19 और उसके बाद की अवधि के दौरान छात्र समुदायों की किन्हीं मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक चिंताओं को दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण है।

छात्र समुदाय को अपने अध्ययन, स्वास्थ्य और संबंधित मामलों की तुलना में व्याप्त स्थिति में किसी प्रकार का दबाव अथवा घबराहट से बचना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मानसिक स्वास्थ्य, मनो–सामाजिक पहलुओं एवं छात्रों की कुशलता के लिए उपाय करना चाहिए। (फा. सं. 1–1/2020 (सचिव))

दिनांक 10 अप्रैल, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निम्नलिखित लिंकों को साझा करने के लिए परामर्श जारी किया और सभी शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, छात्रों और समाज से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित आयोग्य सेतु एप को डॉउनलोड करने का आग्रह किया:

*एंड्रायड: **http://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasety***

*आईओएस: **http://apps.apple.com/in/app/aarogyasety/id 1505825357***

*इस एप को निम्नवत से भी स्कैन कर डॉउनलोड किया जा सकता है: **http://www.mygov.in/aarogya-setu-app/** (डी.ओ. संख्या1.1/2020 (सचिव)*

दिनांक 11 अप्रैल, 2020

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत में ई–लर्निंग को आगे बढ़ाने और ऑनलाइन शिक्षा में तेजी लाने के लिए छात्रों और शिक्षकों सहित शिक्षण भ्रातृत्व से सुझाव आमंत्रित करते और विचारों को साझा करते हुए ''भारत पढ़े ऑनलाइन' नामक एक अभियान आरंभ किया है। इसे दो तरह से किया जा सकता है: एक तो ट्विटर पर लॉग इन कर और **#BharatPadheOnline and tagging @HRDMinistry & @DrRPNishank** का उपयोग कर सुझावों/विचारों को साझा कर तथा दूसरा **bharatpadheonline. mhrd@gmail.com** पर ईमेल भेज कर किया जा सकता है। (फा. सं. 1–4/2020(सीएम)।*

दिनांक 20 अप्रैल, 2020

वि.अ.आ. ने 'सेल्फ–प्लेगरिज्म' के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया: भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हितों में, राष्ट्रों के बीच भारतीय शोध को बढ़ावा देने और विश्वसनीयता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वि.अ.आ. ने समय–समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। साहित्यिक चोरी को रोकने के अपने प्रयासों में वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक निष्ठा को बढ़ावा व साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 जारी किया ताकि साहित्यिक चोरी वाले कार्य को मूल्यांकन में कोई विश्वसनीयता अथवा महत्व नहीं प्राप्त हो। (एन.एफ. 1–1/2020(सचिव)

दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 26 मार्च, 2019 की सार्वजनिक सूचना सं. एफ–1–8/2016 (जेएस/एफ/सीपीपी–II) के अनुसरण में सभी संबंधित संस्थानों को सूचित किया कि वि.अ.आ. की योजना दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी। (एफ. 1–8/2016 (सीपीपी–II)पीटी)

दिनांक 29 अप्रैल, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि उसने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ''कोविड–19 महामारी और बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर संबंधी दिशानिर्देश तैयार किया है।'' वि.अ.आ. के दिशानिर्देश परामर्श स्वरूप के हैं जिसमें परीक्षा, शैक्षिक कैलेंडर, प्रवेश, ऑनलाइन शिक्षण–ज्ञान अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण आयाम शामिल है और इसमें विश्वविद्यालयों द्वारा अंगीकार करने का लचीलापन दिया गया है। विश्वविद्यालय पारदर्शी तरीके से इन दिशानिर्देशों को स्वीकार और लागू कर सकते हैं।

इसे दोहराया गया कि विश्वविद्यालयों को इन दिशानिर्देशों को स्वीकार और कार्यान्वयन करते हुए सभी संबंधित लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए एवं निवारक उपायों हेतु प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सभी हितधारकों के बेहतर हितों को ध्यान में रखना चाहिए। (अ.शा. सं. एफ. 1–1/2020 (सचिव)

दिनांक 04 मई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि नोवल कोरोना महामारी से चल रही लड़ाई में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, शोधकर्ता और लोग इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को सुसज्जित करने हेतु कई नवाचारों के साथ आ रहे हैं। उनके शोध निष्कर्षों के माध्यम से उनके प्रयास और योगदान प्रशंसनीय है। तथापि, ऐसे शोध और निष्कर्षों को संग्रहीत करने, लाभ उठाने और व्यापक रूप से प्रसारित करने के लिए एक विश्वसनीय मंच की आवश्यकता है। हाल ही में, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय अथवा एनडीएलआई ***(http://ndl.iitkgp. ac.in/ and https://ndl.gov.in/)*** *जिसे आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है, के माध्यम से ''कोरोना महामारीः घर से अध्ययन'' जिसमें शैक्षिक और अनुसंधान सामग्री निहित है, नामक विशेष संग्रहण सृजित किया है ताकि छात्र और संकाय महामारी लॉकडाउन के दौरान लगातार विषयवस्तु तक पहुंच रख सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी खड़गपुर ने अपनी तरह का पहला समेकित कोविड–19 अनुसंधान संसाधन कोष को भी जारी किया है जिसे भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय* ***(http:// ndl.iitkgp.ac.in/)*** *के माध्यम से देखा जा सकता है।*

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और उनके संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परामर्श प्रदान किया जाता है कि वे अपनी संस्थानों के ईमेलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने छात्रों, संकाय सदस्यों, अनुसंधानकर्ताओं, नवाचार कर्ताओं और कर्मचारियों के साथ समेकित कोविड–19 अनुसंधान संसाधन कोष संबंधी ब्यौरे को साझा करें (अ.शा.पत्र संख्या एफ.1–1/2020 (सचिव)।

दिनांक 04 मई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर संबंधी वि.अ.आ. दिशानिर्देश परामर्श स्वरूप के हैं और तदनुसार विश्वविद्यालय इन दिशानिर्देशों को अंगीकार और कार्यान्वित करते हुए सभी संबंधित लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारे हितधारकों की सुरक्षा और हित को ध्यान में रखते हुए अपने क्रियाकलापों की योजना बना सकते हैं।

कोविड–19 के कारण देशभर में लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इंटर्नशिप और अन्य संबंधित क्रियाकलापों हेतु निम्नलिखित उपाय भी कर सकते हैं।

1. *छात्रों को उन क्रियाकलापों सहित 'ऑनलाइन प्रशिक्षुता/क्रियाकलापों' को करने की अनुमति प्रदान करना जिन्हें डिजिटल रूप में अथवा अन्य तरीके से घर से ही किया जा सकता है।*
2. *उन्हें चल रही परियोजनाओं के लिए इंटर्न के रूप में कार्य में प्रवृत्त करना।*
3. *प्रशिक्षुता को प्रारंभ किए जाने की तिथि में विलम्ब।*
4. *समनुदेशन आदि के साथ शामिल करते हुए प्रशिक्षुता की अवधि को कम करना (अ.शा. पत्र सं. एफ 1–1/2020 (सचिव))*

दिनांक 10 मई, 2020

वि.अ.आ. ने कोविड–19 महामारी से संबंधित शिकायतों का निवारण के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। वि.अ.आ. ने कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के प्रश्नों, शिकायतों और अन्य शैक्षिक मामलों की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. *एक समर्पित हेल्पलाइन नम्बर: 011-23236374 की स्थापित किया गया।*
2. *एक ईमेल एड्रेस: **covid19help.ugc@gmail.com** को तैयार किया गया है।*
3. *छात्र **https://www.ugc.ac.in/grievance/student reg.aspx** पर वि.अ.आ. के विद्यमान छात्र शिकायत निवारण पोर्टल पर अपनी शिकायतों को भी रख सकते हैं।*
4. *छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों की चिंताओं/शिकायतों की निगरानी करने और तदनुसार उनके निवारण के लिए वि.अ.आ. में एक कृतक बल का गठन किया गया है। (सं. एफ. 1–1/2020 (सचिव)।*

दिनांक 20 मई, 2020

वि.अ.आ. ने वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए निःशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। वि.अ.आ. ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईएफडब्लूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वर्ष 2018–19 और 2019–20 हेतु निःशक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफपीडब्लूडी) के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया था। इस योजना के अंतर्गत एमफिल/पीएचडी की डिग्री के लिए अनुसंधान करने वाले दिव्यांग छात्रों को अध्येतावृत्ति दी गई जो छात्र निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995' के अंतर्गत शामिल हैं। (फा. सं. 6–3/2019 (एसए–।।।)

दिनांक 21 मई, 2020

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एम.फिल/पीएचडी की डिग्री देने के लिए अनुसंधान हेतु ''राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग अध्येतावृत्ति'' (एनएफओबीसी) देने के लिए अभ्यर्थियों की पहचान के लिए चयन प्रक्रिया में संशोधन किया था। यह संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 01.04.2019 अर्थात् चयन वर्ष 2019–20 से प्रभावी था। संशोधित चयन प्रक्रिया के अनुसार–''छात्रों को अध्येतावृत्ति दिए जाने हेतु चयन प्रत्येक वि.अ.आ.–नेट–जेआरएफ अथवा सीएसआईआर–नेट–जेआरएफ परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। (फा. सं. 44–1/2018 (एसए–।।।)

दिनांक 26 मई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि यदि उन्होंने पहले से नहीं कर रखा है तो प्राथमिकता रूप से दिनांक 30 मई, 2020 तक छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तत्काल स्थापित करे। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों द्वारा गठित कृतक बल से छात्रों और हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध तरीके से अग्रसक्रिय उपाय करने के लिए कहा जाए। विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि छात्रों व उच्चतर शिक्षा संस्थान/सरकारों के बीच कोई संप्रेषण अंतर न हो। (सं. फा. 1–1/220 (यूजीसी–टीएफ–कोविड–19–परामर्श)

दिनांक 27 मई, 2020

आयोग ने सभी सम विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सम विश्वविद्यालय संस्थान को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी रूप में अर्थात् विज्ञापन, वेबसाइट पते, लेटर हेड, सूचना, होर्डिंग आदि में सम विश्वविद्यालय के साथ विश्वविद्यालय शब्द के उपयोग से बचे, ऐसा नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बदले, संस्थान के साथ प्रत्यय में कोष्टक में 'सम विश्वविद्यालय' जोड़ सकता है। (सं. एफ. 1–1/2020 (सीपीपी–I/डीयू)

दिनांक 27 मई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि व्याप्त असाधारण कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय वार्षिक/सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के संबंध में सहानुभूति पूर्ण विचार करे और यदि संभव हो तो स्थिति के सामान्य होने तक छात्रों को भुगतान का वैकल्पिक माध्यम दिए जाने पर विचार करें। यदि आवश्यक हो तो, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय छात्रों से वर्तमान कोविड–19 महामारी के मद्देनजर एक सुविचारित रूप में शुल्क के भुगतान के संबंध में प्राप्त व्यक्तिगत अनुरोध, यदि कोई हो, पर भी विचार करे। (अ.शा. पत्र सं. एफ. 1–1/2020/वि.अ.आ. (टीएफ–कोविड–19/शुल्क)

दिनांक 09 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार देशभर में डिजिटल भुगतान को संवर्धित करने और डिजिटल भुगतान के तरीके को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

'भारत बिल पेमेंट सिस्टम' भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसी) द्वारा चालित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकल्पित एक प्रणाली है जिसमें ग्राहकों के लिए आवृत्ति भुगतान सेवाओं का एकीकृत, सुगम्य और अंतःपरिचालन योग्य प्रणाली है। भारत बिल पेमेंट डिजिटल भुगतान में समर्थकारी सभी भुगतानकर्ताओं के लिए सरलतम पद्धति है। इससे नकदी रखने के प्रशुल्कों को

कम करने में सहायता मिलेगी और सरल व समयबद्ध समन्वय में सहायता मिलेगी जिससे परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। (अ.शा. सं. 14–15/2017 (सीपीपी–II)

दिनांक 09 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत को सम्मेलनों और अभिसमय के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्य आरंभ किया है। विकसित किए जा रहे एक केंद्र के साथ देशभर में विद्यमान सम्मेलनों और अभिसमय केंद्रों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे वि.अ.आ. के विश्वविद्यालय कार्यकलाप निगरानी पोर्टल में ऐसे ''सम्मेलन और अभिसमय केंद्रों'' के बारे में ब्योरा दें। (अ.शा. संख्या 14–3/2019 (सीपी–II))

दिनांक 16 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति (पीएमआरएफ) योजना को संस्वीकृत कर दिया है। इस योजना को देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2018–19 के बजट में की गई थी। आकर्षित अध्येतावृत्ति के साथ इस योजना में अनुसंधान में बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित करने का प्रावधान है जिससे कि नवाचार के माध्यम से विकास के विजन को पूरा किया जा सके। जो संस्थान पीएमआरएफ पेशकश कर सकते हैं उनमें सभी आईआईटी, सभी आईआईएसईआर, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, विज्ञान और/अथवा प्रौद्योगिकी डिग्री पेशकश करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय/एनआईटी शामिल हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों में हैं। अभ्यर्थियों को चयन कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक राष्ट्रीय अभिसमय के माध्यम से उपयुक्त तरीके से की जाएगी। शैक्षिक वर्ष 2020–21 से आरंभ करते हुए अभ्यर्थी निम्नवत दो माध्यमों से पीएमआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं: (1) सीधी भर्ती चैनल और (दो) पार्श्व भर्ती चैनल। (अ.शा. 14–23/2018 (सीपीपी–II)

दिनांक 18 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे सामाजिक दूरी पर ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाएं, क्योंकि कोविड–19 महामारी के कारण समूह में एकत्रित होना संभव नहीं है, ताकि छात्रों और संकाय सदस्यों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और दबाव को कम करने के लिए परिवार के साथ घर में योग करने में प्रोत्साहित किया जा सके। इसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रयोग से वीडियो को अपलोड कर और ऑनलाइन भागीदारी को सुकर बनाने के लिए किया जा सकता है। (अ.शा. सं. एफ. 14–13/2015 (सीपीपी–II)

दिनांक 19 जून, 2020

वि.अ.आ. ने डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरेट अध्येतावृत्ति योजना हेतु चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन अभ्यर्थियों के लिए 'अवार्ड लेटर' जारी करने की तिथि से कार्यग्रहण की अवधि में तीन माह से छह माह तक समय विस्तार दिया है, जो अभ्यर्थी डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट डाक्टोरेट अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत 85वीं, 86वीं और 87वीं सूची के तहत चयनित हुए हैं। (सं. एफ. 4–2/2006 (बीएसआर)

दिनांक 24 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करें। पर्यटन मंत्रालय 'देखो अपना देश' शीर्षक से वेबिनारों का अयोजन कर रहा है। इन वेबिनारों में अपने देश के इतिहास, मूर्त और अमूर्त धरोहर, भोजन, कला, शिल्प आदि को दर्शाया जाता है। इन वेबिनारों का यूट्यूब लिंक पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट ***http://tourism.gov.in/ ij "DehkhoApnaDesh Webinars."*** *शीर्षक के साथ उपलब्ध है। (अ.शा. सं. 14–9/2019 (सीपीपी–II)*

दिनांक 24 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय जल मिशन ने राज्यों में और राज्यों के भीतर जल संरक्षण, न्यूनतम बर्बादी और समवितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ''वर्षा जल संचयन'' नामक एक अभियान को आरंभ किया है। यह

अभियान वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु मानसून के आने के पूर्व वर्षा जल संरक्षण ढ़ांचे (आरडब्लूएचएस) सृजित करने हेतु सभी हितधारकों को प्रेरित करने के लिए है।

विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त वर्षा जल संरक्षण ढ़ांचा (आरडब्लूएचएस) सृजित करें ताकि भूजल जलदायी स्तर को पुनः भरने के लिए बड़ी मात्रा में वर्षा जल का संरक्षण किया जा सके। (अ.शा. सं. 15/2017 (सीपीपी–II)

दिनांक 25 जून, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में लिंग संबंधी संवेदनशीलता प्रकोष्ठ/महिला अध्ययन केंद्र कोविड–19 परिस्थितियों के मद्देनजर लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में वेबिनारों/वीडियो सम्मेलन आयोजित करे। (फा. सं. 11–6/2020 (जीएस)

दिनांक 08 जुलाई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने अपने दिनांक 06 जुलाई, 2020 को कोविड–19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर संबंधी वि.अ.आ. के संशोधित दिशानिर्देशों' को जारी किया है। विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के अंत तक टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन को पूरा करें।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 16–16/2020–यूआईए के तहत परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किया है जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने कोविड–19 की स्थिति के मद्देनजर किए जाने वाले उपायों के साथ परीक्षा आयोजित करने हेतु विस्तृत एसओपी तैयार किया है जिसकी विधिवत् जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। (अ.शा. संख्या एफ. 1–1/2020 (सचिव)

दिनांक 09 जुलाई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एडब्लूएससी के तहत प्रदत्त कोष के उपयोग की निगरानी करते हुए निर्णय लिया कि अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं और वंचन के आधार पर उनके कल्याण के लिए विशिष्ट और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में ''शैक्षिक सहायता कार्यक्रम'' आरंभ किए जाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक सुरचित परीक्षा के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक कमियों की पहचान की जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षिक सहायता कार्यक्रम तैयार किए जाएं। (अ.शा. संख्या एफ. 1–6/2020 (एससीटी)

दिनांक 18 जुलाई, 2020

आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिए टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संबंध में प्रेस प्रकाशनी जारी कीः परीक्षाएं शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न भाग है और यह छात्रों के ज्ञान अर्जन, ज्ञान, कौशल और अन्य क्षमताओं का आंकने का एक पैमाना है। परीक्षा में प्रदर्शन प्रवेश, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य प्रत्याशा हेतु मेरिट, आजीवन विश्वसनीयता, व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है।

अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों सहित बड़ी संख्या में विश्व भर के बेहतरीन विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन/ऑफलाइन/मिश्रित अथवा अन्य वैकल्पिक परीक्षाओं को आयोजित किया है अथवा आयोजित कर रहे हैं।

वैश्विक रूप से अपने शैक्षिक और कॅरियर प्रोन्नति से संबंधित छात्रों के व्यापक हित की रक्षा करने के लिए वि.अ.आ. ने दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें इसका उल्लेख है कि टर्मिनल सेमेस्टरों के छात्रों/अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को दिनांक 1 से 15 जुलाई, 2020 के बीच कराया जा सकता है।

कोविड–19 महामारी की उभरती स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 2020 के माह में परीक्षाओं का आयोजन करना कठिन था, इसलिए, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निर्देशों के अनुसार वि.अ.आ. ने दिनांक 06 जुलाई, 2020 को परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को जारी किया।

तदनुसार, विश्वविद्यालयों को कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ऑफलाइन (पेन एंड पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन + ऑफलाइन) पद्धति से सितम्बर, 2020 के अंत में टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा करने की योजना बनाए जाने की आवश्यकता थी। इन दिशानिर्देशों में यह भी उल्लिखित था कि यदि टर्मिनल सेमेस्टर/अंतिम वर्ष का कोई छात्र किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने में असमर्थ है तो उन्हें ऐसे पाठ्यक्रमों/प्रपत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं मं बैठने का अवसर दिया जाए जिसे यथासंभव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाए ताकि छात्र को कोई असुविधा नहीं हो। वि.अ.आ. ने दिनांक 8 जुलाई, 2020 के पत्र के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यथा संस्तुत परीक्षाओं के आयोजन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की भी सूचना दी।

हाल ही में विश्वविद्यालयों को परीक्षा के आयोजन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया। 945 विश्वविद्यालयों (वि. अ.आ. के पास दिनांक 01 जून, 2020 तक की सूची के अनुसार) में से 755 विश्वविद्यालयों (120 सम विश्वविद्यालय, 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 321 राज्य विश्वविद्यालय) से प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली गई।

755 विश्वविद्यालयों में से निम्नवत विश्वविद्यालयों ने या तो परीक्षा आयोजित कर ली है अथवा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इनके ब्यौरे निम्नवत हैं:

(i) *विश्वविद्यालयों ने पहले ही (ऑनलाइन/ऑफलाइन) परीक्षा आयोजित की है;*

(ii) *366 विश्वविद्यालय अगस्त/सितम्बर में (ऑनलाइन/ऑफलाइन/मिश्रित रूप में) परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।*

इसके अतिरिक्त, 27 निजी विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना वर्ष 2019–20 से लेकर आज की तिथि तक हुई है, में उनके प्रथम बैच अंतिम परीक्षा के लिए अभी पात्र नहीं हुए हैं।

दिनांक 22 जुलाई, 2020

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरेल अध्येतावृत्ति के आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन माह की छूट दी है। यह छूट दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक प्राप्त सभी लॉगइन पासवर्ड अनुरोधों के लिए प्रयोज्य होगी। (सं. फा. 4–2/2018 (बीएसआर)

दिनांक 22 जुलाई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि वे सभी संबंधितों के ध्यान में यह सूचना लाए और इसका व्यापक प्रसार करें कि खान मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना प्रस्ताव को दिनांक 22.08.2020 तक सत्यभामा पोर्टल ***(research.mines.gov.in)*** *पर ऑनलाइन सौंपे जाने के लिए आमंत्रित किया है। (अ.शा. सं. 14–15/2011(सीपीपी–II) पीटी–I*

दिनांक 30 जुलाई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है और यह भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन अर्थात् श्रावण पूर्णिमा जो इस वर्ष सोमवार 03.08.2020 को है, के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की। संस्कृत विश्वविद्यालयों के संघ ने भारत में सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों में शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2020 से गुरूवार, 06 अगस्त, 2020 तक 'संस्कृत सप्ताह समारोह' का आयोजन कर 'विश्व संस्कृत दिवस' मनाने का निर्णय लिया है। संस्कृत विश्वविद्यालयों के संघ ने यह अनुरोध किया है कि 'संस्कृत सप्ताह समारोह' का आयोजन अन्य सभी विश्वविद्यालयों में भी किया जाए। (सं. एफ. 14–4/2019(सीपीपी–II)

दिनांक 31 जुलाई, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया है कि देश में शिक्षा में आमूल–चूल सुधार हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए दिनांक 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अनुमोदित किया गया।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों को एनईपी 2020 के बारे में जागरूकता सृजित करें और विभिन्न हितधारकों के साथ एनईपी, 2020 की विभिन्न नीतिगत विशिष्टताओं

और निहितार्थों पर चर्चा करें। इसके अतिरिक्त उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सभी हितधारकों तक पहुंच बनाने के लिए एनईपी 2020 के प्रसार में विभिन्न सोशल मीडिया (ट्विटर, वॉट्सएप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब आदि) और साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करें।

दिनांक 5 अगस्त, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर एक सम्मेलन' के आयोजन के बारे में सूचित किया है। इस सम्मेलन का शुभारंभा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2020 को किया गया।

दिनांक 11 अगस्त, 2020

उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षकों के प्रमाणपत्रों को न रखने के संबंध में गम्भीर रूख अपनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि कई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान शिक्षकों के साथ रोजगार अनुबंध करते समय मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका आदि एकत्रित करते हैं और बाद में उन दस्तावेजों को अपने पास ही रखते हैं। जब शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ कर जाते हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता शिक्षण संस्थानों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को अपनी बेहतर संभावनाओं को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वे समय पर अपने दस्तावेजों को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन मामलों पर के संबंध में, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि कोई भी नियोक्ता उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अपने अधिकार में किसी भी शिक्षक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में नहीं रखेगा, ऐसा करना शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के समान है। इसके अलावा प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों) को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए नियोजन अनुबंध जारी करना होगा। (फा.सं.14–12/2019(सीपीपी–II)

दिनांक 17 अगस्त, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को सूचित किया कि शिक्षा मंत्रालय से पत्राचार प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोविड–19 परीक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि परीक्षण केंद्रों को अतिरिक्त आरटी–पीसीआर मशीन लगाकर और सुदृढ़ किया जाए। ऐसी मशीनें बड़ी संख्या में हैं जो विभिन्न विभागों के तहत शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के पास उपलब्ध हैं और आरटी–पीसीआर परीक्षण करने में सक्षम हैं तथा वर्तमान में किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि जिला अस्पताल और सरकारी प्रयोगशालाओं में ऐसी मशीनों को अस्थायी रूप से लगा कर प्रतिदिन लगभग 60,000 परीक्षणों की अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया जा सकता है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानाों और अनुसंधान संस्थानों से अनुरोध किया गया था कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक कोविड–19 परीक्षण करने वाले जिला अस्पताल और सरकारी प्रयोगशालाओं में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के परामर्श से इन संस्थानों में मशीनों को लगाए जाने को सुकर बनाएं। (अ.शा. सं. 1–4/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 02 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.2017 के वर्ष 2006 के डब्ल्यूपीसी संख्या 292/2006 में दिए गए आदेश के अनुपालन में अपने–अपने विश्वविद्यालयों/संघटकों और संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने के बारे में सूचित किया है।

क) प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान देते समय और प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुपालन की सूचना देते समय नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 के प्रावधान का

अनुपालन। इसके लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती हुए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या की सूची मुख्य आयुक्त और/या राज्य आयुक्त (जैसा भी मामला हा) को प्रस्तुत करनी होगी। यह मुख्य आयुक्त के साथ–साथ राज्य आयुक्त का भी कर्तव्य होगा कि वह यह जांच करे कि क्या इन शिक्षण संस्थानों ने उपरोक्त दायित्व को पूरा किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 के साथ–साथ अन्य प्रावधानों के तहत चूक करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक भवनों के लिए पहुंच मानकों के रूप में अधिसूचित निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित परिवेश के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्थान संबंधी मानकों को अपनाना। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत पहुंच कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।

ग) दिव्यांगजनों की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक आंतरिक समिति का गठन करने के साथ–साथ योजनाओं का कार्यान्वयन।

घ) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना। (अ.शा. सं. 6–1/2018(एससीटी)

दिनांक 03 सितंबर, 2020

वि.अ.आ. ने शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त निदेश के मद्देनजर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में जानकारी प्रदान करें। (सं.एफ.51–1/2020(आईसी)

दिनांक 10 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे से निपटने और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने संबंधित संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन करने को कहा है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संस्थानों में गठित आंतरिक शिकायत समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार विनियमन, 2015) के अनुसार काम कर रही है। उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से यह भी अनुरोध किया गया था कि 'सक्षम' पोर्टल पर 'जेंडर ऑडिट' का अनुपालन ऑनलाइन भरें। (अ.शा. सं. –91–3/2020(जीएस)

दिनांक 14 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने संबंधी कदमों की लगातार निगरानी कर रहा है और उनसे निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध करता है:

- *अधिकारियों/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।*
- *विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक 'पेज' तैयार कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए कुल सचिव/प्रधानाचार्य कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं, यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो अधिकारियों को दोषी अधिकारी/संकाय सदस्यों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।*
- *विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय या वर्ग या छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें।*
- *विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित कर सकता है। (अ.शा. पत्र सं. एफ. 1–7/2011(एससीटी)*

दिनांक 17 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ''आत्मनिर्भर भारत'' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई पहलों और सुधारों की घोषणा की है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बनाई गई गति को बनाए रखना भी इन पहलों में से एक पहल है।

'स्वयं' के अलावा, कुछ एडटेक कंपनियां एमओओसी प्रदान करती हैं, छात्र इन पाठ्यक्रमों में शामिल होकर अपने ज्ञान और कौशल को और बेहतर बनाते हैं। कई उच्चतर शैक्षिक संस्थानों ने अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की हैं।

महामारी के दौरान ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उत्पन्न गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध है कि वे क्रेडिट ट्रांसफर के लिए 'स्वयं' पाठ्यक्रम को अपनाएं और छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण सामग्री का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, लोकप्रिय बनाएं और प्रोत्साहित करें। (सं.एफ.1–11/2020(पत्र एवं नोटिस/स्वयं)

दिनांक 22 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि आयोग ने दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को आयोजित अपनी आकस्मिक बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर ''कोविड–19 महामारी के मद्देनजर 2020–21 के सत्र के लिए विश्वविद्यालयों के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के पहले वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों'' को मंजूरी दी।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों को अपनाएं और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केंद्र/राज्य सरकार, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए समय–समय पर जारी आवश्यक परामर्श/मार्गनिर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए हर प्रकार से तैयार रहे। (अ.शा. सं. एफ. 1–1/2020 (सचिव)

दिनांक 22 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के एक तिहाई भूमि क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण (एफटीसी) में रखने की परिकल्पना की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में एफटीसी के तहत दो तिहाई भूमि को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने यूएनसीसीडी एण्ड सीओपी, नई दिल्ली (2019) में न केवल 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने के लिए और वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्धता की है।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय वर्तमान वर्ष के दौरान और आने वाले वर्षों में सभी प्रकार की उपलब्ध भूमि पर अधिकतम वृक्षारोपण कर सकता है। (अ.शा. पत्र सं.14–2/2016 (सीपीपी–II)

दिनांक 24 सितंबर 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक ऐसा परिवेश तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कहा है जो देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'जेंडर चौंपियंस' की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु समान व्यवहार को बढ़ावा देता हो और ''शैक्षिक संस्थानों में जेंडर चौंपियंस के लिए दिशानिर्देश'' को तेजी से लागू करता हो। (सं.एफ. 91–2/2014(जीएस) पीटी.–1

दिनांक 25 सितंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को दिनांक 29 जुलाई, 2020 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था जिससे देश में शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 31 जुलाई, 2020 को हितधारकों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक परामर्श पत्र जारी किया और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

के विभिन्न नीतिगत विशेषताओं और निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए वेबिनार और संबंधित ऑनलाइन गतिविधियों का संचालन करने का अनुरोध किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर 'शिक्षक दिवस', अर्थात् दिनांक 5 सितंबर, 2020 से दिनांक 25 सितंबर, 2020 तक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न विषयों/सुधारों/पहलों को शामिल किया गया।

*'विद्या भारती' के सहयोग से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर दिनांक 25 सितंबर, 2020 से दिनांक 02 अक्तूबर, 2020 तक एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रतियोगिता, 'माई एनईपी प्रतियोगिता' (**www.MyNEP.in**) का आयोजन किया और छात्र और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर तथा अन्य व्यक्तियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र सं. एफ1–1/2020 (सचिव)*

दिनांक 01 अक्तूबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार दिनांक 5 से 9 अक्तूबर, 2020 तक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट' पर एक आभासी सम्मेलन (रेज़ 2020) का आयोजन कर रही है जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 05 अक्तूबर, 2020 को किया जाना है। (अ.शा. सं. 14–3/2019(सीपीपी–II)

दिनांक 06 अक्तूबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया कि इनफिलबबेट केंद्र के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की सेवाओं का लाभ उठाएं क्योंकि नोवेल कोरोना महामारी के विरुद्ध चल रही लड़ाई में शिक्षकों और छात्रों की नियमित शिक्षण/शैक्षणिक क्रियाकलापों को नुकसान हुआ है। इस माध्यम की विशेषता ई–पीजी पाठशाला (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–एमओई की प्रमुख ई–सामग्री परियोजनाओं में से एक) के तहत विकसित इसके 'प्री–लोडेड पीजी' पाठ्यक्रम हैं। (फा.सं.: 1–42/2020 (वेबसाइट)

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि वे इस वर्ष दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 से दिनांक 2 नवंबर, 2020 तक ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' विषय पर उचित तरीके से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएं तथा इसे मनाते समय कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकॉल/सलाह को ध्यान में रखें। (अ.शा. पत्र सं. एफ.30–57/2012(सीवीओ)

दिनांक 20 अक्तूबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, (एनएमआई), नई दिल्ली द्वारा दिनांक ''22 अक्तूबर 1947 की स्मृतियां'' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा 'पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के आक्रमण' पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और संस्थानों से ऑनलाइन प्रदर्शनी देखने के लिए संगोष्ठी में शामिल होने के लिए छात्रों के साथ लिंक साझा करने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र सं.14–3/2019(सीपीपी–II)

दिनांक 28 अक्तूबर, 2020

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उचित अकादमिक अनुसंधान व्यवहार (जीएआरपी) पर वि.अ.आ. के मार्गदर्शी दस्तावेज के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिससे शोध गुणवत्ता प्रदर्शन के मानको को बढ़ाने और व्यक्तियों, संस्थानों और देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसे **https:www.ugc.ac.in/e-book/grap_29092020/mobile/index.html** पर देखा जा सकता है। (एफ.सं.1–25/2019(क्यूआईपी)(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में बेहतर अकादमिक अनुसंधान पद्धतियाँ)*

दिनांक 28 अक्तूबर, 2020

आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार 31 अक्तूबर को पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष अवसर (राष्ट्रीय एकता दिवस) के रूप में मनाती है ताकि हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के प्रति हमारे समर्पण को बल मिल सके। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से दिनांक 31 अक्तूबर, 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने तथा इसे मनाते समय कोविड–19 पर राष्ट्रीय/राज्य दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया।(अ.शा. पत्र सं. 14–25/2018(सीपीपी–II)

दिनांक 05 नवंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की एक सिफारिश यह है कि एक प्रतिष्ठित और सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा 'मेंटरशिप' की एक प्रणाली विकसित की जाए। प्रतिष्ठित शिक्षकों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और उनके संकायों को 'विद्वान' पोर्टल और भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क सिस्टम' (आईआरआईएनएस) पर रजिस्टर करना होगा, इन दोनों पोर्टल का रखरखाव सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क सेंटर (इनफ़िलबनेट) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा किया जाता है। (अ.शा. पत्र संख्या 25–5/2011 (आईयूसी)

दिनांक 05 नवंबर, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध किया कि वे ''कोविड–19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुनः से खोलने हेतु स्थानीय परिस्थितियों और सरकारी अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों'' को अंगीकार करें। इन दिशानिर्देशों में परिसरों को पुनः खोलने से पहले किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन दिशानिर्देशों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी जांच की गई है और इन्हें गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। (अ.शा. पत्र संख्या 14–8/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 19 नवंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि संविधान दिवस मनाए जाने का एक महत्वपूर्ण भाग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है और इसकी विचारधारा को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। इस वर्ष केवडिया, गुजरात में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री दिनांक 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11.00 बजे संविधान की प्रस्तावना के वाचन का नेतृत्व करेंगे। विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों से अनुरोध किया गया कि वे अपने संबंधित कार्यालयों/स्थानों से दिनांक 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में माननीय प्रधानमंत्री के साथ शामिल हों । (अ.शा. पत्र संख्या नंबर 14–22/2015 (सीपीपी–II)

दिनांक 25 नवंबर, 2020

इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक 26 नवंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का डीडी न्यूज द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों से प्रस्तावना पढ़ने में भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया।

दिनांक 03 दिसंबर, 2020

वि.अ.आ. ने 'टर्मिनल एम.फिल/पीएचडी' छात्रों के लिए शोध प्रबंध जमा करने की तिथि को बढ़ाए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोविड–19 महामारी के कारण, विश्वविद्यालय पिछले कई माह से बंद हैं। शोधार्थियों के व्यापक हित में, टर्मिनल एम.फिल/पीएचडी छात्रों, जिन्हें दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक शोध प्रबंध जमा करने थे, इस अवधि को विश्वविद्यालय द्वारा छह माह और अर्थात दिनांक 30 जून, 2021 तक बढ़ाया जा सकता है। दो सम्मेलनों में प्रकाशन और प्रस्तुति के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, छह माह का और समय भी दिया जा सकता है। तथापि, एम.फिल/पीएचडी की अध्येतावृत्ति का कार्यकाल समान (5 वर्ष) ही रहेगा। (सं.एफ.1–10/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 03 दिसंबर, 2020:

वि.अ.आ. ने सार्वजनिक सूचना संख्या एफ 1–21/2020(डीईबी–1) दिनांक 29.10.2020 के क्रम में मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा सितंबर–अक्तूबर शिक्षा सत्र, 2020–21 के लिए करवाए जा रहे ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी की। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह सूचित किया गया कि सितंबर–अक्तूबर शिक्षा सत्र 2020–21 के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को दिनांक 30 नवंबर, 2020 से बढ़ाकर दिनांक 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है। (अ.शा. पत्र संख्या एफ.1–62/2019 (वेबसाइट)

दिनांक 04 दिसंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 03 अक्तूबर, 2020 को रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी सुरंग, जिसमें गाड़ी चलाई जा सकती है, 'अटल टनल' को राष्ट्र को समर्पित किया। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित, यह 9.02 किमी लंबी है। सुरंग का निर्माण अत्यंत कठिन और प्रतिकूल जलवायु में किया गया है, जिसमें अर्ध–अनुप्रस्थ वेंटिलेशन, स्काडा नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुरंग प्रौद्योगिकी में नवीनतम और सर्वोत्तम प्रणालियों का उपयोग किया गया है। इस इंजीनियरिंग उपलब्धि से मनाली और लेह के बीच यात्रा के समय में 4–5 घंटे की कमी आने की आशा है।

सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों के बीच इस इंजीनियरिंग उपलब्धि और तकनीकी चमत्कार–'अटल टनल' के बारे में बताते हैं और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी आवश्यक कोविड–19 परामर्श, दिशानिर्देशों/निर्देशों का सख्ती से पालन करके उन्हें इस सुरंग की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। (एफ 1–45/2020 (ई–गव)

दिनांक 05 दिसंबर, 2020

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिसर्च फेलोशिप के वितरण के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान विद्वानों और छात्रों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति जारी करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. *पूर्व में, शोध अध्येतावृत्तियां तिमाही आधार पर वितरित की जाती थी लेकिन शोधार्थियों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मासिक भुगतान की व्यवस्था आरंभ की गई।*
2. *लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान में विलम्ब से बचने और अध्येतावृत्तियों को पारदर्शी तरीके से वितरित करने के लिए, भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति अर्थात् सीधे शोधार्थियों के बैंक खातों में, के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।*
3. *कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, उन शोध विद्वानों के लिए भी मासिक भुगतान करने का निर्णय लिया गया, जिनके डाटा की मासिक पुष्टि उनके संस्थानों द्वारा केनरा बैंक पोर्टल पर अद्यतन नहीं की जा सकी। इसलिए, अप्रैल, 2020 से, सभी पात्र शोधार्थियों के लिए संस्थानों से मासिक पुष्टि की आवश्यकता पर बल दिए बिना भुगतान किया जा रहा है, जिनकी मासिक पुष्टि जनवरी, फरवरी और मार्च, 2020 के किसी भी या सभी माह के दौरान अर्थात लॉकडाउन अवधि से पहले पोर्टल पर प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, भुगतान उन लाभार्थियों के लिए भी जारी किया जाता है जो पोर्टल पर अपनी मासिक पुष्टि को चिह्नित कर पाये हैं।*
4. *यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मासिक अध्येतावृत्ति अक्तूबर, 2020 तक जारी कर दी गई है।*
5. *नवंबर, 2020 के माह के लिए शोध अध्येतावृत्ति का भुगतान प्रक्रियाधीन है और जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।*
6. *अध्येतावृत्ति के समय पर वितरण किए जाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया को और सरल बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। यदि शोधार्थी को मासिक अध्येतावृत्ति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वह:*
   - *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ईमेल आईडी **fellowshiphelpline.ugc@gmail.com** पर लिख सकता है; अथवा*
   - *सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर 1800111657 के माध्यम से संपर्क कर सकता है। (फा.सं. 82–50/2020)*

दिनांक 07 दिसंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि बजट घोषणा के अनुरूप और नए स्नातकों को आवश्यक ज्ञान दक्षता और दृष्टिकोण के साथ रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार ने बड़े उच्चतर

शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित सामान्य डिग्री कार्यक्रम में प्रशिक्षुता को जोड़ने के लिए प्रशिक्षु अंतर्निहित डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश जारी किए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र संख्या 4–6/2020(एनएसक्यूएफ)

दिनांक 07 दिसंबर, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 की सम संख्या की सार्वजनिक सूचना के अधिक्रमण में वि.अ.आ. (मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम के विनियम एस 3(क) के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 की एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता जारी रखने के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची अद्यतन करने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। (फा.सं.1–15/2020(डीईबी–I)

दिनांक 08 दिसंबर, 2020

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) को संयुक्त रूप से, विज्ञान भारती (विभा) के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन दिनांक 22 से 25 दिसंबर 2020 तक नई दिल्ली में आभासी पद्धति से किया गया। उत्सव के समग्र विषय ''आत्मनिर्भर भारतीय के लिए विज्ञान'' के अनुरूप दिनांक 23 से 24 दिसंबर 2020 को एक कार्यक्रम–सह प्रतियोगिता 'नव भारत निर्माण' (एनबीएन) आयोजित किया जा रहा है । आयोजन एनबीएनः आईआईएसएफ 2020 उन सभी इच्छुक प्रतिभागियों के लिए एक प्रतिबिंबित मंच प्रदान करेगा जो कुछ समस्याओं के समाधान के रूप में अपनी परियोजनाओं/मॉडलों/प्रदर्शनों को बढ़ावा देकर राष्ट्र विकास का भाग बनना चाहते हैं और राष्ट्रीय हित में इसके परिणामस्वरूप ज्ञान का आदान–प्रदान और विचारों के उभरने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया कि वे कृपया इस कार्यक्रम को छात्रों/वैज्ञानिकों/अनुसंधान विद्वानों के ध्यान में लाएं और उन्हें दिनांक 15 दिसंबर, 2020 से पहले आईआईएसएफ 2020 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनबीएन कार्यक्रम के तहत अपने नवीन विचारों/परियोजनाओं/मॉडल पहचाने गए पूर्ण सत्रों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। (अ.शा. पत्र संख्या 1–1/2020 (सचिव)

दिनांक 17 दिसंबर, 2020

आयोग ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए सत्र 2020–21 के लिए विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए शैक्षणिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के बारे मे सभी विश्वविद्यालयों को बताया जिसमें यह प्रावधान है कि लॉकडाउन और इससे संबंधित घटकों के कारण अभिभावकों को जिन वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे बचने के लिए एक विशेष मामले के रूप में इस सत्र में दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक छात्रों के दाखिले/स्थानांतरण को रद्द किए जाने पर संपूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसे और स्पष्ट करने के लिए दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक दाखिले का रद्द करने/स्थानांतरण के कारण हुए भुगतान को पूरे प्रभार सहित वापिस कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक छात्रों से एकत्रित पूरे शुल्क में से 1000 रुपये तक प्रसंस्करण शुल्क के रूप में काटकर पूरी राशि वापिस की गई। (संख्या एफ. 14–17/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 10 जनवरी 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को सूचित किया कि वह छात्रों संकाय सदस्यों तथा अन्य हितधारकों को दिनांक 11 जनवरी 2021 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव 2021 में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। (संख्या एफ.1–1/2021 (सचिव)।

दिनांक 11 जनवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि महान भारतीय युवा आदर्श, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2021 को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस

समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव के साथ–साथ राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव (एनवाईपीएस) भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए साथ में लाना तथा उस अवसर को एक लघु–भारत बनाकर, उन्हें एक मंच प्रदान करना है, जिससे वे औपचारिक तथा अनौपचारिक परिवेश में अपनी सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाते हुए आपस में विचार–विमर्श कर सकें। राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव आगामी वर्षों में सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न कैरियर अपनाने वाले 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को एक मंच प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम को देखने तथा राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में भाग लेने के लिए छात्रों, संकाय सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों प्रेरित करने का अनुरोध किया गया। (संख्या एफ. 1–1/2021 (सचिव)।

दिनांक 13 जनवरी, 2021

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालयों में पूर्व छात्र प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में एक पत्र जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन के अनुरूप भारत सरकार ने भारत को एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य बनाने के प्रयास किए हैं। पूर्व छात्र किसी संस्थान को एक मजबूत सहयोग प्रदान करते हैं। एक सक्रिय पूर्व छात्र संघ शैक्षिक मामलों छात्र सहयोग और संसाधन जुटाने में विशेष योगदान दे सकता है। विदेश में रहने वाले पूर्व भारतीय छात्र तथा पूर्व विदेशी छात्र वित्तीय या गैर वित्तीय सहायता देने और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की छवि सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक ऐसी संस्कृति तैयार करने की आवश्यकता है जिससे पूर्व छात्र पुनः जुड़ सकें और संस्थान की छवि अच्छी बनाने का माध्यम बन सके और उनके योगदान को मान्यता प्राप्त हो सके।

तदनुसार, विदेश में रह रहे भारतीय और विदेशी 'पूर्व छात्रों' से संपर्क में रहने के लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल 'एलुमनी कनेक्ट' आरंभ की गई है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान कई कार्यकलाप कर सकते हैं जैसेः–

1. *पूर्व छात्र प्रकोष्ठ की स्थापना करना और विदेश में रह रहे भारतीय और विदेशी दोनों पूर्व छात्रों का एक डेटाबेस तैयार करना।*
2. *संस्थान की नवीन पहलों से संबंधित जानकारी पूर्व छात्रों के साथ साझा करना।*
3. *उन्हें सम्मेलन/वेबिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना ।*
4. *'नेटवर्किंग गेट–टुगेदर' आयोजित करना (कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।*
5. *संस्थान की छवि अच्छी बनाने के लिए सहायता देने और समग्र विकास के लिए विशिष्ट पूर्व छात्रों को सम्मान देना।*
6. *विभिन्न अवसरों पर ईमेल/एसएमएस भेजे जा सकते हैं।*

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से एक पूर्व छात्र प्रकोष्ठ स्थापित करने और ऊपर लिखित कार्यकलापों सहित अन्य कार्यकलाप आयोजित करने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र संख्या 1–8/2021 (आईसी)

दिनांक 13 जनवरी, 2021

विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय की स्थापना के संबंध में वि.अ.आ. ने एक पत्र जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भारत को एक वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में दर्शाने और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ गहन अकादमिक और शोध सहयोग आरंभ करके देश में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने पर बल दिया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना करना भारत में उच्चतर शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय बनाने का एक अभिन्न अंग है। यह कार्यालय विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे

1. *विदेशी छात्रों का स्वागत करने और उनको सहयोग देने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना।*
2. *भावी विदेशी छात्रों के बीच दाखिले की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।*

3. *विदेशों में अच्छी छवि बनाने संबंधी अभियान और संस्थान को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलाप आरंभ करना।*
4. *विदेशी संस्थानों के साथ सभी सहयोगात्मक कार्यकलाप करने के लिए एक ही स्थान पर संपर्क सुविधा।*
5. *विदेशी छात्रों और प्रायोजक एजेंसी के बीच संपर्क निकाय के रूप में कार्य करना।*
6. *सभी मामलों में विदेशी छात्रों की शिकायतों को दूर करना।*
7. *एफआरआरओ/ई–एफआरआरओ के साथ पंजीकरण के लिए एक ही स्थान पर संपर्क सुविधा तैयार करना।*
8. *साथी छात्रों के साथ नेटवर्किंग को सुगम बनाना।*
9. *विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने और भारत में उनके प्रवास को आरामदायक और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना (अ.शा. पत्र संख्या 152–8/2021(आईसी)*

दिनांक 13 जनवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार आने वाले दिनों में कोविड–19 वैक्सीन लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीकाकरण कार्यक्रम के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित सभी हितधारकों के सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है।

टीकाकरण कार्यक्रम को आरंभ करने के अभियान का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालयों को अपने नेटवर्क और अन्य मंचों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। (अ.शा. पत्र संख्या 14–1/2021(सीपीपी–II)

दिनांक 18 जनवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित योजनाओं के तहत छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है:

1. *परिवार में एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (एसजीसी)।*
2. *विश्वविद्यालय रैंक धारक अभ्यर्थी के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (यूआरएच)।*
3. *उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए ईशान उदय विशेष योजना (एनईआर)।*
4. *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (पीजीएसपीआरओएफ)।*

*राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (**http:schoalrships.gov.in**/) को आवेदन प्राप्त करने के लिए दिनांक 01 सितम्बर, 2020 को खोला गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 30 अक्तूबर, 2020 तक थी। यह अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी और बाद में इसे दिनांक 20 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया। प्रत्येक योजना के दिशानिर्देश भी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। (अ.शा. पत्र संख्या एफ.82–32/2020(एसए–III)*

दिनांक 20 जनवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि हमारे महान राष्ट्र के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अद्वितीय योगदान को मनाने के लिए, भारत सरकार दिनांक 23 जनवरी, 2021 से आरंभ होने वाली उनकी 125 वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त तरीके से मनाने जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को ''पराक्रम दिवस'' के रूप में मनाया जाए और देश के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को, नेताजी की तरह विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता के साथ सामना करने और उनमें देशभक्ति की भावना को अंतर्निविष्ट किया जाए।

नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने और उसे याद रखने के लिए, यह अनुरोध किया गया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कोविड–19 को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए दिनांक 23 जनवरी, 2021 से दिनांक 23 जनवरी, 2022 तक कई गतिविधियों का आयोजन करके इस अवसर को मनाएं। (एफ.सं. 1–1/2021(सचिव)

दिनांक 22 जनवरी, 2021

वि.अ.आ. ने जून, 2018 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए स्नातकोत्तर डिग्री पूरा करने की अवधि को बढ़ाये जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के लिए पात्रता शर्तों के अनुसार, जो अभ्यर्थी अपनी स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं या वे अभ्यर्थी जो अपनी स्नातकोत्तर डिग्री (अंतिम वर्ष) परीक्षा में बैठे हैं और जिनका परिणाम प्रतीक्षित है या जिन अभ्यर्थियों की योग्यता परीक्षा में विलंब हुआ है, वे अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें जेआरएफ/सहायक प्रोफेसर के लिए योग्यता के पुरस्कार के लिए केवल तभी पात्र माना जाता है, जब वे नेट परीक्षा के परिणाम की तिथि से दो वर्ष के अंदर आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ समकक्ष परीक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण कर लेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत प्राध्यापक/सहायक आचार्य और कनिष्ट शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) के लिए पात्रता हेतु कुछ अभ्यर्थियों ने जुलाई 2018 में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट या जून, 2018 में आयोजित संयुक्त सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा उत्तीर्ण कर ली परंतु वे कोविड–19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित करने में अपरिहार्य विलम्ब के कारण अपनी स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम को पूरा नही कर पाए।

प्रभावित अभ्यर्थियों के हित में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट की पात्रता के अनुसार आवश्यक प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रम पूरा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। (एफ.सं.4–1/2018 (नेट/नीति)

दिनांक 29 जनवरी, 2021

उच्चतर संस्थानों का प्रत्यायन–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन को सबसे महत्वपूर्ण और विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त साधनों में से एक माना जाता है। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन) विनियम 2012 को अधिसूचित किया गया था। इससे यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए दो बैच पास होने या छह वर्ष होने, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद उसे प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने लिए एक महत्वाकांक्षा लक्ष्य भी रखा है कि संस्थानों को वर्ष 2022 तक 2.5 करोड़ के न्यूनतम स्कोर के साथ मान्यता मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न गैर–प्रत्यायित संस्थान को मार्गदर्शन देने के लिए वर्ष 2019 में ''परामर्श'' नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों को बढ़ावा देना है ताकि एनएएसी मान्यता के इच्छुक संस्थानों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को उन्नत करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जा सके। मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले–मार्गदर्शन देने वाले के बीच के संबंध की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, बल्कि उन छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, जो वर्तमान में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं। 936 गैर–मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श देने के लिए ''परामर्श'' के तहत अब तक 167 सलाहकार संस्थानों को मंजूरी दी गई है। मेंटर संस्थानों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in*** *पर देखी जा सकती है ।*

इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से मान्यता के लिए आगे आने की आशा की गई थी ताकि वैश्विक मानकों को बनाए रखा जा सके और हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। (सं.एफ.4–12/2012(आईयूसी)

दिनांक 29 जनवरी, 2021

वि.अ.आ. ने वर्ष 20–21 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनईपीडब्ल्यूडी) के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से योग्य अभ्यर्थियों को दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से वर्ष 2020–21 निशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनईपीडब्ल्यूडी) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत, ऐसे निशक्त छात्रों को, ''निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016'' के अंतर्गत आते हैं, एम.फिल./पी.एच.डी करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। (फा.सं.6–1/2020(एसए–III)

दिनांक 29 जनवरी, 2021

वि.अ.आ. यह छात्रों और सभी हितधारकों के ध्यान में लाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सचिव, उच्चतर शिक्षा सरकार राजस्थान से एक पत्र संख्या पी3(13) शिक्षा–4/2005 भाग दिनांक 12 अक्तूबर, .2020 प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान द्वारा एनएमसी (पूर्व में एमसीआई) से पूर्वानुमति लिए बिना आधुनिक चिकित्सा में पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। इस पत्र के अनुसार, सिंघानिया विश्वविद्यालय ''भारतीय चिकित्सा परिषद''/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का उल्लंघन करते हुए तथा केंद्र सरकार/नियंत्रक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना आधुनिक चिकित्सा में पाठ्यक्रम चला रहा है। ऐसी गैर–मान्यता प्राप्त डिग्री के उत्तीर्ण छात्र प्रेक्टिस के लिए पंजीकरण नहीं कर सकते।

सभी छात्रों को सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे एमबीबीएस, एमडी, 'डिप्लोमा इन मेडिसिन' आदि कार्यक्रम में प्रवेश न लेने की जानकारी दी गई। (सं.एफ.9–27/2008(सीपीपी–I/पीयू)

दिनांक 05 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ''कोविड–19 महामारी के कारण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुनः खोलने के लिए दिशानिर्देश'' को उचित रूप से लागू करने पर पुनः बल दिया। (अ.शा. पत्र संख्या 4–8/2020 (सीपीपी–II)

दिनांक 07 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को हमारे देश को खिलौना क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए टॉयकैथॉन 2021 में भाग लेने का अनुरोध किया। 'टॉयकैथॉन 2021' अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक अंतर–मंत्रालयी पहल है। (सं. एफ.1–1/2021 (वेबसाइट)

दिनांक 08 फरवरी, 2021

*वि.अ.आ. ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र और गैर–इंजीनियरिंग स्नातक और स्नातकोत्तर 'स्वयं' पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक, शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी) के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग अथवा समूह धोखाधड़ीपूर्ण दावे कर रहे हैं और भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल (**www.swayam.gov.in**) के शिक्षार्थियों से 100 रुपये का सत्यापन शुल्क ले रहे हैं। शिक्षार्थियों को बताया जाता है कि उनका चयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और सभी सरकारी नौकरियों के लिए किया गया है। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों/समूहों ने सत्यापन शुल्क जमा करने के लिए अपने बैंक विवरण भी साझा किए हैं।*

इस नोटिस के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी 'स्वयं' शिक्षार्थियों को सतर्क रहने और पैसे की मांग के ऐसे किसी भी दुर्भावनापूर्ण दावों का शिकार न होने और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करने के लिए चेतावनी जारी करता है। (फा.सं.1–7/2018(स्वयं)

दिनांक 11 फरवरी, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 3 सितम्बर, 2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.1–8/2020 (यूजी कोर्स मैपिंग/स्वयं), के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अकादमियों से स्नातक स्तर पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान के छह विषयों अर्थात इतिहास, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और मानव शास्त्र में 171 पाठ्यक्रमों में उच्च गुणवत्ता वाले एमओओसी के विकास के लिए ''रुचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की है।

उपयुक्त के अतिरिक्त, स्नातक स्तर पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों अर्थात भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के 194 पाठ्यक्रमों और विज्ञान के विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान से 155 पाठ्यक्रमों में पात्र संकाय से अब 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की जाती है। (सं.एफ.1–8/2020(स्वयं)

दिनांक 12 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2021 को प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों और सभी नागरिकों के लिए के लिए अखिल भारतीय ऑन–लाइन ''कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार–प्रसार परीक्षा'' आयोजित करने की पहल का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा।

दिनांक 13 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर, संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पालन करने के लिए जानकारी प्रदान की ताकि छात्रों/शिक्षकों/कर्मचारियों के बीच सुरक्षा प्रतिज्ञा, पैम्फलेट/बैनर, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन/लेखन, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। (अ.शा. पत्र संख्या 1–8/2021(सीपीपी–II)

दिनांक 15 फरवरी, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रत्येक वर्ष ई–गवर्नेंस पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ई–गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएईजी) के बारे में सूचित किया और उनसे एनसीईजी पोर्टल **www.nceg.gov.in vkSj www. Darpg.gov.in** पर एनएईजी 2020–21 के लिए उपरोक्त श्रेणियों के तहत उपयुक्त नामांकन भेजने का अनुरोध किया। (अ.शा. पत्र संख्या 1–4/2021(ई.गॉव.)*

दिनांक 19 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि वे अपने छात्रों/संकाय सदस्यों को वेबिनार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और दिनांक 21 फरवरी, 2020 को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल और मानदंडों का पालन करते हुए ''मातृभाषा दिवस'' मनाएं।

दिनांक 19 फरवरी, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने और साइबर अपराध की अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे छात्रों, शिक्षकों और हितधारकों के बीच गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल/साइबरदोस्त के बारे में प्रचार करें जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित रूप से नई जानकारी और परामर्श प्रदान करता है और साथ ही 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' अर्थात् **https://cybercrime.gov.in** पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नियमित रूप से परामर्श और नई जानकारी मिलती है और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने संबंधित संस्थान की वेबसाइटों पर इनका एक लिंक भी दे सकते हैं।*

दिनांक 22 फरवरी, 2021

वि.अ.आ. ने गैर–तकनीकी विषयों में शिक्षकों के मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देश–एनआईआईएमटी, 2021 के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। शिक्षकों के इस मार्गदर्शन का उद्देश्य छात्रों के परिणामों में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए शिक्षकों को कौशल और स्वभाव को विकसित करना है। (एफ. सं. 1–1/2020 (एचआरडीसी)

दिनांक 23 फरवरी, 2021

*आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया कि भारत सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से बौद्ध संस्कृति और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुद्धार पर काम कर रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित पाठ्यक्रमों की शुरुआत और पर्यटन अध्ययन के पूरक पाठ्यक्रम, पाली भाषा को बढ़ावा देना आदि कुछ ऐसी पहल हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बौद्ध धर्म से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों, बौद्ध विद्वानों, पाली विद्वानों, पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म पर वार्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सभाओं पर एक व्यापक डाटाबेस तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे निम्नलिखित लिंक **https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQ LSf2YGIswxnuBCLwqdM9ICMrL3L3FzWivQEuEMT_1c8EP1HKTpJw/viewform** में संबंधित जानकारी प्रदान करें। (अ.शा. पत्र संख्या 152–5/2020 (आईसी)*

दिनांक 26 फरवरी, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचित किया कि भारत सरकार, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को ''भारत का अमृत महोत्सव'' के रूप में मना रही है, जो दिनांक 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पहले आरंभ होगा और दिनांक 15 अगस्त,

2023 तक जारी रहेगा। इस महोत्सव के पीछे का विचार इंडिया/2047 के लिए एक विजन तैयार करना है। इस महोत्सव में हमारे देश की तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। यह आयोजन भारत के कुछ अज्ञात स्थानों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए योगदान को भी उजागर करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से उपरोक्त क्रियाकलापों को करने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया। (अ.शा. पत्र संख्या 14–4/2021(सीपीपी–II)

दिनांक 03 मार्च, 2021

वि.अ.आ. ने फरवरी–अप्रैल, 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी शिक्षाविदों द्वारा संचालित किए जा रहे संकाय विकास कार्यक्रम के बारे में एक परिपत्र जारी किया: आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना से लाभ प्राप्त करने और अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार करने की जानकारी दी। (अ.शा. पत्र संख्या 1–8/2021 (सीपीपी–II)

दिनांक 09 मार्च, 2021

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और समरूप कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021 के मसौदे पर सुझाव प्रस्तुत करने की तिथि को आगे बढ़ाये जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की: भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहल कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 विदेशों में अर्जित क्रेडिट को डिग्री प्रदान करने के लिए गिने जाने की अनुमति देने का आह्वान करती है। इसके अलावा, वर्ष 2021 की बजट घोषणा में दोहरी डिग्री, संयुक्त डिग्री और समरूप व्यवस्था की अनुमति देने के लिए विनियामक तंत्र का प्रस्ताव किया गया। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन संबंध में सक्षम विनियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और समरूप कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021 को एतदद्वारा जन साधारण के बीचं रखा गया है। (एफ.सं. 152–3/2021 (आईसी)

दिनांक 10 मार्च, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र डीओ14–4/2021 (सीपीपी–II) दिनांक 26 फरवरी, .2021 और संख्या 1–7/2021 (वेबसाइट) दिनांक 8 मार्च, 2021, और आजादी का अमृत महोत्सव पर शिक्षा मंत्रालय से जारी डी.ओ. संख्या सचिव (एचईआई) एमओई/2021 दिनांक 10 मार्च, 2021 के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। यह उत्सव दिनांक 12 मार्च, .2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दांडी यात्रा के शुभारंभ के साथ आरंभ होंगे। दांडी यात्रा की अवधि दिनांक 12 मार्च 2021 से दिनांक 5 अप्रैल, 2021 तक होगी। सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह लंबे समारोह के लिए विभिन्न गतिविधियों की योजना बना रहे हैं।

दांडी यात्रा के मार्ग पर स्थित विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे एनएसएस और एनवाईके के छात्रों और स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ दांडी यात्रा के दौरान सहयोगी दलों, विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करें।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से यह भी अनुरोध है कि अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के लंबे समारोह के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों का एक कैलेंडर तैयार करें। सभी हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक संभव 'जनसहभागिता'/सार्वजनिक भागीदारी के साथ कम लागत वाली गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है।

दिनांक 12 मार्च, 2021

भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों पर एक व्यापक डाटाबेस तैयार करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समसंख्यक पत्र, दिनांक 23 फरवरी, 2021 के क्रम में, वि.अ.आ. ने भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से बौद्ध संस्कृति और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुद्धार करने की पहल के संबंध में एक पत्र जारी किया जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पाठ्यक्रमों की शुरुआत और पर्यटन अध्ययन के पूरक पाठ्यक्रम, पाली भाषा को बढ़ावा देना आदि शामिल है। शिक्षा

मंत्रालय, भारत सरकार बौद्ध धर्म से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों, बौद्ध विद्वानों, पाली विद्वानों, पूर्व छात्रों और भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म पर वार्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सभाओं पर एक व्यापक डाटाबेस तैयार कर रही है।

दिनांक 16 मार्च, 2021

'टर्मिनल एम.फिल/पीएचडी' के छात्रों के लिए शोध पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाये जाने के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी किया जाना–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना के क्रम में, और शोधार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालयों द्वारा एम.फिल/पीएचडी छात्रों द्वारा शोध पत्र जमा करने की तिथि को दिनांक 30 जुलाई, 2021 से छह माह आगे बढ़ा कर दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक किया जा सकता है।

दिनांक 17 मार्च, 2021

वि.अ.आ. ने जीवन कौशल सुगमकर्ता दिशानिर्देश के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणवत्ता अधिदेश की दस पहलों में से एक स्नातक छात्रों को व्यवहार कौशल सिखाना है। इस उद्देश्य के लिए, जीवन कौशल पर एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। यह लगभग 120 घंटे का 08 'क्रेडिट कोर्स' है। इसमें चार क्षेत्र शामिल होंगे, अर्थात–संचार कौशल, व्यावसायिक कौशल, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल और मानवीय मूल्य। पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी ***https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html.*** *पर उपलब्ध है। (फा.सं. 6–2/2018(एचईक्यूआईपी)(जीवन कौशल सुगमकर्ता दिशानिर्देश)*

दिनांक 19 मार्च, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ''जल शक्ति अभियानः वर्षा जल संग्रहण करें, के बारे में सूचित किया। इसका विषय ''वर्षा जल संग्रहण करो, जहां यह गिरे, जब यह गिरे'' जल शक्ति मंत्रालय के तहत यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व जल दिवस पर दिनांक 22 मार्च, 2021 को आरंभ किया गया।

जल शक्ति अभियान को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) के साथ एकीकृत किया जाना है ताकि अभियान में भाग लेने वाली सभी संस्थाएं 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को सामने लाने वाले विषयों पर गतिविधियों का संचालन करें। सभी विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि सभी छात्र महाविद्यालय परिसरों और उसके आसपास जल संरक्षण गतिविधियों में भाग लें।

दिनांक 19 मार्च, 2021

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतर शिक्षा विभागों के सभी मुख्य सचिवों और सचिवों को सूचित किया कि सिविल अपील संख्या 887/2009 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8 मई, 2009 के निर्णय के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009'' तैयार किया और सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www. ugc.ac.in.ij*** *उपलब्ध हैं। रैगिंग के कारण संकट में फंसे छात्र एक पूरे देश में निःशुल्क एंटी–रैगिंग हेल्पलाइन 1800–180–5522 का उपयोग कर सकते है। यह 12 भाषाओं में उपलबध है। रैगिंग एक अपराध है और इसे तुरंत रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आयोग ने सभी संस्थानों के लिए रैगिंग के निषेध और परिणाम के संबंध में सरकार के निदेश को अपनी विवरण पुस्तिका में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।*

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी साइट पर रैगिंग–रोधी विनियमों को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

दिनांक 22 मार्च, 2021

आयोग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इंडिया गेट, नई दिल्ली के पास ''राष्ट्रीय युद्ध स्मारक'' और चाणक्यपुरी क्षेत्र, नई दिल्ली में ''राष्ट्रीय पुलिस स्मारक '' की स्थापना के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया। यह स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान की स्मृति में स्थापित किए गए हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया गया कि इन दो स्मारकों की यात्रा को दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए ''आधिकारिक अध्ययन दौरों'' का एक भाग बनाया जा सकता है।

दिनांक 23 मार्च, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ''बेहतर अकादमिक अनुसंधान पद्धतियां'' पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज के बारे में सूचित किया गया, जो गुणवत्तापरक, प्रभावशाली और नैतिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान जीवन चक्र में बेहतर पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसे ई–बुक के रूप में ***https:// www.ugc.ac.in/e-book/grap29092020/mobile/index.html.*** *पर देखा जा सकता है। एक अन्य उल्लेखनीय प्रकाशन ''भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्ता जनादेश'' पर पुस्तक है, जो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता जनादेश पहल का संकलन है और इसे* ***http://www.ugc.ac.in/e-book/Quality%20E-BOOK/mobile/ index.html.*** *पर ई–बुक के रूप में देखा जा सकता है । (अ.शा. पत्र संख्या 4–1/2021(एचईक्यूआईपी)*

दिनांक 26 मार्च, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित किया कि दिनांक 25 मार्च, 2021 को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा आकांक्षाओं के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन वेब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो अब एक संस्थान को एक सेमेस्टर में 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेशकश किए गए ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए किसी विशेष कार्यक्रम में दिए गए कुल पाठ्यक्रमों के 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) तक ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से प्रदान किए जाने की अनुमति देने की सुविधा प्रदान करता है।

दिनांक 27 मार्च, 2021

दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 की समसंख्यक सूचना के क्रम में और आयोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में, सभी संबंधित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उल्लिखित योजनाओं को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाए जाने के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

दिनांक 30 मार्च, 2021

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नवाचार उपलब्धियों (एआरआईआईए) 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में भागीदारी के बारे में सूचित किया। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को परखने और परिभाषित करने के लिए एक विशेष रैंकिंग संरचना 'नवाचार उपलब्धि संस्थानों की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए)' तैयार की है। एआरआईआईए ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 'तकनीकी' और 'गैर–तकनीकी' संस्थानों के दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया है और यह संस्थानों की 05 अलग–अलग उप–श्रेणियों में रैंक/बैंड के साथ संस्थानों की सूची प्रकाशित करता है। शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ और एआईसीटीई एआरआईआईए को लागू कर रहा है और वर्तमान में, एआरआईआईए का तीसरा संस्करण प्रगति पर है तथा इसमें 3000 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों का पंजीकरण हुआ है। एआरआईआईए के बारे में अधिक जानकारी के लिए ***https//www. ariia.gov.in/*** *पर जाएं।*

1.8 कोविड–19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल

कोविड–19 महामारी के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शैक्षिक कलेण्डर तथा परीक्षा के संबंध में अनेक दिशानिर्देश जारी किए साथ ही छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक पहल की, जिसे नीचे देखा जा सकता है:

1. कोविड–19 महामारी तथा तत्पश्चात् दिनांक 29 अप्रैल, 2020 से लगे लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और शैक्षिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड–19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और शैक्षिक कैलेंडर के संबंध में दिनांक 06 जुलाई, 2020 के संशोधित दिशानिर्देश।

3. परीक्षाओं के संचालन के लिए दिनांक 08 जुलाई, 2020 की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
4. शिक्षा सत्र 2020–21 के लिए कोविड–19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के दिशानिर्देश।
5. कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को पुनः खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के दिशानिर्देश।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोदर्पण पहल के तहत विभिन्न गतिविधियों के उद्घाटन के संबंध में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिनांक 20 जुलाई, 2020 का पत्र जारी किया गया। यह पहल कोविड महामारी फैलने तथा उसके उपरांत छात्रों, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेगा। इस पहल के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर 'मनोदर्पण–कोविड महामारी के फैलने तथा उसके उपरांत मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए मनोसामाजिक सहायता' नाम से एक वेबपेज तैयार किया गया है।

1.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा में शिक्षा क्रेडिट बैंक योजना की स्थापना तथा प्रचालन) विनियम, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने 'नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक' (एनएसी–बैंक) की एक नवीन अवधारणा के संबंध में कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति के साथ एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने विनियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है। एनएसी–बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना होगा। इन विनियमों को हितधारकों से विचार आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

अध्याय 2 ➤ उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास के संबंध में आंकड़े

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय
2.3 छात्र नामांकन
2.4 आउट टर्न/पास आउट
2.5 शिक्षण कर्मचारी
2.6 शिक्षणेत्तर कर्मचारी
2.7 छात्र-शिक्षक अनुपात
2.8 संस्थानों के लिए अवसंरचना

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में आरंभ की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान–अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियम शामिल हैं।

शिक्षा क्षेत्र में समय से तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़े, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रभावी और जानकारीप्रद नीति निर्माण की रीढ़ है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। पूरा सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए किया गया और इसके लिए एक प्रतिबद्ध पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) तैयार किया गया, जिससे इस प्रक्रिया को पूरी तरह 'पेपरलेस' कर दिया गया। इस सर्वेक्षण में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में जुटे देश के सभी संस्थानों को शामिल करने की मंशा थी। शिक्षकों, छात्रों के नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, शिक्षण से संबद्ध कर्मचारी, वित्त अवसंरचना आदि जैसे कई मापदंडों पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। संस्थान के घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, लिंग समता सूचकांक आदि जैसे शैक्षिक विकास के संकेतकों की गणना एआईएसएचई के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों से की जाती है। यह शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्णय लेने और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं। यह सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रतिबद्ध पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) विकसित किया गया है। पोर्टल तक पहुंच बनाने तथा डॉटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य/केन्द्र स्तर पर उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ का ई–संस्करण संस्थान के ढ़ांचे/आकार के अनुसार घटता–बढ़ता है। किसी भी अन्वेषक को आंकड़े संग्रहित करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा जाता है। एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिस तक संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आंकड़े संग्रहित करना बंद कर दिया है, अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा प्राक्कलन ***http://aishe.gov.in*** पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के स्टैप डालोन संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में मानदंडों पर आधिकारिक आंकड़े तैयार करता है।

एआईएसएचई पोर्टल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, 'आउट–टर्न/पास आउट्स' और शिक्षण से संबद्ध कर्मचारी और शिक्षणेत्तर कर्मचारी के बारे में शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करने के लिए जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अक्तूबर, 2021 की स्थिति के अनुसार एआईएसएचई प्रक्रियाधीन है, इसलिए उच्चतर शिक्षा के सांख्यिकीय आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 में वर्ष 2020–21 के लिए तैयार नहीं किए जा सके।

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18 से 23 वर्ष) (वर्ष 2019–20)

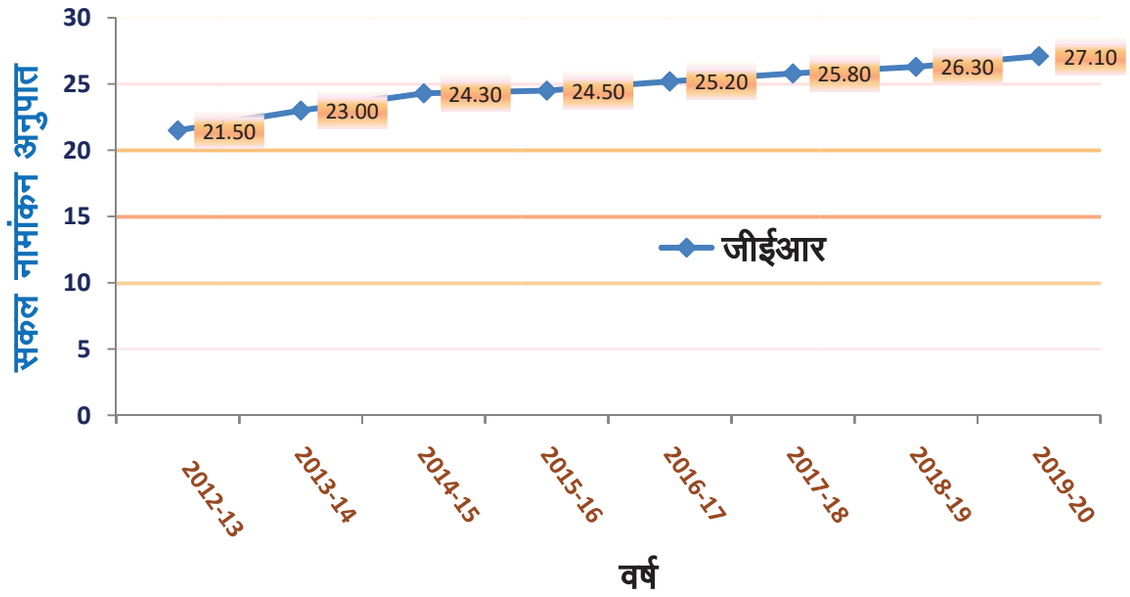
देश में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.10 प्रतिशत है। पुरूष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.9 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 27.3 प्रतिशत रहा।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में रूझान: वर्ष 2012–13 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 के दौरान 27.10 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिक हुई जोकि वर्ष 2012–13 के दौरान 16.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 के दौरान 23.40 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2012–13 के दौरान 11.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 के दौरान 18.0 प्रतिशत हो गया। (स्रोतः वर्ष वर्ष 2019–20 के लिए एआईएसएचई की रिपोर्ट)

तालिका 2.1: वर्ष 2012–13 से वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात
2012-13	21.50
2013-14	23.00
2014-15	24.30
2015-16	24.50
2016-17	25.20
2017-18	25.80
2018-19	26.30
2019-20	27.10

रेखाचित्र 2.1: वर्ष 2012–13 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात



तालिका 2.1(i) वर्ष 2019–20 के दौरान 18 से 23 वर्ष के लिए उच्चतर शिक्षा में राज्यवार सकल नामांकन अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी श्रेणियां		
		पुरूष	महिला	दोनों
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.7	22.3	20.0
2	आन्ध्र प्रदेश	38.3	32.2	35.2
3	अरूणाचल प्रदेश	36.5	34.3	35.4
4	असम	17.4	17.2	17.3
5	बिहार	15.8	13.1	14.5
6	चण्डीगढ़	43.2	65.6	52.1
7	छत्तीसगढ़	17.4	19.6	18.5
8	दादरा और नगर हवेली	7.4	12.9	9.4
9	दमन और द्वीव	4.4	11.4	6.1
10	दिल्ली	44.9	51.8	48.0
11	गोवा	23.8	34.6	28.4
12	गुजरात	22.9	19.6	21.3
13	हरियाणा	26.6	32.5	29.3
14	हिमाचल प्रदेश	35.7	46.4	40.8
15	जम्मू और कश्मीर	31.7	33.2	32.4
16	झारखण्ड	21.0	20.9	20.9
17	कर्नाटक	31.2	32.7	32.0
18	केरल	32.9	44.7	38.8
19	लद्दाख	5.0	11.3	7.9
20	लक्षद्वीप	3.6	11.5	7.5
21	मध्य प्रदेश	24.2	24.2	24.2
22	महाराष्ट्र	33.5	31.0	32.3
23	मणिपुर	37.7	38.9	38.3
24	मेघालय	24.2	28.0	26.1
25	मिजोरम	27.2	25.1	26.1
26	नागालैण्ड	16.5	20.5	18.5
27	ओड़ीशा	23.0	20.3	21.7
28	पुदुचेरी	41.0	52.6	46.3
29	पंजाब	25.1	32.1	28.2
30	राजस्थान	24.3	23.9	24.1
31	सिक्किम	83.6	67.6	75.8
32	तमिलनाडु	51.8	51.0	51.4
33	तेलंगाना	34.8	36.4	35.6
34	त्रिपुरा	22.5	18.0	20.2
35	उत्तरप्रदेश	23.7	26.9	25.3
36	उत्तरांखण्ड	40.7	42.3	41.5
37	पश्चिम बंगाल	20.3	19.6	19.9
अखिल भारतीय		**26.9**	**27.3**	**27.1**

स्रोत: वर्ष 2019–20 की एआईएसएचई रिपोर्ट

2.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय

2.2(i) विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान अर्थात् ऐसे संस्थान जिन्हें संसद अथवा राज्य विधानमंडल के कतिपय अधिनियम के तहत उपाधि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के निम्नवत स्वरूप हैं: (1) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (2) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (3) राज्य निजी विश्वविद्यालय (4) सम विश्वविद्यालय संस्थान (5) राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित संस्थान (6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अन्य।

2.2(i)(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 425 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 375 राज्य निजी विश्वविद्यालय, राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित किए गए 3 संस्थान और 125 सम विश्वविद्यालय संस्थान सूचीबद्ध हैं।

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान 18* राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 24# राज्य निजी विश्वविद्यालय, और 3^ केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 01 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

**निम्नलिखित 4 राज्य विश्वविद्यालयों का नाम राज्य विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है और पुनः शामिल किया गया है:*

1. *हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 213, राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017, राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय) (वर्ष 2012 में स्थापित) का नाम अगस्त, 2020 से विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है चूंकि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ष 2017 के (निरसन) अधिनियम संख्या 17 के तहत निरस्त कर दिया गया था।*
2. *डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (राज्य विश्वविद्यालय) (वर्ष 2012 में स्थापित) का नाम अगस्त, 2020 से विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है चूंकि डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ष 2016 के (निरसन) अधिनियम संख्या 8 के तहत निरस्त कर दिया गया था।*
3. *उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग संस्थान परिसर, चिलकापिटा, खतयाड़ी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड (वर्ष 2016 में स्थापित) का नाम अगस्त, 2020 से विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है चूंकि उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, अधिनियम 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा दिनांक 22 जून, 2020 को अधिसूचित वर्ष 2020 के (निरसन) अधिनियम संख्या 19 के तहत निरस्त कर दिया गया है। (सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा)*
4. *रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, न्यू मेंटल कॉर्नर, मेघानीनगर, अहमदाबाद–380 016, गुजरात (वर्ष 2009 में स्थापित) का नाम दिनांक 01.10.2020 से विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) के तहत निरस्त कर दिया गया है। (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)*

#*महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट मंगला, बिलासपुर–495 001 (निजी विश्वविद्यालय) (वर्ष 2002 की अधिनियम संख्या 10 द्वारा दिनांक 18.04.2002 को स्थापित) का नाम विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है और 10.06.2020 को शामिल किया गया है।*

^*निम्नवत तीन सम विश्वविद्यालयों के नामों को सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची से हटा दिया गया और उन्हे उनके पुनःस्थापना के अनुसार वर्ष 2020 के संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (वर्ष 2020 का 5) के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया*

1. *राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति–517507, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश।*
2. *राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56, 57, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058.*
3. *श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016.*

तालिका 2.2(i)(क)(i) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
आंध्र प्रदेश		
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश–517507	30.04.2020

क्रम संख्या	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली		
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, बी–4, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवरिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110 016	30.04.2020
3.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56–57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली–110 058	30.04.2020

तालिका 2.2(i)(क)(ii) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
असम			
1.	माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय, माजुली असम	01.06.2018	10.08.2020
2.	श्री श्री अनिरुद्धदेव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, छाबुआ, बिबरूगढ़, असम	22.06.2020	05.02.2021
छत्तीसगढ़			
3.	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, गढुमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़–496001	22.01.2020	26.02.2021
दिल्ली			
4.	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110077 (राज्य विश्वविद्यालय)	15.08.2020	11.02.2021
हिमाचल प्रदेश			
5.	अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश (पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) एसएलबीएस मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल कैम्पस, चौक मंडी के निकट, हिमाचल प्रदेश–175008	11.06.2018	10.08.2020
6.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मंडी–175001, हिमाचल प्रदेश	01.11.2018	26.02.2021
कर्नाटक			
7.	महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, पैलेस रोड, बेंगलुरु–560001, कर्नाटक	02.03.2019	10.08.2020
केरल			
8.	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोसिटी कैंपस, कुराकोड, मंगलापुरम, थोनक्कल, पी.ओ. तिरुवनंतपुरम–695317, केरल	28.09.2020	17.02.2021
9.	श्री नारायणगुरु ओपन यूनिवर्सिटी, कोल्लम, केरल–691606	23.09.2020	29.01.2021
लद्दाख			
10.	लद्दाख विश्वविद्यालय, सिल्क रूट रेस्ट हाउस, टीआरसी, लेह, लद्दाख	16.12.2018	10.08.2020
पंजाब			
11.	जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब	20.12.2019	01.10.2020
12.	श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तरन तारन–143 401, पंजाब	30.09.2020	26.10.2020
राजस्थान			
13.	डॉ भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	26.02.2019	12.05.2020

क्रम संख्या	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
14.	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 213, राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017, राजस्थान	02.03.2019	14.08.2020
उत्तराखंड			
15.	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	22.06.2020	22.10.2020
पश्चिम बंगाल			
16.	हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	01.01.2021	30.03.2021
17.	कन्याश्री विश्वविद्यालय, कृष्णानगर, नाडिया, पश्चिम बंगाल	10.11.2020	29.01.2021
18.	रानी रश्मोनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल	09.01.2018	15.12.2020

तालिका 2.2(i)(क)(iii) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	राज्य निजी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
छत्तीसगढ़			
1.	महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट मंगला, बिलासपुर–495 001, छत्तीसगढ़	17.04.2018	10.06.2020
2.	श्री शंकराचार्य व्यावसायिक विश्वविद्यालय, ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़–490020 (निजी विश्वविद्यालय)	09.06.2020	24.03.2021
गुजरात			
3.	आईटीएम (एसएलएस) बड़ौदा विश्वविद्यालय, पालड़ी, जारोद के पास, वडोदरा–हलोल राजमार्ग, वडोदरा–391510, गुजरात	25.09.2020	20.05.2020
4.	जे.जी. यूनिवर्सिटी, उवारसाद, जिला–गांधीनगर–380054, गुजरात	25.09.2019	20.05.2020
5.	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय, एफपी नंबर 74, 100+113, टीपीएस नंबर 86, (सरखेज–ओकाफ–फतेवाड़ी, मकरबा), जिला अहमदाबाद, गुजरात	25.09.2019	13.01.2021
6.	चारूतर विद्या मंडल (सीवीएम) विश्वविद्यालय, शास्त्री मैदान के सामने, बीवीएम कॉलेज के साथ, वल्लभ विद्यानगर, जिला आणंद, गुजरात	25.09.2019	19.06.2020
हरियाणा			
7.	ऋषिहुड विश्वविद्यालय एन.एच.–44 (जीटी रोड), बहलगढ़ चौक के पास, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा–131021	04.05.2020	01.10.2020
महाराष्ट्र			
8.	डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, सीरीयल.नंबर 124 और 126, अम्बी, ताल–मावल, एमआईडीसी रोड, तलेगांव डाभाडे, पुणे–410507, महाराष्ट्र	16.07.2019	15.07.2020
9.	विजयभूमि विश्वविद्यालय, जमरुंग, पोस्ट अंबिवली, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र–410201	13.09.2020	20.05.2020
मध्यप्रदेश			
10.	महाकौशल विश्वविद्यालय, अंताखेड़ा, चरगवां रोड, पोस्ट–तिलवाड़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश	13.01.2021	23.02.2021
11.	सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अगरिया चोपडा, बिलखिरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	20.05.2020
12.	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बाई पास रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	02.09.2020

क्रम संख्या	राज्य निजी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना की तिथि	सम्मिलित किए जाने की तिथि
13.	एकलव्य विश्वविद्यालय, ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह, मध्य प्रदेश	26.09.2020	10.11.2020
मणिपुर			
14.	बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, थौबल लीशंगथेम वांगमा ताबा, जिला थौबल, इंफाल, मणिपुर	26.03.2020	15.07.2020
नागालैंड			
15.	नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, एंकर कॉम्प्लेक्स, ईस्ट ब्लॉक, बर्मा कैंप, पोस्ट बॉक्स–109, दीमापुर–797112, नागालैंड (निजी विश्वविद्यालय)	05.06.2013	24.03.2021
ओडिशा			
16.	सी.वी.रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–752054, ओडिशा	29.02.2020	11.06.2020
तमिलनाडु			
17.	शिव नाडर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), कलावाक्कम–603110, तमिलनाडु (निजी विश्वविद्यालय)	08.02.2021	30.03.2021
तेलंगाना			
18.	अनुराग विश्वविद्यालय, वेंकटपुर (वि), घाटकेसर (एम), मेचल (जिला), हैदराबाद, तेलंगाना–500088	20.05.2020	15.10.2020
19.	महिंद्रा विश्वविद्यालय बहादुरपाली (वि), कुदबुल्लापुर मंडल, मेदचल–मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	29.10.2020
20.	मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय, मैसममागुड़ा, धुलापल्ली (पोस्ट वाया कोम्पली), मेदचल–मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना–500100	20.05.2020	07.10.2020
21.	एस.आर. विश्वविद्यालय, अनंतसागर (वि), हसनपर्थी (एम), वारंगल–506371, तेलंगाना	20.05.2020	26.10.2020
22.	वोक्ससेन विश्वविद्यालय, वोक्ससेन परिसर, कामकोले, सादसिवपेट, मेदक जिला, तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	15.12.2020
उत्तराखंड			
23.	हिमालय विश्वविद्यालय, मुख्यालय फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, वाया डोईवाला, देहरादून–248140, उत्तराखंड	27.06.2019	05.06.2020
पश्चिम बंगाल			
24.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, बारा कंठालिया, सेवली तेलिनी पारा, उत्तर 24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700121	05.12.2019	10.08.2020

तालिका 2.2(i)(क)(iv) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में सम्मिलित किए गए सम विश्वविद्यालय संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम	अधिसूचना की तिथि
राजस्थान		
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एनआईए), जोराबर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर–302002, राजस्थान (सम विश्वविद्यालय)	09.11.2020

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत 10 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 4 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 4 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाया गया।

तालिका 2.2(i)(क)(v): दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना / स्थापना की तिथि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए जाने की तिथि
आंध्र प्रदेश			
1.	राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, वी. आर. मेंशन, कुनचापल्ली, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश–522501	01.06.2016	12.06.2020
दिल्ली			
2.	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006	2013	23.09.2020
गुजरात			
3.	गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल. डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	2007	12.06.2020
झारखंड			
4.	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	*23.03.2017*	*02.03.2021*
मध्य प्रदेश			
5.	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट–इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भदभदा स्क्वायर, भोपाल–462003, मध्य प्रदेश	2013	02.03.2021
महाराष्ट्र			
6.	गोंडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्प्लेक्स, गड़चिरोली–422 605, महाराष्ट्र	27.09.2011	23.09.2020
त्रिपुरा			
7.	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	2015	23.09.2020
उत्तर प्रदेश			
8.	डॉ ए. पी. जे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031, उत्तर प्रदेश	2001	02.03.2021
9.	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273010, उत्तर प्रदेश	2013	15.06.2020
उत्तराखंड			
10.	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, पीओ बहादराबाद, हरिद्वार–249 402, उत्तराखंड	2005	12.06.2020

तालिका 2.2(i)(क)(vi): दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची**

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पत्र संख्या तथा दिनांक
1	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घारूान, मोहाली–140413, पंजाब	दिनांक 29 मई, 2020 की 547वीं बैठक की मद संख्या 1.02(क)(i)	दिनांक 12 जून, 2020 की एफ. संख्या 8–25 / 2011 (सीपीपी–आई / पीयू)(**)
2	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब	दिनांक 29 मई, 2020 की 547वीं बैठक की मद संख्या 1.02(क)(i)	दिनांक 12 जून, 2020 की एफ. संख्या 8–28 / 2011 (सीपीपी–आई / पीयू)(**)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पत्र संख्या तथा दिनांक
3	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली गांव, झरना माहला, जबनेर, लिंक रोड रा0 रा0–8, जयपुर	दिनांक 09 सितम्बर, 2020 की 548वीं बैठक की मद संख्या 1.02(क)(iii)	दिनांक 23 सितम्बर, 2020 की एफ. संख्या 9–25/2008 (सीपीपी–आई/पीयू)(**)
4	जी एल. ए. विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश	दिनांक 09 सितम्बर, 2020 की 548वीं बैठक की मद संख्या 1.02(क)(iii)	दिनांक 23 सितम्बर, 2020 की एफ. संख्या 8–20/2010 (सीपीपी–आई/पीयू)(**)

(**)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता केवल शिक्षकों तथा छात्रों तक ही सीमित होगी

तालिका 2.2(i)(क)(vii): दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए गए सम विश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार सूची

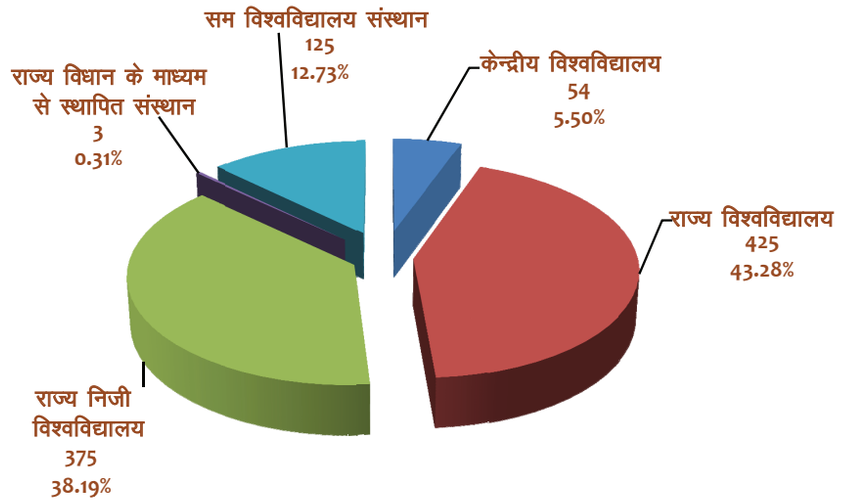
क्रम संख्या	सम विश्वविद्यालय संस्थान का नाम	अधिसूचना/स्थापना की तिथि	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित किए जाने की तिथि
हरियाणा			
1.	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज (सम विश्वविद्यालय), फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008	10.06.2020
तमिलनाडु			
2.	सेवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई (तमिलनाडु)	18.03.2005	10.06.2020
3.	सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), चेन्नई (तमिलनाडु)	16.07.2001	10.06.2020
तेलंगाना			
4.	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन (सम विश्वविद्यालय), डोनथापल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद (तेलंगाना)	16.12.2008	10.06.2020

तालिका 2.2(i)(ख): दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों* की स्वरूप वार संख्या

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय/संस्थान का स्वरूप	विश्वविद्यालय/संस्थानों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	54	
2	राज्य विश्वविद्यालय	425	252
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	375	12
4	राज्य विधान के तहत से स्थापित संस्थान	3	
5	सम विश्वविद्यालय संस्थान	125	46
	कुल	**982**	**310**

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान*

रेखाचित्र 2.2(i)(ख): दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूपवार संख्या



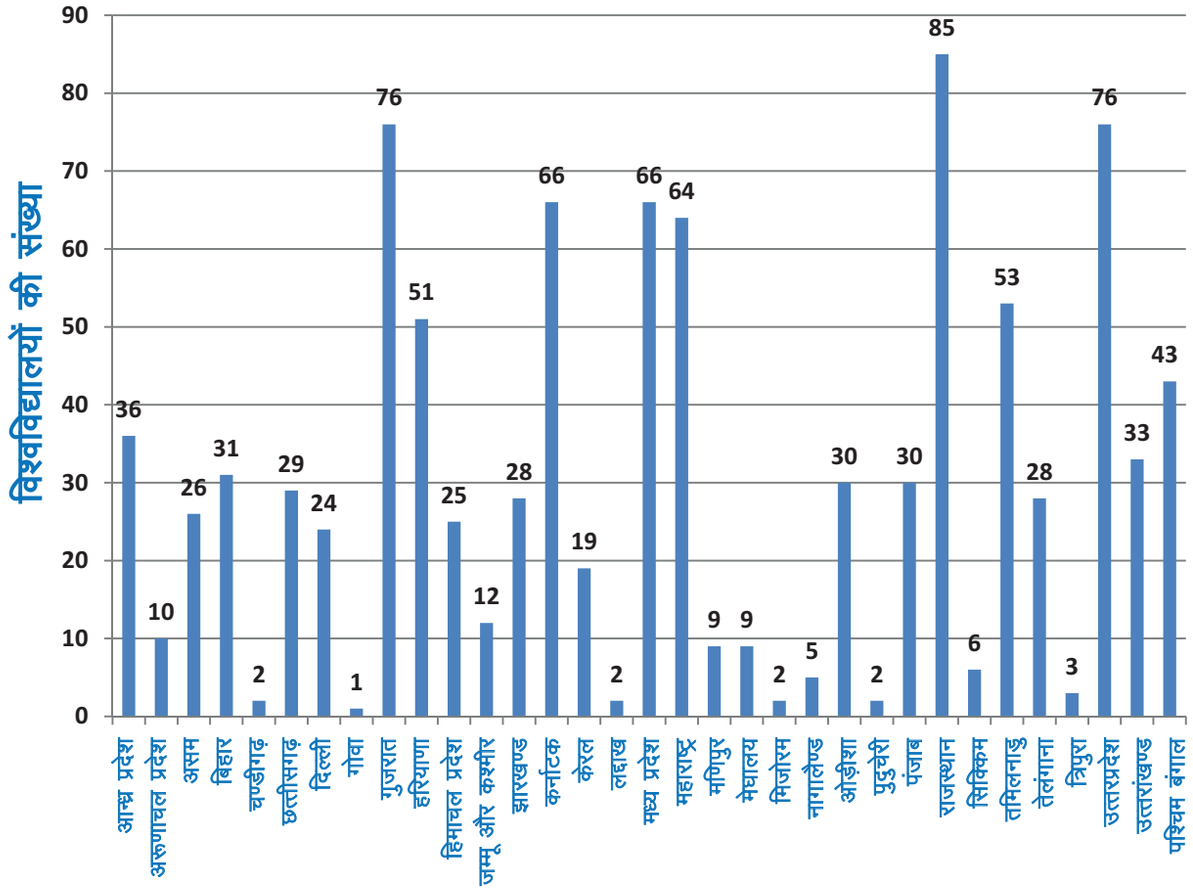
तालिका 2.2(i)(ख)(i): दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय		
		कुल	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान
1	आन्ध्रप्रदेश	36	3	23	6	4		16		4
2	अरूणाचल प्रदेश	10	1		8	1				
3	असम	26	2	17	6	1		7	1	
4	बिहार	31	4	18	7	1	1	10		
5	चण्डीगढ़	2		1		1		1		
6	छत्तीसगढ़	29	1	15	13			4	1	
7	दिल्ली	24	7	9		8		6		5
8	गोवा	1		1				1		
9	गुजरात	76	1	29	43	3		13		2
10	हरियाणा	51	1	20	24	6		12	1	1
11	हिमाचल प्रदेश	25	1	7	17			3		
12	जम्मू और कश्मीर	12	2	9			1	6		
13	झारखण्ड	28	1	11	15	1		6		
14	कर्नाटक	66	1	32	19	14		17		5
15	केरल	19	1	15		3		9		1
16	लद्दाख	2		1		1				
17	मध्य प्रदेश	66	2	24	39	1		16		1
18	महाराष्ट्र	64	1	24	18	21		18		10
19	मणिपुर	9	3	3	3					
20	मेघालय	9	1		8					
21	मिजोरम	2	1		1					
22	नागालैण्ड	5	1		4					
23	ओड़ीशा	30	1	18	8	3		11	1	2
24	पुदुचेरी	2	1			1				1
25	पंजाब	30	1	12	15	2		7	2	
26	राजस्थान	85	1	24	52	8		12	2	3

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या						विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय		
		कुल	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान	राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजी विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान
27	सिक्किम	6	1	1	4			1		
28	तमिलनाडु	53	2	22	1	28		20		8
29	तेलंगाना	28	3	17	5	3		12		1
30	त्रिपुरा	3	1	1	1					
31	उत्तरप्रदेश	76	6	31	29	9	1	20	4	1
32	उत्तरांखण्ड	33	1	11	18	3		4		
33	पश्चिम बंगाल	43	1	29	11	2		20		1
	कुल	**982**	**54**	**425**	**375**	**125**	**3**	**252**	**12**	**46**

चार संघ राज्य क्षेत्र नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

रेखाचित्र 2.2(i)(ख)(i): दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के तहत वि.अ.आ. द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2(i)(ख)(ii) में दिया गया है
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2(i)(ख)(iii) में दिया गया है
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची को तालिका 2.2(i)(ख)(iv) में दिया गया है
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की सूची को तालिका 2.2(i)(ख)(v) में दिया गया है
- दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची को तालिका 2.2(i)(ख)(vi) में दिया गया है

तालिका 2.2(i)(ख)(ii) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम	2018	***http://www.cuap.ac.in***
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश–535008	2019	***http://www.ctuap.in***
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	1987 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	***http://nsktu.ac.in***
अरूणाचल प्रदेश			
4	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, डाकघर दोईमुख, अरूणाचल प्रदेश–791112	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	***http://www.rgu.ac.in***
असम			
5	असम विश्वविद्यालय, डाकघर असम विश्वविद्यालय, सिलचर–788011	1994	***http://www.aus.ac.in***
6	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पो0ब0 नम्बर 72, नापाम, तेजपुर, असम–784001	1994	***http://www.tezu.ernet.in***
बिहार			
7	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एसएच–7, गया पांचनपुर रोड, ग्राम–करहारा, पोस्ट फतेहपुर, पीएस–टेकारी, जिला गया, बिहार–824236	2009	***http://www.cub.ac.in***
8	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर–848125, बिहार+	1970 (वर्ष 2016 से केन्द्रीय)	***http://www.rpcau.ac.in***
9	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालन्दा–803 116, बिहार+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	***http://www.nalandauniv.edu.in***
10	महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार–845401	2014	***http://www.mguniversity.ac.in***
छत्तीसगढ़			
11	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़–495009	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	***http://www.ggu.ac.in***
दिल्ली			
12	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068	1985	***http://www.ignou.ac.in***
13	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110 025	1988	***http://www.jmi.nic.in***
14	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110067	1969	***http://www.jnu.ac.in***
15	श्री लाल बहादुर शास्त्री राश्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली	1987 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	***http://www.slbsrsv.ac.in***
16	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002 (वर्ष 2020 से केन्द्रीय)	***http://www. Sanskrit.nic.in***
17	सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली+ (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	***http://www.southasianuniversity.Org***
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007	1922	***http://www.du.ac.in***

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
गुजरात			
19	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर–29 गाँधीनगर–382029	2009	***http://www.cug.ac.in***
हरियाणा			
20	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जंत–पाली, जिला महेन्द्रगढ़–123029	2009	***http://www.cuh.ac.in***
हिमाचल प्रदेश			
21	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पो.बा. नम्बर 21, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–176215	2009	***http://www.cuhimachal.ac.in***
जम्मू और कश्मीर			
22	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जी.बी. पंत अस्पताल के निकट, श्रीनगर–190 005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	***http://www.cukashmir.ac.in***
23	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बागला (राहया–सुचानी), जिला साम्बा, जम्मू–181143 (जम्मू और कश्मीर)	2009	***http://www.cujammu.ac.in***
झारखण्ड			
24	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारडगे रोड, बराम्बे, राँची–835205	2009	***http://www. cuj.ac.in***
कर्नाटक			
25	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कादागांची, अलांग रोड, अलांग तालुक, गुलबर्गा (जिला)–585311, कर्नाटक	2009	***http://www.cuk.ac.in***
केरल			
26	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तेजस्विनी हिल्स, पेरिये (पीओ), पीओ, कासरगोड–केरल–671316	2009	***http://www. cukerala.ac.in***
मध्य प्रदेश			
27	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश–470003	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	***http://www.dhsgsu.ac.in***
28	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, माकाल सदन, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008	***http://www.igntu.nic.in***
महाराष्ट्र			
29	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर पीओ,, वर्धा, मुम्बई–442001	1997	***http://www.hindivishwa.org***
मणिपुर			
30	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल–795 004+	1993	***http://www. cau.org.in***
31	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर–795003	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय)	***http://www.manipuruniv.ac.in***
32	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 910, आईजवाल–796012, मिजोरम+	2018	***www.nsu.ac.in***
मेघालय			
33	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहू कैम्पस, शिलांग, मेघालय–793 022	1973	***http://www.nehu.ac.in***
मिजोरम			
34	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0ब0नम्बर 910, आईजवाल, मिजोरम–796012	2000	***http://www.mzu.edu.in***

क्रम संख्या	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना / स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
नागालैण्ड			
35	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैण्ड–797001	1994	***http://www.nagalanduniversity.ac.in***
ओड़ीशा			
36	ओड़ीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लान्डीगुड़ा, कोरापुट, ओड़ीशा–764020	2009	***http://www.cuo.ac.in***
पुदुचेरी			
37	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुदुचेरी–605 014	1985	***http://www.pondiuni.edu.in***
पंजाब			
38	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मन्सा रोड, भटिन्डा, पंजाब–151001	2009	***http://www.cup.ac.in***
राजस्थान			
39	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8. भण्डार सिंदरी, जिला अजमेर–305801, राजस्थान	2009	***http://www.curaj.ac.in***
सिक्किम			
40	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माईल, समदुर, पी0ओ0 तदांग, गंगटोक, सिक्किम–737102	2007	***http://www.cus.ac.in***
तमिलनाडु			
41	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुड़ी कैम्पस, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरूवारूर–610101, तमिलनाडु	2009	***http://www.cutn.ac.in***
42	इन्डियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, ईस्ट वेस्ट रोड, उतांदी, चेन्नई–600119+	2008	***http://www.imu.edu.in***
तेलंगाना			
43	इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय)	***http://www. efluniversity. ac.in***
44	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–50032	1998	***http://www.manuu.ac.in***
45	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500 046	1974	***http://www.uohyd.ac.in***
त्रिपुरा			
46	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यामणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा–799 130,	1987	***http://www.tripurauniv.in***
उत्तर प्रदेश			
47	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202002	1920	***http://www.amu.ac.in***
48	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–211002	1887	***http://www.allduniv. ac.in***
49	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025	1996	***http://www.bbau.ac.in***
50	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–221005	1916	***http://www.bhu.ac.in***
51	राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश +		
52	रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश–284003+	2014	***http://www.rlbcau.ac.in***

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/स्थापना का वर्ष	वेबलिंक
उत्तरांखण्ड			
53	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल–246174	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय)	***http://www.hnbgu.ac.in***
पश्चिम बंगाल			
54	विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल–731235	1951	***http://www.visva-bharati.ac.in***

टिप्पण: आठ विश्वविद्यालय नामतः (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर, (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इन्डियन मैरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई–600119, (iv) सॉउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, (v) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, (vi) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि, विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, (vii) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार, (viii) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कुत्रुक, मणिपुर, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है चूंकि इन्हें भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तपोषित किया जाता है।

तालिका 2.2(i)(ख)(iii) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र विश्वविद्यालय)

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
आंध्र प्रदेश			
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर–522510*	1976	***http://www.anu.ac.in***
2	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर–522034	1964	***http://www.angrau.ac.in***
3	अदिकवि नन्या विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजामुन्द्री–533105 आन्ध्र प्रदेश*	2006	***http://www.nannayauniversity.info***
4	आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम–530003*	1926	***http://www.andhrauniversity.edu.in***
5	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से विख्यात) पैलेस लेऑउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम–530017 (आन्ध्र प्रदेश)*	2008	***http://www.dsnlu.ac.in***
6	डॉ. अब्दुल हक उर्दू विश्वविद्यालय, कुरनूल 518001 आंध्र प्रदेश	14.12.2018	***http://ahuuk.ac.inè***
7	डॉ. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेज के नाम से विख्यात) विजयवाड़ा–520008	1986	***http://www.ntruhs.ap.nic.in***
8	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, एचेर्ला–532410, श्रीकाकुलम	2008	***http://www.brau.in***
9	द्रविड़यन विश्वविद्यालय, कुप्पम–517425*	1997	***http://www.dravidianuniversity.ac.in***
10	डा. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटारमण्नगुंडम, जिला पश्चिम गोदावरी–536101	2011	***http://www.drysrhu.edu.in***
11	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनन्तपुर*	2008	***http://www.jntua.ac.in***
12	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा*	2008	***http://www.jntuk.edu.in***
13	कृष्णा विश्वविद्यालय, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम–521001	2008	***http://www.krishnauniversity.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
14	राजीव गांधी यूनीवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलाजी, आंध्र प्रदेश, वीआर मेंशन, कुचानापल्ली, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश–522501*	01.06.2016	***http://www.rguktn.ac.in***
15	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कूरनूल–518002*	2008	***http://rayalseemauniversity.ac.in***
16	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय, अनन्तापुर–515003*	1981	***http://www. skuniversity.org***
17	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति–517502*	1983	***http://www. spmvv. ac.in***
18	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति–517507*	1954	***http://www. svuniversity.in***
19	श्री वेंकटेश्वरा वैदिक विश्वविद्यालय, पुरुन्देरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड़, तिरूपति	2006	***http://www. svvedicuniversity. org***
20	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, प्रशासनिक कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रंथालय भवन, तिरूपति–517502	2005	***http://www.svvu.edu.in***
21	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति–517507*	1993	***http://www.svimstpt.ap.nic.in***
22	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश–524003	2008	***http://www. simhapuriuniv. ac.in***
23	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेमानापुरम, कदप्पा–516003*	2006	***http://www. yogivemanauniversity. ac.in***
असम			
24	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट–785013*	1968	***http://www.aau.ac.in***
25	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम	2010	***http://www. argucom.org.in***
26	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहीलीपारा, गुवाहाटी–19 असम	2011	***http://www.astu.org.in***
27	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट–785004	2013	***http://www. awu.ac.in***
28	भट्टदेव विश्वविद्यालय, बाजली, पाठशाला–785 004, असम	25.10.2017	***info@bhattadevuniversity.ac.in***
29	बोडोलैण्ड विश्वविद्यालय, डिब्रागांव, डाकघर रंगालीखेटा, कोकराझार, 783370, बीटीसी, असम*	2009	***http://www.bodolanduniversity. ac.in***
30	कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय, पान बाजार, गुवाहाटी, असम*	2011	***http://www.ccsu.ac.in***
31	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़–786004*	1965	***http://www.dibru.ac.in***
32	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी–781014*	1948	***http://www.gauhati.ac.in***
33	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी–781006	2007	***http://www.kkhsou.in***
34	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबाड़ी–781335, असम*	2011	***http://www.kbvsasu.in***
35	महादेव विश्वविद्यालय, पी.ओ. डिकरांग–784164, नारायनपुर, लखीमपुर, असम	01.06.2018	***https://www.madhabdevuniversity. org.in***
36	मजुली संस्कृति विश्वविद्यालय, मजुली, असम	01.06.2018	

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
37	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनईजेओटीआई बिल्डिंग, बी.के. काकाती रोड़, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी–781007*	2012	*http://www.nluassam.ac.in*
38	रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजाई–782435, असम	25.10.2017	*www.rntu.ac.in*
39	श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	*http://www.ssunhs.in*
40	श्री श्री अनिरूद्धदेव खेल विश्वविद्यालय, झाबुआ, बिबुगढ़, असम	22.06.2020	*http://www.sasu.ac.in*
बिहार			
41	आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, मीठापुर फार्म एरिया, मीठापुर, पटना–800 001 बिहार	2008	*http://www.akubihar.ac.in*
42	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर–842001*	1952	*http://www.brabu.net*
43	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर, भागलपुर, 813210	2010	*http://www. bausabour.org.in*
44	बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बिहार कालेज कैम्पस महाविद्यालय परिसर, पटना–800014, बिहार	29.08.2018	*https://www.basu.org.inè*
45	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा–852113*	1993	*http://www.bnmu.bih.nic.in*
46	चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टॅडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना–800001*	2006	*http://www. cnlu.ac.in*
47	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा–841301*	1995	*http://www.jpv.bih.nic.in*
48	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा–846008*	1961	*http://www.ksdsu.edu.in*
49	ललित नारायन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा–846008*	1972	*http://www.lnmu.in*
50	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया–824234*	1962	*http://www.magadhuniversity.org*
51	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड़, पटना–800001 (बिहार)	2004	*http://www.mmhapu.bih.nic.in*
52	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	*https://www.mungeruniversity.ac.inè*
53	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना–800001	1995	*http://www. nalandaopenuniversity. Com*
54	पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी, कंकरबाग रोड, नियर राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना–800020, बिहार	17.08.2018	*http://www.ppup.ac.inè*
55	पटना विश्वविद्यालय, पटना–800005*	1917	*http://www.patnauniversity.ac.in*
56	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया–854301, बिहार	17.08.2016	*http://www.purneauniversity.ac.inè*
57	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर–812007*	1960	*http://www.tmbu.org*
58	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा–802301*	1994	*http://www.vksu-ara.org*
चण्डीगढ़			
59	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़–160 014*	1947	*http://www.puchd.ac.in*

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/ अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
छत्तीसगढ़			
60	आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, जी.ई. रोड, रायगपुर, छत्तीसगढ़	2008	***http://www.cghealthuniv. com***
61	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदालपुर, जिला–बस्तर	2008	***http://www.bvyjdp.ac.in***
62	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था) बिलासपुर, छत्तीसगढ	2011	***http://www.bilaspuruniversity.ac.in***
63	छत्तीसगढ कामधेनू विश्वविद्यालय, दुर्ग–491001	2011	***www.cgkv.ac.in***
64	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर–8, भिलाई 490009 (छत्तीसगढ)	2004	***http://www.csvtu.ac.in***
65	दुर्ग विश्वविद्यालय, वासुदेव वर्मन पाटानकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	***http://durguniversity.ac.inè***
66	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर–492001*	2003	***http://www.hnlu.ac.in***
67	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर–492006*	1987	***http://www.igau.edu.in***
68	इन्दिरा गाँधी कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़–491881*	1956	***http://www.iksvv.com***
69	इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 7, सेक्टर 24, पुरखोटी के निकट, मुक्तांगन, नया रायपुर–493661, छत्तीसगढ़	2014	***http://www.iiitb.ac.in***
70	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	***http://www.ktujm.ac.in***
71	पण्डित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर–492010*	1964	***http://www.prsu.ac.in***
72	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	***http://www.pssou.ac.in***
73	संत गाहिरा गुरू विश्वविद्यालय (पूर्व में सरगूजा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था), अम्बिकापुर दरिपारा, सरगुजा–497001, छत्तीसगढ़	2008	***http://www. sargujauniversity. in***
74	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, घरुमरिया, ओडिशा रोड रायगढ़–496001, छत्तीसगढ़	22.01.2020	***http://www. Snpv.ac.in***
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
75	भारत रत्न डॉ बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006*	2007	***http://www.aud.ac.in***
76	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसार कैम्पस, सेक्टर–III, पुष्प विहार, नई दिल्ली	2010	***http://www.dpsru.edu.in***
77	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली*	2009	***http://www.dce.edu***
78	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110077	2020	***http://www.dseu.ac.in***
79	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्व विद्यालय, सेक्टर–16सी द्वारका, दिल्ली–110 078*	1998	***http://www.ipu.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
80	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006*	2013	*http://www. igdtuw. ac.in*
81	इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के निकट ओखला औद्योगिक एस्टेट फेज–III, नई दिल्ली–110020*	2008	*http://www. iiitd.ac.in*
82	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली*	2008	*http://www.nludelhi.ac.in*
83	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर–3, द्वारका, दिल्ली	26.09.2018	*http://www.nsit.ac.inè*
गोवा			
84	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा–403206*	1985	*http://www.unigoa.ac.in*
गुजरात			
85	आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	*http://www.aau.in*
86	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, आदर्श निवासी विद्यालय परिसर, वावड़ी रोड, राजपीपला, जिला नर्मदा गुजरात	25.07.2018	*http://www.bmtu.ac.in*
87	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, केयर ऑफ गर्वनमेंट पालीटेक्नीक कालेज, बिखना रोड, खादिया, जूनागढ–362640	2015	*http://www.bknmu.edu.in*
88	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर–364002*	1978	*http://www.bhavuni.edu*
89	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी, सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर–20, गांधीनगर, गुजरात	2009	*http://www. cugujarat.ac.in*
90	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, कॉलेज रोड़, नाडियाड–387001*	2000	*http://www.ddu.ac.in*
91	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदनगर–380003	1995	*http://www.baou.edu.in*
92	सरदार कृषिनगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृष्णीनगर, बनासकांठा–385 506*	1972	*http://www.sdau.edu.in*
93	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर–361008*	1968	*http://www.ayurveduniversity. edu. in*
94	गुजरात बॉयोटेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी, केयर ऑफ गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलाजी मिशन, ब्लॉक 11, नौवां तल, उद्योग भवन, गांधीनगर–382011, गुजरात	23.10.2018	*https://btm.gujarat.gov.inè*
95	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर–382007*	2003	*http://www.gnlu.ac.in*
96	गुजरात विश्वविद्यालय अहमदनगर–380009*	1950	*http://www.gujaratuniversity.org. in*
97	गुजरात प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007	*http://www.gtu.ac.in*
98	गुजरात फोरेन्सिक सांईस यूनिवर्सिटी, सैक्टर 18/ए, पुलिस भवन के निकट, गाँधीनगर–382007	2008	*http://www.gfsu.edu.in*
99	गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लान्टेशन सांइस, आईकेडीआरसी–आईटीएस भवन, सिविल अस्पताल परिसर, असारवा, अहमदाबाद–380016	2015	*http://guts.educationè*

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
100	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड़, पाटन–384265*	1986	*http://www.ngu.ac.in*
101	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, शासकीय महाविद्यालय परिसर, महात्मा मंदिर के निकट, जी–4, सेक्टर–15, गांधीनगर, 382016, गुजरात	2010	*http://www.iite.ac.in*
102	इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नियर खोखरा सर्कल, मणिनगर (पूर्व), अहमदाबाद–380026	2013	*http://iitram.ac.inè*
103	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़–362001	2004	*http://wwwjau.in*
104	कामधेनू विश्वविद्यालय, ''कृषि भवन'', सेक्टर 10ए, ब्लॉक बी, पोडियम लेवल, गांधीनगर–382010	07.07.2009	*http://www.ku-guj.org*
105	क्रान्तिगुरू श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, मुद्रा रोड, भुज–कच्छ–370001*	2004	*http://www.kskvku.digitaluniversity. ac.in*
106	महाराजा सायाजीरॉव बड़ोदा विश्वविद्यालय, वडोढ़रा–390002*	1949	*http://www.msubaroda.ac.in*
107	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी–396450*	2004	*http://www.nau.in*
108	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर–388120*	1955	*http://www. spuvvn.edu*
109	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट–360005*	1955	*http://www.saurashtrauniversity. Edu*
110	वीर नारमाड दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत–395007*	1965	*http://www. vnsgu.ac.in*
111	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तालुक वेरावल, जिला जूनागढ़–362265	2005	*http://www.shreesomnathsanskrituniversity. info*
112	गोविन्द गुरू विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट पालीटेक्नीक कैम्पस, गदुकपुर, गोधरा जिला, पंचमहल–389001	2015	*http://www.sggu.ac.in*
113	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस, यूनिवर्सिटी, सेक्टर–19, पुनीत वन रोड़, सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस के निकट, गांधीनगर, 382019, गुजरात	2011	*http://www. sycd.gujarat.gov. inè*
हरियाणा			
114	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा*	2006	*http://www.bpswomenuniversity. ac.in*
115	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी–127021	2014	*http://www. cblu.ac.in*
116	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा*	2003	*http://www. cdlu.in*
117	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द, हरियाणा*	2014	*http://www. crsujind.org*
118	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार–125004*	1970	*http://www.hau.ernet.in*
119	दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरूथल, हरियाणा*	2006	*http://www. dcrusm.org*
120	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी (पूर्व में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा के नाम से जाना जाता था), राय, सोनीपत, हरियाणा	23.06.2012	*http://www.dbranlu.ac.inè*
121	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, राव तुला राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर–51, गुरुग्राम–122018	07.06.2018	*https://gurugramuniversity.ac.inè*
122	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा*	2008	*http://www.uhsr.ac.in*

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
123	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार–125001*	1995	*http://www.gjust.ac.in*
124	हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनीवर्सिटी (दुधोला पलवल), सेक्टर–18, गुरूग्राम, हरियाणा	2016	*http://www.hvsu.ac.in*
125	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाडी–122502*	2013	*http://www. igi.ac.in*
126	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र–136119*	1956	*http://www.kuk.ac.in*
127	लाला लाजपत राय यूनिविर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार–125004*	2010	*http://lwww.uvas.edu.in*
128	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल–132001, हरियाणा	28.11.2016	*http://www.mhu.ac.in*
129	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, मुंदरी, कैथल–136027, हरियाणा	09.05.2018	*http://www.mvsumktl.ac.in*
130	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक–124001*	1976	*http://www.mdurohtak.ac.in*
131	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, उमरी रोड, सेक्टर–8, कुरुक्षेत्र, हरियाणा–136118	25.092017	*https://skau.ac.inè*
132	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैंपस, सेक्टर–6, रोहतक, हरियाणा	2014	*http://www. supva.ac.in*
133	जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व में वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) फरीदाबाद–121006, हरियाणा*	2009	*http://www.ymcaust.ac.in*
हिमाचल प्रदेश			
134	अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश (पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था) एसएलबीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश–175008	11.06.2018	*http://www.amruhp.ac.in*
135	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी–173230*	1986	*http://www.yspuniversity. ac.in*
136	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गंधाल, शिमला, पी0ओ0 शकराह, उप–तहसील धामी, जिला–शिमला–171011, हिमाचल प्रदेश	2016	*http://www.hpnlu.ac.in*
137	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला–171005*	1970	*http://www.hpuniv.ac.in*
138	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर–176062*	1978	*http://www. hillagric.ac.in*
139	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001	2010	*http://www. himtu.ac.in*
140	सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी 175001, हिमाचल प्रदेश	01.11.2018	*http://www. Svpcumandi.ac.in*
जम्मू और कश्मीर			
141	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005	*http://www.bgsbuniversity.org*
142	क्लस्टर यूनीवर्सिटी ऑफ जम्मू, महिला शासकीय महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू–180004, जम्मू और कश्मीर	2016	*http://www.clujammu.in*

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
143	क्लस्टर यूनीवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, एस0पी0 महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	***http//www.cusrinagar.edu.in***
144	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर–190006*	1949	***http://www.kashmiruniversity.net***
145	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर–191121*	1982	***http://www. skuastkashmir.ac.in***
146	शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, छत्ता, जम्मू–180009	1999	***http://www.skuast.org***
147	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय, कैम्प ऑफिसः 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू–180004*	2004	***http://www.smvdu.net.in***
148	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवान्तिपुरा, पुलवामा–192122 (जम्मू और कश्मीर)*	2005	***http://www.islamicuniversity. edu. in***
149	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मूतवी 180006*	1968	***http://wwwjammuniversity. in***
झारखण्ड			
150	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद, झारखण्ड	23.03.2017	***http://bbmku.ac.inè***
151	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची–834006*	1980	***http://www.baujharkhand.org***
152	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड*	23.03.2017	***www.spmuranchi.ac.in***
153	झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पुरानी न्यायिक अकादमी (श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर) मेयर रोड, रांची–834002	2016	***http://www.rsu.ac.in***
154	झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, साइंस एंड टेक्नॉलाजी, कैम्पस सिरखा टोल, नामकुम, रांची–838 010, झारखंड	12.11.2015	***http://www.sbtejharkhand.nic.inè***
155	कोल्हन विश्वविद्यालय, चाइबासा, पश्चिम सिंहभूमि (झारखण्ड)	2007	***http://www.kolhanuniversity.ac.in***
156	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिर्सच इन लॉ, बहुकला संस्थान परिसर, बीआईटी, मेसरा, रांची–835217*	2010	***http://www.nusrlranchi.ac.in***
157	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मादीनीनगर, पलामू–822101	2007	***http://www.npu.ac.in***
158	राँची विश्वविद्यालय, राँची–834001*	1960	***http://www.ranchiuniversity.org***
159	सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका–814101*	1992	***http://www.skmu.edu.inè***
160	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग–825301*	1993	***http://www.vbu.co.in***
कर्नाटक			
161	बेंगलुरु विश्वविद्यालय, बेंगलुरू–560056*	1964	***http://www.bub.ernet.in***
162	बेंगलुरु नार्थ यूनीवर्सिटी, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमाका, कोलार–563103, कर्नाटक	2017	***http://www.bnu.ac.in***
163	बेंगलुरु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय महाविद्यालय परिसर, डॉ. अम्बेडकर वीथी, बेंगलुरु–560001, कर्नाटक	29.06.2017	***http://www.bcu.ac.in***
164	बेंगलुरु डॉ. बी. आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, राजाजी हॉल, सेंट्रल कॉलेज कैंपस, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, बंगलुरु–560001, कर्नाटक	30.10.2019	***https://base.ac.inè***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
165	दावनगिरी विश्वविद्यालय, शिवगंगोत्री, दावनगिरी–577002*	2009	*http://www.devangereuniversity.org*
166	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा–585106*	1980	*http://www.gulbargauniversity.kar.nic.in*
167	कन्नड विश्वविद्यालय, हम्पी, जिला बेलारी, कमालपुरा–583276*	1992	*http://www.kannadauniversity.org*
168	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, घटाघोडी एनएच–4 तालुक–शिगाँव, जिला–हवेरी, कर्नाटक–581197	2012	*http://wwwjanapadauni.in*
169	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़–580003*	1949	*http://www.kud.ac.in*
170	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विश्वविद्यालय, रायथा भवन, भूमरड्डी सर्किल, गदाग–582 101, कर्नाटक	2016	*http://www.ksrdpru.in*
171	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर–586 101*	2004	*http://www.kswu.ac.in*
172	कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा–577 451*	1987	*http://www.kuvempu.ac.in*
173	कर्नाटक वेट्रिनेरी एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर, कर्नाटक–585 401	2004	*http://www.kvafsu.kar.nic.in*
174	कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली*	2009	*http://www.kslu.ac.in*
175	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर–570 006	1996	*http://www.ksoumysore.edu.in*
176	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बेंगलुरू–580 018	2011	*http://www.ksu.ac.in*
177	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, गोटागोड़ी, शिगगाँव तालुक, हावेरी जिला 581 197	2011	*http://www.janapadauni.in*
178	केएसजीएच संगीत एवं अभिनय कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड़, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर–570 004	2009	*http://www.musicuniversity.ac.in*
179	महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, पैलेस रोड, बेंगलुरु–560001, कर्नाटक	02.03.2019	
180	मांड्या विश्वविद्यालय, एम.सी. रोड, मांड्या–571401, कर्नाटक	02.03.2019	*http://www.mandyauniversity.ac.inè*
181	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर–574199*	1980	*http://www.mangaloreuniversity.ac.in*
182	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर–570005*	1916	*http://www.uni-mysore.ac.in*
183	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू –560072*	1992	*http://www.nls.ac.in*
184	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बंगलूरू –560041	1994	*http://www.rguhs.ac.in*
185	रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी–4, पीबी हाइवे, बेलागावी–591156, कर्नाटक*	2010	*http://www.rcub.ac.in*
186	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर–572101 (कर्नाटक)*	2004	*http://www.tumkuruniversity.in*
187	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेगलूरू–560065*	1964	*http://www.uasbangalore.edu.in*
188	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़–580005*	1986	*http://www.uasd.edu*

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/ अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
189	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर–कर्नाटक 584104	2010	*http://www.uasraichur.edu.in*
190	यूनीवर्सिटी ऑफ हार्टिकल साइंस, बागलकोट उद्यानगिरि, सीमीकेरी के समीप क्रॉस बागलकोट–587104	2010	*http://www.uhsbagalkot.edu.inè*
191	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, बेलागावी–590018*	1999	*http://www.vtu.ac.in*
192	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, जनाना सागर कैम्पस, विनयका नगर, छावनी, बेल्लारी–583104*	2010	*http://www. vskub.org*
केरल			
193	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, सीईटी कैम्पस, तिरूअनंतपुरम–695 016	2015	*https://ktu.edu.inè*
194	कालीकट यूनिवर्सिटी, त्रिची पालारी, मालापुरम जिला कोझीकोड–673 635*	1968	*http://www.universityofcalicut.info.*
195	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, कोच्ची–682 022*	1971	*http://www.cusat.ac.in*
196	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर–670 562*	1997	*http://www.kannuruniversity.ac.in*
197	केरल कृषि विश्वविद्यालय, थ्रिसूर–680 656*	1972	*http://www.kau.edu*
198	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवन्नतपुरम–695034*	1937	*http://www.keralauniversity.ac.in*
199	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची–682506 केरल	2011	*http://www.kufos.ac.in*
200	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, थ्रिसूर–680596 केरल	2011	*http://www.kuhs.ac.in*
201	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोसिटी कैंपस, कुराकोड, मंगलापुरम, थोनक्कल, पीओ तिरुवनंतपुरम–695317, केरल	28.09.2020	*http://www.duk.ac.in*
202	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल	2011	*http://www.kvasu.ac.in*
203	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम–686 560 *	1983	*http://www.mgu.ac.in*
204	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि–682017, केरल*	2009	*http://www.nuals.ac.in*
205	श्री नारायनगुरू मुक्त विश्वविद्यालय, कोल्लम, केरल–691 606	23.09.2020	*http://www.sreenarayanguru.edu.in*
206	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी–683574*	1994	*http://www. ssus.ac.in*
207	थुनचट्ठ एजूथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल पी0ओ0 तिरूर, मल्लपुरम, जिला केरल–676 107*	2013	*http://www.malayamuniversity.edu.in*
लद्दाख			
208	लद्दाख विश्वविद्यालय, सिल्क रूट रेस्ट हाउस, टीआरसी, लेह, लद्दाख	16.12.2018	*http://www. Universityofladakh.ac.in*
मध्य प्रदेश			
209	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा–486003*	1968	*http://www.apsurewa.nic.in*

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
210	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल–462016	2011	***http://www. abvhv.org***
211	बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल–462026*	1970	***http://www.bubhopal.nic.in***
212	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा–480 001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	***http://www.cuc.ac.in***
213	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर–452 001*	1964	***http://www. dauniv. ac.in***
214	धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भारत रत्न भीम राव आंबेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, रिज रोड, सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश	28.07.2018	***https://www.mpdnlu.ac.in***
215	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ0 अम्बेडकर नगर, महाओ–453441, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश*	2016	***http://www.brauss.in***
216	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004*	1964	***http://www.jnkvv.nic.in***
217	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर–474011*	1964	***http://www.jwaji.edu***
218	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,एनएससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर, बेडाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	***http://www.mpmsu.edu.in***
219	महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	***http://www. mchhatrasaluniversity. com***
220	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट–485331, जिला सतना*	1993	***http://www.mgcgvchitrakoot.com***
221	एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल–462016*	1995	***http://www.bhovirtualuniversity. com***
222	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल–462039*	1993	***http://www.mcu.ac.in***
223	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवम् वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश–456010	2008	***http://www. mpsvvuj_jain.org***
224	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर–482001	2009	***http://www.mppcvv.org***
225	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल 462044*	1999	***http://www.nliu.ac.in***
226	पंडित एस0एन0 शुक्ला विश्वविद्यालय, शाहडोल–484001, मध्य प्रदेश*	15.09.2016	***http://www.ptsns,university.ac.in***
227	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009*	2009	***http://www. rmtmusicandartsuniversity.com***
228	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल–462036*	1998	***http://www.rgtu.net***
229	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर–482001*	1957	***http://www.rdunijbpin.org***
230	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर–474002	2009	***http://www.rvskvv.nic.in***
231	सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बौद्धिस्ट–इंडिक स्टडीज, द्वितीय तल, इंस्टीटयूट ऑफ गुड गवर्नेस एण्ड पालिसी एनालिसिस, भादभादा स्क्वेयर, भोपाल–462003*	2013	***http://www.sanchiuniv. edu.in***
232	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन–456010*	1957	***http://www.vikramuniversity.org***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/ अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
महाराष्ट्र			
233	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद–431004*	1958	***http://www.bamu.net***
234	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे–402103*	1992	***http://www.dbatu.ac.in***
235	डॉ होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, 15 मैडम कामा रोड, मुंबई–400032, महाराष्ट्र	15.02.2019	***http://www.hbsu.ac.in***
236	डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला–444104*	1969	***http://www.pdkv.mah.nic.in***
237	गोडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605*	27.09.2011	***http://www.gondwana.digitaluniversity.ac.in***
238	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर–441106*	1997	***http://www.sanskrituni.net***
239	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, जिला रत्नागिरि–415712*	1972	***http://www.dbskkv.org***
240	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, फुटाला लेक रोड, नागपुर–440001	2002	***http://www.mafsu.in***
241	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बाक्स 8338, देवनार, मुंबई–400088	2014	***http://www.nlumumbai.edu.in***
242	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट(जेओटीआई), सीपी क्लब रोड, नागपुर–440001, महाराष्ट्र	2015	***http://www.nlunagpur.ac.in***
243	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बी0एड0 कालेज कैम्पस, पदमपुरा, औरंगाबाद–431005, महाराष्ट्र	2017	***http://www.mnlua.ac.in***
244	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक–424 004	2000	***http://www.muhs.ac.in***
245	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी–413722*	1968	***http://www.mpkv.mah.nic.in***
246	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी–431402*	1983	***http://www.mkv2.mah.nic.in***
247	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई–400032*	1857	***http://www.mu.ac.in***
248	कवियित्री बहिनबाई चौधरी नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी (पूर्व में नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी), जलगाँव–425001*	1991	***http://www.nmu.ac.in***
249	सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे–411007*	1949	***http://www.unipune.ac.in***
250	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती–444602*	1983	***http://www.sgbau.ac.in***
251	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर–416004*	1962	***http://www.unishivaji.ac.in***
252	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे महिला विश्वविद्यालय मुम्बई–400020*	1951	***http://www.sndt.digitaluniversity. ac***
253	शोलापुर विश्वविद्यालय, शोलापुर पुणे रोड़, केगांव, शोलापुर–413255*	2004	***http://www. su.digitaluniversity. ac***
254	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नादेंड–431606*	1995	***http://www.srtmun.org***
255	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक–422222*	1990	***http://www.ycmou.digitaluniversity.ac***
256	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर–440001*	1923	***http://www.nagpuruniversity.org***
मणिपुर			
257	धनमंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	06.04.2018	***http://www.dmu.ac.in***
258	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय, तकियेलपेट, इंफाल, मणिपुर	2016	***http//www.mtu.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
259	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कम्पांउड, पूर्वी इंफाल–795001, मणिपुर	2015	***http//www.muc.ac.in***
ओड़ीशा			
260	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर–760007*	1967	***http://www.bamu.nic.in***
261	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला–769004	2003	***http://www.bput.ac.in***
262	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर–756020*	1999	***http://www.fmuniversity. nic.in***
263	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय,फाटक, बुद्धिराजा, सम्भलपुर, ओड़िशा–768004*	2015	***http://www.gmuniversity.ac.in***
264	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापरना, पीओ मालीपाड़ा, भुवनेश्वर–751003	2014	***http://www.iiit.bh.ac.in***
265	खालीकोटे विश्वविद्यालय, बेरहामपुर, गंजम, ओड़ीशा	2015	***http://www.khallikotecollege.org***
266	उत्तरी ओड़िशा विश्वविद्यालय, बारीपेडा, जिला मयूरभंज–757003*	1999	***http://www.nou.nic.in***
267	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स–28, कटक–753001*	2008	***http://www.nluo.ac.in***
268	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जी0एम0 विश्वविद्यालय कैम्पस,, बुद्धि राजा, सम्बलपुर–768004 ओड़िशा	2015	***http//www.osou.ac.in***
269	ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर–751003*	1962	***http://www. ouat.ac.in***
270	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ओड़िशा	2015	***http://www.rdwuniversity.nic.in***
271	रावेनशाह विश्वविद्यालय, कटक–753003,*	2005	***http://www.ravenshawuniversity.ac.in***
272	सम्भलपुर विश्वविद्यालय, सम्भलपुर–768019*	1967	***http://www.suniv.ac.in***
273	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी–752003*	1981	***http://www. sjsv.nic.in***
274	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 751004*	1943	***http://www.utkal-university.org***
275	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर–751009	1999	***http://www.uuc.ac.in***
276	वीर सुरेन्द्र सांई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पी.ओ. बुरला, जिला सम्बलपुर, ओडीशा–768018*	2009	***http://www.vssut.ac.in***
277	वीर सुरेन्द्र सांई इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइस एंड रिसर्च, आयुर्विहार, बुरला सम्बलपुर–768017 ओडीशा	20.06.2014	***http//www.vimsar.ac.in***
पंजाब			
278	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, सादीक रोड़, फरीदकोट–151203*	2002	***http://www.bfuhs.ac.in***
279	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर–143005*	1969	***http://www.gndu.ac.in***
280	गुरू अंगददेव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना–141004*	2005	***http://www. gadvasu.in***
281	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब 146001	2010	***http://www. graupunjab.org***
282	जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला, पंजाब	20.12.2019	***http://www.psou.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/ अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
283	महाराज रणजीत सिंह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड, भटिंडा–151001*	2015	***http://www.mrsptu.ac.in***
284	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना–141004*	1962	***http://www.pau.edu***
285	आई. के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर–144 011	1998	***http://www.ptu.ac.in***
286	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला–147002*	1962	***http://www.punjabiuniversity.org***
287	श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तरन तारन–143401, पंजाब	30.09.2020	
288	महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोहिंद्र कोठी, फव्वारा चौक के पास, पटियाला–147001, पंजाब	29.08.2019	***http://mbspsu.pgsgcpe.comè***
289	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला–147001*	2006	***http://www.rgnul.ac.in***
राजस्थान			
290	बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैम्पस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर–334004	18.05.2017	***https://www.btu.ac.in***
291	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	26.02.2019	***http://www.babasaheb. university.nic.in***
292	गोविन्द गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, श्री गोविन्द गुरु गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस, बनासवाड़ा–327001	2012	***http://www. ggtu.ac.in***
293	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 213, राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302017	02.03.2019	***http://www.hjuj.ac.in***
294	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर–342011*	1962	***http://wwwjnvu.edu.in***
295	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, 2–2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998	***http://www jrrsanskrituniversity.ac.in***
296	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा–324010*	1987	***http://www. vmou.ac.in***
297	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर–313001	2000	***http://www.mpuat.ac.in***
298	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर–305009*	1987	***http://www.mdsuajmer.com***
299	महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय, एम0एस0जे0 महाविद्यालय भवन, भारतपुर–321001 (राजस्थान)	2012	***http://www. brijuniversity. ac.in***
300	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर–313001*	1962	***http://www.mlsu.ac.in***
301	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर–342004*	2004	***http://www.nlujodhpur.ac.in***
302	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर–334 006.* (पूर्व में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती थी)	1987	***http://www.raubikaner.org***
303	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	***http://www.raujodhpur.org***
304	राजस्थान आईएलडी स्किल यूनीवर्सिटी (आरआईएसयू), होटल खासा कोठी कैम्पस, जयपुर 302031, राजस्थान	30.03.2017	***http://www.rajskills.edu.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
305	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान–342004	2012	***http://www.policeunviersity.ac.in***
306	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर–302004*	1947	***http://www.uniraj.ernet.in***
307	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी–1, सवाई मानसिंह रोड़, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर*	2005	***http://www.ruhsraj.org***
308	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान*	2010	***http://www.rajuvas.org***
309	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर, राजस्थान*	2003	***http://www.mgsubikaner.ac.in***
310	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अखेलगढ़, रावतभाटा रोड़, कोटा 324010	2006	***http://www.rtu.ac.in***
311	राजऋषि भारतीहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, महिला छात्रावास भवन, बाबू शोभराम शासकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर, राजस्थान	2012	***http://www.rrbmuniv. ac.in***
312	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (पूर्व में शेखावाटी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था), श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001	2012	***http://www.shekhauni.ac.in***
313	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)*	2003	***http://www.uok.ac.in***
सिक्किम			
314	सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय, गंगटोक पूर्वी सिक्किम, तडोंग–737102, सिक्किम	19.04.2017	***http://www.sikkimstateuniversity.inè***
तमिलनाडु			
315	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी–630003*	1985	***http://www.alagappauniversity. ac.in***
316	अन्ना विश्वविद्यालय, गुंडई, चेन्नई–600025*	1978	***http://www.annauniv. edu***
317	अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर–608002*	1929	***http://www.annamalaiuniversity.ac.in***
318	भरथियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर–641046*	1982	***http://www.b-u.ac.in***
319	भारथीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचुरापल्ली–620024*	1982	***http://www.bdu.ac.in***
320	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई–600005*	1857	***http://www.unom.ac.in***
321	मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई–625021*	1965	***http://www.mkuniversity.org***
322	मनोनमनीयम सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेल्ली–627012*	1992	***http://www.msuniv.ac.in***
323	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल–624102*	1984	***http://www.motherterasawomenuniv.org***
324	पेरियार विश्वविद्यालय, सेलम–636010*	1998	***http://www.periyaruniversity. ac.in***
325	तमिल विश्वविद्यालय, थंजावुर–613010*	1981	***http://www.tamiluniversity.ac.in***
326	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर–641003*	1971	***http://www.tnau.ac.in***
327	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, संख्या 577, अन्ना सलाई साइदापेट, चेन्नई–600015*	2004	***http://www.tnou.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
328	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600028*	1998	***http://www.tndalu.ac.in***
329	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई–600032*	1989	***http://www.tnmgrmu.ac.in***
330	तमिलनाडु मत्सियिकी विश्वविद्यालय, प्रथम लाईनबीच रोड, नागापट्टनम–611001*	2012	***http://www.tnfu.org.in***
331	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्टू, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली–620009*	2012	***http://www.tnnls.ac.in***
332	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई*	2005	***http://www.tnpesu.org***
333	तमिलनाडु संगीत तथा ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ0 डी0जी0एस0 दिनाकरन सलाई, चेन्नई–600028	2013	***http://www.tnmfau.in***
334	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600051*	1990	***http://www.tanuvas.ac.in***
335	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, सरक्कादु, वेल्लोर 632115*	2003	***http://www.tvuni.in***
336	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई–600005	2008	***http://www.tnteu.in***
तेलंगाना			
337	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद–500033*	1982	***http://www.braou.ac.in***
338	जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला तथा ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028*	2008	***http://www.jnafau.ac.in***
339	जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलाजीकल युनिवर्सिटी, हैदराबाद–500085*	1972	***http://www.jntuh.ac.in***
340	कालोजी नारायणराव यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइस, ककातिया मेडीकल कालेज कैम्पस, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना–506002	26.09.2017	***http://www.knruhs.in***
341	काकतीया विश्वविद्यालय, वारंगल–506009*	1976	***http://www.kakatiya.ac.in***
342	महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, येल्लारेइडीयुगुडेम, नलगोण्डा–508254*	2008	***http://www.mguniversity.ac.in***
343	नालसार कला, विधि और न्याय विश्वविद्यालय, शमरपेट, आर0आर जिला, हैदराबाद–500101*	1999	***http://www.nalsar.ac.in***
344	निजाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांईस, पंजागुट्टा, हैदराबाद–500082	1989	***http://www.nims.ap.nic.in***
345	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007*	1918	***http://www.osmania.ac.in***
346	पालामुरू विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्पलेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर–509001 आन्ध्र प्रदेश*	2008	***http://www.palamuruuniversity.ac.in***
347	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500004*	1985	***http://www. teluguuniversity. ac.in***
348	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030*	2014	***http://www.pjtsau.ac.in***
349	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नालेज टेक्नोलाजी, हैदराबाद*	2011	***http://www.rgukt.in***
350	सातवाहन विश्वविद्यालय, मल्कापुर रोड, करीमनगर–505001	2008	***http://www. satavahana.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
351	श्रीकोण्डा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–500030	2014	***http://www.skitshu.ac.in***
352	श्री पी0 वी0 नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटेनरी यूनीवर्सिटी, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद–500030	2014	***http//www.tsvu.nic.in***
353	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद–503322*	2006	***http://www.telanganauniversity.ac.in***
त्रिपुरा			
354	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा*	2015	***http://www. mbbuniversity. ac.in***
उत्तर प्रदेश			
355	इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	***http://www. alldstateuniversity. org***
356	बंदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांद्रा–210001, उत्तरप्रदेश	2010	***http://www.buat.edu.in***
357	बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी–284128*	1975	***http://www.bujhansi.org***
358	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर–208002*	1974	***http://www.csauk.ac.in***
359	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर–208024*	1965	***http://www.kanpuruniversity. org***
360	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ–250005*	1965	***http://www. ccsuniversity. org***
361	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर–273009*	1957	***http://www. ddugu.edu.in***
362	डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्व में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था), लखनऊ 226 031*	2001	***http://www. uptu.ac.in***
363	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद–224001*	1975	***http://www.rmlau.ac.in***
364	डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश	12.09.2018	***https://www.drrmlims.ac.inè***
365	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ 226012*	2005	***http://www.rmlnlu.ac.in***
366	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा–282004*	1927	***http://www. dbrau.com***
367	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला–गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201312*	2002	***http://www.gbu.ac.in***
368	हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर 208002 उत्तर प्रदेश	2016	***http://www.hbtu.ac.in***
369	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तरप्रदेश	2016	***http://www.jncu.ac.in***
370	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226013*	2010	***http://www. uafulucknow.ac.in***
371	किंग जार्ज आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ–226003*	2004	***http://www.kgmcindia.edu***
372	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007*	1921	***http://www. lucknowuniv.org***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
373	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273010*	2013	***http://www.mmmut.ac.in***
374	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली–243006*	1975	***http://www.mjpru.ac.in***
375	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी–221002*	1974	***http://www.mgkvp.ac.in***
376	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद–224229*	1974	***http://www.nduat.ernet.in***
377	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002*	1958	***http://www.ssvv.up.nic.in***
378	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ–250110	2004	***http://www.svbpmeerut.ac.in***
379	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर–272202	2015	***http://www. sidunikapilvastu. edu. in***
380	यू.पी. किंग जार्ज दंत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ–226003	2004	
381	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान,मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	***http://www. upvetuniv. edu.in***
382	यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड़) इलाहाबाद–211001	2004	***http://www.uprtou.ac.in***
383	उत्तरप्रदेश यूनीवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइस, सैफई, इटावा–206130, उत्तरप्रदेश	2016	***http//www.upums.ac.in***
384	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ0 शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनउ, उत्तर प्रदेश–226017*	2008	***http://www.dsmru.up.nic.in***
385	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर–222002*	1987	***http://www.vbspu.ac.in***
उत्तराखण्ड			
386	दून विश्वविद्यालय, मोथरवाला रोड, केदारपुर, देहरादून–248001*	2005	***http://www.doonuniveristy.ac.in***
387	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145*	1960	***http://www.gbpuat.ac.in***
388	हेमवती नन्दन बहुगुणा आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज कार्यशाला के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड	2014	***http://www.hnbumu.ac.in***
389	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263001*	1973	***http://www.kuntl.in***
390	सोबल सिंह जेना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	22.06.2020	
391	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बडशाहीथोल, टीहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199	2011	***http://www.sdsuv. ac.in***
392	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7–ए, प्लेजेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून–248009, उत्तराखण्ड	2009	***http://www.uau.ac.in***
393	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249401 (उत्तराखंड)*	2005	***http://www.usvv.org***
394	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए–12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट–धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	2008	***http://www.uktech.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
395	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, तीन पानी बॉय पास रोड, पी.ओ. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, हल्द्वानी–263139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	***http://www.uou.ac.in***
396	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 246123	2011	***http://www.uuhf.ac.in***
पश्चिम बंगाल			
397	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700091*	2007	***http://www.aliah.ac.in***
398	बांकुरा विश्वविद्यालय, पुआबागन कैम्प कार्यालय, डाकघर बागबंद, जिला बांकुरा–722146	2014	***http://www.bankurauniv. ac.in***
399	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया–741252*	1974	***http://www.bckv.edu.in***
400	वर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाती, वर्द्धमान–713104*	1960	***http://www.buruniv.ac.in***
401	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता–700073*	1857	***http://www.caluniv.ac.in***
402	कूच बिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानन्द रोड, कूच बिहार–736101	2012	***http://www.cbpbu.ac.in***
403	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, केयर ऑफ फकीर चंद, डायमंड हार्बर, दक्षिण चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल–743331*	2013	***http://www.dheou.ac.in***
404	हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	01.01.2021	***http://www.hindiuniv.org.in***
405	जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता–700032*	1955	***http://www.jadavpur.edu***
406	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी–741235*	1960	***http://www.klyuniv.ac.in***
407	कन्याश्री विश्वविद्यालय, कृष्णानगर, नाडिया, पश्चिम बंगाल	10.11.2020	
408	काजी नजरूल विश्वविद्यालय, पुराना एडीडीए कार्यालय भवन (आसनसोल बालिका महाविद्यालय के पीछे), पी ओ–आसनसोल–713304, जिला–बर्दवान, पश्चिम बंगाल*	2012	***http://www.knuedu.in***
409	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग–734430*	1962	***http://www.nbu.ac.in***
410	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकता–700020	1997	***http://www.wbnsou.ac.in***
411	प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय, 86 / 1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता–700073*	2010	***http://www.presiuniv.ac.in***
412	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता–700050*	1962	***http://www.rbu.ac.in***
413	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ–रायगंज, जिला उत्तरी दिंजापुर–733134*	2015	***http://www.raiganjuniversity.ac.in***
414	रानी रश्मोनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल	09.01.2018	***http://www.rrgu.org***
415	सिद्धो–कान्हो–बिरसा विश्वविद्यालय, 10 ए, ब्लॉक–एलए, प्रशासनिक भवन, रेंच रोड परिसर, सैनिक स्कूल के पास, पुरलिया–723104*	2010	***http://www.skbu.ac.in***
416	द संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता–700073	2016	***http://www. sanskritcollegeanduniversity.org.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / अधिसूचना का वर्ष	वेबलिंक
417	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता*	2004	*http://www.nujs.edu*
418	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी–36, सेक्टर–1, साल्ट लेक, कोलकाता–700064*	2002	*http://www.wbuhs.ac.in*
419	पश्चिम बंगाल अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, 25/2 और 25/3, बैलीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता–700019	2015	*http://www. wbuttepa.ac.in*
420	गौड़ बंगा विश्वविद्यालय, रवीन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज परिसर, पीओ और जिला–मालदा–732 101*	2007	*http://www.ugb.ac.in*
421	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला–कूच बिहार–736165	2001	*http://www.ubkv.ac.in*
422	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर–721102*	1981	*http://www. vidyasagar.ac.in*
423	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एंड फिशरीज़ साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता 700037*	1995	*http://www.wbuafscl.ac.in*
424	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता–700091*	2001	*http://www.wbut.net*
425	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बारासात गर्वेनमेंट कालेज एनेक्सी बिल्डिग, 10 के0एन0सी0 रोड, कोलकाता 700124*	2007	*http://www.wbsubregistration.org*

तालिका 2.2(i)(ख)(iv) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालय

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
आंध्र प्रदेश			
1	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार विश्वविद्यालय, गाउनीवारीपल्ली, गोरांटला मंडल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	17.02.2019	*http://www.bestiu.in*
2	सेंचुरियन यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट, गिडीजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम–531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	*http://www.cutm.ac.in*
3	केआरईए विश्वविद्यालय, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	*http://krea.edu.inè*
4	सवीता अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरा तल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, एक्जीक्यूटिव क्लब के सामने, विजयवाड़ा–520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	*www.saveethaamaravati.university*
5	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा–कुरागल्लू ग्राम, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला–522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	*http://www.srmap.edu.in*
6	वीआईटी–एपी विश्वविद्यालय, अमरावती–522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	*https://vitap.ac.inè*

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
अरूणाचल प्रदेश			
7	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला ईस्ट सियांग, अरूणाचल प्रदेश–791102	10.05.2013	***http://www.apexuniversity. ac.in***
8	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच–52, नामसाई, जिला नामसाई,–792103, अरूणाचल प्रदेश	26.05.2012	***http://www.arunachaluniversity. ac.in***
9	अरूणोदय विश्वविद्यालय, ई–सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला–नामसाई–791109, अरूणाचल प्रदेश	21.10.2014	***http://www.arunodayauniversity. ac.in***
10	हिमालयन यूनिवर्सिटी, 401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नाहरलागुन, ईटानगर, जिला–पापुमपारे–791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	***http://www.himalayanuniversity. com***
11	नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर टेक्नीकल युनिवर्सिटी, सिबु–पियुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरूणाचल प्रदेश–791001	03.09.2014	***http://www.neftu.edu.in***
12	द ग्लोबल यूनीवर्सिटी, होलोंगी, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	***http://www.globaluniversity.edu.in***
13	द इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरूणाचल प्रदेश 791120	26.05.2012	***http://www.indiragandhiuniversity. in***
14	वेंकटेश्वरा मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश	20.06.2012	***http://www.vou.ac.in***
असम			
15	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी 781017*	12.02.2009	***http://www.dbuniversity. ac.in***
16	असम डॉउन टॉउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी–781036	29.04.2010	***http://www.adtu.in***
17	कृष्णगुरु आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, नासात्रा, बारपेटा, असम–781307	11.04.2017	***http://www.kav.org.inè***
18	महापुरूष श्रीमंत शकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत, श्रीमंत शंकरदेव संघ काम्पलैक्स, हलधर भायुन पथ, कालोंपार, नौगांव–782001, असम	14.08.2013	***http://www.mssv.co.in***
19	द असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम 785006	11.04.2012	***http://www.kazirangauniversity.in***
20	द असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी,बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने,एनएच–37, गुवाहाटी–781035, असम	23.08.2013	***http://www.rgu.ac.in***
बिहार			
21	अल–करीम यूनिवर्सिटी कटिहार–पुरनेया रोड के पास, सिरसा, करीम बाग, कटिहार–854 106 (बिहार)	15.06.2018	***http://www.alkarimuniversity.edu.inè***
22	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना–801503, बिहार	18.08.2017	***http://amity.eduèpatnaè***
23	डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी ब्लॉक–भगवानपुर, एन एच–77 (पटना–मुजफ्फरपुर हाईवे), जिला–वैशाली–844114, बिहार	29.01.2018	***http://cvru.ac.inè***
24	गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुहार, जिला–रोहतास–821305 बिहार	15.06.2018	***https://www.gnsu.ac.inè***
25	माता गुजरी यूनिवर्सिटी, पूरबपाली रोड, किशनगंज–855107, बिहार	20.02.2019	***http://www.matagujriuniversity.com***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
26	संदीप यूनीवर्सिटी, ग्राम सिजोली, जिला मधुबनी,–847235, बिहार	08.06.2017	***http://www.sandipuniversity.edu.in***
27	के. के. यूनीवर्सिटी, बेरौती, नेपुरा, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार–803115	08.06.2017	***http://www.kkuniversity.ac.in***
छत्तीसगढ़			
28	एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्टस्, ग्राम–माथ, तहसील–तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	***https://aaft.edu.inè***
29	एमिटी युनिवर्सिटी, ग्राम मंथ, तहसील–तिलदा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	***http://www. amity. eduèraipurè***
30	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड़, कोटा, बिलासपुर 495001	03.11.2006	***http://www. cvru.ac.in***
31	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, रा0रा0–6, रायपुर–भिलाई रोड़, ग्राम–छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	***http://www. iuraipur.edu.in***
32	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गाँव–नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद–493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	***http://www. isbmuniversity. edu. in***
33	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला–रायपुर–493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	***http://www. itmuniversity. org***
34	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, खासरा नंबर 72,73,75,217 और 220 ग्राम मेहमरा, जलबंध (रासमड़ा) रोड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	08.08.2018	***https://kkmu.edu.inè***
35	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़*	24.03.2011	***http://www. kalingauniversity.org***
36	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर–495001	17.04.2018	***http://www. mumt.com***
37	मैट्स विश्वविद्यालय, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम–गुल्लू, तहसील–अरांग, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़	03.11.2006	***http://www. matsuniversity.ac.in***
38	ओ0पी0 जिन्दल युनिवर्सिटी, नालेज पार्क, घरोन्दा रोड, पुन्जीपाथरा, रायगढ़–496001	21.08.2014	***http://www. opju.ac.in***
39	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ (निजी विश्वविद्यालय)	17.04.2018	***http://sruraipur.ac.inè***
40	श्री शंकराचार्या व्यावसायिक विश्वविद्यालय ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़–490020 (निजी विश्वविद्यालय)	09.06.2020	***https://www. shrishankaracharyauniversity.comè***
गुजरात			
41	अहमदाबाद विश्वविद्यालय,एईएस बंगला नम्बर–2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009	7è7è2009	***http://www.ahduni.edu.in***
42	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतधाम परिसर, भोपाल गुमा–संसद रोड अहमदाबाद, गुजरात–382115	09.05.2016	***http://www. anu.edu.in***
43	आत्मीय युनिवर्सिटी, योगीधाम गुरुकुल, कालवाड़ रोड, राजकोट–360005, गुजरात	13.04.2018	***https://atmiyauni.ac.inè***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
44	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिटेलिटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात 394510	12.10.2011	***http://www. aurouniversity.edu.in***
45	भगवान महावीर विश्वविद्यालय, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत, गुजरात	25.09.2019	***http://www. bmvsurat.ac.in***
46	भाईकाका विश्वविद्यालय, गोकल नगर, करमसाद–388325, गुजरात	25.09.2019	***http://www.bhaikakauniv.edu.inè***
47	सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एण्ड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009	12.04.2015	***http://www. cept.ac.in***
48	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा–388421, जिला–आनन्द	04.11.2009	***http://www.charusat.ac.in***
49	चारूतार विद्या मंडल (सीवीएम) विश्वविद्यालय, बीवीएम कॉलेज के बगल में शास्त्री मेंदान के सामने, वल्लभ विद्यानगर, जिला आनंद गुजरात	25.09.2019	***http://www. cvmu.edu.incept.ac.in***
50	सी.यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर–अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोथारिया गांव के निकट, वधावन सिटी–363030, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	22.04.2013	***http://www.cushahuniversity. ac.in***
51	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	06.03.2003	***http://www.daiict.ac.in***
52	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा–382711	23.03.2005	***http://www.ganpatuniversity. ac.in***
53	जी.एल.एस. विश्वविद्यालय, गुजरात ला सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद–380006	15.04.2015	***http://www.glsuniversity. ac.in***
54	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, नियर जीआरएसएल, सुजानपुर पाटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	***http://gokuleducation.ac.inè***
55	गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात	06.05.2017	***https://gmu.edu.inè***
56	जी.एस.एफ.सी. यूनिवर्सिटी, विज्ञान भवन, डाकघर फर्टीलाइजर नगर–391750, जिला वदोदरा, गुजरात	19.12.2014	***http://www.gsfcuni.edu.in***
57	इन्डस विश्वविद्यालय, इन्डस कैम्पस, रणचारदा, वाया–थालटेज, अहमदाबाद–382115	02.05.2012	***http://www.iiuedu.in***
58	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक हैल्थ–गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीटयूट ऑफ इकोनामिक्स एंड सोशल रिर्सच कैंपस, डाइव इन रोड, थलटेज, अहमदाबाद–380054	02.05.2015	***http://www.iiphg.edu.in***
59	इंद्रशील यूनिवर्सिटी, रतनपुर, धनधुका, अहमदाबाद–382465, गुजरात	31.03.2017	***http://www.indrashiluniversity. educ. in***
60	इन्स्टीटयूट ऑफ एडवांस रिसर्च, इन्स्टीटयूशनल एरिया, खोबा, गांधीनगर–382007	12.10.2011	***http://www.iar.ac.in***
61	आईटीएम–वोकेशनल यूनीवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रावाल तालुका, वाघोडिया, वदोदरा, गुजरात	08.05.2014	***http://www.itm.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
62	आईटीएम (एसएलएस) बड़ौदा विश्वविद्यालय, पालडी, जारोद के पास, वडोदरा–हलोल राजमार्ग, वडोदरा–391510 गुजरात	25.09.2020	***http://www.itmbu.ac.in***
63	जे.जी. यूनिवर्सिटी, उवारसाद, जिला–गांधीनगर–380054, गुजरात	25.09.2019	***http://www.jguni.inè***
64	कादी सर्वा विश्वविद्यालय, सर्वा विद्यालय कैम्पस, सैक्टर 15/23, गांधीनगर–382015	16.05.2007	***http://www.ksvuniversity. org.in***
65	कर्मावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवारसाड़,–382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	***http://www.karnavatiuniversity. com***
66	लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, ''लोटस व्यू'' निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एस0जी0 राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद–382481	16.04.2013	***http://www.lyu.ac.in***
67	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय, एफपी नंबर 74, 100113, टीपीएस नंबर 86 (सरखेज–ओकाफ–फतेवाड़ी, मकरबा) जिला अहमदाबाद, गुजरात	25.09.2019	***http://www.ljku..edu.in***
68	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, राजकोट–360003	09.05.2016	***http://www.marwadiuniversity. ac.in***
69	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भयली रोड़, वडोदरा–382015	07.07.2009	***http://www.nuv. ac.in***
70	निरमा यूनिवर्सिटी सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद–382481	12.3.2003	***http://www.nirmauni.ac.in***
71	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसेन, जिला गाँधीनगर–382009	04.04.2007	***http://www.pdpu.ac.in***
72	पीपी सावानी विश्वविद्यालय, रा0 रा0–8, गेटको, बिल्टैक, ग्राम धामदोड़, कोसाम्बा, तहसील–मंगरोल, जिला सूरत–394125, गुजरात	31.03.2017	***www.ppsu.ac.in***
73	पारूल विश्वविद्यालय, डाकघर लिम्दा, ताल्लुक–वाघोडिया, जिला वदोदरा–391760	21.04.2015	***http://www.paruluniversity.ac.in***
74	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला–वलसाड–396195	09.05.2016	***http://www.plastindia.edu.in***
75	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट–भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात 360020	14.10.2011	***http://www.rku.ac.in***
76	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात 382260	02.05.2009	***http://www.raiuniversity.edu***
77	साबरमती विश्वविद्यालय (पूर्व में कैलॉक्स शिक्षक विश्वविद्यालय), अहमदाबाद–382481	07.07.2009	***http://www.ctu.calorx.org***
78	संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, संकल्पचंद पटेल विद्याधाम, विसनगर–384315	09.05.2016	***http://www.spceung.ac.in***
79	श्रेयार्थ विश्वविद्यालय, गुजरात संचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद–380001, गुजरात	25.09.2019	***http://www.shreyarthuni.ac.in***
80	सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी एसजी हाईवे गोटा, अहमदाबाद 382481, गुजरात	25.09.2019	***https://silveroakuni.ac.inè***
81	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इन्नोवेशन यूनीवर्सिटी, भोयान राठौड, इफको के सामने, अदलाज सेलथा रोड, गांधीनगर,–382420, गुजरात	31.03.2017	***http://www.ssiu.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
82	टीम लीज स्किल युनिवर्सिटी, तारसाली बाईपास, वडोदरा–390009	22.04.2013	***http://www.teamleaseuniversity. org***
83	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली–महुआ रोड़, जिला–सूरत, गुजरात–394350	14.10.2011	***http://www.utu.ac.in***
हरियाणा			
84	अल–फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	***http://www.alfalahuniversity.edu.in***
85	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला–गुड़गाँव–122413, हरियाणा	26.04.2010	***http://www. amity. eduègurgaon***
86	एपीजे स्टॉय यूनिवर्सिटी, पलवल रोड़, सोहना, गुड़गाँव–122103, हरियाणा	02.11.2010	***http://www.university.apeejay. edu. in***
87	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नम्बर. 2, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, कुण्डली, रा0रा0क्षे0, सोनीपत, हरियाणा–131028	02.05.2014	***http://www. ashokaka.edu.in***
88	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा 124021	10.02.2012	***http://www. babamastanathuniversity. com***
89	बीएमएल मुंजाल युनिवर्सिटी, 67वां किलोमीटर स्टोन, रा0रा0–8, सिधरावली, जिला–गुड़गांव–123413, हरियाणा	02.05.2014	***http://www. bml.edu.in***
90	जी0डी0 गोएनका विश्वविद्यालय, जी0डी0 गोएनका एजूकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122 103	03.05.2013	***http://www. gdgoenkauniversity. com***
91	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर–53, गुरुग्राम–122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	***http://www.iilmlr.ac.inè***
92	द नार्थकैप यूनीवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23ए, गुरूग्राम–122107, हरियाणा	21.10.2009	***http://www.itmindia.edu***
93	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग संख्या 22, बहादुरगढ़,–झझर रोड, झझर–124507, हरियाणा	03.05.2013	***http://www.jagannathuniversityncr. ac.in***
94	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा–122103	03.05.2013	***http://www.krmangalam.edu.in***
95	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर–43, दिल्ली सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	***http://www.manavrachna.edu.in***
96	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा–121105	10.02.2012	***http://www.mvn.edu.in***
97	महर्षि मारकण्डेशवर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अम्बाला, हरियाणा–134007	29.10.2010	***http://www.mmumullana.org***
98	एनआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 कि0मी0 माईलस्टोन, रा0रा0–65, कैथल–136027, हरियाणा	27.09.2011	***http://www.niilmuniversity. in***
99	ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एनएच–65, कैथल–136027, हरियाणा	15.03.2019	***https://www.osgu.ac.inè***
100	ओ. पी. जिन्दल ग्लोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा–131001*	10.11.2006	***http://www.jgu.edu.in***
101	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स 15, सैक्टर–3ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़–124507	14.01.2016	***http://www.pdm.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
102	ऋषिहुड युनिवर्सिटी, एनएच–44 (जीटी रोड), दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा–131021 के भालगढ़ चौक रा0रा0क्षेत्र दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा–131021	04.05.2020	***http://www.rishihood.edu.in***
103	सुशांत यूनिवर्सिटी (पूर्व में अंसल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी), गुरुग्राम, हरियाणा	10.02.2012	***http://www. ansaluniversity. edu.in***
104	श्री गुरू गोबिंद सिंह ट्राईसेनेटरी यूनिवर्सिटी, फारूखनगर रोड, बुढेडा, जिला गुरूग्राम, हरियाणा	03.05.2013	***http://www.sgtuniversity. org***
105	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट संख्या 39, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन काम्पलेक्स, हरियाणा–131029	03.05.2013	***http://www. srmuniveristy. ac.in***
106	स्टारेक्स यूनीवर्सिटी, रा0 रा0–8, ग्राम बिनोला, पी0ओ0 भोराकलां, गुरूग्राम, हरियाणा	25.08.2016	***http://www.starexuniversity.com***
107	वर्ल्ड यूनीवर्सिटी ऑफ डिजाईन, प्लॉट नम्बर 1, राजीव गांधी एजूकेशन सिटी, राई, दिल्ली एनसीआर, सोनीपत–131029, हरियाणा	07.02.2018	***http://www. worlduniversityofdesign. ac.in***
हिमाचल प्रदेश			
108	अभिलाष विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचौट), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	***http://www.abhilashiuniversity. in***
109	ए.पी.जे. (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम–पुजारली, शोघी मेहली बाई पास रोड, पंथाघाटी के पास, शिमला–171009	07.06.2012	***http://www. apg.edu.in***
110	अर्नी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला–कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)–176401	03.11.2009	***http://www. arni.in***
111	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला–सोलन हिमाचल प्रदेश–173205	15.10.2009	***http://www. baddiuniv. ac.in***
112	बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ–वाकनाघाट, तहसील–कांडाघाट, जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश–173215	21.01.2011	***http://www. bahrauniversity. edu. in***
113	कैरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–176041	03.05.2012	***http://www. cpuniverse.in***
114	चितकारा विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन–174103	21.01.2009	***http://www. chitkara.edu.in***
115	एटेरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, जिला सिरमौर, पिन–173101 (हिमाचल प्रदेश)	22.10.2009	***http://www. eternaluniversity. edu. in***
116	आई.ई.सी. (इंडिया एजुकेशन सेंटर) विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बद्दी जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	***http://www. iecuniversity.com***
117	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंधाला, वाया बारोतीवाला, बद्दी, जिला–सोलन, हिमाचल प्रदेश–174103	20.10.2011	***http://www. iuhimachal.edu.in***
118	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश–174301	01.02.2010	***http://www. iiuedu.in***
119	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, पी.ओ. वाकनाघाट, तहसील–कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश–173234	22.05.2002	***http://www.juit.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
120	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड़, सोलन–173229	19.09.2010	***http://www.mmusolan.org***
121	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला–सोलन–174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	***http://www.mau.ac.in***
122	मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडू, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन–173229	22.09.2009	***http://www.manavbhartiuniversity.edu.in***
123	शूलिनी विश्वविद्यालय जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	***http://www.shooliniuniversity. com***
124	श्री साईं विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	***http://www.srisaiuniversity. org***
झारखण्ड			
125	एआरएके जैन यूनीवर्सिटी, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गमहारिया, जिला सेराईकेला खारसावान–832108, झारखंड	04.07.2017	***http://www.arkauniversity.ac.in***
126	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची शहर परिसर निवरानपुर मुख्य सड़क, रांची झारखंड	13.05.2016	***http://www.amity. edu.in***
127	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	***http://www.aisectuniversity.ac.in***
128	कैपिटल विश्वविद्यालय, रांची–पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	***http://www.capital.edu.in***
129	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची–835222	02.02.2012	***http://www.jru.edu.in***
130	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ–भिलाई पहाड़ी, पीएस–एमजीएम, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	***http://www.wbnsou.ac.inè***
131	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरटू रोड, बूटी मोर, पीओ–आरएमसीएच, रांची–834009, झारखंड	16.05.2016	***http://www.pragyanuniversity.edu. in***
132	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	***http://rguniversity.orgè***
133	राम कृष्णा धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय, 604, 5वां तल, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोड़ा चौक के पास, रांची–834002, झारखंड	06.12.2018	***https://rkdf.ac.inè***
134	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू–822132, झारखंड	19.09.2018	***https://www.rcu.edu.inè***
135	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012	***http://www.sainathuniversity.com***
136	सरला बिरला यूनीवर्सिटी, बिरला कैम्पस, ग्राम आरा, पी0ओ0 माहलौंग, रांची–पुरूलिया राजमार्ग, रांची–835103, झारखंड	20.07.2017	***http://www.sbu.ac.in***
137	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमरेल्ड बिल्डिंग, मार्ग संख्या 1 और 2 के बीच में, अशोक नगर, राँची–834202, झारखण्ड	17.06.2008	***http://www.iujharkhand.edu.in***
138	उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, 12 माइल, रांची खुंटी रोड, एन एच–95, रांची–835221	20.01.2014	***http://www.ushamartinuniversity.com***
139	वाईबीएन यूनीवर्सिटी, पंचवटी साउथ रेलवे कॉलोनी, रांची–834001, झारखंड	04.07.2017	***http://www.ybnuniversity.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
कर्नाटक			
140	आदिचुनचानागिरी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग–75, तालुक–नागामंगला, जिला–मांडया, बी.जी. नगर–571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	***https://acu.edu.inè***
141	अलॉयन्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, (कर्नाटक)	16.09.2010	***http://www.alliance.edu.in***
142	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड़ बेंगलुरु, कर्नाटक	13.10.2010	***http://www.azimpremjiuniversity. edu.in***
143	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2, 3 'सी' छठा मेन रोड, द्वितीय ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बेंगलुरु–560043, कर्नाटक	16.05.2013	***http://www.cmr.edu.in***
144	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवराखागल्ली ग्राम, हरोहल्लाहोबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	***http://www.dayanandsagar.edu.in***
145	गार्डन सिटी यूनीवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, पांचवा मेन, इंदिरा नगर डबल रोड, प्रथम स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलुरु–560038, कर्नाटक	24.06.2013	***http://www.gardencityuniversity***
146	जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलाजी यूनीवर्सिटी, जेएसएस टेक्नीकल इंस्टीटयूशन कैम्पस, मैसूरू–570006, कर्नाटक	16.01.2016	***http://www.jssstuniv.in***
147	ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, ख्वाजा बंदानवाज विश्वविद्यालय परिसर, रॉउज–ए बुजुर्ग, कालाबुर्गी–585104, कर्नाटक	21.04.2018	***www.kbn.university.***
148	केएलई टेक्लाजिकल यूनिवर्सिटी, बी0वी0 भूमारडी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगार, हुबली–580031, कर्नाटक	04.04.2015	***http://www.kletech.ac.in***
149	एम0एस0 रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाईड सांइस, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बेल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बेंगलुरु–560054, कर्नाटक	09.07.2013	***http://www.msruas.ac.in***
150	पीईएस यूनिवर्सिटी, सौ फीट रिंग रोड, बीएसके–III स्टेज, बेंगलुरु–560085	16.05.2013	***http://www.pes.edu***
151	प्रेजीडेन्सी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), डिब्बूर एवं ईगलपुर ग्राम, हेसाराघाट होबली, बेंगलुरु (कर्नाटक)	16.05.2013	***http://www.presidencyuniversity.in***
152	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दोडाबालापुर नेलमंगलला रोड, एसएच–74, ऑफ हाईवे 207, दोडाबादलापुर तालुक, बेंगलुरु–561204	09.07.2013	***http://www. raitechnologyuniversity.in***
153	रीवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाल्ली, येलहानका, बेंगलुरु–560064	16.05.2013	***http://www.reva.edu.in***
154	शरनबासवा विश्वविद्यालय, कलाबुरागी (गुलबर्गा)	29.07.2017	***http://sharnbasvauniversity. edu.in***
155	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर विश्वविद्यालय, छठा तल, मंजूश्री भवन, एसडीएम कॉलेज चिकित्सा विज्ञान एवं अस्पताल परिसर, सत्तूर, धारवाड़–580009 कर्नाटक	19.12.2018	***https://www.sdmuniversity.edu.inè***
156	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास ग्रूप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुका, सुरथाकल, मंगलोर–574146	20.02.2015	***https://www.srinivasuniversity.edu.in***
157	श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमेन एक्सीलेंस, श्री सत्य साईं विद्यानिकेतन परिसर, नवनिहाला, पोस्ट–ओकली, तालुकमलपुर, जिला–कालबुर्गी–585313, कर्नाटक	08.03.2019	***https://sssuhe.ac.inè***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
158	द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस–डिसीप्लीनरी, हैल्थ साइंस एण्ड टेक्लॉनोलाजी, 74 / 2, जाकरबंद कावल, येलाहांका, वाया अट्टूर पोस्ट, बेंगलुरु–560064, कर्नाटक	26.06.2013	***http://www.tdu.in***
मध्य प्रदेश			
159	आवंतिका यूनीवर्सिटी, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा ग्राम, उज्जैई–456006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	***http://www.avantikauniversity. edu. in***
160	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश 485001	31.12.2011	***http://www.aksuniversity. ac.in***
161	एकलव्य विश्वविद्यालय, ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह, मध्य प्रदेश	26.09.2020	***http://www.eklavyauniversity.ac.in***
162	रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, गाँव मेंडुआ, भोपाल–चिकलोड़ रोड, तहसील–गोहरगंज, जिला–रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	***http://www.rntu.ac.in***
163	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474005	30.12.2010	***http://www.amity. eduègwalior***
164	भाभा विश्वविद्यालय, रा0 रा0–12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल–462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	***https://www.bhabhauniversity.edu.inè***
165	डॉ ए.पी. जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर–देवास बायपास रोड, गाँव–अरंडिया, पोस्ट–झालरिया, मध्य प्रदेश–452016	01è04è2016	***http://www.aku.ac.in***
166	डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा–इंदौर रोड, पोस्ट–छैगांव माखन, खंडवा–450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	***http://cvru.ac.inè***
167	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम–साईखेड़ा, ढोडा बोरगांव, तहसील–सोनसार, जिला–छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	***http://www.ghru.edu.in***
168	आईईएस यूनिवर्सिटी, आईईएस कैंपस, रतिबाद मेन रोड, भोपाल–462044 मध्य प्रदेश	14.08.2019	***http://www.iesuniversity.ac.inè***
169	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, सिथौली रैली स्टेशन के सामने, एनएच–75, झांसी रोड, ग्वालियर–474 001	04.05.2011	***http://www.itmuniversity. ac.in***
170	जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत मुगलिया छप, तहसील हुजूर, भोपाल–462 044	24.04.2013	***http://www.jlu.edu.in***
171	जेपी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, रघोगढ़, जिला गुना–473226 (मध्य प्रदेश)	13.08.2010	***http://www.juet.ac.in***
172	एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जेके टाऊन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल–462042	08.01.2015	***http://www. lnctu.ac.in***
173	मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैम्पस, रतीबाद, भोपाल–462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	***https://www.mpu.ac.inè***
174	महाकौशल विश्वविद्यालय, अंताखेड़ा चरगवां रोड, तिलवाड़ा के बाद, जबलपुर, मध्य प्रदेश	13.01.2021	***https://www.mku.ac.in***
175	महिर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर–482001	29.11.1995	***http://www.mmyw. com***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
176	मालवंचल विश्वविद्यालय इंडेक्स सिटी, एनएच–59 ए नीमवार रोड, खुदेल के निकट, इंदौर जिला–452016	04.01.2016	***http://www.malwachaluniversity. com***
177	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाँव–गादिया और रत्नाखेडी, ब्लॉक–बिलिकिसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	***http://www.mguindia.comè***
178	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास देवड़ा रोड एसएच–31, मंदसौर–458001	19.08.2015	***http://www.mandsauruniversity. edu.in***
179	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एनएच–30, मंडला रोड, शारदा देवी मंदिर के पास, रिचाई–बरेला, जबलपुर–483001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	***http://www.mangalayatan.inè***
180	मेडी कैप्स यूनिवर्सिटी, ए.बी.रोड, पिगदाम्बर, राऊ, इंदौर–453331	22.07.2015	***http://www. medicaps.ac.in***
181	ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट न0 1 के सामने, सानवर रोड, पोस्ट बॉक्स 3111, विजय नगर डाक घर, इंदौर–452010	04.05.2011	***http://www.orientaluniversity. in***
182	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल–462037	04.05.2011	***http://www. peopleuniversity. edu. in***
183	पीके यूनिवर्सिटी, ग्राम थानारा, तहसील–कारेरा, रा0रा0–27, शिवपुरी, जिला–शिवपुरी–473551	19.08.2015	***http://www. pkuniversity.edu.in***
184	रेनीसां विश्वविद्यालय, सर्वे नम्बर 34 / 2, 51 / 1 / 1, ग्राम रेओती, सानवर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर–452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	***http://www.rnu.edu.ngè***
185	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय–पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	***http://www. rkdf.ac.in***
186	सेज युनिवर्सिटी, कायलोड कर्ताल, इंदौर देवास बॉयपास रोड, राऊ, इंदौर–452020 मध्य प्रदेश	24.08.2017	***http://www.sageuniversity.in***
187	सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अगरिया चोपडा, बिलखिरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	***http://www.samglobaluniversity.ac.in***
188	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बाईपास रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	***https://sageuniversity.edu.inè***
189	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारसोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	***http://www.spuvvn.eduè***
190	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, रा0रा0–12, होशंगाबाद रोड, जटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	***http://www.srku.edu.in***
191	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, एनएच–86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर–471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	***http://www.skuindia.ac.inè***
192	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर–453111	08.01.2015	***http://www. svvv.edu.in***
193	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सिहोर–466001,	12.02.2014	***http://www.ssutms.co.in***
194	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	***http://www. svnuniversity. ac.in***
195	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बंगाडा सुपर कॉरिडोर, इंदौर–452001	27.08.2016	***http://www. suas.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
196	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, लातेरी रोड, सिरोन्ज (गोशाला के निकट) जिला–विदिशा, मध्य प्रदेश–464228	09.01.2013	***http://www.technoglobaluniversity.com***
197	वीआईटी भोपाल यूनीवर्सिटी, भोपाल इंदौर नेशनल हाईवे, कोथरीकलां, सेहोर–466144, मध्य प्रदेश	24.08.2017	***http://www.vitbhopal.ac.in***
महाराष्ट्र			
198	अजीन्क्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली भद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे–412105	25.02.2015	***http://www. adypu.edu.in***
199	एमिटी युनिवर्सिटी, मुबंई–पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट–सोमाथने, पनवेल, मुबंई, महाराष्ट्र–410206	25.07.2014	***http://www. amity.eduèmumbai***
200	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुराना मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	***https://www.csmu.ac.inè***
201	डॉ. विश्वनाथ कराड़ एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनीवर्सिटी, एस0 नम्बर 124, पौड़ रोड, कोथरूड, पुणे–411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	***http://www.mitwpu.edu.in***
202	डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, सीनियर नंबर 124 और 126, एम्बी, तलमवल, एमआईडीसी रोड, तलेगांव डाभाडे, पुणे–410507 महाराष्ट्र	16.07.2019	***https://www.dypiu.ac.in***
203	डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर–29, प्रधानकरन, अकुर्डी, पुणे–411044, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	***https://www.dypiu.ac.inè***
204	फ्लेम यूनिवर्सिटी, गेट न0 1270, ग्राम लावाल, तालुक मुल्शी, पुणे–411042	13.02.2015	***http://www.flame.edu.in***
205	जी.एच. रायसोनी यूनिवर्सिटी, बाडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती–444701, महाराष्ट्र	20.07.2018	***http://ghru.edu.inè***
206	एमजीएम विश्वविद्यालय, एमजीएम परिसर, एन–6, सिडको, औरंगाबाद–431003, महाराष्ट्र	09.09.2019	***https://mgmu.ac.inè***
207	एमआईटी आर्टस् डिजाईन एण्ड टेक्नॉलाजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हदाप्सर लोनी कालभर से अगला, पुणे–412201,	13.10.2015	***http://www.mituniversity. edu.in***
208	संदीप विश्वविद्यालय, त्रिबंक रोड, माहिरावाणी, नासिक, महाराष्ट्र	09.10.2015	***http://www.sandipuniversity. com***
209	स्पाइसर एडवेन्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंदशिखंद, पोस्ट, पुणे–411004	25.07.2014	***http://www.sau.edu.in***
210	सिम्बॉयसिस स्किल एंड प्राफेशनल यूनीवर्सिटी, (पूर्व में सिम्बॉयसिस स्किल एंड ओपन यूनीवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी) ग्राम किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ, ताल हावले, पुणे–412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	***http://www.ssou.ac.in***
211	संजय घोड़ावट यूनीवर्सिटी, ए/पी–अटिगरे,–416118, हटांनानगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	***http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in***
212	सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, सोमैया भवन, 45–47, महात्मा गांधी रोड, किला, मुंबई–400001, महाराष्ट्र	26.08.2019	***https://www.somaiya.eduèen***
213	श्री बालाजी विश्वविद्यालय, एस. नंबर 55/2–7, ताथवाडे, मुंबई–बेंगलुरु बाईपास, पुणे–411033, महाराष्ट्र	20.08.2019	***sribalajiuniversity.org***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
214	विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, सर्वे नम्बर 2,3,4, लक्ष्मीनगर, कोंधावा, बुदरूक, पुणे–411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	***http://www.vupune.ac.in***
215	विजयभूमि विश्वविद्यालय, जमरूंग, पोस्ट अंबिवली, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र–410201	13.09.2020	***http://www.vijaybhoomi.edu.in***
मणिपुर			
216	बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, थौबाइलींसहैंगथेम वांगमाटाबा, जिला थौबल, इंफाल, मणिपुर	26.03.2020	***https://www.birtikendrajituniversity.ac.in***
217	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घरी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल–795140, मणिपुर	14.02.2019	***https://www.miu.acè***
218	सांगई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चुराचांदपुर, मणिपुर	05.05.2015	***http://www.sangaiinternationaluniversity.com***
मेघालय			
219	सी एम जे यूनिवर्सिटी, शिलोंग, (मेघालय)	20.07.2009	***http://www.cmjuniversity.edu.in***
220	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पी.ओ. अराइमाइल, माचाकोलग्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	***http://www.mgu.edu.in***
221	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग–793001	13.07.2005	***http://www.mlcuniv.in***
222	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलीटेक्निक कैम्पस, मावली, शिलांग–793 022	02.12.2008	***http://www. technologlobaluniversity.org***
223	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, डांकाग्रे पी.ओ. अरायमाईल तुरा, पश्चिम गारो हिल्स्–793001	04.11.2009	***http://www.iumeghalaya.edu.in***
224	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बारीदेरा, जिला री–भोई, मेघालय 793101	02.12.2008	***http://www.ustm.ac.in***
225	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय 793003	27.05.2011	***http://www.utm.ac.in***
226	विलियम कैरे विश्वविद्यालय, जोराम विला, बोम्फ्लाइड रोड़, शिलांग–793001	13.07.2005	***http://www.wcu.co.in***
मिजोरम			
227	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी दुर्तला नार्थ, आइज़ॉल–796025	21.03.2006	***http://www.iumizoram.edu.in***
नागालैण्ड			
228	उत्तर–पूर्व क्रिश्चियन विश्वविद्यालय, एंकर कॉम्प्लेक्स, ईस्ट ब्लॉक, बर्मा कैंप, पोस्ट बॉक्स–109, दीमापुर–797112, नागालैंड (निजी विश्वविद्यालय)	05.06.2013	***http://www.necu.ac.in***
229	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो–झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल कॉलेज, पीएस–डिप्युपर, दीमापुर–797115	16.12.2016	***http://www.stjosephuniversity. org***
230	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा–797111	18.09.2006	***http://www.nagaland.net.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
231	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, छठा माइल सोविमा ग्राम कोहिमा रोड, दीमापुर–797112,	04.11.2009	***http://www.iunagaland.edu.in***
ओड़ीशा			
232	ए.आई.पी.एच. यूनिवर्सिटी, पहाला, भुवनेश्वर–कटक, राष्ट्रीय राजमार्ग–5, भुवनेश्वर–752101, ओडिशा	26.02.2018	***http://aiph.ac.inè***
233	एएसबीएम विश्वविद्यालय, शिक्षा विहार, पीओ–भोला, चंडाका, जिला–खुर्दहा, भुवनेश्वर–754012, ओडिशा	26.09.2019	***https://www.asbm.ac.inè***
234	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज–गोठपटना, पीएस–चंडका, भुवनेश्वर–751029	17.02.2016	***http://www.bgu.ac.in***
235	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, ग्राम आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी–761221 गजपति, ओड़ीशा*	27.08.2010	***http://www.cutm.ac.in***
236	सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–752054, ओडिशा	29.02.2020	***http://www.cgu-odisha.ac.in***
237	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनूपुर–765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018	***http://www.giet.eduè***
238	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	26.12.2009	***http://www. srisriuniversity. edu.in***
239	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्कवेयर, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	13.05.2013	***http://www. Ximb.ac.in***
पंजाब			
240	आदेश विश्वविद्यालय, रा0 रा0–7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	10.07.2012	***http://www. adeshuniversity. ac.in***
241	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो–151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015	***http://www.auts.ac.in***
242	सी.टी. युनिवर्सिटी फिरोजपुर रोड, लुधियाना 142024	23.12.2016	***http://www.ctuniversity. in***
243	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, घारूवान, मोहाली–140413*	10.07.2012	***http://www.chandigarhuniversity. ac.in***
244	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग, (रा0रा0–64), ग्राम–झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब–140401	07.12.2010	***http://www.chitkara.edu.in***
245	डी.ए.वी. विश्वविद्यालय, जालंधर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग–44, गांव–सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013	***http://www.@davuniversity. org***
246	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह, अमलोह रोड, मण्डी गोबिन्दगढ़, पंजाब*	18.02.2013	***http://www.deshbhagatuniversity. in***
247	जीएनए युनिवर्सिटी, ग्राम–श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला–144401	21.08.2014	***http://www.gna.edu.in***
248	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला–भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	***http://www.gurukashiuniversity. in***
249	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर–लुधियाना जी.टी. रोड़, चेहरू रेल पुल के निकट, फगवाड़ा, जिला–कपूरथला, पंजाब–144002	26.12.2005	***http://www.lpu.in***
250	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ–सहौरान, तहसील–खार, जिला–मोहाली, पंजाब–140105	13.08.2014	***http://www.rayatbahrauniversity. edu. in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
251	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फलोटिंग रेस्त्रा के सामने, सिरहन्द साईड, मण्डी गोबिंदगढ़–147301	08.12.2015	***http://www.rimt.ac.in***
252	संत बाबा भाग सिंह युनिवर्सिटी, ग्राम–खियाला, डाकघर–पंदियाना, जिला जालंधर–144030	12.02.2015	***http://www.sbbs.edu.in***
253	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ साहिब–140406	15.05.2008	***http://www.sggswu.org***
254	श्री गुरू राम दास यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ सांइस, मेहता रोड, वाल्लाह, श्री अमृतसर–143001, पंजाब	17.11.2016	***http//www.sgrduhs.in***
राजस्थान			
255	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच–11सी, कान्त कालवार, जयपुर–303002	29.03.2008	***http://www.amity. eduèjaipur***
256	एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टेक सिटी, रा0 रा0–48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान–303002	05.10.2018	***https://www.apexuniversity.co.inè***
257	भगवन्त विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर–305004	16.04.2008	***http://www.bhagwantuniversity. com***
258	भारतीय स्किल डेवलेपमेंट यूनीवर्सिटी, प्लॉट नम्बर एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर–302037, राजस्थान	30.03.2017	***http://www.ruj.bsdu.in***
259	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर–313001	05.10.2015	***http://www.bnuniversity. ac.in***
260	कॅरियर प्वांइट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	***http://www. cpur.in***
261	डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट–1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–II, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान–304021	22.04.2010	***http://www.dknmu.org***
262	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	***http://www. geetanjaliuniversity. com***
263	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर–302029	03.04.2010	***http://www.homoepathyuniversity. org***
264	आईसीएफएआई, विश्वविद्यालय, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर–302031	23.08.2011	***http://www. iujaipur.edu.in***
265	आईआईएचएमआर युनिवर्सिटी, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर विमानापत्तन के निकट, जयपुर–302029	26.02.2014	***http://www. iihmr.edu.in***
266	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	***http://wwwjecrcuniversity. edu.in***
267	जे.के. लक्ष्मीपति विश्वविद्यालय, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर–302026	15.09.2011	***http://www.jklu.edu.in***
268	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, रा0 रा0–12, चाकसू बाय पास, टोंक रोड, जयपुर–303901	16.04.2008	***http://www.jagannathuniversity. org***
269	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर 302017	21.10..2007	***http://www.jnujaipur. ac.in***
270	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदन्त ज्ञान वैली विपेज, ग्राम झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच–8, जयपुर 303007*	21.04.2008	***http://www.jvwomensuniv. com***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
271	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर–342001	11.08.2008	*http://www. jodhpurnationaluniversity. com*
272	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर–तिजारा–दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	*http://www.lordsuni.edu.inè*
273	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टॉल के सामने, रा0रा0–14, ग्राम–वादा / भुजेला, पंचायत समिति–भारजा, तहसील–पिंडवाड़ा, अबु रोड, जिला–सिरोही, राजस्थान–307026	04.03.2014	*http://www.madhavuniversity.edu. in*
274	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	*http://www.mvgu.ac.in*
275	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदीयारामसर, बिंदयाका औद्योगिक क्षेत्र के समीप, जयपुर–3020012	05.10.2015	*http://www.maujaipur.org*
276	महात्मा गांधी यूनीवर्सिटी ऑफ मेडीकल सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर–302022	15.09.2011	*http://www.MGUMST.ORG*
277	महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, एसपी–2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच–1, आचरोल, जयपुर	03.02.2009	*http://www. mjrpuniversity.com*
278	मनीपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के निकट, जयपुर–अजमेर एक्सप्रेस–वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर–302 026	15.09.2011	*http://www.jaipur.manipal.edu*
279	मौलाना आज़ाद युनिवर्सिटी, ग्राम–बुजावाड़, तहसील–लुनी, जोधपुर–342802	16.09.2013	*http://www. mauj.ac.in*
280	मेवाड़ विश्वविद्यालय, एनएच 79, गंगरार, चित्तौड़गढ़–312901*	22.09.2008	*http://www. mewaruniversity. org*
281	मोदी इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड सांइस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान	16.09.2013	*http://www.modyuniversity.ac.in*
282	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	*http://www. niituniversity. in*
283	एन.आई.एम.एस. विश्वविद्यालय, शोभानगर, जयपुर–303001	29.03.2008	*http://www. nimsuniversity. org*
284	निर्वान विश्वविद्यालय, एनएच–21, ग्राम झर, बस्सी के निकट, मेन आगरा रोड, जयपुर–303705, राजस्थान	30.03.2017	*http://nirwanuniversity.inè*
285	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजीला, तहसील–राजगढ़, जिला–चूरू, राजस्थान	16.09.2013	*http://www. opjsuniversity. edu.in*
286	पेसेफिक अकादमी ऑफ हॉयर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी. ए.एच.ई.आर.) पेसेफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर–313003	29.04.2010	*http://www.pacific-university.ac.in*
287	पेसेफिक मेडीकल युनिवर्सिटी, बिलो का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	*http://www. pacificmedicaluniversity. ac.in*
288	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012	*http://www.poornima.edu.in*
289	प्रताप विश्वविद्यालय, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे–दिल्ली–मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	*http://www.pratapuniversity. in*

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
290	राफेल्स विश्वविद्यालय, जैपनीज जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग–8, नीमराना–201705, राजस्थान	27.03.2011	***http://www.rafflesunivrsity.,edu.in***
291	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर–334601	27.04.2015	***http://www.mbglobal.edu.in***
292	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	***http://www.sangamuniversity. ac.in***
293	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव–उमर्दा, गिरवा, उदयपुर–313015	21.04.2016	***http://www.saitirupati.ac.in***
294	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झूंझुनू–चुरू रोड, चुडेला, जिला–झूँझुनूं 333001	03.02.2009	***http://www.j_jtu.ac.in***
295	श्री कल्लाजी वैदिक विश्व विद्यालय, कामधाज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018	***http://www.kallajivedicuniversity.com***
296	श्री कुशल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान–335801	05.10.2018	***https://skduniversity.comè***
297	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी, चिरावा रोड़, पिलानी, राजस्थान–333031	03.04.2010	***http://www.shridharuniversity. ac.in***
298	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला–दौसा, राजस्थान–303511	05.10.2018	***https://shyamuniversity.inè***
299	सिंधानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झूँझुनूं, राजस्थान 333515	29.03.2008	***http://www.singhaniauniversity. co.in***
300	सर पदमपत सिंहानिया विश्वविद्यालय, भतेवार, उदयपुर–313601	29.03.2008	***http://www.spsu.ac.in***
301	सनराईज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, तहसील–रामगढ, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	***http://www.sunrise.ac.in***
302	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान–302017	21.04.2008	***http://www.gyanvihar.org***
303	तांतिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर–335002	16.09.2013	***http://www.tantiauniversity. com***
304	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	***http://www.uem.edu.in***
305	यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	***http://www.universityoftechnology. edu.in***
306	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर–36, एनआरआई रोड़, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर–3030012	02.05.2012	***http://www.vgu.ac.in***
सिक्किम			
307	श्री रामासामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, तदांग, रानीपूल पो. ओ. गंगटोक, सिक्किम–737102	16.01.2014	***http://www.srmus.ac.in***
308	सिक्किम–मनीपाल यूनिवर्सिटी 5वाँ माइल, पो.ओ. तदांग, गंगटोक–737102	11.10.1995	***http://www.smu.edu.in***
309	सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय (पूर्व में विनायका मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था) प्लॉट नंबर 438, एन–312 गाया फाटक रोड, मिडल तदांग, पूर्वी सिक्किम–237102	30.07.2008	***http://www.vmsu.in***
310	द इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटी, (आईसीएफएआई), रानका रोड, लोवर सिचे, गंगटोक–737101	04.10.2004	***http://www.iusikkim.edu.in***
तमिलनाडु			
311	शिव नादर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), कलावाक्कम–603110, तमिलनाडु (निजी विश्वविद्यालय)	08.02.2021	***https://www.snuchennai.edu.inè***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
तेलंगाना			
312	अनुराग विश्वविद्यालय, वेंकटपुर (वि), घाटकेसर (एम) मेचल (जिला), हैदराबाद, तेलंगाना–500088	20.05.2020	***http://www.anurag.edu.in***
313	महिंद्रा यूनिवर्सिटी बहादुरपाली (वि), कुदबुलपुर मंडल, माचल–मलकजगिरी जिला तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	***https://www.mahindrauniversity.edu.inè***
314	मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय, मैसममागुडा, धुलापल्ली (पोस्ट बारास्ता कोम्पली), मेदचल–मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना–500100	20.05.2020	***http://www.mallareddyuniversity.edu.in***
315	एसआर यूनिवर्सिटी अनंतसागर (वि), हसनपर्थी (एम), वारंगल–506371, तेलंगाना	20.05.2020	***http://www.sru.edu.in***
316	वोक्ससेन विश्वविद्यालय वोक्ससेन कैंपस, कामकोले सादसिवपेट, मेडक जिला, तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	***http://www.woxsen.edu.in***
त्रिपुरा			
317	इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरत्तला (आईसीएफएआई), पी.ओ. कमलघाट, अगरत्तला–सिमना रोड, मोहनपुर–799210, त्रिपुरा	31.03.2004	***http://www.iutripura.edu.in***
उत्तर प्रदेश			
318	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	***http://www.amity. edu***
319	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	***http://www.bbdu.org***
320	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैंपस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली–243006	16.09.2016	***http://www.biu.edu.in***
321	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 8–11, टेक जोन–II, ग्रेटर नोएडा–2013	16.09.2016	***http://www.bennett.edu.in***
322	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ–226003	16.09.2016	***http://www.erauniversity.in***
323	जी.एल.ए. यूनीवर्सिटी, 17 किलोमीटर स्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग–2, दिल्ली मथुरा रोड, पी.ओ. चुमुहन, मथुरा–281406*	01.09.2010	***http://www.gla.ac.in***
324	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, ग्रेटर नोएडा–201203	07.04.2011	***http://www.galgotiauniversity.edu. in***
325	आईएफटीएम यूनीवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–244102	12.10.2010	***http://www.iftmuniversity. ac.in***
326	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ–250001	16.09.2016	***http://www.iimtu.com***
327	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड़, लखनऊ–226026 (उत्तर प्रदेश)*	26.02.2004	***http://www.integraluniversity. ac.in***
328	इनवर्टिस विश्वविद्यालय, इनवर्टिस गांव, बरेली–लखनऊ नेशनल हाइवे–24, बरेली–243123	01.09.2010	***http://www.invertisuniversity. ac.in***
329	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम–210204 (उत्तर प्रदेश)*	06.10.2001	***http://www.jrhu.com***
330	जेपी युनिवर्सिटी, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर, जिला बुलन्दशहर–203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	***http://www.jaypeeu.ac.in***
331	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	***http://www.jsu.edu.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
332	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202145	30.10.2006	***http://www.mangalayatan.in***
333	महिर्षी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालाजी, महिर्षी बालविद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट धिबुरिया, लखनऊ–226020	24.09.2013	***http://www.muit.in***
334	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	***http://www.jauharuniversity. org***
335	मोनाद विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश–245101	12.10.2010	***http://www.monad.edu.in***
336	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)–201301	12.10.2010	***http://www.niu.ac.in***
337	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधाना, कानपुर–209217	10.01.2014	***http://www.ramauniversity.ac.in***
338	संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किलोमीटर स्टोन, मथुरा–दिल्ली राजमार्ग, छत्ता, मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	***http://www.sanskriti.edu.in***
339	शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32–34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा–201306	24.03.2009	***http://www.sharda.ac.in***
340	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	***http://www.snu.edu.in***
341	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह, जिला–सहारनपुर–247 341	05.07.2012	***http://www.shobituniversity. ac.in***
342	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा–लखनऊ रोड़, जिला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	***http://www. srmu.ac.in***
343	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, रा0रा0–24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	***http://www.svu.edu.in***
344	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250005	05.09.2008	***http://www. subharti.org***
345	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एनएच–24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद–244001	05.09.2008	***http://www.tmu.ac.in***
346	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील–बेहट, सहारनपुर–247001*	05.07.2012	***http://www. glocaluniversity. edu. in***
उत्तराखण्ड			
347	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट–उत्तर झंडी चौर, तहसील–कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड–246149	19.12.2016	***http://www.bgukotdwar.ac.in***
348	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिकुंज, हरिद्वार–249411	22.01.2002	***http://www. dsvv. ac.in***
349	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून–248009	15.02.2013	***http://www. dituniversity. edu.in***
350	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेट हाउस, देहरादून–248002	28.04.2011	***http://www.gehu.ac.in***
351	हिमालयन गढवाल यूनीवर्सिटी धैड़ गांव, पोखरा, पौढी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	07.12.2016	***http://www.hgu.ac.in***
352	हिमालय युनिवर्सिटी हैडक्वाटर फतेहपुर टांडा जीवनवाला, वाया डोईवाला, देहरादून–248140, उत्तराखंड	27.06.2019	***http://www.himalayiyauniversity.ac.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
353	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, शीशमबाडा, पीओ–शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून–248197 उत्तराखण्ड	11.07.2003	***http://www.himgirizeeuniversity. edu.in***
354	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून–248009	15.02.2013	***http://www.iuu.ac***
355	इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड फाईनांशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), राजावाला रोड, सेन्ट्रल होप टाउन, सेलाक्वी, देहरादून–248197	10.07.2003	***http://www.iuuttarakhand.edu.in***
356	मदरहुड विश्वविद्यालय, ग्राम–कारोन्दी, पोस्ट–भगवानपुर, रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	19.01.2015	***http://www.motherhooduniversity.edu.in***
357	क्वैंटम यूनीवर्सिटी, मंदवार (22 किलोमीटर माइलस्टोन), रूडकी,–देहरादून हाईवे (रा0रा0–73), रूणकी,–247167, उत्तराखंड	07.04.2017	***http://www.quantumuniversity. edu.in***
358	रास बिहारी बोस सुभारती यूनीवर्सिटी, सुभारतीपुरम, कोटदा संतौर, आमवाला रोड, पीओ–चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून–248007, उत्तराखंड	08.12.2016	***http://www.rbbsu.edu.in***
359	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून–248161, उत्तराखंड	03.08.2018	***https://sbsuniversity.edu.inè***
360	श्री गुरू राम राय यूनीवर्सिटी, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	07.04.2017	***http://www.sgrr.ac.in***
361	स्वामी रामा हिमालयन यूनीवर्सिटी, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पो. ओ. डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	12.03.2013	***http://www. srhuedu.in***
362	पंतजलि विश्वविद्यालय, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	***http://www.universityofpatanjali. com***
363	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, बिधोली परिसर, एनर्जी एकड़, पी.ओ. दीधोली, देहरादून–248006	10.07.2003	***http://www.upes.ac.in***
364	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अरकाडिया ग्रांट, डाकघर चदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून–248007	15.02.2013	***http://www.uttranchaluniversity. ac.in***
पश्चिम बंगाल			
365	एडमेस युनिवर्सिटी, बारासात, बाराकपोर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, थाना बारासात, कोलकाता–700126	11.04.2014	***http://www.au.edu.et***
366	एमिटी विश्वविद्यालय, राजारहाट, न्यू टॉऊन, जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	***http://www.amity. eduèkolkataè***
367	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्ण पुर रोड, कोलकाता–700124	24.02.2016	***http://www.brainwareuniversity. ac.in***
368	जेआईएस युनिवर्सिटी, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	***http://www.jisuniversity. ac.in***
369	सीकॉम स्किल युनिवर्सिटी, ग्राम केन्द्राडांगा, डाकघर–सातोर, थाना–पानरूई, जिला–बीरभूम–731236	11.04.2014	***http://www.seacomskillsuniversity.ore***
370	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डीजी–1/2, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता–700 156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018	***https://snuniv.ac.inè***
371	सेंट जेवियर यूनीवर्सिटी, भवन नम्बर III, बी–1, प्लॉट नम्बर III बी/1, एक्शन एरिया–IIIबी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता–700156	16.01.2017	***http://www.sxuk.edu.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	वेबलिंक
372	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, बारा कंठालिया, सेवली टेलिनी प्रारा, उत्तर–24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700121	05.12.2019	***http://www.swamivivekanandauniversity.ac.in***
373	टेक्नो इंडिया युनिवर्सिटी, ईएम–4, सेक्टर–V, सॉल्ट लेक, कोलकाता–700091	16.08.2012	***http://www.technoinidauniversity.ac.in***
374	द नियोतिया यूनिवर्सिटी, झिंगा सरिसा, डीएच रोड, जिला 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल–743368	03.02.2015	***http://www.tnu.ac.in***
375	युनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट, युनिवर्सिटी एरिया, प्लॉट नम्बर III–बी/5, मेन आर्टिरियल रोड(पूर्व–पश्चिम), न्यू टॉऊन एक्शन एरिया–III, कोलकाता–700156	03.02.2015	***http://www.uem.edu.in***

तालिका 2.2(i)(ख)(v) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
बिहार			
1	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992	***http://www.igims.org***
जम्मू और कश्मीर			
2	शेर–ए–कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990	***http://www.skmis.nic.in***
उत्तर प्रदेश			
3	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983	***http://www.sgpgi.ac.in***

तालिका 2.2(i)(ख)(vi) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सम विश्वविद्यालय संस्थान

(*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम्मिलित विश्वविद्यालय)

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
आन्ध्र प्रदेश			
1	गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), गांधी नगर कैम्पस, रशिकोन्डा, विशाखापत्तनम–530045, आंध्र प्रदेश*	13.08.2007	***http://www. gitam.edu***
2	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, ग्रीन फील्डस्, कुन्चानापल्ली पोस्ट वाडेशवरम्, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश 522002*	20.02.2009	***http://www. kluniversity. edu.in***
3	श्री सत्य सांई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश*	10.11.1981	***http://www.sssihl.edu.in***
4	विगनांनस् फाउंडेशन फॉर सांइस टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश–522313*	19.12.2008	***http://www. vignanuniversity. org***
अरूणाचल प्रदेश			
5	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, निरजुली, ईटानगर, जिला–पापुम पारे–791109, अरूणाचल प्रदेश	31.05.2005	***http://www.nerist.ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
असम			
6	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी), बालगाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018	***https://www.cit.ac.inè***
बिहार			
7	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा–803111 बिहार	13.11.2006	***http://www. navanalandmahavihara. org***
चंडीगढ़			
8	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर–12, चंडीगढ़–160 012	16.10.2003	***http://www.pec.ac.in***
दिल्ली			
9	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली–110012*	22.08.1958	***http://www.iari.res.in***
10	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110016*	20.05.2002	***http://www. iift.edu***
11	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001*	29.10.2004	***http://www. ili.ac.in***
12	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी सांइसेज (आईएलबीएस), डी–1, वसंत कुन्ज, नई दिल्ली–110070*	10.07.2009	***http://www.ilbs.in***
13	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062*	10.05.1989	***http://www. jamiahamdard. edu***
14	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्टस्, कन्ज़र्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, नेशनल म्यूजियम, जनपथ, नई दिल्ली–110011	28.04.1989	***http://www.nmi.gov.in***
15	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 17–बी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली–110016	11.08.2006	***http://www.nuepa.org***
16	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	05.10.1999	***http://www.teriuniversity.ac.in***
गुजरात			
17	गुजरात विद्यापीठ, डाकघर नवजीवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद–380014, गुजरात*	16.07.1963	***http://www. gujaratvidyapith. ac.in***
18	नेशनल रेल एंड ट्रांसर्पोटेशन इंस्टीट्यूट (एनआरटीआई), एनएआईआर कैम्पस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	***https://nrti.edu.inè***
19	सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, तालुक वागहोदिया, जिला वडोदरा, गुजरात*	17.01.2007	***http://www.sumandeepuniversity. co.in***
हरियाणा			
20	लिंगाया यूनिवर्सिटी, नाचौली, पुराना फरीदाबाद–जासना रोड, फरीदाबाद–121002, हरियाणा	05.01.2009	***http://www.lingayasuniversity. edu. in***
21	महर्षि मार्केण्डेश्वर एजूकेशन ट्रस्ट, मुलाना, अम्बाला, हरियाणा 133003	12.06.2007	***http://www.mmumullana.org***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
22	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रिसर्च, फरीदाबाद, हरियाणा 121001*	21.10.2008	***http://www.mriu.edu.in***
23	नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, गुरूग्राम–122050 हरियाणा	20.05.2002	***http://www.nbrc.ac.in***
24	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल–132001, हरियाणा	28.03.1989	***http://www.ndri.res.in***
25	नेश्नल इस्टीटयूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एन्टरप्रिनियोरशिप एण्ड मेनेजमेन्ट (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नम्बर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुन्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	***http://www.niftem.ac.in***
झारखण्ड			
26	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची–835215, झारखण्ड	28.08.1986	***http://www.bitmesra.ac.in***
लद्दाख			
27	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	***http://cibs.ac.inè***
कर्नाटक			
28	बी.एल.डी.ई., बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	***http://www.bldeuniversity.ac.in***
29	क्रॉइस्ट, होसूर रोड, बेंगलुरु–560029	22.07.2008	***http://www.christuniversity.in***
30	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु–560012, कर्नाटक*	12.05.1958	***http://www.iisc.ernet.in***
31	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, 26 / सी, इन्फोसिस (द्वार सं0–1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बेंगलुरु–560100	28.02.2005	***http://www.iiitb.ac.in***
32	जे.एस.एस. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जगद्गुरु डॉ0 श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर–570 004*	28.05.2008	***http://wwwjssuni.edu.in***
33	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बेंगलुरु–560 064*	17.08.2002	***http://wwwjncasr.ac.in***
34	जैन, जैन ग्लोबल कैम्पस, 45वां किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग–209, जाक्कासांदरा पोस्ट, कनक पुरा तालुक, रामानगर जिला–562112	19.12.2008	***http://wwwjainuniversity.ac.in***
35	के.एल.ई. एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च, जे.एन. मेडीकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)–590010	13.04.2006	***http://www.kleuniversity.edu***
36	मनीपाल अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन,माधव नगर, मनीपाल–576104	01.06.1993	***http://www.manipal.edu***
37	एन.आई.टी.टी.ई., मंगलोर–575018, कर्नाटक*	04.06.2008	***http://www.nitte.edu.in***
38	श्री देवराज उर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बीएच रोड,तमाका, कोलार–563101	25.05.2007	***http://www.sduu.ac.in***
39	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, जिला तुमकुर–572 102, कर्नाटक	30.05.2008	***http://www.sahetumkur.ac.in***
40	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, संख्या–9, अपाजप्पा, अग्रहारा, चमाराजपेट, बेंगलुरु–560018, कर्नाटक*	08.05.2002	***http://www.svyasa.org***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
41	येनेपोया, देरालकाटे, मंगलोर–5750118	27.02.2008	***http://www.yenepoya.edu.morg***
केरल			
42	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, आदि शंकरा निलायम, वेलियानद, एर्नाकुलम–692313	16.01.2017	***http://www.chinmayauniversity. ac.in***
43	केरल कलामण्डलम, वालाथोल नगर, चेरूथुरूथि–679531, वाया थ्रिसूर, केरल*	14.03.2006	***http://www.kalamandalam.org***
44	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सांइस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरूअनन्तापुरम, केरल–695547	03.07.2008	***http://www.iist.ac.in***
मध्य प्रदेश			
45	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, शक्ति नगर, ग्वालियर–474002, मध्य प्रदेश*	21.09.1995	***http://www.lnipe.gov.in***
महाराष्ट्र			
46	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे–411030, महाराष्ट्र*	26.04.1996	***http://www.bvuniversity.edu.in***
47	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज् एजूकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7, बंगलो, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई–400061	27.03.1989	***http://www.cife.edu.in***
48	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, लेन बाजार, कासाबा, बावाड़ा, कोल्हापुर–416006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	***http://www.dypatilunikop.org***
49	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वांगी (मेघे) वर्धा–442004*	24.05.2005	***http://www.dmimsu.edu.in***
50	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे–411006	05.03.1990	***http://www.dsccancollegepune. ac.in***
51	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिम्परी, पुणे–411018*	11.01.2003	***http://www.dpu.edu.in***
52	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, बीएमसी कालेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे–411004*	07.05.1993	***http://www.gipe.ac.in***
53	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पंजीकृत कार्यालयः नालेज मेनेजमेन्ट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सेन्ट्रल काम्पलेक्स, मुम्बई–400085*	03.06.2005	***http://www. hbni.ac.in***
54	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई–400065	05.12.1995	***http://www. igidr.ac.in***
55	डिफेन्स इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलाजी (इंस्टीटयूट ऑफ आर्मामेन्ट टेक्नॉलाजी), गिरीनार, पुणे–411025	10.09.1999	***http://www. diat.ac.in***
56	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़, गोवान्डी स्टेशन रोड, देवनार, मुम्बई–400088	31.07.1985	***http://www. iipsindia.org***
57	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुन्गा, मुम्बई महाराष्ट्र–400019*	12.09.2008	***http://www. ictmumbai.edu.in***
58	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, मलका पुर, कराड़, जिला सतारा, महाराष्ट्र	24.05.2005	***http://www.kimsuniversity.in***

क्रम सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना/मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
59	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैम्पस, सेक्टर–18, कामोठे, नवी मुम्बई–410209	30-08-2006	***http://www.mgmuhs.com***
60	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई–400056*	13.01.2003	***http://www.nmims.edu***
61	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, विद्यानगर, सेक्टर–7, नेरूल, नवी मुम्बई–400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	***http://www.dypatil.ac.in***
62	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डाकघर लोनी, बीके–413736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	***http://www.pravara.com***
63	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ग्राम लावाले, तहसील मुलशी, जिला पुणे–412115*	06.05.2002	***http://www.symbiosis.ac.in***
64	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई होमी भाभा रोड, मुंबई–400005*	07.05.2002	***http://www.tifr.ac.in***
65	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूर्व मार्ग, देवनार, मुम्बई–400088*	29.04.1964	***http://www.tiss.edu***
66	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे–411037	28.04.1987	***http://www.tmv.edu.in***
ओड़ीशा			
67	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटीया, खुरदा, भुवनेश्वर–751024, ओड़ीशा*	26.06.2002	***http://www. kiit.ac.in***
68	कलिंगा इंस्टीटीयूट ऑफ सोशल सांइस, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	***https://kiss.ac.inè***
69	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर, जे–15, कंधागिरी, भुवनेश्वर ओड़ीशा 751030*	17.07.2007	***http://www. soauniversity. ac.in***
पुदुचेरी			
70	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लियारकुप्पम, पुदुचेरी–607 402*	04.08.2008	***http://www.sbvuniversity.com***
पंजाब			
71	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), लोंगोवाल, जिला संगरूर–148106	10.04.2007	***http://www. sliet.ac.in***
72	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस, भाडसन रोड, पटियाला–147004	30.12.1985	***http://www. thapar.edu***
राजस्थान			
73	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली–304022, राजस्थान*	25.10.1983	***http://www. banasthali.org***
74	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड सांइस, पिलानी–333 031	27.06.1964	***http://www.bits-pilani.ac.in***
75	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन, गांधी विद्यामंदिर, सदर शहर,–331401, जिला चूरू, राजस्थान	25.06.2002	***http://www.iaseuniversity. org.in***
76	आई.आई.एस., गुरूकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान 302020*	02.02.2009	***http://www. iisuniv. ac.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
77	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, लान्डनू, नागौर–341306, राजस्थान*	20.03.1991	***http://www.jvbi.ac.in***
78	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर, उदयपुर–313001	12.01.1987	***http://www.jrnrvu.org***
79	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम–रूपा की नागल, पोस्ट–सुमेल, बारास्ता कानोटा, जिला–जयपुर–303012	03.02.2006	***http://www. lnmiit.ac.in***
80	नेशनल इनस्टिक्यूशन ऑफ आयुर्वेद (एनआईए) जोराबर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर–302002, राजस्थान	09.11.2020	***http://www. nia.ac.in***
तमिलनाडु			
81	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई–603113	21.08.2007	***http://www.ametuniv. ac.in***
82	अमृत विश्व विद्यापीठम्, एतीमादाई पोस्ट, कोयम्बटूर–641112	13.01.2003	***http://www.amrita.edu***
83	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर–641043, तमिलनाडु*	08.06.1988	***http://www.avinashilingam.edu***
84	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, 173, अग्रहरम रोड, सेलयुर, चेन्नई–600073	04.07.2002	***http://www.bharathuniv.com***
85	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड टेक्नोलॉजी, वान्डालुर, चेन्नई, तमिलनाडु–600 048	16.12.2008	***http://www.bsauniv.ac.in***
86	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट एच–1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पाडुर पोस्ट, सिरयूसेरी–603103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	***http://www.cmi.ac.in***
87	चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजूकेशन (केयर), पादुर, केलाम्बक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु*	04.08.2008	***http://www.chettinadhealthcity. com***
88	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिन्डीगुल–624302*	03.08.1976	***http://www.ruraluniv.ac.in***
89	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस(हिट्स), पादुर, पुराना महाबलीपुरम रोड, केलम्बालम, चेन्नई 603103	05.05.2008	***http://www.hindustanuniv.ac.in***
90	कैलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजूकेशन, आन्नद नगर, कृष्णनकोईल, विरूद्धनगर–626190, बारास्ता श्रीविलिपुत्तूर तमिलनाडु	20.10.2006	***http://www.kalasalingam.ac.in***
91	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कारूण्या नगर, कोयम्बटूर–641114	23.06.2004	***http://www.karunya.edu***
92	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजूकेशन, पोलाच्ची मुख्य मार्ग, कोयम्बटूर	25.08.2008	***http://www.karpagamuniv.com***
93	डॉ. एमजीआर एजूकेशन एण्ड रिसर्च इंस्ट्रीटयूट, पेरियार ईवीआर सेलाई (राष्ट्रीय राजमार्ग 4) माधुरावोयल, चेन्नई–600095	21.01.2003	***http://www.drmgrdu.ac.in***
94	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, संख्या 12, वेम्बूली अम्मन कोईल मार्ग, पश्चिम के0के0 नगर, चेन्नई–600 078	31.03.2004	***http://www.maher.ac.in***
95	नूरूल इस्लाम सेंटर फॉर हॉयर एजूकेशन, कुमाराकोईल, थुकालाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु–629 175	08.12.2008	***http://www.niuniv.com***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
96	पेरियार मनियामई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वालाम, थंजावुर–613 403	17.08.2007	***http://www.pmu.edu***
97	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी),यगप्पा चावाडी, थंजावुर–614904	04.01.2008	***http://www. prist.ac.in***
98	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एएसआरएम नगर, कट्टंकुलथुर–603203, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु)*	02.08.2002	***http://www. srmuniv. ac.in***
99	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, जपीयार नगर, पुराना मामलपुरम मार्ग, चेन्नई–600119*	16.07.2001	***http://www. sathyabamauniv. ac.in***
100	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बाक्स नम्बर 6, संख्या 162, पोन्नमाले हाई रोड, वेलापापन्चवड़ी, चेन्नई–6000077*	18.03.2005	***http://www.saveetha.com***
101	षणमुघ आर्ट्स, सांइस, टेक्नॉलाजी एण्ड रिसर्च अकादमी(शास्त्र), तिरूमलाई, समुद्रम, तंजावुर–613401*	26.04.2001	***http://www.sastra.edu***
102	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, काँचीपुरम–631 561	26.05.1993	***http://www. kanchiuniv.ac.in***
103	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचन्द्र नगर, चेन्नई–600 116*	29.09.1994	***http://www.sruramachandra.edu. in***
104	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई–600054	26.05.2008	***http://www.atpetersuniversity.org***
105	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज (विस्टास), पालवरम्, चेन्नई, तमिलनाडु .600117	04.06.2008	***http://www. velsuniv. ac.in***
106	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर–632014	19.06.2001	***http://www. vit.ac.in***
107	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, शंकर मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47, अरियानूर नगर, सलेम–636308, तमिलनाडु	01.03.2001	***http://www. vinayakamission. com***
108	वेलटेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु–600062	15.10.2008	***http://www. veltechuniv. edu. in***
तेलंगाना			
109	चैतन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, हनामकोंडा, तेलंगाना	29.11.2019	***http://www.cist.in***
110	इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी, सर्वे न0 25, गाचीबाऊली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद–500032	21.08.2001	***http://www. iiit.ac.in***
111	आईसीएफएआई फांऊडेशन फार हायर एजूकेशन, दोतानापल्ली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद–501203, तेलंगाना*	16.12.2008	***http://www.ifheindia.org***
उत्तर प्रदेश			
112	सैम हिग्गिनबोटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, डाकघर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद–211007	15.03.2000	***http://www.shiats.edu.in***
113	भारतखण्डे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226001	24.10.2000	***http://www.bharkhandemusic. edu.in***

क्रम सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना / मान्यता का वर्ष	वेबलिंक
114	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी–221007,उत्तर प्रदेश	05.04.1988	*http://www.cihts.ac.in*
115	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा–282005*	16.05.1981	*http://www.dei.ac.in*
116	इंडियन वेट्रिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर–243122	16.11.1983	*http://www.ivri.res.in*
117	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, ए–10, सेक्टर–62, नोएडा–201307	01.11.2004	*http://www.jiit.ac.in*
118	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा–जमुनीपुर, धुबवली, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	*http://www.ngbu.edu.in*
119	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, धुलेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ–250010	08.11.2006	*http://www.shobhituniversity. ac.in*
120	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201009	13.06.2007	*http://www. santoshuniversity. com*
उत्तराखण्ड			
121	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून–248006	28.11.1991	*http://www.icfre.org*
122	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404	19.06.1962	*http://www.gkv.ac.in*
123	ग्रॉफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566 / 6, बेल रोड, कलेमेन्ट टाऊन, देहरादून उत्तराखण्ड	14.08.2008	*http://www.gehu.ac.in*
पश्चिम बंगाल			
124	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2ए और 2बी, राजा एस.सी. मुल्लिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700032	08.05.2018	*www.iacs.res.in*
125	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा–711 202, पश्चिम बंगाल*	05.01.2005	*http://www. rkmvu.ac.in*

2.2(ii) महाविद्यालय

महाविद्यालय का अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान से है, चाहे वह इसी नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो कि किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता हो, तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो तथा ऐसी अर्हता प्रदान किए जाने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करे। यह ऐसे संस्थान होते है जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है। **सामान्यतः महाविद्यालय / संस्थान दो प्रकार के होते हैः (1) संबद्ध महाविद्यालय (2)संघटक महाविद्यालय**

महाविद्यालयों के संबंध में मुख्य परिणाम (वर्ष 2019–20 की एआईएसएचई रिपोर्ट)

- भारत में सबसे ज्यादा महाविद्यालयों के संदर्भ में सर्वोच्च 08 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं।
- बेंगलुरु शहरी जिला 1009 महाविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है और इसके बाद 606 महाविद्यालयों के साथ जयपुर है।

- महाविद्यालय घनत्व, अर्थात् प्रति लाख व्यक्तियों की पात्र जनसंख्या (18 से 23 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या) पर महाविद्यालयों की संख्या 30 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में 7 से लेकर कर्नाटक में 59 तक रही।
- 60.56 प्रतिशत महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। 10.75 प्रतिशत महाविद्यालय विशेषरूप से महिलाओं के लिए हैं।
- केवल 2.7 प्रतिशत महाविद्यालय पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं और 35.04 प्रतिशत महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं।
- 32.6 प्रतिशत महाविद्यालय हैं, जो केवल एकल कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें से 84.1 प्रतिशत निजी तौर पर प्रबंधित हैं। निजी तौर पर प्रबंधित इन महाविद्यालयों में 37.4 प्रतिशत महाविद्यालय केवल बी.एड. पाठ्यक्रम चलाते हैं।
- 78.6 प्रतिशत महाविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित किए जाते है; 65.2 प्रतिशत महाविद्यालय निजी–गैर सहायता प्राप्त और 13.4 प्रतिशत निजी सहायता प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 80 प्रतिशत निजी गैर–सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश में 78.5 प्रतिशत निजी गैर–सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जबकि चंडीगढ़ में 8.0 प्रतिशत महाविद्यालय हैं।
- 16.6 प्रतिशत महाविद्यालयों में 100 से कम नामांकन रहा है और केवल 04 प्रतिशत महाविद्यालयों में 3000 से अधिक नामांकन था।

ऑफ कैम्पस केन्द्र/स्नातकोत्तर केन्द्रः इसके द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय केंद्र है जो मुख्य परिसर के बाहर (राज्य के भीतर या बाहर) संचालित किया जाता है और अपनी घटक इकाई के रूप में बना रहता है, जिसमें विश्वविद्यालय की सुविधाएं, संकाय और कर्मचारियों होते हैं।

मान्यताप्राप्त केन्द्रः इन संस्थानों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी एक संस्था है जिसे इन संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है जैसे आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है लेकिन संस्थान में संचालित कार्यक्रमों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार चार प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान होते हैः (1) संबद्ध महाविद्यालय (2) संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यताप्राप्त केन्द्र

तालिका 2.2(ii)(क): वर्ष 2020–21* के दौरान महाविद्यालय/संस्थानों की राज्यवार और स्वरूपवार संख्या
(*एआईएसएचई पोर्टल पर आधारित अनंतिम आंकड़ेः वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालयों की सूची)

राज्य	महाविद्यालयों का स्वरूप					स्टैण्डअलोन संस्थान#
	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक/विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नातकोत्तर केन्द्र और ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9				9	1
आन्ध्र प्रदेश	2687	68	7	2	2764	850
अरूणाचल प्रदेश	38	2			40	13
असम	574	6	3	1	584	101
बिहार	633	289	9	29	960	169
चण्डीगढ़	25				25	11
छत्तीसगढ़	811	27	1	3	842	76
दादरा और नगर हवेली	8			1	9	2
दमन और द्वीव	10		1		11	2
दिल्ली	110	72	1	6	189	114
गोवा	58	1	3	8	70	17

राज्य	महाविद्यालयों का स्वरूप					स्टैण्डअलोन संस्थान#
	संबद्ध महाविद्यालय	संघटक/विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नातकोत्तर केन्द्र और ऑफ कैम्पस केन्द्र	मान्यताप्राप्त केन्द्र	कुल	
गुजरात	2248	357	27	63	2695	320
हरियाणा	1086	32		1	1119	257
हिमाचल प्रदेश	340	8	2	7	357	85
जम्मू और कश्मीर	323	24	10	1	358	146
झारखण्ड	258	83	2		343	103
कर्नाटक	4097	133	36	55	4321	1811
केरल	1366	67	8	66	1507	459
लद्दाख	5		2		7	5
लक्षद्वीप			3		3	
मध्य प्रदेश	2458	85	3	753	3299	414
महाराष्ट्र	4481	170	11	138	4800	2414
मणिपुर	101	3			104	31
मेघालय	68	3	2	3	76	21
मिजोरम	35	3			38	19
नागालैण्ड	68	1		2	71	20
ओड़ीशा	1134	41	3	3	1181	429
पुदुचेरी	80	8	2		90	14
पंजाब	1027	73	19	1	1120	429
राजस्थान	3583	42	2	78	3705	609
सिक्किम	21	9			30	8
तमिलनाडु	2569	143	10		2722	917
तेलंगाना	2024	39	9	2	2074	520
त्रिपुरा	52	1	1		54	14
उत्तरप्रदेश	7943	64	11	46	8064	1213
उत्तरांखण्ड	430	24	3	3	460	169
पश्चिम बंगाल	1383	56	6	16	1461	492
कुल योग	**42143**	**1934**	**197**	**1288**	**45562**	**12275**

*# **स्टैण्डअलोन संस्थान** (विश्वविद्यालय से असंबद्ध) ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें उपाधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। इस प्रकार के पांच संस्थानों को कवर किया गया है। वे हैः (1) तकनीकी जैसे बहुकला संस्थान (गुजरात और छत्तीसगढ़ में बहुकला संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध किया गया है इसलिए, उन्हें स्टैण्डालोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है)। इन दो राज्य में बहुकला संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है) (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (3) शिक्षक प्रशिक्षण जैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। (4) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त परिचर्या संस्थान। (5) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान। एआईएसएचई के पोर्टल पर सूचीबद्ध देश में कुल 12,275 स्टैण्डालोन संस्थान हैं। (स्रोत एआईएसएचई पोर्टल रिपोर्ट 2020–21 संस्थानों की सूची)।*

तालिका 2.2(ii)(ख): स्टैण्डालोन संस्थानों की राज्यवार और स्वरूप वार संख्या

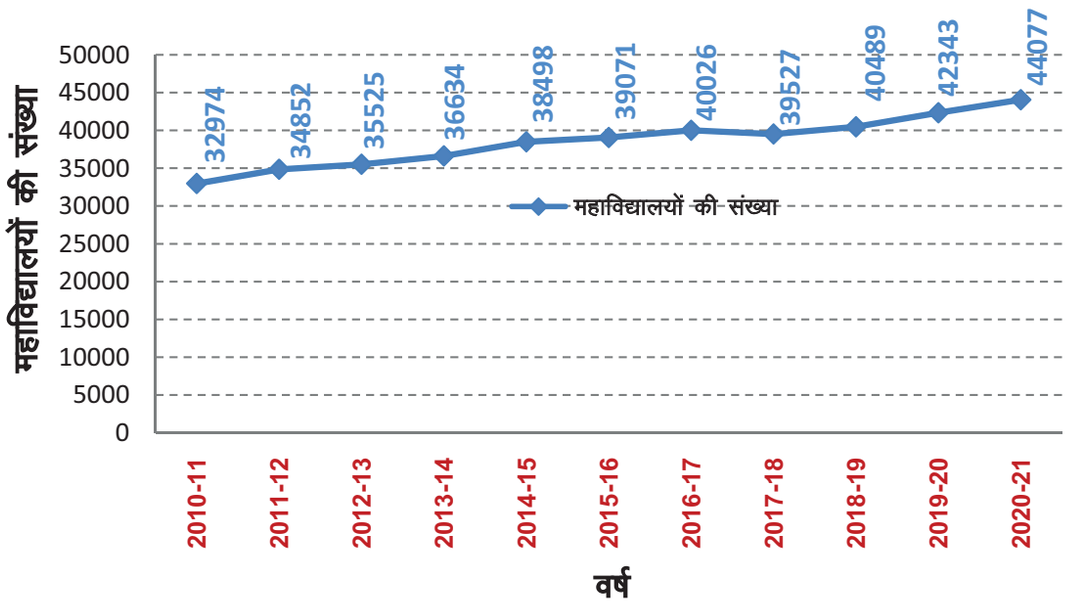
राज्य	संस्थानों का स्वरूप							कुल योग
	होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी	मंत्रालयों के अधीन संस्थान	परिचर्या	पराचिकित्सीय	पीजीडीएम संस्थान	अध्यापक प्रशिक्षण	तकनीकी / बहुकला संस्थान	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						1		1
आन्ध्र प्रदेश		4	262		8	413	163	850
अरूणाचल प्रदेश						6	7	13
असम	1	3	30	1	1	35	30	101
बिहार	1	1	65	1	4	36	61	169
चण्डीगढ़	2	1			2	3	3	11
छत्तीसगढ़		1	42		3	28	2	76
दादरा और नगर हवेली	1		1					2
दमन और द्वीव						2		2
दिल्ली	3	13	23	1	15	41	18	114
गोवा	1	1	1	2	1	3	8	17
गुजरात	1	7	162	1	10	129	10	320
हरियाणा	7	8	27		13	38	164	257
हिमाचल प्रदेश	2	1	25			18	39	85
जम्मू और कश्मीर	2		34	35		21	54	146
झारखण्ड	1	2	39	4	6	5	46	103
कर्नाटक	2	9	632	339	29	417	383	1811
केरल	2	4	161	1	7	197	87	459
लद्दाख				1		2	2	5
मध्य प्रदेश	5	4	131	1	60	141	72	414
महाराष्ट्र	2	15	615		74	959	749	2414
मणिपुर		1	13	3		11	3	31
मेघालय	1	1	8			8	3	21
मिजोरम			8			9	2	19
नागालैण्ड			4			9	7	20
ओड़ीशा	1	3	198	15	9	66	137	429
पुदुचेरी			1			4	9	14
पंजाब	1	3	159	5	2	59	200	429
राजस्थान	7	3	79	59	10	260	191	609
सिक्किम	1		1			4	2	8
तमिलनाडु	2	8	106		13	293	495	917
तेलंगाना	1	4	155		18	186	156	520
त्रिपुरा		2	8			4		14
उत्तरप्रदेश	3	9	295	27	75	248	556	1213
उत्तरांखण्ड	1	2	33		3	13	117	169
पश्चिम बंगाल	1	14	80	3	15	220	159	492
कुल योग	**52**	**124**	**3398**	**499**	**378**	**3889**	**3935**	**12275**

तालिका 2.2(ii)(ग): वर्ष 2010–11 से 2019–20 के दौरान महाविद्यालयों (संबद्ध/संघटक) की वर्ष–वार संख्या

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010-11	32974
2011-12	34852
2012-13	35525
2013-14	36634
2014-15	38498
2015-16	39071
2016-17	40026
2017-18	39527
2018-19	40489
2019-20	42343
2020-21	44077*

**अनतिम आंकड़े (स्रोत–एआईएसएचई पोर्टल 2020–21 रिपोर्ट–संस्थानों की सूची)*

रेखाचित्र 2.2(ii)(ग): वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान (संबद्ध/संघटक) महाविद्यालयों की वृद्धि



2.2(ii)(घ) महाविद्यालयों का आकार (वर्ष 2019–20 की एआईएसएचई रिपोर्ट):– अधिकांश महाविद्यालय नामांकन के मामले में छोटे आकार के हैं, 16.6 प्रतिशत महाविद्यालयों में 100 से कम नामांकन हैं और 48.9 प्रतिशत महाविद्यालयों में छात्र संख्या 100 से 500 है जिसका अभिप्राय है कि 65.5 प्रतिशत महाविद्यालयों में 500 से कम छात्रों का नामांकन है। केवल 04 प्रतिशत महाविद्यालयों में 3000 से ज्यादा नामांकन है।

2.2(ii)(ङ) महाविद्यालयों की प्रबंधनवार संख्या (वर्ष 2019–20 की एआईएसएचई रिपोर्ट):– देश में अधिकांश महाविद्यालय (78.6 प्रतिशत) निजी तौर पर प्रबंधित हैं। 65.2 प्रतिशत निजी गैर–सहायता प्राप्त हैं और 13.4 प्रतिशत निजी–सहायता प्राप्त हैं; और शेष 21.4 प्रतिशत सरकारी महाविद्यालय हैं।

2.2(ii)(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया था। जब भी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप उपर्युक्त पाए जाने पर इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत सम्मिलित किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप धारा 12ख के तहत महाविद्यालयों को सम्मिलित करता है। इससे महाविद्यालय, भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता अथवा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हो जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कुल 12717 महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है (धारा 2(च) के तहत 2574 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 10143 महाविद्यालय) जबकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कुल 12453 महाविद्यालयों (धारा 2(च) के तहत 2460 महाविद्यालय तथा धारा 12(ख) के तहत 9993 महाविद्यालय) को मान्यता प्रदान की गई थी।

वर्ष	धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की कुल संख्या	केवल धारा 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं)	कुल
दिनांक 31 मार्च, 2019 तक	9755	2315	12070
दिनांक 31 मार्च, 2020 तक	9993	2460	12453
दिनांक 31 मार्च, 2021 तक	10143	2574	12717

2.3 छात्र नामांकन

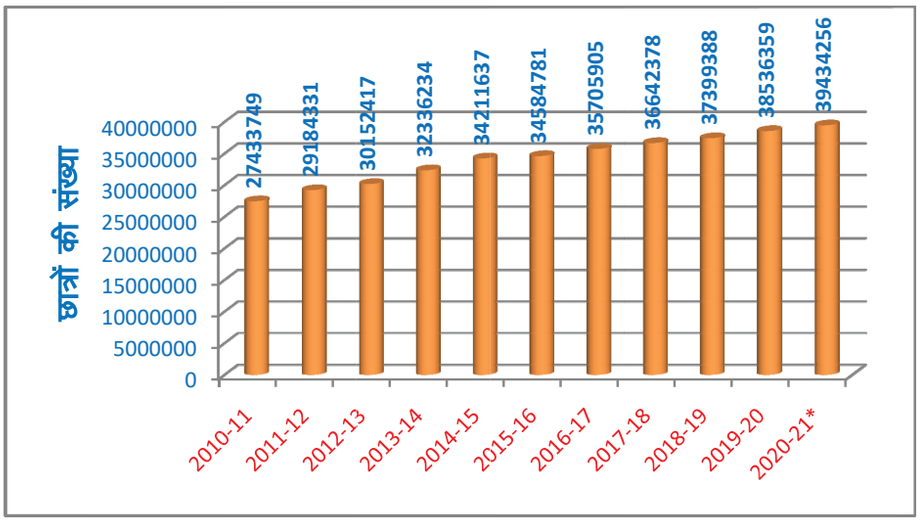
शिक्षा वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतर शिक्षा के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम) में 394.34* लाख छात्रों का नामांकन (*अनंतिम आंकड़े पिछले पांच वर्षों के दौरान साधारण औसत वृद्धि पर अनुमानित) हुआ था ।

तालिका 2.3(i)(क): छात्र नामांकन में अखिल भारतीय वृद्धि (वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान)

वर्ष	कुल छात्र नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010-11	27433749		
2011-12	29184331	1684582	6.13%
2012-13	30152417	968086	3.32%
2013-14	32336234	2183817	7.24%
2014-15	34211637	1875403	5.80%
2015-16	34584781	373144	1.09%
2016-17	35705905	1121124	3.24%
2017-18	36642378	936473	2.62%
2018-19	37399388	757010	2.07%
2019-20	38536359	1136971	3.04%
2020-21*	39434256*	897897	2.33%

कवरेज: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन के आंकड़े, *एआईएसएचई की वर्ष 2010–11 से 2019–20 और वर्ष 2020–21* के लिए रिपोर्टों पर आधारित है । नामांकन का अनुमान, पिछले पांच वर्षों के दौरान साधारण औसत वृद्धि पर लगाया गया है।*

रेखाचित्र 2.3(i)(क): वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान छात्र नामांकन में वर्षवार वृद्धि [उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई)]



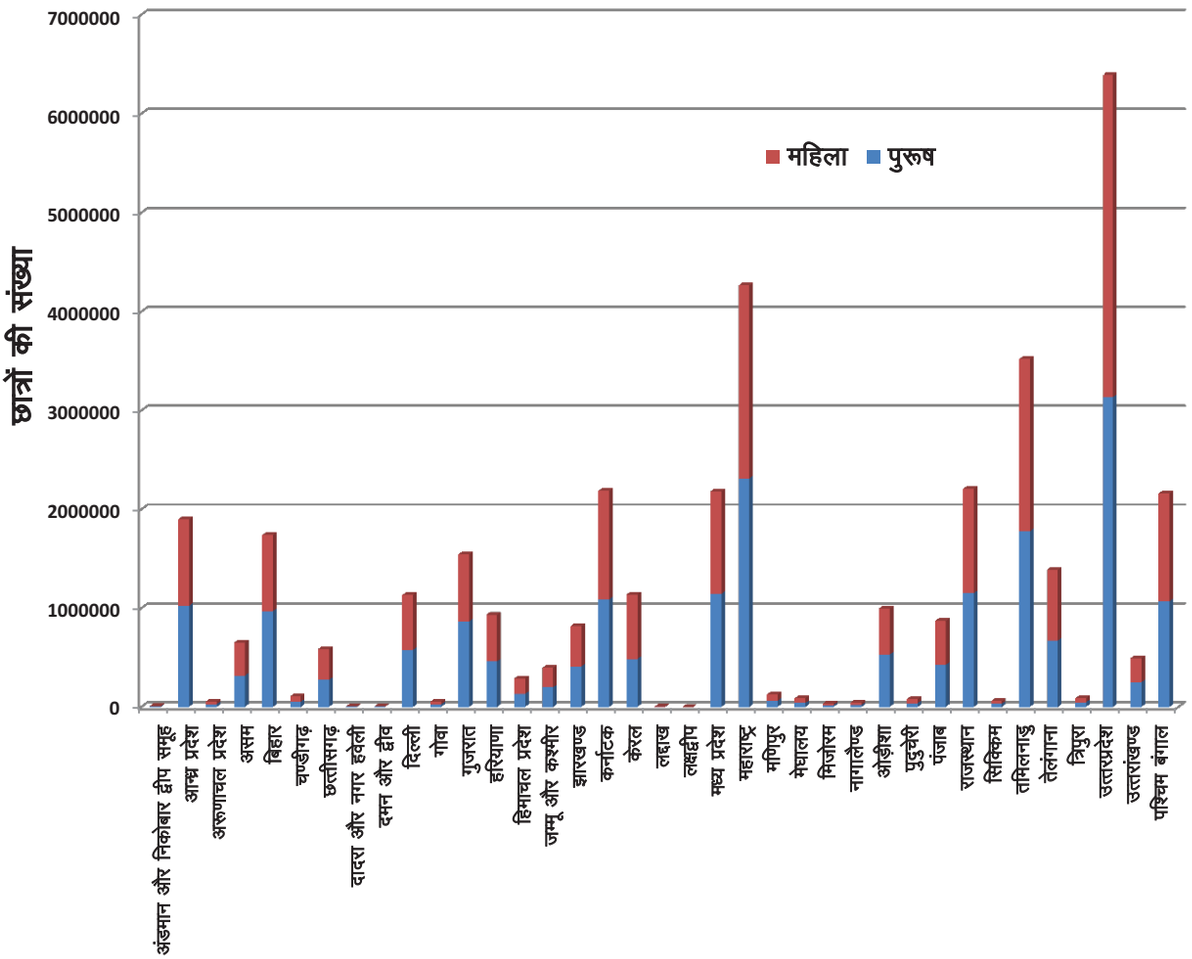
तालिका 2.3(i)(ख): वर्ष 2019–20* के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में राज्य–वार छात्र नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र नामांकन		
		पुरूष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4532	5599	10131
2	आन्ध्र प्रदेश	1021126	876023	1897149
3	अरूणाचल प्रदेश	28801	27015	55816
4	असम	316908	333693	650601
5	बिहार	969902	768530	1738432
6	चण्डीगढ़	53170	53497	106667
7	छत्तीसगढ़	272813	313582	586395
8	दादरा और नगर हवेली	3130	3263	6393
9	दमन और द्वीव	2190	1742	3932
10	दिल्ली	578747	554109	1132856
11	गोवा	25055	27727	52782
12	गुजरात	864967	679873	1544840
13	हरियाणा	460487	473054	933541
14	हिमाचल प्रदेश	132231	157257	289488
15	जम्मू और कश्मीर	199249	196167	395416
16	झारखण्ड	408859	408701	817560
17	कर्नाटक	1088883	1099009	2187892
18	केरल	484849	653004	1137853
19	लद्दाख	999	1898	2897
20	लक्षद्वीप	133	427	560
21	मध्य प्रदेश	1144576	1037578	2182154
22	महाराष्ट्र	2313862	1951610	4265472
23	मणिपुर	60918	63620	124538
24	मेघालय	39844	47697	87541
25	मिजोरम	17156	16080	33236

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र नामांकन		
		पुरूष	महिला	कुल
26	नागालैण्ड	20255	24306	44561
27	ओड़ीशा	529226	465703	994929
28	पुदुचेरी	38156	41968	80124
29	पंजाब	425331	444132	869463
30	राजस्थान	1151186	1055331	2206517
31	सिक्किम	33049	25022	58071
32	तमिलनाडु	1778186	1742125	3520311
33	तेलंगाना	672768	716840	1389608
34	त्रिपुरा	47031	39216	86247
35	उत्तरप्रदेश	3136650	3251564	6388214
36	उत्तरांखण्ड	248893	244386	493279
37	पश्चिम बंगाल	1069629	1091264	2160893
अखिल भारतीय		**19643747**	**18892612**	**38536359**

एआईएसएचई का वर्ष 2020–21 का सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है (वर्ष 2019–20 के लिए राज्यवार आंकड़ा को एआईएसएचई की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया गया है)

रेखाचित्र 2.3(i)(ख): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में राज्यवार तथा लिंगवार छात्र नामांकन



तालिका 2.3(i)(ग): वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के नामांकन में राज्यवार और वर्षवार वृद्धि

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल छात्र नामांकन				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11024	10857	10600	11511	10131
2	आन्ध्र प्रदेश	1724538	1799433	1697282	1760830	1897149
3	अरूणाचल प्रदेश	46452	46564	47464	47168	55816
4	असम	570955	640270	678344	700163	650601
5	बिहार	1602860	1645518	1514595	1607008	1738432
6	चण्डीगढ़	99992	100849	105829	99009	106667
7	छत्तीसगढ़	466030	500046	574861	586924	586395
8	दादरा और नगर हवेली	5454	5626	5776	6102	6393
9	दमन और द्वीव	3122	3119	3090	3403	3932
10	दिल्ली	1014876	1027806	1064406	1077556	1132856
11	गोवा	47266	48669	49641	54680	52782
12	गुजरात	1487129	1458104	1453255	1478052	1544840
13	हरियाणा	831659	925290	913443	928893	933541
14	हिमाचल प्रदेश	241705	270210	275708	283860	289488
15	जम्मू और कश्मीर	332556	337850	359230	394099	395416
16	झारखण्ड	581643	671037	688722	739484	817560
17	कर्नाटक	1857946	1871294	1943856	1988494	2187892
18	केरल	939155	1033143	1082917	1095842	1137853
19	लद्दाख	*	*	*	*	2897
20	लक्षद्वीप	501	524	552	545	560
21	मध्य प्रदेश	1725182	1773253	1885479	1929344	2182154
22	महाराष्ट्र	3987312	4016309	4131757	4230326	4265472
23	मणिपुर	99340	101062	104680	110377	124538
24	मेघालय	71567	80292	83822	86931	87541
25	मिजोरम	31463	31719	29495	32838	33236
26	नागालैण्ड	36892	40762	43557	45462	44561
27	ओड़ीशा	914675	972285	1015777	1019192	994929
28	पुदुचेरी	65412	66918	73061	77342	80124
29	पंजाब	878479	917550	959536	919576	869463
30	राजस्थान	1761460	1808451	1936204	2084413	2206517
31	सिक्किम	29550	29110	29000	41572	58071
32	तमिलनाडु	3235354	3371351	3440945	3414196	3520311
33	तेलंगाना	1474235	1438737	1419307	1426461	1389608
34	त्रिपुरा	74035	83244	91681	82703	86247
35	उत्तरप्रदेश	6003076	6157971	6455375	6469367	6388214

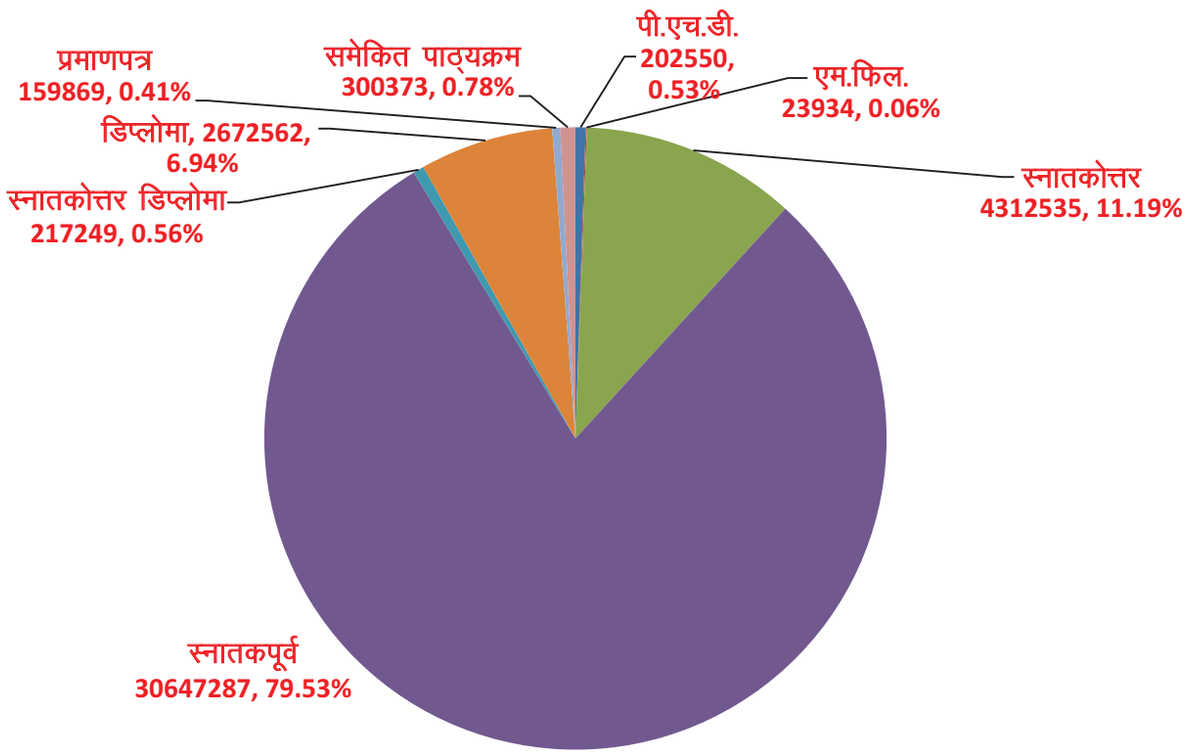
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल छात्र नामांकन				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
36	उत्तरांखण्ड	405386	404686	437150	468255	493279
37	पश्चिम बंगाल	1926500	2015996	2035981	2097410	2160893
अखिल भारतीय		**34584781**	**35705905**	**36642378**	**37399388**	**38536359**

*जम्मू और कश्मीर में सम्मिलित है।

तालिका 2.3(i)(घ): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में स्तर–वार छात्र नामांकनः

स्तर	पुरूष	महिला	कुल
पीएच.डी.	111444	91106	202550
एम.फिल.	9043	14891	23934
स्नातकोत्तर	1860163	2452372	4312535
स्नातकपूर्व	15563077	15084210	30647287
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	116346	100903	217249
डिप्लोमा	1740798	931764	2672562
प्रमाणपत्र	74164	85705	159869
समेकित पाठ्यक्रम	168712	131661	300373
कुल योग	**19643747**	**18892612**	**38536359**

रेखाचित्र 2.3(i)(घ): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में स्तर–वार छात्र नामांकनः



तालिका 2.3(i)(ङ): वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान स्तरवर और वर्षवार छात्र नामांकन

स्तर	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पीएच.डी.	126451	141037	161412	169170	202550
एम.फिल.	42523	43267	34109	30692	23934
स्नातकोत्तर	3917156	4007570	4114310	4042522	4312535
स्नातकपूर्व	27420450	28348197	29016350	29829075	30647287
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	229559	213051	235263	224711	217249
डिप्लोमा	2549160	2612209	2707934	2699395	2672562
प्रमाणपत्र	144060	166617	177223	162697	159869
समेकित पाठ्यक्रम	155422	173957	195777	241126	300373
कुल योग	**34584781**	**35705905**	**36642378**	**37399388**	**38536359**

2.3(ii): विदेशी छात्र

विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्वः (एआईएसएचई की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट)–देश में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 49,348 हैं। विदेशी छात्र विश्वभर के 168 विभिन्न देशों से आते हैं। सर्वाधिक छात्र पड़ोसी देशों से आते हैं, कुल विदेशी छात्रों में से नेपाल से कुल 28.1 प्रतिशत, इसके बाद अफगानिस्तान से 9.1 प्रतिशत, बांग्लादेश से 4.6 प्रतिशत, भूटान से 4.02 प्रतिशत, भूटान से 3.82 प्रतिशत छात्र हैं। ऐसे 10 शीर्षतम देश जहां से बड़ी संख्या में छात्र भारत आते है, उनमें सूडान (3.6 प्रतिशत), अमेरिका (3.3 प्रतिशत), नाइजीरिया (3.1 प्रतिशत), यमन (2.9 प्रतिशत), मलेशिया (2.7 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (2.7 प्रतिशत) भी शामिल हैं।

सर्वाधिक संख्या में विदेशी छात्र, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं अर्थात् कुल विदेशी छात्रों में 74.3 प्रतिशत छात्र जिसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 16.6 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। शेष स्तरों पर नामांकन 9.1 प्रतिशत है।

तालिका 2.3(ii)(क): वर्ष 2019–20 के दौरान राज्यवार और स्तरवार विदेशी छात्र (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विदेशी छात्रों का नामांकन								
		पी.एच.डी.	एम. फिल.	स्नातकोत्तर	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	डिप्लोमा	प्रमाणपत्र	समेकित पाठ्यक्रम	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	111		334	1641		3		5	2094
2	अरूणाचल प्रदेश			3	2					5
3	असम	53		51	77				2	183
4	बिहार	14		61	80		42	2		199
5	चण्डीगढ़	37		70	184	2				293
6	छत्तीसगढ़	1		9	98					108
7	दिल्ली	177	12	522	1487	19	16	8	104	2345
8	गोवा	4	1	37	277	1		5	7	332
9	गुजरात	34	1	259	1837	8	81		7	2227

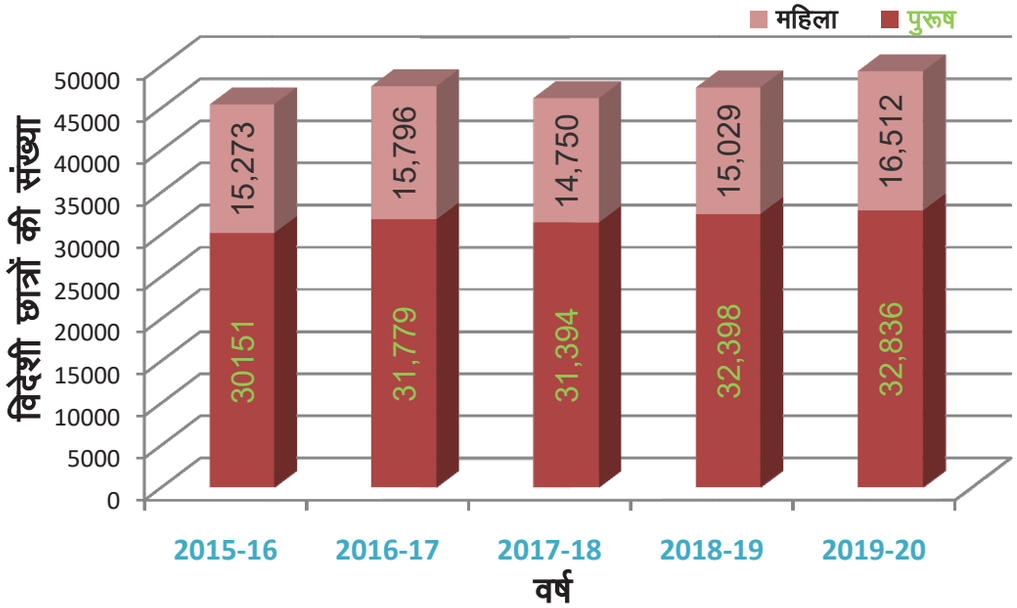
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विदेशी छात्रों का नामांकन								
		पी.एच.डी.	एम. फिल.	स्नातकोत्तर	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	डिप्लोमा	प्रमाणपत्र	समेकित पाठ्यक्रम	कुल
10	हरियाणा	52		272	1474		512		11	2321
11	हिमाचल प्रदेश	31		199	623		1		32	886
12	जम्मू और कश्मीर			7	9					16
13	झारखण्ड	7		16	24					47
14	कर्नाटक	249	4	1458	8274	3	188	2	53	10231
15	केरल	30		93	178				1	302
16	लद्दाख				6					6
17	मध्य प्रदेश	11		49	522		28		2	612
18	महाराष्ट्र	120	7	1055	3345	5	58	1	8	4599
19	मणिपुर	9		15						24
20	मेघालय	7		10	90					107
21	मिजोरम	1								1
22	नागालैण्ड				4					4
23	ओड़ीशा	58		158	943					1159
24	पुदुचेरी			14	16			2		32
25	पंजाब	69	1	750	3844	1	215		86	4966
26	राजस्थान	30		166	992		181		13	1382
27	सिक्किम			20	243		4		5	272
28	तमिलनाडु	64	6	748	3129	14	65	426	9	4461
29	तेलंगाना	32		223	1908	10	16		72	2261
30	त्रिपुरा			8	9		1		1	19
31	उत्तरप्रदेश	396	11	1130	3206	7	227	17	95	5089
32	उत्तरांखण्ड	14		218	1225		96		1	1554
33	पश्चिम बंगाल	27	2	244	907	4	12	8	7	1,211
अखिल भारतीय		**1,638**	**45**	**8,199**	**36,654**	**74**	**1,746**	**471**	**521**	**49,348**

छात्रों के राज्य–वार संवितरण को देखें तो, विदेशों से सबसे बड़ी संख्या में छात्र कर्नाटक में आते हैं, जिनकी संख्या 10231 है। कर्नाटक के अलावा, उत्तरप्रदेश (5089), पंजाब (4966), महाराष्ट्र (4599), तमिलनाडु (4461), दिल्ली (2345), हरियाणा (2321), तेलंगाना (2261), गुजरात (2227) तथा आंध्र प्रदेश (2094) में 2000 से अधिक विदेशी छात्र रहते हैं।

तालिका 2.3(ii)(ख): वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विदेशी छात्रों का नामांकन

वर्ष	पुरूष	महिला	कुल
2015-16	30151	15,273	45,424
2016-17	31,779	15,796	47,575
2017-18	31,394	14,750	46,144
2018-19	32,398	15,029	47,427
2019-20	32,836	16,512	49,348

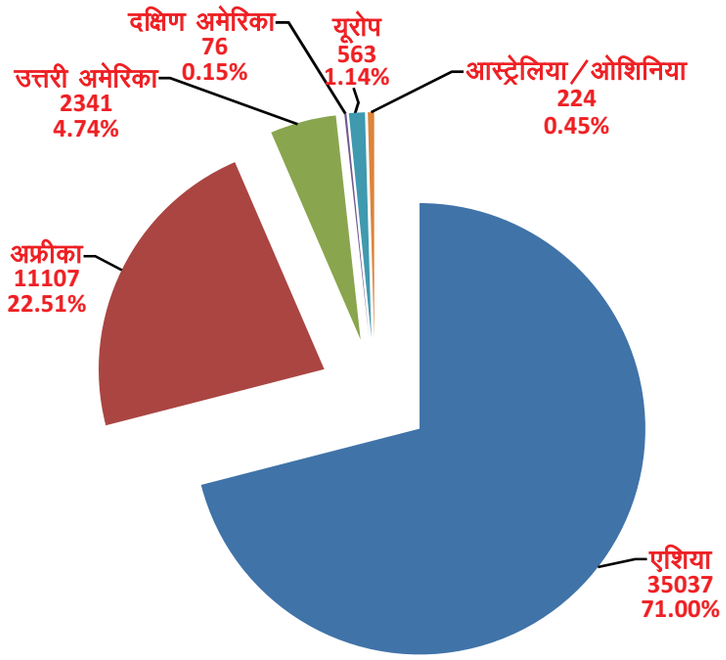
रेखाचित्र 2.3(ii)(ख): वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्षवार तथा लिंगवार विदेशी छात्रों के नामांकन की संख्या



तालिका 2.3(ii)(ग): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में महाद्वीप–वार विदेशी छात्रों की संख्या

महाद्वीप	विदेशी छात्र		
	पुरूष	महिला	कुल
एशिया	23824	11213	35037
अफ्रीका	7661	3446	11107
उत्तरी अमेरिका	961	1380	2341
दक्षिण अमेरिका	27	49	76
यूरोप	253	310	563
आस्ट्रेलिया / ओशिनिया	110	114	224
कुल	**32836**	**16512**	**49348**

रेखाचित्र 2.3(ii)(ग): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में महाद्वीप–वार विदेशी छात्रों की संख्या



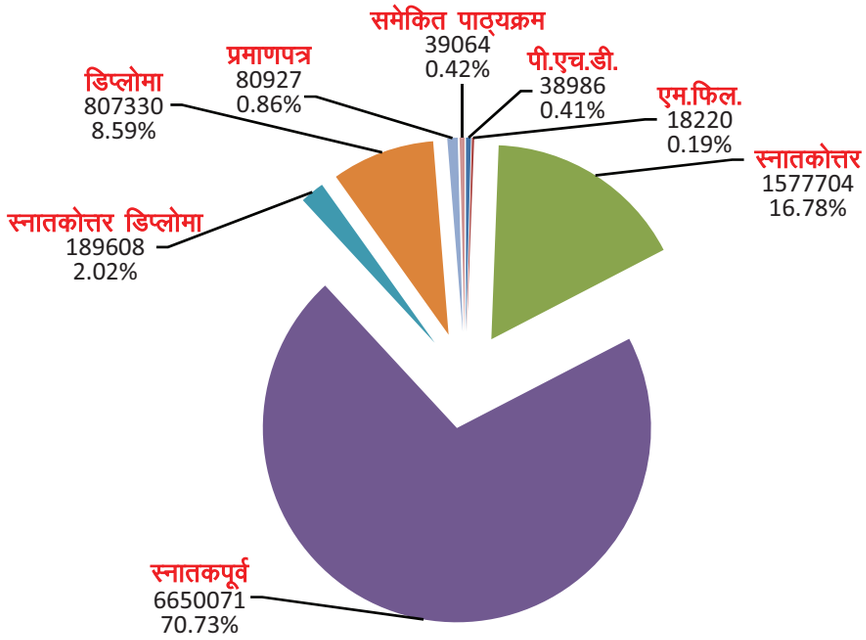
2.4 ऑउट टर्न/पास ऑउट

तालिका 2.4: वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान वर्षवार और स्तरवार ऑउट टर्न/पास ऑउट* छात्रों की संख्या

स्तर	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
पीएच.डी.	24171	28779	34400	40813	38986
एम.फिल.	23124	26325	28059	25787	18220
स्नातकोत्तर	1404996	1477919	1504403	1500064	1577704
स्नातकपूर्व	6331999	6456386	6419639	6474715	6650071
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	175353	129032	143176	159697	189608
डिप्लोमा	788322	740561	737077	783914	807330
प्रमाणपत्र	78788	67933	75383	75358	80927
समेकित पाठ्यक्रम	22604	26151	26409	31550	39064
कुल योग	**8849357**	**8953086**	**8968546**	**9091898**	**9401910**

**एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर आंकड़े*

रेखाचित्र 2.4: वर्ष 2019–20 के दौरान स्तरवार ऑउट टर्न/पास ऑउट छात्रों की संख्या (एआईएसएचई की रिपोर्ट)



2.5 शिक्षण कर्मचारी

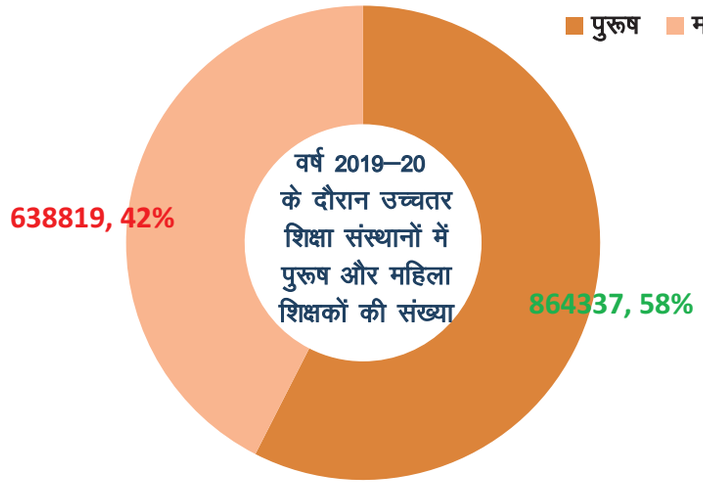
तालिका 2.5(i): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में राज्य–वार शिक्षकों की संख्या
(एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल योग		
		पुरूष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	254	209	463
2	आन्ध्र प्रदेश	64116	35621	99737
3	अरूणाचल प्रदेश	1213	791	2004
4	असम	13579	9501	23080
5	बिहार	23213	6384	29597
6	चण्डीगढ़	1595	2169	3764
7	छत्तीसगढ़	11452	10783	22235
8	दादरा और नगर हवेली	119	116	235
9	दमन और द्वीव	163	109	272
10	दिल्ली	10008	11754	21762
11	गोवा	1671	1968	3639
12	गुजरात	35627	24761	60388
13	हरियाणा	18541	20690	39231
14	हिमाचल प्रदेश	5648	5133	10781
15	जम्मू और कश्मीर	6580	4741	11321
16	झारखण्ड	9514	4174	13688

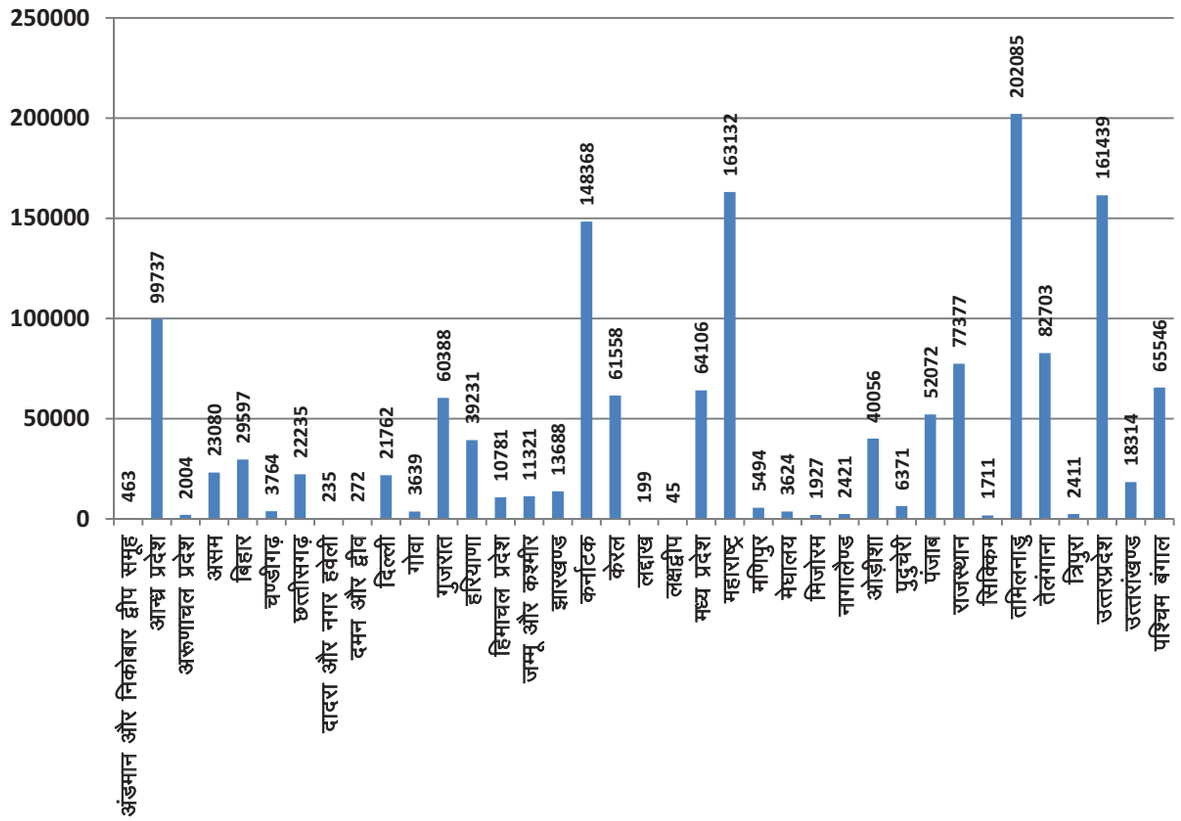
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल योग		
		पुरूष	महिला	कुल
17	कर्नाटक	80677	67691	148368
18	केरल	23712	37846	61558
19	लद्दाख	135	64	199
20	लक्षद्वीप	25	20	45
21	मध्य प्रदेश	37474	26632	64106
22	महाराष्ट्र	95447	67685	163132
23	मणिपुर	2792	2702	5494
24	मेघालय	1597	2027	3624
25	मिजोरम	1032	895	1927
26	नागालैण्ड	1058	1363	2421
27	ओड़ीशा	25065	14991	40056
28	पुदुचेरी	3576	2795	6371
29	पंजाब	21105	30967	52072
30	राजस्थान	49032	28345	77377
31	सिक्किम	1000	711	1711
32	तमिलनाडु	102469	99616	202085
33	तेलंगाना	49351	33352	82703
34	त्रिपुरा	1513	898	2411
35	उत्तरप्रदेश	109990	51449	161439
36	उत्तरांखण्ड	11214	7100	18314
37	पश्चिम बंगाल	42780	22766	65546
अखिल भारतीय		**864337**	**638819**	**1503156**

स्रोतः एआईएसएचई की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट

रेखाचित्र 2.5(i)(क): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पुरूष और महिला शिक्षकों की संख्या



रेखाचित्र 2.5(i)(ख): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षको की राज्यवार संख्या



वर्ष 2019–20 के दौरान कुल शिक्षकों की संख्या अर्थात् 15,03,156 में से लगभग 57.5 प्रतिशत पुरुष शिक्षक और 42.5 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। शिक्षकों के संदर्भ में सबसे कम लिंग अनुपात बिहार में दर्ज किया गया जहां महिला और पुरूष शिक्षकों का अनुपात 1:4 है जो कि प्रतिशत के संदर्भ में पुरूषों के लिए 78.4 तथा महिलाओं के लिए केवल 21.6 प्रतिशत है। झारखंड दूसरे स्थान पर है जहां 69.5 प्रतिशत पुरुष और 30.5 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या का 31.9 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं।

तालिका 2.5(i)(क): वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में (एचईआई) शिक्षण कर्मचारियों की संख्या
(एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर)

पद का नाम	वर्ष				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आचार्य और उनके समकक्ष	146021	125154	114170	128949	139797
उपाचार्य और सह–आचार्य	174657	147629	139443	152557	160137
व्याख्याता/सहायक आचार्य	1009196	945558	888427	971201	1023519
निदर्शक/अनुशिक्षक	76933	68477	64266	73174	80172
अस्थायी शिक्षक	112006	66895	66858	77510	84956
अभ्यागत शिक्षक	23381	11951	11591	12908	14575
कुल	**1542194**	**1365664**	**1284755***	**1416299**	**1503156**

**वर्ष 2017–18 में पहली बार शिक्षकों के बारे में विस्तृत जानकारी को पृथक शिक्षक जानकारी प्ररूप (टीआईएफ) में प्राप्त किया गया है और कोई पूलिंग प्रक्रिया नहीं की गई है और इस प्रकार केवल ऐसे शिक्षक पर ही विचार किया गया है जिन्होंने अपने आधार नम्बर के साथ टीआईएफ में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।*

2.6 शिक्षणेत्तर कर्मचारी

वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 12,90,701 है जिन्हें चार समूहों अर्थात् समूह क, ख, ग और घ में विभाजित किया गया है। समूह ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक अर्थात् 40 प्रतिशत है जबकि समूह 'घ' 28 प्रतिशत के साथ दूसरी पायदान पर है, समूह क और समूह ख क्रमशः 15 प्रतिशत और 17 प्रतिशत है।

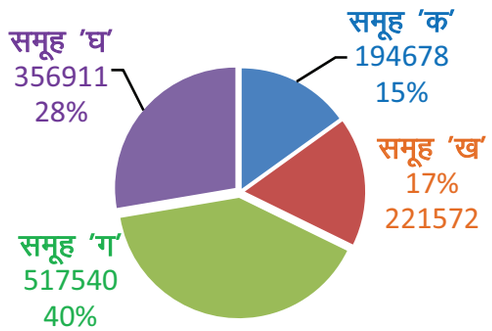
तालिका 2.6(i): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) (वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर) में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या (*एआईएसएचई की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट*)

पद	पुरूष	महिला	कुल
समूह 'क'	119602	75076	194678
समूह 'ख'	134881	86691	221572
समूह 'ग'	348302	169238	517540
समूह 'घ'	252658	104253	356911
कुल	**855443**	**435258**	**1290701**

तालिका 2.6(ii): वर्ष 2015–2016 से 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या (*एआईएसएचई में वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर*)

श्रेणी	वर्ष				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
समूह 'क'	157994	170472	183352	187032	194678
समूह 'ख'	200808	201978	209891	205982	221572
समूह 'ग'	440066	455664	488997	477182	517540
समूह 'घ'	326159	330868	334194	344106	356911
कुल	**1125027**	**1158982**	**1216434**	**1214302**	**1290701**

रेखाचित्र 2.6(i): वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या



2.7 छात्र शिक्षक अनुपात

छात्र शिक्षक अनुपात (*एआईएसएचई की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट*): सभी प्रकार के संस्थानों (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/स्टैंडालोन संस्थान) पर विचार करते हुए अखिल भारत आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात 26 है (केवल नियमित नामांकन पर विचार करते हैं तो 23)। विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों के मामले में नियमित पद्धति के लिए पीटीआर 28 है। यह पाया गया है कि विश्वविद्यालयों तथा इसके संघटक इकाईयों में पीटीआर नियमित पद्धति के मामले में काफी उच्च स्तर पर अर्थात् 18 पर है।

तालिका 2.7: वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में राज्य–वार छात्र शिक्षक अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी संस्थान		विश्वविद्यालय और महाविद्यालय		विश्वविद्यालयों तथा इसकी संघटक इकाईयां	
		नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	13	22	13	-	-
2	आन्ध्र प्रदेश	19	16	22	19	46	16
3	अरूणाचल प्रदेश	28	20	63	45	33	18
4	असम	28	24	35	30	38	15
5	बिहार	59	54	70	65	71	27
6	चण्डीगढ़	28	20	54	38	32	13
7	छत्तीसगढ़	26	23	30	26	49	18
8	दादरा और नगर हवेली	27	27	28	28	20	20
9	दमन और द्वीव	14	14	14	14	-	-
10	दिल्ली	52	21	80	30	125	21
11	गोवा	15	13	17	15	31	12
12	गुजरात	26	25	34	32	25	20
13	हरियाणा	24	20	32	27	33	16
14	हिमाचल प्रदेश	27	23	42	35	31	15
15	जम्मू और कश्मीर	35	25	51	35	61	14
16	झारखण्ड	60	54	85	77	64	37
17	कर्नाटक	15	14	18	18	17	13
18	केरल	18	14	20	16	67	12
19	लद्दाख	15	15	28	28	7	7
20	लक्षद्वीप	12	12			12	12
21	मध्य प्रदेश	34	32	44	41	40	28
22	महाराष्ट्र	26	22	33	27	62	19
23	मणिपुर	23	22	28	26	19	12
24	मेघालय	24	22	37	34	20	14
25	मिजोरम	17	14	22	17	38	14
26	नागालैण्ड	18	17	24	22	22	15
27	ओड़ीशा	25	23	33	30	28	18
28	पुदुचेरी	13	10	19	16	15	8
29	पंजाब	17	15	24	22	23	17
30	राजस्थान	29	26	37	34	32	19
31	सिक्किम	34	14	97	38	44	10

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी संस्थान		विश्वविद्यालय और महाविद्यालय		विश्वविद्यालयों तथा इसकी संघटक इकाईयां	
		नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति
32	तमिलनाडु	17	15	21	18	34	14
33	तेलंगाना	17	16	18	17	28	15
34	त्रिपुरा	36	30	44	37	59	25
35	उत्तरप्रदेश	40	39	49	48	26	20
36	उत्तरांखण्ड	27	22	46	38	36	22
37	पश्चिम बंगाल	33	30	40	36	43	19
अखिल भारतीय		**26**	**23**	**32**	**28**	**38**	**18**

राज्यवार भिन्नता को देखते हुए यह पाया गया है कि राज्यों में बड़ी भिन्नता है तथा बिहार और झारखंड में पीटीआर 50 से अधिक है। नामांकन के मामले में शीर्ष 6 राज्यों में से कर्नाटक और तमिलनाडु में नियमित पद्धति के आधार पर सभी संस्थानों में सर्वोत्तम अर्थात् 18 पीटीआर है।

तालिका 2.7(i): उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्ष–वार छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर)

वर्ष	सभी संस्थान		विश्वविद्यालय और महाविद्यालय		विश्वविद्यालयों तथा इसकी संघटक इकाईयां	
	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति	नियमित और दूरस्थ शिक्षा पद्धति	नियमित पद्धति
2015-16	23	20	24	21	37	16
2016-17	26	23	28	22	26	19
2017-18	29	25	34	30	46	20
2018-19.	26	24	33	29	39	18
2019-20	26	23	32	28	38	18

2.8 संस्थानों के लिए अवसंरचना

उच्चतर शिक्षा संस्थान का प्रतिशत जिनमें विभिन्न प्रकार की अवसंरचना जैसे खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सम्मेलन हॉल आदि उपलब्ध हैं। 89 प्रतिशत विश्वविद्यालय, 92 प्रतिशत महाविद्यालय और 91 प्रतिशत स्टैंडालोन संस्थानों में खेल के मैदान हैं। 94 प्रतिशत विश्वविद्यालय, 98 प्रतिशत महाविद्यालय और 98 प्रतिशत स्टैंडालोन संस्थानों में पुस्तकालय की सुविधा है। प्रयोगशाला वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्टैंडालोन संस्थानों का प्रतिशत क्रमशः 85 प्रतिशत, 82 प्रतिशत और 93 प्रतिशत है। इसके अलावा, अधिकांश विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्टैंडालोन संस्थानों के साथ स्वास्थ्य केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस हॉल आदि भी मौजूद हैं।

विभिन्न प्रकार की अवसंरचना वाले संस्थानों का प्रतिशत			
अवसंरचना	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	स्टैंडालोन
खेल का मैदान	89	92	91
प्रेक्षागृह	82	62	67
रंगशाला	49	21	21
पुस्तकालय	94	98	98

विभिन्न प्रकार की अवसंरचना वाले संस्थानों का प्रतिशत			
अवसंरचना	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	स्टैंडालोन
प्रयोगशाला	85	82	93
सम्मेलन कक्ष	94	79	81
स्वास्थ्य केन्द्र	78	46	53
जिम–फिटनेस केन्द्र	77	40	34
इंडोर स्टेडियम	52	34	34
विनोद कक्ष	87	91	92
कम्प्यूटर केन्द्र	81	86	92
जलपान गृह	88	58	63
अतिथि गृह	84	42	47
बालिकाओं के लिए पृथक कक्ष	81	86	85
सौर विद्युत उत्पादन	62	34	34
एनकेएन कनेक्टीविटी	55	23	23
एनएमईआईसीटी कनेक्टीविटी	40	22	22
परिसर अनुकूल	82	60	59
शिकायत निवारण तंत्र	87	60	61
सर्तकता प्रकोष्ठ	70	52	54
अवसर प्रकोष्ठ	68	52	49
निःशक्त महिलाओं के लिए पृथक शौचालय	69	55	54
कक्षा के पुस्तकालय के साथ जुड़ा रैम्प	74	50	54
यौन उत्पीड़न तथा रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ	88	71	70
छात्रों हेतु परामर्शदाता	80	65	68
प्राथमिक उपचार क्लिनिक	83	67	75
बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	94	87	86
कौशल विकास केन्द्र	66	53	54
महिलाओं के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं	50	46	44
संस्थागत आपदा प्रबंधन सुविधाएं	69	53	56

अध्याय 3 ➤ विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता
3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय
3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान
3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न पहलुओं नामतः पहुंच में वृद्धि करने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करने, उनके विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रभावी बनाने, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने, शोध सुविधाओं में वृद्धि करने तथा विश्वविद्यालय की अन्य योजनाओं को कवर करते हुए समग्र विकास हेतु प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता है।

3.2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे जिनमें से 9 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई (iv) नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, राय बरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, (viii) डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है और इसलिए, इन नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय–2 की तालिका 2.2(i)(ख)(ii) में दी गई है। वर्ष 2020 के दौरान भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के तहत तीन नए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना की।

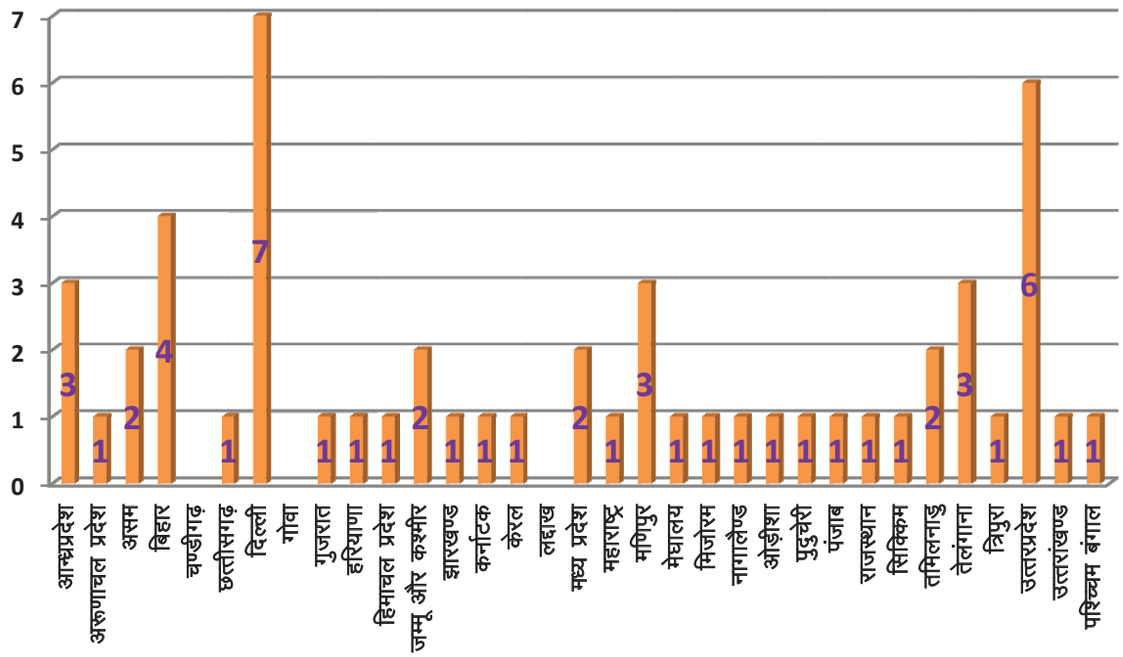
(i) राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति

(ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

(iii) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली

इन नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से कार्य करना आरंभ कर दिया।

रेखाचित्र 3.2: वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या



3.2(i) ब्लॉक अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

वर्ष 2020–21 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में बजट के विभाजन को नीचे संक्षेप में दिया गया है:–

तालिका 3.2(i)(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

मद	बजटीय आबंटन			
	आवर्ती (31)	पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	वेतन (36)	कुल
गैर–एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान				
गैर–एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	185009.00	24500.00	488375.00	697884.00
गैर–एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ईडब्ल्यूएस और कैम्पस विकास अनुदान	0.00	16964.00	0.00	16964.00
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय				
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	35084.00	7500.00	74391.00	116975.00
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ईडब्ल्यूएस अनुदान	0.0	0.00	0.00	0.00
आईएमएस–बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान	10600.00	500.00	5200.00	16300.00
आंध्र प्रदेश राज्य				
आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान	130.00	250.00	100.00	480.00
आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को अनुदान	50.00	250.00	20.00	320.00
कुल	230873.00	49964.00	568086.00	848923.00

तालिका 3.2(i)(ख) वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)		पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन
1	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	130.00	130.00	100.00	100.00	250.00	250.00
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	50.00	50.00	20.00	20.00	250.00	250.00
3	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	982.28	982.28	3426.26	3426.26	650.00	650.00
4	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	735.23	735.23	2403.89	2403.89	450.00	*460.00
5	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	1810.00	1810.00	7099.00	7099.00	1356.00	1356.00
6(क)	दिल्ली विश्वविद्यालय	18453.51	18453.51	43288.02	43288.02	1150.00	1150.00
6(ख)	यूसीएमएस	2058.29	2058.29	11633.12	11633.12	350.00	350.00
7	जामिया मिलिया इस्लामिया	8159.36	8159.36	38873.18	38873.18	950.00	950.00
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	13405.01	13405.01	23096.65	23096.65	850.00	850.00
9	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	1418.47	1418.47	2521.27	*2526.76	4100.00	4100.00
10	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1308.98	*1365.99	2212.23	2212.23	550.00	550.00
11	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1067.74	1067.74	2468.92	2468.92	450.00	450.00
12	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1271.59	1271.59	2245.64	2245.64	550.00	550.00
13	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	873.11	873.11	1646.41	1646.41	550.00	550.00
14	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	438.92	438.92	3624.72	3624.72	550.00	550.00
15	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1100.00	1100.00	2509.15	2509.15	550.00	550.00
16	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1404.81	1404.81	3160.63	3160.63	550.00	550.00
17	डॉ0 हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय,	6115.36	6115.36	9380.00	9380.00	3515.00	3515.00
18	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,	1925.00	1925.00	4343.21	4343.21	750.00	750.00
19	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	1491.00	1491.00	3168.86	3168.86	650.00	650.00
20	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	974.37	974.37	110.54	110.54	600.00	600.00
21	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0.00	0.00	2075.74	2075.74	600.00	600.00

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आवर्ती अनुदान (31)		वेतन अनुदान (36)		पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	
		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन
22	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	4109.83	4109.83	16665.91	16665.91	850.00	850.00
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1192.03	1192.03	3166.17	3166.17	550.00	550.00
24	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1372.97	1372.97	3380.05	3380.05	550.00	550.00
25	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	2820.00	2820.00	13707.04	13707.04	600.00	600.00
26	हैदराबाद विश्वविद्यालय	6963.00	6963.00	25557.60	25557.60	1284.00	1284.00
27	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	2648.20	2648.20	6321.42	6321.42	550.00	550.00
28	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	2063.46	2063.46	14047.70	14047.70	750.00	750.00
29	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	37540.60	37540.60	113419.90	113419.90	1050.00	1050.00
30	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	34428.24	34428.24	73856.56	73856.56	1250.00	1250.00
31	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2445.08	2445.08	4324.84	4324.84	850.00	850.00
32	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13831.37	13831.37	26152.05	26152.05	850.00	850.00
33	विश्व भारती	10601.19	10601.19	18488.32	18488.32	850.00	850.00
	कुल–(गैर–एनईआर विश्वविद्यालय)	**185189.00**	**185246.01**	**488495.00**	**488500.49**	**30205.00**	**30215.00**
34	असम विश्वविद्यालय	3008.44	3008.44	8623.79	8623.79	2450.00	2450.00
35	तेजपुर विश्वविद्यालय	3260.78	3260.78	8146.50	8146.50	1750.00	1750.00
36	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2747.20	2747.20	4317.14	4317.14	2350.00	2350.00
37	मणिपुर विश्वविद्यालय	4184.26	4184.26	8787.32	8787.32	750.00	750.00
38	नार्थ–इस्टर्न हिल यूनीवसिर्टी	9186.89	9186.89	16590.78	16590.78	1000.00	1000.00
39	मिजोरम विश्वविद्यालय	3477.68	3477.68	9913.34	9913.34	3900.00	3900.00
40	नागालैंड विश्वविद्यालय	4407.70	4407.70	9179.30	9179.30	750.00	750.00
41	सिक्किम विश्वविद्यालय	2429.59	2429.59	4487.91	4487.91	5559.00	5559.00
42	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2381.46	2381.46	4344.92	4344.92	750.00	750.00
	कुल (एनईआर विश्वविद्यालय)	**35084.00**	**35084.00**	**74391.00**	**74391.00**	**19259.00**	**19259.00**
	कुल योग (गैर–एनईआर और एनईआर)	**220273.00**	**220330.01**	**562886.00**	**562891.49**	**49464.00**	**49474.00**

*नोटः महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय–दिनांक 27 मार्च, 2020 को पूर्व में संस्वीकृत 10.00 लाख रुपये की राशि का अधिक्रमण किया गया, परंतु निधियाँ दिनांक 06 अक्तूबर, 2020 को जारी की गई।

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय–दिनांक 29 अगस्त, 2019 को पूर्व में संस्वीकृत 5.49 लाख रुपये की राशि का अधिक्रमण किया गया, परंतु निधियाँ दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को जारी की गई।

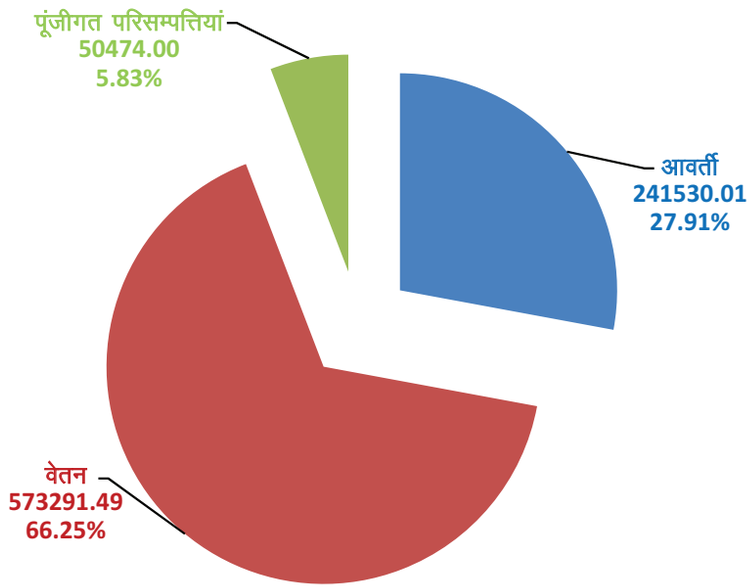
हरियाणा विश्वविद्यालयः दिनांक 16 मार्च, 2020 को पूर्व में संस्वीकृत 57.01 लाख रुपये की राशि का अधिक्रमण किया गया, परंतु निधियाँ दिनांक 30 जुलाई, 2020 को जारी की गई।

तालिका 3.2(i)(ग): वर्ष 2020–21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल सांइस (आईएमएस), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को जारी किया गया अनुदानः

(लाख रुपये में)

वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान					
वेतन		आवर्ती		पूंजीगत परिसम्पत्तियां	
आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	जारी किया गया	आवंटन	आवंटन
5200.00	5200.00	10600.00	10600.00	500.00	500.00

रेखाचित्र 3.2(i): वर्ष 2020–21 के दौरान यूसीएमएस, आईएमएस सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (आवर्ती अनुदान, वेतन अनुदान, पूंजीगत परिसम्पत्तियां अनुदान) को जारी किया गया क्षेत्रवार अनुदान (लाख रुपये में)



3.2(ii): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तपोषित योजनाएं

3.2(ii)(क): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी.एच.डी. के लिए गैर–नेट अध्येतावृत्ति की योजना

आयोग की दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को आयोजित 433वीं बैठक के माध्यम से आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2006–2007 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर–नेट अध्येतावृत्ति की योजना आरंभ की गई। अध्येतावृत्ति की दर नीचे दी गई है:–

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रति माह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रति माह

दिनांक 27 जनवरी, 2009 को मद संख्या 5.06 के माध्यम से आयोग की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्येतावृत्ति की दर को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था, जोकि निम्नानुसार है:–

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह	8000 रुपये प्रति माह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रति माह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रति माह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रति माह	कोई परिवर्तन नहीं किया गया

योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 146.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

3.2(ii)(ख): अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

चूंकि, सेवाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपचारी अनुशिक्षण योजना ने वांछित प्रभाव नहीं डाला है इसलिए, अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु 'आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों' की योजना को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थापित किया गया था।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत अब तक आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटन	अब तक जारी किया गया अनुदान	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	1319.28	0.00
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	1400.00	63.36
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	783.78	0.00
4.	डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	995.28	0.00
	कुल	**4736.34**	**4498.34**	**63.36**

योजना के तहत वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया को 63.36 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

3.2(ii)(ग): ऐसे शिक्षक जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार में से कम से कम दो विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों उन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे शिक्षक जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया हो अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विनिर्दिष्ट विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, उन्हें 15,000 रुपये प्रतिमाह का विशेष मानदेय की योजना आरंभ की है:

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. इंडियन नेशनल सांइस एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली

कोई भी शिक्षक केवल एक ही मानदेय प्राप्त कर सकता है एक से अधिक नहीं अर्थात् या तो भटनागर पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में सीएसआईआर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत मानदेय प्राप्त कर सकता है।

3.2(ii)(घ): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे सभी विश्वविद्यालयों को निधियां उपलब्ध कराता है जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के तहत आते हैं और वे अपने संस्थान के भीतर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करने और उसे सुदृढ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ करने हेतु व्यय की पूर्ति करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5.00 लाख रुपये (कुल

सहायता को 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा) की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:–

क्रम संख्या	अनुदान का प्रयोजन	राशि
1	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000X12X5 रूपये की दर से मानदेय	160,000/-
2	कार्यालय उपकरण	1,00,000/-
3	सचिवालयी और तकनीकी सेवाएँ प्राप्त करना	1,80,000/-
4	आईसीटी संचार व्यय	80,000/-
5	आकस्मिताएं	80,000/-
	कुल	**5,00,000/-**

3.2(ii)(ङ): विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण

महिलाओं का दर्जा बढ़ाने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास की क्षमता का दोहन करने के लिए साथ ही, लिंग समानता और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:

(लाख रुपये में)

महिला नामांकन	गैर महानगर	महानगर/विशेष श्रेणी के राज्य*
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

*विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तर–पूर्व के राज्य (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

3.2(ii)(च): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना आरंभ करने का निर्णय लिया, इस योजना के निम्नवत उद्देश्य थे:

1. लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में अंतर्विभागीय और अंतर्विधायी अनुसंधान शोध आरंभ करना।
2. सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य अर्थात प्रारूपों अर्थात् डिजीटाईज पाठ, श्रव्य और वीडियो प्रारूप में अत्याधुनिक भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लघु लुप्तप्राय भाषाओं में क्षेत्रकार्य, अनुसंधान, विश्लेषण, पुरालेखन और दस्तावेजीकरण का कार्य करना। ।
3. मोनोग्राफ, व्याकरण, व्याकरणिक स्केच, शब्दकोश और शब्द संग्रह, नृजातीय–भाषाई और सैद्धांतिक विवरण, मौखिक और लोक साहित्य और लुप्तप्राय भाषाओं पर विद्वानों की पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन करना।
4. अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय भाषाओं के विशेष संदर्भ में भाषा और बोली एटलस को तैयार करना।
5. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना ताकि लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
6. क्षेत्रगत भाषा विज्ञान, कोश रचना और डॉटा प्रबंधन और प्रलेखन के लिए तकनीकों में अन्य विभागों/केंद्रों से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना। क्षेत्रगत भाषा विज्ञान केंद्र का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए।
7. केंद्र को केंद्र के अनुसंधान के निष्कर्षों, अर्थात् भाषाई डॉटा, भाषा शिक्षण सामग्री, और भाषा की कृतियों के डिजिटल और एनालॉग अभिलेखागार को सुलभ करवाकर, स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा समुदायों की सेवा करनी चाहिए।

8. लुप्तप्राय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उसके संपोषण का संवर्धन करना ताकि लिपियों, अक्षर ज्ञान की पुस्तकों जैसे वर्तनी विषयक संसाधनों का विकास सहित भाषायी जीवन शक्ति को बनाए रखने और संरक्षित करने में अल्पसंख्यक/लुप्तप्राय भाषा समुदायों का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।
9. केंद्र में अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को डिजिटल करना और इसे इंटरनेट द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराना।
10. प्रारंभिक चरणों में यह केंद्र विश्वविद्यालय में भाषा, भाषाविज्ञान, लोककथाओं, नृविज्ञान, और साहित्य के अन्य केंद्रों से संसाधन (जैसे जनशक्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकें, छात्र आदि) को प्राप्त कर सकता है लेकिन अंततः एक ऐसे स्वतंत्र केन्द्र के गठन के बारे में विचार करना चाहिए जो विशुद्ध रूप से लुप्तप्राय और स्वदेशी भाषाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है:–

1. तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
2. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरूणाचल प्रदेश
3. सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम
4. इंदिरा गांधी नेशनल ट्रॉइबल यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
5. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड
6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक
8. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल
9. विश्व भारती, पश्चिम बंगाल

3.2(ii)(छ): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालयों को स्थापित करना/सुदृढ़ करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग की स्थापना करने तथा शिक्षकों और अध्यापकों हेतु कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बल देता आ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अध्यापकों की शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयी प्रणाली में अध्यापकों की शिक्षा हेतु संस्थागत सहायता को विस्तार देने के लिये साथ ही उसमें विभिन्न गुणात्मक सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। ऐसे कदम उठाने की दिशा में एक ऐसा पहलू देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके भीतर एक शिक्षा विद्यालय स्थापित करने तथा सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अलावा अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए पत्र व्यवहार किया। इनमें पाठ्यचर्या शोध, नीतिगत तथा शैक्षणिक विकास, ज्ञानअर्जन तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, निर्धारण तथा मूल्यांकन, अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का पेशेवर विकास करना शामिल है। एक संबंधित मुद्दा जिस पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कार्य करने का अनुरोध किया गया था वह अध्यापक शिक्षा (एनसीटीई), 2009 के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार करने से संबंधित था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए निधियां संस्वीकृत की जिसके विभिन्न शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु कदमों को भी बल प्रदान करते हुए शैक्षणिक स्टॉफ कालेजों से अध्यापक शिक्षकों को पुनश्चर्या तथा अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया ताकि अध्यापक शिक्षा विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जा सके तथा समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाये जा सके।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान में, 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा विद्यालय/विभाग हैं, जो विभिन्न सेवा–पूर्व तथा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं तथा उन्होंने अध्यापक शिक्षा के अन्य संबंधित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है।

3.2(ii)(ज): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभागों की स्थापना

स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द तथा अनुशासन को बढ़ावा देने में योग की भूमिका सर्व विदित है। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि युवाओं में ज्ञानशील, विश्वास से भरपूर, संतुलित दृढ़ चरित्र तथा नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण कर बेहतर नागरिक बनने के

लिए कला और विज्ञान के विभिन्न रूपों में योग से परिचय करवाने की आवश्यकता है। योग हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तथा यह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

योग के हमारे स्वास्थ्य तथा व्यवहार पर सटीक जैविक प्रभाव का आंकलन करने के लिए इस विषय पर अधिकाधिक मुख्य धारा का शोध किया जा रहा है। यह अनिवार्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय भी मानव स्वास्थ्य पर योग तथा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुदृढ़ करें। योग में शिक्षा प्रदान करने तथा उसे व्यवहारिक रूप से करने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में योग विभागों/केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

1. उद्देश्य

(i) योग में अध्ययन का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ पारंपरिक योग की गहन जानकारी प्रदान करना है।

(ii) योग के विभिन्न पहलुओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर नियमित पाठ्यक्रम आरंभ करना।

(iii) प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तरों पर योग में पाठ्यक्रमों का पदानुक्रम विकसित करना।

(iv) विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉर्पोरेट संगठनों, केंद्रीय सेवाओं में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक अभिविन्यास के साथ सभी आयु समूहों के इच्छुक लोगों को योग सिखाने के लिए योग्य संसाधकों को तैयार करना।

(v) योग और विभिन्न क्षेत्रों में योग के अनुप्रयोग में शिक्षण विधियों की गहन जानकारी देना।

(vi) अनुप्रयुक्त मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान, भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर जैसे वैकल्पिक उपचारों और योग के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित शास्त्रीय योग ग्रंथों और योग चिकित्सा की गहन जानकारी प्रदान करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान की मूलभूत समझबूझ विकसित करना ताकि उन्हें योग के सैद्धांतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद की जा सके।

(vii) योग में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(viii) स्नातकोत्तर छात्रों को अपने स्वयं के योग केंद्रों को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने और जनता के बीच स्वास्थ्य चेतना को बढ़ावा देने में छात्रों को सक्षम बनाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित आठ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग को संस्वीकृति प्रदान की है:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
2.	विश्वभारती
3.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय
4.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय
7	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
8.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

3.2(iii): शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित कर उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी (एचईएफए) का विस्तार करना (आरआईएसई)

केंद्र सरकार द्वारा तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए बजट से इतर संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गैर–लाभकारी, गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 2017 को एचईएफए की स्थापना की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक अवसंरचना और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (आरआईएसई)

वर्ष 2022 तक आरआईएसई बाजार से संसाधन उपलब्ध करवाकर उद्देश्यों को कार्य योजना में बदलने का प्रयास है। सभी संस्थानों, विशेषरूप से वर्ष 2014 के बाद स्थापित संस्थानों, **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों,** और सीमित आंतरिक संसाधनों वाले संस्थानों और विद्यालयी शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा अवसंरचना जैसे एम्स, केन्द्रीय विद्यालयों के लिए, सरकार ने एचईएफए के तहत वित्तपोषण और निधियों के मूल भाग के पुनर्भुगतान के तौर–तरीकों के लिए निम्नलिखित पांच माध्यमों को मंजूरी दी है (इन सभी मामलों में सरकारी अनुदान के माध्यम से ब्याज चुकाया जाएगा):

i. नव–स्थापित संस्थान (2014 के बाद आरंभ हुए) और शिक्षा मंत्रालय के अन्य संस्थान, जिनमें शुल्क संशोधन/आंतरिक संसाधन सृजन की बहुत कम गुंजाइश है: उनके अनुदान के मूल और ब्याज सहित ऋण की संपूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ii. अन्य शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुदान–सहायता प्राप्त संस्थान: सभी नए स्थापित एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थान, केंद्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालयों को वित्तपोषित किया जाएगा और संबंधित विभाग/मंत्रालय, संस्थान को पर्याप्त अनुदान सुनिश्चित कर ऋण और ब्याज के संपूर्ण भुगतान हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।

iii. वर्ष 2004 से पूर्व आरंभ किए केंद्रीय विश्वविद्यालय: आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 10 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।

iv. वर्ष 2008 और 2014 के बीच आरंभ हुए तकनीकी संस्थान: आंतरिक संसाधनों से ऋण के मूल भाग के 25 प्रतिशत भाग का पुनर्भुगतान करेंगे और शेष मूल भाग हेतु अनुदान प्राप्त करेंगे।

v. 10 वर्ष से अधिक पुराने तकनीकी संस्थान : आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से ऋण के संपूर्ण मूल भाग पुनर्भुगतान करेंगे।

एचईएफए की क्रेडिट नीति में शामिल परियोजनाओं की एक नकारात्मक सूची होगी ताकि वित्तपोषण के लिए केवल आवश्यक परियोजनाएं शुरू की जाएं। प्रत्येक प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए कदम, राजस्व सृजन की कार्यनीति, सृजित की गई परिसंपत्तियों से राजस्व सृजन और एस्क्रो प्रणाली शामिल होंगी। 'नीति' सहित हितधारक मंत्रालयों/संगठनों द्वारा निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड के साथ एक परियोजना निगरानी प्रणाली के माध्यम से सभी परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी।

3.2(iv): नैक द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनिवार्य प्रत्यायन

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शी तथा संसूचित बाह्य समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावी पद्धतियां हैं जिससे छात्रों तथा अन्य को सामान्य संदर्भ ढांचा उपलब्ध कराया जा सकता है तथा सभी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्रों के स्थानांतरण में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

किसी संस्थान में शिक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व मूल्यांकन आरंभ किया जाता है। संस्थान द्वारा उसकी स्थापना के कतिपय वर्ष (6 वर्ष) पूर्ण होने पर/विनिर्दिष्ट संख्या में बैच (दो बैच) उत्तीर्ण होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन आरंभ किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा संकाय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र अथवा इसके अंतर्गत कोई इकाई, चाहे जिस नाम से इसे जानी जाए, **यदि वह दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को अथवा इससे पूर्व अपना निर्धारण तथा मूल्यांकन नहीं करवाती है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2016 तथा इसके पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इसकी किसी भी योजना के लिये वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने अथवा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।**

45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त किया है। तथापि, 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से, 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रत्यायन वैधता अवधि समाप्त कर ली है। **03 नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों** (अर्थात् महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम तथा आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम) प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार नैक प्रत्यायन का दर्ज नीचे दिया गया है:–

(I) प्रत्यायित = 42

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	निम्नवत तिथि तक वैधता की अवधि
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.77	ए++	29.10.2022
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय (चरण–3) (07 वर्ष की वैधता)	3.72	ए++	20.02.2021
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.71	ए++	14.11.2020
4	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.41	ए+	02.03.2020
5	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.35	ए+	02.03.2020
6	दिल्ली विश्वविद्यालयक (चरण–1)	3.28	ए+	29.11.2023
7	इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी (चरण–2)	3.26	ए+	24.05.2021
8	तेजपुर विश्वविद्यालय (चरण–3)	3.25	ए	10.07.2021
9	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.25	ए	04.07.2017
10	नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी (चरण–3)	3.20	ए	08.06.2022
11	मिजोरम विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.16	ए	19.05.2024
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.11	ए	28.03.2021
13	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.10	ए	28.03.2022
14	जामिया मिलिया इस्लामिया (चरण–1)	3.09	ए	02.03.2020
15	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.09	ए	24.05.2021
16	पुदुचेरी विश्वविद्यालय (चरण–4)	3.10	ए	30.04.2024
17	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.06	ए	02.03.2020
18	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.06	ए	24.05.2021
19	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (चरण–3)	3.04	ए	24.06.2020
20	मणिपुर विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.02	ए	15.12.2021
21	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.01	ए	30.04.2020
22	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.01	ए	24.05.2021
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	3.01	ए	15.09.2021
24	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (चरण–2)	3.01	ए	24.06.2020
25	असम विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.92	बी++	09.12.2019
26	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.88	बी++	29.10.2022
27	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.86	बी++	31.03.2024
28	विश्वभारती (चरण–1)	2.82	बी++	05.10.2020
29	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.80	बी++	24.05.2021
30	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.80	बी++	04.11.2021
31	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.80	बी++	29.10.2022

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	निम्नवत तिथि तक वैधता की अवधि
32	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.78	बी++	02.05.2022
33	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.78	बी++	15.09.2021
34	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.76	बी++	04.11.2021
35	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.76	बी++	04.11.2021
36	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.72	बी+	20.02.2019
37	त्रिपुरा विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.63	बी+	14.11.2020
38	सिक्किम विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.60	बी+	24.06.2020
39	ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.59	बी+	29.10.2022
40	नागालैंड विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.58	बी+	09.07.2019
41	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (चरण–2)	2.40	बी	24.07.2020
42	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (चरण–1)	2.34	बी	14.07.2024

(II) नैक प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं = 03

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी
2	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
3	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम

3.2(v): केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

शिक्षा मंत्रालय/भारत सरकार ने संविधान में किए गए एक सौ तीनवें संशोधन के अनुरूप आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश तथा नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू किया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/01/2018–बीसी–II में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार होगा और निम्नलिखित के अध्यधीन होगा:

(क) शिक्षा वर्ष 2019–20 और उसके बाद से केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा (2) के खंड (घ) में यथा परिभाषित के अनुरूप केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के साथ, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक प्रवेश की संख्या से इतर अतिरिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर, उपलब्ध सीटों की संख्या, इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तिथि से तुरंत पूर्व शिक्षा सत्र के लिए प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम नहीं हो।

ग) जहां कहीं भी, किसी भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान के अभ्यावेदन पर, उपयुक्त प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वित्तीय, वास्तविक अथवा शैक्षणिक सीमाओं के कारणों के लिए अथवा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान, अध्ययन या संकाय की किसी भी शाखा में वार्षिक संस्वीकृत संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती है तो वह इस अधिनियम के लागू होने के बाद आगामी शिक्षा सत्र से आरंभ होकर अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान कर सकता है; और तत्पश्चात्, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा उस शिक्षा सत्र के लिए इस प्रकार सीमित होगी इस प्रकार से सीमित होगी कि प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए आर्थिक

रूप से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराई गई सीटों की संख्या के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपलब्ध कराए गए आरक्षण का प्रतिशत और सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की योजना को यथा संभव शीघ्र, परंतु दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 19 जनवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019– स्थाप. (आरईएस) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है और यह दिनांक 01 फरवरी, 2019 अथवा उसके पश्चात् अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2019 के पत्र संख्या एफ. 25–4/2007 (सीयू) पार्ट फाइल के माध्यम से उपयुक्त निर्णय को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया।

वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत **169.64 करोड़ रुपये** की राशि जारी की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान ईडब्ल्यूएस तथा कैम्पस विकास अनुदान का केन्द्रीय विश्वविद्यालय वार ब्योरा नीचे दिया गया है:–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के तहत ईडब्ल्यूएस तथा कैम्पस विकास अनुदान	प्रयोजन
1	2	3	4
1	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	606.00	ईडब्ल्यू
2	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	2765.00	ईडब्ल्यू
3	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3550.00	कैम्पस विकास
4	हैदराबाद विश्वविद्यालय	284.00	ईडब्ल्यू
5	असम विश्वविद्यालय	1600.00	ईडब्ल्यू
6	तेजपुर विश्वविद्यालय	850.00	ईडब्ल्यू
7	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	1500.00	ईडब्ल्यू
8	मिजोरम विश्वविद्यालय	3000.00	ईडब्ल्यू
9	सिक्किम विश्वविद्यालय	2809.00	कैम्पस विकास
	कुल	**16964.00**	

3.2(vi): उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता लाने और उसे बढ़ावा देने के लिए ग्रेडिड स्वायत्ता

एक सक्षमकारी परिवेश तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें, उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनियामक ढांचे ने इस आवश्यकता को पहचाना है और इस दिशा में, दिनांक 12 फरवरी, 2018 को अधिसूचित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडिड स्वायत्ता के अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य गुणवत्ता बैंचमार्क के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करना है।

इन विनियमों के तहत, जिन विश्वविद्यालयों के पास 3.51 या उससे ऊपर का नैक प्राप्तांक हैं अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित मान्यताप्रदान करने वाली एजेंसी से संबंधित प्राप्तांक/ग्रेड प्राप्त हुआ है या जिन्हें प्रतिष्ठित रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है, उन्हें **श्रेणी–I** में रखा गया है। जिन विश्वविद्यालयों को 3.26 तथा उससे ऊपर 3.50 तक नैक प्राप्तांक प्राप्त हुआ हो और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पैनलबद्ध की गई एक प्रतिष्ठित प्रत्यायन एजेंसी से संबंधित प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त हुए हों, उन्हें **श्रेणी–II** में रखा गया है। जो विश्वविद्यालय उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें **श्रेणी–III** में रखा गया है।

निम्नवत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निम्नानुसार स्वायत्तता प्रदान की गई है:–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी–I	श्रेणी–II
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	I	
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	I	
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी		II
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ		II
5.	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी, तेलंगाना		II
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय	I	
7.	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति (वर्ष 2018 के दौरान ग्रेडिड स्वायत्ता प्रदान की गई थी जब यह सम विश्वविद्यालय था। अब, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है)	I	

3.2(vii) एनआईआरएफ रैंकिंग

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 29 सितंबर, 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसका शुभारंभ किया था।

यह ढांचा देशभर के संस्थानों को रैंक करने की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है। यह कार्यप्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर समिति द्वारा दी गई समग्र सिफारिशों तथा उसके द्वारा बनाई गए व्यापक समझ की तैयार की जाती है। मानदंड, मोटे–तौर पर ''शिक्षण, ज्ञानअर्जन और संसाधन,'' ''अनुसंधान और व्यावसायिक पद्धतियों,'' ''स्नातक परिणाम,'' ''ऑउटरीच और समावेशन,'' और ''धारणा'' को कवर करते हैं ।

समग्र और विश्वविद्यालय श्रेणी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की वर्ष 2020 की एनआईआरएफ रैंकिंग निम्नानुसार है:–

समग्र			
1-100			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**	**प्राप्तांक**	**रैंक**
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	68.76	8
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	62.03	10
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय	59.92	15
4	जामिया मिलिया इस्लामिया	59.85	16
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	58.97	18
6	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	52.54	31
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	46.83	65
8	विश्वभारती	45.95	69
9	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	45.31	74
10	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	44.48	81
11	मिजोरम विश्वविद्यालय	41.8	100
101-150			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**		
1	असम विश्वविद्यालय		
2	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
3	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
4	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
5	राजीव गांधी विश्वविद्यालय		

151-200			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**		
1	बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय		
2	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी		
3	मणिपुर विश्वविद्यालय		
4	नागालैंड विश्वविद्यालय		

विश्वविद्यालय			
1-100			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**	**प्राप्तांक**	**रैंक**
1	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	70.16	2
2	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	63.15	3
3	हैदराबाद विश्वविद्यालय	61.7	6
4	जामिया मिलिया इस्लामिया	61.07	10
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	60.1	11
6	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	54.3	17
7	तेजपुर विश्वविद्यालय	48.77	39
8	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी	46.88	49
9	विश्वभारती	46.84	50
10	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	45.82	58
11	मिजोरम विश्वविद्यालय	43.49	67
12	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	40.93	87

101-150			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**		
1	असम विश्वविद्यालय		
2	बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय		
3	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
4	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
5	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
6	द इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेज यूनीवर्सिटी,		
7	मणिपुर विश्वविद्यालय		
8	नागालैंड विश्वविद्यालय		
9	राजीव गांधी विश्वविद्यालय		
10	सिक्किम विश्वविद्यालय		

151-200			
क्रम संख्या	**विश्वविद्यालय का नाम**		
1	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
2	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
3	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
4	डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय		
5	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय		
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय		
7	त्रिपुरा विश्वविद्यालय		

3.2(viii) वर्ष 2020–21* (45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में जानकारी) के दौरान शिक्षण कर्मचारिवृंदों, छात्र नामांकन, छात्रों के दाखिले, शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों और छात्रावास में निवास करने वाले कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों की संख्या/कवरेज

3.2(viii)(क) शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण, शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों तथा छात्र नामांकन की संख्या (45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

	कुल	मौजूदा	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त		
शिक्षण कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)	18911	12775	9131	1258	552	1561	88	185		
शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)	36351	22645	16887	2090	1346	2003	83	236		
छात्र नामांकन (दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)	कुल	महिला	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	अन्य लिंग	विदेशी
	279827	120053	121313	32851	28139	75279	18523	3176	1	545

वर्ष 2020–21 के दौरान छात्रों, संकाय तथा गैर–संकाय की संख्याः–

छात्रों की संख्या

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर (श्रेणी–वार) पर कुल वास्तविक प्रवेश									
पाठ्यक्रम/श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	अन्य लिंग	विदेशी	कुल
स्नातकपूर्व	121313	32851	28139	75279	18523	3176	1	545	**111996**
स्नातकोत्तर									**97898**
05 वर्ष समेकित									**12080**
एम.फिल./एम. टेक.									**6468**
पीएच.डी.									**36323**
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र									**15062**
कुल योग									**279827**

संकाय की संख्या

संकाय की संख्या–वर्ष 2020–21														
		संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)						कार्यरत संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)						
पाठ्यक्रम/श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
आचार्य	1590	299	140	345	113	63	2550	983	67	10	22	2	6	1090
सह आचार्य	3108	614	299	718	232	129	5100	2458	158	45	56	8	17	2742

संकाय की संख्या–वर्ष 2020–21														
		संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)						कार्यरत संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)						
पाठ्यक्रम/ श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
सहायक आचार्य	5995	1355	715	2329	552	315	11261	5690	1033	497	1483	78	162	8943
कुल योग	**10693**	**2268**	**1154**	**3392**	**897**	**507**	**18911**	**9131**	**1258**	**552**	**1561**	**88**	**185**	**12775**

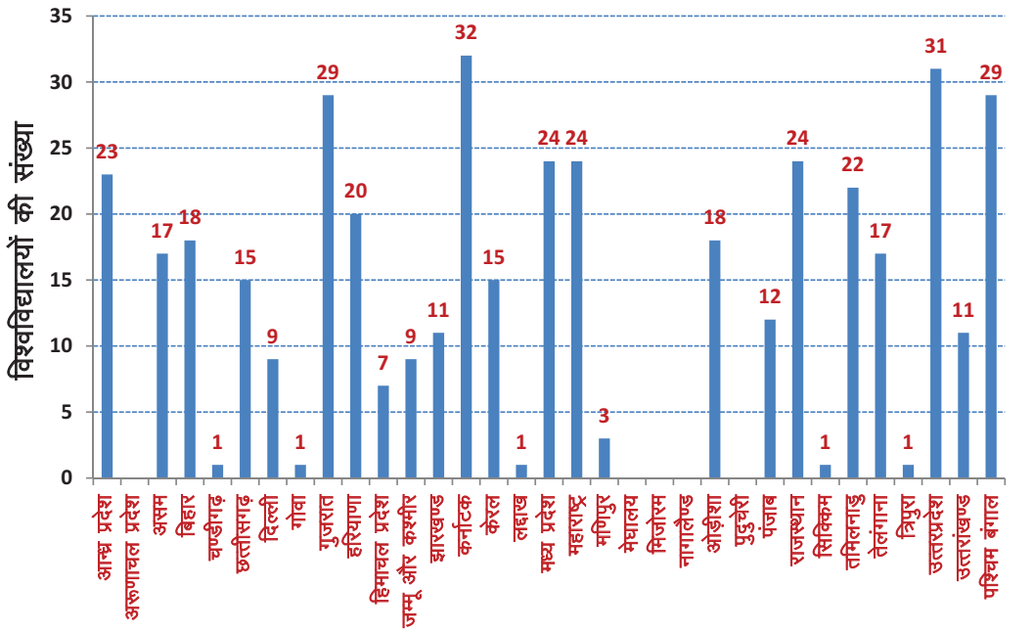
गैर–संकाय की संख्या

गैर–संकाय की संख्या–वर्ष 2020–21														
		गैर–संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)						कार्यरत गैर–संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)						
पाठ्यक्रम/ श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप स कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त	कुल
समूह क	1655	116	53	211	32	36	2103	1090	75	51	98	1	13	1328
समूह ख	5822	724	367	823	330	121	8187	3799	434	243	522	54	28	5080
समूह ग	17316	2629	1523	3389	689	515	26061	11998	1581	1052	1383	28	195	16237
कुल योग	**24793**	**3469**	**1943**	**4423**	**1051**	**672**	**36351**	**16887**	**2090**	**1346**	**2003**	**83**	**236**	**22645**

3.3 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

वर्ष 2020–21 के दौरान, 425 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे जिनमें से 252 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यताप्राप्त हैं।

रेखाचित्र 3.3: वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य वार संख्या



राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

3.3(i) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय को **सामान्य विकास सहायता** मुहैया करवाता है जो **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख)** के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सके, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों एवं अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता, योजनागत **ब्लॉक अनुदान** के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य, अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि शामिल होंगे।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के तहत आवंटन के समक्ष अनुदान का उपयोग करने हेतु समय सीमा को विस्तार देकर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है, तथापि, ऐसे भवन परियोजनाओं का निर्माण कार्य दिनांक **31 मार्च, 2017** तक प्रारंभ हो चुका हो।
- 'एनकोर' नामक योजना जिसे अभी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था, अब बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता का भाग है।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ववर्ती योजना अर्थात् मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा को भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना के तहत कवर किया गया था।
- अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का एक भाग थी।
- **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ** की स्थापना तथा **महिला छात्रावास के निर्माण** की एक स्वतंत्र योजना को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किया जायेगा तथा अब यह आमेलित योजना का भाग नहीं होगी और पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।
- ऐसे शिक्षकों को विशेष मानदेय की योजना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार में से कम से कम दो विज्ञान अकादमियों के अध्येता हों, यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पृथक योजना के रूप में जारी रहेगी।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पात्र राज्य विश्वविद्यालयों हेतु **सामान्य विकास सहायता** के तहत निम्नवत योजनाएं लागू की जा रही हैं:–

क्रम संख्या	मद
1	भवनों का निर्माण और उनका नवीकरण
2	कैम्पस विकास
3	कर्मचारिवृंद
4	पुस्तकें और जर्नल
5	प्रयोगशाला उपस्कर और अवसंरचना
6	वार्षिक अनुरक्षण संविदा
7	नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप
8	विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध
9	विस्तार क्रियाकलाप
10	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
11	आईसीटी का विकास

क्रम संख्या	मद
12	स्वास्थ्य परिचर्या
13	छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं
14	यात्रा अनुदान
15	सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला
16	प्रकाशन अनुदान
17	अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येताओं की नियुक्ति
18	वृत्ति तथा परामर्श संबंधी प्रकोष्ठ की स्थापना
19	दिवसीय देखभाल केन्द्र
20	महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं
21	संकाय विकास कार्यक्रम
22	'एनकोर'

क्रम संख्या	मद
23	मानवाधिकार और कर्त्तव्यों संबंधी शिक्षा
24	अंशकालिक अभ्यागत शिक्षकों की नियुक्ति/मानदेय

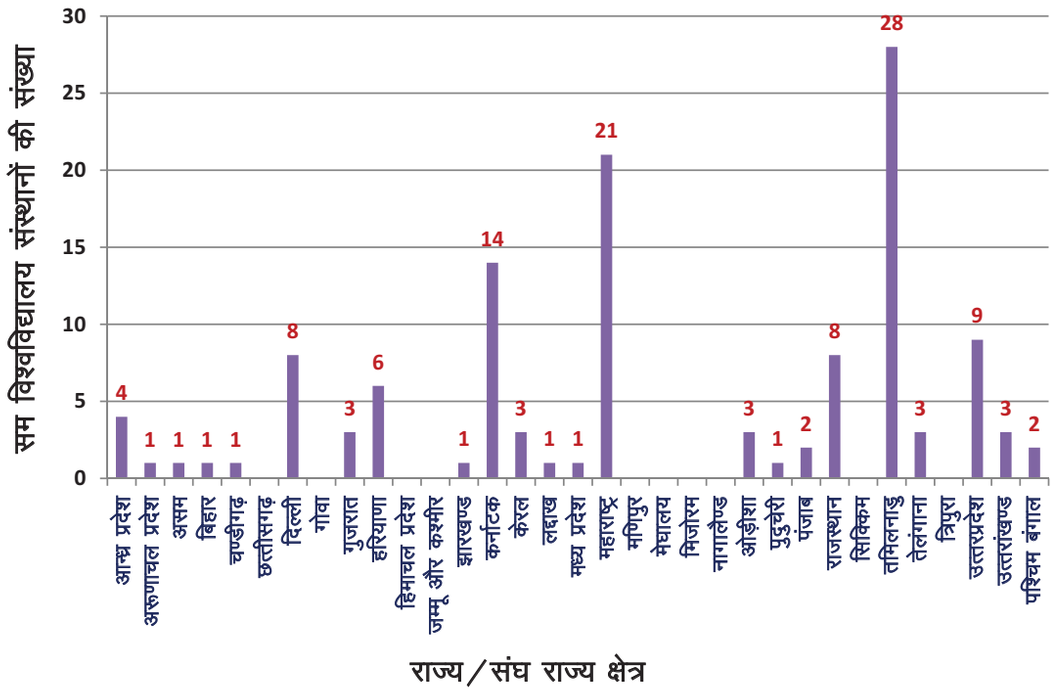
क्रम संख्या	मद
25	छात्रों को गैर–नेट अध्येतावृत्तियां

- निम्नलिखित योजनाएं जो पूर्व में विलय योजना का भाग थी, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया गया था और इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अलग अनुदान प्रदान किया गया था ।
  - (i) समान अवसर प्रकोष्ठ।
  - (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।
  - (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के छात्रों के लिए नेट अनुशिक्षण।
  - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं
  - (v) दिव्यांगों के लिए योजनाएं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान **''स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत''** नामक नई योजना आरंभ की थी। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
- **सामान्य विकास सहायता योजना** के तहत राज्य विश्वविद्यालयों को **4,13,81,256/– रुपये** (4.14 करोड़ रुपये) (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) की राशि संस्वीकृत की गई।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ को वेतन शीर्ष के तहत **गैर–योजनागत अनुदान** के रूप में **269,36,00,000/– रुपये** (269.36 करोड़ रुपये) (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) की राशि संस्वीकृत की गई।

3.4 सम विश्वविद्यालय संस्थान

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देश में 125 सम विश्वविद्यालय संस्थान है। इनमें सम विश्वविद्यालय संस्थानों में से 12 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।

रेखाचित्र 3.4: वर्ष 2020–21 के दौरान सम विश्वविद्यालय संस्थानों की राज्यवार संख्या



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को विकास तथा अनुरक्षण सहायता दोनों उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जीडीए/पूंजी/अनुरक्षण/निर्धारित रखरखाव हेतु 19 चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थान निधियां प्राप्त कर रहे हैं। चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	राज्य/विश्वविद्यालय/संस्थान
	आंध्र प्रदेश
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति–517507, (आंध्र प्रदेश)
2.	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
	दिल्ली
3.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110 062
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110 016
	गुजरात
5.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात–380 014
	महाराष्ट्र
6.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र–411 006
7.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे, महाराष्ट्र–411 006
8.	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नथ्थालाल पारेख मार्ग, मटूंगा, मुंबई, महाराष्ट्र–400 019
9.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई, महाराष्ट्र–400 088
	राजस्थान
10.	वनस्थली विद्यापीठ, पी0 ओ0 वनस्थली, विद्यानगर, राजस्थान–304 022
11.	जैन विश्व भारती इंस्टीटयूट लांडनू, राजस्थान–341 306
	तमिलनाडु
12.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हॉयर एजूकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर, तमिलनाड–641 043
13.	चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, एचएल सिपकॉट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरूसेरी, तमिलनाड–603 103
14.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिंडिगुल, तमिलनाड–624 302,
15.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथुर, कांचीपुरम, तमिलनाड–631 552
	उत्तर प्रदेश
16.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221 007
17.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282 005,
	उत्तराखण्ड
	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249 404
	पश्चिम बंगाल
19.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टीटयूट बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल–711 202

3.4(i): अनुदान सहायता

चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है। विश्वविद्यालयों के मामले में, भवन का नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय–उद्योग संबंध,

विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर–नेट अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठियां/परिसंवाद/कार्यशालाएं, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम, वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और पेंशन लाभ, गैर–वेतन अनुदान (उपभोग्य सामग्री, विद्युत प्रभार, जल प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिकताएं, भवनों का रखरखाव/मरम्मत और अन्य खर्चों) आदि शामिल हैं। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना को सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों को अनुदान सहायता ओएच–31 (पेशन) तथा ओएच–36 वेतन मद के रूप में सामान्य विकास सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2020–21 के दौरान विकास अनुदान के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को **44282.00 लाख रुपये** की राशि जारी की थी। अनुदानों को संस्वीकत किए जाने का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2020–21 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

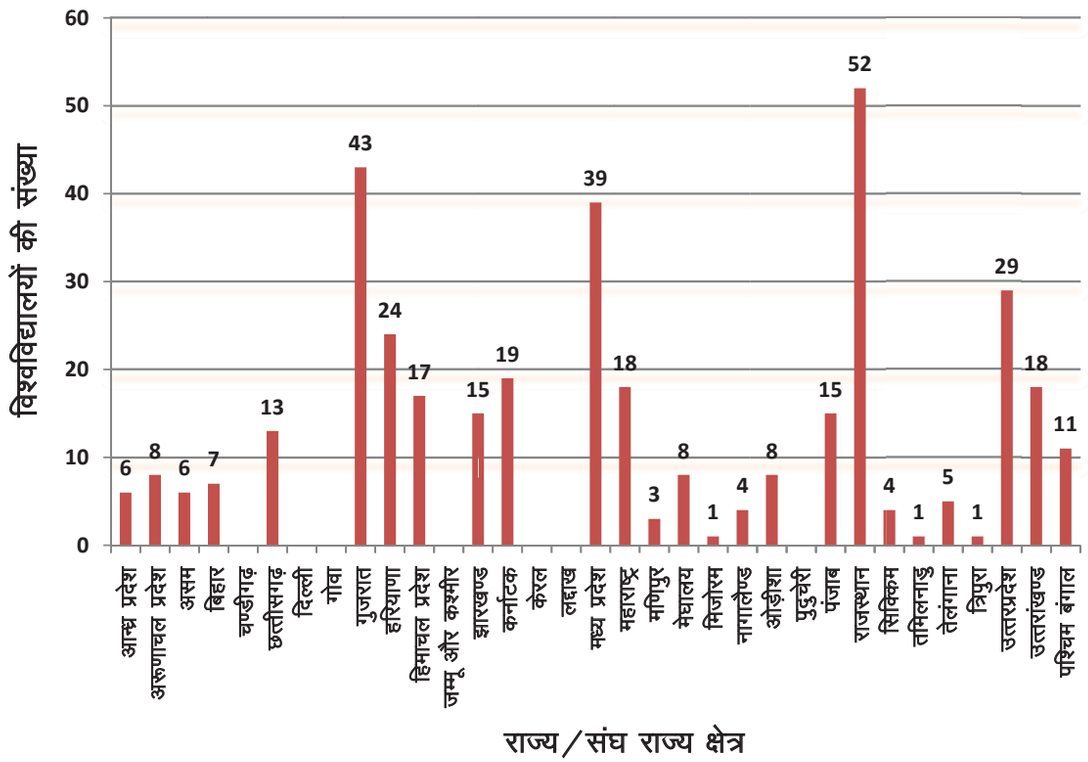
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य/ पेंशन 31	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31 और 36
	आंध्र प्रदेश			
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश–517 507 *(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालय)*	**60.00**	**2990.00**	**3050.00**
	दिल्ली			
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, कुतुब इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली–110 016 *(केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालय)*	**428.00**	**3525.00**	**3953.00**
	गुजरात			
3.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात–380 014	**1756.00**	**3060.00**	**4816.00**
	महाराष्ट्र			
4.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइस, सियोन, ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई, महाराष्ट्र–400 088	**1433.00**	**5178.00**	**6611.00**
	तमिलनाडु			
5.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजूकेशन, कोयम्बतूर, तमिलनाडु–641 043	**1640.00**	**5519.00**	**7159.00**
6.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल, तमिलनाडु–624 302	**985.00**	**5496.00**	**6481.00**
	उत्तर प्रदेश			
7.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा, उत्तरप्रदेश–282 005	**897.00**	**4212.00**	**5109.00**
	उत्तराखंड			
8.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड–249 404	**1283.00**	**4020.00**	**5303.00**
	कुल-I	**8482.00**	**34000.00**	**42482.00**

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अनुदान सहायता सामान्य/ पेंशन 31	वेतन मद 36	कुल शीर्ष 31 और 36
निम्नलिखित दो चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हुआ				
दिल्ली				
1.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110 062	0.00	800.00	800.00
पश्चिम बंगाल				
2.	रामकष्ण मिशन, विवेकानंद एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल–711 202	0.00	1000.00	1000.00
	कुल-II	0.00	1800.00	1800.00
	कुल योग (I + II)	8482.00	35800.00	44282.00

3.5 राज्य निजी विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देश में 375 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में से 12 निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।

रेखाचित्र 3.5: वर्ष 2020–21 के दौरान निजी विश्वविद्यालयों की राज्य–वार संख्या



निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से की जाती है। संबंधित राज्य सरकार से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए स्थापना संबंधी अधिनियम तथा अधिसूचना की प्राप्ति होने पर निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत निजी विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

पिछले दस वर्षों के दौरान स्थापित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 375 राज्य निजी विश्वविद्यालयों में से 308 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2010 के बाद हुई है।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा मानदंडों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित किया जाता है।
- इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र समुदाय के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसमें उच्चतर शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण एक विशेषज्ञ समिति जिसमें संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) से प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय व्यहार्यता आदि के संबंध में न्यूनतम मानदंडों पर खरा उतरने के संबंध में उनका आंकलन किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टों को विश्वविद्यालय को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु भेजा जाता है जिसे आयोग द्वारा इसकी दिनांक 10 जनवरी, 2014 को आयोजित 497वीं बैठक में गठित समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाता है और तत्पश्चात् जानकारी हेतु आयोग के समक्ष रखा जाता है।

अध्याय 4 ➤ विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता

4.1 महाविद्यालयों का विकास

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

4.3 वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

4.4 दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पहुंच, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने की दृष्टि से महाविद्यालयों का विकास करना भारतीय उच्चतर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि स्नातकपूर्व और काफी हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने में महाविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। महाविद्यालयों को प्रदान की जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कनेक्टिविटी आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर बल दिया जाना चाहिए।

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विनियम अधिसूचित किए थे। जब भी महाविद्यालयों से धारा 2(च) के तहत शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन्हें विनियमों के तहत उपबंधों के अनुसार शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो इन विनियमों के संदर्भ में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है ।

धारा 2(च) के तहत महाविद्यालयों को शामिल करने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप महाविद्यालयों को धारा 12ख के तहत शामिल करता है। इससे महाविद्यालय, केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले भारत सरकार या किसी भी संगठन से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं।

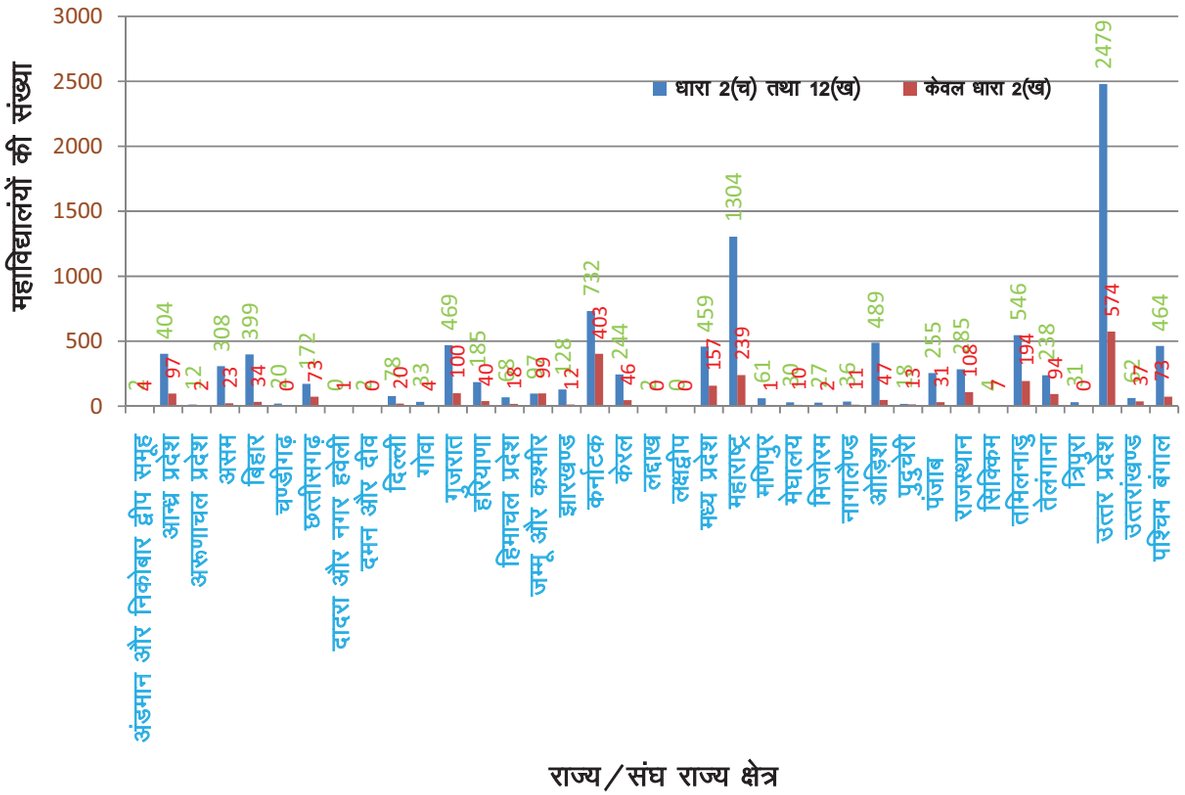
दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के तहत कुल 12717 महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है,(धारा 2(च) के तहत 2574 महाविद्यालय और धारा 12(ख) के तहत 10143 महाविद्यालय हैं) जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त कुल महाविद्यालयों की संख्या 12453 थी (धारा 2(च) के तहत 2460 महाविद्यालय और धारा 12(ख) के तहत 9993 महाविद्यालय)।

वर्ष	धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की कुल संख्या	केवल धारा 2(च) के तहत आने वाले महाविद्यालय की संख्या जिन्हें धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है	कुल
31.03.2019 तक	9755	2315	12070
31.03.2020 तक	9993	2460	12453
31.03.2021 तक	10143	2574	12717

तालिका 4.2 : दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		धारा 2(च) और 12(ख)	धारा 2(च) (धारा 12(ख) के तहत सम्मिलित नहीं किए गए)	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	404	97	501
3.	अरूणाचल प्रदेश	12	2	14
4.	असम	308	23	331
5.	बिहार	399	34	433
6.	चण्डीगढ़	20	0	20
7.	छत्तीसगढ़	172	73	245
8.	दादरा और नगर हवेली	0	1	1
9.	दमन और दीव	2	0	2
10.	दिल्ली	78	20	98
11.	गोवा	33	4	37
12.	गुजरात	469	100	569
13.	हरियाणा	185	40	225
14.	हिमाचल प्रदेश	68	18	86
15.	जम्मू और कश्मीर	97	99	196
16.	झारखण्ड	128	12	140
17.	कर्नाटक	732	403	1135
18.	केरल	244	46	290
19.	लद्दाख	2	0	2
20.	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	459	157	616
22	महाराष्ट्र	1304	239	1543
23.	मणिपुर	61	1	62
24.	मेघालय	30	10	40
25.	मिजोरम	27	2	29
26.	नागालैण्ड	36	11	47
27.	ओड़िशा	489	47	536
28.	पुदुचेरी	18	13	31
29.	पंजाब	255	31	286
30.	राजस्थान	285	108	393
31.	सिक्किम	4	7	11
32.	तमिलनाडु	546	194	740
33.	तेलंगाना	238	94	332
34.	त्रिपुरा	31	0	31
35.	उत्तर प्रदेश	2479	574	3053
36.	उत्तरांखण्ड	62	37	99
37.	पश्चिम बंगाल	464	73	537
	कुल	**10143**	**2574**	**12717**

रेखाचित्र 4.2 : दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या



4.2(i): वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 44077* (संबद्ध/संघटक) महाविद्यालय (*अनंतिम आंकड़े) हैं, जिनमें से केवल 12717 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में से केवल 10143 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सरकारी महाविद्यालय (केंद्रीय/राज्य), संघटक महाविद्यालय (केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय) और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय सभी योजनाओं के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, केवल छात्र/शिक्षक केंद्रित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो'' में परिवर्तित कर दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, अवस्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा निम्नवत है:

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28.09.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1995	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बेंगलुरू	25.04.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	35, फिरोजशाह रोड़, मंडी हाउस, नई दिल्ली	03.12.1994 25.09.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, लद्दाख

वर्ष 2020–21 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान महाविद्यालयों के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं

दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नवत योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को अनुदानों का संवितरण कर रहे हैं:–

1. महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता**
2. महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रावासों का निर्माण
3. स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदानों को जारी किया जाता है)
4. महाविद्यालयों हेतु लघु शोध परियोजनाएं
5. महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन
6. महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम
7. महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
8. महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास
9. महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना
10. दृष्टिबाधित शिक्षक
11. प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

*(**जीडीए में शिक्षा से जुड़े नवोन्मेष, क्षेत्र कार्य,/अध्ययन दौरे, विस्तार क्रियाकलाप, शिक्षा में आईसीटी, मौजूदा भवनों में सुविधाओं में सुधार, कॉमन रूम तथा महिलाओं के लिए शौच सुविधाएं, दिवसीय देखभाल केन्द्र, मानवाधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा, करियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ शामिल है)*

पात्रता संबंधी मानदण्ड:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपर्युक्त योजनाओं हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त पात्र महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। 12(ख) का दर्जा प्राप्त स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय केवल शिक्षक/छात्र केन्द्रीत योजनाओं हेतु पात्र हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदानों को योजनावार जारी किया जाना

4.3(i) महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता (बारहवीं पंचवर्षीय योजना)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। योजना के तहत, महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए तथा उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपकरणों, कैम्पस विकास, उपर्युक्त शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण उपकरण, मौजूदा भवन के विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार क्रियाकलापों, महिलाओं के लिए सुविधाओं, आदि के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 2020–21 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021) के दौरान सामान्य विकास सहायता के अंतर्गत महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का राज्य–वार (तालिका–4.3(i)(क)) और क्षेत्रीय कार्यालय–वार (तालिका–4.3(i)(ख)) ब्योरा नीचे दिया गया है:–

तालिका 4.3(i)(क) : जारी किए गए सामान्य विकास सहायता अनुदानों (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 तक) का राज्य–वार ब्योरा तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

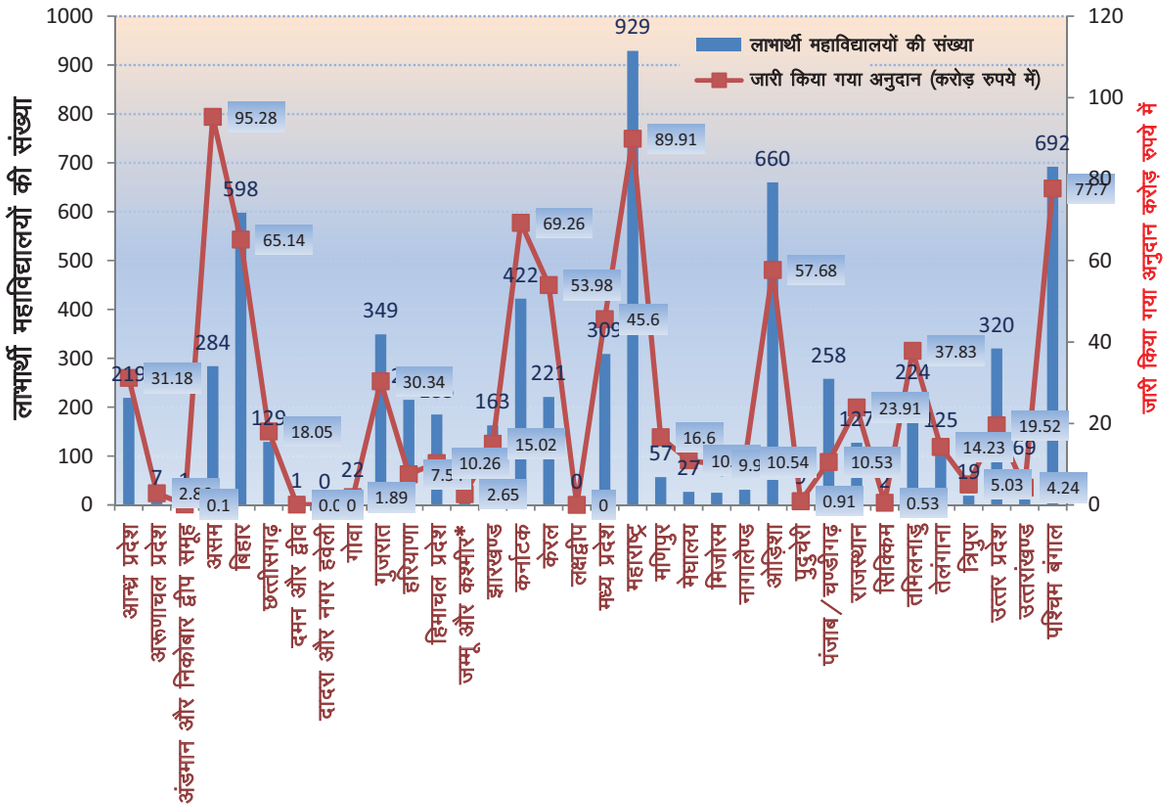
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	219	31.18
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	7	2.86
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0.1
4.	असम	0	0	284	95.28
5.	बिहार	0	0	598	65.14
6.	छत्तीसगढ़	0	0	129	18.05
7.	दमन और द्वीव	0	0	1	0.06
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	गोवा	0	0	22	1.89
10	गुजरात	0	0	349	30.34
11.	हरियाणा	0	0	215	7.54
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	185	10.26
13.	जम्मू और कश्मीर*	0	0	44	2.65
14.	झारखण्ड	0	0	163	15.02
15.	कर्नाटक	2	0.03	422	69.26
16.	केरल	1	0.01	221	53.98
17.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	5	0.19	309	45.6
19.	महाराष्ट्र	0	0	929	89.91
20.	मणिपुर	0	0	57	16.6
21.	मेघालय	0	0	27	10.96
22.	मिजोरम	0	0	25	9.91

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान		सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021)	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
23.	नागालैण्ड	0	0	31	10.54
24.	ओड़िशा	0	0	660	57.68
25.	पुदुचेरी	0	0	9	0.91
26.	पंजाब/चण्डीगढ़	0	0	258	10.53
27.	राजस्थान	2	0.10	127	23.91
28.	सिक्किम	0	0	2	0.53
29.	तमिलनाडु	0	0	224	37.83
30.	तेलंगाना	0	0	125	14.23
31.	त्रिपुरा	0	0	19	5.03
32.	उत्तर प्रदेश	0	0	320	19.52
33.	उत्तरांखण्ड	0	0	69	4.24
34.	पश्चिम बंगाल	0	0	692	77.7
	कुल	**10**	**0.32**	**6743**	**839.24**

**इसमें केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए अनुदान शामिल है।*

रेखाचित्र 4.3(i)(क): जारी किए गए सामान्य विकास सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में) (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021) का राज्य–वार ब्योरा तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

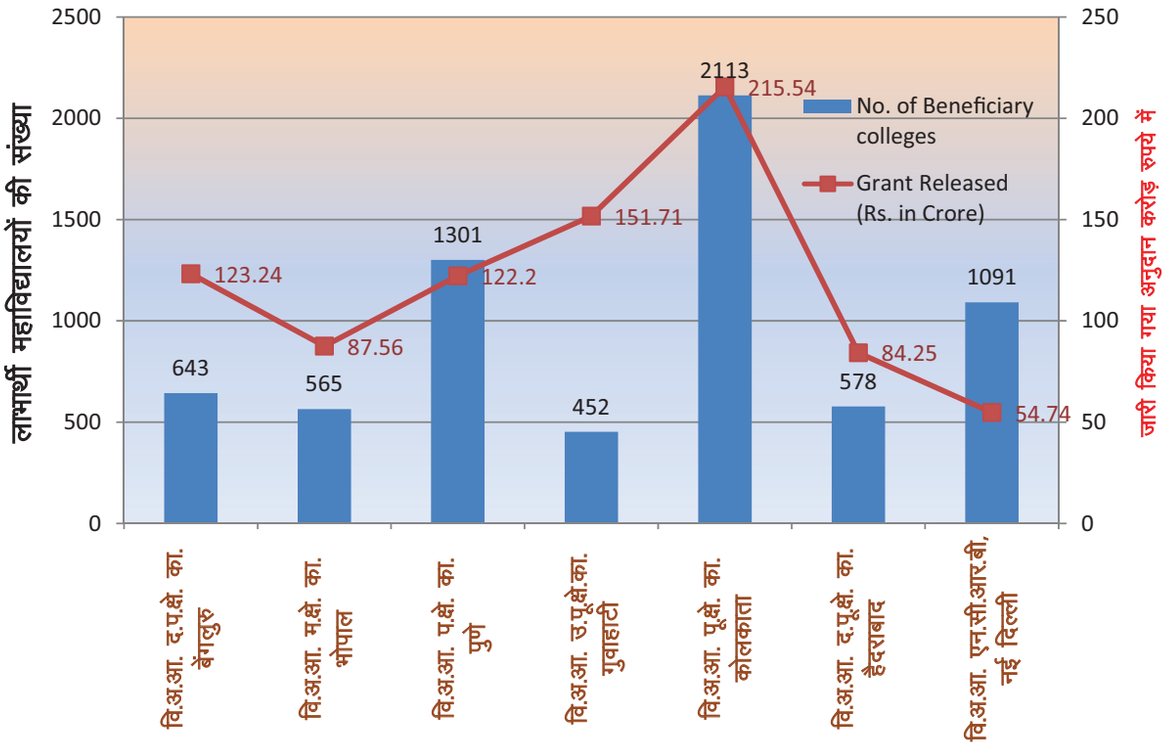


तालिका 4.3(i)(ख): क्षेत्रीय कार्यालय वार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 तक) तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021)				सामान्य विकास सहायता के लिए जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	3	0	0.04	0.04	643	123.24
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	7	0	0.28	0.28	565	87.56
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	1301	122.20
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	452	151.71
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	2113	215.54
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	578	84.25
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	1091	54.74
	कुल	**10**	**0**	**0.32**	**0.32**	**6743**	**839.24**

रेखाचित्र 4.3(i)(ख) : क्षेत्रीय कार्यालय वार जारी की गई सामान्य विकास सहायता (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021) (करोड़ रुपये में) तथा लाभार्थियों की संख्या



4.3(ii) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माण

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना आरंभ की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता, नीचे दी गई अधिकतम सीमा के अध्यधीन शतप्रतिशत आधार पर है:

महिलाओं का नामांकन	गैर महानगरीय शहरों के संबंध में राशि (लाख रुपये में)	महानगरीय शहरों, जम्मू और कश्मीर, उत्तर–पूर्व क्षेत्र तथा सिक्किम के संबंध में राशि (लाख रुपये में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251 से 500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर परियोजना के लिए वित्तपोषण को मंजूरी प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान			महिला छात्रावास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	7	0.48	0.48	281	82.1
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	91	24.80
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	398	63.24
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	5	0.37	0.37	453	133.21
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	2	0.28	0.28	453	131.19
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	208	50.25
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	16	1.57	1.57	144	28.82
	कुल	**30**	**2.7**	**2.7**	**2028**	**513.61**

4.3(iii) स्वायत्त महाविद्यालय

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों को संबद्ध ढ़ांचे से असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जिन महाविद्यालयों को स्थापित हुए दस से अधिक वर्ष हो गए हैं तथा जिनके पास एनएएसी ग्रेड 'बी' अथवा इससे बेहतर ग्रेड उपलब्ध है उन्हें कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की जाती थी तथा निम्नवत अधिकतम राषि की सहायता प्रदान की जाती है:

1. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के एकल संकाय के लिए 9 लाख रुपये।
2. स्नातकपूर्व महाविद्यालय के बहु संकाय के लिए 15 लाख रुपये।
3. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के एकल संकाय के लिए 10 लाख रुपये।
4. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों महाविद्यालयों के बहु संकाय के लिए 20 लाख रुपये।

शिक्षा वर्ष 2013–2014 से एनसीसी को क्रेडिट प्वाईंट के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में आरंभ करने के लिए 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

एक विशेषज्ञ समिति महाविद्यालय का दौरा करती है तथा महाविद्यालय को स्वायत्ता प्रदान करने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिश करती है। स्वायत्ता छह वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/एनआरसीबी द्वारा संस्वीकृत अनुदान नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु जारी किया गया अनुदान				दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालय) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	2	0.08	0.13	0.21	53	46.50
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	04	0.54	0.00	0.54	18	8.66
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	1	0.09	0	0.09	34	8.22
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	6	2.20
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	04	0.64	0	0.64	48	18.60
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	26	1.13	0	1.13	169	179.62
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	13	1.39
	कुल	**37**	**2.48**	**0.13**	**2.61**	**341**	**265.19**

4.3(iv) महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं

योजना का उद्देश्य विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्धन करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पात्र शिक्षक लघु शोध परियोजना की योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान हेतु 3.00 लाख रूपये तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में 5.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के तहत, वर्ष 2020–2021 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान–सहायता–31		पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35		कुल		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	0	0	0	0	4862	48.43
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	1598	17.19
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	32.29
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	2	0	0	0.002	0	0	0	0.002	552	35.66

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान								लघु शोध परियोजनाओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या		सामान्य अनुदान–सहायता–31		पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35		कुल		लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
		विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी	विज्ञान	मानविकी		
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	3718	55.02
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	12	4	0.04	0.02	0	0	0.04	0.02	1989	58.63
7.	वि.अ.आ.– एन.सी. आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	540	2.66
	कुल	**14**	**4**	**0.04**	**0.022**	**0**	**0**	**0.04**	**0.022**	**17412**	**249.88**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधारपर परियोजना के लिए वित्तपोषण को अनुमोदित करता है।

4.3(v): महाविद्यालयों हेतु संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन

इस योजना के तहत संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवाद तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को साझा के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्धन करना है। योजना के तहत सभी पात्र महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1.00 लाख रुपये से 2.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तपोषण को अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान			संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	35	0.06	0.06	486	21.62
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0.00	0.00	412	5.82
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	2621	15.60
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	479	9.99
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	1744	15.71
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	489	9.70
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	411	2.36
	कुल	**35**	**0.06**	**0.06**	**6642**	**80.8**

4.3(vi) महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय सदस्यों को शोध करने के लिए संस्थानों में शैक्षणिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता का अवसर उपलब्ध करवाना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से संकाय सदस्यगण अपने शोध कार्य को अद्यतन तथा शैक्षणिक कौशल को बढाने में सक्षम होंगे।

संकाय विकास कार्यक्रम योजना का उद्देश्य निम्नवत है:

1. महाविद्यालय के शिक्षकों को अपनी अकादमिक/अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना, जिससे एमफिल/पीएचडी की उपाधि प्रदान की जा सके।
2. शिक्षकों को अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने या कार्यशालाओं में भाग लेने और ज्ञान और विचारों का आदान–प्रदान करने का अवसर प्रदान करना।
3. युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें उनकी पसंद के संस्थानों में एक अल्पावधि (दो सप्ताह से कम नहीं और दो माह से अधिक नहीं) व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षक अध्येता के स्थान पर तैनात एवजी शिक्षक को वेतन तथा साथ ही शिक्षक अध्येता को 15000 रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। महाविद्यालय के स्तर पर गठित चयन समिति, दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप आवेदनों की संवीक्षा करती है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभ्यर्थियों की सिफारिश करती है।

वर्ष 2020–2021 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान			संकाय विकास कार्यक्रम हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	अनुदान–सहायता सामान्य– 31	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	99	0.90	0.90	5081	127.62
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0.00	436	7.12
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	1468	40.63
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	4	0.24	0.24	150	28.02
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	01	0.01	0.01	478	12.32
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	17	0.33	0.33	834	32.60
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	364	7.68
	कुल	**121**	**1.48**	**1.48**	**8811**	**255.99**

4.3(vii): महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मानकों का रखरखाव करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(गगग) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की। ऐसे संस्थागत आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के महत्व को पहचानते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी महाविद्यालयों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना करने के हेतु निदेश देने का नीतिगत निर्णय लिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईक्यूएसी की स्थापना तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए व्यय हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 3.00 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि (सीड मनी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। वर्ष 2014–15 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) के दौरान इस योजना को महाविद्यालयों के लिए आरंभ किया गया था।

ऐसे सभी महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत आते हैं वे अपने संस्थान में आईक्यूएसी की स्थापना और उसे सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए दो बैच के उत्तीर्ण होने अथवा छह वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् प्रत्यायन एजेन्सी से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। निम्नवत मदों पर व्यय किया जा सकता है:–

क्रम संख्या	अनुदान का प्रयोजन	रुपये
1.	आईक्यूएसी के निदेशक/समन्वयक को 1000 × 12 × 5 रुपये की दर से मानदेय	60,000
2.	कार्यालयी उपस्कर	60,000
3.	सचिवालयी तथा तकनीकी सेवाओं के सेवाओं को किराए पर लेना	60,000
4.	आईसीटी संचार व्यय	70,000
5.	आकस्मिक व्यय	50,000
	कुल	**3,00,000**

वर्ष 2020–2021 तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान योजना के तहत जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान				आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	652	19.46
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	566	16.41
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	1214	36.05
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	442	12.69
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	1255	37.65
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	0	0	0	0	565	16.90
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**4694**	**139.16**

4.4(viii) महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना और उपकरणों का विकास

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में आपसी सहयोग से उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपयुक्त उद्देश्यों के मद्देनजर, योजना को निम्नवत की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है

(क) खेलों में छात्रों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई और मौजूदा बाहरी/आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता। जबकि छात्रों को ऐसी खेल सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का विशेष उद्देश्य, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में पहली पीढी के छात्रों की सेवा करना है।

(ख) किसी विशेष खेल में 'प्राप्ति' के स्तर पर, छात्रों को बेहतर उपकरण और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से खेल के उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में खेल के अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

(ग) जहां, पहले से उपलब्ध अवसंरचना में सुधार/सुदृढ़ किए जाने की मंशा हो। महाविद्यालय को ऐसी मानक अवसंरचना और गैर–विस्तारणीय उपकरण सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने छात्रों के लिए ऐसे क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके।

वित्तीय सहायता के तीन पृथक चरण हैं और इन चरणों की अधिकतम सीमा निम्नवत है:–

(क) चरण–I : 12.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 22.00 लाख रुपये।

(ख) चरण–II : 195.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 205.00 लाख रुपये।

(ग) चरण–III : 240.00 लाख रुपये + उपकरण के लिए 10.00 लाख रुपये = 250.00 लाख रुपये।

वर्ष 2020–2021 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान			खेलकूद अवसंरचना और उपकरण के विकास हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (महाविद्यालयों) की संख्या	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	12	0.8	0.8	330	67.71
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	10	3.08
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	51	3.16
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	4	0.24	0.24	270	168.45
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	105	15.96
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	3	0.60	0.60	260	75.26
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	86	17.53
	कुल	**19**	**1.64**	**1.64**	**1112**	**351.15**

4.3(ix): महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा गुणवत्ता तथा प्रमात्रा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जिससे गुणवत्तायुक्त शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। तथापि, ऐसे महाविद्यालय भी हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा लगातार लंबे समय तक गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा प्रदान करते आए हैं। ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा उन्होंने न केवल उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है बल्कि हमारे देश के लंबे इतिहास के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक ताने–बाने को सहेज कर रखा है। इसलिए, ऐसे धरोहर रूपी इन संस्थानों को पहचान प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे हमारी युवा पीढ़ी में 'वास्तविक शिक्षा' के मूल्यों का संचार करने में सक्षम हो सकें।

इस कार्यक्रम के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2020–21 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, योजना के तहत संस्वीकृत किए गए अनुदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	2	3.87
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	0	0	0	0	01	0.10
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	0	0	0	0	3	1.82

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान				विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करने की योजना हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	1	2.18
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	0	0
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	1	0	0.14	0.14	1	1.45
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	0	0	9	2.03
	कुल	**1**	**0**	**0.14**	**0.14**	**17**	**11.45**

4.3(x): दृष्टिबाधित शिक्षक

इस योजना को रीडर की सहायता से शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन के उपकरणों का उपयोग कर तथा रीडर भत्ता तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की गई सामग्री आदि के क्रय हेतु निधियां उपलब्ध करवाकर स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षकों को शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन तथा शोध करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। योजना का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है ताकि स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को विभिन्न शिक्षा, ज्ञानअर्जन और अनुसंधान हेतु उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके आत्म निर्भरता प्राप्त करने में मदद की जा सके। स्थायी रूप से कार्यरत दृष्टिबाधित शिक्षक को 36,000 रुपये प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2020–2021 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि में योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक)				दृष्टिबाधित शिक्षकों को जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)		
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों (शिक्षकों) की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	2	0.02	-	0.02	18	0.16	0.16
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	-	0.00	0.00	0.00	15	0.18	0.18
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	3	0.02	0	0.02	**13**	**0**	**0.14**
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	2	0.92	0.92
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	4	0.01	0	0.01	23	0.36	0.36
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	32	0.14	-	0.14	199	1.56	1.56
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	00	0	0	0	7	0.10	0.10
	कुल	**41**	**0.19**	**0**	**0.19**	**277**	**3.28**	**3.42**

4.3(xi) प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बंद की गई योजनाएं जैसे एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान, अतिरिक्त सहायता, आमेलित योजनाएं, आदि के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को वर्ष 2020–21 और दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 के दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत है:–

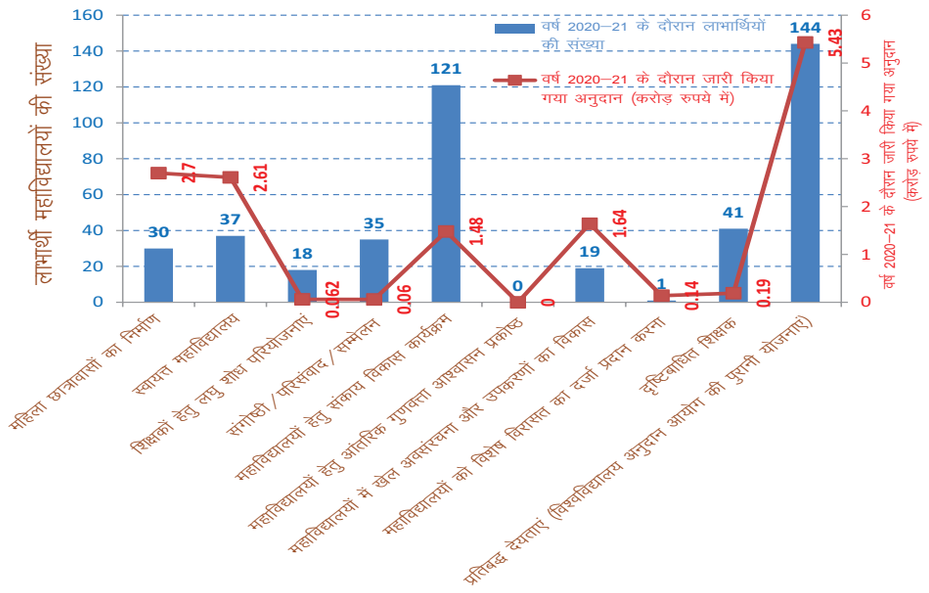
(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वर्ष 2020–21 के दौरान प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान				प्रतिबद्ध देयताओं हेतु जारी किया गया अनुदान (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक)	
		वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	सामान्य अनुदान–सहायता–31	पूंजीगत परिसम्पत्तियां–35	कुल	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	वि.अ.आ.– द.प.क्षे. का., बेंगलुरु	0	0	0	0	611	187.24
2.	वि.अ.आ.– म.क्षे. का., भोपाल	02	0.00	0.56	0.56	540	105.36
3.	वि.अ.आ.– प.क्षे. का., पुणे	47	2.22	0.24	2.46	2404	321.89
4.	वि.अ.आ.– उ.पू.क्षे. का., गुवाहाटी	0	0	0	0	1238	205.41
5.	वि.अ.आ.– पू.क्षे. का., कोलकाता	0	0	0	0	2425	154.72
6.	वि.अ.आ.– द.पू.क्षे. का., हैदराबाद	95	2.41	0	2.41	612	212.33
7.	वि.अ.आ.– एन.सी.आर.बी, नई दिल्ली	0	0	00	0	1032	133.35
	कुल	**144**	**4.63**	**0.8**	**5.43**	**7966**	**1212.84**

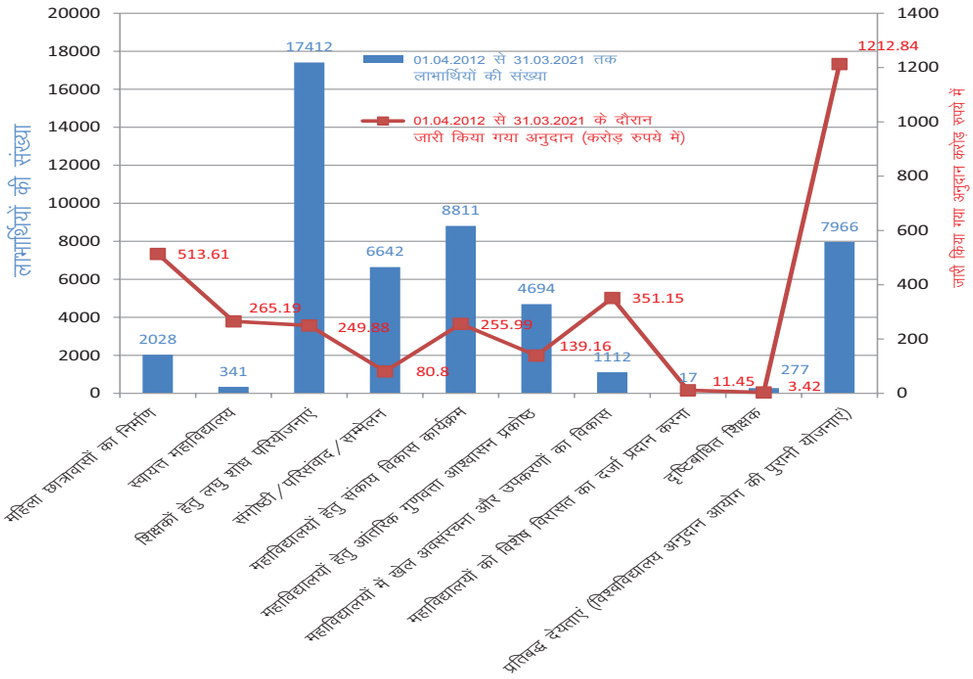
सारांश: वर्ष 2020–21 के दौरान तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा नीचे दिया गया है:–

योजनाएं	वर्ष 2020–21		01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
महिला छात्रावासों का निर्माण	30	2.7	2.28	513.61
स्वायत्त महाविद्यालय	37	2.61	341	265.19
शिक्षकों हेतु लघु शोध परियोजनाएं	18	0.062	17412	249.88
संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन	35	0.06	6642	80.8
महाविद्यालयों हेतु संकाय विकास कार्यक्रम	121	1.48	8811	255.99
महाविद्यालयों हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	0	0	4694	139.16
महाविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपकरणों का विकास	19	1.64	1112	351.15
महाविद्यालयों को विशेष विरासत का दर्जा प्रदान करना	1	0.14	17	11.45
दृष्टिबाधित शिक्षक	41	0.19	277	3.42
प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)	144	5.43	7966	1212.84

रेखाचित्र 4.3(क): वर्ष 2020–21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा



रेखाचित्र 4.3(ख): दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का योजनावार ब्योरा



4.4 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर–योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा 11 छात्रावासों को तथा राजस्व अनुदान के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और पूंजीगत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के महाविद्यालयों/दिल्ली में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.4(i) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 53 महाविद्यालयों में से 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यंकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले इन 36 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं और 20 महाविद्यालयों को उनके संबंधित न्यासों/सोसायटियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

तालिका 4.4(i)(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राजस्व अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की श्रेणी–वार सूची:

श्रेणी 1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)			
क्रम सं.	**महाविद्यालय का नाम**	**क्रम सं.**	**महाविद्यालय का नाम**
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज	7	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)*	8	रामानुजन महाविद्यालय
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	9	आर्यभट्ट महाविद्यालय
4	किरोड़ी मल कॉलेज*#	10	दयाल सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
5	मिरान्डा हॉउस*#	11	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (भारत के प्रधानमंत्री न्यास के आम निकाय के सभापति हैं)
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)		
श्रेणी 2. दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और दिल्ली प्रशासन द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)			
12	भारती महाविद्यालय	22	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)*
13	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स	23	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)*
14	विवेकानन्द महाविद्यालय	24	शिवाजी महाविद्यालय*
15	गार्गी महाविद्यालय*	25	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय*
16	कालिन्दी महाविद्यालय*	26	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)*
17	कमला नेहरू महाविद्यालय*	27	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय*
18	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय*	28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)
19	मैत्रेयी महाविद्यालय*	29	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)
20	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)*	30	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)
21	राजधानी महाविद्यालय*	31	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)
श्रेणी 3. न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और न्यास द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।)			
32	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	43	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
33	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	44	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*#
34	लेडी इरविन महाविद्यालय#	45	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय*
35	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स#	46	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)*
36	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय#	47	रामजस महाविद्यालय*#
37	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय*	48	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय)*
38	दौलतराम महाविद्यालय*#	49	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)*
39	हंसराज महाविद्यालय*#	50	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
40	हिन्दू महाविद्यालय*#	51	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय*
41	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*#	52	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)
42	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज*	53	श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शतप्रतिशत वित्तपोषित)

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जो 1000 छात्रों पर शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों के छात्रावास

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यह 53 महाविद्यालय तथा 11 छात्रावास, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए दिल्ली के महाविद्यालयों तथा 04 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों से बजट अनुमान/संशोधित बजट अनुमान मंगवाए गए हैं साथ ही साथ महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4.4(i)(ख): दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को राजस्व अनुदान

वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 11 छात्रावासों सहित दिल्ली के महाविद्यालयों को जारी किए गए राजस्व अनुदानों का ब्योरा

तालिका 4.4(i)(ख): वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को महाविद्यालय–वार जारी किया गया राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	आवर्ती	कुल
1	आत्माराम सतान धर्म महाविद्यालय	4588.57	1060.00	5648.57
2	भारती महाविद्यालय	2477.89	325.00	2802.89
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज	2210.72	688.25	2898.97
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	6419.00	1331.70	7750.70
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1654.50	487.75	2142.25
6	दौलतराम महाविद्यालय*	3831.49	917.00	4748.49
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	4960.00	1093.00	6053.00
8	रामानुजन महाविद्यालय	2149.00	380.20	2529.20
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स	2226.56	476.80	2703.36
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	1904.50	125.00	2029.50
11	गार्गी महाविद्यालय	4486.56	820.00	5306.56
12	हंसराज महाविद्यालय*	4527.17	1058.34	5585.51
13	हिन्दू महाविद्यालय*	3698.00	807.00	4505.00
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*	3490.06	1043.00	4533.06
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	3058.72	461.90	3520.62
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	4250.00	1129.94	5379.94
17	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	3865.00	840.00	4705.00
18	कालिन्दी महाविद्यालय	3150.28	705.10	3855.38
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	3263.50	919.75	4183.25
20	किरोड़ी मल कॉलेज*	4209.99	757.40	4967.39
21	लेडी इरविन महाविद्यालय*	2876.29	938.80	3815.09
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	3389.80	1093.40	4483.20
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*	3163.04	780.40	3943.44
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	3116.34	619.50	3735.84
25	मिरान्डा हॉउस*	4813.50	1190.00	6003.50
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	4207.50	895.00	5102.50
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	3134.87	703.50	3838.37
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1660.53	375.90	2036.43
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	3576.51	664.30	4240.81
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2639.50	505.00	3144.50
31	रामजस महाविद्यालय*	4066.21	1174.00	5240.21

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	वेतन	आवर्ती	कुल
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	2520.00	970.00	3490.00
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	3185.00	1160.00	4345.00
34	राजधानी महाविद्यालय	4029.00	860.00	4889.00
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	3347.00	923.00	4270.00
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1637.12	772.46	2409.58
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज*	2134.00	510.17	2644.17
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स*	2362.95	470.85	2833.80
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	4883.90	845.10	5729.00
40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज	1911.26	423.70	2334.96
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	4543.15	774.80	5317.95
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	2077.50	560.00	2637.50
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2051.12	477.50	2528.62
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	4420.00	1120.00	5540.00
45	एस0पी0एम0 कालेज फॉर वीमेन	4241.09	934.95	5176.04
46	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	3121.90	1001.55	4123.45
47	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2047.69	745.00	2792.69
48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	3081.67	428.70	3510.37
49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1733.80	135.00	1868.80
50	शिवाजी महाविद्यालय	3473.24	903.45	4376.69
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	1620.00	500.00	2120.00
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	5400.00	1191.60	6591.60
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2072.00	420.00	2492.00
	कुल	**172958.99**	**40494.76**	**213453.75**

*छात्रावासों सहित महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान

4.4(i)(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को पूंजीगत अनुदान

वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों को भवन के निर्माण और संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 4.4(i)(ग)(i): पूंजीगत अनुदान प्राप्त कर रहे दिल्ली के 64 महाविद्यालयों की सूची:

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम
1	आत्माराम सतान धर्म महाविद्यालय	34	राजधानी महाविद्यालय
2	भारती महाविद्यालय	35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स
6	दौलतराम महाविद्यालय	39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम
8	रामानुजन महाविद्यालय	41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स	42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
11	गार्गी महाविद्यालय	44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
12	हंसराज महाविद्यालय	45	एस0पी0एम कालेज फॉर वीमेन
13	हिन्दू महाविद्यालय	46	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	47	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
17	जीसस एण्ड मेरी महाविद्यालय	50	शिवाजी महाविद्यालय
18	कालिन्दी महाविद्यालय	51	विवेकानन्द महाविद्यालय
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
20	किरोड़ी मल कॉलेज	53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	56	भास्कराचार्य कॉलेज
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	57	केशव महाविद्यालय
25	मिरान्डा हॉउस	58	शहीद राजगुरू कॉलेज फॉर एप्लाईड सांईस फॉर वीमेन
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	60	दुर्गाबाई देशमुख कालेज ऑफ स्पेशल एजूकेशन
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	63	अदिति महाविद्यालय
31	रामजस महाविद्यालय	64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)		

तालिका 4.4(i)(ग)(ii): वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किया गया पूंजीगत अनुदान (लाख रुपये में)

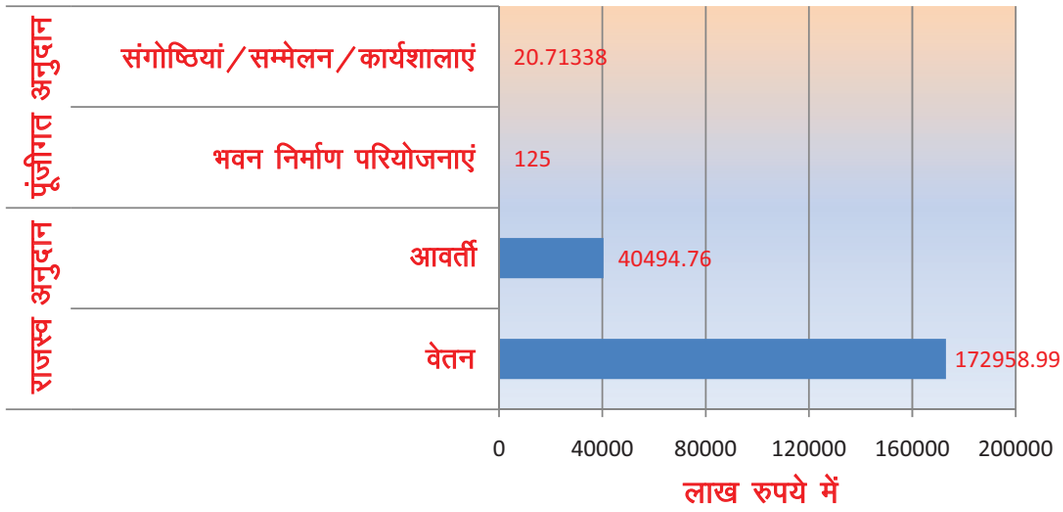
क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	भवन निर्माण परियोजनाएं	संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं	जारी किया गया कुल पूंजीगत अनुदान
1	आत्माराम सतान धर्म महाविद्यालय		0.30000	0.30000
2	दौलतराम महाविद्यालय		0.20000	0.20000
3	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)		1.50000	1.50000
4	रामानुजन महाविद्यालय		3.50000	3.50000
5	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज		1.50000	1.50000
6	लेडी इरविन महाविद्यालय	25.00000		25.00000
7	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय		1.71338	1.71338
8	मैत्रेयी महाविद्यालय	50.00000		50.00000
9	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)		1.50000	1.50000
10	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	50.00000		50.00000

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	भवन निर्माण परियोजनाएं	संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं	जारी किया गया कुल पूंजीगत अनुदान
11	एस.पी.एम. कालेज फॉर वीमेन		7.50000	7.50000
12	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)		1.50000	1.50000
13	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)		1.50000	1.50000
	कुल	**125.00000**	**20.71338**	**145.71338**

तालिका 4.4(i)(ग)(iii): वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों का ब्योरा (लाख रुपये में)

राजस्व अनुदान			पूंजीगत अनुदान						कुल योग
वेतन	आवर्ती	कुल	भवन निर्माण परियोजनाएं			संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं			
			शीर्ष–31	शीर्ष–35	कुल	शीर्ष–31	शीर्ष–35	कुल	
172958.99	40494.76	213453.75		125.00	125.00	20.71338	-	20.71338	213599.46338

रेखाचित्र 4.4(i): वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों का ब्योरा (लाख रुपये में)



4.4(ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को भी 95 प्रतिशत गैर–योजनागत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है:

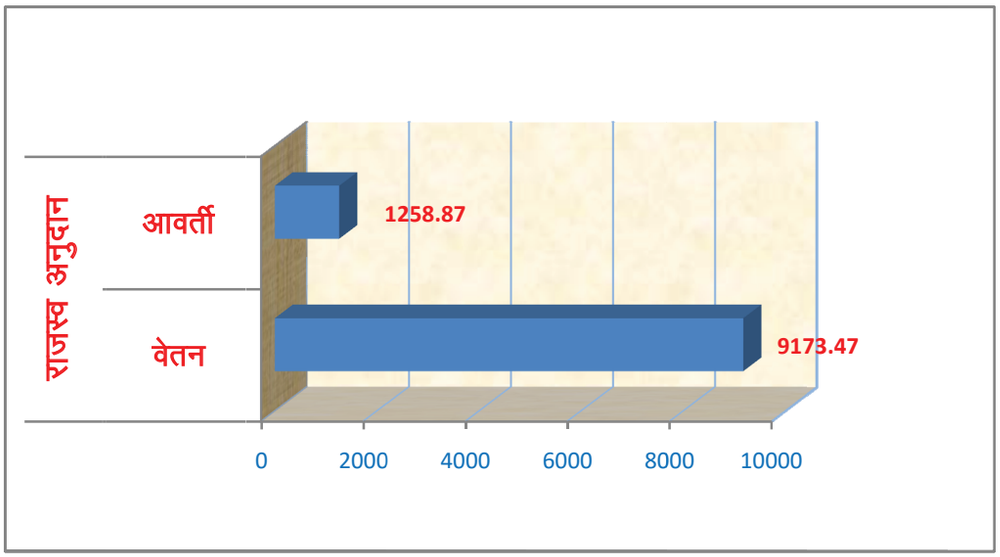
क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1	डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2	वसंत कन्या महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3	वसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
4	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020–21 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी किए गए राजस्व अनुदान का महाविद्यालय–वार ब्योरा इस प्रकार है:

तालिका 4.4(ii)(क): वर्ष 2020–21 के दौरान महाविद्यालय–वार जारी किया गया राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	आवर्ती	कुल
1.	डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय	3575.00	338.40	**3913.40**
2.	वसंत कन्या महाविद्यालय	1665.97	267.76	**1933.73**
3.	वसंत महिला महाविद्यालय	1980.69	409.59	**2390.28**
4.	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1951.81	243.12	**2194.93**
	कुल	**9173.47**	**1258.87**	**10432.34**

रेखाचित्र 4.4(ii)(क): वर्ष 2020–21 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को जारी किया गया राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)



अध्याय 5 ➤ गुणवत्ता और उत्कृष्टता

5.1 उत्कृष्टता की संभावना-शिक्षण और अनुसंधान
5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
5.3 स्वायत्त महाविद्यालय
5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)
5.5 राजभाषा का संवर्धन
5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
5.7 शिक्षण और शोध हेतु मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा
5.8 यात्रा अनुदान
5.9 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)
5.10 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र
5.11 विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास
5.12 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्कृत का विकास
5.13 शिक्षण और ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धति
5.14 वर्क इंटीग्रेट लर्निंग प्रोग्राम

5.1 उत्कृष्टता की संभावना–शिक्षण और अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता की प्राप्ति के प्रयत्न स्वरूप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध करवा रहा है ताकि उन्हें विश्वस्तरीय बनाया जा सके तथा देश में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) और नई योजनाओं की भांति अन्य संस्थानों के लिए बैंचमार्क के रूप में कार्य करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को आरंभ किया था, जो अभी भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:

- *शिक्षण, शोध और पहुंच कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक और वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ करना;*
- *अभिशासन की लचीली और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;*
- *स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीली क्रेडिट आधारित माड्यूलर प्रणाली और विश्वभर में स्वीकार्य अनेक नवोन्मेषी पद्धतियों के साथ ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;*
- *देश की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं हेतु सुसंगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;*

– *स्नातकोत्तर कार्यक्रम की 'इंटरफेसिंग' के माध्यम से महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;*

– *देश में अन्य केन्द्रों/विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;*

– *वैश्विकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करना।*

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

यूपीई योजना के तहत बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। 16 विश्वविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और पांच विश्वविद्यालयों यथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय तथा ओस्मानिया विश्वविद्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2020 तक समय विस्तार दिया गया था ताकि पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्ष के तहत यूपीई अनुदान पर अव्ययित अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग किया जा सके।

16 यूपीई विश्वविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही पूर्ण हो चुका है और पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्ष पर यूपीई अनुदान पर अव्ययित अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग करने के लिए दिया गया समय विस्तार भी दिनांक 31 मार्च, 2020 को पूर्ण हो गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यकाल की समाप्ति के कारण किसी भी यूपीई विश्वविद्यालय को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया और **यूपीई की योजना को बंद कर दिया गया है।**

5.1(ii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ''किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)'' योजना को आरंभ किया था ताकि शिक्षण तथा शोध क्रियाकलापों में उत्कृष्टता तथा अंतर्विषयक पद्धति को बढ़ावा दिया जा सके। आयोग ने इस योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का निर्णय लिया। योजना का व्यापक उद्देश्य चयनित विश्वविद्यालयों में चुनिंदा विभागों को बढ़ावा देना तथा सुविधा प्रदान करना है ताकि वे क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए नवीन अथवा अत्याधुनिक क्षेत्रों में विभाग और/अथवा विधाओं की सीमाओं से इतर अपने कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों को जोड़कर उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। इस योजना का एक उद्देश्य विश्वविद्यालयों को धीरे–धीरे यूपीई के दर्जे के लिए तैयार करना था।

आज की तिथि के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों से 29 केन्द्रों (9 केन्द्रों का कार्यकाल 2016–2021 तक है) को सहायता प्रदान की जा रही है। ब्योरा नीचे दिया गया है:

राज्य	क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	कार्यकाल	आबंटन (लाख रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
आंध्र प्रदेश	1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	पारम्परिक शास्त्र	चरण-II	2008-2012	300.00	280.00
	2.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	"कतिपय महत्वपूर्ण चिकित्सा पादपों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु बायो–प्रोस्पेक्टिंग"	चरण-I	2011-2016	280.00	250.00
	3.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	"एरोसोल वायुमंडलीय मॉडलिंग तथा दूरसंवेदी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन"	चरण-I	**2016-2021**	494.25	280.17
असम	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय	"उत्तर–पूर्व क्षेत्र में सांस्कृतिक स्मृति। टेक्टयाक तथा दृश्यात्मक विवरणों के संबंध में एक शोध तथा प्रलेखन कार्यक्रम"	चरण-I	**2016-2021**	230.00	172.81
अरुणाचल प्रदेश	5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	जैव विविधता	चरण-II	2011-2016	700.00	700.00

राज्य	क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	कार्यकाल	आबंटन (लाख रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
चण्डीगढ़	6.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सा विज्ञान	चरण-I	2002-2011	500.00	500.00
	7.	पंजाब विश्वविद्यालय	''पंजाब और हरियाणा में लिंग संबंधी लेखापरीक्षाः कल्चरल फिक्सेशन ऑन ऑनर''	चरण-I	2011-2016	185.00	185.00
	8.	पंजाब विश्वविद्यालय	''नैनो पदार्थों, नैनो–कणों तथा नैनों संघटकों का अनुप्रयोग''	चरण-I	2011-2016	355.00	317.50
दिल्ली	9.	जामिया मीलिया इस्लामिया	''देश में मीडिया तथा संचार अध्ययनों को सुदृढ़ करना''	चरण-I	**2016-2021**	280.00	189.00
गुजरात	10.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	अनुप्रयुक्त पॉलीमर	चरण-II	**2016-2021**	670.00	454.00
हिमाचल प्रदेश	11.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय अध्ययन	चरण-II	2012-2017	700.00	350.00
जम्मू और कश्मीर	12.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	''कश्मीर हिमालयी जैव–विविधता का दस्तावेजीकरण, जैव–प्रलेखन तथा संरक्षण''	चरण-I	**2016-2021**	527.184	328.35
कर्नाटक	13.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	''चिकित्सीय निदान, उद्योगों तथा कृषि अनुप्रयोगों हेतु उन्नत पदार्थ''	चरण-I	2011-2016	685.00	342.50
	14.	बेंगलुरू विश्वविद्यालय	''रोग प्रबंधन में लक्षित औषधि तथा कोशिकाओं में उसके प्रभाव का पता लगाने हेतु आणिवक तथा नैनो उपकरणों का अनुप्रयोग''	चरण-I	2011-2016	575.00	575.00
	15.	मैसूर विश्वविद्यालय	''केरेक्ट्राईजेशन एण्ड एप्लीकेशन ऑफ एडवांस फंक्शनल नैनो मैटीरियल''	चरण-I	2011-2016	430.00	430.00
	16.	मंगलोर विश्वविद्यालय	''माइक्रोट्रॉन सुविधा का उपयोग करते हुए 'पालीस्केल फंक्शनल मेटीरियल पर इलेक्ट्रॉन बीम इरेडियेशन का प्रभाव''	चरण-I	**2016-2021**	505.80	406.76
मध्य प्रदेश	17.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई–प्रबंधन अध्ययन	चरण-I	2002-2011	300.00	300.00
	18.		''इंदौर के जनजातीय क्षेत्रों में समेकित तथा सतत् विकास''	चरण-I	**2016-2021**	250.00	130.00
महाराष्ट्र	19.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	''मराठवाड़ा के पिछड़े जिलों में ग्रामीण विकास''	चरण-I	**2016-2021**	250.00	70.00

राज्य	क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विशिष्टता का क्षेत्र	मौजूदा चरण	कार्यकाल	आबंटन (लाख रुपये में)	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)
पंजाब	20.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	खेल–कूद विज्ञान	चरण-I	2002-2007	500.00	500.00
	21.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	''पंजाब में कैंसर तथा मधुमेह के द्वितीय प्रकार का आनुवांशिक आधार''	चरण-I	2011-2016	615.00	615.00
तमिलनाडु	22..	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	चरण-II	2010-2015	500.00	450.00
	23.	मद्रास विश्वविद्यालय	''मानव कल्याण हेतु चिकित्सीय पादपों से औषधियों का विकास''	चरण-I	2011-2016	325.00	162.50
	24.	मद्रास विश्वविद्यालय	''जलवायु परिवर्तन तथा क्षेत्र में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय पर इसका प्रभाव''	चरण-I	2011-2016	230.00	215.00
	25.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	''समुद्र विज्ञान संकाय में समुद्री जीव विज्ञान पर उच्च अध्ययन''	चरण-I	2011-2016	385.00	385.00
	26.	भरतीयार विश्वविद्यालय	''सौर ऊर्जा सामग्री तथा उपकरणों को विकसित करने के लिए भौतिकी में उन्नत शोध''	चरण-I	**2016-2021**	354.00	326.80
	27.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	''पशुओं पर प्रयोग के विकल्प के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्र''	चरण-I	**2016-2021**	500.00	246.38
उत्तर प्रदेश	28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	चरण-II	2011-2016	700.00	700.00
पश्चिम बंगाल	29.	कोलकाता विश्वविद्यालय	''इलेक्ट्रो फिजीयोलाजीकल एण्ड न्यूरो इमेंजिंग स्टडीज इन्कलूडिंग मैथेमेटिकल मॉडलिंग''	चरण-I	2011-2016	644.00	545.00

29 केन्द्रों में से 20 केन्द्रों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है और पहले से ही अनुमोदित बजट शीर्ष के तहत सीपीईपीए अनुदान पर अव्ययित अनुदान के साथ अर्जित ब्याज का उपयोग करने के लिए कुछ केन्द्रों को दिया गया दिनांक 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च, 2020 तक का समय विस्तार भी समाप्त हो गया था।

5.1(iii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीपीई योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेष को अपनाने के लिए तथा उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीपीई महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों को उनके प्रचालन के क्षेत्र में एक अनुकरणीय महाविद्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों को मुख्यतः उनके शिक्षण क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और ऐसे महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति आरंभ करना है। आयोग ने इस योजना को योजना के द्वितीय

तथा तृतीय चरण के दौरान उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई) के अतिरिक्त घटक के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का निर्णय लिया है।

वर्तमान में, 295 महाविद्यालयों को ''उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय'' (सीपीई) का दर्जा प्राप्त है तथा 19 महाविद्यालयों को ''उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय'' (सीई) का दर्जा प्राप्त है। आज की स्थिति के अनुसार सीपीई योजना के तहत कुल 314 महाविद्यालय हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान यूपीई की इस योजना के तहत तीन महाविद्यालयों को 44,80,000/– रुपये (केवल चवालीस लाख अस्सी हजार रुपए) की राशि जारी की गई थी।

नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना

उदारीकरण, वैश्वीकरण और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्तायुक्त उत्पादों की अधिक मांग के संदर्भ में बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 2001 के दौरान विश्वविद्यालयी प्रणाली के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर्विधायी क्षेत्रों पर अध्ययन और अनुसंधान में एक नई योजना आरंभ की थी।

वर्ष 2001–2002 और 2009–2010 के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित केन्द्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया था।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र/संस्थान
1.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ	मानव जीनोम अध्ययन और अनुसंधान हेतु केंद्र की स्थापना
2.	संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस, लखनऊ	जैव चिकित्सा चुंबकीय अनुनाद केंद्र की स्थापना
3.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	मैसूर विश्वविद्यालय में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में विज्ञान के इतिहास के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	'स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज' में आनुवांशिकी इकाई का उन्नयन करके 'एप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स' के केंद्र की स्थापना
5.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना
6.	गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र

समीक्षा समितियों की मदद से इन केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई है ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनके जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

वर्तमान में, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन पर केवल एक केन्द्र चल रहा है।

5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को **'उच्च अध्ययन केन्द्र' (सीएएस)** के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। **''विशेष सहायता विभाग'' (डीएसए)** और **''विभागीय शोध सहायता'' (डीआरएस)** कार्यक्रमों को क्रमशः वर्ष 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था। विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर हैं (1) शोध सहायता विभाग (डीआरएस); (2) विशेष सहायता विभाग (डीएसए); (3) उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

कार्यक्रम की अवधिः विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) का कार्यकाल एक विशिष्ट चरण के लिए **पांच वर्ष** का होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के समान स्तर पर तीन से अधिक बार (प्रत्येक 05 वर्ष के लिए) के

लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। यदि डीआरएस/डीएसए के स्तर पर विभाग के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है, तो विभाग को डीआरएस/डीएसए के अगले स्तर, जैसा भी मामला हो, पर उन्नयन हुआ माना जाएगा। यदि डीआरएस/डीएसए के स्तर पर तीन कार्यकाल के लिए अनुदान प्राप्त करने के बाद विभाग के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है, तो वि.अ.आ. कार्यक्रम को बंद कर देगा। अनुमोदित चरण/कार्यकाल के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि आगामी वर्ष की 01 अप्रैल होगी। विभाग को निबंधन और शर्तों को स्वीकार करना होगा और अनुमोदन की तिथि से छह माह के भीतर अथवा अगले वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल, इनमें से जो भी पहले हो, के भीतर कार्यक्रम को लागू करना होगा, अन्यथा वि.अ.आ. कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द कर सकता है

सहायता की स्वरूप–कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

कार्यक्रम/स्तर	विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (लाख रुपये में)	गणित, सांख्यिकीय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (लाख रुपये में)
सीएएस	300	200
डीएसए	200	150
डीआरएस	150	120

वित्तीय सहायता में (1) परियोजना अध्येताओं का वेतन और (2) व्यय की अनावर्ती और आवर्ती मदें सम्मिलित हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एसएपी विभागों से वर्ष में दो शिक्षकों को दो से छह माह की अवधि के लिए चिह्नित विदेशी विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान में भेजने के लिए एक सुनिर्धारित सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम पर विचार कर सकती है।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन–सैप के तहत सहायता प्राप्त विभागों की प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की निगरानी/मूल्यांकन और समीक्षा सलाहकार समिति और अंतिम समीक्षा समिति के माध्यम से की जाती है।

एसएपी विभागों की मौजूदा स्थिति–दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या

स्तर/अनुभाग	एसएपी–I (विज्ञान)	एसएपी–II (विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी–III (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं)	कुल
सीएएस	49	48	47	144
डीएसए	34	19	19	72
डीआरएस	165	205	197	567
कुल	248	272	263	783

1. वर्ष 2016–17 के बाद से नए विभागों की समीक्षा अथवा प्रवेशन नहीं हुआ है।
2. विभागों की संख्या जिनका कार्यकाल पहले ही पूर्ण हो चुका है: 651
3. दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे विभाग:
   (2018–23) डीआरएस–100, डीएसए–4, सीएएस–28, कुल–132
4. वर्ष 2020–21 के दौरान हुआ व्यय **81,86,646/– रुपये**
   *(1854508/– रुपये + 3657002 रुपये + 2675136 रुपये = **81,86,646/– रुपये (81.87 लाख रुपये)**
5. लाभार्थी विभागों की संख्या: 22

5.3 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग, वर्ष 1964–66 ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता

प्राप्त करना कठिन है। चूँकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने में सह–भागीदार हैं, इसलिए, यह परमावश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी। मूलतः महाविद्यालयों की स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को वढ़ावा देने का एक माध्यम है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने हेतु स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना तैयार की है। स्वायत्तता संबंधी योजना लंबे समय से चल रही है और इस अवधि के दौरान देश में बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान जो गुणवत्ता के मापदंडों पर खरा उतरते हैं, को ऐसी योजना से अनेक प्रकार से लाभ पहुँचा है। स्वायत्तता की योजना में न केवल स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मानक के कुछ स्तरों पर खरा उतरने की परिकल्पना की गई है बल्कि यह अन्य शैक्षिक प्रयासों के साथ–साथ, परीक्षा और मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली में पाठयक्रम विकास संबंधी सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न सुधार करते हुए उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की भी परिकल्पना करती है।

योजना के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं, कार्यक्षेत्र, नया स्वायत्त दर्जे प्रदान किए जाने/दर्जे के विस्तार के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता और प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी और वित्तीय सहायता के बारे में विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***http://www.ugc.ac.in*** *पर उपलब्ध है।*

स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु ग्राह्य स्वायत्त अनुदान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जो हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में स्थित है, द्वारा जारी किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 37 लाभार्थियों को 2.61 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

आयोग, योजना के दिशानिर्देशों (अलग से विहित किए गए) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। तथापि, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। स्वायत्तता अनुदान के उपयोग और खातों के रखरखाव से संबंधित मामलों में, महाविद्यालय को योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक 25 राज्यों में फैले 117 विश्वविद्यालयों में 799 स्वायत्त महाविद्यालय हैं।

5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी) तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केन्द्र (आरसीसीबी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986–87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में एएससी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे महाविद्यालय, नए नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से तैयार किया गया अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

पात्रताः ऐसे शिक्षक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत शामिल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत हैं यद्यपि ऐसे महाविद्यालय धारा 12(ख) के तहत शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते है, उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसे महाविद्यालय जो अभी तक तक धारा 2(च) के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन कम से दो वर्षों से किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं, उनके शिक्षकों को कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान की अधिकतम सीमा

I. वेतन : वास्तविक आधार पर
II. पुस्तकालय व्यय* : रू 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष
III. उपकरण : रू 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष
IV. कार्यचालन व्यय : एकमुश्त 10.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष/अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
V. भागीदारी लागत : वास्तविक आधार पर

निम्नलिखित मदें प्रतिभागी लागत के तहत कवर की जाती हैं:

i) अन्य स्थानों से आने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और स्थानीय प्रतिभागियों को आतिथ्य**

ii) संसाधक को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और मानदेय

iii) पठन–पाठन सामग्री

iv) अतिरिक्त कार्यचालन व्यय

v) पाठ्यक्रम समन्वयक को मानदेय

* पुस्तकें, जर्नल, पत्रिकाएं, विश्वकोश, समाचार पत्र, दृश्य–श्रव्य संसाधन, ई–संसाधन आदि।

** वि.अ.आ. के दिनांक 04 जून, 2018 के पत्र संख्या एफ. 5–1/2019 (एचआरडीसी) के अनुसार प्रतिभागियों को दैनिक भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। – प्रत्येक विज्ञान विषय के लिए 40,000/– रुपये और प्रत्येक मानविकी विषय के लिए और प्रत्येक अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए 30,000/– रुपये की दर से अतिरिक्त कार्यचालन व्यय।

वि.अ.आ. ने 66 एचआरडीसी में से 37 को अनुदान स्वीकृत किया है। शेष 29 एचआरडीसी ने वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए खातों का निपटान नहीं किए जाने/टीएसए के संचालन नहीं किए जाने के कारण अनुदान जारी नहीं किया है। वर्ष 2020–21 के लिए 66 मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) के संबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आबंटन के संबंध में दिनांक 11 मई, 2020 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया। लगभग 25000 शिक्षक–भागीदारों ने 66 वि.अ.आ.–एचआरडीसी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में भागीदारी की।

वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए एचआरडीसी से विभिन्न खाते प्राप्त हुए हैं और शेष अनुदान, एचआरडीसी को जारी कर दिए जाएँगे।

वर्ष 2020–21 के लिए 37 एचआरडीसी को पहले ही 18,59,65,140/– रुपये (18.60 करोड़ रुपये) की कुल राशि संस्वीकृत की गई है।

5.5 राजभाषा का संवर्धन

केन्द्र सरकार ने राजभाषा अधिनियम, 1963 को अधिनियमित किया जिसमें भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध किया गया है जिसे केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ''राजभाषा प्रकोष्ठ'' स्थापित करने का निदेश दिया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन करते हुए प्रारंभ में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1992 में पूर्णतः राजभाषा अनुभाग में परिवर्तित कर दिया गया था। तदनुसार, नीति के अनुसार, राजभाषा अनुभाग की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं:

- आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना करने और आयोग द्वारा अनुदान प्रदत्त केंद्रीय/सम/राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी किये जाने वाले सभी दस्तावेजों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना, नियम, करार, संविदा, निविदा नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि) को द्विभाषी रूप में जारी किए जाने के लिए परिपत्र जारी किए गए थे।
- वर्ष 2020–2021 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें वेबिनार के माध्यम से दिनांक 29.9.2021 और 12.3.2021 को आयोजित की गई।
- कार्यालयी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु कौशल संवर्धन विषय पर दिनांक 22 मार्च, 2021 को आयोग में एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें वक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रो0 सुधीर प्रताप सिंह, आमंत्रित किए गए थे। इस कार्याशाला में 33 अधिकारियों एवं 22 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- वर्ष 2020–2021 में 08 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। कोविड–19 महामारी के चलते नामांकित कर्मचारी प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकें।

- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कार्य राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है जैसेः– वार्षिक रिपोर्ट, 2019–20, वार्षिक लेखा, 2019–20 के साथ–साथ प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारुप (अर्जित अवकाश / आकस्मिक अवकाश / शिशु देखभाल अवकाश / चिकित्सा अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी सूचना एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियां, सेवानिवृत्तियां, अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र तथा अनुभागों द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र इत्यादि द्विभाषी रूप में जारी किए गए।
- वर्ष 2020 के दौरान, आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी निबंध, वाद–विवाद, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः 5,000 / – रुपये, 4,000 / – रुपये, 3,000 / – रुपये और 2,000 / – रुपये प्रदान किए गए तथा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए।
- प्रतिवर्ष दिनांक 01 से 14 सितम्बर तक हिन्दी पखवाड़ा / हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है। 14 सितम्बर, 2020 को हिन्दी दिवस का आयोजन (ऑनलाइन) किया गया। हिन्दी दिवस के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण हेतु कुल रु0 1,30,145 / – (एक लाख तीस हजार एक सौ पैंतालीस रुपये) का व्यय किया गया।
- वर्ष के दौरान दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) की एक बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी जिसमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
- नराकास के अध्यक्ष महोदय को वर्ष, 2020 के लिए नराकास की सदस्यता के लिए 5,000 / – रुपये के सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति को दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तथा दिनांक 01.10.2020 से 31.3.2021 तक की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की गई।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय / गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए पूर्व में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया था। इन विश्वविद्यालयों के पुनः मूल्यांकन हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2020 को ई–कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई।
- आयोग में आयोजित होने वाली सभी बैठकों में हिंदी में वार्तालाप करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए।
- आयोग द्वारा सभी केन्द्रीय / राज्य / सम विश्वविद्यालयों में 13 विश्वविद्यालयों के हिंदी अनुभाग का उन्नयन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया जिससे अनेक शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और छात्रों सहित सभी को लाभ हुआ।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बारहवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए शेष अनुदान राशि का उपयोग करने हेतु कार्य अवधि को बढ़ाया गया।
- आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित नहीं हैं वहां हिंदी विभाग की स्थापना करने तथा जहां हिंदी विभाग स्थापित हैं वहां हिंदी विभाग का उन्नयन करने के लिए निदेश दिए गए।
- कम्प्यूटर, ई–मेल और वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिन्दी में कामकाज को बढ़ाया गया।
- ई–सरल हिन्दी शब्दकोश–राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले सामान्य वाक्यों के हिन्दी अनुवाद दिए गए हैं जिनके उपयोग करते हुए कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी फाइल में सामान्य टिप्पणियां हिन्दी में लिख सकते हैं।

5.6 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे, न्यूजीलैण्ड और जर्मनी जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने स्टाईपेन्डीयम हंगेरिकम, अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम तथा वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान कार्यक्रमों में छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों को शोध क्षमता को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है।

वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर किए व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

योजना का ब्योरा	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
सीईपी	**8.24**
भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम (आईएसएफ)	77.98
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां	50.00
उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)	78.24
रमन अध्येतावृत्तियां	2.33
भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम	1.97
स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	16.31
कुल व्यय	**235.07**

5.6(i) संयुक्त शोध कार्यक्रम

5.6(i)(क): भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रमः

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इज़राइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) और इज़राइल विज्ञान फॉउडेशन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है।

भारत और इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम (चौथा चरण), वर्ष 2018 के दौरान तीन वर्ष अर्थात् 01 मई, 2018 से 30 अप्रैल, 2021 की अवधि के लिए 11 संयुक्त शोध परियोजनाएं अवार्ड की गई थी।

5.6(i)(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां

'यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (यूकेआईईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) तथा शिक्षा मंत्रालय के समर्थन के साथ नई दिल्ली स्थित यूकेआईईआरआई सचिवालय के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी) कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–यूकेआईईआरआई विषयगत भागीदारियां ब्रिटेन और भारत की सिद्ध शोध क्षमता वाले संस्थान–आधारित शोध दलों को प्रदान किए जाने का विचार है। विषयगत भागीदारियों के अंतर्गत वर्ष 2018 के दौरान 18 संयुक्त शोध परियोजनाओं को दो वर्ष की अवधि अर्थात् 15 मार्च, 2018 से 14 मार्च, 2020 तक अवार्ड किया गया था जिसे 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

5.6(i)(ग) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)

द्वितीय 'इंडो जर्मन इंटर–गवर्नमेंटल कन्सलटेशन' के अवसर पर बर्लिन में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को शिक्षा मंत्रालय, भारत और फैडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा संगठनात्मक प्रशासन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डीएएडी पर है। इस संबंध में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित दोनों मंत्रालयों के बीच इस आशय की संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम का वर्ष 2016 से 2020 तक चार वर्षों की अवधि हेतु वित्तपोषित करने और इस अवधि हेतु प्रत्येक पक्ष द्वारा 3.5 मिलियन यूरो आवंटित करने की इच्छा व्यक्त की।

मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और और आशय की संयुक्त घोषणा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक प्रतिदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को एक समझौता किया गया तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में उक्त समझौते का आदान–प्रदान किया गया।

प्रथम चरण में, चार (04) वर्षों की परियोजना अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए वर्ष 2016 में 08 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई हैं जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

दूसरे चरण में, दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024 तक चार (04) वर्षों की परियोजना अवधि के लिए वर्ष 2020 में 09 संस्थागत भागीदारियां प्रदान की गई थी

5.6(i)(घ) परियोजना आधारित व्यैक्तिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी)

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2020 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसे इस कार्यक्रम के तहत विचार करने के लिए डीएएडी प्राधिकरण को भेज दिया गया था।

5.6(i)(ङ) भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत–अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि.अ.आ. ने भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक मुक्त प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सतत् विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार,
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष

5.6(ii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और विद्वानों का आदान–प्रदान

5.6(ii)(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उभरते हुए क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्त्ताओं और सभी विषयों के शिक्षकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की पेशकश की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और उच्चतर शिक्षा में उनके योगदान को और बढाया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके।

5.6(ii)(ख) स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रमः

दिनांक 19 नवंबर, 2014 को हंगरी के 'ह्यूमन कैपेसिटिज' मंत्रालय और भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत–हंगरी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट संबंधी अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए। इस करार के तहत हंगरी की सरकार 200 भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, और उनके अध्ययन की समाप्ति उपरांत उनकी हवाई यात्रा हेतु व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 185 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है। इन नामांकन के समक्ष एक हंगरी के विद्वान ने तेजपुर विश्वविद्यालय, असम में अपना अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया।

5.6(ii)(ग) भारत–बुल्गारिया सीईपी

वर्ष 2020 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बुल्गारिया भाषा और संस्कृति में ''सेंट क्लिीमेंट ओहरीडस्कीः सोफिया यूनिवर्सिटी'' तथा ''सेंट साइरिल तथा सेंट मेथोडियस'' विश्वविद्यालय वेलिको तुरनोवो द्वारा अंतराष्ट्रीय सगोष्ठी में भागीदारी के लिए कोई नामांकन नहीं प्राप्त हुआ है।

5.6(iii) विदेशी भाषा के शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति, संबंधित देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसंरचना मौजूद हो।

ईईपी और सीईपी के अनुसार देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी भाषा के 22 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान भाषा के ऐसे शिक्षकों को समय विस्तार दिया गया है जिनके लिए उनके दूतावास से अनुमोदन प्राप्त हुआ है और जहां कहीं भी रिक्तियां हुईं, वहां नई नियुक्तियां की गई। शिक्षकों का भाषा–वार ब्योरा निम्नानुसार है :–

जर्मन – 3	स्पेनिश – 10	पश्तो – 1	बुलगारियाई – 1	चेक – 1
पुर्तगाली – 2	हंगेरियाई – 1	क्रोएशियाई – 1	रोमानियन – 1	पोलिश – 1

5.7 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षाः शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास

मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (वि.अ.आ.–नेट) आयोजित की जाती है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार, सामान्यतः जून और दिसम्बर माह में पत्र–I के अलावा, 81 विषयों में, आयोजित की जाती है जिसे परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, तर्क विश्लेषण, शिक्षण अभिवृत्ति और शोध के लिए रूझान की जांच करने के लिए देशभर में फैले अनेक शहरों में आयोजित किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ–साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में शिक्षण तथा शोध के एक समान मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम से परिकल्पना की थी कि ''व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।'' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को विकसित करने के संबंध में इस मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ जोड़ दिया तथा 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट) भाषाओं सहित मानविकी के तहत आने वाले विषयों, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों में आयोजित की गई। साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के तहत आने वाले विषयों के लिए 31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा, सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा को सामान्यतः वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर के माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स कर दिया गया। तत्पश्चात् वि.अ.आ.–नेट को आयोजित करने का कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, दिसम्बर, 2018 से आयोजित वि.अ.आ.–नेट परीक्षा को एनटीए द्वारा आयोजित किया गया था।

संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा को सीएसआईआर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान; जीवन विज्ञान; गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में आयोजित किया जा रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट और/अथवा सीएसआईआर–वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे0आर0एफ0) परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्च मेरिट वाले प्रत्याशी जो वि.अ.आ.–नेट परीक्षा में जे0आर0एफ0 परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी0एस0आई0आर0–वि.अ.आ. संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1500 जेआरएफ (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

जून, 2020 में वि.अ.आ.–नेट, जिसे एनटीए द्वारा अक्तूबर/नवम्बर, 2020 में आयोजित किया जा सका, जिसमें कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु 6171 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया, जबकि, वर्ष 2020–21 के दौरान, दिसम्बर, 2020 में आयोजित की जाने वाली वि.अ.आ.–नेट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

5.7(i) वि.अ.आ.–नेट परीक्षा में निष्पादन

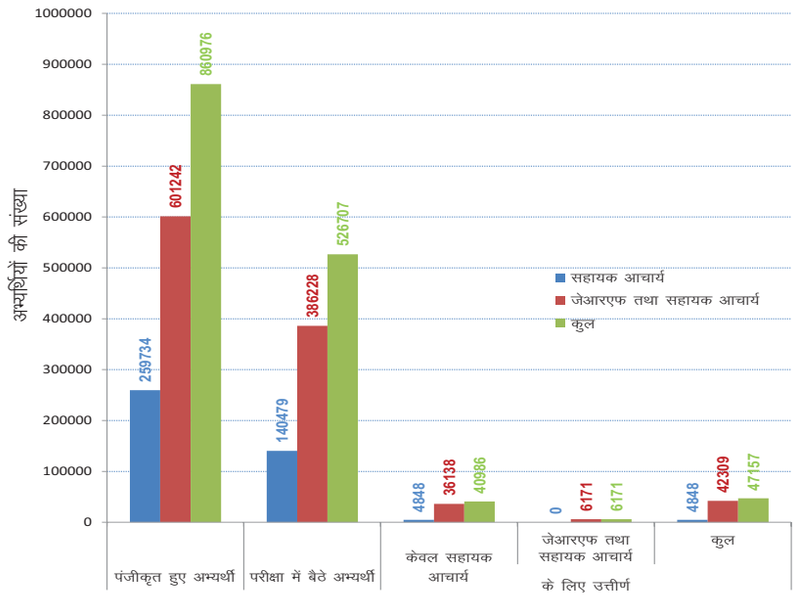
वि.अ.आ.–नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सफल हुए अभ्यर्थियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत तालिका–5.7 (i) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.7(i): वर्ष 2020–21 के दौरान वि.अ.आ.–नेट जून, 2020 की परीक्षा में पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

किया गया आवेदन	अभ्यर्थियों की संख्या				
	पंजीकृत	परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी		
			केवल सहायक–आचार्य हेतु	जे.आर.एफ. और सहायक–आचार्य हेतु	कुल
सहायक–आचार्य	259734	140479	4848	0	4848
जे.आर.एफ. और सहायक–आचार्य	601242	386228	36138@	6171	42309
कुल	860976	526707	40986	6171	47157

@जे.आर.एफ. और सहायक–आचार्य तथा पात्र सहायक–आचार्य के लिए आवेदन करने वाले 36138 अभ्यर्थियों में से केवल निम्नवत राष्ट्रीय अध्योवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु उत्तीर्ण हुए है। 4029 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी), 431 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी) और 475 अभ्यर्थी मौलाना आजाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) लिए उत्तीर्ण हुए।

रेखाचित्र 5.7(i): वि.अ.आ.–नेट जून, 2020 परीक्षा में पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या



5.7(i)(क) वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायतें

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के वंचित वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए अनेकानेक उपाय कर रहा है। उन्हें अनेकानेक छूट और रियायतें प्रदान की जा रही हैं। चूंकि अब, वि.अ.आ.–नेट परीक्षा के आयोजन का कार्य, राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी को सौंप दिया गया है, यह निम्नवत तरीकों से समाज के वंचित वर्गों को लगातार पूर्ण सहायता उपलब्ध करवा रहा है:

(i) **शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूट:** जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1000/– रुपये है, वहीं भारत सरकार की सूची के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह केवल 500/– रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, 'ट्रांसजेंडरों' और शारीरिक रूप से निशक्त (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 250 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) **जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट:** सामान्य श्रेणी के लिए जेआरएफ परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ट्रांसजेंडरों/शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

(iii) **नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट**

1.	सामान्य अभ्यर्थी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) **वि.अ.आ.–नेट हेतु अर्हता मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट:** अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र–I, और II में अलग–अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांकों का श्रेणी–वार ब्योरा

श्रेणी	न्यूनतम कुल प्रतिशत
सामान्य श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	40 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	35 प्रतिशत

जैसा की यहां स्पष्ट है कि नेट परीक्षा हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। इसके अलावा, जेआरएफ के साथ–साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटित करने हेतु आयोजित सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है। समान विषयों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए विषयवार 'कट–ऑफ' अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से निशक्त/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) श्रेणियों मे सबसे कम है।

5.7(i)(ख) सशस्त्र बलों के लिए कर्मियों हेतु व्यवस्था

कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु आवेदन करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को 05 वर्ष तक की छूट उपलब्ध कराई जाती है, जोकि संबंधित वि.अ.आ.–नेट के माह के प्रथम दिन तक सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा की अवधि के अध्यधीन है।

5.7(ii) संयुक्त सी.एस.आई.आर.–वि.अ.आ. नेट परीक्षा

सीआईएसआर–वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा को प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् जून तथा दिसम्बर माह में सीआईएसआर द्वारा आयोजित किया जाती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा जेआरएफ और व्याख्याता/सहायक आचार्य दोनों के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थियों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत 1500 जेआरएफ अवार्ड किए जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कतिपय संख्या में अभ्यर्थियों को व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र घोषित करता है।

तालिका 5.7(ii)(क) उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. –नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका 5.7(ii)(ख) जे0आर0एफ0 के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर–वि.अ.आ. नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्रता को दर्शाता है।

तालिका 5.7(ii)(क) संयुक्त सी0एस0आई0आर0–वि.अ.आ. नेट के तहत शामिल विज्ञान के विषयों की सूची

क्रम संख्या	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शरीर विज्ञान

तालिका 5.7(ii)(ख) सी0एस0आई0आर0–वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर–वि.अ.आ. –नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	वि.अ.आ. जे0आर0एफ0	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे0आर0एफ0 सहित)
जून, 2020	1638*	6032
दिसम्बर, 2020	कोविड–19 के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी	

स्रोतः सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाईट अर्थात ***csirhrdg.res.in*** *तथा सीएसआईआर*

**जेआरएफ के लिए आंकड़े भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जेआरएफ स्लॉट आबंटन के कारण 1500 से अधिक है।*

5.7(iii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 2000 अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन वि.अ.आ.–नेट या संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता

परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से एक हजार अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य 1000 अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं। तदनुसार, तर्कसंगत सांख्यिकीय पद्धति को नियोजित करके अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का परिणाम तैयार किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वि.अ.आ.–नेट/संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से घोषित एनएफएससी के परिणामों को संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से	
2018-19 (जून चरण)	940 (परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाती हैं)	260	17.09.2019
2018-19 (दिसम्बर चरण)	854	257	
2019-20 (जून चरण)	890	262	27.12.2019
2019-20 (दिसम्बर चरण)	958	256	20.05.2020
2020-21 (जून चरण)	4434*	407*	30.11.2020 और 19.03.2021 (वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से)

** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त नहीं की गई अध्येतावृत्तियों के बैकलॉग की इस वर्ष पेशकश की गई है।*

5.7(iv) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 1000 अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एनएफएससी के अनुरूप ही, वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन वि.अ.आ.–नेट अथवा संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से पांच सौ अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य पांच सौ अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान वि.अ.आ.–नेट/संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से घोषित एनएफओबीसी के परिणामों को संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से	
2019-20 (जून चरण)	659	150	21.05.2020
2019-20 (दिसम्बर चरण)	578	133	
2020-21 (जून चरण)	469	घोषित नहीं किया गया	30.11.2020 और 19.03.2021 (वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से)

5.7(v) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ)

भारत विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत एमफिल/पीएचडी के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिवर्ष 1000 अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एनएफएससी के अनुरूप

ही, वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के तहत आने वाले विषयों के लिए क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत अध्येतावृत्ति चिह्नित की गई हैं। अवार्ड प्राप्तकर्त्ताओं का चयन उन अभ्यर्थियों में से किया जाता है जिन्होंने कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और सहायक आचार्य के लिए पात्रता हेतु लिए आवेदन किया था, लेकिन वि.अ.आ.–नेट अथवा संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा में केवल सहायक आचार्य हेतु पात्रता परीक्षा ही उत्तीर्ण कर पाए। जून में आयोजित वि.अ.आ.–नेट और संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से पांच सौ अध्येतावृत्तियां आवंटित की जाती हैं और अन्य पांच सौ अध्येतावृत्तियां दिसंबर चरण की इन परीक्षाओं के माध्यम से आवंटित की जाती हैं।

संक्षेप में, अभ्यर्थियों के निष्पादन को वि.अ.आ.–नेट/संयुक्त सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से एमएएनएफ के परिणामों का संकलन करने के बाद तैयार किया जाता है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:

वर्ष और माह	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या		परिणाम घोषित किए जाने की तिथि
	वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से	सीएसआईआर–वि.अ.आ. परीक्षा के माध्यम से	
2019-20 (जून चरण)	469	131	31.07.2020
2019-20 (जून चरण)	526	125	
2020-21 (जून चरण)	479	घोषित नहीं किया गया	30.11.2020 और 19.03.2021 (वि.अ.आ.–नेट के माध्यम से)

उपर्युक्त तीन राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं के पात्र अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति अवार्ड किए जाने संबंधी पत्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugcnetonline.in.*** पर अपलोड कर दिया गया है।

5.7(vi) सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन हेतु वि.अ.आ.–नेट के पात्र अभ्यर्थियों की मांग

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, वि.अ.आ.–नेट को प्रतिभा के पूल के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है; इसे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जा रहा है। अनेक प्रमुख सरकारी निकायों ने विभिन्न विधाओं में अपने अधिकारियों की भर्ती के लिए वि.अ.आ.–नेट प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। वे निम्नवत हैं:

i) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ii) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)
iii) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
iv) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
v) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
vi) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
vii) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
viii) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड
ix) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
x) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
xi) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
xii) राष्ट्रीय पन विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी)
xiii) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही इस संबंध में अपना डॉटा साझा करने की इच्छा व्यक्त कर चुका है और साथ ही समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके अनुरोध पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

5.7(vii) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था तथा अब **राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)** के नाम से जाना जाता है, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के समान है।

कुछ राज्यों/समूहों के नेट परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनके प्रस्तावों की जांच करने तथा उनकी सक्षमता और योग्यता का पूर्णतया मूल्यांकन करने पश्चात् ही सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए सेट परीक्षा को अधिकतम तीन वर्ष के लिए आयोजित करने हेतु प्रत्यायित करता है। एस0ई0टी0 अभिकरणों के निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञ समितियों की सहायता से समीक्षा की जाती है।

जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्याता हेतु दिनांक 01 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण की है उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है ओर वे भारत में कहीं भी सहायक आचार्य के पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जून, 2002 या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी संबंधित राज्य के केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगें जहां से उन्होंने अपनी सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटन करने हेतु मानदंड, जिसे वि.अ.आ.–नेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा था उसे अब सेट परीक्षा में भी लागू किया जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए कुल स्लॉटों का परिकलन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित पात्रता मानदंड के अनुरूप ही किया जाता है, उन्हें संबंधित राज्य की आरक्षण नीति के अनुरूप ही आबंटित किया जाता है।

अब तक, निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया है:

क) आन्ध्र प्रदेश
ख) बिहार
ग) छत्तीसगढ़
घ) गुजरात
ङ) हरियाणा
च) हिमाचल प्रदेश
छ) जम्मू और कश्मीर
ज) झारखण्ड
झ) कर्नाटक
ञ) मध्य प्रदेश
ट) महाराष्ट्र और गोवा
ठ) उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्य (भागीदारी करने वाले राज्यः असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
ड) राजस्थान
ढ़) तमिलनाडु
ण) तेलंगाना
त) उत्तरांखण्ड
थ) उत्तर प्रदेश
द) पश्चिम बंगाल

- *इन राज्यों में से, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन करने वाले राज्य/समूहों का ब्योरा को नीचे दिया गया है:*

i) *आन्ध्र प्रदेश*
ii) *हिमाचल प्रदेश*

iii) *कर्नाटक*
iv) *महाराष्ट्र और गोवा*
v) *उत्तर–पूर्व के राज्य*

- *दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान निम्नवत राज्यों को अगले तीन वर्षों के लिए सेट परीक्षा आयोजित करने के लिए नए सिरे से प्रत्यायन प्रदान किया गया है:*

i) *हिमाचल प्रदेश (इसका प्रत्यायन, जो पूर्व में समाप्त हो गया था, कोविड–19 के कारण पैदा होने वाली परिस्थितियों के मद्देनजर एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया)*
ii) *उत्तर–पूर्व के राज्य*
iii) *तमिलनाडु*

5.8 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर नियुक्त होना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत सूचीबद्ध महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को तीन वर्ष की अवधि में एक बार यात्रा, पंजीकरण शुल्क, प्रति दिवस भत्ता और वीजा शुल्क आदि के लिए शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के महाविद्यालय के शिक्षकों को दो वर्ष की अवधि में एक बार शतप्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यात्रा अनुदान योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र और सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किए गए व्यय का ब्योरा निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी	
2020-2021	-	161	-	2.18

5.9 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे 9 केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम पद्धतियां तथा विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'कंसोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन' (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सी0डब्ल्यू0सी0आर0) कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके विशिष्ट उद्देश्यों को नीचे तालिका में दिया गया है:–

तालिका 5.9(क) अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके विशिष्ट उद्देश्यों को नीचे तालिका में दिया गया है:–

क्र. स.	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक शोध
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे–411007	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	वि.अ.आ.–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर–452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बंगलुरु–560010	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफिलबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7	अंतर्विशविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।
8	अंतर्विशविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	2014	
9	योग विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	2018	योग शिक्षा में नए ज्ञान के सृजन के माध्यम से योग के ज्ञान और योग विज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन और योग के लाभ तथा इसकी पद्धति का प्रसार करना।

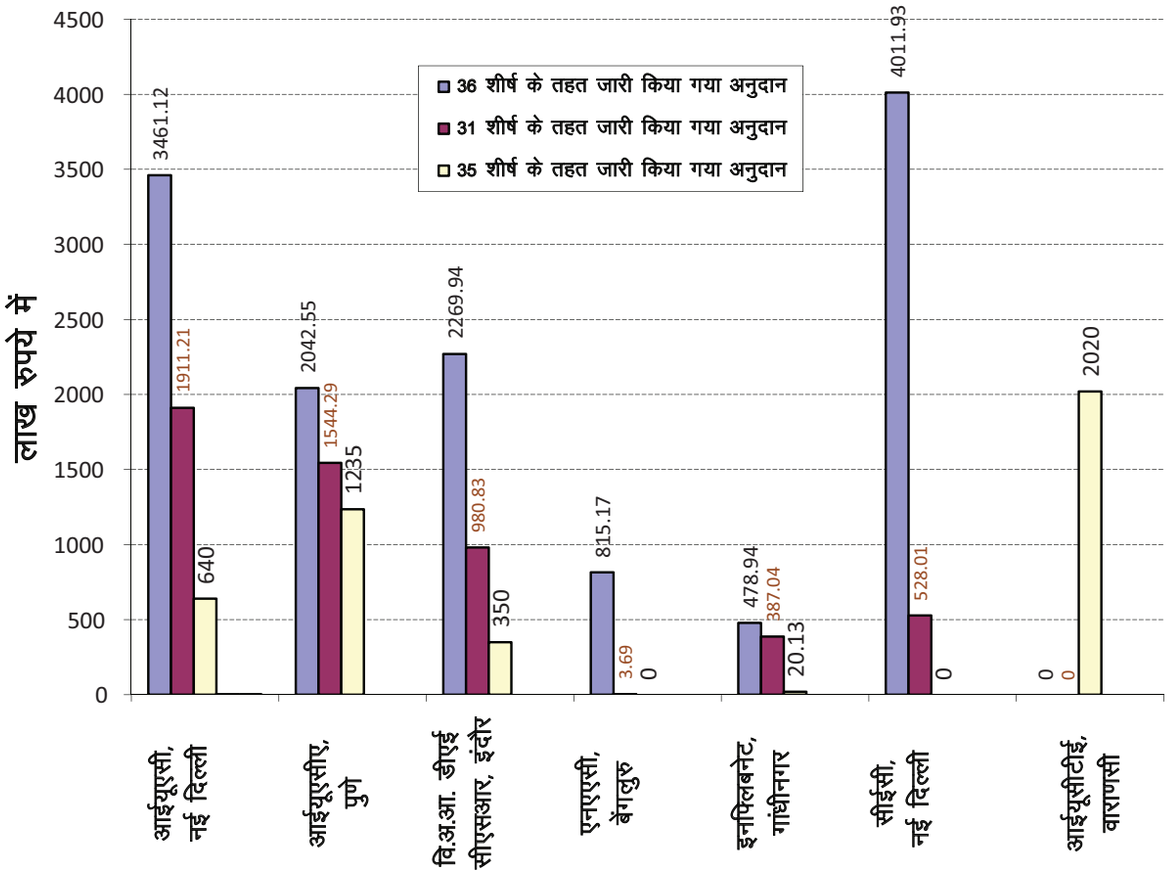
वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

तालिका 5.9(ख): वर्ष 2020–21 (अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) के दौरान जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)		
		शीर्ष 36	शीर्ष 31	शीर्ष 35
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	3461.12	1911.21	640
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे–411007	2042.55	1544.29	1235
3	वि.अ.आ.–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर–452001	2269.94	980.83	350
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु–560010	815.17	3.69	--
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफ्लिबनेट) गांधीनगर	478.94	387.04	20.13
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	4011.93	528.01	--
7	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	--	--	2020
8	योग विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बेंगलुरु	--	--	--
	कुल	**13079.7**	**5355.07**	**4265.13**

रेखाचित्र 5.9(ख): वर्ष 2020–21 के दौरान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों हेतु बजट और शीर्षवार जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये में)



विभिन्न अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों की मुख्य विशेषताएं

5.9(i) अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र–नई दिल्ली

अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयी प्रणाली के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए संभावनाएं पैदा करने हेतु अग्रणी त्वरण आधारित अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र की त्वरक प्रणालियों और प्रायोगिक सुविधाओं का उपयोग कई विश्वविद्यालयों द्वारा नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, परमाणु भौतिकी, विकिरण जीव विज्ञान, विकिरण भौतिकी और त्वरक मास स्पेक्ट्रोमेट्री के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है जिससे अधिक प्रभाव वाले लेख और पीएचडी शोध प्रबंध के प्रकाशन संभव हो।

➢ **नए घटनाक्रम**

- **'हाई करंट इंजेक्टर':** आईयूएसी में 'हाई करंट इंजेक्टर' (एचसीआई) परियोजना को मौजूदा सुपरकंडक्टिंग लिनैक के एक वैकल्पिक अंतःक्षेपक के रूप में नियोजित किया गया था जो वर्तमान में 15 एमवी पेलेटरॉन के बूस्टर के रूप में कार्य करता है। एचसीआई के अंतःक्षेपक भाग, मुख्य रूप से ईसीआर, एमएचबी, छह डीटीएल अनुनादकों की स्थापना वर्ष 2019 में पूर्ण की गई थी। सभी अनुनादक कैविटी निर्वात में है तथा संचालित किए जाने के लिए तैयार हैं।
- **आयूएसी में सघन 'टीएचजेड विकिरण' तथा इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा आरंभ करना और उसकी जांचः** नई दिल्ली के अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) में 'दिल्ली लाइट सोर्स' (डीएलएस) के नाम से जानी जाने वाली कॉम्पेक्ट टीएचजेड और इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा शुरू की जा रही है। आशा है कि जल्द ही टीएचजेड रेडिएशन के 'फर्स्ट सिग्नेचर' का शीघ्र ही प्रदर्शन किया जाएगा।
- **आईयूएसी में डाटा अधिग्रहण प्रणालीः** अपने वहां विकसित मॉड्यूल एलपीसीसी, एडी 814, जीईएम, जो लगभग 16 साल पहले डिजाइन और विकसित किए गए थे, के लिए आवश्यक सीएएमएसी क्रेट्स और घटकों की अनुपलब्धता के कारण, केंद्र एक कॉम्पैक्ट और उच्च घनत्व प्रणाली के लिए सभी बीम लाइन डीएक्यू सिस्टम को स्विच करने की योजना बना रहा है जो आगामी जटिल भौतिकी प्रयोगों को पूरा कर सकेगा है और साथ ही उसका रखरखाव करना भी आसान होगा।
- **राष्ट्रीय भूकालानुक्रमिक सुविधाः** इस परियोजना का उद्देश्य आईयूएसी में एक व्यापक भूकालानुक्रमिक सुविधा विकसित करना है जो उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक लक्षण वर्णन सहित भूकालानुक्रमिक उद्देश्यों के लिए गुणवत्तापरक आइसोटोपिक डेटा का मापन संभव करेगा। आईयूएसी में समर्पित भूकालानुक्रमिक सुविधा भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं को पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में समर्थ बनाएगी।

➢ **शैक्षिक क्रियाकलाप**

- **आईयूएसी में सुपरकंडक्टिंग लिनैक तथा एसआरएफ कार्यक्रमः** नाभिकीय भौतिकी प्रयोगों, विशेष रूप से अपने पीएचडी कार्य के लिए छात्रों के प्रयोगों के संचालन के लिए, पेलेट्रॉन+एससी लिनैक अभियान जनवरी, 2020 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य इसे कम से कम अप्रैल और यदि आवश्यक हो, तो मई के मध्य तक, जारी रखना था। हाइब्रिड रीकोइल मास एनालाइजर (हाइरा) और नेशनल ऐरे ऑफ न्यूट्रॉन डिटेक्टर (नैंड) प्रायोगिक सुविधाओं में से प्रत्येक में दो प्रयोगों और नैंड में एक सुविधा परीक्षण में आवश्यक ऊर्जा के ^{48}टीआई और ^{30}एसआई बीम का उपयोग करके सफलतापूर्वक पूरा किया गया। दुर्भाग्यवश मार्च के तीसरे सप्ताह के आसपास कोविड–19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते लिनॉक अभियान को अचानक बंद करना पड़ा। वर्ष 2021 की पहली तिमाही में शुरू होने वाले अगले पेलेटरॉन + एससी लिनाक अभियान की तैयारी वर्ष 2020 के अंत में शुरू हुई।

  आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

  (i) पीएच.डी. शिक्षण कार्यक्रम
  (ii) बी.एससी. (भौतिकी) ग्रीष्मकालीन विद्यार्थी कार्यक्रम
  (iii) आयूएसी का स्थापना दिवस
  (iv) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यशाला
  (v) वेबीनार
  (vi) आईयूएसी परिचय कार्यक्रम

➢ **विविध शोध के अंतर्गत पूरे किए गए अनुसंधान और विकास**

- **नाभिकीय भौतिकी:** (I) जीडीए और आईएनजीए–वर्ष 2020 तथा 2021 के दौरान लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशन दोनों सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आगे आए। गामा डिटेक्टर एरे (जीडीए) और 'इंडियन नेशनल गामा' एरे (आईएनजीए) का उपयोग करके परमाणु संरचना और प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए भारी ऑयन बीम का उपयोग करके इस अवधि में दो प्रयोग किए गए।

  (II) हीरा और हाइरा – हीरा और हाइरा, हमारे देश में संचालनाधीन कुल दो बड़े रिक्वाइल स्पेक्ट्रोमीटर/विभाजक, जिनका उपयोग कोलंब बैरियर के आसपास परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं तथा पेलेट्रॉन अथवा पेलेट्रॉन + एससी–लिनैक त्वरकों का उपयोग करते हुए क्वैपसी इलैस्टिक बैक स्कैटरिंग के अनेक प्रयोगों में किया गया।

  जनवरी से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान जब एससी–लिनैक अभियान चल रहा था, तब निम्नलिखित तीन डॉक्टरेट शोध प्रबंध प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए। अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाली इस अवधि के दौरान, पहले प्रयोग के आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की गई है और पांडुलिपि का मसौदा लगभग तैयार है।

- **पदार्थ विज्ञान समूह:** जनवरी से मार्च, 2020 की अवधि के दौरान जब एससी–लिनैक अभियान चल रहा था, तब निम्नलिखित तीन पदार्थ विज्ञान समूह विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता रहता है।
- कोविड की स्थिति के कारण गतिविधियों को ऑनलाइन पद्धति से आरंभ किया गया था।
- पदार्थ विज्ञान में ऑयन बीम से संबंधित अंतराष्ट्रीय स्कूल (दिनांक 01 से 05 दिसंबर, 2020)

  पदार्थ विज्ञान में ऑयन बीम पर स्कूल, ऑनलाइन पद्धति से आयोजित किया गया था। स्कूल में 120 प्रतिभागी और 14 संसाधन व्यक्ति (जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर, फ्रांस और जापान देश के 07 व्यक्तियों सहित) थे।

➢ **राष्ट्रीय भूकालानक्रमिक सुविधा: 1.7 एमवी (5 एसडीएच–2) पेलेट्रॉन त्वरक आधारित ऑयन बीम विश्लेषण सुविधा:** रदरफोर्ड बैकस्केटरिंग स्पेक्ट्रोमेट्री (आरबीएस), बीबीएस–चैनलिंग, आरबीएस अनुनाद, इलैस्टिक रीकोइल डिटेक्शन विश्लेबषण (ईआरडीए) मापन के लिए 1.7 एमवी पेलेट्रॉन त्वरक प्रचालनाधीन है। वर्ष 2020–21 में 15 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों के 28 उपयोगकर्ताओं के कुल 1528 मापन किए गए। ऑटो–सैंपलर से लैस क्यू–आईसीपीएमएस प्रणाली 2018 में लगाई गई थी और तब से नियमित रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्च, 2020–फरवरी 2021 के दौरान, विभिन्न संस्थानों के 09 उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग 550 नमूनों के विश्लेषण के लिए इस सुविधा का उपयोग किया गया था।

➢ **कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए बचाव के उपाय:** कोविड–19 के मद्देनजर आईयूएसी ने परिसर में महामारी फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। एनडीएमए और अन्य साधनों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परामर्शों के अनुसार सैनिटाइजर, स्वच्छता के नयाचारों का कार्यान्वयन, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के आग्रह, रोगनिरोधी उपाय, आपातकालीन प्रावधान आदि सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। इसके अलावा, कर्मचारियों और परिसर के अंदर रहने वाले निवासियों की सुरक्षा के लिए सड़कों को सैनिटाइज करने हेतु आंतरिक रूप से एक **'सड़क सुरक्षा वाहन'** भी तैयार किया गया था। आउटसोर्स किए गए कामगारों को मजदूरी के भुगतान में सरकारी अधिसूचनाओं का पालन किया गया।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 6012.33 लाख रुपये

5.9(ii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स, पुणे

IUCAA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के अन्तर्गत पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए) की स्थापना वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के स्वायत्त केन्द्र के रूप में की गई थी।

- एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स (एएंडए) में अपनी तरह के गहन शोध करना और भारतीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करना।

- (एएंडए) में भारतीय विश्वविद्यालयों में सक्रिय समूहों के संकेन्द्रण को बढ़ावा देना और विकास करना।
- भारत और पड़ोसी देशों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए.एंड.ए.) कार्यों में क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना और सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईयूसीएए ने अनके कार्यक्रम तैयार किए हैं और कुछ उद्देश्यों का उल्लेख किया है :

(क) ए.एंड.ए. में मूलभूत शोध।

(ख) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ए.एंड.ए. का शिक्षण।

(ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों के लिए 'वेकेशन स्टूडेंटस् प्रोग्राम' और ग्रीष्मकालीन विद्यालय।

(घ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(ङ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए एसोशिएटशिप कार्यक्रम।

(च) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए विजिटर कार्यक्रम।

(छ) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आईयूसीएए सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आईसीएआरडी)।

(ज) आईयूसीएए में और इसके बाहर विद्यालयों, कार्यशलाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना।

(झ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संकायों तथा छात्रों के लिए आईयूसीएए गिरवाली प्रयोगशाला का प्रचालन करना।

(ञ) भागीदारी के माध्यम से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और छात्रों के लिए दक्षिण अफ्रीका लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) तक पहुंच।

(ट) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, विद्यालय छात्रों और आम जनता के लिए व्यापक जन पहुंच कार्यक्रम।

(ठ) ए.एंड.ए. में राष्ट्रीय वृहद परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाना :

(क) विज्ञान और 'लेजर इंटरफरोमेट्रिक ग्रेवीटेशनल–वेव आबजर्वेटरी' (एलआईजीओ) में कम्प्यूटिंग –भारत।

(ख) तीस मीटर टेलीस्कोप।

(ग) स्क्वेयर किलोमीटर अरे–भारत।

(ड) इसरो के वैज्ञानिक कार्यकलापों में अग्रणी भूमिका और विश्वविद्यालय प्रयोक्ता इंटरफेस :

(i) वर्ष 2015 में प्रक्षेपित किया गया एस्ट्रोसैट–2015 में प्रक्षेपित बहुद्देशीय खगोलीय उपग्रह।

(ii) आदित्य–एल1–सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में वेधशाला में प्रक्षेपित किया जाने वाला।

(ढ़) प्रचालन डाटा केन्द्र।

(ण) ए.एंड.ए. में शिक्षण ज्ञानअर्जन केन्द्र {शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षण योजना पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटीएस) के तहत}

(त) ए.एंड.ए. में शिक्षण ज्ञानअर्जन केन्द्र (शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएमएमएमएनएमटीटीएस के तहत)

(थ) प्रीसिशन एंड क्वेंटम मेज़रमेंट लेबोरेटरी।

(द) पुणे नालेज क्लस्टर।

आईयूसीएए शिक्षक तथा अभ्यागत एसोशिएट की संख्या तथा उनके द्वारा किए गए प्रकाशनः

वर्ष	आईयूसीएए शिक्षकों की संख्या	आईयूसीएए शिक्षकों द्वारा किए गए प्रकाशन	अभ्यागत एसोशिएटों की संख्या	अभ्यागत एसोशिएटों द्वारा किए गए प्रकाशनों की संख्या
2020-2021	125	250	181	370

➢ नीचे दी गई तालिका में, लाभार्थियों की संख्या में आईयूसीएए में आगन्तुकों के साथ साथ आईयूसीएए में तथा अन्यत्र आयोजित सम्मेलन/कार्यशालाओं/'स्कूल' के लाभार्थियों की संख्या भी शामिल है।

लक्षित समूह	लाभार्थियों की संख्या
शोधकर्ता	205
विश्वविद्यालय	25
विश्वविद्यालय के छात्र	85
महाविद्यालय	18
महाविद्यालय के छात्र	1000
विद्यालय	350
विद्यालय के छात्र	7,480
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय शिक्षक	4,420
जनसाधारण	3,78,300 (ऑफलाइन+ऑनलाइन)

इनमें लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं थी

- **आईयूसीएए के तहत आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों की संख्याः आईयूसीएए में कार्यशालाएंः 8 (सभी कार्यशालाएं ऑनलाइन आयोजित की गई)**

  आईयूसीएए के बाहर आयोजित कार्यशालाएंः 6 (सभी कार्यशालाएं ऑनलाइन रूप से आयोजित की गई)

- **दौरा करने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की संख्याः शून्य**

  कोविड–19 महामारी तथा उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, किसी आगंतुक और विजिटिंग एसोशियेट को मार्च, 2020 से आज तक आईयूसीएए का दौरा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

➢ **आईयूसीएए का 32वां स्थापना दिवस व्याख्यान (ऑनलाइन)**

आईयूसीएए का 32वां स्थापना दिवस व्याख्यान मंगलवार, 29 दिसंबर, 2020 को 'सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज', भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में डीएसटी वर्ष के विज्ञान के चेयर प्रोफेसर राघवेंद्र गड़कर ने दिया। चल रही महामारी के कारण व्याख्यान एक लाइव यूट्यूब स्ट्रीम के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन रूप में आयोजित किया गया था, जिसमें 370 दर्शकों के साथ 'जूम' के माध्यम से संवाद के लिए लोगों का एक छोटा समूह जुड़ा था। आईयूसीएए के निदेशक प्रोफेसर सोमक राय चौधरी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

➢ **आईएयूएस 367: 'एजूकेशन एंड हैरीटेज इन द एरा ऑफ बिग डाटा इन एस्ट्रोनामी' (ऑनलाइन)** 08 से 12 दिसंबर, 2020 के दौरान ऑनलाइन आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ संगोष्ठी 367 (आईएयूएस 367) का प्राथमिक लक्ष्य आईएयू के लक्ष्यों के फ्रेम में शिक्षा और विरासत की वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना था। 'आईयूसीएए पब्लिक ऑउटरीच' के दो सदस्यों सोनल थोर्वे और रूपेश लबडे ने इस संगोष्ठी में पोस्टर प्रस्तुत किए।

➢ **शिक्षण में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमः एआरपीआईटी–2020 (ऑनलाइन):** तारों और नक्षत्रीय प्रणालियों पर एक पाठयक्रम, जिसमें तारों और नक्षत्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर 10 मॉड्यूल में पृथक्कीकृत 36 वीडियो प्रस्तुतियां शामिल हैं, एआरपीआईटी–2020 के लिए आईयूसीएए के एनआरसी द्वारा बनाया गया। दिनांक 31 दिसंबर, 2019 की अंतिम तिथि से पहले पाठ्यक्रम के लिए कुल 732 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब आधे आवेदक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक थे। पंजीकृत प्रतिभागी देश के लगभग सभी भागों से और कुछ विदेशों से भी थे।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 4821.84 लाख रुपये

5.9(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान, इंदौर के लिए वि.अ.आ.–डीएई संघ

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वि.अ.आ.–परमाणु ऊर्जा विभाग संकाय को परमाणु ऊर्जा विभाग के 'महत्वपूर्ण विज्ञान' की सुविधाओं को विश्वविद्यालय प्रणाली में शोधकर्ताओं हेतु उपलब्ध कराने का अधिदेश है। तदनुसार, संकाय के इंदौर, कोलकाता और मुंबई में तीन केंद्र हैं, और इंदौर में प्रधान कार्यालय के साथ कलपक्कम में एक नोड है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं के अलावा, संकाय ने अत्यधिक परिष्कृत और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं की भी स्थापना की है और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को कम तापमान और उच्च चुंबकीय क्षेत्र सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया है।

➢ वर्ष 2020–21 के परिणामों का संक्षिप्त विवरण

परमाणु ऊर्जा विभाग की मेगा सुविधाओं के साथ–साथ इन–हॉउस सुविधाओं तक पहुंच ज्यादातर परियोजना कर्मचारियों की सहायता से दीर्घकालिक (03 वर्षीय) सहयोगी अनुसंधान योजनाओं (सीआरएस) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सीएसआर उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से अल्पकालिक प्रयोगों के लिए इन–हाउस सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान में, सीआरएस के अंतर्गत 368 परियोजनाएं समर्थित हैं और इस अवधि में 500 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इन सीआरएस योजना के तहत संकाय की सुविधाओं के साथ–साथ शुरुआती अवधि के प्रस्तावों का उपयोग किया है। इनमें से करीब 65 प्रतिशत लोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से थे और 56 प्रतिशत महिलाएं थी। इन (लगभग 250) सीआरएस परियोजनाओं और इन–हॉउस अनुसंधान से पीअर–समीक्षा की गई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 380 लेख प्रकाशित हुए।

वर्ष 2020–21 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	
विवरण	**संख्या**
उपयोगकर्ता	**518**
(महिलाएं 294,विद्यार्थी 291, विश्वविद्यालय 277, महाविद्यालय 48, संस्थान 193)	
सीआरएस परियोजनाएं	**368**
प्रकाशन–जर्नल	**380**
कार्यशालाएं/बैठकें	**5**

परमाणु ऊर्जा विभाग के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के संकायों ने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को उपलब्ध सुविधाओं की क्षमताओं पर बल देने के लिए जागरूकता कार्यशालाओं और बैठकों का (ऑनलाइन पद्धति से) आयोजन किया।

बीएआरसी की उत्तम सुविधाओं के उपयोग के समन्वय के लिए, निदेशक, बीएआरसी ने एक बीएआरसी कृतबल का गठन किया। वि.अ.आ.–डीएई सीएसआर मुंबई केंद्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए एक्सीलेटर एफओटीआईए और एलईएचआईपीए, और बार्क में उत्तम माइक्रोस्कोप और कुछ अन्य सुविधाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था।

नवी मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सिडको द्वारा आवंटित एक एकड़ भूखंड का पंजीकरण और कब्जा मुंबई केंद्र को सौंपने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जैसा कि हमारे शासी बोर्ड द्वारा परिकल्पित था, डीसीएस और ईएम, डीएई को अध्यक्ष डीएई द्वारा नवी मुंबई में प्रस्तावित भवन का निर्माण शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। डीसीएस एंड ईएम, डीएई ने प्रस्तावित भवन का ब्लॉक अनुमान प्रदान किया है और भवन के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये का अनुमान जारी किया है।

वीईसीसी, राजारहाट न्यू टॉउन परिसर में कोलकाता केंद्र की प्रयोगशाला और अवसंरचना निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रगति (75 प्रतिशत कार्य पूर्ण) हुई है।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 3600.77 लाख रुपए

5.9(iv) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक):

नैक अपने सार्थक अस्तित्व का 25वां वर्ष मना रहा है। नैक उन प्रत्यायनों की संख्या और संस्थानों की विविधता के मामले में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यायन एजेंसियों में से एक है जो उसके दायरे में आते हैं। एक प्रमुख गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी के रूप में नैक लगातार बदलते उच्चतर शिक्षा परिदृश्य के साथ–साथ हितधारकों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए), 1992 में निहित विचारों के परिणामस्वरूप, भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआईएस) की गुणवत्ता वृद्धि की दिशा में सकारात्मक दिशा में बल देने हेतु दिनांक 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की स्थापना की गई थी। इन वर्षों के दौरान नैक भारत में उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का लगभग पर्याय ही बन गया है। नैक ने किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितधारकों तक पहुंच बनाई है। 'गुणवत्ता' आज उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अकादमिक परिसरों में मूलमंत्र बन गया है और यह उन दूरदर्शी लोगों के लिए बहुत संतोष की बात है जिन्होंने नैक के लिए संभावना तैयार की और उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम किया ताकि नैक की स्थापना हो सके। यह किसी न किसी रुप में न केवल नैक से जुड़े सभी लोगों के लिए हर्ष का अवसर है, बल्कि साथ में यह निरंतर आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए गंभीरता बरतने का भी समय है।

नैक अपनी सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जहां उच्चतर शिक्षा प्रणाली के एक छोटे से भाग के शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व होता है। वि.अ.आ. के अध्यक्ष नैक के जीसी के अध्यक्ष होते हैं और ईसी के अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद् होते हैं, जो सामान्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। निदेशक, नैक के अकादमिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और सामान्य परिषद् और कार्यकारी समिति दोनों के सदस्य–सचिव भी होते हैं। नैक के पास अपने विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए सलाहकारों का पूरक कोर स्टॉफ होता है।

नैक को देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय के निष्पादन का मूल्यांकन, जांच और प्रत्यायन करने का काम सौंपा गया है। नैक का दर्शन दंडात्मक या आलोचनात्मक होने की बजाय सुधारात्मक और सक्षमकारी है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए समर्थ किया जा सके।

विजन: आत्म और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और संपोषण पहल के संयोजन के माध्यम से भारत में उच्चतर शिक्षा के परिभाषित तत्व को गुणवत्तापूर्ण बनाना।

मिशन

- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा उनकी इकाइयों या विशिष्ट अकादमिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और उन्हें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना;
- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण–ज्ञानअर्जन और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक परिवेश को प्रोत्साहित करना;
- ✓ उच्चतर शिक्षा में आत्म–मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना;
- ✓ गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, और
- ✓ गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और सततता के लिए उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।

मूल्यगत ढांचा

देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच निम्नलिखित मौलिक मूल्यों को बढ़ावा देना:

- राष्ट्रीय विकास में योगदान।
- छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना।
- छात्रों के बीच एक मूल्यगत प्रणाली को अंतर्निविष्ट करना।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
- उत्कृष्टता के लिए अन्वेषण।

नैक में प्रमुख नीतिगत निर्णय और विकासः नैक, जिसे अपनी गुणवत्तापूर्ण पहल, अपने हितधारकों के बीच गुणवत्तापूर्ण संस्कृति के प्रसार के माध्यम से भारतीय उच्चतर शिक्षा की पारिस्थितिकी प्रणाली को बदलने की परिकल्पना की गई है, उसके मामले में प्रभावी और कुशल तरीके से प्रत्यायन की प्रक्रिया भी लगातार बदल रही है। बदलते परिदृश्य और प्रणाली के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा के हितधारकों की आकांक्षाओं के अनुरूप नैक ने एक नई प्रणाली शुरू की है जिसे आरएएफ (संशोधित प्रत्यायन ढांचा) कहा जाता है। आरएएफ पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रणाली आधारित, हितधारक के अनुकूल मूल्यांकन और प्रत्यायन की विधि है।

वर्ष 2020 में विभिन्न संस्थानों अर्थात पारंपरिक संस्थानों (सामान्य विश्वविद्यालयों/स्वायत्त महाविद्यालयों/संबद्ध महाविद्यालयों के लिए संशोधित नियमावली) और पेशेवरों के लिए अनुकूलित नियमावली की अवधारणा भी देखी गई।

देश के प्रमुख प्रत्यायन निकाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुभवी और मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन निकाय में से एक होते हुए, नैक हमेशा से मान्यता प्रक्रिया में विभिन्न सुधारों को शुरू करने में सबसे आगे रहा है। हाल में की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

- ✓ संबद्ध महाविद्यालयों के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत पात्रता (आईईक्यूए) प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन पद्धति से शुरू करना।
- ✓ नैक की वेबसाइट पर प्रत्यायन परिणाम अपलोड करने के अलावा नैक को प्रस्तुत करने से पहले संस्थागत वेबसाइट पर उच्चतर शिक्षा संस्थान के एसएसआर अपलोड करने का प्रावधान।
- ✓ आंतरिक डेटा पुष्टि और सत्यापन इकाई की स्थापना।
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने और व्यक्तिपरकता को कम करनाः नैक मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने और व्यक्तिपरक तत्व को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
- ✓ ऑनसाइट विजिट की वीडियो रिकॉर्डिंगः नीतिगत उपाय के तौर पर नैक ने पीयर टीम दौरे की पूरी कार्यवाही को वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्णय किया है। संस्थानों द्वारा दौरे के तुरंत बाद नैक को वीडियो रिकार्डिंग जमा करनी होगी और वीडियो को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।
- ✓ राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावाः भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए नैक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
- ✓ विश्वविद्यालयों के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में मात्रात्मक मूल्यांकन संकेतकों की शुरुआत।
- ✓ मूल्यांकन अवसंरचना के भाग के रूप में शिक्षण परिणाम, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण चेतना जैसी नई अवधारणाओं की शुरुआत।
- ✓ उपर्युक्त पहलों के अलावा, मूल्यांकन और प्रत्यायन के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रयास किए जा रहे हैं:
- ✓ एसएसआर, पीयर टीम रिपोर्ट और ग्रेड शीट्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर नैक के साथ उपलब्ध बड़े डेटा संसाधन का उपयोग करके उच्चतर शिक्षा डोमेन में –मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के–अनुसंधान और विकास करना
- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों का बेंचमार्किंग और विकास।
- ✓ मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करना।
- ✓ मूल्यांकनकर्ताओं के कॉलेजियम का विस्तार और समीक्षा।

किसी भी सफल परिवर्तनकारी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी सक्रिय रूप से परिवर्तन की अवधारणा और कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में लगे हों। परिणामों के लिए संरचनाओं और ऑपरेटिंग मॉडल को तर्कसंगत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। चूंकि हम नैक में विभिन्न परिवर्तन ला रहे हैं, यह भी आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्र में क्षमता निर्माण का ध्यान रखते हुए नैक के भीतर तथा नैक से इतर भूमिकाएं और उत्तरदायित्व स्पष्ट हों। इसका अभिप्राय यह है कि पूरा दृष्टिकोण अब 'टॉप डाउन' और 'बॉटम अप' वाला हो जाता है।

नैक में एंड टू एंड आईसीटी समाधानः नैक ने एक 'एंड–टू–एंड ऑटोमेशन' प्रक्रिया शुरू की है जो सुदृढ़, पारदर्शी और एक समान है। आरएएफ जिसमें मात्रात्मक मूल्यांकन, जो कि मात्रात्मक मैट्रिक्स के समुच्चय पर आधारित होता है तथा गुणात्मक मैट्रिक्स के समुच्चय पर आधारित गुणात्मक मूल्यांकन के दोनों अवयवों पर आधारित होता है, को मूल्यांकन और प्रत्यायत प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित पद्धति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

नैक के लिए 'ई–2–ई समाधान' में विभिन्न मॉड्यूल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थान सूचना (आईआईक्यूए), स्व–अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर), छात्रों की संतुष्टि सर्वेक्षण (एसएसएस), डेटा पुष्टि और सत्यापन (डीवीवी), मूल्यांकनकर्ता प्रबंधन, पीयर टीम चयन मॉड्यूल, ऑनसाइट पीयर टीम दौरा, कार्यकारी समिति और अभिशासन (ईसीएंडजी) मॉड्यूल, अपील मॉड्यूल, वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) मॉड्यूल, इनफ्लिबनेट मॉड्यूल एंड इश्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) मॉड्यूल से मिलकर बने हैं। देश के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन समिति (सीसीएमसी) नामक एक प्रणाली विकसित की गई है। आज की तिथि के अनुसार, नैक ने लगभग 500 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर लिया है। हितधारकों की सुविधा के लिए विभिन्न डैशबोर्ड का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के उद्देश्य से सुदृढ़ और पारदर्शी प्रणाली तैयार की गई है। केलट्रॉन द्वारा डिजाइन और एनआईसी सर्वर में होस्ट किए गए हितधारकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् की एक नई वेबसाइट जारी की गई थी। वेब आधारित पोर्टल उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना के ऑनलाइन आवेदन (आईआईक्यूए) और नई कार्यप्रणाली के अनुसार वेबसाइट में उपलब्ध उच्चतर शिक्षा संस्थान पोर्टल लिंक के माध्यम से 'ऑनलाइन सेल्फ स्टडी' रिपोर्ट (एसएसआर) जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

मूल्यांकन और प्रत्यायन के उद्देश्य हेतु नैक के लिए लक्ष्य समूह भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं। नैक ने 365 विश्वविद्यालयों और 8166 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया है और आज की स्थिति के अनुसार कुल 13,412 प्रत्यायन दौरे किए हैं।

प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्यकलापः राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, निदेशक, नैक के सक्षम नेतृत्व के साथ, शीघ्रता और कुशलता के साथ ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल मंच तक ला सकती हैं। इससे देश के अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मदद मिली।

'सिस्को वेबेक्स प्लेटफॉर्म' का आरंभ किया गया था और इसे लागू किया गया था, इसके कारण हम ऑनलाइन वार्ता करने के लिए एक समय में 1000 संस्थानों के साथ संपर्क करने करने में सक्षम थे।

क्रय समिति की बैठकों, आंतरिक बैठकों को वेबेक्स मंच के माध्यम से स्ट्रीम किया गया और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सुव्यवस्थित किया गया।

अवसंरचना का विकास और अवसंरचना का आधुनिकीकरण

- **रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रः**

  220 किलोवाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रः नैक में 220 किलोवाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वर्क ऑर्डर को आईटीआई लिमिटेड को दिया गया था और इसे दिनांक 06 जनवरी, 2021 को चालू किया गया। 646 सोलर पैनल और 4 इनवर्टर लगाए गए हैं और नेट मीटरिंग सुविधा के जरिए बीईकॉम में बिजली इंजेक्ट की जाती है। सौर ऊर्जा संयंत्र बिजली की खपत को बहुत कम करता है और नैक को हरित ऊर्जा दक्ष भवनों में से एक बनाता है।

  नैक ने रूफ टॉप सौर उर्जा संयंत्र के साथ सौर ऊर्जा का दोहन कर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की योजना बनाई थी। अपनी पर्यावरण–अनुकूल पहल के तहत नैक में दिनांक 06 जनवरी, 2021 को 210 किलोवाट की क्षमता वाला रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है और नैक अपने दिन–प्रतिदिन के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है। उत्पादित अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग सुविधा के माध्यम से बीईएससीओएम में डाला जा रहा है।

- **नैक की पर्यावरण हितैषी पहलः**

  नैक ने अपनी पर्यावरण अनुकूल पहलों के तहत परिसर में सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्ट्रिप लाइटिंग लगाने की भी योजना बनाई है। सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और स्ट्रिप लाइटिंग से बिजली की खपत काफी कम होती है और यह नैक को हरित ऊर्जा दक्ष भवन बनने के करीब पहुंचाते हैं तथा नैक परिसर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं।

- **नैक के लिए हरित भवन प्रमाणनः**

  नैक कार्यालय के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा नैक की लेखापरीक्षा भी की जा रही है जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को धारणीय, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और संसाधन कुशल परिसर की ओर जाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश भेजेगा।

- नैक में रिफ्लेक्टिंग पूलः सम्मेलन कक्ष की सुंदरता बढ़ाने के लिए नैक कार्यालय के अंदर एक रिफ्लेक्टिंग पूल का निर्माण किया गया है। पूल का आकार 8.083 मीटर × 4.843 मीटर है। पूल का निर्माण नैक मुख्य कार्यालय के पूरक के रुप में आधुनिक तरीके से किया गया है। रिफ्लेक्टिंग पूल के दोनों तरफ भी उद्यान हैं जो वातावरण को और अधिक बेहतर बनाते हैं। शीघ्र ही रिफ्लेक्टिंग पूल चालू कर दिया जाएगा।

- **नैक में लिफ्टेंः** 02 लिफ्टों की व्यवस्था, भवन के वास्तु के अनुरूप की गई है। डिजाइन में इस कमी को महसूस किया गया कि कार्यालय डिजाइन में की गई लिफ्ट की व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के उपयोग के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार भवन वास्तुकला के अनुसार 2 लिफ्टों के प्रावधान का डिजाइन किया गया है और लिफ्ट को लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। मैसर्स शिंडलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया और लगाया गया। ये लिफ्टें बेसमेंट में ग्रंथालय और प्रथम तल के कार्यालयों को जोड़ते हैं। इन लिफ्टों को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

- **नैक के लिए अतिरिक्त भूमिः** नैक से सटी पांच एकड़ भूमि बेंगलुरु विश्वविद्यालय द्वारा नैक को दिया गया है। नैक ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय से विकास उद्देश्यों हेतु नैक से सटी पांच एकड़ भूमि को हस्तांतरित करने के लिए संपर्क किया था। बेंगलुरु विश्वविद्यालय सिंडिकेट द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। इसे कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। भूमि का पंजीकरण पूरा हो गया है और भूमि में लगे नीलगिरी के पेड़, अन्य महत्वपूर्ण एवं औषधीय पेड़ों को हटाया जाना है जिसके लिए वन विभाग ने उक्त भूमि का सर्वेक्षण कर लिया है एवं इसकी रिपोर्ट वृक्ष समिति को भेज दी गई है। वृक्ष समिति को उक्त भूमि का दौरा करना एवं जांच करना तथा वृक्ष काटने के लिए अनुमति प्रदान करना है जिसके पश्चात् उससे संबंधित विकास योजना को शुरू किया जाएगा।

  नया आईसीटी ब्लॉकः नैक ने जनशक्ति, प्रबंधन और अवसंरचना क्षेत्र के संदर्भ में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए आईसीओ ब्लॉक का निर्माण करने की योजना बनायी है। नए आईसीटी ब्लॉक के लिए योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा इसके अनुमोदन दिए जाने का कार्य चल रहा है।

- **नैक का मुख्य द्वारः** विद्यमान मुख्य द्वार कार्यमूलक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है और यह नैक जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का उत्कृष्ट प्रथम प्रभाव नहीं डालता है। नए मुख्य द्वार का निर्माण मुख्य कार्यालय से किया जा रहा है। इस द्वार में पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था है जिसकी निगरानी के लिए सुरक्षा कार्यालय है। प्रवेश और निकास के लिए विशेष द्वार का कार्य पूरा हो गया है और इसकी शुरूआत कर दी गई है।

- आधुनिक बैठक कक्ष–नैक हेतु और इसकी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चर्चा कक्ष से लेकर आराम कक्ष तक के पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई है। लैंगिक संवेदनशीलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

- **हरित पहलः** विद्यमान बोरवेल को सवंर्धित करते और नए बोरवेल की स्थापना कर नैक की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ताकि नैक कार्यालय और आवासीय प्रतिष्ठानों को अबाधित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। चूंकि यह सभी नई अवसंरचनाएं हैं जिन्हें खड़ा किया जा रहा है, तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विद्यमान सुविधाएं इष्टतम यथा संभव उपयोग की जा रही हैं।

- वार्षिक स्टॉक सत्यापनः वर्ष 2019–20 के लिए नैक का वार्षिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

आईसीटी संबंधी क्रियाकलाप

नैक वेबसाइट और आईसीटी: जनसाधारण और हितधारकों के लिए नैक की एक नई वेबसाईट अंग्रेजी में जारी की गई और बाद में हिंदी और कर्नाटक में भी जारी की गई है। इस वेबसाइट को केल्ट्रोन द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका आयोजन एनआईसी सर्वर में किया जाता है। इसमें अनंत विविध कस्टमाइजेशन के साथ विषयवस्तु को सहजता से व्यवस्थित, प्रबंधित और प्रकाशित करने के लिए मानक विशेषताओं के साथ सहज और मानक नेवीगेशन की सुविधा है। वर्तमान में, वेवसाइट की विषयवस्तु आरएएफ की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्संरचित किया गया है। वेब आधारित पोर्टल में वेबसाइट में उपलब्ध उच्चतर शिक्षा संस्थान पोर्टल लिंक के माध्यम से आईआईक्यूए और ऑनलाइन एसएसआर का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट में सभी हितधारकों के लिए निम्नलिखित उपयोगी सूचना निहित है:

1) संस्थानों का प्रत्यायन दर्जा (आरएएफ और आरएएफ दर्जे से पूर्व)।
2) प्रत्यायन परिणाम को प्रकाशित करना।
3) प्रकाशन यथा, नियम पुस्तिका, राज्य–वार रिपोर्ट, दिशानिर्देश, संशोधित प्रत्यायन दस्तावेज।
4) नैक द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यकलापों यथा संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, मूल्यांकनकर्ताओं का अभिमुखी कार्यक्रम (एओपी) आदि का ब्यौरा।
5) नैक द्वारा आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों यथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का ब्यौरा और साथ हीं इसके लिंक/वीडियो।

नैक ने गुणता आवश्वासन हेतु आवेदन संसाधन के स्वचालन एवं न्यूनतम पात्रता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यकलापों को शुरू किया है। बाद में, विविध प्रकारों के भौगोलिक रूप से अलग–अलग अवस्थित संस्थानों की मूल्यांकन और प्रत्यायन मांगों को पूरा करने के लिए नैक ने संपूर्ण स्वचालन की प्रक्रिया शुरू की है जो ठोस, पारदर्शी और एकसमान है। आरएएफ जिसमें परिमाणात्मक मैट्रिक्स के सेट के आधार पर परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मैट्रिक्स के सेट के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन शामिल है, को मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के स्वचालन हेतु सुपरिभाषित पद्धति उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

नैक के लिए 'ई–2–ई' सॉल्युशन में विभिन्न मॉड्यूल में आईआईक्यूए, एसएसआर, छात्र की संतुष्टि सर्वेक्षण (एसएसएस), आंकड़ा प्रमाणीकरण और सत्यापन (डीवीवी), निर्धारक प्रबंधन, समकक्ष टीम चयन मॉड्यूल, तत्स्थानिक समकक्ष टीम दौरा, कार्यकारी समिति और शासन (ईसीएंडजी) मॉड्यूल, अपील मॉड्यूल, एक्यूएआर मॉड्यूल, वित मॉड्यूल, लॉजिस्टिक मॉड्यूल, इनफ्लिबनेट मॉड्यूल और मुद्दा प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) मॉड्यूल शामिल हैं। सहज सुविधा हेतु हितधारकों के लिए विभिन्न डैशबोर्डों का सृजन किया गया। ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रणाली भी डिजाइन की गई है। मूल्यांकन और प्रत्यायन पूर्णतः ऑनलाइन है और नैक को इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 9640 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पंजीकरण प्राप्त हुए। लगभग 4204 आईआईक्यूए, 2937 एसएसआर और 2551 डीवीवी निवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 2263 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पीओआर ऑनलाइन जमा किए गए और परिणामों की घोषणा ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध ईसीएंडजी मॉड्यूल के माध्यम से की गई है। एक्यूएआर ऑनलाइन निवेदन इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 8361 एक्यूएआर प्राप्त हुए हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आनलाइन 29374 मुद्दे सुलझाए गए। मूल्यांकनकर्ता पोर्टल पर जाने के लिए 4718 मूल्यांकनकर्ताओं ने नाम डाला है जो स्वचालित चयन मॉड्यूल के लिए उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन समाधान की मुख्य विशेषताएं:

- मुक्त विश्वविद्यालय, दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालय (डीएमयू), संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय (चिकित्सा, दंत्य, भेषजी, परिचर्या, आयुर्वेद, योग/प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान) तथा शिक्षक शिक्षा संस्थान जैसी नई योजनाओं को लागू किया गया।
- विश्वविद्यालय, स्वायत्त, संबद्ध स्नातकपूर्व और संबद्ध स्नातकोत्तर नियम पुस्तिका के संशोधित संस्करणों को ऑनलाइन आरंभ किया गया।

- तीव्रता से उपलब्ध होने वाले, आरोह्य, सुदृढ़ और आपदा से उबरने (डीआर) हेतु सक्षमकारी प्लेटफार्म पर परिनियोजित।
- क्यू एन एम मूल्यांकन को शामिल करते हुए निष्पक्षता को 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
- नैक के लिए सुचारू और उन्नत मूल्यांकनकर्ता नामांकन प्रक्रिया।
- अधिकतम सीमा तक समेकित वित्त और लॉजिस्टिक मॉड्यूल।
- समकक्ष टीम चयन का स्वचालन किया गया है।

एएंडए सर्विस को विकसित करने और चार वर्षों की अवधि के लिए सेवाओं के रखरखाव करने हेतु संविदागत एक सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता केल्ट्रॉन की सहायता से नैक के ऑनलाइन सॉल्युशन के कार्यान्वयन को दिशा देने हेतु आईटी इकाई स्थापित की गई है। अपने प्रारंभ से ही, आईटी इकाई ने कई परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त किया और और आपूर्ति प्रक्रिया को सफलतापूर्वक युक्तिसंगत बनाया यथाः

- अपेक्षाओं का निर्धारण करना और विश्लेषण प्रक्रिया।
- सॉल्युशन डिजाइन की समीक्षा और परीक्षण व उपयोगकर्ता स्वीकार्यता प्रक्रियाओं को स्थापित करना।
- एक के बाद एक श्रंखलाबद्ध प्रत्येक परियोजना को आरंभ करने हेतु परियोजना प्रबंधन और सुपुदर्गी।
- परीक्षण और परिवर्तनों को सुनिश्चित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण को लागू किया जाता है जिससे उपयोग एवं उत्पादकता की सहजता में सहायता मिलती है।
- 'ऑनलाइन रनिंग पायलट' और यह सुनिश्चित करना की बाद में प्रणाली में अंतर का विश्लेषण किया जाए और लागू किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्कृष्ट विशेषताओं को बाद में लागू किया जाए, संस्करण प्रबंधन करना।
- हेल्प–डेस्क सेवाओं में सहायता प्रदान करना और उच्चतर शिक्षा संस्थान, डीवीवी साझेदार, मूल्यांकनकर्ताओं और नैक प्रक्रिया समन्वयकों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष पहल।

नैक की सूचना प्रौद्योगिकी में अपेक्षित विश्लेषण, कोडिंग संबंधी परियोजना प्रबंधन, परीक्षण और आईटी प्रचालन में अनुपूरक कौशल वाले लोग होते हैं। इस टीम में सिस्टम एनालिस्ट, डाटा एप्लिकेशन डेवलपर और एप्लिकेशन प्रोग्रामर होते हैं।

वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रमों की व्यवस्थाः कोविड–19 महामारी के बीच आईसीटी विभाग वेबेक्स का उपयोग कर ऑनलाइन पद्धति से विभिन्न कार्यक्रमों हेतु समाधान लेकर आया है। वेबेक्स लाइसेंस को खरीदा गया तथा विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, संबद्ध स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर, एक्यूएआर, स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों हेतु जागरूकता कार्यक्रम जैसे 180 से अधिक वेबिनार सत्रों को नैक वेबेक्स प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया।

साथ ही, नैक ने ए++ एचईआई द्वारा विकसित बेहतरीन पद्धतियों के संबंध में जानकारी के साथ उत्कृष्ट पद्धतियों वाली वेबिनारों की श्रृंखलाओं का आयोजन किया।

आयोजित विशेष कार्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है,

- दिनांक 28 मई, 2020 को 1.5 लाख से अधिक लाइव स्ट्रिमिंग भागीदारी (यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक सहित) के साथ मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा ''चुनौती को अवसर में बदलें: कोविड–19 महामारी एवं भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संघर्ष के उपाय'' विषय पर ऑनलाइन संबोधन को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- दिनांक 13 जून, 2020 को मेघालय के राज्यपाल श्री तथागत राय द्वारा संबोधित ''उच्चतर शिक्षा परिदृश्य: कोविड–19 के पश्चात का मीमांसा'' विषय संबंधी ऑनलाइन सम्मेलन को (यूट्यूब पर लाइव) आयोजित किया गया और वि.अ.आ. के कुलपति डॉ. भूषण पटवर्धन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया।

- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैक आईसीटी विभाग ने नैक वेबेक्स प्लेटफार्म में दिनांक 21 और 22 जून, 2020 को अंतर विश्वविद्यालय योगिक विज्ञान केंद्र (आईयूसी–वाईएस) द्वारा आयोजित दो दिवसीय योग कार्यक्रम ''घर में योग और परिवार के साथ योग'' की मेजबानी की।
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों और उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन दिनांक 23 जून, 2020 को प्रातः 11.00 बजे किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा एवं मुख्य सचिव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और यह कार्यक्रम यूट्यूब पर भी चलाया गया।
- नैक ने दिनांक दिनांक 16 जुलाई, 2020 को प्रातः 11:30 बजे ''कोविड–19 के दौरान उच्चतर शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना'' विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा ऑनलाइन संबोधन का आयोजन किया और ''उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता की खोजः एक भारतीय परिदृश्य'', बेहतरीन पद्धति श्रृंखला ''प्रबंधन पद्धतिः मामला प्रस्तुतीकरण'' पुस्तक और नैक न्यूजलेटर को जारी किया।
- नैक ने सेंटर फॉर एडुकेशनल एंड सोशल स्टडीज (सीईएसएस) के सहयोग से दिनांक 24 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3:30 से 5:30 बजे तक ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग'' विषय पर एक विशेष वेबिनार को आयोजित किया।
- शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कार्यक्रम में नैक ने दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 1500 बजे से 1600 बजे तक नैक के निदेशक प्रो. एस. सी. शर्मा द्वारा ''राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को सलाम'' विषय पर ऑनलाइन संबोधन का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) ने ''आचार्य देवो भवः'' को आयोजित किया है। माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को सायं 06:00 बजे उद्घाटन भाषण दिया। वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह और नैक के अध्यक्ष–ईसी, प्रो. वी. एस. चौहान भी नैक के निदेशक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 818.86 लाख रुपये

5.9(v) इनफ्लिबनेट केन्द्र, गांधी नगर

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के एक स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। वर्ष 1991 में इसकी स्थापना से लेकर दिनांक 16 मई, 1996 तक, जब इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्णरूपेण अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र का दर्जा प्राप्त किया, तब तक यह आईयूसीएए, पुणे की एक परियोजना थी। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एक आधारभूत कारक होने के कारण, केन्द्र ने अपने भारत में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। इन सभी पहल को मोटे तौर पर निम्नलिखित 12 श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः

- **विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का स्वचालन**

यह केन्द्र विश्वविद्यालयों को विभिन्न तरीकों से ग्रंथालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इन्फ्लिबनेट केन्द्र ने ग्रंथालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्वविद्यालयों को उनके ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथालय की सूची के अभिलेखों का इनफ्लिबनेट केन्द्र के यूनियन कैटलॉग इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

- **इन्डकैटः भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉगः** इन्डकैट में भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, सीरियलों तथा पीएचडी शोध प्रबंधों का यूनियन कैटलॉग शामिल है। इसमें 199

विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से 1,14,80,023 पुस्तकों, 229 विश्वविद्यालय हेतु 35,234 विशिष्ट जर्नल के संबंध में धारिता जानकारी तथा 444 विश्वविद्यालयों से 4,41,141 ग्रंथालय सूची के रिकार्ड अंतर्विष्ट हैं।

- **सॉफ्टवेयर तैयार करना: एसओयूएल 2.0/3.0: समेकित पुस्तकालय आटोमेशन सॉफ्टवेयर:** इंफ्लिबनेट केन्द्र अपने संस्थान के भीतर तैयार किए गए अत्याधुनिक समेकित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर–एसओयूएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुस्तकालयों के स्वचालन में योगदान देता है। एसओयूएल 2.0 के वर्तमान संस्करण में देशभर में 3843 प्रतिष्ठान हैं।

  वर्ष 2021 में दिनांक 24 फरवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष प्रो. डी. पी. सिंह और इंफ्लिबनेट सेंटर के षासी परिषद् के माननीय अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह द्वारा इंफ्लिबनेट केन्द्र के शासी बोर्ड के माननीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, कुलपति प्रो. जे. पी. सिंह जूरेल, निदेशक, इनफ्लिबनेट सेंटर, इनफ्लिबनेट सेंटर के शासी बोर्ड और परिषद् के सदस्य, वि.अ.आ. की संयुक्त सचिव डॉ. मंजू सिंह, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों/पेशेवरों और इंफ्लिबनेट केन्द्र के कर्मचारियों की उपस्थिति में एसओयूएल 3.0 के नए संस्करण को आरंभ किया गया।

➢ मुक्त पहुंच और मुक्त डाटा पहल

- **शोधगंगा:** जनवरी, 2010 में आरंभ किए गए भारतीय शोध प्रबंध कोश में वर्तमान में 2,99,499 पूर्ण पाठ वाले शोध प्रबंध हैं जिनमें 490 संस्थानों का योगदान है, रिपोर्ट की इस अवधि के दौरान 62 विश्वविद्यालयों से 30,499 पूर्ण पाठ शोध प्रबंधों को जोड़ा गया है। इस पहल में तब गति आई जब पात्र विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान की गई और वर्तमान में 1040 संस्थान साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। (संदर्भ:2.5.4)
- **शोधगंगोत्री:** वर्ष 2013 में आरंभ किया गया शोधगंगोत्री, किए जा रहे अनुसंधान कार्य का एक कोश है जिसमें 87 संस्थानों द्वारा प्रदत्त कुल 8,131 सार संग्रह हैं।
- **आईसीएसएसआर डाटा सर्विस–भारतीय सामाजिक विज्ञान डाटा कोश:** आईसीएसएसआर द्वारा वर्ष 2015 में इंफ्लिबनेट सेंटर को समनुदेशित परियोजना में एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कस्टमाइज्ड प्लेटफार्म पर एमओएसपीआई से 140 डाटासेट हैं। वर्तमान में, इस कोश में 4270 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। यह शोधार्थियों के बीच बड़ा लोकप्रिय रहा है और इसके 46 लाख से अधिक 'रिसोर्स डॉउनलोड' किए गए हैं।

➢ पुस्तकालय संघ और इसके उपोत्पाद

- **ई–शोधसिंधु:** वर्ष 2015 में शुरू किया गया ई–शोधसिंधु 449 से अधिक संस्थानों जिनमें विश्वविद्यालय, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान शामिल हैं को 7096 ई–जर्नल और 06 लाख से अधिक ई–पुस्तक (एनडीएलआई के माध्यम) तक पहुंच प्रदान करता है। एनएलआईएसटी ई–शोधसिंधु का एक महाविद्यालयी संघटक है जो 3198 महाविद्यालयों के 4.07 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को 6150 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 764300 से अधिक ई–पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करता है।
- **इंफ्लिबनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (आईएनएफईडी):** वर्ष 2017 में पूर्ण रूप से आरंभ किया गया आईएलएफईडी ई–शोधसिंधु के तहत शामिल संस्थानों में उपयोगकताओं को ई–संसाधनों तक ऑफ–कैंपस पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में 183 संस्थान और 37 प्रकाशक आईएनएफईडी से जुड़े हैं।
- **इन्फि–स्टेट:** ई–शोधसिंधु का उपोत्पाद इन्फिस्टेट, जिसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, ई–शोधसिंधु के तहत सदस्य संस्थानों को पहुंच प्रदान किए गए सब्सक्राइब्ड ई–संसाधनों की उपयोग सांख्यिकी की निगरानी और मूल्यांकन को सुकर बनाता है।
- **शोधशुद्धि–साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस):** भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के

अंतर्विश्वविद्यालयों (आईयूसी) सहित सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस) उपलब्ध कराया जाना था। इनफिल्बनेट केन्द्र, शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस परियोजना/पहल को निष्पादित करने के लिए एक नोडल एजेन्सी है। साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर जमा किए गए दस्तावेज को दस्तावेजों के बहु–डाटाबेस से तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सब्सक्रिप्शन आधारित संसाधनों, मौजूदा तथा अभिलेखाबद्ध इंटरनेट वेबपृष्ठों तथा वेब दस्तावेजों, प्रधान प्रकाशकों तथा 'एग्रीगेटरों', छात्र पत्रों आदि के डाटाबेसों से मुक्त पहुंच संसाधनों को कवर करता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पीडीएस–शोध शुद्धि विषय पर 15 अखिल भारतीय राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का देशभर से आयोजन किया गया, जहां देशभर से 1025 संस्थानों से कुल 3363 भागीदारों ने भाग लिया।

➢ **ई–शिक्षा, सामग्री विकास और एमओओसी**

- **ई–पीजी पाठशाला**रू वर्ष 2012 में शुरू होकर इनफ्लिबनेट सेंटर ने वि.अ.आ. द्वारा निष्पादित आईसीटी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक एमओई पहल ई–पीजी पाठशाला को सफलतापूर्वक पूरा किया है। केंद्र ने सभी विषयों में 70 विषयों में ई–सामग्री के विकास का समन्वय किया। वर्तमान में, यह 22,000+ ई–मॉड्यूल होस्ट करता है। केंद्र अब वेबसाइट का रखरखाव करने के साथ–साथ अपने उत्पादों को मजबूत कर रहा है।
- **विद्या–मित्रः** विद्या–मित्र परियोजना को इनफ्लिबनेट केन्द्र को मई, 2014 में सौंपा गया था। यह एनएमई–आईसीटी, शिक्षा मंत्रालय के तहत विकसित सभी ई–विषयवस्तु पोर्टल का एक समेकित ई–विषयवस्तु पोर्टल है। विद्या–मित्र 66,000 से अधिक वीडियो (स्व–ज्ञान अर्जन/ई–अनुशिक्षण) तथा 44,000 से अधिक ई–विषयवस्तु को होस्ट करता है। जबकि, यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है, इनफ्लिबनेट केन्द्र अनुरोध के आधार पर देशभर के भारतीय संस्थानों के संकाय सदस्यों/शिक्षाविद्ों द्वारा विकसित ई–विषयवस्तु के लिए निःशुल्क होस्टिंग सेवा प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केन्द्र को इसके लिए 62 अनुरोध प्राप्त हुए और उन्हें संसाधित किया जा रहा है।
- **स्वयं वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम** (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु): इनफ्लिबनेट केंद्र दिनांक 9 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एमओओसी के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। केंद्र, वि.अ.आ. के मार्गदर्शन से इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। इनफ्लिबनेट की प्रमुख भूमिका सभी पाठ्यक्रम समन्वयकों के लिए निधि वितरण, पाठ्यक्रम प्रस्तावों के लिए एक वेब इंटरफेस का विकास करना है और यह वि.अ.आ.–एमओओसी के लिए एक समर्पित पोर्टल है। पोर्टल स्वयं समन्वयकों, मेंटरों, स्नातकोत्तर–पाठ्यक्रमों के अद्यतन, कार्यशाला विवरण आदि की जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। केंद्र ने वर्ष 2020–2021 के लिए उक्त सभी गतिविधियों को जारी रखा है।
- **स्वयं–प्रभाः** एनएमई–आईसीटी के अंतर्गत एक एमओई परियोजना, 'स्वयं–प्रभा' की परिकल्पना जीसैट–15 ट्रांसपोंडर का उपयोग करके 24 x 7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 34 डीटीएच चैनलों के समूह के रूप में की गई है। इनफ्लिबनेट केंद्र ने वर्ष 2020–21 के दौरान सभी चैनलों के लिए वीडियो संग्रह सहित स्वयं प्रभा पोर्टल और इसकी होस्टिंग के विकास और रखरखाव का कार्य जारी रखा है।
- **इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस):** इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस) देशभर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह सेवा अनुरोध के आधार पर सभी केंद्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को दी जा रही है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं पाठ्यक्रम निर्माण, नामांकन, एसाइनमेंट और मूल्यांकन, चर्चा हेतु प्लेटफार्म आदि हैं।
- **एक भारत, एक डिजिटल प्लेटफार्मः** 'वन इंडिया वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' एक एकीकृत ई–सामग्री पोर्टल है जो अन्य होस्ट की गई सामग्री या मेटाडेटा की सभी होस्ट की गई सामग्री या मेटाडेटा को खोजने और ब्राउज़ करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें शिक्षार्थी आसानी से ऑडियो/वीडियो लर्निंग सामग्री, पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया समृद्ध सामग्री आदि सहित वांछित सामग्री तक पहुंच सकता है। यह कक्षा पहली से स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षार्थियों के लिए बनाया गया है।

➢ **एनबीए और नैक के लिए संस्थानों की रैंकिंग तथा प्रत्यायन**

- **भारत रैंकिंग 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 (एनआईआरएफ):** 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) के तहत वर्ष 2016 में 'इंडिया रैंकिंग' का पहला संस्करण आरंभ किया गया था। केंद्र ने एनआईआरएफ परियोजना को जारी रखा है और रिपोर्ट अवधि के दौरान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत 'इंडिया रैंकिंग 2020'के अपने 5वें अभ्यास को निष्पादित किया। केंद्र एनआईआरएफ वेब पोर्टल के विकास के लिए उत्तरदायी था जिसमें डेटा कैप्चरिंग सिस्टम, परसेप्शन कैप्चरिंग सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म और रैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे। केंद्र ने प्रकाशनों, प्रशस्ति पत्रों, पेटेंट और बड़े पैमाने पर उद्धृत कागजात संबंधित डेटा भी प्रदान और सत्यापित किए हैं।
- **ई–एनबीएरू प्रत्यायन कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली (एडब्ल्यूएमएस):** 'प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली' (एडब्ल्यूएमएस) नामक यह परियोजना तकनीकी संस्थान के कार्यक्रम के प्रत्यायन से संबंधित है। केंद्र वर्ष 2018 से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी संस्थानों के लिए प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली का एक पूर्ण ऑनलाइन मंच विकसित करने के कार्य में जुटा हुआ है।
- **एआरआईआईए:** एआरआईआईए, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ताकि देश में सभी बड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को छात्र और संकाय के मध्य ''नवोन्मेष और उद्यमिता विकास'' से संबंधित सूचकों पर प्रणालीगत रूप से रैंक किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इनफ्लिबनेट ने माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त, 2020 को शुभारंभ किए गए 'अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स् ऑन इनोवेशन एचीवमेंट' (एआरआईआईए) फ्रेमवर्क' के द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। यह केन्द्र एआरआईआईए परियोजना का तकनीकी भागीदार है तथा उसने इसके लिए एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **एनएएसी:** एनएएसी ने प्रत्यायित किए जाने वाले संस्थानों के लिए प्रकाशन, साईटेशन, 'एच–इंडेक्स' तथा अन्य संबंधित पुस्तकों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने का कार्य नवम्बर, 2017 में सौंपा है।

➢ **विद्वान तथा भारतीय शोध सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआरआईएनएस)**

- **विद्वान:** एनएमई–आईसीटी.विद्वान द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 9148 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 85865 लाख से अधिक संकाय सदस्यों तथा भारतीय वैज्ञानिकों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद हैं। विद्वान परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 12 लाख प्रकाशन मेटाडाटा प्राप्त किए हैं।
- **भारतीय शोध सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस):** वर्ष 2018 में एनएमईआईसीटी के द्वितीय चरण के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा परियोजना को इनफ्लिबनेट को सौंपा गया। आईआरआईएनएस एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जिसे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है। आईआरआईएनएस शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण क्रियाकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है। इस परियोजना के माध्यम से इनफ्लिबनेट ने 280 'आईआरआईएनएस इन्सटेंसों' का सृजन किया है तथा 52478 संकाय सदस्यों को जोड़ा है। इस परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 9.36 लाख प्रकाशन मेटाडाटा को पुनः प्राप्त किया है और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 107 लाख 'साईटेशन' प्राप्त की हैं।

➢ **इनफ्लिबनेट वेबसाइट विकास तथा रखरखाव**

केन्द्र अंग्रेजी हिन्दी में अपनी वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है जो ***https:// www.inflibnet.ac.in/.*** पर उपलब्ध है। केंद्र, अपनी वेबसाइट के माध्यम से और साथ ही अपनी व्यक्तिगत सेवाओं और उत्पादों की वेबसाइटों के माध्यम से शैक्षिक समुदाय को अपनी सेवाओं और संसाधनों तक संगठित और संरचित पहुंच प्रदान करने के लिए वेब प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। वेब 2.0 की विशेषताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि हैं, जिन्हें वेबसाइट में शामिल किया गया है।

➢ **विभिन्न सरकारी पहलों और संस्थानों के संबंध में वेब पोर्टल और वेबसाइटें**

यह केन्द्र, केन्द्र को सौंपी गई परियोजना के एक भाग के रूप में विभिन्न सरकारी पहल/एजेन्सियों के लिए अनेक वेबसाइटों तथा पोर्टलों का रखरखाव करता है।

- **युक्ति पोर्टलः** इनफ्लिबनेट केन्द्र ने युक्ति (यंग इंडिया काम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी और एलएनोवेशन) नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया। इसके माध्यम से कोविड–19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को एक बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कवर किए जाने की परिकल्पना है। इसमें कोरोनावायरस से संबंधित विभिन्न अकादमिक संस्थानों की पहल और प्रयासों को सम्मिलित किया गया है।

- **स्टडी इन इंडिया** : स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को देश में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि को आयोजनाबद्ध करने में मदद करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉगिन' है (जहां संस्थान विदेशी छात्रों को अपनी सीटें विदेशी छात्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉगिन (जहां पंजीकृत छात्र विकल्प को चुनने, मॉक कॉउंसिलिंग तथा अंतिम कॉउंसिलिंग सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)

- **एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)** : पोर्टल विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के ब्योरे को होस्ट करता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ईबीएसबी को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है।

- **पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी):** पीएमएमएमएनएमटीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। योजना का उद्देश्य 1,00,000 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करना, पेशेवर विकास, पाठ्यचर्या को तैयार करना, मूल्यांकन को तैयार करना और उसका विकास करने से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करके विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इनफ्लिबनेट केन्द्र, वेब और तकनीकी विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

- **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए):** इनफ्लिबनेट केन्द्र, एनटीए को वेबसाइट विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है जो ''परीक्षा प्रेक्षक'', ''प्रशिक्षण अभ्यास केंद्र'', मोबाइल–ऐप आदि की पूरी प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करता है।

➢ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली के लिए कार्यकलाप पोर्टलः इनफ्लिबनेट सेंटर ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एआईयू) के लिए एक गतिविधि पोर्टल विकसित किया है जिसका शुभारंभ श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2020 को किया गया था। एआईयू पोर्टल भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ विदेशी डिग्रियों की तुल्यता को पूरी तरह से स्वचालित करने के संदर्भ में अपने सदस्यों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा।

➢ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय): पोर्टल ***"transgender.dosje.gov.in"*** किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी कार्यालय में गए बिना, देश में कहीं से भी डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिना किसी के आमुख हुए और बिना किसी कार्यालय में गए पहचान पत्र प्राप्त करने में मदद करता है। पोर्टल के माध्यम से वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक/निगरानी कर सकते हैं और विलम्ब होने की स्थिति में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं जिससे प्रक्रिया में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

➢ एचआरएम मॉड्यूल के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन मॉड्यूल, शिक्षा मंत्रालयः इनफ्लिबनेट सेंटर ने शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के एचआरएम कार्यालय के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन मॉड्यूल विकसित करने का काम पूरा किया। यह केवीएस अधिकारियों को केवीएस में मंत्रिस्तरीय कोटे की सीटें आवंटित करने के लिए निर्णय लेने में मदद करता है।

➢ अन्य संस्थागत वेबसाइट विकास और रखरखावः इनफ्लिबनेट सेंटर संस्थान की केंद्र को सौंपी गई परियोजना के एक भाग के रूप में कई भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों के विकास, प्रबंधन और होस्टिंग से लेकर रखरखाव तक करता है।

➢ **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट तथा ई–अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ ही इसकी विभिन्न योजनाओं, अनुदान प्रबंधन प्रणाली तथा ई–छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति अवार्ड पंजीकरण ट्रेंकिग प्रणाली (ई–एसएआरटीएस) का कार्य इनफ्लिबनेट को सौंपा है।

- **ई–अभिशासन@विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं :** इनफ्लिबनेट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त तथा विरासत वाले संस्थान, दूरस्थ शिक्षा आदि हेतु 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

- **दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के लिए वेबपोर्टल का विकास–विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः** इनफ्लिबनेट केन्द्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के लिए वेबपोर्टल का विकास किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वि.अ.आ.–डीईबी के सभी क्रियाकलापों का स्वचालन करना है

➢ **क्षमता निर्माण कार्यक्रमः**

अपनी स्थापना से ही, इनफ्लिबनेट केन्द्र विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों अर्थात् संगठन के भीतर और 'ऑफसाइट' कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, अब तक केंद्र ने 828 ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 62,974 पेशेवर प्रशिक्षित किए हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान, केंद्र ने 98 ऑनलाइन अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं जिनमें वेबीनार, जागरूकता तथा अन्य सहयोगात्मक कार्यक्रम शामिल हैं, आयोजित किए, जिसमें 18,232 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 886.11 लाख रुपये

5.9(vi) कन्सोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन (सीईसी)/मीडिया केन्द्र

कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के तहत 26 मई, 1993 को स्थापित एक अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसे शैक्षिक मल्टीमीडिया सामग्री विकसित करने और टेलीविजन, रेडियो, सीईसी गुरुकुल, वेब पोर्टलों और ऑफलाइन सहित विभिन्न पद्ध तियों के माध्यम से इसके प्रसार के द्वारा उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिदेशित है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक डिजिटल विषयवस्तु को तैयार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकी जनशक्ति के साथ देशभर में स्थित कंसोर्टियम सदस्यों के रूप में इसके 21 शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमआरसी) हैं।



ईएमआरसी की अवस्थिति

सीईसी के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्र तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं–

क. उत्पादन
ख. प्रचार–प्रसार
ग. आईसीटी परिवेश तैयार करना

क. फिल्म निर्माण

सीईसी तथा इसका मीडिंग केन्द्र, पाठ्यचर्या आधारित तथा विषय को समृद्ध बनाने (अनुपूरक शिक्षण हेतु) विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो, कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम चार बैंड/विषयों में विभिन्न विषयों को कवर करते हैं:–

1. भाषा/साहित्य/कला और संस्कृति
2. सामाजिक विज्ञान
3. प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर विषय
4. प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान

'कोर्सवेयर' ई–विषयवस्तु

सीईसी के पास लगभग 40249 शैक्षणिक वीडियो के ज्ञान का भण्डार उपलब्ध है। साथ ही, 23,441 ई–विषयवस्तु को उपर्युक्त उल्लिखित ज्ञान की चार विधाओं में 87 गैर–प्रौद्योगिकीय तथा स्नातकपूर्व (यूजी) विषयों में मुख्य रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में भी तैयार किया गया है। संपूर्ण संग्रह को डिजिटाईज किया जा रहा है ताकि वीडियो कार्यक्रम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और डिजिटल पद्धति से चलाया जा सके ताकि यह लंबे समय तक चले तथा सुवाह्य हो।

विषयवस्तु को समृद्ध बनाने वाले वीडियो

सीईसी तथा मीडिया सेंटर द्वारा कुल 19003 विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो तैयार किए गए थे जिनमें विभिन्न विषयों को अनुपूरक शैक्षणिक विषयवस्तु के रूप में कवर किया गया था।

शार्ट लर्निंग आब्जेक्ट्स (एसएलओ)

इन शैक्षणिक तथा विषयवस्तु को समृद्ध करने वाले वीडियो के अलावा, सीईसी ने कुल 19000 शार्ट लर्निंग आब्जेक्ट्स (एससीओ) तैयार किए है। यह अल्पकालिक वीडियो बेहतर शिक्षण अनुभव के साथ विभिन्न विषयों में पाठ्य तथा मल्टीमीडिया विषयवस्तु युक्त हैं।

वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)

सीईसी ने मौजूदा ई–विषयवस्तु में परिवर्तन कर तथा नई विषयवस्तु को तैयार कर 441 एमओओसी विकसित किए हैं। जनवरी–जुलाई, 2021 के एमओओसी सेमेस्टर के लिए, सीईसी ने 233,633 से अधिक पंजीकृत छात्रों के साथ स्वयं पर 123 स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर एसओओसी की पेशकश की है। इसके अलावा, सीईसी द्वारा जुलाई–दिसम्बर, 2021 सेमेस्टर के लिए स्वयं पर पहले ही 122 स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर एसओओसी नियत किए हैं।

नए स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर एसओओसी को संसाधित करना

क) मार्च, 2021 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं पोर्टल पर रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से कुल 294 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं पोर्टल पर रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुए पाठ्यक्रम प्रस्तावों को संसाधित किया गया।
ग) विकास हेतु कुल 15 पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया।

ख) प्रसार

आज, सीईसी देश में सबसे बड़ी डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु का भंडारगृह है जिसमें लाखों शिक्षार्थियों के लाभ के लिए व्यापक शैक्षणिक विषयवस्तु/कार्यक्रम के प्ररूप उपलब्ध हैं। ऐसी शैक्षणिक विषयवस्तु को तैयार किए जाने में कई गुना

बढोत्तरी हुई है बल्कि इसमें ज्ञान अर्जन के अधिक नवोन्मेषी प्ररूपों को भी शामिल किया गया है। देशभर में तथा विदेशों में स्थित शिक्षार्थियों की पहुंच में डिजिटल शैक्षणिक विषयवस्तु को लाने के लिए इसने एक विशिष्ट तथा विविध मीडिया प्लेटफार्म को विकसित किया है। आज सीईसी निम्नवत शिक्षण प्लेटफार्मों का उपयोग करता है:

सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर

सीईसी के लाइव लेक्चर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए जाते हैं जिन्हें व्यास चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाता है और लोकप्रिय वीडियो नेटवर्किंग साइट–यूट्यूब पर सीईसी यूट्यूब चैनल के रूप में भी उपलब्ध हैं। सीधे व्याख्यान को कला और साहित्य, प्रबंधन और व्यावसायिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, और प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में प्रसारित किए जाते हैं।

यह व्याख्यान, उभरते ज्ञान के क्षेत्रों, विषयों के बुनियादी सिद्धांतों और कॅरियर अभिविन्यास पर आधारित हैं। देश के विभिन्न भागों से शिक्षार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं और व्याख्यान के दौरान दिए गए निःशुल्क नंबर और ई–मेल के माध्यम से और प्रतिप्राप्ति दे सकते हैं।

स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल

उच्चतर शिक्षा पर स्वयं प्रभा–11 डीटीएच चैनल जिसे केवल सीईसी द्वारा ही चलाया जाता है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 33 डीटीएच शैक्षणिक चेनलों का बुके)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 जून, 2016 के पत्र संख्या एफ सं. 16–16/2012–टीईएल के माध्यम से गैर–प्रौद्योगिकीय स्नातकपूर्ण तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु स्वयं प्रभा प्लेटफार्म पर 10 सीईसी–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीटीएच चैनलों हेतु सीईसी को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है।

सीईसी तथा मीडिया केन्द्रों को निम्नवत चैनल आबंटित किए गए हैं:

चैनल संख्या/कोड	चैनल का नाम	कवर किए गए विषय	दर्शक (अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक)	यूट्यूब सब्सक्राइबर	उपलब्ध विषयवस्तु	नवीन विषयवस्तु	निर्धारित अवधि
सीईसी–वि.अ.आ. 01	वागीश	भाषा और साहित्य	1573727	15032	1000	शून्य	08
सीईसी–वि.अ.आ. 02	संस्कृत	इतिहास, संस्कृति और दर्शनशास्त्र	7015070	42177	1235	121	08
सीईसी–वि.अ.आ. 03	प्रबोध	सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान	776154	12243	750	85.5	08
सीईसी–वि.अ.आ. 04	सारस्वि	शिक्षा और गृह विज्ञान	803098	9038	1098	97	08
सीईसी–वि.अ.आ. 05	प्रबंधन	सूचना, संचार और प्रबंधन अध्ययन	1211560	16320	1500	02	08
सीईसी–वि.अ.आ. 06	ववधधक	विधि और विधि संबंधी अध्ययन	469707	7806	1477	01	08
सीईसी–वि.अ.आ. 07	कौटिल्य	अर्थशास्त्र और वाणिज्य	273794	5204	511	07	12
सीईसी–वि.अ.आ. 08	आर्यभट्	भौतिक और पृथ्वी विज्ञान	746390	12575	542	52.5	08
सीईसी–वि.अ.आ. 09	स्पंदन	जीव विज्ञान	823885	9962	850	शून्य	08
सीईसी–वि.अ.आ. 10	दक्ष	अनुप्रयुक्त विज्ञान	869604	11818	1730	15	08

चैनल संख्या/कोड	चैनल का नाम	कवर किए गए विषय	दर्शक (अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक)	यूट्यूब सब्सक्राइबर	उपलब्ध विषयवस्तु	नवीन विषयवस्तु	निर्धारित अवधि
सीईसी–वि.अ.आ. 21	व्यास	व्यास उच्चतर शिक्षा चैनल	**दर्शकों की संख्या:** 6,546,597 **देखे गए घंटे:** 670, 586	415166	11450	692	12

ऑनलाइन/वेब

1. **सीईसी लाइव लेक्चर्स** : प्रतिदिन 03 घंटों का सीधा तथा अंतर्क्रियात्मक व्याख्यान (वेब स्ट्रिमिंग और व्यास डीटीएच चैनल)
2. **सीईसी यू–ट्यूब चैनल** : आज सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक चैनल है जिसमें दो लाख से अधिक सब्सक्राइबर है तथा एक करोड़ से अधिक दर्शक हैं।
3. अपनी डिजिटल विषयवस्तु तक पहुंच को बढ़ाने के लिए, सीईसी ने अनेक वेब पोर्टल जैसे सीईसी, इनफ्लिबनेट, शिक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार के पोर्टल पर अपनी विषयवस्तु को उपलब्ध कराया है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

ईएमएमआरसी अहमदाबाद, चेन्नई, श्रीनगर, मैसूर तथा एमसीआरसी जामिया मिलिया सहित कुछ मीडिया केन्द्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाते हैं जहां शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा प्रसारित किए जाते हैं। ईएमएमआरसी चेन्नई, अन्ना विश्वविद्यालय, सामुदायिक रेडियो चलाने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था।

ग. आईसीटी परिवेश तैयार करना

सीईसी, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आईसीटी परिवेश तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/वीडियो प्रतियोगिताएं/प्रकृति फिल्म महोत्सव आयोजित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठकें, प्रशिक्षण/कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां

सीईसी ने मीडिया तथा आईसीटी के उपयोग के माध्यम से शिक्षा को विस्तार देने लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां आयोजित कर शिक्षाविदों तथा मीडिया पेशेवरों को एक ही प्लेटफार्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सीईसी, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षमता विस्तार प्रयासों के भाग के रूप में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है: यह विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों तथा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी अनुप्रयोग के लिए मीडिया केन्द्रो में कार्यरत शिक्षकों तथा मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा, अपने कर्मचारियों में इष्टतम उत्पादकता का संचार करने के लिए सीईसी मडिया केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो कि देशभर में विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। सीईसी अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसका उद्देश्य बेहतर उत्पादकता, सक्षमता तथा कार्यकुशलता है। सीईसी तथा ईएमआरसी, मीडिया प्रोडक्शन तथा प्रसारण के क्षेत्रों में मीडिया छात्रों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता कार्यक्रम की भी पेशकश करता है। कन्सोर्टियम ई–शिक्षण सामग्री को तैयार करने तथा अध्यापन में इसे अंगीकार करने में अध्यापक प्रशिक्षण भी आरंभ करता है। शैक्षणिक विषयवस्तु के विकास के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से 2000 से अधिक शिक्षक, सीईसी के साथ संसाधन के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके साथ–साथ सीईसी विख्यात एजेन्सियों जैसे कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए), मीडिया लैब एशिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्रीलंका सरकार, **एशिया पैसेफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी), क्वालालम्पुर, मलेशिया आदि के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसने समय–समय पर देश–विदेश में सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों को आयोजित किया है/उनमें भागीदारी की है।**

- डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के ईएमआरसी में 28 और 29 जनवरी, 2021 को वृहद पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। सीईसी और ईएमआरसी, डिब्रूगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में संयुक्त निदेशक (एच/डब्ल्यू), सीईसी, ईएमआरसी, पुणे के निदेशक और अन्य सीईसी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में एमओओसी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने, विकास के लिए दिशानिर्देश, एमओओसी के वितरण में सर्वोत्तम पद्धति और वित्तीय मानदंडों आदि को शामिल करने वाले विभिन्न सत्र संपन्न हुए। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री लेखन और शिक्षाशास्त्र, एमओओसी में प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर मुद्दों, एमओओसी में 'रनिंग असेसमेंट और ओपन सोर्स एमओओसी प्लेटफॉर्म' और 'स्वयं' पोर्टल की विशेषताओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में लगभग 80 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला निदेशक सीईसी, संयुक्त निदेशक (एच/डब्ल्यू), संयुक्त निदेशक (एस/डब्ल्यू) और सीईसी के अन्य अधिकारियों ने 03 और 04 फरवरी, 2020 को अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में आयोजित 101वीं समन्वय समिति/निदेशक की बैठक में भाग लिया।
- एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर (ईएमआरसी), पुणे ने निर्माण एसटीए के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया। यह प्रशिक्षण 'विजुअल डिजाइन बेसिक्स फॉर क्रिएटिंग एजुकेशनल मल्टीमीडिया' शीर्षक के अंतर्गत संपन्न किया गया था और अक्तूबर, 2020 माह में प्रत्येक शुक्रवार को चार सत्रों में आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला में प्रौद्योगिकी का अनुभव प्राप्त करने के लिए 'व्यावहारिक प्रशिक्षण' का एक घटक शामिल था।
- यह प्रशिक्षण ग्राफिक डिजाइनरों, निर्माण सहायकों, वीडियो तकनीशियनों और निर्माताओं के लिए दृश्य डिजाइन संकल्पनाओं से संबंधित था। इसमें टाइपोग्राफी, कलर स्कीम, बैकग्राउंड ग्राफिक्स और कंपोजीशन जैसे विषयों को शामिल किया गया था। हर सत्र के प्रशिक्षण के अंत में 'व्यावहारिक प्रशिक्षण' दी गई। प्रशिक्षण कार्यशाला को 'जूम' सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अन्य ईएमआरसी को प्रेषित किया गया था। कार्यशाला में विभिन्न ईएमआरसी के 25 से 30 एसटीए सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन डॉ समीर सहस्रबुद्धे (निदेशक, ईएमआरसी पुणे) द्वारा किया गया था और सत्रों के दौरान प्रत्येक विषय के लिए निर्माता द्वारा आयोजित किया गया था और ईएमआरसी, पुणे में टीम में असाइनमेंट प्रदान किए गए थे।
- सीईसी ने 59वें शिक्षक दिवस पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 'राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः एक शैक्षिक क्रांति' विषय को शामिल किया गया। इस अवसर पर सीईसी के निदेशक प्रो. जगतभूषण नड्ड़ा अन्य प्रसिद्ध शिक्षकों व शिक्षाविदों के साथ मुख्य अतिथि थे।
- सीईसी ने दिनांक 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के पर जागरूकता विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें कई शिक्षाविदों और शिक्षकों ने भाग लिया।
- ईएमआरसी कोलकाता ने दिनांक 26 और 27 सितंबर 2020 को एमओओसी की चुनौतियों, संभावनाओं और विकास पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला–एमओओसीओएलएलओक्यूयूआईयूएम का आयोजन किया। सीईसी के निदेशक प्रो. जगत भूषण नड्डा मुख्य अतिथि थे। संयुक्त निदेशक सीईसी, श्री नागेश्वर नाथ और अकादमिक समन्वयक डॉ. अस्मिता बख्शी ने एमओओसी के विकास और वितरण में विभिन्न पहलुओं को सत्रों में शामिल किया।
- सीईसी की शिक्षा समन्वयक, डॉ. अस्मिता बख्शी को दिनांक 15 मई 2020 को श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, हरियाणा में एमओओसी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी पर एफडीपी व्याख्यान श्रृंखला में सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- सीईसी की शिक्षा समन्वयक, डॉ. अस्मिता बख्शी को दिनांक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2020 तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 'एमओओसी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी पर एफडीपी लेक्चर सीरीज' में सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव

सीईसी वर्ष 1997 से एक वार्षिक वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव, प्रकृति, का आयोजन कर रहा है। दो दशकों से अधिक समय से, एक गैर–प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के रूप में 'प्रकृति' ने स्थानीय और राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं को शामिल करने, पुरस्कार प्रदान करने और उन्हें प्रत्यक्षतः प्रोत्साहित करने और प्रतिभा भंडार को सामने लाने के लिए संपूर्ण देश में आयोजित किया जाता रहा है, वर्ष 2019–20 में 'प्रकृति' एक प्रतिस्पर्धी के साथ–साथ एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन

गया, और इसकी पहुंच संपूर्ण दक्षिण–पूर्वी एशियाई क्षेत्र तक फैल गई है। 'प्रकृति' ने पर्यावरण, मानव अधिकार और विकास और स्वच्छ भारत की 4 श्रेणियों में प्रविष्टियाँ आमंत्रित कीं। तीन दिवसीय उत्सव का आयोजन हर वर्ष देशभर के विभिन्न संस्थानों/स्थानों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य, आईसीटी सक्षमकारी शिक्षा परिवेश तैयार करना और शैक्षिक विषयवस्तु के बारे में जागरूकता फैलाना है।

सीईसी ने दिसंबर, 2019 में प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की थी और इसके प्रत्युत्तर में 97 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। मानव अधिकार श्रेणी में थाईलैंड से एक प्रविष्टि प्राप्त हुई थी। सीईसी के निदेशक द्वारा गठित 'ज्यूरी ऑफ एमिनेंस' ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने के लिए सभी कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन किया और सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों का चयन किया।

पुदुचेरी विश्वविद्यालय में दिनांक 18–19 मार्च, 2020 को पुरस्कार–सह–स्क्रीनिंग समारोह का कार्यक्रम आयोजन करने हेतु नियत किया गया। तथापि, कोविड–19 महामारी फैलने के कारण उक्त समारोह का आयोजन नहीं हो सका।

सीईसी प्रतियोगिता 2019: 'एजूटून' और 'एजूराईट'

सीईसी ने एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता 'सीईसी प्रतियोगिता 2019: 'एजूटून' और 'एजूराईट' का शुभारंभ किया जिसमें देशभर से डिजिटल शिक्षा विषय पर कार्टून और लेख के रूप में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।

यह प्रतियोगिता वर्ष 2018 में पहली बार आयोजित की गई थी। यह जागरूकता को बढ़ावा देने, उनकी सराहना करने और अमुक दिशा में कार्य आरंभ करने के उद्देश्य से समानता, नैतिकता और पारिस्थितिकीय के शैक्षिक पहलुओं पर काम करने वाले लोगों का व्यापक गठबंधन तैयार करने की दिशा में एक कदम है। पुरस्कार में दो श्रेणियों में दिया गया नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र शामिल है:

- एडुटूनः डिजिटल शिक्षा के विषय पर शैक्षिक कार्टून।
- एडुराइटः डिजिटल शिक्षा के विषय पर शैक्षिक लेख। प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2020 थी।

सीईसी को दोनों श्रेणियों (एडूटून और एडूराइट) में 10 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं जिनमें समिति द्वारा प्रत्येक श्रेणी में 03 प्रविष्टियों का चयन 5000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये की राशि के क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किया गया था। सीईसी की वेबसाइट पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को परिणाम घोषित किए गए।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 4539.94 लाख रुपये

5.9(vii) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2014 को स्वतंत्रता भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के साथ ही अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आईयूसीटीई एक स्वायत्त निकाय है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 12(गगग) के तहत स्थापित किया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) का शुभारंभ किया। आईयूसीटीई का उद्देश्य पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) को प्रोत्साहित करना है जो अध्यापक, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, अध्यापक शिक्षक और उनके पेशे के विकास, पाठ्यक्रम, आंकलन और मूल्यांकन तथा प्रभावी अध्यापन के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने की परिकल्पना करता है।

• जून, 2021 तक कार्य की प्रगति

कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण कार्य की प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हुई। अधिकांश श्रमिक अपने पैतृक स्थानों/गांवों में होली पर्व पर चले गए, जो कोविड–19 लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण साइट पर आने को तैयार नहीं हैं। कोविड–19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से सामग्री के आवागमन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, हमने दिनांक 30 सितंबर, 2021 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

इसके अलावा, अब तक होने वाली प्रगति का विवरण नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	भवन का नाम	स्थिति	पूर्ण करने की लक्षित तिथि
1	अतिथि गृह सह बहुउद्देश्यीय भवन (जी+7)	• भवन हर प्रकार से पूर्ण हुआ और अग्नि षमन एनओसी के उपरांत प्रयोग के लिए तैयार होगा	पूर्ण
2	अकादमिक सह प्रशासनिक ब्लॉक (बी+जी+6)	• संरचना पूरी हुई • छठे तल ईंट लगाने का कार्य प्रगति पर है • अंतिम रुप दिए जाने, बिजली, अग्निशमन, नलसाजी आदि के कार्य जो प्रगति पर हैं	30.09.2021
3	आवासीय ब्लॉक (एस+6)	• संरचना पूरी हुई। • छठे तल ईंट लगाने का कार्य प्रगति पर है। • अंतिम रुप दिए जाने, बिजली, अग्निशमन, नलसाजी आदि के कार्य जो प्रगति पर है।	30.09.2021
4	निदेशक बंगला (जी+1)	• कार्यस्थल पर स्थान बेहद सीमित है और कंक्रीट का संयंत्र भवन के लेऑउट पर लगा हुआ है। • नींव के लिए खुदाई का कार्य दिनांक 25 मई, 2021 से आरंभ होगा।	30.09.2021

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय के.लो.नि.वि. के साथ–साथ दिन–प्रतिदिन के काम की निगरानी करता है और इस प्रतिबंध अवधि के दौरान भी प्रगति संतोषजनक है। के.लो.नि.वि. की रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख में वर्तमान समग्र वास्तविक प्रगति 75 प्रतिशत है और वित्तीय प्रगति 57.32 करोड रुपये है।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वेबिनार और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आमूल परिवर्तन

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी ने दिनांक 3 से 4 सितंबर, 2020 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा में आमूल परिवर्तन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. डी.पी. सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशानिर्देश और मार्गदर्शन साझा किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि ने सभी विशेषज्ञ वक्ताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020–21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे दिनांक 29 जुलाई, 2020 को शुरू किया गया। उन्होंने दिनांक 07 अगस्त, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर आयोजित सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर प्रकाश डाला। श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पर दोबारा बल देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के निष्कर्ष और विषयवस्तु को बदलना है और 'क्या सोचना है' से 'कैसे सोचना है' तक का प्रगतिशील बदलाव लाना है। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों के विकास में अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र की संभावित भूमिका है।

अपने संबोधन में, प्रो. डी.पी. सिंह ने शिक्षक शिक्षा के समग्र परिवर्तनकारी विकास के लिए ''बड़ा सोचो, बड़ा करो'' पर महामना के दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों को उद्धृत किया, अर्थात् ''शिक्षण एक पेशा नहीं, केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी का विकास करना है, एक मिशन है।''

''बहु–विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, संस्कृति और मूल्य'' विषय पर दूसरे तकनीकी सत्र में, मॉडरेटर, डॉ. हरे राम पांडे थे। विशेषज्ञ वक्ताओं में प्रोफेसर चंद किरण सलूजा, निदेशक (अकादमिक), संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, दिल्ली, स्वामी मेधानंद (अयोन महाराज), राम कृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल और प्रो. के.पी. पांडे, पूर्व कुलपति, एमजीकेवीपी, वाराणसी शामिल थे। उन्होंने बहु–विषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, संस्कृति और मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कई पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।

दूसरे दिन की शुरुआत ''शिक्षा में प्रौद्योगिकी'' विषय पर तकनीकी सत्र से हुई। डॉ. योगेश वेलंकर (शैक्षणिक सलाहकार, आईयूसीटीई) इस सत्र के संचालक थे। सत्र के विशेषज्ञ वक्ता प्रो. ए.के. बख्शी, संस्थापक वीसी, पीडीएम विश्वविद्यालय बहादुरगढ़, हरियाणा, प्रो. कन्नन एम मौदगल्या, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, मुंबई और प्रो अमरेंद्र बेहरा, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), एनसीईआरटी थे।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और महामना के शिक्षा मॉडल पर वेबिनार

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी ने दिनांक 05 सितंबर, 2020 को ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और महामना के शिक्षा मॉडल'' पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।

माननीय न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय, कुलपति, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय 5 सितंबर, 2020 को ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और महामना के शिक्षा मॉडल'' पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मानव संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के माध्यम से शिक्षकों के समग्र विकास की दिशा में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. हरे राम पांडे, परियोजना सलाहकार द्वारा मंगलाचरण के साथ की गई, इसके बाद अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के निदेशक प्रो. बी. के. त्रिपाठी ने अध्यक्षीय भाषण दिया, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा पर महामना की दृष्टि शाश्वत थी। बहुआयामी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति पर महामना के विजन और आदर्शों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उचित रूप से शामिल किया गया है।

भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय आयोजन सचिव प्रो. बालमुकुंद पांडेय इस वेबिनार के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने कहा कि महामना की शैक्षिक दृष्टि बहुत व्यापक है और इसमें मानव जीवन के सभी पहलु जैसे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक सह–अस्तित्व, महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा आदि शामिल हैं। प्रो. आशा राम त्रिपाठी, समन्वयक, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में महामना की शैक्षिक दृष्टि पर विशेष व्याख्यान दिया।

उन्होंने इस पर ध्यान आकृष्ट किया कि महामना ने हमेशा देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी उद्योगों और व्यवसायों के विकास और छात्रों के लिए सम्मानजनक नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. अनिल कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी मेहमानों, प्रतिभागियों और अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए बैठक

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने दिनांक 12 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा पर ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एक बैठक आयोजित की।

मुख्य समिति की बैठक के परिणाम

मुख्य कमेटी के सदस्यों द्वारा ''उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षकों और शिक्षण के लिए राष्ट्रीय ढांचा'' विकसित करने के लिए अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। यह पाया गया कि उच्चतर शिक्षा में इस तरह के ढांचे की अत्यधिक आवश्यकता है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में अनुशंसित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की सभी महत्वपूर्ण चिंताओं पर एक व्यापक दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है और समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। इस तरह के ढांचे में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- यह ढांचा सेवा पूर्व से लेकर सेवाकालीन शिक्षा से जीवनपर्यन्त शिक्षा तक उच्चतर शिक्षा संकाय के निरंतर व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस तरह की व्यावसायिक वृद्धि और विकास के दृष्टिकोण से संकाय को कई भूमिकाओं में अपने कैरियर मार्ग को दिशा देने और उत्तरदायित्व के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह संकाय को सक्रिय करने और प्रेरित करने के लिए विशेष बल देने और उपयुक्त जानकारी के साथ आदर्श कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सलाहकार के रूप में वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकायों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश हो सकते हैं जैसा कि राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) में प्रस्तावित है।
- पीएचडी छात्रों को भविष्य में संकाय के रूप में उनकी भूमिका हेतु 'मॉडल क्रेडिट' आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सहयोग हेतु तंत्र बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- महारत का प्रदर्शन करने, कौशल के उन्नयन और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए इस ढांचे में प्रमाणन और पुनः प्रमाणन के रूप में एक योग्यता तंत्र विकसित करना शामिल हो सकता है।
- समान व्यावसायिक विकास मानकों के संबंध में, यह ढांचा मॉडल सामग्री/दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि 21वीं सदी के सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्वों पर समेकित और व्यापक रूप से ध्यान दिया जाता है।
- इस ढांचे में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भाषा, संस्कृति और मूल्यों, शिक्षा में प्रौद्योगिकी में प्रगति, मानव और सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश, विज्ञान शिक्षण और क्षेत्र ज्ञान में प्रगति, अंतर–विषयक और बहु–विषयक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वेबिनारः प्राचीन ज्ञान प्रणाली और आधुनिक शिक्षा**

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई), बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: प्राचीन ज्ञान प्रणाली और आधुनिक शिक्षा पर दिनांक 22 सितंबर, 2020 को शिक्षक पर्व के अंतर्गत वेबिनार का आयोजन किया है।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल, राजस्थान श्री कलराज मिश्र मुख्य अतिथि थे। शुरुआत में उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ पढ़ी। उन्होंने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य 'समग्र, बहु–विषयक और भविष्य की शिक्षा' को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक रूप से, भारत अपनी असंख्य भाषाओं और बोलियों के साथ, सात शास्त्रीय नृत्य रूपों और दो शास्त्रीय संगीत रूपों, लोक कला की कई सुविकसित परंपराओं के साथ, जीवन के सभी क्षेत्रों में महान विविधता का उद्गम स्थल रहा है और रहेगा। विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध विरासतों को न केवल विकसित और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इनका प्रसार किया जाना चाहिए और इन्हें नए उपयोग में लाया जाना चाहिए। अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, जो उच्चतर शिक्षा में शिक्षक शिक्षा का एक शीर्ष निकाय है, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 185 वर्षों के बाद हमारी एक ऐसी नीति बनी है जो भारतीय शिक्षा के संबंध में वर्ष 1835 के मैकाले के कार्यवृत्त को पूरी तरह से नकारती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है।

प्रो. बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के कार्यान्वयन में संपूर्ण शिक्षण समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त के आलोक में अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ''उच्चतर शिक्षा में अच्छे शिक्षकों और शिक्षण के लिए राष्ट्रीय ढांचा'' विकसित कर सकता है।

प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने विशेष व्याख्यान दिया। अपने विचार–विमर्श में, उन्होंने यह कहा कि प्राचीन भारत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों की नींव रखकर मानव जाति की सभ्यता में व्यापक योगदान दिया हैः दर्शनशास्त्र, ध्वन्यात्मकता, भाषाविज्ञान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, संख्या सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, सूक्ष्मवाद के बौद्ध सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, औषध विज्ञान, जीवन विज्ञान, पदार्थों की गति, गुरुत्वाकर्षण बल, टेलीग्राफी विज्ञान, आयुर्वेद और योग। प्रो. सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। अपने विचार–विमर्श में उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों का उद्देश्य मुक्ति की ओर उन्मुख था और यह जीवन के भौतिकवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर उन्मुख नहीं था। इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक शिक्षा के सिद्धांतों के बीच संपर्क की गहराई से ज्ञान की एक एकीकृत संरचना के विकास की दिशा में कार्य होना चाहिए।

इस कार्यक्रम के अंत में, अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के प्रोफेसर आर.पी. शुक्ला ने वेबिनार के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, प्रो. रजनीश कुमार शुक्ला, कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, प्रो सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली और प्रो बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आयोजन समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया जिसमें डॉ जी.एन. तिवारी, डॉ अनिल तिवारी, डॉ योगेश वेलंकर, श्री अमरजीत सिंह, डॉ पारोमिता चौबे, डॉ. हिमांशु त्रिपाठी, डॉ. अनुश्री त्रिपाठी, डॉ अवधेश मिश्रा, श्री अनिल राय, श्री मोहनलाल, श्री अजय कुमार, सुश्री श्रृंगार सूद, श्री अशोक सिंह, श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, श्री जय चौरसिया, श्री बिजेंद्र सरकार, श्री फैज अहमद, श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव और श्री राजेश श्रीवास्तव शामिल हैं।

- **चालू वर्ष के दौरान अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप**

चालू वर्ष के शैक्षणिक कार्य के एक भाग के रूप में, हमारी अकादमिक टीम ने विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की और उन पर कार्य किया। अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय ने भी बैठकों, वेबिनार के दौरान चर्चा का लाभ उठाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और निम्नलिखित शैक्षणिक कार्य किए गए हैं

आधुनिक शैक्षिक प्रथाओं में एकीकृत करने के लिए भारतीय विरासत, स्वदेशी शैक्षिक प्रणालियों और परंपराओं से प्रेरणा लेना और उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के साथ जोड़ना

प्राचीन भारत ने *दर्शनशास्त्र, ध्वन्यात्मकता, भाषाविज्ञान, अनुष्ठान, व्याकरण, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, संख्या सिद्धांत, तर्कशास्त्र, जीवन विज्ञान, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग और वास्तुकला, चिकित्सा विद्या और योग* जैसे आवश्यक विषयों की स्थापना करके मानव जाति की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

युगों से, भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्भव हुआ। उच्च अध्ययन और ज्ञान की खोज के लिए विश्वभर से विद्वान इन संस्थानों में आए थे। यह संस्थान समय की कसौटी पर खरे उतरे, और बाद में विश्वभर में उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों की स्थापना को प्रभावित किया और इन संस्थानों ने प्राचीन भारतीय ज्ञान का प्रचार किया।

क. संस्थागत क्रियाकलाप

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, 2020: ''योगः घर और परिवार के साथ योग'' अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई) वाराणसी ने दिनांक 21 जून, 2020 को सिस्को वेबेक्स मीटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम का विषय ''योग @घर और परिवार के साथ योग'' था। प्रो. बी.के. त्रिपाठी, निदेशक, अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने योग पद्धतियों, जो स्वयं, मन और आत्मा को जोड़ती हैं, पर अपने विचार साझा किए। डॉ. हरे राम पांडे, सहायक प्रोफेसर, एमजीकेवीपी ने बुनियादी योग और प्राणायाम का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के सभी सदस्यों ने शपथ ली। अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग आसन दिवस'' आयोजित करने के लिए भारत के सह–आयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व भी किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2020 पर मलेशिया के पहले 12 घंटे के ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम में योग कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया।

- **राष्ट्रभक्तों को समर्पित संगीत संध्या**

अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र (आईयूसीटीई) बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी ने दिनांक 14 अगस्त, 2020 को सांय 5:00 से 7:00 बजे तक राष्ट्रभक्तों को समर्पित संगीत संध्या नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया।

वृक्षारोपण समारोह ''वृक्षारोपण'' के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बधाई

- प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सभी से एक ऐसी गतिविधि करके अपना जन्मदिन मनाने का आग्रह किया जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। इसलिए, इस बार निदेशक, अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र ने पौधे लगाकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने का विचार रखा। ये पौधे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि और आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद होंगे।
- दिनांक 17 सितंबर, 2020 को प्रो बी.के. त्रिपाठी द्वारा बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय के निदेशक के आवास पर वृक्षारोपण करके इसकी शुरूआत की, जिसके बाद अंतर्विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केन्द्र के प्रशासनिक कर्मचारियों ने इसमें योगदान दिया।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 2020.00 लाख रुपये

5.9(viii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु

इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसी–वाईएस) के लिए भूमि अधिग्रहण

इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसी–वाईएस) को दिनांक 27 जुलाई, 2018 को कर्नाटक गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट, 1960 के तहत पंजीकृत किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, आईयूसी–वाईएस का पता राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी), पीओ बॉक्स नंबर 1075, नगरभावी, राजराजेश्वरी नगर, बेंगलुरू–560072 है। संस्था के बहिर्नियम और नियम तैयार किए गए।

कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए दिनांक 17 मार्च, 2020 के एक निर्णय के अनुसार, आदेश संख्या ईडी/21/यूबीवी/2020 के तहत, कर्नाटक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 3(4) के तहत ज्ञानभारती परिसर, बेंगलुरू विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर 15 एकड़ जमीन को इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज, (आईयूसी–वाईएस), बेंगलुरु के लिए स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई थी।

वर्ष 2020–21 में आयोजित किए गए क्रियाकलाप

दिनांक 21 से 22 जून, 2020 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाला दो दिवसीय बेबिनारः "घर पर योग और परिवार के साथ योग"

विषय

1. **कोविड–19 रोगनिरोध के लिए आयुर्वेद और योग का सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण**
2. **मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग**
3. **इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भूमिकाएं**
4. **बढ़ते संक्रामक रोगों से संबंधित सामाजिक आर्थिक कारक**

प्राचीन योगिक पद्धतियों तथा अंतर्विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र (आईयूसी–वाईएस) के विषय में

योग को व्यापकरूप से सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का 'अमर सांस्कृतिक परिणाम' के रूप में लिया जाता है। ऐसा भारत में ही हुआ जहां योग प्रणाली को अपनी पूरी अभिव्यक्ति मिली। 'शाद दर्शन' (भारतीय दर्शन की छह प्रणालियों) में से एक के रूप में योग वेदों में सूक्ष्मता से अंतर्निहित है और साथ ही मानव विकास और उत्कृष्टता की दिशा में यह वैज्ञानिक प्रयास भी है। योग के विभिन्न भारतीय दर्शन, परंपराओं, वंशों और गुरु–शिष्य परंपरा के कारण विभिन्न पारंपरिक सिद्धांतों का उद्भव हुआ है। अब योग को भी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के अंतर्गत एक तत्व के रूप में दर्ज कर लिया गया है।

अंतर्विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र (आईयूसी–वाईएस), बेंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(गगग) के तहत एक स्वायत्त निकाय है। योग शिक्षा में नए ज्ञान का सृजन कर योग और योग विज्ञान के ज्ञान, पाठ्यक्रमों के तुलनात्मक अध्ययन को सुदृढ़ करने और योग के लाभ और उसके अभ्यास का प्रसार करने के उद्देश्य से अंतर्विश्वविद्यालयी योग विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है।

योग को बढ़ावा देने हेतु एक और प्रोत्साहन प्रदान करने, योग को दिशानिर्देश प्रदान करने और देश में उसके विकास को सतत् बनाने के लिए आईयूसी–वाईएस अनुसंधान संचालित करेगा और योग के साक्ष्य आधारित लाभ प्रदान करेगा तथा योग के प्राचीन पारंपरिक पाठ में तकनीकों का पता लगाएगा जिससे आधुनिक समाज के लाभ के लिए उन्हें अभिनव रूप से अपनाया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान, केरल, शांति निकेतन, अमरकंटक, इंफाल, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग स्थापित कर योग के उद्देश्य का समर्थन किया है।

वेबिनार के विषय में

कोरोनावायरस 19 (कोविड–19) महामारी अनेक पहलुओं में विशिष्ट और अभूतपूर्व है, विशेषरूप से तनाव में वृद्धि और खतरनाक श्वास रोगों के जोखिम के अनुसार खराब मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को चुनौती दी है। कोविड–19 मामलों की बढ़ती संख्या अनिवार्य 'सोशल डिस्टेंसिंग' उपायों के कारण अकेलेपन और अवसादग्रस्तता में पड़ी संगरोध वाली आबादी के भीतर तनाव और चिंता में वृद्धि हुई।

चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत, ''रोकथाम इलाज से बेहतर है'' का आयुर्वेद और योग के सहक्रियात्मक प्रभावों में सुलभता से उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद की कालजयी कृति चरकसंहिता महामारी प्रबंधन का वर्णन करती है और प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को रोग से बचाव और इसकी प्रगति को रोकने तथा होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित करती है।

संक्रमण सहित विभिन्न तनावों से निपटने के लिए मन और शरीर की शक्ति के निर्माण की अवधारणा आयुर्वेद पद्धति का आधार है। सार्स–सीओवी–2 संक्रमण के जोखिम को कम करने और 'ऐड–ऑन' उपचार के रूप में चिकित्सीय प्रबंधन के पूरक के रूप में कार्य करने हेतु, कोविड–19 की रोकथाम और उपचारोपरांत प्रबंधन के लिए उपयोगी गृह–आधारित पद्धतियाँ भारतीय लोगों के लिए लिए आशाजनक और स्थायी समाधान प्रदान करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के विषय में

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और 170 से अधिक सदस्य देशों–जो किसी भी आम सभा के प्रस्ताव के रूप में अब तक की सबसे अधिक संख्या है, के समक्ष संकल्प प्रस्तुत किया गया दिनांक 21 जून, 2015 का 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)' रूपी संकल्प ने अब एक वैश्विक आयोजन का रूप ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने विश्वभर, विशेषरूप से अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों, में एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है।

आईयूसी–वाईएस, इस अभूतपूर्व समय के दौरान छठे आईडीवाई 'घर पर योग और परिवार के साथ योग' के विषय पर वर्तमान महामारी की चुनौतियों पर विचार करने के लिए इस वेबिनार के माध्यम से विशेषज्ञों को शामिल करने की योजना बना रहा है।

5.10 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

1. **क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई**
2. **वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई**
3. **इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला**
4. **एमएसटी राडार सेन्टर, एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति**

5.10(i) क्रिस्टल विकास केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

- **केंद्र की वैज्ञानिक उपलब्धियां**

एक नया ऑक्साइड सेमीकंडक्टर गैलियम ऑक्साइड ($जीए_2ओ_3$) अल्ट्रा–हाई वोल्टेज स्विचिंग अनुप्रयोगों में बिजली उपकरणों के लिए एक आदर्श पदार्थ होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए $जीए_2ओ_3$ उपकरणों की श्रेष्ठता कम ऊर्जा खपत के साथ कम लागत पर पिघलाकर बनाए गए थोक क्रिस्टल से निर्मित सस्ती देशी सब्सट्रेट्स की उपलब्धता पर आधारित है। गैलियम ऑक्साइड गलनांक लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए, पिघलाकर बनाने की तकनीक द्वारा गैलियम ऑक्साइड के एकल क्रिस्टल विकसित करना संभव है। मिलीमीटर–से–माइक्रोमीटर आकार के बीटा–$जीए_2ओ_3$ क्रिस्टल संबंधी रिपोर्टों के लिए बी–एक्सिस के साथ विकसित करने को तरजीह दिया जाना उत्तरदायी है।

बीटा–$जीए_2ओ_3$ क्रिस्टल (100) और (001) के साथ दो दरार वाली सतहें का प्रदर्शन करते हैं जिससे संवर्धन के साथ–साथ सब्सट्रेट्स तैयार करने के दौरान अत्यंत कठिनाई होती है। हालांकि, आकार में वृद्धि के साथ बीटा–$जीए_2ओ_3$ में माइक्रो–ट्विनिंग प्रस्तुत करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ डिग्री के क्रम में क्रिस्टल की दिशा में एक यादृच्छिक विचलन होता है। यह काटने के दौरान क्रिस्टल के स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ जाने की शुरुआत होती है जब वह अभ्रक की तरह टूटने लगे और इसके कारण लंबे समय से एक वांछित आकार और दिशा में क्रिस्टल के प्रसंस्करण में बाधा आती रही है। क्रिस्टल संरचना के अलावा, बीटा–$जीए_2ओ_3$ एकल क्रिस्टल का विकास दो अतिरिक्त कठिनाइयों को सामने लाता है। पहला 1800 डिग्री सेल्सियस का इसका उच्च गलनांक है और दूसरा इसका अपचय अपघटन ($जीए_2ओ_3$) (अपघटित होकर $जीए_2ओ_. आ_2$) और बाद में इसके घटकों से जुड़ा उच्च वाष्प दबाव है। पिघलने से बीटा–$जीए_2ओ_3$ के संवर्धन के लिए एक इरिडियम क्रूसिबल के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो धीरे–धीरे संक्षारक गलन द्वारा डाला जाता है। हालांकि, उच्च गलनांक आक्साइड के मामले में कई समस्याएं हैं–पहला, ऑक्साइड गलन की आक्रामकता/प्रतिक्रियाशीलता और ऑक्सीकरण के परिवेश की अपेक्षा के कारण क्रूसिबल, जिसमें गला हुआ पदार्थ शामिल होता है, को एक उत्कृष्ट धातु का होना चाहिए। आमतौर पर, यहां प्लैटिनम (ऑक्साइड के लिए तापमान $\leq$ 1450 डिग्री सेल्सियस) अथवा इरिडियम (तापमान $\leq$ 2250 डिग्री सेल्सियस) लगाए जाते हैं। जबकि प्लैटिनम क्रूसिबल से संवर्धन हवा में किया जा सकता है, इरिडियम क्रूसिबल का उपयोग करते हुए गैसीय वायुमंडल की ऑक्सीजन लगभग 02 से 03 प्रतिशत तक सीमित हो जाता है (जैसा कि आमतौर पर उच्च गलनांक वाले $जीए^{3+}$ गार्नेट विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है) क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इरीडियम की प्रतिक्रिया अस्थिर $आईआरओ_2$ बनाती है।

इसलिए, चोक्राल्स्की विधि के उपयोग के लिए संवर्धन वातावरण के भीतर वाष्पीकरण को एक सु–परिभाषित ऑक्सीजन भंगुरता के माध्यम से दबा दिया जाता है। इरीडियम क्रूसिबल के नुकसान से बचने के लिए इस ऑक्सीजन की मात्रा 02 से 03 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीटा–जीए2ओ3 के चोक्राल्स्की संवर्धन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि एक विस्तृत तापमान सीमा के भीतर विकास के वातावरण में ऑक्सीजन के एक छोटे लेकिन सतत्रूप से मिश्रण का रखरखाव हो।

इसलिए, जिन प्रक्रियाओं के संवर्धन के दौरान क्रूसिबल की जरूरत होती है, उनमें चोक्रास्ल्की या ईएफजी या अन्य गलन संवर्धन प्रक्रियाओं द्वारा संवर्धन की प्रक्रिया का अनुकूलन करना वास्तव में मुश्किल होता है। इरिडियम क्रूसिबल के उपयोग से बचने और $ओ_2$ युक्त वातावरण द्वारा वाष्पीकरण को बेहतर नियंत्रित करने के लिए, फ्लोटिंग जोन (एफजेड) तकनीक का उपयोग किया जाता था। फ्लोटिंग जोन तकनीक प्रयोगशाला–के स्तर के अध्ययन के लिए ऑप्टिकल हीटिंग के कारण क्रिस्टल की 10 से 15 मि.मी. की सीमा के साथ बहुत उपयोगी होगी। इसलिए, बीटा–$जीए_2ओ_3$ के विकास के लिए फ्लोटिंग जोन प्रक्रिया के आधार पर उपयुक्त विकास प्रणाली विकसित करने और उचित वातावरण के साथ–साथ विकास प्रक्रिया के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिस्टल को अनुकूलित करने का प्रस्ताव है।

ऐसे अनेक मानदंड हैं जिन्हें फ्लोटिंग जोन तकनीक द्वारा एकल क्रिस्टल विकास के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसलिए, ऑप्टिकल लैंप, फीड रॉड कॉम्पैक्टनेस, वातावरण, फ़ीड और सीड की रोटेशन दर, सीड के खिंचवा की दर आदि को प्रदान की जाने वाली शक्ति के संबंध में फ़ीड की गलन की विशेषताओं को समझने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। सीड ('अम्ब्रेला' से बचते हुए) से संवर्धन के दौरान नेकिंग एक महत्वपूर्ण परिघटना होती है। विकास की स्थिति $जीए_2ओ_3$ के अस्थिर प्रकारों की वाष्पीकरण दर और उगाए गए क्रिस्टल की स्थिरता को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। विकास प्रक्रिया को चार्ज की कम वाष्पीकरण दर के लिए अनुकूलित किया गया था जिससे हम अधिक स्थिर विकास प्रक्रिया, चिकनी क्रिस्टल सतह और दरार कम होने की प्रवृत्ति, ट्विन और/अथवा सर्पिल गठन की ओर जाते हैं। प्रारंभिक विकास रन के साथ इन मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए कई प्रयास किए गए थे।

शुद्ध बीटा–जीए$_2$ओ$_3$ एकल क्रिस्टल के विकास के लिए बीस से अधिक ग्रोथ रन किए गए थे। अनुकूलित स्थितियों के साथ उत्पन्न किए गए बीटा–जीए$_2$ओ$_3$ एकल क्रिस्टल विकास तिथियों के साथ हाइलाइट किए गए हैं।

- **सबस्ट्रेट्स तैयार करना:**

चूंकि उत्पन्न किए गए क्रिस्टलों को एसएसपीएल पर वायर सॉ क्रिस्टल कटिंग मशीन का उपयोग करके काटा गया था, एक्स–रे गोनियोमीटर के माध्यम से उन्मुख स्लाइस के लिए प्रयास किए गए थे। एसएसपीएल, दिल्ली में मौजूदा क्रिस्टल ओरिएंटिंग, कटिंग और पॉलिशिंग सुविधाओं का उपयोग उत्पन्न की गई सामग्रियों के प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए किया गया था। एसएसपीएल में तैयार किए गए क्रिस्टल से वेफर्स की 'केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग' की गई है।

- **विकसित वेफर्स का लक्षण वर्णन:**

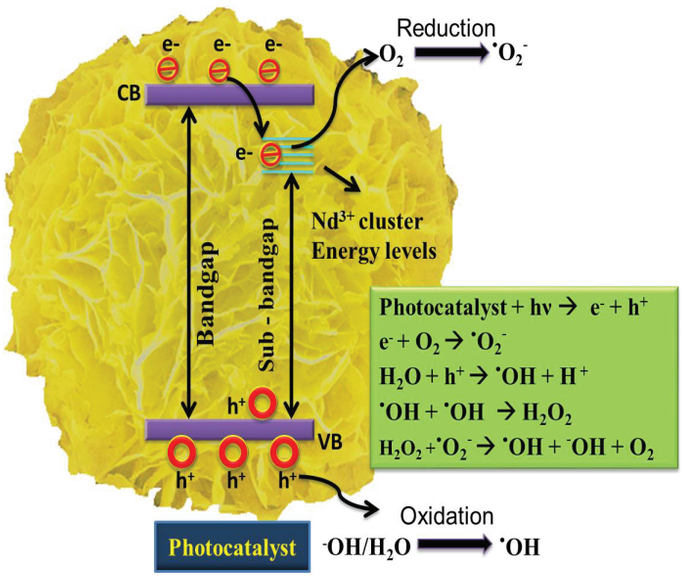
एक्स–रे विवर्तन, यूवी–विजिबल, रमन और अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण का उपयोग करके उत्पन्न किए गए क्रिस्टलीय वेफर्स के प्रारंभिक लक्षण वर्णित किए गए थे। एक्स–रे विवर्तन के नतीजे अधिक आशाजनक हैं और कम दोषों के साथ एकल क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं। एक्स–रे के नतीजों से ग्रोथ ओरिएंटेशन की भी पुष्टि हुई। 'पोल' आंकड़ा यह दर्शाता है कि (100) प्लेन भौतिक सतह से लगभग 12° झुका हुआ है। जीए$_2$ओ$_3$ वेफर के लिए दर्ज रॉकिंग कर्व से संकेत मिलता है कि (100) तल का एफडब्ल्यूएचएम 0 से 42 डिग्री है और (100) तल भौतिक सतह से लगभग 12 अंश तक झुका हुआ है (जो कि गलत झुकाव है)। यूवी–विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी परिणामों के माध्यम से अच्छा ऑप्टिकल ट्रांसमिशन देखा गया। विकास प्रक्रिया के फीडबैक के लिए एनीलिंग के साथ–साथ पुराने नमूनों के साथ आगे विश्लेषण आवश्यक हैं।

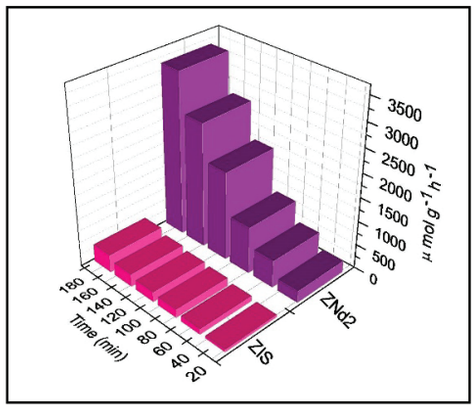
उद्देश्य:

- जल बंटवारे के लिए फोटोएक्टिव सामग्री/कंपोजिट द्वारा सौर विकिरण/फोटो गतिविधि के उपयोग को प्रदर्शित करना।
- ठोस ऑक्साइड ईंधन कोशिकाओं के लिए एमआईईसी कैथोड सामग्री विकसित करना।

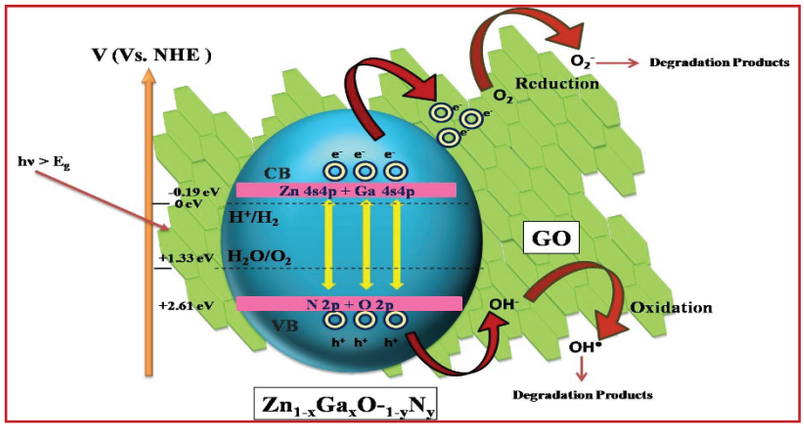
दृष्टिकोण:

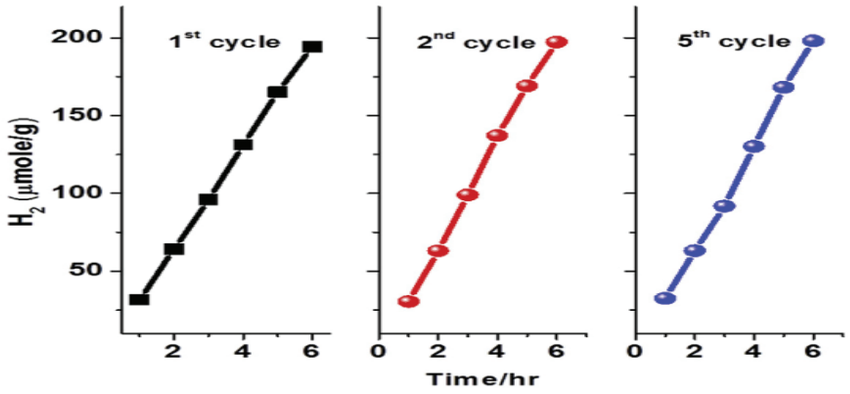
- यूवी के अलावा दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करके फोटोएक्टिविटी के लिए संभावित कैंडिडेट्स के रूप में बहुघटक प्रकाश संवेदनशील सामग्री/कंपोजिट का डिजाइन।
- विकसित सामग्री का उपयोग करके व्यवहार्य हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया (सह–उत्प्रेरक के बिना वरीयता के साथ) का प्रदर्शन करना।
- एसओएफसी के लिए कैथोड सामग्री के रूप में कंपोजिट और मिश्रित इलेक्ट्रॉनिक आयनिक यौगिकों का विकास।





एन$_{डी}$ डोप किए गए जेडएनआईएन$_2$ एस$_4$ से एच$_2$ उत्पादन दर





दृष्यमान प्रकाश प्रदीपन के अंतर्गत जीए$_{1-x}$जेडएन$_x$ओ$_{1-z}$एन$_z$ ठोस विलयन का बैंड संरचना और एच$_2$ उत्पादन प्रोफाइल

जीएएन नैनोवायर्स का उपयोग करते हुए नए डिस्पोजेबल नाइट्रिक ऑक्साइड बायोसेंसर का निर्माण

- जीएएन नैनोवायर्स प्लैनर जीएन फिल्म के सापेक्ष एक आयामी नैनोस्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण सतह–चालकता के साथ एक अद्वितीय नैनोमटेरियल के लिए विशिष्ट बड़ी सतह से मात्रा अनुपात प्रदर्शित करते हैं।
- रासायनिक और उष्मीय स्थिरता।
- नॉनटॉक्सिक, बायोकम्पेटिबल।

नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए सेल्युलर गतिविधियां

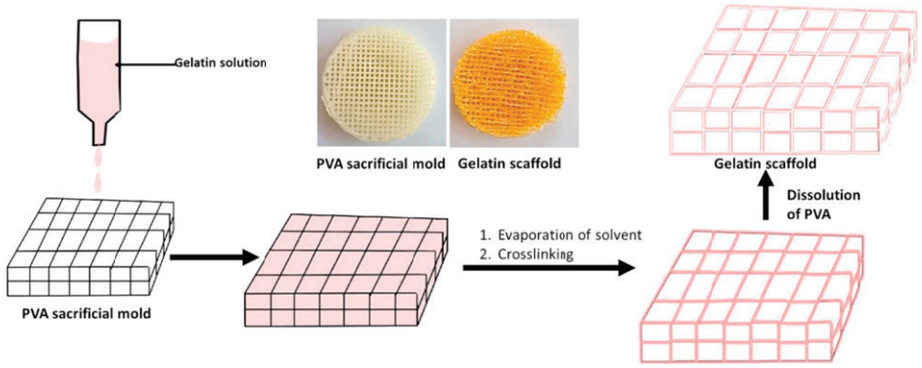
- मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के बीच जानकारी प्रसारित करके स्मृति और व्यवहार में मदद।
- बैक्टीरिया से लड़ने और ट्यूमर के खिलाफ बचाव में प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता।
- धमनियों को विस्तृत कर रक्तचाप को ठीक करना, सूजन को कम करना।
- निद्रा की गुणवत्ता में सुधार।
- अपनी इंद्रियों की पहचान क्षमता (जैसे गंध) को बढ़ाना।

➢ जैव पदार्थ तथा संबंधित स्कैफोल्ड का विकास

क) स्थिर जैव अनुकूल पैंटिबल जिलेटिन स्कैफोल्ड की सैक्रीफिशियल मोल्ड समर्थित 3–डी प्रिंटिंग

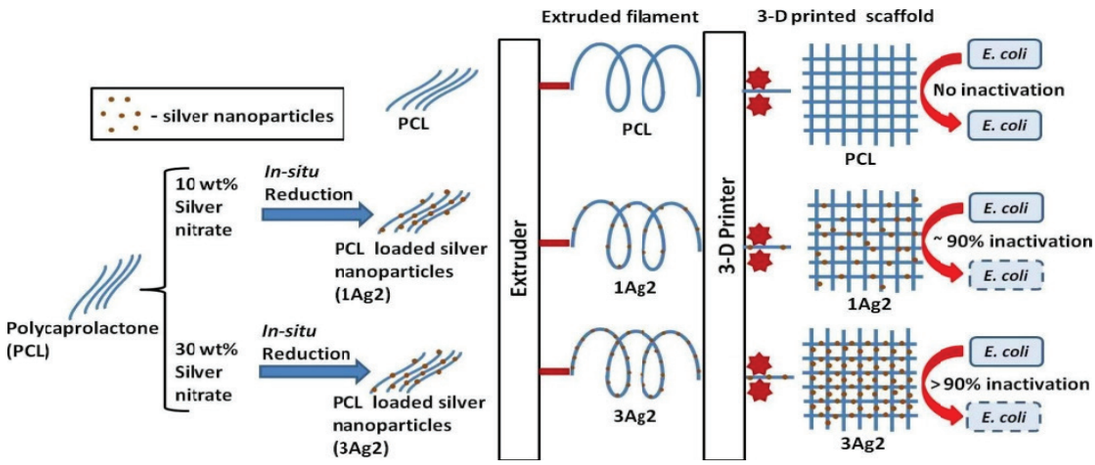
जिलेटिन अपनी जैव अनुकूलता, बायोडिग्रेडेबिलिटी और रासायनिक संरचना के कारण एक अनोखा और आकर्षक जैव पदार्थ है जो एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स की नकल करता है। सबसे उपयुक्त आर्किटेक्चर के साथ जिलेटिन स्कैफोल्ड की इंजीनियरिंग ऊतक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक अनुकूलित जिलेटिन स्कैफोल्ड 3–डी मुद्रित पॉलीविनाइल अल्कोहल (पीवीए) सैक्रिफिशियल मोल्डों का उपयोग करके गढ़े जाते थे। स्कैफोल्ड के ट्यूनेबल पोर का आकार 350 से 1200 माइक्रॉन तक प्रदर्शित हुआ।

जिलेटिन पीएडी के प्रभाव का 'जिलेटिन स्कैफोल्ड पोरस' संरचना तथा इंटरकनेक्टिविटी पर फिल डेंसिटी में भी विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, फास्फेट बफर सेलाइन विलयन में जिलेटिन स्कैफोल्ड स्थिरता और उनकी फूलने की क्षमता ने यह दर्शाया कि वे प्रभावी रूप से क्रॉस लिंक्ड थे। स्कैफोल्ड साइटोकंपैटिबिलिटी और इन स्कैफोल्ड्स पर अच्छे सेल अटैचमेंट और प्रसार से स्पष्ट हुआ कि सैक्रिफिशियल मोल्ड–समर्थित 3–डी प्रिंटिंग बायोमेडिकल का यह दृष्टिकोण अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलन योग्य जिलेटिन स्कैफोल्ड के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।



इस अध्ययन से पता चलता है कि सैक्रिफिशियल मोल्डों की सतर्क इंजीनियरिंग ट्यूनेबल पोर आकार और ऊतक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त संरचना के साथ जिलेटिन स्कैफोल्ड का निर्माण संभव करता है। अंत में, यह अध्ययन सैक्रिफिशियल मोल्ड–समर्थित 3–डी प्रिंटिंग का उपयोग करके स्थिर आपस में जुड़े हुए छिद्रपूर्ण जिलेटिन स्कैफोल्ड विकसित करने की एक विधि प्रदान करता है। इसके अलावा, विभिन्न दूसरे बायोपॉलिमर या सिंथेटिक पॉलिमर का उपयोग करके अनुकूलित स्कैफोल्डस के निर्माण के लिए इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सकता है। मानव अंग अपने स्कैफोल्ड मैट्रिक्स में कई बायोपॉलिमरिक संरचना के साथ–साथ ग्रैडिएंट संरचना प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जटिल स्कैफोल्ड्स के संश्लेषण के लिए सैक्रिफिशियल मोल्ड तकनीक का उपयोग करके प्रयास किया जा सकता है। तंत्रिका ऊतक पुनसृजन में सुधार और बहुलक आधारित कणों का संचालन करने के लिए प्राप्त किया गया विद्युत सिमुलेशन अत्यधिक जैव संगत हैं। इस तरह के कणों को सैक्रिफिशियल मोल्ड समर्थित तकनीक का उपयोग करके प्रवाहकीय स्कैफोल्ड के निर्माण हेतु बायोपॉलिमर के साथ मिलाया जा सकता है। यह स्कैफोल्ड्स चिकित्सकीय अणुओं के साथ लोड किए जा सकते हैं और घाव को ठीक करने और त्वचा ऊतक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।

ख) उतक इंजिनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए 3–डी प्रिंटेड एंटीमाइक्रोबायल पॉलीकैप्रोलैक्टोन स्कैफोल्ड्स का निर्माण



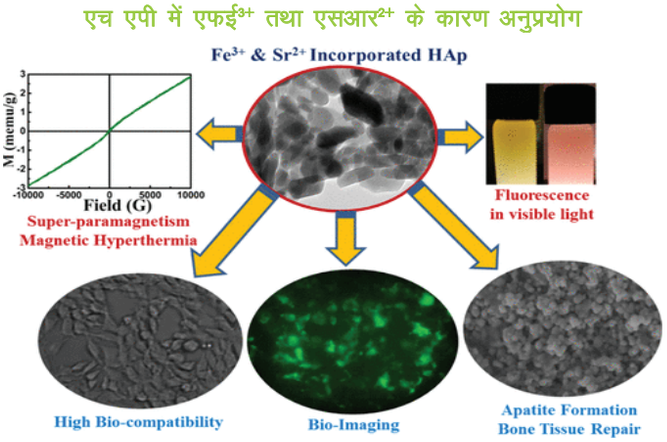
कृत्रिम पॉलिमर अपने 'ट्यूनेबल' भौतिक गुणों और जैव अनुकूलता के कारण व्यापक रूप से अस्थि ऊतक इंजीनियरिंग के लिए लगाए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, इनमें से अधिकांश पॉलिमर खराब रोगाणुरोधी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अस्थि चिकित्सा प्रक्रिया में विफलता अथवा देरी के लिए प्रत्यारोपण के स्थान पर संक्रमण एक प्रमुख कारण है और ऐसे में एंटीमाइक्रोबियल

पॉलिमर का विकास अत्यधिक वांछित होता है। इस अध्ययन में, सिल्वर नैनोकणों (एजीएनपी) को पॉलीकैप्रोलैक्टन (पीसीएल) विलयन में 'इन–सीटू' रिडक्शन द्वारा संश्लेषित किया गया था और उसके बाद पीसीएल/एजीएनपीएस फिलामेंट्स में बाहर निकाला गया था। 3–डी प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से पीसीएल/एजीएनपीएस फिलामेंट्स का उपयोग करके अनुकूलित 3डी संरचनाओं को बनाया गया था। जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्कैनिंग द्वारा प्रदर्शित किया गया था 3–डी मुद्रित स्कैफोल्ड्स परस्पर जुड़ी हुई संरचनाओं का प्रदर्शन किए। इसके अलावा, एक्स–रे फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण से सिल्वर आयनों की कमी का पता चला। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ–साथ ऊर्जा–प्रसारक एक्स–रे स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण ने पीसीएल मैट्रिक्स में सिल्वर के नैनोकणों के गठन की पुष्टि की। इन विट्रो एंजाइमेटिक क्षरण अध्ययनों से पता चला है कि पीसीएल/एजीएनपीएस स्कैफोल्ड्स ने 20 दिनों में 80 प्रतिशत गिरावट प्रदर्शित की। स्कैफोल्ड्स साइटोकम्पेटिबल थे, जैसा कि एचएफओबी कोशिकाओं का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया था और एस्चेरिचिया कोलाई पर उनकी जीवाणुरोधी गतिविधि का प्रदर्शन किया गया था। उनकी परस्पर जुड़ी हुई छिद्रित संरचना, यांत्रिक और जीवाणुरोधी गुणों के कारण ये साइटोकंपैटिबल मल्टीफंक्शनल 3–डी प्रिंटेड पीसीएल/एजीएनपीपी स्कैफोल्ड अस्थि ऊतक इंजीनियरिंग के लिए अत्यधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं।



चित्र–3–डी प्रिंटेड पॉलीकैप्रोलैक्टोन स्कैफोल्ड्स (स्केल बार 1 से.मी. का निरुपण करता है)

ग) सेल इमेजिंग अनुप्रयोगों के लिए टॉक्सिक ऑयन फ्री रिसोंबेबल मैग्नेटिक कैल्शियम फॉस्फेट में वैकेंसी इंड्यूस्ड दृश्यमान प्रकाश निर्देशित प्रदीपन



अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव तकनीकों के संयोजन का उपयोग करके एफई^{3} और एसआर^{2} शामिल करते हुए एक वर्सेटाइल कैल्शियम फॉस्फेट (सीएपी, बायोएक्टिव, सुपरपरामैग्नेटिक और फ्लोरोसेंट) का संश्लेषण किया गया था। एचएपी में एसआर^{2} डोपिंग के साथ एफई^{3} का सम्मिलन माइक्रोवेव हीटिंग द्वारा प्राप्त किया गया था। पॉउडर एक्सआरडी और एफटी–आईआर परिणामों ने नमूने के एचएपी होने की पुष्टि की, जो आगे थर्मल ट्रीटमेंट (800 डिग्री सेल्सियस) पर

बीटा–टीसीपी चरण में बदल जाता है। एफई^{3} के सम्मिलन पीओ$_{4}$ साइटों पर ऑक्सीजन रिक्तियों और चार्ज कंपेसेशन के लिए एक पूरे ओएच रिक्ति जैसी कमियां उत्पन्न करता है। ऊंचे तापमान (800 और 1000 डिग्री सेल्सियस) पर कुछ एफई^{3} ऑयन एसिड फॉस्फेट (एचपीओ 4) के गठन के माध्यम से आंशिक रूप से सीए^{2} आयनों का प्रतिस्थापन करते हैं। एचएपी नैनोकणों में नकारात्मक जीटा क्षमता होती है और 600 डिग्री सेल्सियस तक का थर्मल ट्रीटमेंट नियंत्रण नमूने की तुलना में हाइड्रोडायनामिक कण के आकार को कम कर देता है। जैसा कि चुंबकीय मूल्यों में वृद्धि से पुष्टि हुई है, थर्मल ट्रीटमेंट द्वारा एचएपी में आयरन की प्रविष्टि सुपरपरामैग्नेटिक व्यवहार में सुधार करती है। ऑप्टिकल अध्ययनों ने साबित कर दिया कि 550 एनएम पर उत्सर्जन प्रबल होता है और थर्मल ट्रीटमेंट ऑप्टिकल रिस्पांस को कम नहीं करता है। बीटा–टीसीपी (सीएपी के बीच एक अत्यधिक रिजार्बेबल चरण) में प्रतिदीप्ति भी विषाक्त धातु आयनों या यूवी और आईआर उत्तेजन का उपयोग किए बिना प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, नैनोकणों में संरचनात्मक स्थिरता होती है और वे सामान्य कोशिकाओं के लिए अत्यधिक जैव संगत होते है। वर्तमान अध्ययन पीओ$_{4}$ साइटों पर ऑक्सीजन रिक्तियों के निर्माण के माध्यम से सीएपी के मजबूत प्रतिदीप्ति गुणों, थर्मल ट्रीटमेंट पर बेहतर चुंबकीय गुण, अस्थि निर्माण क्षमता, और उत्कृष्ट जैव अनुकूलता, का पता चलता है जो बहुआयामी जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों में नैनोकणों की क्षमता का संकेत देते हैं। एफई^{3} और एसआर^{2} कोडोप्ड (विषाक्त ऑयन मुक्त) सीएपी में डिफेक्ट उत्सर्जन की उच्च रिप्रोड़यूसिबिलिटी नैनोपार्टिकल ट्रैकिंग और सेल इमेजिंग अनुप्रयोगों में एक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

5.10(ii) वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए वि.अ.आ. के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1977 में की गई। इसका पूर्ण वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूआरआईसी एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य करती है जिसके शासी निकाय के पदेन सदस्य मुम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और वि.अ.आ. द्वारा अब इसे इंस्ट्रूमेंटेशन में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करना है।

- **माइक्रोकंट्रोलर विकास**

के.जे. सोमैया महाविद्यालय के प्रशिक्षु विद्यार्थियों के लिए इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर:-

1. 03 कंप्यूटरों पर विंडोज 10 इंस्टॉल किया गया।
2. माइक्रो–कंट्रोलर 8051 के (केईआईएल, आईएसपी प्रोग.), एटमेगा 32 के (एटीएमईएल एसवाईयूडीआईओ5, एक्ट्रीम बर्नर) आर्डुइनो के (आर्डुइनो 1.8.8) सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए।
3. इंटरफेस बोर्ड के साथ सभी तीन किट्स की जांच की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए खरीदे गए किट:

1. आईआर, एलडीआर, एमक्यू6 के अलग–अलग मॉड्यूल।
2. एट्मेगा 32 और आर्डुइनो के लिए अनुषंगी उपकरण।

पीसीबी आर्टवर्क डिजाइन और टेस्टिंग

1. डिजिटल क्लॉक सर्किट
2. फ्रीक्वेंसी काउंटर सर्किट
3. सिंगल डिकेड काउंटर सर्किट
4. फैन रेग्यूलेटर

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित कीं। इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूआरआईसी और विभिन्न शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच एक सशक्त तरीके से बातचीत हुई है जिससे सभी को लाभ हुआ है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल और ऑप्टिकल (माइक्रोस्कोप और अन्य) उपकरणों की मरम्मत की। विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक	स्थान	लक्षित व्यक्ति	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	मरम्मत किए गए उपकरण
1.	एनलिटिकल और प्रयोगशाला उपकरणों के रखरखाव की कार्यशाला	राष्ट्रीय महाविद्यालय, बांद्रा मुंबई	शिक्षक तकनीविद्	दिनांक 08 से 12 फरवरी, 2021	40	149
2.	प्रयोगशाला उपकरणों के रखरखाव के लिए कार्यशाला	डी.वाई. पाटील महाविद्यालय ऑफ फार्मेसी मुंबई	शिक्षक तकनीकीविद्	17 से 20 मार्च, 2021	25	150

केंद्र के डीएंडडी डिवीजन द्वारा भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम (रूसा द्वारा आयोजित) की तैयारी की।

– सामग्री

– प्रस्तुतीकरण का प्रवाह

– किए जाने वाले प्रयोग

- **उपकरणों की जांच और अंशशोधन**

डब्ल्यूआरआईसी के पास विभिन्न प्रकार के अंशशोधन मानक उपकरण हैं जिनका उपयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठन और उद्योगों से विभिन्न प्रकार के उपकरणों के अंशांकन के लिए किया जाता है। रिपोर्ट अवधि के लिए अंशशोधन हेतु प्राप्त 66 उपकरणों में से 62 उपकरणों को अंशशोधित किया गया था और 04 उपकरणों को उपयोगकर्ताओं को वापस कर दिया गया था क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी।

- **उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव**

डब्ल्यूआरआईसी देश के विभिन्न महाविद्यालयों संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल और ऑप्टिकल उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान 20 उपकरणों की मरम्मत की गई।

- **ऑप्टिकल और ग्लॉस ब्लोइंग**

डब्ल्यूआरआईसी मुंबई विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विभागों के अन्य ऑप्टिकल उपकरणों को प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप के निर्माण कार्य और मरम्मत/सर्विसिंग में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन उपकरणों की मरम्मत करते हैं।

- **पुस्तकालय और सूचना सेवा**

पुस्तकालय में अब कुल पुस्तकों की संख्या 4539 है। डब्ल्यूआरआईसी कर्मचारियों के अलावा पुस्तकालय सुविधाओं का परियोजना के छात्रों और अन्य लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया गया।

इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू किया गया है और स्टॉफ सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। इससे कई पूर्ण पाठ ई–पत्रिकाओं अन्य संबंधित दस्तावेजों और सौर पैनल सौर सेल फोटोवोल्टिक सौर सिम्युलेटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सर्किट आदि के बारे में आवश्यकता आधारित जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।

दौरे:

एम्बेडेड माइक्रोकंट्रोलर में डब्ल्यूआरआईसी प्रशिक्षण क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए विभिन्न विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक का दौरा किया।

केन्द्र को शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत जारी किया गया कुल अनुदान = 530.92 लाख रुपये

5.10(iii): भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 56वें वर्ष में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उच्च शोध एवं विद्वतापूर्ण चिंतन–मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 35 अध्येताओं का आवासीय समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं यह समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसियेटों को संपूर्ण देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से चुना जाता है और वे इस अकादमिक परिवेश से लाभान्वित होने के साथ–साथ वे यहां के अंतर्विधा संस्कृति से काफी कुछ सीखते हैं।

➢ केन्द्र का उद्देश्य

केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम में तीन बुनियादी घटक होते हैं: (i) एसोशिएटशिप की योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, और (iii) शिमला में संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

➢ आईयूसी एसोशिएट 2020–21

वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी तथा देश के विभिन्न राज्यों में लगे लॉकडाउन/कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण केवल चार (4) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षक अर्थात् 2 महिलाएं (सामान्य श्रेणी–2) तथा 2 पुरूष (सामान्य श्रेणी–1 और अपिव–1) ने मार्च, 2021 के माह में आईयूसी एसोशिएट के रूप में संस्थान का दौरा किया।

सभी एसोशिएट, जिन्होंने संस्थान का दौरा किया, उन्होंने आईयूसी कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। आईआईएएस, एसोशियेट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुडे रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने में; (घ) एक पत्र लिखने के लिए उपयोग करते है जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत करें; (ङ) संस्थान के अध्येताओं तथा यदा–कदा देश–विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढ़ंग से व्यतीत करते हैं। एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं।

एसोशिएट ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लिया, जोकि संस्थान के नियमित क्रियाकलाप हैं। एसोशिएट जो संस्थान का दौरा करते हैं उन्हें अपनी पसंद के एक विषय में संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुति देनी होती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 04 आईयूसी एसोशिएट ने दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान अपनी प्रस्तुतियां दी।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ले.(डॉ.) प्रियंका वैद्य, मार्च, 2021 के लिए वि.अ.आ.–आईयूसी एसोशिएट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक 'लॉक डॉउन डायरी' का दिनांक 24 मार्च, 2021 को विमोचन किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आईयूसी एसोशिएट द्वारा निम्नवत प्रस्तुतियां दी:

मार्च, 2021

- डॉ अमित मिश्रा: भारत में बच्चों और महिलाओं की मानव तस्करी (दिनांक 23 मार्च, 2021)
- डॉ बुलबुल गुप्ता: ट्रांसजेंडर वर्ल्ड एंड द सेंट्रीलिटी ऑफ ह्यूमन एजेन्सी (दिनांक 23 मार्च, 2021)
- डॉ सूरज कुमार: साहित्य आधारित हिन्दी सिनेमा में लेखक, निर्देशक, और दर्शक का त्रिकोन (दिनांक 23 मार्च, 2021)
- डॉ प्रियंका वैद्य: सार्वभौमिक योग के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान: स्वामी विवेकानंद का अध्ययन (दिनांक 23 मार्च, 2021)

➢ प्रकाशन

संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के आईयूसी के तहत एक द्विवार्षिक जर्नल ''मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन (एसएच एंड एसएस)'' प्रकाशित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एक पत्रिका प्रकाशित की गई है और एक प्रकाशनाधीन है।

1. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन (एसएच एंड एसएस), खंड XXV, शीतकालीन 2018, संपादकः प्रोफेसर एम.वी. नारायणन (प्रकाशनाधीन)।
2. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्ययन (एसएच एंड एसएस), खंड XXVI, संख्या 1, ग्रीष्मकालीन 2019, संपादकः प्रोफेसर शरद देशपांडे।

➢ प्राधिकारी

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक, केंद्र के भी निदेशक हैं। केंद्र में एक शिक्षा समिति है जिसके निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, जो सभी शैक्षिक मामलों पर परामर्श देती है। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षाविदों से मिलकर बनी समिति वर्ष में कम से एक बार बैठक करती है। केंद्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, समन्वय समिति है जिसमें वि.अ.आ. के अध्यक्ष इसके सभापति तथा आईआईएएस के निदेशक इसके सह–सभापति हैं।

5.10(iv) एमएसटी राडार केन्द्र, तिरूपति

केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी. राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडार तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति में वि.अ.आ.–एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान–प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

➢ उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं:

- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान में क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र शोध और मौलिक अभिकलनात्मक कार्य और ऐसे शोध करने के लिए अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में आदान–प्रदान के दौरों के लिए मंच की पेशकश करता है, ताकि भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय ऐसे सहयोग से लाभान्वित हो सके।
- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय भौतिकी के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों और शोध अध्यवेत्ताओं के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र, एमएसटी राडार और इन सुविधाओं के अवस्थिति के विशेष संदर्भ में अन्य एमएसटी राडार और सह–स्थानिक उपकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमंडलीय गतिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यक्रम का समन्वय करने में सहायता करता है।
- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र विशेषकर एमएसटी राडार और अन्य सहस्थिति सुविधाओं से प्राप्त बड़ी मात्रा में संसाधित डॉटा में से वायुमंडलीय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े व्यापक राष्ट्रीय डाटा/अभिलेख को सुव्यवस्थित करता है।

- वि.अ.आ.–एसवीयू केन्द्र भारतीय आक्षांश पर मध्य वायुमंडल के लिए मॉडल तैयार करने और उसे अद्यतन करने में सहायता करता है। परिणामस्वरूप, ऐसे मॉडलों और डाटा के प्रयोग से आईएमडी और अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों को पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है।

पांच पीएच.डी. उपाधियां प्रदान की गई।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान अंतराष्ट्रीय जर्नलों (एनएआरएल के सहयोग से) में अनेक पत्र प्रकाशित किए गए थे।

➢ **किए गए कार्यों की मुख्य विशेषताएं**

(i) 'इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ एटमोस्फियरिक ग्रेविटी वेव्स् इन द मारर्टियन एटमॉस्फियरः इफेक्ट्स ऑफ द 2018 प्लेनेट एनसर्किलिंग डस्ट इवेंट'।

(ii) 'इंटरेक्शन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम, एन ऑफ शोर ट्रफ, एंड मिड ट्रोपोस्फियरिक ड्राई एयर इन्ट्रूजन': वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़।

(iii) 'सेंस्टिविटी टू इनिशियल कंडीशन ऑन द सिम्यूलेशन ऑफ एक्स्ट्राट्रोफिकल साइक्लोन 'गांग', जोकि उत्तरी एटलांटिक पर बना था।

5.11 विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2014 के दौरान विश्वविद्यालयों में खेल अवसंरचना और उपस्करों के विकास की योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है जिससे एक ऐसा व्यापक खेल आधार वाला पिरामिड तैयार हो सके जिससे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश को गौरव दिलाने के लिए भाग लेने हेतु पर्याप्त खिलाड़ी मिल सकें। विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए। योजना के उपयुक्त उल्लिखित उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए, योजना को निम्नवत पेशकश करने के लिए डिजाईन किया गया है। उपर्युक्त योजना के यथा उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना निम्नलिखित की पेशकश करने के लिए तैयार किया गया है:

क) विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए पर्याप्त खेल अवंसरचना के निरन्तर विकास हेतु चरणबद्ध सहायता;

ख) अवसंरचना और उपकरण के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट खेल में छात्र के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।

ग) जैसा कि चरण एक में उल्लेखित है, सभी पात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बशर्ते उनका प्रस्ताव एक विधिवत् रूप से गठित समिति द्वारा ठीक पाया जाए। तत्पश्चात् अनुदान को चरण–II अथवा III तक बढ़ाया जाना, जैसा भी मामला हो, पहले ही प्रदान किए गए अनुदान/संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के मद्देनजर किया जाएगा; और

घ) इस योजना का संपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर उचित निगरानी करते हुए चरण–वार तरीके से अवसंरचना के विकास हेतु व्यवस्था करना है।

विश्वविद्यालयों से 101 खेल प्रस्ताव प्राप्त हुए। विशेषज्ञ समिति ने 69 प्रस्तावों की सिफारिश की।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012–2017) के दौरान 92.32 करोड़ रुपये के कुल आबंटन के समक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान 1.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया था।

वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को 106 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

5.12 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में संस्कृत का विकास

वि.अ.आ. ने संस्कृत के विकास के लिए रूपरेखा का सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया। समिति ने मुख्य विशेषज्ञ–समिति द्वारा की गई कुल 23 सिफारिशों में सबसे आवश्यक सिफारिशों का चयन किया। कुल सात करोड़ रुपये का बजट अनुमानित है। समिति की सिफारिशों को दिनांक 18 फरवरी, 2021 को हुई बैठक में आयोग के समक्ष रखा गया था। आयोग ने समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया।

5.13 शिक्षण और ज्ञान अर्जन की मिश्रित पद्धति

आयोग ने दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित अपनी 547वीं बैठक में शिक्षण की मिश्रित पद्धति पर चर्चा की। यह तय हुआ कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक पाठ्यचर्या ('स्वयं' पाठ्यक्रम के अलावा) के 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम तक ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पढ़ाने की अनुमति दी जाए और संबंधित पाठ्यक्रमों का शेष 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑफलाइन पद्धति से पढ़ाया जाए। 40 प्रतिशत ऑनलाइन और 60 प्रतिशत ऑफलाइन, दोनों प्रकार के शिक्षण की परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति आयोजित की जाएं। यह प्रावधान 'स्वयं' पाठ्यक्रमों के लिए अनुमत ऑनलाइन शिक्षा के 40 प्रतिशत से अधिक का किया जाए। 'स्वयं' पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं अनिवार्य रूप से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएं। वि.अ.आ. ने शिक्षण के मिश्रित माध्यम पर 'संकल्पना टिप्पण' तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार शिक्षण के मिश्रित पद्धतियों पर 'संकल्पना टिप्पण' का मसौदा वि.अ.आ. की वेबसाइट पर दिनांक 20 मई, 2021 को अपलोड किया गया था जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। हितधारकों से प्राप्त विचारों के आधार पर 'संकल्पना टिप्पण' के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए अभी अंतिम बैठक की जानी शेष है।

5.14 वर्क इंटीग्रेट लर्निंग प्रोग्राम

आयोग ने दिनांक 09 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 548वीं बैठक में बिट्स, पिलानी को अपने डब्ल्यूआईएलपी को जारी रखने की अनुमति देने के लिए शक्तिप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमति प्रदान दी। तथापि, इस संबंध बिट्स, पिलानी को वि.अ.आ. द्वारा जब कभी भी दिशानिर्देश जारी किए जाएं तो उनका कड़ाई से पालन करना होगा। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

अध्याय 6 ➤ शोध को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
6.3 पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी. हेतु)
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां
6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम

उच्चतर शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया, जो किसी शिक्षार्थी में कौशल का संचार करता है और भी सुदृढ़ होता है यदि इसे शोध के साथ समेकित किया जाए। शोध इस प्रक्रिया को जीवंत और प्राणवान बनाता है। शोध संवर्धन के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षकों तथा छात्रों को स्पर्धा आधारित वित्तपोषण योजना में भाग लेने के लिए अभिविन्यास कर शोध उत्पादकता में वृद्धि करने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सत्तर के दशक के पूर्वार्द्ध से ही विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शोध परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

शोध, जिज्ञासु मन को जीवंत और ज्ञान को अद्यतन रखता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक को तीन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है–शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण आधार हैं। सत्तर के दशक के बाद से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। किसी शिक्षक द्वारा स्वयं अथवा शिक्षकों के समूह अथवा समग्ररूप से किसी विभाग द्वारा शोध परियोजना को आरंभ किया जा सकता है। इसे सत्तर वर्ष की आयु के किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करने के समय प्रार्थी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं हो। अंतर्विधायी शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आयुविज्ञान, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान विषयों में वृहद शोध परियोजनाओं में **सहायता की राशि** 20.00 लाख रुपये और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, साहित्य, कला, विधि और अनुप्रयुक्त विधाओं में 15.00 लाख रुपये है। वृहद शोध परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता में परियोजना के लिए उपकरण, पुस्तकें और जर्नल, रसायन और उपभोज्य, आकस्मिताएं, यात्रा और क्षेत्र कार्य, भाड़े पर ली गई सेवाएं, परियोजना अध्येताओं को अध्येतावृत्ति तथा परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदें शामिल हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान 42 लाभार्थियों को कुल 0.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

तालिका 6.1 वर्ष 2020–21 के दौरान वृहद शोध परियोजनाओं के लिए जारी किए गए अनुदानों (करोड़ रुपये में) का ब्योरा

विषय	कुल लाभार्थी	सहायता अनुदान–सामान्य (31)			पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)			एनईआर सामान्य (31)			एनईआर पूंजीगत (35)			कुल
		सामान्य	अ.ज.	अ.ज.जा.	सामान्य	अ.ज.	अ.ज.जा.	सामान्य	अ.ज.	अ.ज.जा.	सामान्य	अ.ज.	अ.ज.जा.	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (एचआरपी)	15	0.15	--	--	--	--	--	0.03	--	--	--	--	--	0.18
विज्ञान शोध (एसआर)	27	0.21	0.07	--	--	--	--	0.09	--	--	--	--	--	0.37
कुल	**42**	**0.36**	**0.07**	**–**	**–**	**–**	**–**	**0.12**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**0.55**

6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक

शोध अवार्ड:

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डॉक्टोरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किये दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य करने हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लाटों पर चयन किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान 15.74 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

शोध वैज्ञानिक:

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था ताकि विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान में तीन स्तरों पर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

क) शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)
ख) शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)
ग) शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

वर्ष 2020–21 के दौरान 8.64 लाख रुपये का व्यय हुआ।

6.3 पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3(i): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य डॉक्टोरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 332 लाभार्थियों पर 17.58 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पीएच.डी. उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जो पूर्णकालीन आधार पर विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पोस्ट–डाक्टोरल शोध करने की इच्छुक हैं, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 434 लाभार्थियों पर 19. 19.26 करोड़ करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य संगत विषयों में पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित भाषाओं में उन्नत अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 200 लाभार्थियों को 7.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.3(iv): डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/चिकित्सा/अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए एक विनिर्दिष्ट वेबसाइट ***ugcdskpdf.unipune.ac.in*** है। व्यक्ति विशेष से आवेदन की प्राप्ति पर चयन प्रक्रिया को छह माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने या तो पीएचडी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपने पीएचडी शोध प्रबंध जमा कर दिये हैं वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं।

वित्तीय सहायता (दिनांक 01 जनवरी, 2019 से संशोधित)

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप	47,000 रुपये प्रतिमाह	49,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह
हॉयर पोस्ट डाक्टोरल फेलोशिप	54,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह	54,000 रुपये प्रतिमाह
आकस्मिक राशि	1,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष	1,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष	1,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष
मकान किराया भत्ता	शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2019 के क.ज्ञा. के अनुसार मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाता है।		

जनवरी, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)। **वर्ष 2020–21 के दौरान 797 पीडीएफ को 49.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।**

6.3(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के निकट प्रतिभाशाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान योगदान को जारी रखने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना'' आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति की आयु के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रतिभावान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

वित्तीय सहायता

योजना के तहत 50,000/–रुपये प्रतिमाह (पेंशन और/अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और 5,00,000/–रुपये प्रतिवर्ष (वार्षिक आधार पर) का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अनुसंधान अनुदान का उपयोग उपकरणों, कंप्यूटर/लैपटॉप, प्रिंटर, रसायनों, कांच के बर्तन और उपभोग्य सामग्री की खरीद, आकस्मिक राशि, परियोजना/तकनीकी सहायक की सेवाएं प्राप्त करना, क्षेत्र कार्य, यात्रा (भारत के भीतर) आदि के लिए किया जा सकता है ।

पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वचनपत्र निष्पादित करना होगा और समय–समय पर इस अध्येतावृत्ति से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। **वर्ष 2020–21 के दौरान 101 बीएसआर संकाय अध्येता को 7.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।**

6.3(vi) एमेरिटस अध्येतावृत्ति

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सत्तर वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में सक्रिय शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता, शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में किए गए शोध और प्रकाशन के कार्य की गुणवत्ता पर आधारित है। इस योजना के तहत किसी भी दिए गए एक समय पर विज्ञान विषय के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए 100 स्लॉट हैं (कुल 200 स्लॉट हैं)। वर्ष 2020–21 के दौरान 14 एमेरिटस अध्येताओं को 0.07 करोड़ जारी किए गए।

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)

6.4(i) विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ) प्रदान किया जाना

इसका उद्देश्य ऐसे विद्वानों को उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने का अवसर प्रदान करना है जिससे उन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को जेआरएफ प्रदान करता है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/जेआरएफ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच वर्ष की है।

दिनांक 01 जनवरी, 2019 से जेआरएफ/एसआरएफ अध्येतावृत्ति की दर क्रमशः 25,000/– से बढ़ाकर 31,000/– रुपये तथा 28,000/– से बढ़ाकर 35,000/– रुपये कर दी गई है। अन्य निबंधन और शर्तें, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
सहचर/पाठक सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से।	
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

योजना के प्रभावः–

1. समाज के कमजोर वर्गों को शोध हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
2. सभी विधाएं जैसे विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि योजना के तहत कवर हैं।
3. योजना के तहत शोध और व्यावहारिक ज्ञान के सभी आयाम आधारित शोध।
4. स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में शोध की उपयुक्तता और संगतता को योजना के तहत अंगीकार किया जा रहा है।

योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)
1.	2020-21	1061.34	9,400

वर्ष 2020–21 के दौरान विज्ञान, मानविकी तथा समाजिक विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 24319 लाभार्थियों को 1061.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में, कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 24,257 (लगभग) लाभार्थी एम.फिल./पीएच.डी. कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसम्बर, 2012 से जेआरएफ/एसआरएफ (वि.अ.आ. नेट जेआरएफ योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी) के खातों में तथा दिसम्बर, 2013 से (वि.अ.आ. –सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों) तथा दिनांक 01 जुलाई, 2016 से जेआरएफ तथा एसआरएफ के पिछले मामलों तथा नए प्रवेशकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से सीधे ई–भुगतान के माध्यम से अध्येतावृत्ति संवितरण आरंभ कर दिया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नवत उपलब्धियां रहीं हैं:–

1. सभी मामले प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण योजना के अंतर्गत लाए गए हैं।
2. वर्ष के दौरान 24,257 जेआरएफ/एसआरएफ को अध्येतावृत्ति भुगतान अंतरण किया गया है।
3. अक्तूबर, 2018 से पोर्टल पर मासिक भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है।
4. जेआरएफ और एसआरएफ नेट उत्तीर्ण करने वाले विद्वानों की संशोधित अध्येतावृत्ति का बकाया भुगतान विद्वानों के खाते में संवितरित कर दिया गया है।
5. केनरा बैंक पोर्टल पर डाटा को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के लिए एक प्रशिक्षण संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

6.4(ii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृतियां

इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता:

अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति का होना चाहिए और उसे स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। चयन अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी को एमफिल/पीएचडी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है । चयन वर्ष 2018–19 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–वि.अ.आ.–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 3986 लाभार्थियों को 133.07 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (i) बौद्ध (ii) ईसाई (iii) जैन (iv) मुस्लिम (v) पारसी और (vi) सिक्ख के चयनित अभ्यर्थियों को देश में विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रत्येक वर्ष 1000 स्लॉट हैं।

पात्रता:

क) व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन– किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

ख) सीबीएसई/एनटीए–वि.अ.आ.–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए और उसे विश्वविद्यालयों/शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विज्ञापन के अनुसार अध्येतावृत्ति के उपबंधों के अध्यधीन उस विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रवेश की शर्तों को पूरा करते हुए नियमित और पूर्णकालिक आधार पर एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।

ग) लाभार्थी/अथवा लाभार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 2348 लाभार्थियों को 97.10 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता:

अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए और उसने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा लाभार्थी/लाभार्थी के माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही एमफिल/पीएचडी के लिए पंजीकरण हैं, वे उक्त योजना के तहत अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे। चयन वर्ष 2019–20 से चयन के लिए सीबीएसई/एनटीए–वि.अ.आ.–नेट/सीएसआईआर–नेट परीक्षा को पहले उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता :

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप	

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1235 लाभार्थियों को 43.25 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(v): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

वर्ष 2014–15 में आरंभ की गई यह योजना ऐसी एकल बालिकाओं पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है। इस योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिकाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाना और समाज में छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देना है। अब तक, प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसलिए, सभी पात्र आवेदक अध्येतावृत्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं ताकि वे अनुसंधान कर सकें जिससे उन्हें पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः–

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 28,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
सहचर/पाठक सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से।	सभी विधाओं के लिए
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	सभी विधाओं के लिए

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 263 लाभार्थियों को 13.78 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4(vi): बीएसआर अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु शोध अध्येतावृत्ति, ''बीएसआर अध्येतावृत्ति योजना'' ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों/उच्च अध्ययन हेतु केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित विशेष सहायता वाले विभागों में पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु चयनित हैं। प्रवेश उपरांत पीएच.डी. पंजीकरण कराया जाएगा। बीएसआर योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। बीएसआर अध्येतावृत्ति को वर्ष 2016 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– नेट अध्येतावृत्ति के साथ आमेलित कर दिया गया है।

वित्तीय सहायताः

गैर–गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 21,700/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 24,800/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार
गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रभावी)
आकस्मिक राशि	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से; और अगले तीन वर्षों के लिए 25,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से (दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी)
मकान किराया भत्ता	सभी किस्तों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार

दिसम्बर, 2013 से अध्येतावृत्ति प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से संवितरित की जाती है (जहां अध्येतावृत्ति सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है)। **वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 703 जेआरएफ/एसआरएफ को 15.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।**

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5(i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को वर्ष 2011–12 से आरंभ

किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि दो/तीन वर्ष है। स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

एम.टेक. छात्र	7,800 रुपये प्रतिमाह की दर से
अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम	4,700 रुपये प्रतिमाह की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए अध्येतावृत्ति हेतु प्राप्त हुए कुल 998 आवेदनों में से अंतिमरूप से 806 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 909 मौजूदा लाभार्थियों को 1.64 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.5(ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:

इस योजना का उद्देश्य एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा को सहायता प्रदान करना तथा छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना।

यह योजना स्नातकोत्तर षिक्षा सत्र 2006–07 से आरंभ की गई थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका और जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक निष्णात पाठ्यक्रम (गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। चूंकि यह एक प्रोत्साहन योजना है इसलिए, प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सभी पात्र आवेदक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	36,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2020–21 हेतु अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कुल 3016 अभ्यर्थियों में से अंतिमरूप से 2846 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। **वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 3709 मौजूदा लाभार्थियों को 13.03 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।**

6.5(iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

इस छात्रवृत्ति को वर्ष 2006–07 में प्रतिभा को पोषित करने तथा स्नातकपूर्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने तथा स्नातकोत्तर अध्ययन को जारी रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। स्नातकपूर्व स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय रैंक धारक जिन्हें किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना ऐसे छात्रों पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो। प्रत्येक वर्ष 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	37,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। वर्ष 2020–21 के लिए अध्येतावृत्ति हेतु प्राप्त हुए कुल 949 आवेदनों में से अंतिमरूप से 899 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। **वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1731 मौजूदा लाभार्थियों को 5.71 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।**

6.5(iv) गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है। गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को पूर्णकालिक/नियमित आधार पर भारत में विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। छात्रवृत्ति को वर्ष 2016–17 में आरंभ किया गया था।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

ब्योरा	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति (गेट/जी.पी.ए.टी. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक)	प्रतिमाह 12,400/– रुपये की दर से	केवल दो वर्ष
छात्रवृत्ति (प्रथम सेमेस्टर में 60 प्रतिशत से कम अंक)	प्रतिमाह 1,550/– रुपये की दर से	

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1839 लाभार्थियों को 21.70 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6(i) उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि दिखाई है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा सत्र 2014–15 से इस योजना को आरंभ किया है। योजना आरंभ करने से पूर्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार, केन्द्र तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों, शिक्षा मंत्रालय, उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर–पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया।

इस योजना के तहत, प्रत्येक वर्ष 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की व्यवस्था है। एनईआर के अधिवास धारक छात्र, जिन्होंने बारहवीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, उत्तर–पूर्व में स्थिति किसी विद्यालय तथा किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है तथा जिन्होंने सामान्य उपाधि कार्यक्रम, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम (जिसमें समेकित पाठ्यक्रम भी शामिल हैं) सहित तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों, अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/संस्थान, जो पूर्वोत्तर में अथवा पूर्वोत्तर से इतर अन्य राज्यों स्थित हों, में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

क्रम संख्या	ब्योरा	दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	सामान्य उपाधि कार्यक्रम	5,400 रुपये प्रतिमाह की दर से	स्नातकपूर्व कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रम (जिसमें चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम शामिल हैं)	7,800 रुपये प्रतिमाह की दर से	

उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्लॉटों का राज्य–वार संवितरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	स्लॉटों की संख्या
1	अरूणाचल प्रदेश	303
2	असम	6837
3	मणिपुर	597
4	मेघालय	650
5	मिजोरम	239
6	नागालैण्ड	435
7	सिक्किम	134
8	त्रिपुरा	805
	कुल	**10000**

इस योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वर्ष 2020–21 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए अध्येतावृत्ति हेतु प्राप्त हुए कुल 43823 आवेदनों में से अंतिमरूप से 38764 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। मेरिट लिस्ट की घोषणा की जानी शेष है। **वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 26391 मौजूदा लाभार्थियों को 185.18 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।**

वर्ष 2020–21 के दौरान शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक, पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, शोध अध्येतावृत्ति, स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकपूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ किए जाने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.1	**शिक्षकों हेतु वृहद शोध परियोजनाएं**				**42**	**0.55**
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक						
6.2(i)	शोध अवार्ड		100	2 वर्ष		0.1574
6.2(ii)	शोध वैज्ञानिक*	1983				0.0864
6.3 पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ						
6.3(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	2006-07	100	5 वर्ष	332	17.58
6.3(ii)	महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	1998	100	5 वर्ष	434	19.26
6.3(iii)	भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां	2014-15	200	3 वर्ष	200	7.14

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ किए जाने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.3(iv)	डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	2008-2009	500	3 वर्ष	797	49.25
6.3(v)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना	2010-11	(कोई अधिकतम सीमा नहीं)	3 वर्ष	101	7.96
6.3(vi)	एमेरिटस अध्येतावृत्तियाँ		किसी दिए गए समय पर 200	2 वर्ष	14	0.07
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पी.एच.डी हेतु)						
6.4(i)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)	1957-58	8800	5 वर्ष	24319	1061.34
6.4(iii)	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृतियां	2005-2006	2000	5 वर्ष	3986	133.07
6.4(iv)	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2009-2010	756	5 वर्ष	2348	97.10
6.4(v)	अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के छात्रों हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपी और वित्तपोषित की जाती है)	2014-15	300	5 वर्ष	1235	43.25
6.4(vi)	सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति	2014-15	300	04 से 05 वर्ष	263	13.78
6.4(vii)	बीएसआर अध्येतावृत्तियां (आरएफएसएमएस)	2006-07	1500	5 वर्ष	703	15.31
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां						
6.5(i)	पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2006-07	1000	2/3 वर्ष	909	1.64
6.5(ii)	एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2005-07	कोई सीमा नहीं	2 वर्ष	3709	13.03
6.5(iii)	स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2005-07	3000	2 वर्ष	1731	5.71

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना को प्रारंभ किए जाने का वर्ष	प्रतिवर्ष स्लॉटों की संख्या	अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
6.5(iv)	गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	लंबे समय से	1500	2/3 वर्ष	1839	21.70
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां						
6.6(i)	'उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना' (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट से)	2014-15	10000	स्नातकपूर्व स्तर की पूर्ण अवधि के लिए	26391	185.18

**योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है, केवल पुराने मामलों को ही वित्तपोषित किया जा रहा है।*

6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम

शिक्षा मंत्रालय ने मई, 2005 में यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोध को पुनर्जीवित करने के लिए एक कृतबल का गठन किया था। शिक्षा मंत्रालय ने यूआईसीटी, मुंबई के पूर्व निदेशक, प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में जून, 2005 में कृतबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु प्रथम अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च, 2014 तक लगभग 08 वर्ष तक की अवधि तक कार्य किया। तत्पश्चात्, कृतबल की सिफारिशों को लागू करने के लिए नवम्बर, 2014 में एआईसीटीई के अध्यक्ष, डॉ. अनिल सहस्रबुद्धि की अध्यक्षता में दूसरी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

कृतबल की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकार प्राप्त समिति के मार्गदर्शन में निम्नवत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

6.7(i) फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

'ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज' को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन के माध्यम से भरा गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक एफआरपी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमे प्रो. आर. पी. गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो. सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। बाद में, एफआरपी प्रकोष्ठ को बीएसआर अनुभाग के साथ आमेलित कर दिया गया है। वर्तमान में, **373** संकाय अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह आचार्यों का चयन किया जा चुका है जिसमें से **166** कार्यरत हैं।

आयोग ने दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में मूलभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत भविष्य से एफआरपी कार्यक्रम को वापस लेने का संकल्प लिया।

संकायों अर्थात् आचार्य/सहायक आचार्य/सह–आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष है सहकर्मी समीक्षा (पीयर–रीव्यू) के पश्चात् सिद्धांत रूप में ''फैकल्टी रिचार्ज'' पदों को अधिवर्षिता की आयु (65 वर्ष) तक जारी रखा जा सकता है। पांच वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल में मध्यावधि मूल्यांकन की व्यवस्था है।

वित्तीय सहायताः वेतनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संकाय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संकाय के समतुल्य परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। अतिरिक्त अनुदानः संकाय पदधरियों को शोध हेतु 10.00 लाख रुपये तक का 'स्टार्ट–अप' अनुदान प्राप्त होता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से 156 संकायों को वेतन के लिए 10.41 करोड़ रुपये की राशि तथा 03 अभ्यर्थियों को 'स्टार्ट–अप' अनुदान के लिए 0.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। वि.अ.आ.–एफआरपी की योजना के तहत 24 एफआरपी (चरण–III) को समय–विस्तार हेतु पत्र भेज दिए गए हैं जिन्होंने वि.अ.आ.–एफआरपी योजना के तहत पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।

6.7(ii) नेटवर्किंग शोध केन्द्रः समर–विंटर स्कूल

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नेटवर्किंग शोध केन्द्र की स्थापना की गई:

1. समय–समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा शोध विद्वानों का शोध प्रशिक्षण तथा कौशल विकास ।
2. संकाय एवं विभागों को उनके शोध कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण ।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से शोधकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना ।
4. अन्य संस्थानों/शोधकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त शोध सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना ।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक शोध अवसंरचना तथा अन्य शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उनका निर्माण करना।

बीएसआर कार्यक्रम के चरण–I (जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुआ था) के अंतर्गत नेटवर्किंग शोध केन्द्रों की स्थापना के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निम्नवत विभागों को अनुमोदित किया गया है:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	विभाग	स्थापना का वर्ष
1.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	जीव विज्ञान	2008
2.	कोलकाता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स	2008
3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	रसायन	2008
4.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ सांइस, बंगलुरु	पदार्थ अभियांत्रिकी	2008
5.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ केमीकल टेक्नॉलॉजी, मुंबई	रसायन अभियांत्रिकी	2008
6.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ सांइस, बंगलुरु	जीव विज्ञान का एक भाग	2008
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	भेषज विज्ञान	2008
8.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	भौतिकी	2008
9.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	स्कूल ऑफ लाईफ सांईस	2008
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	भौतिकी	2014–2015

चरण–II के दौरान अधिकार प्राप्त समिति ने चरण–I के नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों के निष्पादन के आधार पर 08 नेटवर्किंग संसाधन केन्द्रों को अनुमोदित किया है।

क्रम संख्या	केन्द्रों का नाम	द्वितीय चरण के लिए आबंटित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में जीव विज्ञान में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद में रसायन विषय में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10
3	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में भेषज विज्ञान में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	5
4	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में जीव विज्ञान में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	5
5	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस, बेंगलुरु में जीव विज्ञान के विषय में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10
6	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस, बेंगलुरु में सामग्री विज्ञान विषय में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10
7	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भौतिक विज्ञान (रेडियो भौतिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स) में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10
8	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में रसायन विज्ञान में वि0अ0आ0– एन0आर0सी0	10

वर्ष 2020–21 के दौरान, एक नेटवर्किंग संसाधन केन्द्र को 1.06 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

6.7(iii) भर्ती हुए नए संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट–अप' अनुदान

इस योजना के तहत ऐसे सभी शिक्षक पात्र हैं, जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 उपाधि धारक हों तथा जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में कार्यग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सहायक आचार्य, योजना के तहत 02 वर्ष तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26 जून, 2020 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में सभी चालू 'स्टार्ट–अप' अनुदान की समय–सीमा को बिना लागत उनके पूर्ण होने की मूल तिथि से एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। सभी नए आवेदनों के लिए योजना की समयावधि को 2 वर्ष से बढाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

क) इस योजना के तहत सहायता की सीमा 10 लाख रुपये है।

ख) अनुदान का उपयोग छोटे सामान, उपभोज्य सामग्रियों को क्रय करने, आकस्मिकताओं (अधिकतम 50,000/– प्रतिवर्ष), क्षेत्र कार्य (अधिकतम 50,000/– रुपये प्रतिवर्ष), यात्रा आदि के लिए किया जा सकता है।

ग) अनुदान का उपयोग अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए अथवा परियोजना सहायक या शोध अध्येता की नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

घ) इन शीर्षों के तहत निधियों की प्रमात्रा के बारे में प्रधान अन्वेषक द्वारा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 14 नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को 1.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.7(iv) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'

'मिड करियर अवार्ड' योजना के तहत, एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान का उपयोग लघु उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकताओं और क्षेत्र कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 26 जून, 2020 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में सभी चल रहे 'मिड करियर अवार्ड' की समय–सीमा को बिना लागत उनके पूर्ण होने की मूल तिथि से एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। सभी नए आवेदनों के लिए योजना की समयावधि को 2 वर्ष से बढाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शोध को जारी रखने में मदद देना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार है :–

क) 'मिड करियर अवार्ड' के लिए पात्रता मानदंडों को पूर्ण की गई पीएच.डी. की संख्या को 15 से घटाकर 10 करके, जिसमें से 03 पिछले पांच वर्षों के दौरान अवार्ड की गई हों, संशोधित कर दिया गया है। प्रत्येक शोध प्रबंध, जिसे संयुक्त रूप से दूसरे 'गाईड' के साथ पर्यवेक्षित किया गया हो, इसके बाद से, आवेदक द्वारा पर्यवेक्षित की गई पीएच.डी. शोधप्रबंधों की कुल संख्या की गणना करते हुए, आवेदक को इस प्रकार के पर्यवेक्षण के लिए आधा 'क्रेडिट' दिया जाएगा।

ख) आवेदक ने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम 5 प्रायोजित शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर किया हो।

ग) आवेदक द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।

घ) आवेदक द्वारा प्रकाशित पत्रों का संचयी प्रभाव कारक $\geq$ 30 होना चाहिए (थॉमसन रायटर्स के जर्नल उद्धरण रिपोर्ट के अनुसार)।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपना शोध कार्य जारी रखने वाले 02 शिक्षकों को 0.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

अध्याय 7 ➤ लिंग तथा सामाजिक समानता

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास
7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

भारत की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना ताकि वे सम्मान के साथ राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की बढती भागीदारी प्राप्त करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता स्वरूप, अनेक पहल की हैं जैसेः

i. छात्राओं/शोध विद्वानों के लिए तीन विशिष्ट छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्तियाः महिला अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए एकल बालिका हेतु स्वामी विवेकानंद अध्येतावृत्ति और एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति।

ii. भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए योजना।

iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015

iv. शिक्षण संस्थानों में 'जेंडर चौंपियंस' के लिए दिशानिर्देश

v. महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए निःशुल्क दूरभाष नंबर 1800111656

vi. सुविख्यात महिला शख्सियतों के उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके नाम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में दस पीठों को स्थापित किया जा रहा है ।

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

महिला अध्ययन के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन हेतु केन्द्रों और प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रों/प्रकोष्ठों को लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, बालिकाओं की शिक्षा, जनसंख्या से जुड़े मुद्दों, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण के आयोजन और विस्तार कार्य करना अपेक्षित होता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से न केवल सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन बल्कि शैक्षणिक विकास में भी योगदान प्राप्त होने की आशा की जाती है।

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 159 महिला अध्ययन केन्द्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 08 महिला अध्ययन केंद्रों को 1.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

7.2(i) भारत में उच्चतर शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (वर्ष 2019–20) के दौरान 27.1 प्रतिशत है जिसकी गणना 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए की जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 23.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों

के लिए 18.0 प्रतिशत है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में वर्ष 2013–14 से सभी श्रेणियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात नीचे दिया गया है:–

तालिका 7.2(i): उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18–23 वर्ष आयु वर्ग) (2019–20)*

वर्ष	सभी श्रेणी			अनुसूचित जाति के छात्र			अनुसूचित जनजाति के छात्र		
	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला	दोनों	पुरुष	महिला
2013-14	23.0	23.9	22.0	17.1	17.7	16.4	11.3	12.5	10.2
2014-15	24.3	25.3	23.2	19.1	20.0	18.2	13.7	15.2	12.3
2015-16	24.5	25.4	23.5	19.9	20.8	19.0	14.2	15.6	12.9
2016-17	25.2	26.0	24.5	21.1	21.8	20.2	15.4	16.7	14.2
2017-18	25.8	26.3	25.4	21.8	22.2	21.4	15.9	17.0	14.9
2018-19	26.3	26.3	26.4	23.0	22.7	23.3	17.2	17.9	16.5
2019-20	27.1	26.9	27.3	23.4	22.8	24.1	18.0	18.2	17.7

**स्रोत–एआईएसएचई पोर्टल*

7.2(ii) सभी श्रेणियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लिंग समता सूचकांक (जीपीआई) से यह पाया गया है कि सभी श्रेणियों के लिए उच्चतर शिक्षा में महिला भागीदारी प्रति 100 पुरुषों पर 101 और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिए क्रमश 105 और 97 प्रति 100 पुरुष है। (स्रोतः उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण)

7.2(iii) वर्ष 2019–20 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए राज्य–वार अनुमानित नामांकनः

तालिका 7.2(iii) वर्ष 2019–20 के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए राज्य–वार अनुमानित नामांकनः

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4532	5599	10131	42	11	53	151	286	437	1122	1539	2661
2	आन्ध्र प्रदेश	1021126	876023	1897149	167358	149215	316573	47292	40939	88231	464389	373065	837454
3	अरूणाचल प्रदेश	28801	27015	55816	750	729	1479	19078	19264	38342	1141	772	1913
4	असम	316908	333693	650601	27642	26519	54161	50251	55109	105360	83549	93431	176980
5	बिहार	969902	768530	1738432	123647	74568	198215	17236	13286	30522	458383	356262	814645
6	चण्डीगढ़	53170	53497	106667	6827	6037	12864	961	829	1790	3837	2373	6210
7	छत्तीसगढ़	272813	313582	586395	37575	40055	77630	46084	62803	108887	121781	136814	258595
8	दादरा और नगर हवेली	3130	3263	6393	107	98	205	587	735	1322	271	317	588
9	दमन और द्वीव	2190	1742	3932	94	135	229	134	263	397	680	626	1306
10	दिल्ली	578747	554109	1132856	80990	81296	162286	8315	7314	15629	108206	81721	189927
11	गोवा	25055	27727	52782	555	540	1095	1850	2652	4502	4089	5499	9588
12	गुजरात	864967	679873	1544840	78255	63324	141579	79347	81512	160859	283069	203627	486696

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
13	हरियाणा	460487	473054	933541	64017	65958	129975	1795	1240	3035	103486	104970	208456
14	हिमाचल प्रदेश	132231	157257	289488	24422	30850	55272	7555	9179	16734	16277	22529	38806
15	जम्मू और कश्मीर	199249	196167	395416	9302	11703	21005	12261	10081	22342	14636	11364	26000
16	झारखण्ड	408859	408701	817560	39061	33841	72902	68787	84739	153526	170328	161304	331632
17	कर्नाटक	1088883	1099009	2187892	147206	142956	290162	53814	51947	105761	536146	564008	1100154
18	केरल	484849	653004	1137853	25434	46838	72272	4360	6877	11237	194158	295290	489448
19	लद्दाख	999	1898	2897				923	1892	2815	14		14
20	लक्षद्वीप	133	427	560				70	256	326			
21	मध्य प्रदेश	1144576	1037578	2182154	176528	154691	331219	107910	107489	215399	449846	425197	875043
22	महाराष्ट्र	2313862	1951610	4265472	260361	243253	503614	105835	82907	188742	684718	581699	1266417
23	मणिपुर	60918	63620	124538	3353	3259	6612	17660	18273	35933	17875	22253	40128
24	मेघालय	39844	47697	87541	1124	824	1948	29208	39413	68621	2503	1460	3963
25	मिजोरम	17156	16080	33236	161	61	222	15882	15689	31571	380	181	561
26	नागालैण्ड	20255	24306	44561	191	145	336	18460	22495	40955	454	389	843
27	ओड़ीशा	529226	465703	994929	88766	71362	160128	70031	64832	134863	110320	102419	212739
28	पुदुचेरी	38156	41968	80124	4892	5165	10057	547	476	1023	22563	26083	48646
29	पंजाब	425331	444132	869463	90941	107929	198870	3075	1942	5017	55729	55521	111250
30	राजस्थान	1151186	1055331	2206517	186353	165088	351441	128038	125991	254029	453177	446822	899999
31	सिक्किम	33049	25022	58071	681	621	1302	3586	5423	9009	3274	4187	7461
32	तमिलनाडु	1778186	1742125	3520311	298278	315606	613884	17240	15526	32766	1074844	1070143	2144987
33	तेलंगाना	672768	716840	1389608	93804	115713	209517	55494	53143	108637	301585	325657	627242
34	त्रिपुरा	47031	39216	86247	8074	6042	14116	10290	7996	18286	8592	6700	15292
35	उत्तरप्रदेश	3136650	3251564	6388214	574191	604607	1178798	24177	25358	49535	1235540	1353980	2589520
36	उत्तरांखण्ड	248893	244386	493279	34825	35946	70771	8678	8758	17436	45352	39825	85177
37	पश्चिम बंगाल	1069629	1091264	2160893	198506	198374	396880	35684	36549	72233	169795	168978	338773
अखिल भारतीय		**19643747**	**18892612**	**38536359**	**2854313**	**2803359**	**5657672**	**1072646**	**1083463**	**2156109**	**7202109**	**7047005**	**14249114**

7.2(iv) वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निशक्त व्यक्ति और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का राज्य वार अनुमानित नामांकनः

तालिका 7.2(iv) वर्ष 2019–20 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निशक्त व्यक्ति और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का राज्य वार अनुमानित नामांकनः

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निशक्त व्यक्ति			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक समुदाय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	44	62	166	304	470	293	645	938
2	आन्ध्र प्रदेश	1683	982	2665	34050	27245	61295	3884	3745	7629
3	अरूणाचल प्रदेश	9	5	14	91	59	150	2519	2250	4769

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निशक्त व्यक्ति			मुस्लिम			अन्य अल्पसंख्यक समुदाय		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
4	असम	511	301	812	47608	45745	93353	6796	7109	13905
5	बिहार	1879	737	2616	83382	80567	163949	1111	840	1951
6	चण्डीगढ़	245	86	331	414	273	687	2140	2582	4722
7	छत्तीसगढ़	353	171	524	2427	2957	5384	2134	3465	5599
8	दादरा और नगर हवेली	13	9	22	38	39	77	7	275	282
9	दमन और द्वीव	2	1	3	91	63	154	5	27	32
10	दिल्ली	4850	3412	8262	16168	10307	26475	6191	7797	13988
11	गोवा	33	26	59	1291	1443	2734	3412	5446	8858
12	गुजरात	1207	1130	2337	24664	19350	44014	6049	5647	11696
13	हरियाणा	499	215	714	9317	3560	12877	5012	6921	11933
14	हिमाचल प्रदेश	246	123	369	1103	661	1764	1753	1531	3284
15	जम्मू और कश्मीर	334	262	596	89608	89068	178676	2447	3229	5676
16	झारखण्ड	773	384	1157	21742	21834	43576	6150	6989	13139
17	कर्नाटक	2398	2204	4602	75198	69313	144511	38600	49170	87770
18	केरल	1975	1735	3710	68848	97179	166027	51070	66907	117977
19	लद्दाख				652	1302	1954	307	583	890
20	लक्षद्वीप				70	256	326			
21	मध्य प्रदेश	1403	1039	2442	24366	19923	44289	12788	12749	25537
22	महाराष्ट्र	4714	3083	7797	83037	83191	166228	46074	49948	96022
23	मणिपुर	88	80	168	3380	3099	6479	1977	2409	4386
24	मेघालय	204	163	367	1177	901	2078	10928	13402	24330
25	मिजोरम	15	8	23	48	22	70	8560	8270	16830
26	नागालैण्ड	17	19	36	100	112	212	7118	8878	15996
27	ओड़ीशा	1358	736	2094	5614	4232	9846	1641	1918	3559
28	पुदुचेरी	131	154	285	1637	1489	3126	1013	2025	3038
29	पंजाब	427	311	738	9558	4226	13784	65018	77450	142468
30	राजस्थान	3442	6519	9961	25128	19055	44183	8366	10998	19364
31	सिक्किम	8	4	12	96	50	146	223	502	725
32	तमिलनाडु	3464	7437	10901	72794	56771	129565	76670	87694	164364
33	तेलंगाना	1468	1472	2940	62229	59689	121918	3744	5161	8905
34	त्रिपुरा	290	74	364	1233	882	2115	300	188	488
35	उत्तरप्रदेश	9356	8694	18050	158790	198886	357676	13009	14124	27133
36	उत्तरांखण्ड	2009	2200	4209	8380	6979	15359	1864	1927	3791
37	पश्चिम बंगाल	2408	1181	3589	111879	123454	235333	5575	10201	15776
अखिल भारतीय		**47830**	**45001**	**92831**	**1046374**	**1054486**	**2100860**	**404748**	**483002**	**887750**

7.2(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भारत सरकार के दिनांक 04 जनवरी, 2013 के पत्र संख्या 43011/153/2010–स्थाप. (आरईएस) के माध्यम से प्रत्येक संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना करने हेतु अधिदेशित हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 08 जून, 2015 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या एफ.1–5/2006(एससीटी) के माध्यम से वि.अ.आ. ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों से पदों तथा सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों के लिए आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन हेतु विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया। आयोग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित 535वीं बैठक में ऐसे नए स्थापित किए गए केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया। प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए आयोग ने शिक्षणेत्तर पदों को अनुमोदित किया है।

7.2(vi) आयोग की दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित 529वीं बैठक में अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनजाति उप योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय, परिणामी कदम के रूप में एससीएसपी और टीएसपी के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सीमा तक चिह्नित निधियां आवंटित करता है, एक परिणामी कदम के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निगरानी करनी चाहिए की एससीएसपी और टीएसपी के लिए जिस सीमा तक निधियां चिह्नित की गई है, उनका अन्यत्र विपथन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, एससीएसपी और टीएसपी निधियों के लिए एक पृथक अनुमोदन पत्र जारी किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रत्येक तीन घटकों अर्थात् सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों तथा अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाने वाला अव्ययित शेष दर्शाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निधियों के प्रबंधन हेतु पृथक बैंक खाते भी खोले हैं।

7.2(vii) जातिगत भेदभाव का निवारणः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को परामर्श दिया है कि वेः

1. कर्मचारियों/संकाय सदस्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के साथ उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का कोई कृत्य करने से बचना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पृष्ठ विकसित करना चाहिए और कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए। यदि प्राधिकरणों के ध्यान में ऐसी कोई घटना आती है तो, तुरंत ही चूककर्ता अधिकारी/संकाय के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय/संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कोई भी कर्मचारी/संकाय सदस्य किसी समुदाय अथवा श्रेणी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करे।
4. विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ा वर्ग के छात्रों/शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन करे।

7.2(viii) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षण से जुड़े पदों पर नियुक्ति और छात्र प्रवेश, के मामले पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार और अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों में सीटों की व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रों के महाविद्यालयों को विशेष सहायता आदि प्रदान किया जाना शामिल है।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम के अनुसार, प्रवेश में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और संस्थानों की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनके द्वारा दिए जाने वाले

प्रवेश में एक निश्चित प्रतिशत का नामांकन करने को अनिवार्य बनाते हैं। अधिनियम को निरंतर लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2012 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 31 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 के पत्र संख्या एफ. 1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से भी सभी विश्वविद्यालयों को केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को भेज दिया है।

दिनांक 07 मार्च, 2019 के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के पदों पर आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 07 मार्च, 2019 के मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 38–11/2018–सीयू.वी के साथ–साथ केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के संवर्ग पर आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 07 मार्च, 2019 और दिनांक 08 मार्च, 2019 के पत्रांक संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से अग्रेषित किया, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भी केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षक के संवर्ग में संस्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती के संबंध में पदों पर इस पद्धति से, निम्नवत सीमा के अनुसार आरक्षण होगा जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थाप. (आरईएस) में विनिर्दिष्ट है, नामतः

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत आरक्षण

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की प्रगति के साथ–साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की लगातार निगरानी कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा सार्वजनिक धन से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। सभी केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों को अपने संस्थानों में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के आदेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। राज्य के संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पालन करना चाहिए।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आरक्षण रोस्टर प्रदर्शित करना अपेक्षित है जिसे भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के तहत दिनांक 2 जुलाई, 1997 के अ0शा0 पत्र संख्या 360–12/2/96–स्थापना (आरईएस) द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपनी वेबसाइट पर नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाना होता है।

विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वे शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों में इन श्रेणियों की शेष बैकलॉग चिन्हित आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में आंकड़ों की जानकारी के साथ–साथ वर्ष 2020–21 के दौरान सभी स्तर के पाठ्यक्रमों और छात्रावास आवास में प्रवेश के आंकडों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल' (यूएएमपी) में दिए गए ***https://ugc.ac.inèuampè*** लिंक पर विहित प्ररूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

वर्ष 2020–21 के दौरान शिक्षण, शिक्षणेत्तर पदों, छात्र प्रवेश और छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के संबंध में 27 केन्द्रीय, 63 राज्य सार्वजनिक, 12 सम विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत) ने निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

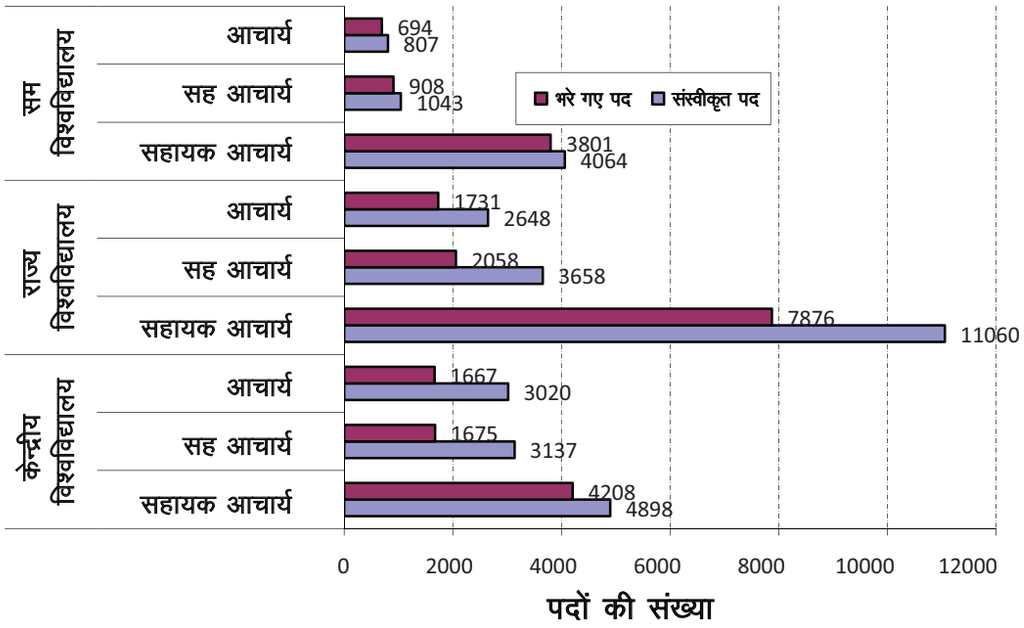
तालिका 7.2(viii) (क): शिक्षण पदों का ब्योरा

वर्ष 2020–21 के दौरान शिक्षण पदों का ब्योरा											
पद का नाम	डाटा उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल पदों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	27	4898	2567	486	258	709	35	4208	69	480	210
सह आचार्य	27	3137	1405	85	33	75	3	1675	7	237	23
आचार्य	27	3020	1299	137	46	159	8	1667	38	435	7
कुल	**27**	**11055**	**5271**	**708**	**337**	**943**	**46**	**7550**	**114**	**1152**	**240**
राज्य विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	63	11060	3153	1321	281	3110	11	7876	60	234	168
सह आचार्य	63	3658	829	301	64	864	0	2058	5	27	44
आचार्य	63	2648	790	202	17	722	0	1731	7	25	30
कुल	**63**	**17366**	**4772**	**1824**	**362**	**4696**	**11**	**11665**	**72**	**286**	**242**
सम विश्वविद्यालय											
सहायक आचार्य	12	4064	1507	293	34	1960	7	3801	12	76	375
सह आचार्य	12	1043	417	28	0	462	1	908	0	10	61
आचार्य	12	807	343	15	0	336	0	694	1	7	47
कुल	**12**	**5914**	**2267**	**336**	**34**	**2758**	**8**	**5403**	**13**	**93**	**483**

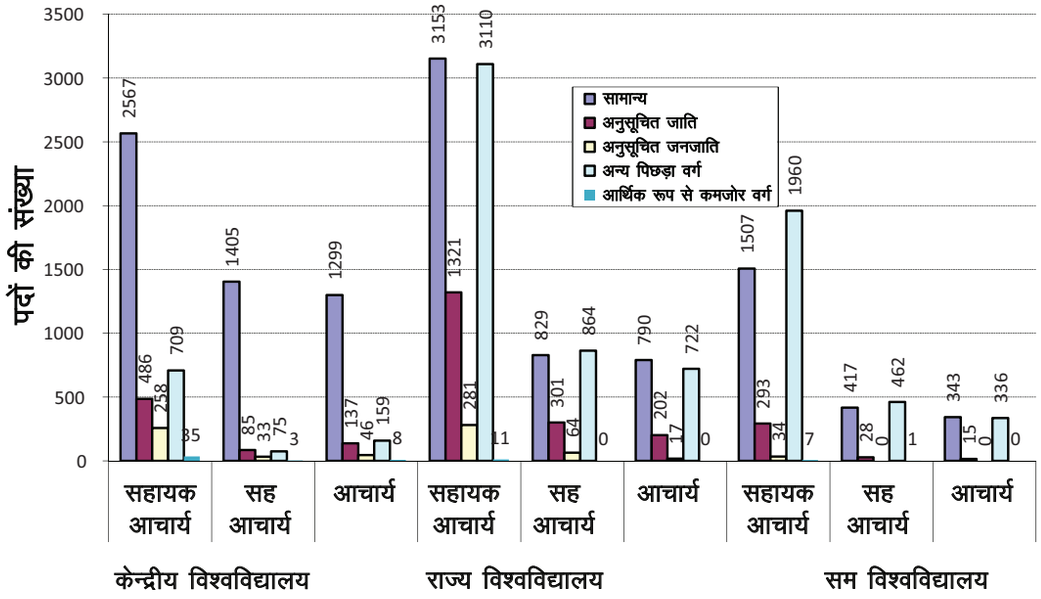
नोट: *विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

**27 केन्द्रीय, 63 राज्य सार्वजनिक, 12 सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के तहत) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

रेखाचित्र 7.2(viii)(क)(i): वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत किए गए ** और भरे गए* शिक्षण पदों की स्तर वार संख्या



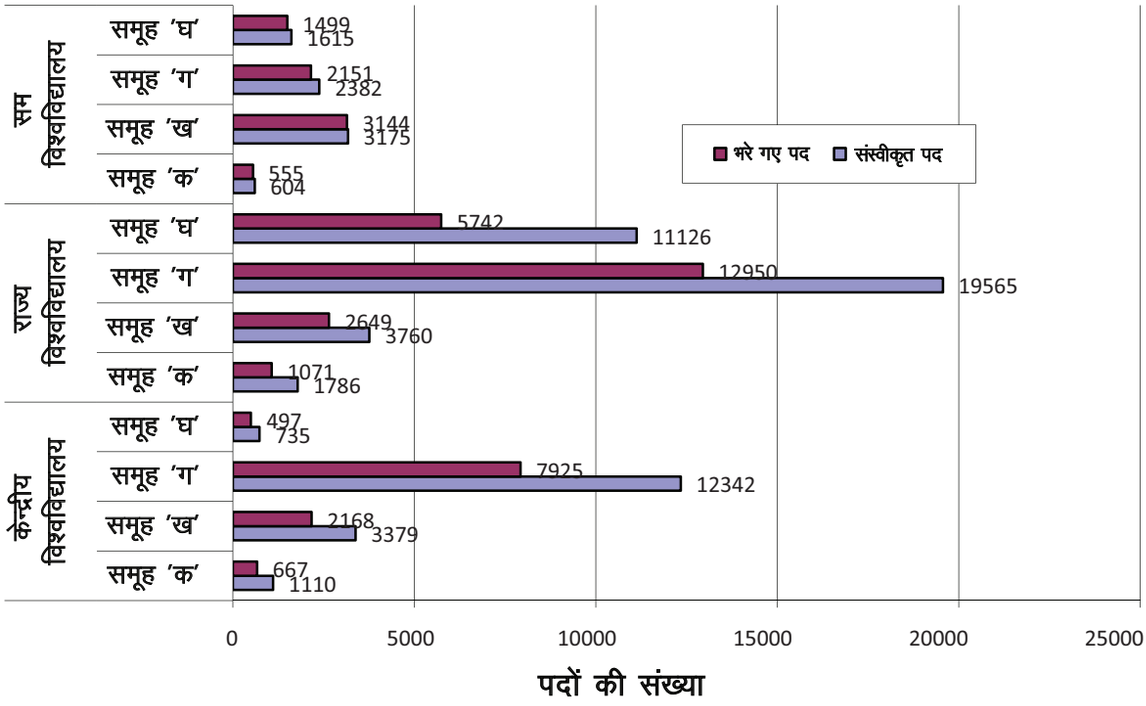
रेखाचित्र 7.2(viii)(क)(ii): वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में भरे गए शिक्षण पदों का श्रेणीवार संवितरण



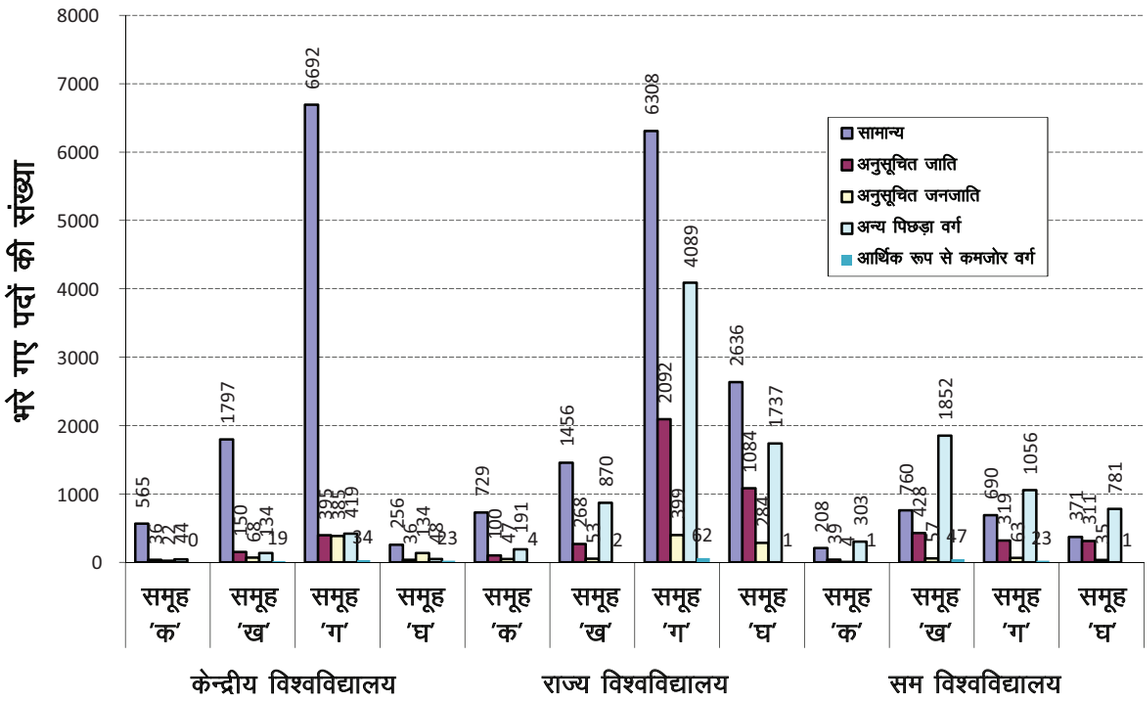
तालिका 7.2(viii)(ख): वर्ष 2020–21 के दौरान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्योरा

शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों (वर्ष 2020–21) का ब्योरा											
पद का नाम	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल पदों में से		
		संस्वीकृत	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्गों	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
समूह 'क'	25	1110	565	36	22	44	0	667	7	113	27
समूह 'ख'	25	3379	1797	150	68	134	19	2168	13	686	143
समूह 'ग'	25	12342	6692	395	385	419	34	7925	111	3988	362
समूह 'घ'	25	735	256	36	134	48	23	497	9	2	0
कुल	**25**	**17566**	**9310**	**617**	**609**	**645**	**76**	**11257**	**140**	**4789**	**532**
राज्य विश्वविद्यालय											
समूह 'क'	61	1786	729	100	47	191	4	1071	10	51	17
समूह 'ख'	61	3760	1456	268	53	870	2	2649	51	61	90
समूह 'ग'	61	19565	6308	2092	399	4089	62	12950	189	389	336
समूह 'घ'	61	11126	2636	1084	284	1737	1	5742	75	179	31
कुल	**61**	**36237**	**11129**	**3544**	**783**	**6887**	**69**	**22412**	**325**	**680**	**474**
सम विश्वविद्यालय											
समूह 'क'	12	604	208	39	4	303	1	555	2	9	52
समूह 'ख'	12	3175	760	428	57	1852	47	3144	6	56	432
समूह 'ग'	12	2382	690	319	63	1056	23	2151	19	19	194
समूह 'घ'	12	1615	371	311	35	781	1	1499	6	6	69
कुल	**12**	**7776**	**2029**	**1097**	**159**	**3992**	**72**	**7349**	**33**	**90**	**747**

रेखाचित्र 7.2(viii)(ख)(i): वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में संस्वीकृत और भरे गए शिक्षणेत्तर पदों की स्तरवार स्थिति



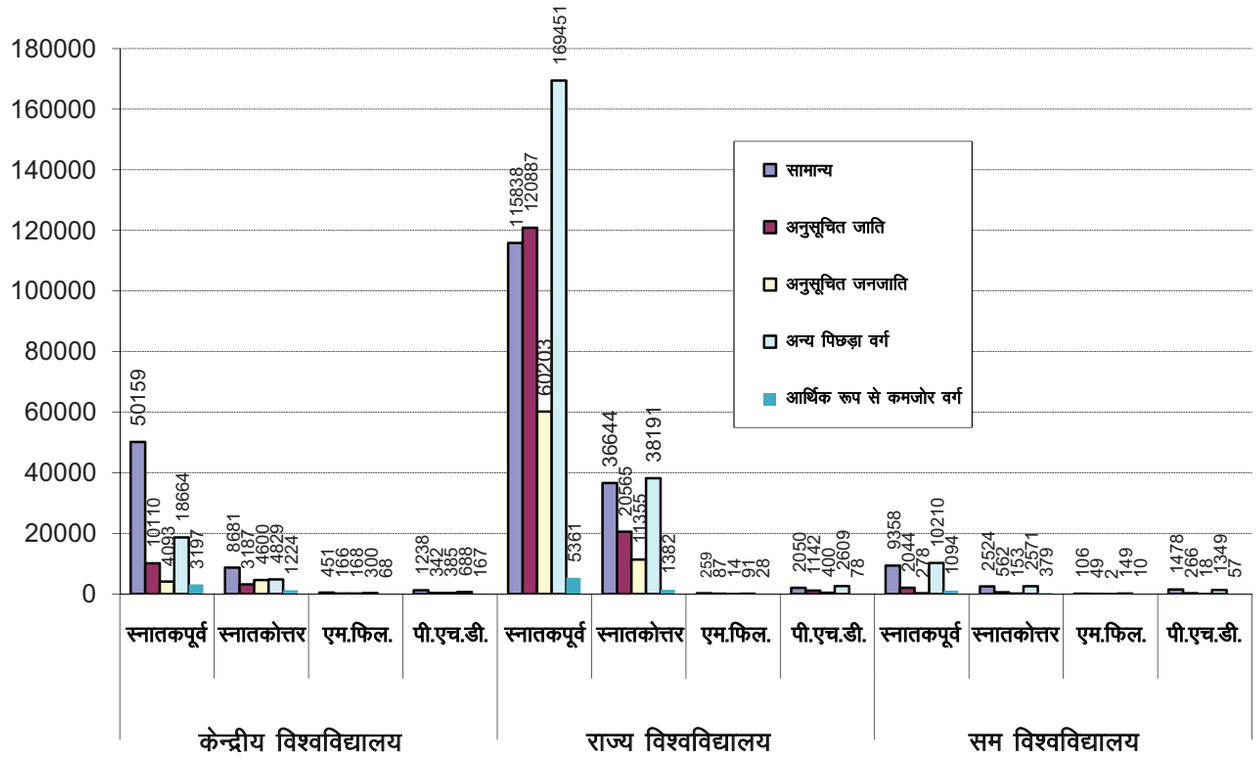
रेखाचित्र 7.2(viii)(ख)(ii): वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों का श्रेणीवार संवितरण



7.2(viii)(ग): वर्ष 2020–21 के दौरान छात्रों के दाखिला का ब्योरा

शिक्षा सत्र वर्ष 2020–21 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रवेश का प्रथम वर्ष)												
विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल सीटों / छात्रों का प्रवेश (अनुमोदित)	प्रवेश की संख्या के समक्ष प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या (प्रथम वर्ष)	प्रवेश पाने वाले छात्रों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल दाखिलों में से		
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्गों	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	20	83224	86223	50159	10110	4093	18664	3197	86223	900	277	1467
स्नातकोत्तर	20	30371	22521	8681	3187	4600	4829	1224	22521	398	460	2582
एम.फिल.	20	1683	1153	451	166	168	300	68	1153	15	20	169
पी.एच.डी.	20	4366	2820	1238	342	385	688	167	2820	41	84	411
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	20	17164	6744	4596	593	219	1190	146	6744	29	51	58
कुल	**20**	**136808**	**119461**	**65125**	**14398**	**9465**	**25671**	**4802**	**119461**	**1383**	**892**	**4687**
राज्य विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	59	896318	471740	115838	120887	60203	169451	5361	471740	987	29241	4582
स्नातकोत्तर	59	219744	108137	36644	20565	11355	38191	1382	108137	1024	4697	1718
एम.फिल.	59	2541	479	259	87	14	91	28	479	3	23	40
पी.एच.डी.	59	19627	6279	2050	1142	400	2609	78	6279	76	312	97
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	59	86734	46889	32546	2802	1816	8748	977	46889	167	522	138
कुल	**59**	**1224964**	**633524**	**187337**	**145483**	**73788**	**219090**	**7826**	**633524**	**2257**	**34795**	**6575**
सम विश्वविद्यालय												
स्नातकपूर्व	10	25925	22984	9358	2044	278	10210	1094	22984	118	566	8573
स्नातकोत्तर	10	9597	6189	2524	562	153	2571	379	6189	20	226	1546
एम.फिल.	10	654	316	106	49	2	149	10	316	0	6	28
पी.एच.डी.	10	3544	3168	1478	266	18	1349	57	3168	3	111	466
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	10	1555	817	391	96	15	264	51	817	5	40	97
कुल	**10**	**41275**	**33474**	**13857**	**3017**	**466**	**14543**	**1591**	**33474**	**146**	**949**	**10710**

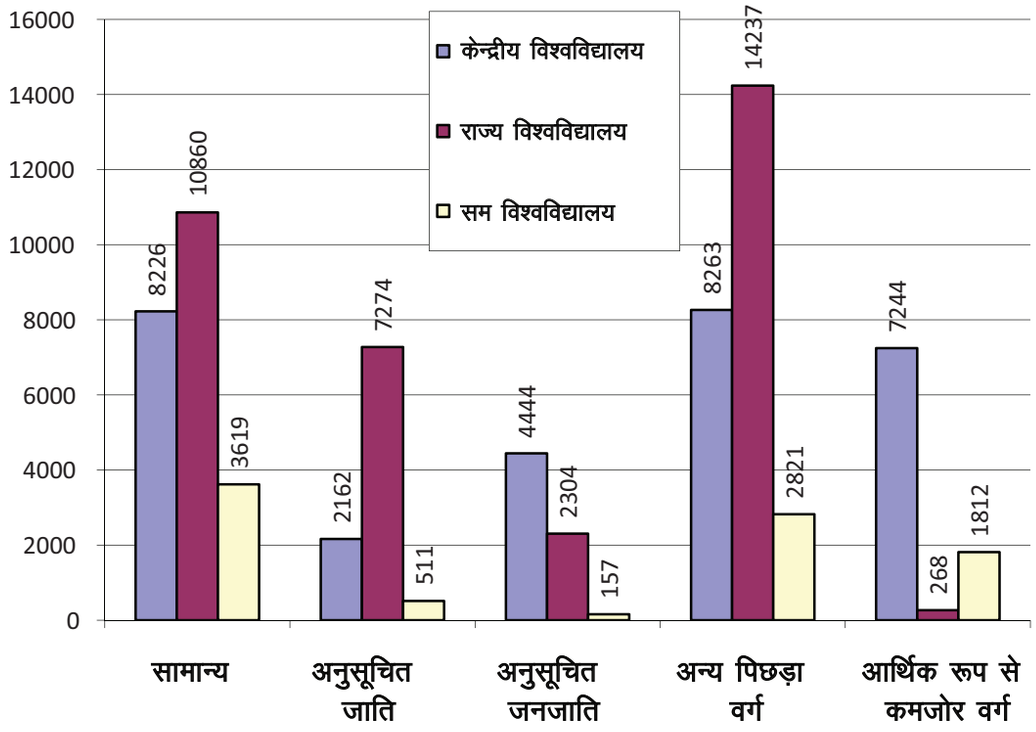
रेखाचित्र 7.2(viii)(ग): वर्ष 2020–21 के दौरान के दौरान श्रेणी वार प्रवेश पाने वाले छात्र (प्रवेश का प्रथम वर्ष)



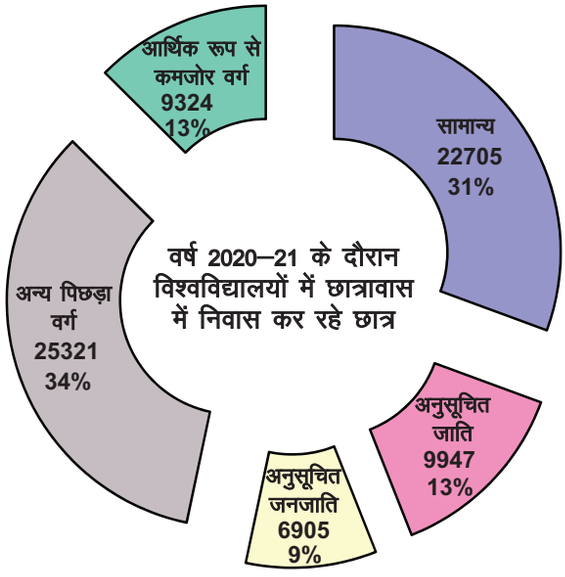
तालिका 7.2(viii)(घ): वर्ष 2020–21 के दौरान छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का ब्योरा

छात्रावास (वर्ष 2020–21)											
आंकड़े उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	कुल प्रवेश क्षमता	छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या						*कुल पदों में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्गों	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
19	254	37629	8226	2162	4444	8263	7244	30339	528	12459	1635
राज्य विश्वविद्यालय											
46	265	53291	10860	7274	2304	14237	268	34943	164	1168	358
सम विश्वविद्यालय											
12	90	30717	3619	511	157	2821	1812	8920	18	385	1074

तालिका 7.2(viii)(घ)(i): वर्ष 2020–21 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों: राज्य विश्वविद्यालयों: सम विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की श्रेणीवार संख्या



तालिका 7.2(घ)(viii)(घ)(ii): वर्ष 2020–21 के दौरान विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों का श्रेणीवार संवितरण



7.2(ix): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षण योजनाएं: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिशा में योगदान दे रहा है। सभी संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं– उपचारात्मक अनुशिक्षण/सेवाओं में प्रवेश हेतु

अनुशिक्षण कक्षाएं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नेट अनुशिक्षण योजनाएं तथा समान अवसर प्रकोष्ठ तथा शारीरिक रूप से निशक्त योजनाओं को दिनांक 31 मार्च, 2021 को जारी रखने के बारे में सूचित किया। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, बारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 तक योजना के तहत अव्ययित शेष अनुदान (बारहवीं पंचवर्षीय योजना) का उपयोग कर सकते हैं।

7.2(ix)(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण योजनाएं

7.2(ix)(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण योजनाएं

7.2(ix)(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट/स्लेट हेतु अनुशिक्षण

7.2(x) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना: महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी), इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण करता है।

7.2(xi) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर शोध को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों में 32 केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष 2020–21 के दौरान पांच केन्द्रों को 4.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

7.2(xii): निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और निशक्त व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अंतिर्निहित रूप से अधिदेशित करता है। हाल के वर्षों में, निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निशक्त व्यक्ति, यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास के उपायों तक प्रभावी पहुंच हो तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुंच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है और निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा क्रियाकलापों में शामिल कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोज़गार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों में परिचलित कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2006 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण–सरकार से सहायता प्राप्तकर्ता उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम पांच प्रतिशत सीटों को आरक्षित करेंगे।

आरक्षण– प्रत्येक संवैधानिक सरकार, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में प्रत्येक पद के प्रत्येक समूह में संवर्ग की संख्या में कुल रिक्तियों का कम से कम चार प्रतिशत रिक्तियों को निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों से भरेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किया है कि वे दिनांक 14 फरवरी, 2020 और दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या एफ. 6–1/2018 (एससीटी) के माध्यम से डब्ल्यूपीसी संख्या 292/2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के आदेशों के अनुपालन में अपने विश्वविद्यालय/संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नवत सिफारिशों के अनुपालन हेतु सभी संस्थानों को अनुदेश जाारी किए हैं।

क) निःशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा 32 का अनुपालन करे तथा प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिसूचित करे। ''इस उद्देश्य के लिए, वे प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती किए गए निशक्त

व्यक्तियों की संख्या की सूची प्रत्येक वर्ष मुख्य आयुक्त और/अथवा राज्य आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे (जैसा भी मामला हो)। मुख्य आयुक्त के साथ–साथ राज्य आयुक्त का भी यह कर्तव्य होगा कि वे जांच करें कि क्या इन शिक्षण संस्थानों ने उपरोक्त बाध्यता को पूरा किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा 89 के साथ–साथ अन्य उपबंधों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि उन दोषी संस्थाओं के विरुद्ध उचित परिणामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित परिवेश तैयार करने के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान संबंधी मानकों को अपनाना जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक इमारतों के लिए पहुंच मानकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालय, समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली विस्तृत पहुंच कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

ग) शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक आंतरिक समिति का गठन करना जो निशक्त व्यक्तियों की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों का ध्यान रखने के साथ ही साथ योजनाओं का कार्यान्वयन करे।

घ) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ का समुचित संचालन सुनिश्चित करना।

उपयुक्त मामले में मार्च, 2021 तक 266 विश्वविद्यालयों तथा 390 महाविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

तालिका 7.2(xii) दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सुगम्य भारत अभियान की स्थिति

आंकड़े प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या	136
'यूनीसेक्स' शौचालयों की संख्या	1554
'रेटरोफिटिंग' किए गए भवनों की संख्या	518
संस्थापित की गई लिफ्टों की संख्या?	936
ऐसी लिफ्टों की संख्या जिनमें ब्रेल अक्षरों में अनुदेश लिखे गए हों	576
हैंडरेल लगे रैम्पों की संख्या	742

विश्वविद्यालय = 78
महाविद्यालय = 58

मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (भारत की संसद–राज्यसभा) ने वर्ष 2020–21 की अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 313) में मानव संसाधन विकास पर कुछ टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं। संसदीय स्थायी समिति ने अपने 'पैरा XI–छात्रवृत्ति' में अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिश की है कि निशक्त छात्रों के लिए सभी योजनाओं के ब्योरे को अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे अपनी वेबसाइटों पर निशक्त छात्रों के लिए एक अलग भाग विकसित करें, जिसमें सरकारों की सभी छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्तियों संबंधी योजनाओं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं सहित) से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी और लिंक दिए गए हों।

निशक्त व्यक्तियों के हित के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं भी लागू कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रोजगार और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करनी होगी।

निम्नलिखित योजनाओं के तहत उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो धारा 2(च) के दायरे में आते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

7.2(xii)(क): निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन): मूल रूप से एचईपीएसएन योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा ज्ञान अर्जन के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विनिर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपस्करों का क्रय करना–इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

7.2(xii)(ख): विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना (टीईपीएसई): विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने (टीईपीएसई) की योजना का उद्देश्य विशेष तथा समावेशी परिवेश में निशक्त छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ करना है। योजना के अंतर्गत निशक्तता के किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ बी.एड. तथा एम.एड. उपाधि पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। **योजना के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को 3.14 लाख रुपये का अनुदान संस्वीकृत किया गया था।**

7.2(xii)(ग): दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता: योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार करना तथा ऐसे दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्म निर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है।

7.2(xiii) अन्य पिछड़ा वर्ग

शिक्षणेत्तर पद: भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, से दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को एक पत्र संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) प्राप्त हुआ था।

विश्वविद्यालयों के सभी 'उप कुल सचिवों' से अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय के दिनांक 21 अप्रैल, 1994 के पत्र संख्या एफ. 1–4/94 (एससीटी) को सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप लागू किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र की विषयवस्तु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए सभी संबद्ध महाविद्यालयों के ध्यान में लाई जाए।

शिक्षण पद: आयोग ने अपनी दिनांक 27 दिसंबर, 2006 को हुई बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में व्याख्याता के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया, जिसकी शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर, 2006 के पत्र संख्या एफ. 22–1/98–यू.5 के माध्यम से विधिवतरूप से सिफारिश की गई थी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के सभी 'उप कुल सचिवों' से इस कार्यालय के क्रमशः दिनांक 24 जनवरी, 2007, 25 जनवरी, 2007 और 26 सितम्बर, 2007 के पत्र संख्या एफ.1–9/94(एससीटी) के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में तत्काल प्रभाव से व्याख्याता के स्तर पर शिक्षण पद भरने हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करें। सभी राज्य विश्वविद्यालयों को यह भी सूचित किया गया था कि राज्य के भीतर कार्यरत संबद्ध/संघटक महाविद्यालय और अन्य संस्थान संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत का अनुसरण कर सकते हैं।

सभी राज्य सरकारों को इस कार्यालय के दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 के पत्र संख्या एफ 1–4/94 (एससीटी/ओबीसी) के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, उपरोक्त पत्रों में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की कार्रवाई आरंभ करे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के दिनांक 07.03.2019 के पत्र संख्या एफ 38–11/2018–सीयू.वी के साथ–साथ दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या 1013 की एक प्रति सभी अनुदान–सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को भेजी है।

दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1013:– केंद्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 13) की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के **दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरईएस) में निर्दिष्ट पद्धति से केंद्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर निम्नवत सीमा तक आरक्षण होगा, नामतः–**

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत।
(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और
(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत।

7.2(xiv) दाखिला

शिक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 33 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को दिनांक 19 नवम्बर, 2012 के पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है।

उपरोक्त अधिनियम के पैरा 3 के अनुसार, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी हैं।

''विनिर्दिष्ट उत्तर–पूर्व क्षेत्र'' का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसका संविधान की छठी अनुसूचित में संदर्भ दिया गया है: केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के संबंध में ''राज्य सीटों'' का अर्थ है, ऐसी सीटें, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य के पात्र छात्रों में से भरा जाना निर्धारित किया गया है, जहां ऐसा संस्थान स्थित है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के एक अधिनियम और संविधियों और उसके तहत तैयार किए गए अध्यादेशों के अतंर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन से है। प्रवेश सहित सभी प्रशासनिक अकादमिक निर्णय विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सांविधिक निकायों के अनुमोदन के साथ लिए जाते हैं। यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह भारत सरकार की आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, समय–समय पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों को (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने के लिए निदेश जारी करता है। (ii) आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन करने (iii) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शित करने, और (iv) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों पर इन श्रेणियों के शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को दिनांक 01–02–2021 के पत्र संख्या एफ.1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से भरने के लिए अनुदेश जारी करता है।

7.2(xv) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने और उसका अनुपालन करने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य सरकार/केंद्रों के मुख्य सचिवों को सूचित किया। यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों को इस प्रकार लागू किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान शिक्षा वर्ष 2020–21 से आरंभ हो जाए।

अध्याय 8 ➤ प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र
8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आंरभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरा कर आगे आया है। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं;

क. क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना;

ख. उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना;

ग. क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना;

घ. विशेषरूप से देश के आर्थिक, कार्यनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाना;

ङ. विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;

च. अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

इस योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता उपलब्ध है।

8.1(क) परियोजना पद्धतिः निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर होगी।

अनावर्ती अनुदान

कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	1.50 लाख रुपये
पुस्तकें और जर्नल	3.00 लाख रुपये
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	2.50 लाख रुपये
संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन	3.00 लाख रुपये
प्रकाशन	2.00 लाख रुपये
अभ्यागत संकाय	2.00 लाख रुपये
प्रचालनात्मक व्यय	1.00 लाख रुपय
	कुल 15.00 लाख रुपये

आवर्ती अनुदानः– एक संकाय का पद, (उपाचार्य/व्याख्याता/दस्तावेजीकरण अधिकारी) दो अनुसंधान एसोशियेट अथवा परियोजना एसोशियेट अथवा/परियोजना अध्येता (आरए/पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)

8.1(ख) मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा

निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर होगी:

अनावर्ती	(लाख रुपये में)		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
भवन (नवीकरण/विस्तार हेतु)	10.00	8.00	5.00
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	4.00	4.00	3.00
पुस्तकें और जर्नल	5.00	3.00	2.00
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	15.00	10.00	4.00
संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/संकाय परियोजना	10.00	5.00	4.00
अभ्यागत संकाय	6.00	4.00	3.00
प्रचालनात्मक व्यय और आकस्मिताएं	5.00	3.00	2.00
प्रकाशन	5.00	3.00	2.00
कुल	**60.00**	**40.00**	**25.00**

आवर्ती अनुदानः– **(1)** संकाय पदः एक उपाचार्य, एक व्याख्याता, एक दस्तावेजीकरण अधिकारी
(2) दो अनुसंधान एसोशियेट अथवा परियोजना एसोशियेट अथवा/परियोजना अध्येता (आरए/पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)।

8.1(ग) अनुदान का संवितरण (वर्ष 2020–21):

(लाख रुपये में)

अनुदान	वर्ष 2019–2020
जारी किया गया अनुदान	शून्य

8.1(घ) क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की सूची जिनका कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2021 तक है, निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रों का नाम
1.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	इंडिक तथा एशिया अध्ययन केन्द्र
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	चीन संबंधी अध्ययन केन्द्र
3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	समसामयिक चीन संबंधी अध्ययन केन्द्र (आईसीसीएस)

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नवीन स्वदेशी विचार विकसित किए तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों से परिचित करवाने और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक (विशेष अध्ययन) योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन महान विचारकों और सामाजिक चिंतकों के विचारों और कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में गांधीवाद, नेहरू, डॉ, अंबेडकर, बौद्ध, डॉ जाकिर हुसैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी अध्ययन आदि के क्षेत्रों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केंद्र स्थापित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक योजना दिसंबर, 2020 तक जारी है।

वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 66 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया।

अध्याय 9 ➤ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का समेकन

9.1 ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई-कार्यालय/वि.अ.आ. वेबसाइट
9.2 शिक्षण ज्ञानअर्जन हेतु आईसीटी पहल
9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

9.1 ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/वि.अ.आ. वेबसाइट

ई–गवर्नेंस: ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में इनफ्लिबनेट सेंटर (वि.अ.आ. का एक आईयूसी) की मदद से की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई–गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ में समर्पित तकनीकी कर्मचारियों का दल नियुक्त किया गया है। कार्य परिवेश को पारदर्शी और कागज़रहित बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के तहत एचईआई से ऑनलाइन आवेदन और जानकारी आमंत्रित करने के लिए वेब–पोर्टल और वेब–एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। एमआईएस रिपोर्ट सृजित करने के प्रावधान के साथ वेब–पोर्टल सफलतापूर्वक चालू हैं:

- विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल: विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा किए गए कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी को अपलोड करने के लिए प्रतिबद्ध पोर्टल है।
- पोर्टल को निम्नवत के लिए भी विकसित किया गया है:
  (क) स्वायत्त महाविद्यालयों
  (ख) सम विश्वविद्यालय
  (ग) स्वयं पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम का 'मैपिंग पोर्टल'
  (घ) सक्षम
  (ङ) कर्त्तव्य
- कोविड–19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ की मदद से 'वर्चुअल' पद्धति द्वारा विभिन्न सम्मेलनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर वेबिनारों की श्रृंखला, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

ई–कार्यालय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक सरलीकृत, त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के 'ई–ऑफिस प्रीमियम संस्करण' सॉफ्टवेयर को एनआईसी की मदद से लागू किया गया है।

एनआईसी (ई–नोटिंग सहित) के ई–ऑफिस मॉड्यूल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 'ई–ऑफिस' प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 और 09 मार्च, 2020) का आयोजन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चिन्हित अधिकारियों को ई–कार्यालय से संबंधित दिन–प्रतिदिन के मुद्दों के समाधान के लिए एनआईसी नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। अब ई–नोटिंग सुविधाओं सहित ई–ऑफिस सुविधाओं तक डिजिटल सिग्नेचर के बिना अथवा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अथवा ई–सिग्नेचर (आधार नंबर) के साथ भी पहुंचा जा सकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना है। साथ ही,

हितधारक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्टों, योजनाओं के लिए प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति/नौकरी आदि के लिए आवेदन करने सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का हिंदी संस्करण ऑनलाइन कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छात्र शिकायत पोर्टल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अपने संस्थानों से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का समाधान करने के अनुरोध के साथ सभी विश्वविद्यालयों को अनुस्मारक भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समर्पित हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक कोविड–19 हेल्पडेस्क भी बनाया है जहां छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण के बाद छात्र शिकायत पोर्टल पर अपनी कोविड–19 से संबंधित शिकायतें पोस्ट कर सकते हैं ।

9.2 शिक्षण ज्ञानअर्जन हेतु आईसीटी पहल

शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसीएस)–सूचना और ग्रंथालय नेटवर्क (इनफिलबनेट) और कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) की डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अनेक आईसीटी पहल हैं, जहाँ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा ज्ञानअर्जन को व्यापक बनाने के लिए पहुंच बनाई जा सकती है। कुछ आईसीटी पहल की सूची तथा उनके पहुंच लिंक नीचे दिए गए हैं:

9.2(i) स्नातकोत्तर विषयों के लिए पाठ्यचर्या ई–विषयवस्तु को तैयार करना *(https://epgp.inflibnet.ac.in/)*

ई–पीजी पाठशाला : सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को किसी भी समय, कहीं भी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ई–पीजी पाठशाला नामक इस पहल के तहत सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान, भाषा विज्ञान और भाषाओं की सभी विधाओं और विभिन्न विषयों में विकसित की जा रही सामग्री उच्च गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आधारित, अन्योन्यक्रियात्मक स्वरूप की है। ई–पीजी पाठशाला (***http://epgp.inflibnet-ac-in***) के लिए ज्ञानअर्जन प्रबंधन प्रणाली, 'ओपन एक्सेस' के माध्यम से उपलब्ध है और इनफिलबनेट सर्वर पर होस्ट की गई है।

परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार थे:

i. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों से विशेषज्ञता प्राप्त कर स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषय क्षेत्रों में ई–सामग्री विकसित करना।
ii. ई–सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना।
iii. औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना तथा उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया को अनुपूरक बनाने के लिए विभिन्न प्रदाता पद्धतियों का उपयोग करके छात्रों और सहपाठियों के लिए ई–सामग्री उपलब्ध कराना; और
iv. छात्रों और सहपाठियों के बीच ई–विषयवस्तु के उपयोग को बढ़ावा देना।

अब तक विकसित ई–विषयवस्तु की स्थिति तालिका में नीचे दी गई है और ई–पीजी पाठशाला परियोजना दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो गई

क्रम संख्या	पीआई/विषयवस्तु का ब्योरा	संख्या
1	पत्र (पाठ्यक्रमों) की संख्या जिनमें ई–विषयवस्तु का विकास किया जा रहा है।	778
2	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	23425
3	अपलोड की गई वीडियो/स्व–शिक्षण सामग्रियों की संख्या	23953
4	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	5000 से अधिक

ई–विषयवस्तु मुक्त पहुंच के लिए उपलब्ध है तथा इस तक विश्वभर से पहुंच बनाई जा रही है।

ई–पीजी पाठ्शाला वेबसाइट पर **अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों सहित विजिटरों की कुल संख्या लगभग 91 लाख है। अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:–अमेरिका से 236678 विजिटर, यूके से 59289 विजिटर, आस्ट्रेलिया से 31869 विजिटर, रूस से 15649 विजिटर, पाकिस्तान से 329156 विजिटर, यूएई से 23464 विजिटर, चीन से 4380 विजिटर, न्यूजीलैंड से 6430 विजिटर, जापान से 16062 विजिटर, जर्मनी से 23592 विजिटर।** ई–पीजी पाठ्शाला वेबसाइट पर 'विजिटर काउंट' को दिनांक 19 मार्च, 2014 से आरंभ किया गया है।

ई–पीजी पाठ्शाला वेबसाइट के दो उप–उत्पाद भी विकसित किए गए हैं:–

- ई–पथ (ऑफलाइन एक्सेस): ई–पथ, ई–पीजी पाठशाला का अंग, जो सॉफ्टवेयर चालित पाठ्यक्रम/विषयवस्तु पैकेज है जो दूरस्थ शिक्षा के साथ–साथ कैंपस ज्ञानअर्जन पद्धति से उच्चतर शिक्षा (स्नातकोत्तर स्तर) की पढ़ाई करने वाले छात्रों की सुविधा प्रदान करता है। इसमें ऑफलाइन पहुंच बनाने की सुविधा भी है।
- ई–अध्ययन (ई–बुक्स): स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 700 से अधिक ई–पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए एक मंच है। सभी ई–बुक्स को ई–पीजी पाठशाला विषयवस्तु से प्राप्त किया गया है। यह वीडियो विषयवस्तु की प्ले–लिस्ट की सुविधा भी प्रदान करता है।

लॉकडाउन की अवधि में, दिनांक 23 मार्च, 2020 के बाद से कोविड–19 के कारण, ई–पीजी पाठशाला वेबसाइट तक भारी संख्या में लोगों ने पहुँच बनाई है। ई–विषयवस्तु तक प्रतिदिन लगभग 40 हजार उपयोगकर्ताओं द्वारा पहुंच बनाई गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई–पीजी पाठशाला योजना का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति ने पाया कि ई–पीजी पाठशाला पर अपलोड किए गए कुछ विषयों को 1,000,00 (एक लाख) से अधिक 'व्यू' प्राप्त हुए। समिति ने यह भी पाया कि कई विश्वविद्यालय मिश्रित पद्धति से ई–पीजी पाठशाला विषयवस्तु का उपयोग कर रहे हैं। यह भी पाया गया है कि अनेक यूपीएससी आकांक्षी अपनी तैयारी के लिए ई–पीजी पाठशाला नोट्स से मदद ले रहे हैं। छात्र/आजीवन शिक्षार्थी अपने ज्ञान वृद्धि के लिए ई–पीजी पाठशाला सामग्री का उपयोग कर रहे हैं।

समिति ने महसूस किया कि ई–पीजी पाठशाला, 'ओपन एजुकेशन रिसोर्स' के रूप में संकाय के साथ–साथ छात्रों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हुई है। इसकी प्रासंगिकता कोविड 19 महामारी के दौरान अधिक महसूस की गई जब इस पर असामान्य रूप से 'अधिक हिट' पाई गई। तथापि, पहले यह महसूस किया गया था कि एमओओसी, ओईआर का स्थान ले सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया जा रहा है कि दोनों की अपनी प्रासंगिकता है और एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं। जबकि, एमओओसी, पाठ्यक्रम के पूरा होने के संदर्भ में –सिंक्रोनस लर्निंग' के लिए एक तैयार किया हुआ पाठ्यक्रम है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स के रूप में ई–पीजीपी की अपनी उपयोगिता है जिसका बड़े पैमाने पर 'फ्लिप्ड क्लॉसरूम मॉडल' के लिए उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार, समिति ई–पीजी पाठशाला योजना को जारी रखने की पुरजोर सिफारिश करती है।

इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस): ई–पीजी पाठशाला से प्राप्त 'प्री–पॉप्युलेट लर्निंग कंटेंट' है। आईएलएमएस अर्थात् इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, देशभर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (वि.अ.आ. का एक आईयूसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह सेवा अनुरोध के आधार पर सभी केंद्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को प्रदान की जा रही है। यह ई–पीजी पाठशाला से प्राप्त प्री–पॉप्युलेट लर्निंग कंटेंट उपलब्ध कराता है: यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुसार पीजी पाठयक्रमों का गेटवे है।

वर्ष 2020–2021 के दौरान परियोजना (इनफ्लिबनेट ई–कंटेंट) पर कुल **60,65,964 रुपये (साठ लाख पैंसठ हजार नौ सौ चौसठ रुपये)** का व्यय किया गया है।

9.2(ii) 'स्वयं प्लेटफार्म' के लिए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम:–(*www.swayam.gov.in*)

सरकार ने स्वयं पोर्टल भी आरंभ किया है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का उपयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा पेशकश किए गए 'वर्चुअल' पाठयक्रमों में शामिल होना संभव होगा जिसमें वह शिक्षक से बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, शैक्षिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है तथा उन्हें अपने शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'लोकल चैप्टर एक्टिविटी' आरंभ करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिसमें दिनांक 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित 'स्वयं बोर्ड' की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 'स्वय' पर पेशकश किए गए एमओओसी पाठयक्रमों को अंगीकार किया जाना तथा उसको बढ़ावा दिया जाना शामिल है।

मार्च, 2021 तक 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण स्वीकार करने के लिए एक सौ पचास (150) विश्वविद्यालय बोर्ड पर आ गए हैं। स्वयं पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट मोबिलिटी स्वीकार करने वाले विश्वविद्यालयों की श्रेणी–वार (केन्द्रीय/राज्य/सम/निजी विश्वविद्यालय) की संख्या नीचे दी गई है।–

श्रेणी	विश्वविद्यालयों की संख्या/संस्थान का नाम
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	27
सम विश्वविद्यालय	25
निजी विश्वविद्यालय	46
राज्य विश्वविद्यालय	52
कुल योग	**150**

मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 मार्च, 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस् के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021 भारत के राजपत्र (कॉपी संलग्न) में मार्च, 2021 को अधिसूचित किया, जो अब किसी संस्थान को एक सेमेस्टर में एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) तक 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रमों प्रदान करने की अनुमति देता है।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पेशकश किए गए पीजी एमओओसी में से पांच पाठ्यक्रम 'क्लास–सेंट्रल' द्वारा वर्ष 2019 के 30 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची में परिलक्षित हुए हैं।
3. 'क्लास–सेंट्रल' के शीर्ष 5 पाठ्यक्रम को भी **दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को प्रेस सूचना ब्यूरो** द्वारा प्रकाशित किया गया है।
4. गैर–प्रौद्योगिकी 243 यूजी और 132 पीजी एमओओसी पाठ्यक्रमों जिनकी कभी 'स्वयं' पर पेशकश की गई थी, जिसे वि.अ.आ. एमओओसी पोर्टल (***https://ugcmoocs.inflibnet.ac.in/moocs_courses.php***) में संग्रहित किया गया है और बिना पंजीकरण के छात्रों/शिक्षार्थियों/संकाय/आजीवन शिक्षार्थियों द्वारा देखा जा सकता है। मार्च, 2021 तक 7 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने वि.अ.आ. एमओओसी वेबसाइट पर पहुंच बनाई है।
5. वि.अ.आ. ने 'स्वयं' योजना के परिणामों की समीक्षा के लिए जुलाई, 2020 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 'स्वयं' योजना से संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए छात्रों के साथ–साथ एमओओसी के पाठ्यक्रम समन्वयकों से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए। यह पाया गया कि 51.2 प्रतिशत छात्रों/आजीवन शिक्षार्थियों ने कक्षा शिक्षण की तुलना में अपने ऑनलाइन सीखने के अनुभव को अच्छा आंका और 23 प्रतिशत ने उत्तर दिया कि अनुभव बहुत अच्छा था। इसके अलावा, 52 प्रतिशत छात्रों/आजीवन शिक्षार्थियों ने 'स्वयं' की सहायता और ज्ञानअर्जन हेतु सहायता के अनुभव को अच्छा आंका और 27.6 प्रतिशत ने इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। साथ ही, 53.8 प्रतिशत पाठ्यक्रम समन्वयकों (सीसी) सहमत हुए, और 35.2 प्रतिशत पाठ्यक्रम समन्वयक इस प्रश्न पर दृढ़ता के साथ सहमत थे कि 'स्वय' एमओओसी शिक्षण के पारंपरिक तरीके का अनुपूरक हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या 'फ्लिप और ब्लेंडिड' शिक्षण पद्धति में एमओओसी का उपयोग किया जा सकता है, 56 प्रतिशत सीसी इस बात से सहमत थे और 28.6 प्रतिशत सीसी दृढ़ता के साथ इस बात से सहमत थे कि एमओओसी पाठ्यक्रमों का उपयोग 'फ्लिप और ब्लेंडिड' शिक्षण पद्धति में भी किया जा सकता है। मूल्यांकन समिति ने स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस् (स्वयं) पीजी गैर प्रौद्योगिकी योजना को जारी रखने की पुरजोर सिफारिश की।
6. गैर–प्रौद्योगिकी 'यूजी स्वयं' के कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातकपूर्व स्तर पर विकसित 'स्वयं' यूजी एमओओसी पाठ्यक्रमों को 17 विषयों अर्थात् इतिहास, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान, वाणिज्य, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी, और पर्यावरण विज्ञान में 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (सीबीसीएस) पाठ्यक्रम की अकादमिक पाठ्यचर्या को 'मैप' कर दिया है। 17 विषयों में 'रूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गई है। सीईसी (वि.अ.आ. का एक आईयूसी), विशेषज्ञ समितियों की मदद से 'रूचि की अभिव्यक्ति' के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। उपर्युक्त विषयों के अंतर्गत कमी वाले क्षेत्रों के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***http://swayam.inflibnet.ac.in/*** पर **520 पाठ्यक्रमों में 'रूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गई है।**

7. इसके अलावा, गैर–प्रौद्योगिकी 'पीजी स्वयं' के कमी वाले क्षेत्रों को भी 'मैप' किया गया है।

8. 'स्वयं' पाठ्यक्रमों की पहुंच बढ़ाने के लिए, वि.अ.आ. और सीईसी, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में 'स्वय' के पाठ्यक्रमों का अनुवाद कर रहा है।

9. आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालयों के **229 'स्वयं' समन्वयक और 1814, महाविद्यालयों के 'स्वयं मेंटर्स'** की पहचान अब तक की जा चुकी है। जिन संस्थानों से 'स्वयं' समन्वयक और 'स्वयं मेंटर्स' जुड़े हैं, उन्हें 'स्वयं लोकल चैप्टर्स' कहा जाता है।

10. सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान के समय को उत्पादकपूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 मार्च, 2020 के पत्र संख्या एफ.1–14/2020 (वेबसाइट) माध्यम से वि.अ.आ. और एमओई की सभी डिजिटल पहल का विवरण प्रदान करके शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच ऑनलाइन ज्ञानअर्जन को प्रोत्साहित किया। इस पत्र को एआईएसएचई पोर्टल के माध्यम से सभी लगभग 1000 विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय तथा 32,000 महाविद्यालयों को उनके उपयोग लिंक के साथ–साथ साझा किया गया। इस पत्र को एआईएसएचए पोर्टल के माध्यम से लगभग 1000 विश्वविद्यालयों और 32 हजार महाविद्यालयों के साथ भी साझा किया गया है। इस पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके।

11. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** ने जुलाई, 2020 के सत्र के लिए 'स्वयं' प्लेटफार्म पर पेशकश किए जाने वाले 82 यूजी–42 पीजी नॉन–इंजीनियरिंग एमओओसी पाठ्यक्रमों की सूची के संबंध में **दिनांक 19 मई, 2020 के पत्र संख्या 1–8/2017** (स्वयं बोर्ड) जारी किया, और सभी कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से इन एमओओसी पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और इन पाठ्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। इस पत्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और निम्नवत लिंक पर देखा जा सकता है:– ***https://www.ugc.ac.in/pdfnews/3860047_Swayam-letter-to-all-VCs.pdf.*** इस पत्र को एआईएसएचई पोर्टल के माध्यम से सभी लगभग 1000 विश्वविद्यालयों तथा 32,000 महाविद्यालयों के साथ भी साझा किया गया।

12. 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं अनुभाग' के 'ई–विषयवस्तु प्रकोष्ठ' ने छात्रों/संकाय/अकादमिक बिरादरी से प्राप्त ऐसे सभी ई–मेल का उत्तर दिया है, जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी प्रकार की मदद मांगी की गई है।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वयं परीक्षाओं को 29–30 सितंबर, 2020 को पुनर्निर्धारण किए जाने के संबंध में दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को सार्वजनिक सूचना जारी की, यह नोटिस एआईएचई पोर्टल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ साझा किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***www.ugc.ac.in***) पर भी अपलोड किया गया है।

14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के संबंध में विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों और सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को एक पत्र जारी किया। पत्र में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कई पहलों और सुधारों को भी शामिल किया गया है ।

15. पिछले एक वर्ष (2020–2021) के दौरान सीईसी (वि.अ.आ. का एक आईयूसी) द्वारा पेशकश किए गए 'स्वयं' गैर–इंजीनियरिंग यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों का विवरण:–

    क). **जनवरी–अप्रैल, 2020** सत्र के लिए 'स्वयं प्लेटफार्म' पर **61 यूजी और 43 पीजी** गैर–इंजीनियरिंग एमओओसी पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई थी। जनवरी, 2020 के सेमेस्टर में 61 यूजी और 43 पीजी पाठ्यक्रमों में कुल 303881 छात्र नामांकित हुए है। **जनवरी–अप्रैल, 2020** के सत्र में प्रस्तावित गैर–अभियांत्रिकी स्वयं पाठ्यक्रमों की परीक्षा एनटीए द्वारा दिनांक 29 से 30 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई। परीक्षा पंजीकरण **6,485** रहा।

    ख). **जुलाई–अक्तूबर, 2020** के सत्र के लिए 'स्वयं प्लेटफार्म' पर **82 यूजी और 45 पीजी** गैर–इंजीनियरिंग एमओओसी पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई थी। जुलाई, 2020 सेमेस्टर में 82 यूजी और 45 पीजी पाठ्यक्रमों में कुल 370784 छात्रों ने नामांकन किया। **एनटीए द्वारा दिनांक 25–26 मार्च, 2021 को 82 यूजी और 45 पीजी की परीक्षा आयोजित की गई थी, परीक्षा के लिए कुल 11185 छात्र पंजीकृत हुए।**

    ग). **जनवरी–अप्रैल, 2021** के सत्र के लिए 'स्वयं प्लेटफार्म' पर **78 यूजी और 46 पीजी** गैर–इंजीनियरिंग एमओओसी पाठ्यक्रम पेश किए गए थे। 78 यूजी और 46 पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकित कुल छात्रों की संख्या **लगभग 2 लाख 88 हजार** है।

वर्ष 2020–2021 के दौरान परियोजना ('स्वयं' के लिए एमओओसी) पर किया गया कुल व्यय 1,38,64,444 रुपये (एक करोड़ अड़तीस लाख चौंसठ हजार चार सौ चवालिस रुपये) है।

9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधिवत् रूप से डिजिटल प्रारूप में शैक्षणिक संस्थानो/बोर्डों/पात्र मूल्यांकनकर्ता निकायों द्वारा दर्ज सभी अकादमिक अवार्डों का 24×7 ऑनलाइन स्टोर हॉउस है।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने जानकारी प्रदान की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिजिलॉकर, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से एनएडी को एक स्थायी योजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत है, जिसे बिना कोई उपयोग प्रभार उद्गृहित किए एनएडी की 'सिंगल एंटिटी' के रूप में चलाया जाएगा।

- एनएडी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए वि.अ.आ. और डिजिलॉकर के बीच समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- वि.अ.आ. ने दिनांक 26 जून 2020 के अपने समसंख्यक पत्र के माध्यम से सभी अकादमिक संस्थानों (एआईएस) को सूचित किया कि डिजिलॉकर, एनएडी के लिए एकमात्र डिपॉजिटरी है।
- वि.अ.आ. ने डिपॉजिटरी में बदलाव के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे हैं।
- एनएडी ने विश्वविद्यालयों को नई एनएडी–डिजिलॉकर प्रणाली में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षित करने और मदद करने के लिए ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं।
- नई एनएडी–डिजिलॉकर प्रणाली–2020 के 'हैंडहोल्डिंग' ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का पहला चरण अक्तूबर, 2020 के माह में आयोजित किया गया था (दिनांक 05 से 22 अक्तूबर, 2020 तक राज्यवार 18 से अधिक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित किए गए थे)।
- एनएडी–डिजिलॉकर प्रणाली–2021 के 'हैंडहोल्डिंग' ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा चरण फरवरी, 2021 और मार्च, 2021 के माह में आयोजित किया गया था (दिनांक 16 फरवरी, 2021 से 25 मार्च, 2021 तक 10 से अधिक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित किए गए थे)।
- वि.अ.आ., डिजिलॉकर और मंत्रालय के बीच एनएडी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आवधिक बैठक आयोजित की जाती हैं।
- मीडिया कार्यनीति के भाग के रूप में, टीवीसी और रेडियो जिंगल (जिसे 10 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया) और पोस्टर, एनएडी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विकिपीडिया पेज को एनएडी प्रकोष्ठ द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है और एनएडी के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रबंधन भी करता है। वि.अ.आ. ने देशभर के सभी अकादमिक संस्थानों को नियमित पत्र भेजा था ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और संस्थानों को एनएडी, एआई को ऑनबोर्ड करने हेतु सक्षम बनाया जा सके, और उन्हें आवधिक रूप से एनएडी के बारे में जानकारी प्रदान कर सके।
- एनएडी वेबसाइट बनाई गई है और एनआईसी इसे बेहतर बनाने के लिए इसका उन्नयन कर रहा है। इस संबंध में एनएडी और एनआईसी के बीच आवधिक बैठकें आयोजित की गई थीं।
- जिन एआई का पंजीकरण किया गया है, उन्होंने एनएडी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिनका संपर्क संबंधी ब्योरा (ई–मेल और मोबाइल फोन) डिपॉजिटरी/वि.अ.आ. एनएडी प्रकोष्ठ के पास उपलब्ध है।
- शिकायतों का समाधान करने के लिए, वि.अ.आ.–एनएडी किसी भी एनएडी शिकायत के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का उपयोग कर रहा है।
- एनएडी मासिक स्थिति रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाती है।

एनएडी की प्रगति से संबंधित आंकड़ेः मार्च, 2021 को एनएडी की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1	उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की संख्या, जिन्होंने डिजिलॉकर के माध्यम से एनएडी को ऑनबोर्ड कर दिया है।	655
2	उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के अकादमिक अवार्डों की संख्या, जिन्हें डिजीलॉकर के माध्यम से एनएडी पर दर्ज कराया गया है।	2.4 करोड़
3	डिजिलॉकर के माध्यम से एनएडी के साथ पंजीकृत निकायों की संख्या, जो सत्यापन करती हैं।	678

अध्याय 10 ➤ कौशल विकास संबंधी पहल

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनएसक्यूएफ के तहत तीन योजनाएं यथा **सामुदायिक महाविद्यालय, बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम, तथा दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन तथा कौशलयुक्त मानव सक्षमताओं तथा आजीविका केन्द्र (कौशल) योजना** को कार्यान्वित कर रहा है।

विशिष्ट एनएसक्यूएफ स्तरों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं, आंकलन मानदंड तथा क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित क्रेडिट हैं जिन्हें किसी संस्थान द्वारा संबंधित विशिष्टताओं में प्रदान किए गए क्रेडिटों की समान संख्या के समतुल्य षैक्षिक योग्यता की समकक्षता के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) एक सक्षमता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता को क्रमबद्ध करता है। एनएसक्यूएफ के स्तर को एक से दस तक वर्गीकृत किया गया है, ज्ञानअर्जन परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें शिक्षार्थी को को धारण करना होगा चाहे वह औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानअर्जन के माध्यम से प्राप्त किया जाए अथवा अथवा नहीं। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) किसी नौकरी अथवा कार्य की भूमिका में प्रभावी प्रदर्शन के लिए अपेक्षित कौशल, ज्ञान और बोध के विवरण हैं और सक्षम निष्पादन के परिणामों के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। वे इस बात को सूचीबद्ध करते हैं कि कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को क्या जानना चाहिए साथ ही वे यह कार्य करने सक्षम भी हों। यह मानक, नौकरी संबंधी अपेक्षाओं के साथ मेल खाने के लिए विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बेंचमार्क बन सकते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक कार्य भूमिका के लिए अनेक कार्यों के प्रदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, इन कार्यों के अनुरूप एनओएस के संयोजन उस कार्य भूमिका के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) का रूप लेते हैं। उद्योग नेतृत्व के साथ गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा स्थापित संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा एनएसक्यूएफ के प्रत्येक स्तर के अनुरूप प्रत्येक कार्य की भूमिका के लिए एनओएस और क्यूपी तैयार किए जा रहे हैं।एनओएस और क्यूपीएस पर आधारित पाठ्यक्र, इस प्रकार स्वयं ही एनएसक्यूएफ का अनुपालन करेगा।

एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन के माध्यम से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम इस प्रकार हैं:

- एनएसक्यूएफ के समकक्ष डिग्री को तैयार करके व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता।
- पूर्व ज्ञानअर्जन (आरपीएल) की मान्यता, गैर–औपचारिक से संगठित नौकरी बाजार में परिवर्तन की अनुमति।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से देशभर में प्रशिक्षण के मानकीकृत, सुसंगत, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम।
- एनएसक्यूएफ की अंतर्राष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता ।
- क्षेत्रों के भीतर और एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में प्रगति के अवसरों का मानचित्रण।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में एनओएस/क्यूपी का अनुमोदन

शिक्षा समाज– उद्योग जगत का सहयोग:

कौशल विकास योजनाओं को शिक्षा समाज– उद्योग जगत का सहयोग है, जहां शिक्षा समाज में उद्योगों के लिए उपयुक्त मंच प्रदान किया जाता है, जो अन्यथा नीतिगत प्रयासों के साथ भी वांछित तरीके से पूरा नहीं हो सकता था।

- अदानी पावर इंडस्ट्रीज (तिरुदा– नागपुर)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (अहमदाबाद)

- वोल्वो– आइशर वाणिज्यिक वाहन लिमिटेड
- यामाहा ऑटोमोबाइल– टू व्हीलर्स
- दैनिक भास्कर– मीडिया क्षेत्र
- नागांव पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर कम्पनी लिमिटेड, असम
- आईएसटीवी टीवी चैनल, इम्फाल
- बाबीना हेल्थकेयर एंड होस्पिटेलिटी लिमिटेड
- अधीरा– एक्यूटेक सीएनसी उत्पाद, प्राइवेट लिमिटेड
- अरुण हाईटेक इंजीनियरिंग– फाउंड्री उपकरण

कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एनएसडीसी और संबंधित सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) के परामर्श से 45 संभावित विधाओं में क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी), राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया है। इन प्रस्तावित किए जा रहे पाठ्यक्रमों को 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (सीबीसीएस) के तहत क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रमों और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों के लिए 'स्किल बास्केट' के विकल्प के रूप में भी काम कर सकते हैं।

पाठ्यक्रमों और अवार्ड के स्वरूप:

पूर्णकालिक क्रेडिट–आधारित मॉड्यूलर कार्यक्रम होंगे, जिसमें कौशल और सामान्य शिक्षा के घटकों के को संचित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि बहु निकास और प्रवेश को सक्षम बनाया जा सके।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष 2014 से एचईआई को बी.वीओसी और एम.वीओसी जैसे कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश करने की सुविधा दे रहा है। यह कार्यक्रम न केवल रोजगार के मुद्दे का समाधान करते हैं बल्कि शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संबंध भी बनाते हैं ।

वर्ष 2020–21 के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4637 ट्रेडों में एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित कार्यक्रम पेश करने के लिए 1208 संस्थानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कौशल विकास और छात्रों की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए 'अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम' हेतु दिशानिदेश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन सभी कौशल विकास कार्यक्रमों का लक्षित समूह ग्रामीण और जनजातीय युवाओं सहित सभी श्रेणियों के छात्रों हैं। वर्ष के दौरान कोई वित्तीय सहायता अनुमोदित नहीं की गई है।

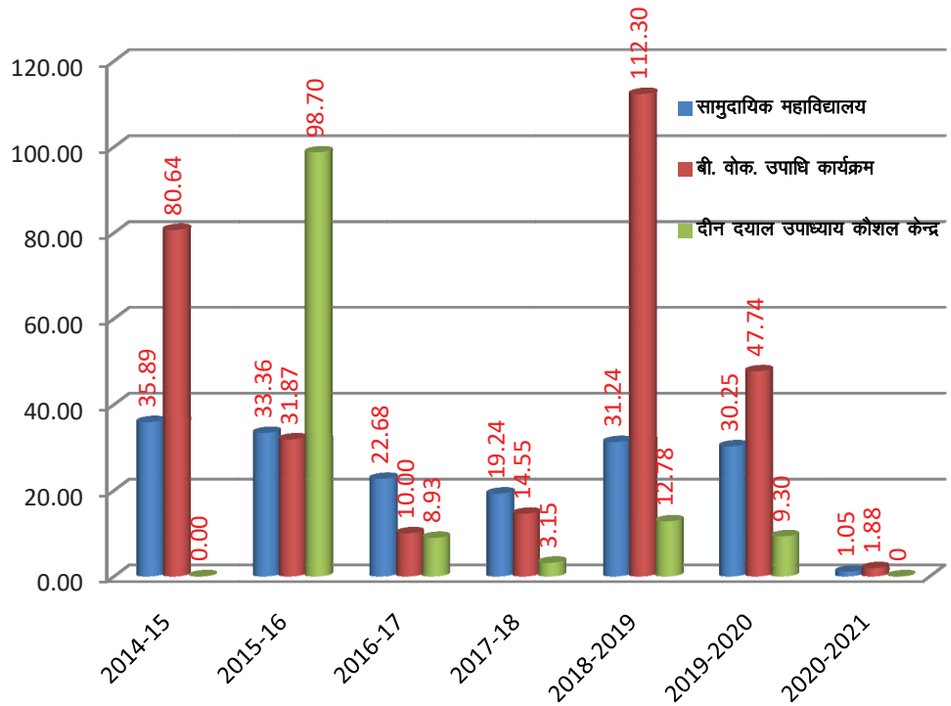
तालिका 10(i): दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी कौशल विकास केन्द्रों की संख्या (एनएसक्यूएफ) (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय)

योजना का नाम	संस्थानों की संख्या
सामुदायिक महाविद्यालय	188
बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम	289
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र	68
कुल	**545**

तालिका 10(ii): सामुदायिक महाविद्यालय, बी0 वोक0 उपाधि कार्यक्रम तथा दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के लिए जारी किए गए अनुदान का वर्ष वार ब्योरा (करोड़ रुपये में)

योजना	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019	2019-2020	2020-2021
सामुदायिक महाविद्यालय	35.89	33.36	22.68	19.24	31.24	30.25	1.05
बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम	80.64	31.87	10.00	14.55	112.30	47.74	1.88
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र	--	98.70	8.93	3.15	12.78	9.30	--
कुल	**116.53**	**163.93**	**41.61**	**36.94**	**156.32**	**87.29**	**2.93**

रेखाचित्र 10.1(ii): वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 के दौरान सामुदायिक महाविद्यालय, बी. वोक. उपाधि कार्यक्रम तथा दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के लिए जारी किए गए अनुदान का वर्ष वार ब्योरा (करोड़ रुपये में)



अध्याय 11 ➤ मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन
11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 जून, 2017 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन) विनियम, 2017 तथा दिनांक 04 जुलाई, 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया। इसके अलावा, ओडीएल और ऑनलाइन पद्धति में कार्यक्रमों के बीच समानता, क्रेडिट निरंतरता बनाए रखने आदि और इन दोनों माध्यमों के लिए आवश्यक संसाधनों के अनुकूलन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 04 सितंबर, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। आयोग ने दिनांक 18 फरवरी, 2021 को हुई अपनी 550 वीं बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली, जोकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 का 50 वां) के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के लागू होने, जोकि उक्त विनियमों की अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 04 सितम्बर, 2020, शिक्षा सत्र 2020–21 तथा उसके बाद अगले आदेश तक लागू किए जाने से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण की अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर, वर्ष 2020–21 के लिए शिक्षा सत्र को इस प्रकार तैयार किया गया था:

शिक्षा सत्र	निम्नवत तिथि को संशोधित किया गया	प्रवेश की अंतिम तिथि
जुलाई, 2020	सितम्बर–अक्तूबर, 2020	31 दिसम्बर, 2020
जनवरी, 2021	फरवरी–मार्च, 2021	30 अप्रैल, 2021

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा

पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उन्हें इस विनियम के उपबंधों के तहत संसाधित किया गया था। तदनुसार, 68 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2020–21 के लिए ओडीएल पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है जैसा कि **तालिका 11.1(क)** में नीचे दिया गया है।

तालिका 11.1(क)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
	केन्दीय विश्वविद्यालय	
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
3.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	महाराष्ट्र
4.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना
5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	असम

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
7.	द इंग्लिश एण्ड फारेन लेंग्वेज यूनीवर्सिटी, हैदराबाद	तेलंगाना
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली
	राज्य विश्वविद्यालय	
9.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश
10.	अन्ना विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
11.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	मध्य प्रदेश
12.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	असम
13.	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा
14.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश
15.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
16.	आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, कपूरथला	पंजाब
17.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	तेलंगाना
18.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
19.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	तमिलनाडु
20.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	हरियाणा
21.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	मध्य प्रदेश
22.	मंगलोर विश्वविद्यालय, कोनाजे	कर्नाटक
23.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
24.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	पंजाब
25.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	बिहार
26.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	पंजाब
27.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोहलापुर	महाराष्ट्र
28.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम्, तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश
29.	तमिल फिजिकल एजूकेशन एंड स्पोर्टस यूनीवर्सिटी, चेन्नई	तमिलनाडु
30.	केरल विश्वविद्यालय, तिरुअनंतपुरम	केरल
31.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
32.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र
33.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, सिलिगुड़ी	पश्चिम बंगाल
34.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	पश्चिम बंगाल
	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	
35.	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, तेलंगाना	तेलंगाना
36.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात
37.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
38.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम
39.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश
40.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार
41.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
42.	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर	ओडिशा
43.	पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
44.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	तमिलनाडु
45.	यू. पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश
46.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	उत्तराखण्ड

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
47.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	राजस्थान
48	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक	महाराष्ट्र
	निजी विश्वविद्यालय	
49.	एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
50.	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा	उत्तर प्रदेश
51.	असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम
52.	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय,	चण्डीगढ़
53.	केलोरेक्स टीचर्स यूनीवर्सिटी, अहमदाबाद	गुजरात
54.	इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड फाइनाइंशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला	त्रिपुरा
55.	इंटीग्रल युनिवर्सिटी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
56.	जे.ई.सी.आर.सी. युनिवर्सिटी, विधानी	राजस्थान
57.	कलिंग यूनीवर्सिटी, रायपुर	छत्तीसगढ़
58.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जलंधर	पंजाब
59.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी	मध्य प्रदेश
60.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ	उत्तर प्रदेश
61.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला	उत्तर प्रदेश
62.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	उत्तराखण्ड
	सम विश्वविद्यालय संस्थान	
63.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	उत्तर प्रदेश
64.	ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	उत्तराखण्ड
65.	जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरू	कर्नाटक
66.	जैन विश्वभारती इंस्टीटयूट, लांडनू	राजस्थान
67.	जामिया हमदर्द, दिल्ली	दिल्ली
68.	पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुंबई	महाराष्ट्र

11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 के तहत निर्धारित उपबंधों के अनुसार, वर्ष 2020–21 (जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र) के दौरान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 6 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नाम **तालिका 11.2(क)** में नीचे दिए गए हैं।

तालिका 11.2(क)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थानों का नाम	राज्य
	निजी विश्वविद्यालय	
1.	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा	उत्तर प्रदेश
	सम विश्वविद्यालय संस्थान	
2.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
3.	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
4.	जेएसएस एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, मैसूर	कर्नाटक
5.	मनिपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन, मनिपाल	कर्नाटक
6.	षणमुग्धा आर्टस, सांइस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, थंजावुर	तमिलनाडु

11.2(ख) ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान

जैसा कि विनियमों द्वारा अधिदेशित किया गया है, वर्ष 2020–21 के लिए जनवरी (यथा संशोधित, फरवरी से मार्च), 2021 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3(ख)(क) के तहत विनिर्धारित उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (की पूर्व अनुमति के बिना पूर्णरूपेण ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके अलावा, प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने सांविधिक प्राधिकरणों के अनुमोदन और इन उपबंधों के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अधिकतम तीन (03) स्नातकपूर्व (यूजी) कार्यक्रम और दस (10) स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

निम्नलिखित चार उपबंधों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी:

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पात्रता संबंधी मानदंड
2. ऑनलाइन पद्धति के तहत प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति।
3. उपाधियों की विनिर्दिष्टा, 2014 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना का अनुपालन
4. जहां भी लागू हो, विनियामक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति

उच्चतर शिक्षा संस्थान, जब तक विनियम 3(ख)(क) के अनुसार नैक या एनआईआरएफ रैंकिंग संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं तब तक वे इस अवधि के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के पात्र हैं, और यदि नहीं, तो वे कार्यक्रमों को बंद कर देंगे और तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करेंगे।

तदनुसार, 38 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) जो उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाए गए हैं और जिन्होंने शपथ पत्र जमा कर दिया है उनकी, एक सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों का विवरण **तालिका 11.2(ख)** में दिया गया है।

तालिका 11.2(ख)

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षण संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	दिल्ली
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली
4.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल	मिजोरम
राज्य विश्वविद्यालय		
5.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी	तमिलनाडु
6.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
7.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
8.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
9.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	मध्य प्रदेश
10.	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा
11.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पंजाब
12.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	हरियाणा

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षण संस्थान का नाम	राज्य
13.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शिमोगा	कर्नाटक
14.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	तमिलनाडु
15.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	तमिलनाडु
16.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	जम्मू और कश्मीर
17.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक
निजी विश्वविद्यालय		
18.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, अजीतगढ़	पंजाब
19.	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
20.	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	हरियाणा
21.	शिव नादर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
सम विश्वविद्यालय संस्थान		
22.	अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	तमिलनाडु
23.	बनस्थली विश्वविद्यालय, जयपुर	राजस्थान
24.	भारती विद्यापीठ, पुणे	महाराष्ट्र
25.	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	उत्तर प्रदेश
26.	डॉ. एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
27.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
28.	हिंदुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
29.	आईसीएफएआई फाउंडेशन ऑफ हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	तेलंगाना
30.	जैन, बेंगलुरु	कर्नाटक
31.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, गुंटूर	आंध्र प्रदेश
32.	नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई	महाराष्ट्र
33.	पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुंबई	महाराष्ट्र
34.	सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
35.	षणमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (शास्त्र), तंजावुर	तमिलनाडु
36.	एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु
37.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, पुणे	महाराष्ट्र
38.	येनेपोया, मैंगलोर	कर्नाटक

11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, एमओओसी के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि में सहायता करने के लिए 14.04 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा **तालिका 11.3** में दिया गया है।

तालिका 11.3

क्रम संख्या	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	वर्ष 2020–21 के लिए संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)
1.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात	1.17
2.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक	1.17
3.	कृष्णा कांता हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	असम	1.17
4.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार	1.17
5.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1.17
6.	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर	ओड़िशा	1.17
7.	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर	छत्तीसगढ	1.17
8.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	तमिलनाडु	1.17
9.	यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	1.17
10.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	उत्तराखंड	1.17
11.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	राजस्थान	1.17
12.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	महाराष्ट्र	1.17

अध्याय 12 ➤ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश–शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल

12.1 छात्र प्रवेशन कार्यक्रम (दीक्षारंभ)
12.2 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)
12.3 मूल्यांकन सुधार
12.4 छात्रों के लिए जीवन कौशल (लॉइफ स्किल)
12.5 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्रॉइड)
12.6 शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)
12.7 गुरू दक्षता–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)
12.8 ''परामर्श''–गैर प्रत्यायित संस्थानों को वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनका मार्गदर्शक बनना
12.9 मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना
12.10 पर्यावरण अनुकूल तथा धारणीय परिसर हेतु दिशानिर्देश
12.11 विश्वविद्यालय तथा उद्योग संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा विस्तार देना
12.12 छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क
12.13 बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियां (जीएआरपी)

12.1 छात्र प्रवेशन कार्यक्रम (दीक्षारंभ)

''दीक्षारंभ– छात्र प्रवेशन कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शक'' को माध्यमिक स्तर से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में छात्र के अंतरण को स्वाभाविक रूप से सरल बनाने तथा छात्र में अपनत्व की भावना और उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करने, उन्हें नए संस्थान के लोकाचार के साथ अनुकूलन करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, यह शिक्षकों, छात्रों के लिए एक दूसरे को जानने और एक अनन्त संबंध बनाने के लिए एक अवसर के रूप में काम करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 जुलाई, 2019 को ''दीक्षारंभ''– प्रवेशन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए एक मार्गदर्शक'' के रूप में तैयार और आरंभ किया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www-ugc-ac-in/pdfnews/3830821_DeekshārambhEnglish-pdf***) पर उपलब्ध है। छात्र प्रवेशन कार्यक्रम (एसआईपी) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, गुवाहाटी, कोलकाता, कोयंबटूर, लखनऊ और भोपाल में शिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) प्रदान करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में 1650 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। आज की तिथि के अनुसार लगभग 462 एचईआई ने छात्र प्रवेशन कार्यक्रम लागू किया है।

12.2 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा पर एक दस्तावेज तैयार किया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । ज्ञानअर्जन

परिणाम आधारित दृष्टिकोण का मूल आधार कार्यक्रम अधिगम परिणामों और अकादमिक मानकों के साथ किसी स्नातक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गुणों को संरेखित करना है। यह एक छात्र केंद्रित ज्ञानअर्जन पद्धति है। एलओसीएफ का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना है। पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालयों को सुकर बनाने हेतु 31 विषयों में नए पाठ्यक्रम, जो एलओसीएफ पर आधारित है, को विकसित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

12.3 मूल्यांकन सुधार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली का इस प्रकार पुनरुद्धार करने के लिए मूल्यांकन सुधार शुरू किए हैं ताकि सतत मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन चालित ज्ञानअर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि विषयवार ज्ञानअर्जन परिणामों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करके वर्तमान प्रणाली को पूर्णरूप से पुनःढ़ांचाबद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है।

परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य ज्ञानअर्जन परिणामों, प्राप्त किए गए ज्ञान, विकसित की गई अभिवृत्ति की जांच करना और कौशल के महत्व को समझना, स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर, एमफिल/पीएचडी के लिए अलग उपयुक्त मॉडल विकसित किया जाना, गुणवत्ता और मानकों से समझौता किए बिना आंतरिक और सतत् मूल्यांकन पर बल दिया जाना, प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप, डिग्री और अंकपत्रों के डिजिटल डिपॉजिटरी, ग्रेडिंग और क्रेडिट अंतरण करनाः सभी एचईआई में न्यूनतम कार्यक्रम वार एक समानता सुनिश्चित करना, मॉडरेशन, मांग पर परीक्षा, प्रश्न बैंक, सभी एचईआई के लिए समयाबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी ढांचे को विकसित किए जाने की अपेक्षा तथा परिणाम घोषणा करना है।

मूल्यांकन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में एचईआई के परीक्षा नियंत्रक शिक्षकों/प्रशासकों/संकाय अध्यक्ष (शिक्षाविदों) के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और लगभग 800 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मूल्यांकन सुधार दिशानिर्देश आरंभ किए गए हैं।

12.4 छात्रों के लिए जीवन कौशल (लॉइफ स्किल)

एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ताकि वैश्विक रोजगार के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण कौशल के साथ स्नातकों को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें इस बात का एहसास करवाकर कि ''वे ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्रणाली उनके लिए काम करे'' वे एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें।

दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को जीवन कौशल (लॉइफ स्किल) के संबंध में एक पाठ्यक्रम तैयार कर आरंभ किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www.ugc.ac.in/e-book/SKILL%20ENG/mobile/index.html***) पर उपलब्ध है। पाठयचर्या में चार मॉडयूल हैं:

क) संम्प्रेषण कौशल
ख) व्यावसायिक कौशल जिसमें वृत्ति कौशल और दलगत कौशल शामिल हैं
ग) उद्यमशीलता कौशल सहित नेतृत्व और प्रबंधन
घ) योग और सेवा सहित सार्वभौमिक मानवीय मूल्य

कार्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी निम्नवत के संबंध में सक्षम हो जाएगाः

1. आत्म सक्षमता और आत्मविश्वास हासिल करें।
2. भावनात्मक सक्षमता का अभ्यास करें।
3. बौद्धिक सक्षमता हासिल करें।
4. व्यावसायिक योग्यता के माध्यम से औरों से बढ़त हासिल करें।
5. सामाजिक सक्षमता की उच्च भावना हेतु लक्ष्य साधें।
6. एक संपूर्ण मानव बनें।

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जीवन कौशल संबंधी पाठ्यक्रम अपनाने का अनुरोध करने वाला पत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को अपलोड किया गया है। सभी एचईआई से अनुरोध है कि वे जीवन कौशल पाठ्यक्रम को अपनाएं। जीवन कौशल के लिए सुविधाप्रदाता पुस्तिका को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

12.5 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)

'स्ट्राइड' का उद्देश्य नवाचार संस्कृति और अंतर्विधा अनुसंधान को बढ़ावा देना है और इसका उद्देश्य सामान्यत रूप से अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना और अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना और विशिष्ट रूप से भारतीय **उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई)**, विशेषकर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अंतर्विधा अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य

1. युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करना, क्षमता का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक अंतर्विधा अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।
2. मानविकी और मानव विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली में चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

'स्ट्राइड' के तीन घटक हैं:

घटक–I: महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास करना। [सभी विषय] (अवधि–3 वर्ष तक)।

घटक–II : राष्ट्रीय विकास हेतु अंतर्विधा अनुसंधान और समेकित नवोन्मेष [सभी विषय] (अवधि – 3 वर्ष तक)

घटक–III: निम्नलिखित विषयों में मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव वाला अंतर्विधा अनुसंधान (जिसमें निम्नवत विषयों में बल दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल है (असीमित रूप सें)–दर्शन, इतिहास, पुरातत्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, 'लिब्रल आर्टस्', भाषा विज्ञान, भारतीय भाषाएं और संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास शामिल हैं (अवधि–5 वर्ष तक)

सहायता का स्वरूप, सहायता की प्रमात्रा:

घटक–I: 01 करोड़ रुपये तक

घटक–II: 50 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये तक

घटक–III: 01 करोड़ रुपये से 05 करोड़ रुपये तक

निगरानी हेतु प्रक्रिया

घटक–I: मार्गदर्शक तथा निगरानी समिति प्रगति की समीक्षा करती है।

घटक–II: परियोजना के मूल अन्वेषक (पी1) के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद ऑनलाइन पद्धति से एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इसका मूल्यांकन, समीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

घटक–III: परियोजना निगरानी समिति, प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगी।

वर्तमान स्थिति:

घटक–I: 35 विश्वविद्यालय/संस्थानों का चयन।

घटक–II: प्रस्तावितों के चयन का कार्य चल रहा है।

घटक–III: 11 प्रस्ताव तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थानों को लघुसूचीबद्ध किया गया।

12.6 शैक्षिक शोध आचार हेतु संघ (केयर)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) का "गुणवत्ता अधिदेश" संकाय सदस्यों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान और नए ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है।

इसके निम्नवत उद्देश्य हैं:

- *संकाय सदस्यों द्वारा गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्वसनीय अनुसंधान करना।*
- *शैक्षिक और अनुसंधान सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रकाशन आचारनीति को बढ़ावा देना।*
- *प्रतिष्ठित जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना, जो उच्च वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने में मदद करेंगे तथा और अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना।*
- *बेहतर गुणवत्ता वाले जर्नलों की पहचान के लिए एक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली विकसित करना।*
- *संदिग्ध/घटिया जर्नलों में प्रकाशनों को रोकना, जो साख गिराते हैं और शोध कार्य की छवि को धूमिल करते हैं और इस तरह एक दीर्घकालिक शैक्षणिक क्षति होती है।*
- *विभिन्न शैक्षणिक मूल्यांकनों के लिए 'केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' तैयार करना तथा उसका रखाखाव करना।*

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'केयर सूची' के विश्लेषण का उत्तरदायित्व सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिह्नित चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (जिन्हें इसके पश्चात् केयर विश्वविद्यालय के रूप में नामित किया जाएगा) को सौंपा है।

'केयर सूची' परिवर्तनशील है। इसे प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के पहले दिन (यदि इन तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश हो तो अगले कार्यदिवस पर) त्रैमासिक रूप से अद्यतन किया जाएगा। पहली केयर सूची दिनांक 14 जून, 2019 को केयर की वेबसाइट ***https://ugccare.unipune.ac.in*** पर अपलोड की गई थी। दिनांक 14 जून, 2019 को शैक्षणिक सत्यनिष्ठा के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उपरोक्त सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

'केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' की मौजूदा स्थिति/सांख्यिकी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12.7 गुरू दक्षता–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया एक अधिदेश, नए भर्ती हुए संकाय सदस्यों को उनके शिक्षण तथा प्रबंधन कौशल में सुधार करने लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संस्कृति से समायोजन करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों की बेहतर समझ–बोध के लिए एक उच्च गुणवत्तायुक्त संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी) का विकास तथा कार्यान्वयन किया है। इस प्रकार, आयोग ने नए भर्ती हुए संकाय सदस्यों को शिक्षण के पेशे में प्रवेश कराने के लिए एक औपचारिक प्रणालीगत संकाय प्रवेशन कार्यक्रम (एफआईपी)–**गुरू दक्षता** तैयार किया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए भर्ती हुए संकाय सदस्यों को अपनी सेवाएं ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर एफआईपी करना अनिवार्य है तथा एफआईपी को लागू करने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–मानव संसाधन विकास केन्द्रों (एचआरडीसी) का है।

वर्तमान में, एचआरडीसी शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि उनमें मूलभूत कौशल तथा संवेदनशीलता जो एक शिक्षक द्वारा प्रभावी कक्षा– शिक्षण के लिए अपेक्षित है, को प्रदान करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और वे नए ज्ञान से हमेशा अधतन रहें।

प्रवेश स्तर के सहायक आचार्य (स्तर 10) वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) के तहत लगातार दो स्तर (स्तर 11 और 12) के तहत प्रोन्नति के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने:

i. शिक्षण पद्धतियाँ विषय पर 21 दिनों की अवधि के एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

ii. एक पुनश्चर्या/शोध पद्धति पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

वर्ष 2019–20, 2020–21 के लिए गुरू दक्षता–संकाय प्रवेशन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या

विश्वविद्यालयों की संख्या	लाभार्थी	
	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21
33	12580	3818

12.8 ''परामर्श''—गैर प्रत्यायित संस्थानों को वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनका मार्गदर्शक बनना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'गुणवत्ता अधिदेश' में अंतर्विष्ट गुणवत्ता पर विशेष बल देने के साथ–साथ उत्कृष्टता की खोज के लिए स्वयं को समर्पित किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "परामर्श"'—गैर प्रत्यायित संस्थानों को वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनका मार्गदर्शक बनना' की योजना को लागू किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए अर्थात् जिनके पास 3.26 और उससे अधिक का नैक प्राप्तांक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 167 मार्गदर्शक संस्थानों को अनुमोदित किया है जो 936 चिह्नित मार्गदर्शन प्राप्तकर्ता संस्थानों को परामर्श प्रदान करेंगे।

इस योजना का उद्देश्य, नैक मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को उनके अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने और मान्यता प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों को बढ़ावा देना है। ''मेन्टर–मेन्टी'' संबंध की एक बेहतर तरह से डिजाइन की गई योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, बल्कि 3.9 करोड़ छात्र, जो वर्तमान में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होगी।

मार्गदर्शक संस्थान को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर–पूर्व क्षेत्र में किसी भी संस्थान को मार्गदर्शन प्रदान करने के मामले में, मार्गदर्शक संस्थान को 02 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती सकती है। वित्तीय सहायता का उपयोग 'फेलोशिप फॉर एक्रिडियेशन एम्बेसेडर', अभ्यागत व्याख्यान, कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों के आयोजन, विशेषज्ञों/संसाधक को मानदेय का भुगतान करने आदि के लिए किया जा सकता है। मार्गदर्शक प्राप्त करने वाले संस्थान, मार्गदर्शक संस्थान की मदद से संपूर्ण प्रत्यायन प्रक्रिया से गुजरेगा ताकि उन्हें वास्तविक नैक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा सके। वर्ष 2020–21 के दौरान योजना के तहत 28.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

12.9 मूल्यपरक तथा पेशेवर आचार अंतर्निविष्ट करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों में नैतिकता को अंतर्निविष्ट करने के लिए एक नीतिगत ढांचा–मूल्य प्रवाह'' तैयार किया है। शैक्षिक संस्थानों में मानवीय मूल्यों और नैतिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करने और उसे कारगर बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, नीतिगत ढांचे में संस्थानों में सक्रिय संस्कृति के साथ समर्थित एक कार्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है। यह दस्तावेज न केवल मूल्य आधारित परिवेश स्थापित करने के उद्देश्यों, परिणामों और ढांचे को विस्तार देता है बल्कि संबंधित कार्यक्रम के संचालन, कार्यान्वयन, निगरानी और सुदृढीकरण के लिए दिशानिर्देशों का भी सुझाव देता है। इसके अलावा, यह विभिन्न आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मूल्य आधारित और नैतिक पद्धतियों पर भी चर्चा करता है।

माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को ''मूल्य प्रवाह–''उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों में नैतिकता के संचार'' विषय पर एक ढांचा जारी किया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www.ugc.ac.in/ebook/HUMAN%20VALUE%20English/mobile/index.html***) पर उपलब्ध है।

12.10 पर्यावरण अनुकूल तथा धारणीय परिसर हेतु दिशानिर्देश

भारत में पर्यावरण अनुकूल और धारणीय विश्वविद्यालय परिसरों के लिए एक ढांचे को सतत् विकास की दिशा में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के योगदान को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया गया है।

भारत में एचईआई की विविधता के स्तर को स्वीकार करते हुए और समय की आवश्यकता के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्थायित्व सिद्धांतों को परिसर संचालन विकास और कार्यक्रम पाठ्यक्रम में एकीकृत करने का प्रयास किया है। यह ढांचा, विश्वविद्यालयों को परिसर की पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने और भविष्य में टिकाऊ हरित और टिकाऊ पद्धतियों को अपनाने के लिए चिंतनशील नीतियों और पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे अंततः अधिक बेहतर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यह ढांचा हरित विकास की दिशा में भारतीय विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बनाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानना है कि यह पहल एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम के रूप में उभरेगी।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 26 दिसंबर, 2019 को रिपोर्ट जारी की थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (***https://www.ugc.ac.in/e-book/STAT%20ENGLISH/mobile/index.html***) पर उपलब्ध है।

12.11 विश्वविद्यालय तथा उद्योग संपर्क को सक्षमकारी बनाना तथा विस्तार देना

प्रत्येक संस्थान के लिए समाज और उद्योग संपर्कः प्रत्येक संस्थान, ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए और ग्राम समुदायों के समग्र सामाजिक/आर्थिक कल्याण के लिए कम से पांच गांवों को अपनाएगा।

- समाज और उद्योग संपर्क का मुख्य उद्देश्य, छात्रों के समाज और उद्योग के साथ संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 2/3 छात्र सामाजिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न हों और संस्थानों में अध्ययन की अवधि के दौरान उनका उद्योग के साथ मेलजोल हो ।
- **''भारत में एचईआई के सामाजिक उत्तरदायित्व समुदाय सहभागिता को बढ़ावा देने''** के लिए 30 घंटे के लिए क्रेडिट कोर्स पाठ्यक्रम को विकसित किया गया है । सभी छात्रों के लिए इस क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से किया जाना है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 जनवरी, 2020 को **''देश में एचईआई के सामाजिक उत्तरदायित्व समुदाय सहभागिता को बढ़ावा देने''** के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
- **पाठ्यक्रम को निम्नलिखित ज्ञानअर्जन परिणामों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया हैः**
  - ग्रामीण जीवन, संस्कृति और सामाजिक वास्तविकताओं का बोध करना।
  - स्थानीय समुदाय के साथ सहानुभूति और पारस्परिकता के बंधन की भावना को विकसित करना।
  - भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान का बोध करना।
  - समुदाय के स्थानीय ज्ञान और विवेक को महत्व देना सीखना।
  - समुदाय के सामाजिक–आर्थिक सुधारों में योगदान के लिए अवसरों की पहचान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय–उद्योग संपर्क कार्यक्रम पर एक अवधारणा टिप्पण और योजना तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था।

कार्यदल ने ''विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क कार्यक्रम को सक्षम बनाने और विस्तार देने'' के लिए संकल्पना टिप्पण को अंतिम रूप दिया था।

आयोग ने अपनी 550वीं बैठक में ''विश्वविद्यालय और उद्योग संपर्क को सक्षम बनाने और विस्तार देने'' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और उसे संस्वीकृत किया।

12.12 छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क

छात्र प्रगति में रुझानों को देखकर, एक भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान से उपाधि प्राप्त करने के बाद, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी। इस क्षेत्र में सुधारों को लागू करने और साथ ही जन साधारण में जागरूकता का प्रसार करने के लिए विनियामक निकायों का भी समर्थन किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की प्रगति पर निगरानी रखने और उच्चतर शिक्षा में हुए सुधारों के प्रभाव का आकलन करने और सुधार करने के लिए ट्रैक की गई जानकारी का उपयोग करते हुए, ''छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क'' पर एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कृत बल का गठन किया गया है।

आयोग ने अपनी 550 वीं बैठक में ''छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क'' पर रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

12.13 बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियां (जीएआरपी)

आयोग ने दिनांक 09 सितंबर, 2020 को हुई अपनी 548वीं बैठक में 'बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतिया' (जीएआरपी) के संबंध में मार्गदर्शक दस्तावेज पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने और छात्र, संकाय, शोधकर्ता और कर्मचारियों के बीच अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित शैक्षिक कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को ''बेहतर शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियां' (जीएआरपी) नामक मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किया गया है जिसे ***https://www.ugc.ac.in/ebook/grap_29092020/mobile/index.html*** से प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रिपोर्ट में उल्लिखित दिशानिर्देश को लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर यथा अनुसंधान सत्यनिष्ठा और नैतिकता के संबंध में एक शोधकर्ता को ठोस ज्ञान, कौशल और दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;और शोध सत्यनिष्ठा, नैतिक व्यवहार, और बेहतर अनुसंधान पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सामग्री का विकास करके अनुसंधान में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करना है।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुसंधान संस्कृति की ठोस नींव को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेज में निर्धारित बेहतर अकादमिक अनुसंधान पद्धतियों को अपनाएं जो प्रत्येक शोधकर्ता के दैनिक व्यवहार में सत्यनिष्ठा पर बल देती हैं।